

उत्तर-वैदिक

एवं

संस्कृति

[एक अध्ययन]

लेखक

डॉ० विजय बहादुर राव एम० ए०, पीएच० डी०
प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,
गोरखपुर ~~लिटन विद्यालय~~

प्रवेशक

डॉ० विश्वम्भर शरण पाठक
अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी

प्रकाशक

किशोरचन्द्र जैन

भारतीय विद्या प्रकाशन

पो० बॉक्स १०८, कच्चीडी गली, वाराणसी

प्रथम संस्करण १०००

१५ अगस्त १९६६

मूल्य : १२-००

मुद्रक

शरदकुमार 'साधक'

मानव मन्दिर मुद्रणालय

नरहरपुरा, वाराणसी

आदरणीय भ्राता
श्री मूरत नारायण राव
को
सादर



प्रवेशक

नित्य छिप जानेवाली और प्रतिदिन प्रभात में अपने सौन्दर्य को बिखेरने वाली, अतीत और वर्तमान के युगल तत्त्वों से विभूषित उषा के समान इतिहास-सरचन भी द्विवर्णी है—

एषा व्येनी भवति द्विवर्णी

आविष्कृण्वाना तन्व पुरस्तात् ।

इतिहास के लेखन का आधार ही है—विगत और वर्तमान का अन्तराल-लम्बन, वृत्त और वर्तिष्यमाण के बीच एक निरन्तर चलनेवाला सम्वाद । नित्य परिवर्तित वर्तमान नित नये ढंग से समीक्षा करता हुआ अतीत की कथा को नये-नये परिवेश में उपस्थित करता रहता है । अतः इतिहास के लेखन में पूर्व का काल और आज का समय दोनों रहते हैं—अर्धनारीश्वर के समान नहीं जिसमें शिव और शक्ति अपने आधे-आधे व्यक्तित्वों के साथ एक दूसरे से जुड़े मात्र हैं किन्तु वाक् और अर्थ के सदृश जो दोनों अविशकालित रूप में संपृक्त हैं ।

अतीत के कथा की जो नवीन व्याख्या होती चलती है, उसका आधार है वर्तमान की अपनी दृष्टि और अपनी विधा । इस विचारोत्तेजक शोधप्रबन्ध में उत्तर वैदिककालीन सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लेखक ने यह अभिनव दृष्टि और यह नई विधा देने का प्रयास किया जिसके कारण कुछ नये प्रश्न उठे और फल-स्वरूप पूर्वप्रतिष्ठित इतिहास-सरचन की विधा को एक मृदु आह्वान भी मिला, जिसका किंचित् विवेचन यहाँ अभीप्सित है ।

प्रथम समस्या है—पुरातात्त्विक साक्ष्य और इस काल की साहित्य-परम्परा के सामञ्जस्य की । पुराैतिहासिक काल के लिये विशेषतः सैन्धव सभ्यता के इतिहास-लेखन में पुरातत्त्वज्ञ तत्कालीन साहित्यिक साक्ष्य के विमर्श में कुछ परेशानी का अनुभव करते हैं । यह माना जाता है कि ऋग्वेदीय और सैन्धव सभ्यता किन्हीं स्थितियों में समकालीन थी । अतः साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला जावेगा कि सैन्धव सभ्यता का कुछ विकृत अथवा प्राकृत प्रतिफलन ऋग्वेदीय साहित्य पर पड़ सकता है । किन्तु इस प्रतिफलन का शोध और पुरातात्त्विक साक्ष्य के साथ उसका सामञ्जस्य अनिर्णीत है । इस प्रसंग में प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक ने ऋग्वेद के मन्त्र का उद्धरण देकर उसकी पुरातात्त्विक प्रसङ्ग में व्याख्या की है —

स इदास तुवीर व पतिर्देन पडस त्रिशोर्पाण दमन्यत् ।

अस्य त्रितो न्वो जसा वृधानो विपा वराहमयो अग्रयाहन् ॥ १०.६६ ६

यहाँ तीन सिर वाले (त्रिशीर्ष) और छः बाँख के ऐसे दास का उल्लेख है जो त्रित के द्वारा मारा गया । इस त्रिशीर्ष का उल्लेख ऋग्वेद में अन्यत्र (१० ८.८) भी है जहाँ उसे त्वष्ट्रा का पुत्र और दस्यु कहा गया । यह परम्परा ब्राह्मणों और सहिताओं में भी उपलब्ध होती है । नैत्तिरीय सहिता में—

‘विश्वरूपो वैत्वाष्ट्र पुरोहितो देवानामासीत्
स्वस्त्रीयोऽसुराणा तस्य त्रीणि शीर्षाण्या
सन् त्सोमपान सुरापानमन्नादन । स
प्रत्यक्ष देवेभ्यो भागमवदत् परोक्षमसुरेभ्य ।
तस्मादिन्द्रोऽविभेदीदृङ् वै राष्ट्र
विपर्यावर्तयतीति । तस्य वज्रमादाय
शीर्षाण्यच्छिनद्यत् सोमपानम् ।’ २ ५ १ १

यहाँ त्वष्ट्रा के पुत्र त्रिशीर्ष-विश्वरूप को असुरों का भागिनेय और देवों का पुरोहित बतलाया गया तथा त्रित के स्थान पर इन्द्र को उसका शिरश्छेत्ता कहा गया । यह कथा शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होती है जिसका संक्षिप्त कथन भागवत में तथा विस्तार से पल्लवन महाभारत में है । महाभारत में—

ऐन्द्र स प्रार्थयत्स्थान विश्वरूपो महाद्युति ।
तैस्त्रिभिर्वदनैर्धोरै सूर्येन्दुज्वलनोपमै ॥४॥
वेदानेकान् सोऽधीते सुरामेकेन चापिवत् ।
एकेन च दिश सर्वा पिवन्निव निरीक्षते ॥५॥
स तपस्वी मृदुदान्तो घर्मे तपसि चोद्यत ।
तपस्तस्य महत् तीव्र सुदुश्चरमरिन्दमम् ॥६॥

—उद्योग, सेनोद्योग पर्व अध्याय ९

यहाँ ऐन्द्र पद की प्राप्ति के लिए त्रिशिरा-विश्वरूप का सघर्ष व्याख्यात है । यह भी ध्यातव्य है कि त्रिशिरा-विश्वरूप को महान् तपस्वी बतलाया गया । अन्यत्र महाभारत में विश्वरूप को सत् और असत् के परे विश्वोत्तीर्ण और विश्वानुग रूप में श्रेष्ठतम देवतत्त्व के रूप से भी चित्रित किया गया है । प्रसगात् उल्लेख्य है कि विश्वरूप के समान रुद्र को भी त्वष्ट्रा का पुत्र हरिवश में बतलाया गया है ।

विश्वरूप-त्रिशिरा के तपस्वी-रूप के प्रसंग में कीर्त्तितकी ब्राह्मण का वह भंश जो तैत्तिरीय सहिता के वेदार्थ प्रकाश भाष्य में उद्धृत है काफी महत्वपूर्ण

होगा। उसमें त्रिशिरा-विश्वरूप को अरुणमुख यतियो में गिनाया गया है जिनको इन्द्र ने मार कर भेड़ियो को खिला दिया था—

‘अतएव कौपोतिकन इन्द्रवाक्यमेतदामनन्ति
यन्मा विजानीयात्त्रिशीर्षाण त्वाष्ट्रमहमरु
मुखान् यतोन् सालावृकेम्य प्रायच्छम्।’

इस तीन सिर वाले दास-दस्यु-यति-तपस्वी तथा विश्वानुग और विश्वोत्तीर्ण श्रेष्ठतम देव की प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लेखक ने अत्यन्त सक्षेप में पहिचान सैन्धव सम्यता के उस त्रिशीर्ष पशुपति से की है जो एक मुद्रा पर योगी-महातपस्वी के रूप में उत्खचित है तथा जिसको सर जॉन मार्शम ने ऐतिहासिक शिव का पूर्वरूप कहा है।

यहाँ भारतीय साहित्य के साक्ष्य के साथ ही अवेस्ता में उल्लिखित परम्परा भी द्रष्टव्य है। गोश-द्रवास्प-यश्त में —

वीसो पुत्रो आध्व्यानोइश्
वीसो सूरयो थूअेतआँनो।१३

अजों दहाक

ध्वष-अपी थ्रिकमरधम्

अशआँजडधम् दमेवी द्रुजम्।१४

आध्व्य के पुत्र थूअेतआँनो ने तीन सिर वाले (थ्रिजफन), छ आँख वाले (ध्वश्-अपी) दास (दहाक) को मारा। अवेस्ता और वैदिक साहित्य के विद्वान् ‘आप्य’ और ‘त्रित’ का अवेस्ता-रूपान्तर ‘आध्व्य’ और थूअेतआँनो को मानते हैं। इसलिये त्रिशीर्ष एव पडच दास का त्रित के द्वारा मारा जाने की कथा की यथावत अवेस्ता-परम्परा है थ्रिजफन, ध्वष-अपी दहाक का थूअेतआँनो द्वारा मारा जाना।

आवाँ अर्दो सूर यश्त, राम यश्त, अर्द यश्त तथा यस्न (९-८) में भी यह परम्परा उपलब्ध होती है। आवाँ यश्त (कर्त ९) में यह विशेष सूचना मिलती है कि अजी दहाक वन्नोइ में मारा गया। वन्नोइ की पहिचान हरवामनी अभिलेखों और जातक साहित्य के वावेर से और इसलिये बेबिलोन से की गई है (स्पीगेल्, अवेस्ता पृ० ३४ पादटिप्पणी)।

त्रिशीर्ष-विश्वरूप थ्रिजफन अजी दहाक और त्रिमुख सैन्धव पशुपति का विचार-सूत्र जब बेबिलोन के पास पहुँचता है तो अनातोलिया के माध्यम से बेबिलोनी सस्कृति के कुछ तत्त्व वटोरे हुये हिती सम्यता में आदृत तेशुव की समस्या एक नवीन रूप धारण कर लेती है। हिती पुरातत्त्व से ज्ञात तेशुव

वृषभवाह, त्रिशूलधारी और पशुओं से घिरा हुआ है। उसकी पत्नी हेपत सिंह बाहिनी है। ये अनेकविध तत्त्व तेशुव को शिव-पशुपति के निकट ले आते हैं (हेमचन्द्र राय चौधरी, प्रोटोटाइप्स आफ शिव इन वेस्टर्न एशिया, डी आर भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम पृ० ३०२)।

इसमें सन्देह स्वल्प है कि इन दो सैन्धव एव हित्ती पुरातत्त्वों के साक्ष्य और ऋग्वेदीय तथा अवेस्ता को उपर्युक्त परम्पराओं में अनेक विध साम्य है किन्तु इन ऐतिहासिक तत्त्वों की व्याख्या-विषयक एव इस प्रकार के साक्ष्यों के बलाबल का निर्णय करने के लिए अभी कोई भीमासा-शास्त्र उपलब्ध नहीं, और न इस प्रकार के हेतु और हेत्वाभासों में अन्तर बतलाने वाला कोई तर्कशास्त्र ही।

इस शोध प्रवचन से जिसका साक्षात् सम्बन्ध है ऐसी दूसरी समस्या है समाजशास्त्र की उपलब्धियों से इतिहास के कलेवर सजाने की।

बीसवीं शताब्दी के प्राथमिक दशकों तक प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास और समाजशास्त्र की शोध की वृत्ति और विधा में काफी समानता थी। इस परम्परा के आज भी कुछ समाजशास्त्री हैं जो अपने अन्वेषण को ऐतिहासिक भूमिका से अलङ्कृत करते हैं। इस प्रसंग में विशेषतः उल्लेखनीय है मैक्स वेबर का जर्मन भाषा में उपनिबद्ध भारतीय धर्मों के समाजशास्त्रीय अध्ययन का स्तुत्य प्रयास।

बाद में प्रयोगात्मक विज्ञान की शीघ्र पद्धति का प्रभाव समाज-विज्ञान के विभिन्न शास्त्रों पर पड़ा और जिस प्रकार रॉ के और माँससेन के प्रयत्नों से इतिहास में इतिवृत्तात्मक तत्त्वों का प्राधान्य तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन में अरुचि आई, उसी प्रकार समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) में निरीक्षित सामग्री के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण तथा उसकी सीमित व्याख्या का बोल बाला हुआ। स्वाभाविक ही था ऐसे प्रयास में प्राचीन ऐतिहासिक परिपार्श्व का धीरे-धीरे भ्रम हो जाना। किन्तु समाजशास्त्र अथवा समाज-नृतत्त्वशास्त्र की (यथार्थतः ये दोनों शास्त्र अभिन्न हैं—इनका भेद बनावटी है) इस प्रकार की उपलब्धियाँ भी इतिहास-संरचन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये श्री निवास के संस्कृतीकरण का और मेकिम मेरियट के ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के साँचे में ढला हुआ पेरोकियलाइजेशन का सिद्धान्त, भारतीय संस्कृति के विशाल अतीत में विविधता को समझने के लिए उपादेय हो सकते हैं। साथ ही आदिम जातियों का अध्ययन, ग्राम्य और नागर जीवन के परिपार्श्व में परिवर्तनों के कारण, ब्राह्मणों के गोत्र-प्रवर-शाखा का क्षेत्रीय विस्तार आदि विषय प्राचीन भारतीय इतिहास में नवीन पहलुओं का उद्घाटन कर सकेंगे। आधुनिक समाज-

शास्त्रियों में इवास प्रिचर्ड ने इतिहास और समाजशास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार कर अध्ययन के इस द्विवर्हात्मक स्वरूप पर जोर दिया है। इसी प्रकार कतिपय इतिहासकार जैसे अमेरिकी लेखक कॉकरेन और हाँफस्टेडर ने समाज-शास्त्रीय उपलब्धियों का इतिहास-संरचन में उपयोग किया है। भारत में तो प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र में शोध का उद्भव भी प्रायः साथ ही साथ हुआ। फिर, परम्परा-विभूषित भारत देश में जहाँ प्राचीन तत्त्व पाषाणीकृत अथवा दूसरे प्रकार परिवर्तित रूप में आज भी मौजूद हैं समाजशास्त्र और प्राचीन इतिहास एक दूसरे को प्रभावित करते ही रहेंगे।

यह सच है कि प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन-प्रणालियों में अन्तर है—उनकी दिशा भी भिन्न है। यदि समाजशास्त्री 'समाज में बिखरे हुए जीवित उपकरणों का अपने अध्ययन में उपयोग करता है तो इतिहासकार साधारणतः पुरातत्त्व तथा प्राचीन लिखित सामग्री पर निर्भर रहता है। इतिहासकार विशेष (पर्टीकुलर) की विशेषता द्योतन करता है तो समाजशास्त्री विशेष की आशिक अथवा पूर्ण सामान्यता की ओर उन्मुख है।

इसलिए इतिहासकार के सम्मुख समाजशास्त्रीय उपलब्धियों का उपयोग करने में अनेक विषय समस्याएँ उपस्थित होती हैं। टॉमस कॉकरेन और हाफस्टेडर ने अमेरिकी इतिहास के प्रसंग में इन कठिनाइयों का तथा उनके दूर करने के उपायों का विवेचन किया है (द्रष्टव्य, कॉकरेन दी सोशल साइसेज एण्ड दी प्रॉब्लेम आफ हिस्टॉरिकल सिंथेसिस, हाफस्टेडर हिस्ट्री एण्ड दी सोशल साइसेज)। किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र की समस्याएँ बहुत भिन्न हैं।

इगित के रूप में इस शोध प्रवन्ध में उठाई गई 'कामचार' (प्रॉमिस्क्विटी) के प्रथा की समस्या का विवेचन किया जा सकता है। वेस्टमार्क आदि विद्वानों ने विवाह के पूर्व प्रचलित कामचार के रूपों का तारतमिक विवेचन कर स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया। इस मूलाधार पर डा० काशीप्रसाद जायसवाल और प्रो० अनन्त सदाशिव आलितकर ने प्राचीन भारत में विवाह का क्रमिक विकास बतलाने की चेष्टा की। महाभारत में कम से कम पाँच स्थानों पर कामचार की प्रथा का उल्लेख है (सभापर्व १२३।३-२१ और १०४।३४-३६, कर्णपर्व, ३०, इत्यादि)। ऋग्वेद में विवाह-प्रथा का प्रतिष्ठित रूप दिखाई देता है, अतः उपर्युक्त विद्वानों ने महाभारत के इन कामचारों को प्राक् ऋग्वेदीय काल की प्रतिध्वनि के रूप से स्वीकार किया। प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के लेखक ने इस आधार पर आगे बढ़ कर कहा कि ये कामचार सैन्धव

सम्यक्ता में प्रचलित थे और महाभारत के साक्ष्य को कुछ पुरातत्त्विक सामग्री से समर्थित किया। इतिहास का सतर्क विद्यार्थी इस निष्कर्ष-परम्परा को पूर्णतः स्वीकार करने में हिचकता है, क्योंकि महाभारत के ये आख्यान काल-क्रम में ठीक सँजोकर नहीं रखे जा सकते हैं। इनमें से एक आख्यान तो निश्चित ही बहुत बाद का है। कर्णपर्व के मद्र-कुत्सन अध्याय में कर्णमद्र देश की निन्दा करता हुआ कहता है

वासस्युत्सृज्य नृत्यन्ति स्त्रियो या मद्यविमोहिता ।

मैथुनेऽसयतश्चापि

यथाकामवशाश्चता ॥

यह निश्चित ही कामचार का अथवा यो कहें कि शिथिल दाम्पत्य जीवन का वर्णन है, किन्तु यह कहना कि कामचार का वर्णन मात्र होने से ही यह प्राक्ऋग्वेदीय काल का है, सिद्ध-साधन दोष से दूषित होगा। सौभाग्यवश, इस आख्यान का कुछ सामान्य ढंग से काल निश्चित किया जा सकता है। पञ्जाव के आचारो का वर्णन उपस्थित करते समय इस अध्याय में उक्त है

शाकल नाम नगरमापगा नाम निम्नगा ।

जत्तिका नाम बाहीकास्तेपा वृत्त सुनिन्दितम् ॥

यहाँ स्पष्टतः जत्तिक नामक जनो के वृत्तो का वर्णन है। मैं इन जत्तिको की पहिचान चन्द्र-व्याकरण के 'जर्तु' जनो से करता हूँ जहाँ लिखा गया है कि अजयज्जर्तु हूणान्। ये जर्तु-जत्तिक सम्भवतः आज के जाट हैं। अतः मद्रकुत्सन अध्याय का साक्ष्य आदिम (प्रिमिटिव) जीवन भले ही व्यक्त करता हो, उसको ऋग्वेद के पूर्व की सस्कृति का साक्षी नहीं माना जा सकेगा। इस प्रकार के अन्य आख्यानों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता है, और इसलिए इतिहास के विद्यार्थी को इस प्रकार की सामग्री के सम्बन्ध में मौन का ही अवलम्बन करना पड़ेगा।

इसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में फैली हुई जन-जातियों के अध्ययन से समाज शास्त्रियों ने राज्य की उत्पत्ति, परिवार के संगठन, नागरीकरण से सस्कृति और जीवन-पद्धति में परिवर्तन आदि ऐसे विषयों का ऊहापोह किया है जो इतिहासकार के रुचि-वृत्त के अन्तर्गत हैं। नागरीकरण केवल आज की ही उत्पन्न प्रवृत्ति नहीं। भारतीय सस्कृति भी ग्राम्य एवं नागर जीवन की दोला पर झूलती हुई बदली है। किन्तु नागरीकरण के परिवर्तन की जो रूपरेखा समाजशास्त्री रखते हैं उसका उपयोग इतिहास का विद्यार्थी किस प्रकार कर सकता है—यह आज भी विवेचनीय है। राज्य की उत्पत्ति का जो सामान्य ढाँचा समाजशास्त्र में उपलब्ध है वह क्या सस्कृति-विशेष के परिप्रेक्ष्य में बूट न

जायगा—इसकी असभावना कैसे की जा सकती है ? प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लेखक ने समाजशास्त्रीय निष्कर्षों और उपबिधियों को ऐतिहासिक विश्लेषण की कसीटी पर कसा है—देश-काल-विशिष्ट साक्ष्यों से पुष्ट कर ही स्वीकार किया है ।

तीसरी समस्या उठती है तुलनात्मक भाषाविज्ञान की उपलब्धियों का इतिहास-सरचन में उपयोग करने पर । भाषाविज्ञान के अनेक पक्षों का क्रमशः उद्घाटन हो रहा है—ग्लॉटो क्रॉनॉलॉजी की शाखा इतिहास के विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । इनके प्रयोग के लिए इतिहासकार को अपनी कल्पविधि तो प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी । किंतु यहाँ विचारणीय है पारम्परिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों का इतिहास में यथावत प्रयोग करने से उठने वाली कठिनाइयाँ । उदाहरण के लिए 'शर्व' शब्द को लें । ब्राह्मणों में शिव के अनेक नामों में शर्व भी बतलाया गया है । किन्तु ऋग्वेदीय देवतामण्डल में शर्व अनुपस्थित है । सर्वप्रथम शर्व के दर्शन हमें अथर्ववेद में होते हैं । अतः साधारणतः मान्य सिद्धान्त है कि 'शर्व' उत्तर वैदिककालीन भारतीय देव है, और इसका सम्बन्ध भारत के बाहर—भारतेरानी अथवा भारोपीय सस्कृति से नहीं । किन्तु अवेस्ता के वेदिदाद (विदइवोदात, कर्त्त १०, १७) में इन्द्र (इन्द्र), नासहेइति (नासत्य द्वय), जैरि (हरि) और तौरु के साथ शौरु (शर्व) का उल्लेख है । प्रायः सभी अवेस्ता साहित्य के विद्वान् शौरु के साथ शर्व की पहिचान करते हैं—उनकी अभिन्नता घोषित करते हैं (मार्टिन हॉग एसेज ऑन दी सेक्रेड लैंग्वेज, रायटिंग्ज एण्ड रिलीज़न ऑफ दी पारसीज्, १८६२, पृ० २३०, आर्थर हेनरी ब्लेक, अवेस्ता, १८६४ पृ० ६३-९४, जेइनर दि डॉन एण्ड ट्विलाइट ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म, १९६१, पृ० ८८) । यहाँ शर्व के साथ ऋग्वेदीय देवताओं इन्द्र और नासत्य का उल्लेख द्रष्टव्य है । अथर्ववेद के शर्व को अवेस्ता के शर्व के साथ मिलाने में अनेक समस्याएँ उपस्थित होती हैं । यह माना जाता है कि भारतेरानी आर्यों की एक शाखा ईरान में वसी और दूसरी भारतवर्ष में आई । आर्यों के भारतीय शाखा की सस्कृति ऋग्वेद में अशत प्रतिबिम्बित है और ईरानी आर्यों की परम्परा कुछ परिवर्तित रूप में अवेस्ता में संग्रहीत है । सस्कृति के जो तत्त्व अवेस्ता और ऋग्वेद में अभिन्न रूप से मिलते हैं, वे मूल भारतेरानी से लिये गये और इसलिये भारतेरानी युग के माने जाते हैं । किन्तु जब हम शर्व के दर्शन अवेस्ता में करते हैं और फिर उसे ऋग्वेद में न पाकर अथर्ववेद में देखते हैं तो उपर्युक्त मान्य सिद्धान्त में विसंगति उपस्थित होती है—यह प्रश्न उठता है कि शर्व को ऋग्वेद के अवान्तर काल का देव मानें अथवा भारतेरानी युग का ।

इस प्रकार के नवीन प्रश्न और नयी समस्याएँ उपस्थित कर उनके समाधान के माध्यम से प्रस्तुत लेखक ने उत्तर वैदिककाल की सस्कृति के इतिहास को

अभिनव सच्चा देने का प्रयत्न किया है। स्वयं उत्तरवैदिक काल भारतीय सस्कृति के अध्ययन के लिए असाधारण महत्त्व का है क्योंकि इस काल के साहित्य में भारतीय सस्कृति के मूलाधार का रूपाङ्कन विशेष स्पष्ट है। प्रयाग के सगम में यमुना के समान किरात, निपाद आदि सहायक सास्कृतिक-धारायें प्रमुख प्रवाह से मिलकर भी अपने योग को इस काल के साहित्य में आपेक्षिक रीति से पृथक् रूप में स्पष्ट करती हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में इन सबका सतर्क विवेचन है। सस्कृति के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन तो इस प्रबन्ध में प्राप्त ही होता है, किन्तु साथ में विभिन्न पक्षों के अन्तरावलम्बन पर भी दृष्टि है। इस ग्रंथ से हिन्दी साहित्य के भारती-भवन की निश्चित ही श्री वृद्धि होगी।

—विश्व शरण पाठक

प्राक्कथन

भारतीय सस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ग्रहणशीलता एवं समन्वय की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति पुरा-ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक एक सांस्कृतिक आदर्श के रूप में सदैव उपस्थित रही है। ऐतिहासिक युग में भारतीय समाज ने जहाँ यवनो, शको, पहलवो एवं हूणो को आत्मसात किया, वहीं पुरा-ऐतिहासिक युग में द्रविड (भूमध्यसागरीय) निपाद (प्रोटो-आस्ट्रलायड) किरात (मंगोलायड) एवं आर्य जाति के सम्पर्क एवं सामंजस्य के परिणामस्वरूप भारतीय समाज एवं सस्कृति का स्वरूप निर्धारित हुआ। आर्यों के भारत-प्रवेश के समय पंजाब और सिन्ध में समृद्ध सैन्धव सस्कृति का विस्तार था। यद्यपि आर्यों ने पराक्रम से सैन्धव सस्कृति के भौतिक कलेवर को ध्वस्त कर दिया किन्तु यह विध्वंस निरन्वय नहीं था। सैन्धव सस्कृति की परम्परायें उसके बाद भी जीवित रही तथा उत्तरवैदिक युग के अपेक्षया शान्त एवं सहयोगपूर्ण वातावरण में पुनरुन्मज्जित एवं विकसित हुईं। पूर्व वैदिक युग की आर्य-सस्कृति उत्तर वैदिक-युग में पूर्ववर्तिनी आर्येतर सैन्धव सस्कृति से अतिशय प्रभावित हुई। सत्य तो यह है कि आर्य एवं आर्येतर सांस्कृतिक आदर्शों एवं उपलब्धियों के सामंजस्य से ही उत्तर वैदिक सस्कृति का स्वरूप स्थिर हुआ। उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्कृति के निर्माण में द्रविड एवं आर्य जातियों के अतिरिक्त गंगा की घाटी में बसनेवाले निपादों का भी प्रबल योग था। यही प्रदेश उत्तर-वैदिक सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र भी था। आर्य एवं आर्येतर सांस्कृतिक धाराओं में समन्वय की प्रवृत्ति उत्तर-वैदिक जीवन के विविध क्षेत्रों में द्रष्टव्य है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अन्तर्गत सगन्ध को इस प्रक्रिया को प्रमुख स्थान दिया गया है।

यह शोध-प्रबन्ध छ अध्यायों में विभक्त है जिनके माध्यम से उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्कृति के कुछ प्रमुख पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में उत्तर-वैदिक सस्कृति के विकास की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है तथा उन प्रजातियों एवं सस्कृतियों का उल्लेख किया गया है जिनके सघर्ष एवं समन्वयके परिणामस्वरूप उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्कृति का स्वरूप निर्धारित हुआ। इस प्रसंग में पुरातात्विक प्रमाणों के साथ ही नृतत्वशास्त्रीय एवं भाषावैज्ञानिक साक्ष्यों की भी सहायता ली गई है। सर्वप्रथम प्रागार्य एवं आर्येतर सैन्धवसम्पत्ता का वर्णन है जिसे मुख्यतः भूमध्यसागरीय (द्रविड) जाति की देन माना गया है। तत्पश्चात् क्रमशः निपाद, किरात एवं पूर्व-वैदिक आर्य-सस्कृति का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में सुविदित तथ्यों एवं मतों के अतिरिक्त कुछ नवीन विचार भी प्रस्तुत किये गये हैं जिनका यहाँ संकेत मात्र

पर्यन्त होगा। इनमें सैधव समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था, यौन-सम्बन्धों की शिथिलता, निकटामिगमनकी परम्परा तथा सन्तान-प्राप्ति के लिये पिप्पल वृक्ष की उपासना आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार मुनियों और श्रमणों की अवैदिक धार्मिक परम्परा को निपाद सस्कृति से सम्बद्ध किया गया है।

द्वितीय अध्याय में उत्तर-वैदिक युग के भौतिक जीवन एवं आर्थिक प्रगति का वर्णन है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक समाज की कुछ उपलब्धियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस प्रसंग में समाज का लौह युग में प्रवेश, विलुप्त नागरिक-जीवन का पुनरुत्थान, विविध शिल्पो का विकास तथा वाणिज्य एवं व्यापार का सम्बर्धन आदि उल्लेखनीय तथ्य हैं। इनमें प्रथम को छोड़ कर शेष सभी के विकास में आर्येतर सैधव सस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस अध्याय-की सामग्री साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के समवेत एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

तृतीय अध्याय में वर्ण-विभाजन की वर्धमान प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इस प्रसंग में कुछ बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिये सामाजिक श्रेष्ठता एवं नेतृत्व के लिये व्याप्त वर्ण-सघर्ष, वर्ण-व्यवस्था के माध्यम से आर्य एवं आर्येतर समाज का परस्पर विलयित एवं निमज्जित हो जाना तथा अधिकांश आर्येतरों का शूद्र वर्ण के अन्तर्गत परिगणन एवं शूद्रों की हीनस्थिति युगीन वर्ण-व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें हैं। वर्ण-व्यवस्था के विकास के साथ ही वैश्यों की स्थिति में क्रमिक ह्रास अनार्य-सम्पर्क-जन्य था।

चतुर्थ अध्याय में उत्तर-वैदिक-युगीन पारिवारिक संगठन एवं उसको प्रभावित करने वाली विभिन्न आर्थिक, धार्मिक शक्तियों की विवेचना की गई है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्थिति पर विचार करते हुये उनके महत्व में ह्रास अथवा विस्तार के कारणों का उल्लेख हुआ है। इस युग में स्त्रियों की दशा ह्रासोन्मुख दिखाई देती है। स्त्रियों को धार्मिक क्रियाकलापों से बहिष्कृत करने की प्रवृत्ति तथा वर्धमान बहुभार्यता के पीछे भी आर्य आर्येतर सम्पर्क एक प्रेरक तत्व माना गया है।

पंचम अध्याय में उत्तर-वैदिक युग में राजशक्ति के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इस युग में सर्वप्रथम स्थायी भूमियुक्त राज्यों की स्थापना तथा विभिन्न प्रकार की शासन-पद्धतियों की कल्पना हुई है। इनमें स्वराज्य एवं मौज्य शासन पद्धतियों का सम्बन्ध आर्येतर परम्परा से प्रतीत होता है। इस अध्याय में राजा की शक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य, राजसत्ता पर अकुश तथा राजकर्मचारियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है।

छठे अध्याय में उत्तर-वैदिक धर्म के विकास का अध्ययन है। उत्तर-वैदिक धर्म में पूर्व-वैदिक धार्मिक परम्पराओं के अन्त विकास के साथ ही आर्येतर धर्म-

धाराओं का प्रचुर प्रभाव भी परिलक्षित है। आर्य एवं आर्येतर परम्पराओं का समन्वय देवतत्व, यज्ञ-तत्त्व एवं दार्शनिक चिन्तन के विकास के क्षेत्र में समानरूपेण उपलब्ध होता है। देवताओं में रुद्र शिव तथा प्रजापति की वर्धमान प्रतिष्ठा अशत अनार्य-प्रभाव-जन्य है। इसी प्रकार पुरुषमेघ की अति-प्राचीन परम्परा का उन्मज्जन भी पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर आर्य एवं आर्येतर सांस्कृतिक धाराओं के सम्पर्क एवं सामञ्जस्य का परिणाम प्रतीत होता है। धर्म के क्षेत्र में समन्वयात्मक सामाजिक बुद्धि का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का सामञ्जस्य है। ईशोपनिषद् में निष्काम-कर्म का सन्देश प्रथम बार मुखरित हुआ है तथा साथ ही नवाकुरित आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत भी निवृत्ति एवं प्रवृत्ति के समन्वय का प्रयास द्रष्टव्य है।

इस प्रबन्ध की रचना में वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का उपयोग आधार-ग्रन्थ के रूप में हुआ है। ऋक्संहिता का उपयोग विशेषतः पूर्व-वैदिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने के लिये किया गया है। प्रासंगिक तथा आनुपंगिक उल्लेख के लिये अन्य परवर्ती सस्कृति एवं पालि ग्रन्थों की सहायता यत्र-तत्र ली गई है। इसके अतिरिक्त नृतत्वशास्त्र एण भाषाविज्ञान से ज्ञात तथ्यों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है। पुरातात्विक सामग्री का प्रयोग तो ऐतिहासिक अध्ययन के लिये प्रायः अनिवार्य है क्योंकि पुरातात्विक-प्रमाण साहित्यिक साक्ष्यों के लिये भी कसौटी का काम देते हैं तथा अनेक ऐसे तथ्यों का उद्घाटन एवं स्पष्टीकरण करते हैं जिनके विषय में साहित्य मौन एवं अस्पष्ट है। अतएव इस ग्रन्थ में उत्तर-वैदिक युग तथा उसकी पृष्ठभूमि से सम्बन्धित समग्र पुरातात्विक सामग्री का प्रयोग यथोचित ढंग से किया गया है।

इस प्रबन्ध के प्रणयन में अनेक आधुनिक विद्वानों के ग्रन्थों से भी यथेष्ट सहायता ली गई है। स्थानाभाव के कारण यहाँ उन सबके नामों का उल्लेख सम्भव नहीं है इसलिये मैं उन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनके नाम आधार-ग्रन्थ-सूची में उल्लिखित हैं।

इस प्रबन्ध-लेखन में लेखक को अनेक महानुभावों से सहाया एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत विषय पर शोध कार्य की प्रेरणा डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, प्रोफेसर और अध्यक्ष इतिहास और सस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, ने दी थी। उन्होंने पाण्डुलिपि देखकर तथा अनेक बहुमूल्य सुझाव देकर उपकृत किया जिसके लिए लेखक उनके प्रति आभार प्रकट करता है। डा० रामवृक्ष सिंह, रोडर, प्राचीन इतिहास सस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गोरखपुर विश्व-विद्यालय, के स्नेह एवं आशीर्वाद से ही यह शोध कार्य सम्पन्न हो सका है। उन्होंने इस प्रबन्ध की रचना में आद्योपान्त पथप्रदर्शन करके तथा दुरुह समस्याओं के समाधान द्वारा लेखक के उत्साह एवं विश्वास को सम्बलित किया

है। लेखक इस अनुग्रह के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। प्राचीन इतिहास सस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष डा० विश्वम्भर शरण पाठक की प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन से ही प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित हो सका है। उन्होंने विभिन्न व्यस्तताओं के होते हुए भी 'प्रवेशक' लिखकर लेखक को कृतार्थ किया है। लेखक इसके लिए उनका अत्यन्त अनुग्रहीत है। लेखक अपने मित्र एवं सहोगी श्री श्रीराम गोयल के प्रति भी आभारी है जिन्होंने इस प्रबन्ध रचना में लेखक को हर सम्भव सहायता सहर्ष एवं सोत्साह प्रदान की। अन्ततः लेखक प्राचीन इतिहास सस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के अपने सहयोगियों के प्रति भी हृदय से आभारी है जो समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव देते रहे हैं। श्री किशोरचन्द जैन, भारतीय विद्या प्रकाशन, ने पुस्तक के प्रकाशन में जो शीघ्रता दिखाई है उसके लिए लेखक उसका कृतज्ञ है।

शीघ्रता में छपने के कारण पुस्तक में यत्र-तत्र मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह गई हैं। लेखक उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।

—विजय बहादुर राव

वि य-सूची

प्राग्-वैदिक एवं पूर्व-वैदिक पृष्ठ-भूमि

१-३५

आर्यैतर तथा आर्य सस्कृति पृ० १, सैन्धव संस्कृति पृ० २, सास्कृतिक उपलब्धियाँ पृ० ३, धर्म पृ० ४, सामाजिक व्यवस्था पृ० ८, मातृसत्तात्मक व्यवस्था पृ० ९, निषाद सस्कृति पृ० ११, किरात सस्कृति पृ० १२, आर्यों का आगमन और सैन्धव सभ्यता का विलोप पृ० २०, पूर्व वैदिक सस्कृति पृ० २४, आर्थिक जीवन पृ० २४, राजनैतिक संगठन पृ० २६, समाज में विभाजन की प्रक्रिया पृ० २७, पारिवारिक व्यवस्था पृ० २९, पारिवारिक जीवन में पितृ-प्रभुत्व की सीमाएँ पृ० २९, पूर्व वैदिक आर्य धर्म पृ० ३२,

उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ ३६-७१

भौगोलिक विस्तार पृ० ३७, उत्तर-वैदिक ग्राम पृ० ४३, भूमि पृ० ४३, भूमि पर राजकीय प्रभुत्व पृ० ४५, ग्राम्य जीवन पृ० ४६, नगरों का विकास पृ० ४७, कृषि पृ० ४९, विविध धान्य पृ० ५३, पशुपालन पृ० ५४, विविध शिल्प एवं व्यवसाय पृ० ५७, धातु विज्ञान और लौह युग में प्रवेश पृ० ६२, व्यापार एवं वाणिज्य पृ० ६४, गृह निर्माण एवं विविध घरेलू उपकरण पृ० ६८।

वर्ण-व्यवस्था

७२-१२५

वर्ण व्यवस्था के विकास में धार्मिक परिस्थिति का योग पृ० ७६, आर्थिक विकास और सामाजिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव पृ० ७९, ब्राह्मण वर्ग की सामाजिक स्थिति पृ० ८२, सामाजिक प्रधानता पृ० ८७, विशेषाधिकार पृ० ९०, राजसत्ता के प्रभाव से मुक्ति का प्रयत्न पृ० ९१, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य पृ० ९२, अप्यापन पृ० ९५, यज्ञसम्पादन पृ० ९६, ब्राह्मण-क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा पृ० ९७, राजन्य वर्ग और उसकी सामाजिक स्थिति पृ० १०१, वैश्य पृ० १०३, वैश्यों की सामाजिक स्थिति में क्रमिक हास पृ० १०४, शूद्र पृ० १०८, शूद्रों की उत्पत्ति पृ० १०९, शूद्रों की हीन अवस्था पृ० ११२, धार्मिक जीवन से शूद्रों के पृथक्करण का प्रयास पृ० ११६।

पारिवारिक संगठन और स्त्रियों की दशा

१२६-१६१

सयुक्त परिवार पृ० १२६, विघटन के प्रमुख कारण पृ० १२९, सयुक्त परिवार की अक्षुण्ण परम्परा पृ० १३१, दाम्पत्य जीवन की

महत्ता पृ० १३६, विवाह पृ० १३७, पति-पत्नी पृ० १४४, पिता पृ० १४५, परिवार में पुत्रों का महत्वपूर्ण स्थान पृ० १४६, कन्या की स्थिति पृ० १४९, वधू पृ० १५१, स्त्रियों की दशा पृ० १५३, वैधव्य पृ० १५९, पुनर्विवाह अथवा नियोग पृ० १६० ।

समाज और राज्य

१६२-१९७

स्थायी प्रादेशिक राज्यों की स्थापना पृ० १६३, शासन पद्धतियों पृ० १६४, राजतन्त्र पृ० १७०, आनुवंशिक राजपद पृ० १७०, राजशक्ति का विस्तार एवं राजा के विशेषाधिकार पृ० १७२, राजशक्ति की मर्यादा पृ० १७८, राजा के कर्तव्य पृ० १८०, राजकीय आय पृ० १८२, राज-कर्मचारी पृ० १८४, राज्य के सात अंग पृ० १९५ ।

समाज और धर्म

१९८-२५२

सामाजिक और आर्थिक परिवेश तथा धर्म पर उसका प्रभाव पृ० १९९, यज्ञों का विकास एवं विस्तार पृ० २०१, यज्ञों का वर्गीकरण पृ० २०३, अग्निहोत्र पृ० २०४, दर्श और पूर्णमास पृ० २०४, चातुर्मास्य पृ० २०५, आग्रयण पृ० २०५, निरूढ पशुबन्ध पृ० २०६, सौत्रामणी पृ० २०६, पिण्ड पितृ यज्ञ पृ० २०७, सोम यज्ञ पृ० २०८, अग्निष्टोम पृ० २०८, उक्थ्य पृ० २०८, षोडशी पृ० २०८, अतिरात्र पृ० २०८, अत्यग्निष्टोम पृ० २०९, आसौर्याम पृ० २०९, पुरुषमेध पृ० २०९, आर्येत्तरीय प्रभाव पृ० २१६, पंचमहा-यज्ञ पृ० २१७, यज्ञमूलक धर्म का विरोध तथा ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन पृ० २१९, देवतत्व पृ० २२०, आर्येतर प्रभाव पृ० २२१, देवताओं के महत्व में हास के कारण पृ० २२२, इन्द्र और वरुण पृ० २२३, प्रजापति पृ० २२४, रुद्र पृ० २२६, विष्णु पृ० २३४, अन्य नवीन देवता पृ० २३६, औपनिषद् दर्शन पृ० २३८, मूल समस्याएँ पृ० २३९, ब्रह्म का स्वरूप पृ० २४१, अद्वैतवाद पृ० २४३, इवेताइवतर उपनिषद्का ईश्वरवाद पृ० २४३, जीव और आत्मा पृ० २४४, बन्धन और मोक्ष पृ० २४५, मोक्ष के साधन पृ० २४६, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद का सिद्धान्त पृ० २४८, औपनिषद् दर्शन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पृ० २४९, समन्यवादी दृष्टि-कोण पृ० २५१ ।

आधार-ग्रन्थ सूची तथा अनुक्रमणिका

संकेत-सारिणी^१

आश्व० गृ० सू०
आप० घ० सू०
आप० गृ० सू०
आप० श्री० सू०

ऋ०

ऐत० आ०

ऐत० ब्रा०

ऐत० उप०

का० स०

गौ० ब्रा०

गौ० घ० सू०

छान्दोग्य उप०

जै० ब्रा०

तै० आ०

तै० ब्रा०

तै० उप०

वृ० उप०

बौधा० घ० सू०

बौधा० श्री० सू०

मै० स०

वाज० स०

शत० ब्रा०

श्वेता० उप०

शाख्या० ब्रा०

शाख्या० श्री० सू०

आश्वलायन गृह्यसूत्र
आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र
आपस्तम्ब श्रौत सूत्र
ऋग्वेद

ऐतरेय आरण्यक

ऐतरेय ब्राह्मण

ऐतरेय उपनिषद्

काठक संहिता

गोपथ ब्राह्मण

गोतम धर्मसूत्र

छान्दोग्य उपनिषद्

जैमिनीय ब्राह्मण

तैत्तिरीय आरण्यक

तैत्तिरीय ब्राह्मण

तैत्तिरीय उपनिषद्

बृहदारण्यक उपनिषद्

बौधायन धर्म सूत्र

बौधायन श्रौत सूत्र

मैत्रायणी संहिता

वाजसनेयी संहिता

शतपथ ब्राह्मण

श्वेताश्वतर उपनिषद्

शाख्यायन ब्राह्मण

शाख्यायन श्रौत सूत्र



१ इस सूची में उन ग्रन्थों के संकेत चिह्न दिये गये हैं जिनका प्रस्तुत प्रबन्ध में संक्षिप्त नाम से उल्लेख है। शेष ग्रन्थों का उल्लेख उनके पूर्ण नाम से हुआ है।

प्राग्-वैवि

एवं

पूर्व "ति पृ भूमि

उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति का अध्ययन करने के पूर्व उन प्रजातियों (रेसेज) एवं संस्कृतियों का अध्ययन करना अनिवार्य है जिनके सघर्ष तथा समन्वय ने प्रागैतिहासिक युग से ही आर्येतर तथा आर्य भारतीय संस्कृति को चेतना प्रदान की । आर्य जाति के गौरव का शखनाद करनेवाले पुराविदों ने भारत-वर्ष में सम्यता की रश्मियों का प्रवेश आर्यों के आगमन के साथ माना है ।^१ उनके अनुसार भारतीय संस्कृति में जो कुछ स्वस्थ सुन्दर तथा प्राणवान है वह आर्य जाति की देन है । किन्तु सिन्ध तथा पंजाब की हड़प्पा संस्कृति के प्रकाशन के पश्चात् सप्त सैन्धव में आर्यों का प्रवेश एक सम्य प्रदेश में बर्बर जाति का आगमन प्रतीत होता है ।^२ इसलिए यह बात अब प्राय स्वीकृत होने लगी है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में आर्यों का योग विशेष रूप से गुह्यतर रहा है ।^३ यद्यपि आर्यों ने अपनी पूर्व-वर्तिनी आर्येतर सम्यता को नष्ट करके अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म तथा समाज को भारत में प्रतिष्ठित किया तथापि यह निर्विवाद है कि यह सांस्कृतिक विध्वंस निरन्ध्व नहीं था । इस साक्षर नागरिक सम्यता के अनेक तत्व परवर्ती आर्य-सम्यता में अङ्गीकृत हुए । सत्य तो यह है कि अनेक धार्मिक तथा समाजिक परम्परायें, प्राचीन कथानक तथा इतिहास इन्हीं आर्यों की संस्कृति के उपादान हैं जिन्हें आर्यों ने अपनी प्रबल भाषा के माध्यम से आत्मसात कर लिया । आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों का यह समन्वय भारतीय सम्यता के निर्माण की आधार-शिला सिद्ध हुआ । इसका प्रभाव

१ कौय, ए० बी०, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद, भाग १, १९२५, पृ० १०

२ पिगट, एस०, प्रिहिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २५६-५८

३. हाल, एच० आर, हिस्टरी आव दि नियर ईस्ट, पृ० १७८, पादटिप्पणी

उत्तर-वैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था तथा आध्यात्मिक आन्दोलन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।^१

दीक्षितार, रामचन्द्रन, लक्ष्मणस्वरूप तथा शंकरानन्द आदि अनेक विद्वानों का यह विचार है कि सैन्धव सस्कृति के निर्माण का श्रेय आर्यों को दिया जाना चाहिए । किन्तु सर जान मार्शल के प्रबल तर्कों से स्पष्ट है कि सैन्धव सस्कृति आर्योंतर तथा वैदिक सस्कृति की पूर्ववर्तिनी थी ।^२ हड़प्पा एव मोहनजोदडो से प्राप्त अस्थिपजरो से यहाँ विभिन्न प्रजातियों के निवास का बोध होता है जिनमें मूल आस्ट्रेलिय (निषाद) भूमध्यसागरीय (द्रविड) तथा मंगोलिय (किरात) प्रमुख थी । इन नगरों की मिश्रित जनसंख्या का कारण सम्भवतः इनका व्यापारिक एव औद्योगिक आकर्षण था । अभी तक परीक्षित कपालों की संख्या इतनी अल्प है कि उनके आधार पर हड़प्पा-निवासियों की जातिगत विशेषताओं का विशद वर्णन नहीं किया जा सकता । इस प्रसंग में ध्यान दिलाया जा सकता है कि हड़प्पा के 'आर ३७' और 'एरिया जी' से उपलब्ध प्रचुरतर सामग्री का नृत्तवीय विश्लेषण अभी कर्तव्य है ।^३ भाषाविज्ञान, पुरातत्त्व, नृतत्वशास्त्र तथा प्राचीन तमिल साहित्य आदि साक्ष्यों पर समवेत विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्धव सस्कृति प्रधानतः द्रविड सस्कृति थी । इस प्रदेश में द्रविड भाषा के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं । बलूचिस्तान की ब्राह्मई भाषा में न केवल द्रविड भाषा के शब्द मिलते हैं बल्कि बहुसंख्यक मुहावरे भी बिखरे पड़े हैं ।^४ इसके अतिरिक्त अद्यावधि परीक्षित कपालों में भूमध्यसागरीय तत्वों की बहुलता तथा तमिल सस्कृति की सैन्धव सस्कृति से अनुरूपता द्वारा भी इस विचार की पुष्टि होती है ।

सैन्धव सम्यता सिन्धु नदी की उपत्यका तक ही सीमित नहीं थी । इसका प्रभाव उत्तर में शिमला की पहाड़ियों में स्थित रूपड़ से लेकर दक्षिण में भगतराव तक तथा पूर्व में मेरठ से १६ मील पश्चिम की ओर स्थित

१ पाण्डेय, जी० सी०, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ० १

२ मार्शल, जे०, मोहनजोदडो एन्ड दि इट्स सिविलिजेशन, ग्रंथ १, पृ० ११८-११

३ द्रष्टव्य ह्वीलर, इट्स सिविलिजेशन, पृ० ५१-५२

४. काल्डवेल, ग्रामर आव दि द्रविडियन लैंग्वेज, भूमिका, पृ० ४३-४४

आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में अरब सागर के समीप स्थित सुत्कजेन्डोर तक था।^१ इसके दो प्रधान नगर हडप्पा और मोएनजोदडो एक दूसरे से चार सौ मील की दूरी पर स्थित थे। इस प्रकार सैन्धव सस्कृति का प्रभाव क्षेत्र तत्कालीन सुमेरियन तथा मिस्री सभ्यताओं के प्रभाव क्षेत्र से कहीं अधिक था। सुमेर तथा सिन्धु प्रदेश के व्यापारिक सम्बन्ध इस बात का संकेत करते हैं कि यह सस्कृति अवज्ञाद के सारगोन काल में पूर्ण विकसित अवस्था में थी।^२ ह्वीलर महोदय ने सागोन की तिथि २३५० ई० पू० मानी है।^३ ऐसी स्थिति में तृतीय सहस्राब्दि के उत्तरार्द्ध को सैन्धव सस्कृति का चरमोत्कर्षकाल माना जा सकता है।

यह ताम्र-प्रस्तर-युगीन सस्कृति प्रकृत्या नागरिक एवं साक्षर थी। इसका भौतिक पक्ष बड़ा ही समृद्ध एवं समुन्नत था। सैन्धव नागरिकों ने भव्य भवन, सार्वजनिक गृह, वृहद् स्नानागार आदि का निर्माण सांस्कृतिक उपलब्धियाँ किया तथा सुख-सुविधा के विविध साधन एकत्र किये। नगर-मापन, मूर्तिकला तथा व्यापार-कौशल आदि में समुन्नत होते हुए भी यह सभ्यता शस्त्रास्त्र के विज्ञान से दुर्बल थी तथा अश्व के उपयोग से अपरिचित। इसी कारण से सैन्धव समाज आक्रामक आर्यों का सफल प्रतिरोध भी नहीं कर सका। इस विरोधाभास पर विस्मय प्रकट किया गया है कि सैन्धव सभ्यता अपने उत्तराधिकारियों को अध्यात्म-विद्या के क्षेत्र में अक्षय राशि प्रदान कर सकी जब कि उसका भौतिक कलेवर आर्यों के आक्रमण को सहने में सर्वथा असमर्थ रहा।^४ परवर्ती भारतीय धार्मिक जीवन पर सैन्धव परम्पराओं का गहरा प्रभाव सर्वथा अप्रत्याश्य है किन्तु यह कहना कि सिन्धु-सभ्यता से केवल आध्यात्मिक तत्व ही उत्तरकालीन सभ्यता में स्वीकृत हुए, अत्युक्ति होगी। इस सभ्यता के भौतिक पक्ष के भी अनेक तत्व अनुवर्ती युगों में दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रसंग में गेहूँ, जौ और कपास की खेती, गृहविन्यास एवं दुग्-विन्यास तथा नाप तौल की प्रणाली

१ सकालिया, इरिजियन आर्क्योलोजी डुडे, पृ० ५०, इण्डियन आर्क्योलोजी ५७-५८, पृ० १५

२. ह्वीलर, अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० १०९

३. ह्वीलर, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ४

४. वही पृ० १५

प्रादि विशेषतः उल्लेखनीय है।^१ यह निर्णय करना कठिन है कि कितने उत्तरकालीन शिल्प प्राचीन आर्योत्तर समाज की देन है किन्तु अधिकांश शिल्पियों की उत्तर काल में हीन सामाजिक अवस्था विजेता आर्यों की अपेक्षा विजित अनाथों से उनका अधिक सम्बन्ध द्योतित करती है।

सैन्धव सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक पक्ष भी भौतिक जीवन से कम विकसित नहीं थे। इसमें परवर्ती हिन्दू धर्म के अनेक धार्मिक विश्वास अपने आदिम रूप में दिखाई देते हैं। हिन्दू धर्म में सैन्धव सभ्यता के बहुत से ऐसे तत्व हैं जिन्हें ऋग्वैदिक आर्य धृष्टित और निन्दनीय समझते थे।^२

पशुपति, नटराज और योगी के रूप में शिव की उपासना का प्रारम्भ इसी आर्योत्तर समाज में हुआ था।^३ शिव का अनार्यत्व भाषावैज्ञानिक साक्ष्यों से भी अनुमोदित है। 'शिव' और 'शम्भु' शब्द तमिल भाषा के शिवन् और शेम्बु शब्दों से निकले प्रतीत होते हैं जिसका अर्थ 'लाल' है। उत्तर-वैदिक साहित्य में शिव का नील-लोहित विरुद्ध भी इस बात का संकेतक है कि शिव लोहित वर्ण के थे। रक्त या लोहित वर्ण क्रोध और भयकरता को सूचित करता है। सिन्धुप्रदेश से प्राप्त पशुपति शिव की मुद्रा में भी इस प्रकार का भाव स्पष्टतः परिलक्षित है।

शैव मत की भाँति ही शाक्त मत का प्रचलन भी सैन्धव सस्कृति में निर्विवाद है। मोहनजोदडो से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियाँ तथा मुद्राओं

१. ह्वीलर, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ६२-६३, पिगट, प्रिहिस्टोरिक इण्डिया, पृ० १५३, सैन्धव दुर्ग-विन्यास की परम्परा पर द्रष्टव्य, जी० आर० शर्मा, एक्सकेवेसन्स ऐट कौशाम्बी, पृ० ६, तु० ह्वीलर, अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० १२६

२. उदाहरण के लिए शिव को लीजिए। उत्तर वैदिक साहित्य में इस देवता को 'एक ब्राह्म' कहा गया है। ऋग्वेद (७.६६.४, १०.६६.४) में जिस ऋगमुकुटधारी तथा त्रिमुखधारी दास का संकेत है वह निश्चय ही सिन्धु-घाटी का आदि शिव है जो बाद के हिन्दू धर्म में 'त्रिशूलधर' और त्र्यम्बक हो गया। इसी प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों ने अपने शत्रु दानों को 'शिश्नदेवा' भी कहा है और इस प्रकार सिद्ध पूजा को निन्द्य माना है। (ऋ ७.२१.५, १०.६६.३)

३. मार्शल, मोहनजोदडो एण्ड इण्डस सिविलिजेशन, ग्रन्थ ३, पृ० ५२-५५

पर उत्कीर्ण चित्र नारी की प्रजनन-शक्ति जन्य महत्ता का संकेत करते हैं।^१ वैदिक आर्यों का मातृशक्ति की उपासना की ओर विशेष झुकाव नहीं था।^२ धर्मशास्त्रों में तो ग्राम देवता एवं देवियों के पूजक ब्राह्मणों को स्पष्ट पतित कहा गया है।^३ फिर भी भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम में आज भी देवियों की पूजा प्रचलित है जिसका मूल अवैदिक और अनार्य प्रतीत होता है।^४ मार्शल महोदय सैन्धव घासिक जीवन में मातृशक्ति की उपासना को ही प्रधान मानते हैं। तत्कालीन भूमध्यसागरीय द्वीपों तथा पश्चिमी एशिया की संस्कृतियों में मातृ शक्ति के उपासना की लोभ प्रियता को देखते हुए मार्शल का यह मत सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।

उमा और शिव के अतिरिक्त विष्णु, लक्ष्मी तथा कृष्ण आदि की अवधारणा भी अशत द्रविड प्रतीत होती है। सैन्धव लिपि के अभी तक अपठ्य रहने के कारण इनका अनार्यत्व पुरातात्विक सामग्री से प्रमाणित नहीं होता किन्तु भाषा-वैज्ञानिक साक्ष्यों से इस विषय पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। विष्णु का उल्लेख सूर्य-देवता के रूप में पूर्व-वैदिक साहित्य में अवश्य हुआ है किन्तु उनके क्षीरसागरशायी अथवा लक्ष्मीपति होने का कोई उल्लेख नहीं है। सिलुस्की तथा आयगर ने भाषा वैज्ञानिक आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि विष्णु आर्यों के सौर देवता होते हुए भी अशत द्रविडों के आकाश देवता हैं।^५ इनका वर्ण भी आकाश की भाँति नीला है। विष्णु की पत्नी श्री का उल्लेख भी सौभाग्य की देवी के रूप में ऋग्वेद में हुआ है किन्तु उनका गजलक्ष्मी रूप पूर्वार्थ एवं द्रविड प्रतीत होता है। स्लेटर महोदय के अनुसार भारतीय कला की परम्परा में कृष्ण को जो श्याम वर्ण प्रदान किया गया है वह भूमध्यसागरीय जाति का जैतून जैसा बभ्रु वर्ण है जो आर्यों के गौर और निपादों के धूसर वर्ण से सर्वथा भिन्न है।^६ सप्त-

- १ एक मुद्रा पर नारी की योनि से पौधे के जन्म का दृश्य चित्रित है जो स्पष्ट नारी की प्रजनन शक्ति का संकेत करता है।
- २ ऋग्वेद के विशाल देवसमूह में मात्र अदिति ही एक उल्लेखनीय देवी है।
- ३ मनु ३ १५१, ३ १८०
- ४ पिगट, प्रिहिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २०२
- ५ इण्डियन एण्टिक्वेरी, जनवरी १९३३, द्रविडिक स्टडीज, संस्करण ३, पृष्ठ ६१ ६२
- ६ द्रविडियन एलेमेन्ट इन इण्डियन कल्चर, पृष्ठ ५५

सैन्धव के निवासी ऋग्वैदिक आर्यों ने भी अपने शत्रुदास-दस्यु लोगो को कृष्ण विशेषण से युक्त किया है । परवर्ती पुराकथाओं में कृष्ण द्वारा लोक-प्रिय वैदिक देवता इन्द्र का विरोध उनके अनार्यत्व का एक प्रबल प्रमाण है ।

सिन्धु प्रदेश की बहुसंख्यक मुद्राओं पर अनेक पशुओं के चित्र मिलते हैं, जिनमें कुछ की धार्मिक महत्ता अप्रत्याख्येय प्रतीत होती है । हडप्पा से प्राप्त मुद्राओं पर वृषभ चित्र बहुत मिला है । अनेक मुद्राओं पर वृषभ किसी विचित्र उपकरण से समक्ष खड़ा प्रदर्शित किया गया है जो कोई उपयोगी पदार्थ न होकर धार्मिक प्रयोजन की वस्तु प्रतीत होता है । साधारणतया सैन्धव मुद्राओं पर चित्रित वृषभ को पौराणिक नन्दी का पूर्व रूप माना गया है किन्तु इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि हडप्पा से प्राप्त 'आदि-शिव' को घेरे हुए जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें वृषभ अनुपस्थित है । ऐसी स्थिति में उसे सैन्धव शिव का वाहन मानना कुछ सन्देहास्पद हो सकता है । लेकिन इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि एशियामानर की हित्ती जाति में (जिसमें भूमध्यसागरीय जाति का प्राधान्य था) एक त्रिशूलधारी, पशुपति, वृषभवाह 'देवराज' और उसकी सिंहबाहिनी पत्नी की उपासना प्रचलित थी । ये दोनों शिव और दुर्गा के पूर्व रूप से प्रतीत होते हैं । अतः हो सकता है कि सैन्धव प्रदेश की भूमध्यसागरीय जाति में भी (जो मूलतः उसी सांस्कृतिक घातावरण से आई थी जिसमें हित्ती जाति तथा अन्य भूमध्यसागरीय-जातियाँ रही थीं) शिव के वृषभवाह रूप की कल्पना रही हो । इसका अप्रत्यक्ष संकेत अनेक सैन्धव मुद्राओं पर वृषभ के अकन से अवश्य ही मिलता है ।

पार्जोटर महोदय ने हनुमान की पूजा का सम्बन्ध भी द्रविड सस्कृति से स्थापित किया है ।^१ उनके अनुसार इस शब्द का मूल 'अणमन्ति' शब्द तमिल भाषा का है जिसका अर्थ नरवन्दर है । बाद में अणमन्ति शब्द का सस्कृत रूप हनुमान बनाया गया तथा आर्योत्तर प्रभाव के कारण उसकी पूजा लोकप्रिय हो गई । वैदिक-साहित्य में भी 'वृषाकपि' का उल्लेख हुआ है किन्तु एक लोक-प्रिय देवता के रूप में नहीं । सिन्धु प्रदेश के उत्खनन से कुछ कल्पाजान्य मिश्रित आकृति वाले पशुओं के चित्र भी मिले हैं जिनके धार्मिक महत्त्व के सम्बन्ध में निश्चायक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । वास्तविक पशुओं में वृषभ और वन्दर के अनिरिक्त भैंसा, बाघ, हाथी, सूअर और कुत्ते की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं किन्तु इन सबकी पूजा और श्रद्धा का विषय नहीं

माना जा सकता। निश्चय ही इनमें से अनेक खिलौने के रूप में बालकों के मनोरंजन के साधन रहे होंगे।

सैन्धव धर्म में पादप-पूजा को भी स्थान प्राप्त था। पीपल का वृक्ष जिसका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान है, सैन्धव सभ्यता में ही धार्मिक महत्ता को प्राप्त कर चुका था। यहाँ के निवासी सम्भवतः पीपल वृक्ष में देवी शक्ति का निवास भी मानते थे। मोएनजोदड़ो की एक उत्खननीय मुद्रा में देवता की खड़ी हुई एक नग्न मूर्ति है, जिसके दोनों ओर अश्वत्थ की दो शाखाएँ हैं। वृक्ष देवता की पूजा की सूचक, एक पक्ति में खड़ी हुई, पीठ पर लहराते हुए वालों से शोभित सात स्त्रियाँ हैं जो देवी की पुजारिण जान पड़ती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा शायद सन्तान प्राप्ति के लिए की जाती थी। अथर्ववेद में इस वृक्ष को पुत्रदाता कहा गया है।^१ हम जानते हैं कि अथर्ववेद में ऐसे अनेक आर्येतर धार्मिक विश्वास सप्रतीत हैं जिनका मूल ऋग्वेद में नहीं मिलता। भारत के विभिन्न प्रदेशों में आज भी पुत्र-प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष के आलिगन की प्रथा है तथा अनेक जातियों में पीपल वृक्ष की पूजा को पुत्र प्राप्ति में सहायक माना जाता है।^२ सैन्धव संस्कृति में पीपल वृक्ष की महत्ता तथा उसके विषय में उपर्युक्त मान्यता को देखते हुए दोनों का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की उपासना के पीछे कारणभूत इस प्रबल धारणा का विकास सैन्धव सभ्यता के अन्तर्गम हुआ हो, यह आश्चर्यजनक नहीं है।

परन्तु हिन्दू धर्म में न केवल द्रविड देवताओं को स्थान मिलो बल्कि उनकी उपासना पद्धति को भी स्वीकार किया गया। वैदिक आर्यों का धर्म-यज्ञ प्रधान था। यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं का मांस सोम तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित की जाती थी। इसके विपरीत पूजा में उपास्य देव को पत्र पुष्प और जल इत्यादि समर्पित किये जाते थे। इसी लिए इसे पुष्पकर्म कहा गया है। पूजा शब्द की उत्पत्ति द्रविड भाषा के 'पू' (पुष्प) और 'जे' (करना) से हुई प्रतीत होती है जिसका अर्थ है 'पुष्पा-पण'। संस्कृत ग्रन्थों में सर्वप्रथम भगवद्गीता में पूजा की महत्ता को स्वीकार

१ अथर्ववेद ६.११

२ शुक, पापुलर रिलिजन एण्ड फांक्लोर ऑफ नादरन इण्डिया, २९९, १०२, ११२

किया गया है। मोएनजोदड़ो से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियों से भी द्रविड समाज में मूर्तिपूजा का प्रचलन प्रमाणित होता है।

पूजा की भांति ही सम्भवतः भक्ति का विकास भी मूलतः द्रविड संस्कृति से सम्बद्ध प्रतीत होता है।^१ इसके अतिरिक्त जलप्रलय जैसे आख्यान तथा अनेक यौगिक साधनायें, कर्मकाण्ड और दर्शन विषयक विचार भी द्रविड लोगों की देन हैं। सिन्धु प्रदेश में लिंगपूजा, नागपूजा और जलपूजा के भी चिन्ह मिलते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध द्रविड संस्कृति की अपेक्षा निपाद संस्कृति से अधिक प्रतीत होता है।^२

सिन्धु प्रदेश के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से यहाँ की सामाजिक संस्थाओं, विचारों एवं रीति रस्मों पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। इस क्षेत्र

में प्राचीनतम तमिल साहित्य तथा नृत्यशास्त्र की सामाजिक व्यवस्था सहायता अपेक्षित है। द्रविड संस्कृति का प्राचीनतम लिखित रूप तमिल साहित्य में ही मिलता है।

ऐसी स्थिति में सिन्धु-प्रदेश की द्रविड संस्कृति के सामाजिक पक्ष की रूपरेखा तमिल साहित्य की सहायता से प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होगा। इस विषय में यह कठिनाई अवश्य है कि प्राचीनतम ज्ञात तमिल संस्कृति तथा सैन्धव संस्कृति के बीच सहस्र वर्षों से भी अधिक का अन्तर है। अतः यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि तमिल साहित्य में द्रविड सम्यता का पुरा-ऐतिहासिक स्वरूप कितना आदिम और अविकल है। इस दिशा में पुरातात्विक तथा अन्य सम्भव साक्ष्यों का समर्थन निश्चय ही उपयोगी होगा। मोएनजोदड़ो की नगर व्यवस्था इस बात का संकेत करती है कि सैन्धव समाज आर्थिक आधार पर वर्गों में विभाजित था।^३ विशाल नगरों, प्राचीरों, सबको एवं सार्वजनिक भवनों की दृष्टि में रखते हुए हलीर महोदय ने श्रम और निर्माण के लिए दास वर्ग के अस्तित्व की भी कल्पना की है।^४ सैन्धव समाज में धर्म के विकसित स्वरूप को देखते हुए यह अनायास कल्पनीय है कि इसमें

१. पद्मपुराण, उत्तरकाण्ड, ५०।५१ उत्पन्ना द्रविडे चाहम कण्टिवृद्धि-मागता ।

२. कृपया इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठों में देखें ।

३. गार्डन चाइल्ड, न्यू लाइट आन दी मोस्ट ऐन्ड्येन्ट ईस्ट, पृ० १७५ ।

४. जेड० डी० एम० जी०, २ २७२, सद्धत, मूद्राज इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० १८ पर ।

पुरोहित वर्ग की स्थिति आदरणीय रही होगी। बहुत से विद्वानों ने तो यह विचार भी व्यक्त किया है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का शासन पुजारियों द्वारा होता था।^१ किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए निश्चायक प्रमाणों का अभाव है। सैन्धव सभ्यता के भौतिक पक्ष की विकसित अवस्था, उसके सुमेरियन प्रदेश के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध एवं सैन्धव जनो की समुद्र यात्रा में रुचि आदि तथ्यों से उनके समाज में समृद्ध व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व भी निर्विवाद है। सम्भवतः उसी का ऋग्वेद में पणि नाम से उल्लेख हुआ है।^२ आर्य लोग इन पणियों के वैभव को सतृष्णा दृष्टि से देखते थे तथा उनके धन के अपहरण की कामना करते थे। पणि शब्द से ही बाद में पण, पण्य, 'वणिक्' और 'वाणिज्य' शब्दों की व्युत्पत्ति हुई प्रतीत होती है।^३

सैन्धव समाज सम्भवतः मातृसत्तात्मक था। सिंधु प्रदेश से प्राप्त नारी मूर्तियाँ, मातृदेवी की उपासना की प्रधानता तथा प्राचीन क्रीट एवं अन्य भूमध्यसागरीय प्रदेशों की मातृसत्तात्मक व्यवस्था मातृसत्तात्मक व्यवस्था इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं। सिंधु के तट पर बसी प्राचीन केहोल जाति की मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को सुदूर अतीत में प्रचलित सैन्धव जनो की सामाजिक व्यवस्था का अवशेष माना जा सकता है।^४ केहोल जाति की इस पुरातन व्यवस्था को आर्यों अथवा उनके अनुवर्ती किसी अन्य जाति से सम्बन्धित करना बड़ा ही कठिन है। तमिल भाषा के कुछ शब्द भी द्रविड समाज की मातृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा का 'इलाल' शब्द जिसका अर्थ गृहस्वामिनी होता है, लीलिग है। इसी अर्थ को देने वाले समान पुल्लिंग शब्द का अभाव द्रविडों के पारिवारिक जीवन में नारी के स्वामित्व की ओर संकेत करता है। मलाबार तट के निवासियों तथा केरल की कुछ जातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था अब भी पाई जाती है।

परिस्वैतिक साक्ष्यों के आधार पर सैन्धव सभ्यता के सामाजिक संगठन

१ पिगट, प्रिहिस्टोरिक इंडिया, पृ० १५०, मैके, अर्ली इंडस सिविलिजेशन, पृ० १२-३

२ लुडविग, ट्रान्सलेशन ऑफ दि ऋग्वेद ३, २६३-५

३. द्रष्टव्य वैदिक एज, पृ० २३६

४ त्रिफाल्ट, दि मदर्स, लघु संस्करण, पृ० ६८

किया गया है। मोएनजोदड़ो से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियों से भी द्रविड समाज में मूर्तिपूजा का प्रचलन प्रमाणित होता है।

पूजा की भांति ही सम्भवतः भक्ति का विकास भी मूलतः द्रविड संस्कृति से सम्बद्ध प्रतीत होता है।^१ इसके अतिरिक्त जलप्रलय जैसे आख्यान तथा अनेक यौगिक साधनायें, कर्मकाण्ड और दर्शन विषयक विचार भी द्रविड लोगो की देन हैं। सिन्धु प्रदेश में लिंगपूजा, नागपूजा और जलपूजा के भी चिन्ह मिलते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध द्रविड संस्कृति की अपेक्षा निपाद संस्कृति से अधिक प्रतीत होता है।^२

सिन्धु प्रदेश के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से यहाँ की सामाजिक संस्थाओं, विचारों एवं रीति रस्मों पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। इस क्षेत्र में प्राचीनतम तमिल साहित्य तथा नृत्यशास्त्र की सामाजिक व्यवस्था सहायता अपेक्षित है। द्रविड संस्कृति का प्राचीनतम लिखित रूप तमिल साहित्य में ही मिलता है।

ऐसी स्थिति में सिन्धु-प्रदेश की द्रविड संस्कृति के सामाजिक पक्ष की रूपरेखा तमिल साहित्य की सहायता से प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होगा। इस विषय में यह कठिनाई अवश्य है कि प्राचीनतम ज्ञात तमिल संस्कृति तथा सैन्धव संस्कृति के बीच सहस्र वर्षों से भी अधिक का अन्तर है। अतः यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि तमिल साहित्य में द्रविड सभ्यता का पुरा-ऐतिहासिक स्वरूप कितना आदिम और अविकल है। इस दिशा में पुरातात्विक तथा अन्य सम्भव साक्ष्यों का समर्थन निश्चय ही उपयोगी होगा। मोएनजोदड़ो की नगर व्यवस्था इस बात का सकेत करती है कि सैन्धव समाज आर्थिक आधार पर वर्गों में विभाजित था।^३ विशाल नगरों, प्राचीरों, सड़कों एवं सार्वजनिक भवनों की दृष्टि में रखते हुए हलीर महोदय ने श्रम और निर्माण के लिए दास वर्ग के अस्तित्व की भी कल्पना की है।^४ सैन्धव समाज में धर्म के विकसित स्वरूप को देखते हुए यह अनायास कल्पनीय है कि इसमें

१. पञ्चपुराण, उत्तरकाण्ड, ५०।५१ उत्पन्ना द्रविडे चाहम कणटिवृद्धि-मागता ।

२. कृपया इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठों में देखें ।

३. गार्डन चाइल्ड, न्यू लाइट आन दी मोस्ट ऐन्ड्येन्ट ईस्ट, पृ० १७५ ।

४. जेड० डी० एम० जी०, २ २७२, उद्धृत, यूब्राज इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० १८ पर ।

पुरोहित वर्ग की स्थिति आदरणीय रही होगी। बहुत से विद्वानों ने तो यह विचार भी व्यक्त किया है कि हड़प्पा एव मोएनजोदड़ो का शासन पुनारियों द्वारा होता था।^१ किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए निश्चायक प्रमाणों का अभाव है। सैन्धव सभ्यता के भौतिक पक्ष की विकसित अवस्था, उसके सुमेरियन प्रदेश के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध एव सैन्धव जनो की समुद्र यात्रा में रुचि आदि तथ्यों से उनके समाज में समृद्ध व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व भी निर्विवाद है। सम्भवतः उसी का ऋग्वेद में पणि नाम से उल्लेख हुआ है।^२ आर्य लोग इन पणियों के वैभव को सतृप्ण दृष्टि से देखते थे तथा उनके धन के अपहरण की कामना करते थे। पणि शब्द से ही वाद में पण, पण्य, 'वणिक' और 'वाणिज्य' शब्दों की व्युत्पत्ति हुई प्रतीत होती है।^३

सैन्धव समाज सम्भवतः मातृसत्तात्मक था। सिंधु प्रदेश से प्राप्त नारी मूर्तियाँ, मातृदेवी की उपासना की प्रधानता तथा प्राचीन क्रीट एव अन्य भूमध्यसागरीय प्रदेशों की मातृसत्तात्मक व्यवस्था मातृसत्तात्मक व्यवस्था इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं। सिंधु के तट पर बसी प्राचीन केहोल जाति की मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को सुदूर अतीत में प्रचलित सैन्धव जनो की सामाजिक व्यवस्था का अवशेष माना जा सकता है।^४ केहोल जाति की इस पुरातन व्यवस्था को आर्यों ग्रथवा उनके अनुवर्ती किसी अन्य जाति से सम्बन्धित करना बड़ा ही कठिन है। तमिल भाषा के कुछ शब्द भी द्रविड समाज की मातृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा का 'इलाल' शब्द जिसका अर्थ गृहस्वामिनी होता है, खीलिग है। इसी अर्थ को देने वाले समान पुल्लिङ्ग शब्द का अभाव द्रविडों के पारिवारिक जीवन में नारी के स्वामित्व की ओर संकेत करता है। मलाबार तट के निवासियों तथा केरल की कुछ जातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था अब भी पाई जाती है।

परिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर सैन्धव सभ्यता के सामाजिक संगठन

१ पिगट, प्रिहिस्टोरिक इंडिया, पृ० १५०, मैके, अर्ली इंडस सिविलिजेशन, पृ० १२-३

२ सुडविग, ट्रान्सलेशन आव दि ऋग्वेद ३, २६३-५

३ द्रष्टव्य वैदिक एज, पृ० २३६

४ त्रिफाल्ट, दि मदर्स, लघु संस्करण, पृ० ६५

की अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ अनुमान किया जा सकता है । महा-भारत के कर्णपर्व में मद्रदेश ब्राह्मीक और अरट्टदेश की स्त्रियों को स्वेरिणी तथा कामचारिणी कहा गया है । वहाँ व्रज में, नगरागार में तथा सार्वजनिक स्थानों में स्त्रियाँ विवस्त्र होकर नृत्य करती थीं । महाभारत से यह भी ज्ञात होता है कि मद्रदेश में जन्म को ठिकाना न होने के कारण उत्तराधिकार पुत्र को न प्राप्त होकर भाजे को प्राप्त होता था ।^१ महाभारत में वर्णित यह सामाजिक अवस्था वैदिक आर्यों की नहीं हो सकती क्योंकि वैदिक साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि वैदिक समाज में विवाह संस्कार तथा दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का भाव पूर्णतः विकसित हो चुका था । ऋग्वेद की एक ऋचा से ज्ञात होता है कि पति-पत्नी परस्पर अभिन्नता एवं हार्दिक एकता की कामना करते थे ।^२ ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष एकमात्र विकल्प यही रह जाता है कि हम महाभारत में वर्णित इस अवस्था को अनार्य परम्परा का अवशेष मानें जिसका प्रचलन आर्यों के आगमन के पश्चात् भी पञ्जाब और सिन्ध में यत्र-तत्र परम्परागत रूप से रहा । इस प्रसंग में मोएनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की एक नारी मूर्ति उल्लेखनीय है । विचाराहं है कि पुरातत्व-वेत्ताओं ने इसे नृत्यांगना की मूर्ति माना है । इस मूर्ति के आकर्षक केशविन्यास तथा हाथ और कण्ठ के आभूषणों के अतिरिक्त सम्पूर्ण शरीर को विवस्त्र दिखाया गया है ।^३ इस तथ्य के प्रकाश में महाभारत में उल्लिखित मद्र-ब्राह्मीक तथा अरट्टदेश की इस प्रथा को संभव संस्कृति से सम्बद्ध करना अनुचित नहीं होगा ।

ऐतिहासिक युग में द्रविड समाज में निकटार्थिगमन का प्रचलन था । धर्मशास्त्रों तथा स्मृतियों में अधिकांशतः मातुल कन्या से विवाह का निषेध हुआ है तथापि बौधायन ने इसे दक्षिण भारतीयों का देश धर्म माना है ।^४ बृहस्पति ने भी जहाँ राजा से देश, जाति एवं कुल के धर्मों की रक्षा का आग्रह किया है वहाँ दक्षिणात्यों में मातुल-सुता से विवाह की बात की

१. महाभारत, कर्णपर्व, ४५।१३

२. ऋ० १०.८४.४७, समञ्जन्तु विश्वेदेवा समापी हृदयानि नो ।

३. मार्शल, जे०, वही, भाग १, पृ० ४४, ह्वीलर, इण्डस सिविलिजेशन, फलक १७ बी

४. बौधायन धर्म सूत्र १.१.१६-२६

स्वीकृत किया है।^१ निकटभिगमन की इस परम्परा का मूल सैन्धव सस्कृति में दूदा जा सकता है। यजुर्वेद में एक स्थल पर शिव और अम्बिका को भाई-बहन बताया गया है।^२ इसके विपरीत प्रायः सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य में रुद्र और अम्बिका को पति-पत्नी कहा गया है। यह विरोधाभास निश्चय ही विस्मयजनक है। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य एवं आर्योत्तर सांस्कृतिक धाराओं के सम्बन्ध के परिणामस्वरूप ऋग्वैदिक रुद्र एवं सैन्धव शिव का व्यक्तित्व परस्पर निमज्जित हो गया। इसी युग में अम्बिका का प्रथम उल्लेख होना इस बात को सूचित करता है कि रुद्र-शिव और अम्बिका के पारस्परिक सम्बन्ध की यह कल्पना भी सैन्धव सस्कृति से ग्रहण की गई। ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि सैन्धव-धर्म के अन्तर्गत शिव अम्बिका का पति-पत्नी स्वरूप तथा आता-भगिनी स्वरूप साथ-साथ और समान रूप से ग्राह्य था। लेकिन यह बात आर्यों की नैतिक भावना के प्रतिकूल थी। अतः उन्होंने बाद में अम्बिका-रुद्र के पति-पत्नी स्वरूप को ही ग्रहण किया। प्राचीन मिथ्य में, जिसकी सभ्यता के निर्माण में भूमध्यसागरीय जाति का सहयोग निर्विवादरूपेण माना जाता है, आसिस और ओसिरिस का पारस्परिक सम्बन्ध इसी प्रकार का था। मिथ्यी लोगों के इस धार्मिक विश्वास का सामाजिक पक्ष भी था क्योंकि प्राचीन मिथ्यी समाज में भाई-बहन के विवाह की प्रथा पूर्णतः प्रचलित थी। अतः सैन्धव समाज में भी इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन कल्पनीय हो जाता है।

आर्यों के आगमन के समय उत्तरी भारत में भूमध्यसागरीय (द्रविड) लोगों के अतिरिक्त दो अन्य बहुसंख्यक प्रजातियाँ निवास करती थीं। ये थी प्रागआस्ट्रेलियड (निषाद) एवं मंगोलियड (किरात)। निषाद सस्कृति यद्यपि सैन्धव सस्कृति के निर्माण में भी इनका सहयोग निर्विवाद है तथापि निषाद सस्कृति का प्रमुख केन्द्र गंगा का मैदान रहा प्रतीत होता है तथा किरात जाति का हिमालय की तलहटी में। इनमें निषाद सस्कृति ने दक्षिण पूर्व की ओर प्रसारोन्मुख आर्य सस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया।

गंगा की घाटी से प्राप्त ताम्र उपकरणों से जिस पुरा ऐतिहासिक ताम्र सस्कृति का ज्ञान होता है, उसके निर्माताओं के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ताओं

१ बृहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ १० पर उद्धृत

२ यजुर्वेद (वाज० सं०) ३.५७

में गहरा मतभेद रहा है। प्रारम्भ में हीन गेल्डर्न महोदय का यह मत था कि ये ताम्र-उपकरण मध्य देश की ओर आने वाले वैदिक आर्यों की सस्कृति के अवशेष हैं।^१ प्रारम्भ में पिगट महोदय ने उनके इस विचार का समर्थन किया^२ किन्तु सशोधित मत के अनुसार उन्होंने पुनः यह प्रतिपदित किया कि इन ताम्र-उपकरणों का निर्माण आर्यों के भीषण आक्रमण से ब्रह्म होकर दक्षिण-पूर्व की ओर गतिशील हड़प्पा के प्रवासी शरणार्थियों ने किया था। किन्तु इन दोनों विकल्पों को मानने में पर्याप्त कठिनाइयाँ हैं। निर्माण और उपयोग की दृष्टि से ये उपकरण न तो संभव सम्भ्यता से प्राप्त उपकरणों से समानता रखते हैं और न हस्तिनापुर से प्राप्त आर्यों द्वारा निर्मित उपकरणों से। सिन्धु प्रदेश के विस्तृत वैज्ञानिक उत्खनन में काटेदार बछे (हार्पून) तथा मानव-आकृतियाँ (एन्थ्रोपोमोर्फिक फिगर) जो ताम्र-सस्कृति के विशिष्ट उपकरण हैं, सर्वथा अनुपलब्ध हैं।

सन् १९४६ में श्री० बी० बी० लाल ने ताम्र-उपकरणों से सम्बन्धित राजपुर परसू तथा बिसौली नामक दो स्थानों में साधारण उत्खनन कराया। इसके परिणामस्वरूप कोई नवीन उपकरण तो प्रकाश में नहीं आया किन्तु नीचे के स्तरों से कुछ भद्दे मटमैले ठीकरे (ग्राँकर कलर्ड वेयर) उपलब्ध हुए जिन्हें श्री० बी० बी० लाल ने परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर गंगा घाटी के ताम्रोपकरणों के साथ सम्बद्ध किया है।^३ इसी प्रकार के ठीकरे हस्तिनापुर के निम्नतम स्तर से मिले हैं जिसके ऊपरी स्तर में आर्यों द्वारा निर्मित चित्रित भूरे बर्तनों के ठीकरे मिलते हैं। अतः यह निष्कर्ष अपरिहार्य लगता है कि गंगा के मैदान में ताम्रोपकरणों के निर्माताओं की सस्कृति के विकास का इतिहास आर्योत्तर एवं प्रागार्य है।

इस सस्कृति के निर्माता ही सम्भवतः मिर्जापुर की पहाड़ियों से प्राप्त प्रागैतिहासिक भित्तिचित्रों के निर्माता थे। लेकिन नृत्तत्वशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इन भित्तिचित्रों को प्राग्-प्रास्ट्रेलिट जाति की कृति माना गया है। ऐसी स्थिति में प्राग्-प्रास्ट्रेलिट जाति को ही ताम्र-सस्कृति तथा

१ आर्क्योलॉजिकल ट्रेसोज़ आधुनिक वैदिक आर्यन्स, जर्नल ऑफ़ इण्डोलॉजिकल सोसाइटी, न० ४, १९३६

२ प्रिहिस्टोरिक कापर होर्ड्स इन गैन्जेटिक वैली, एन्टिक्विटी १८, १९४४

३ ऐन्वयेन्ट इण्डिया (१९५१) न० ७, पृ० २०-३६

मृद्दे मटमैले मृद्-भाण्डों का निर्माता मानना होगा ।^१ इस प्रदेश में बसने वाली निम्नस्तरीय जातियों में आस्ट्रेलियन शारीरिक लक्षणों की बहुलता तथा इस प्रदेश में व्यवहृत होनेवाली भाषा में आष्ट्रिक शब्दों का विशेष समावेश इस मत को सजीव और सशक्त बना देते हैं । आष्ट्रिक भाषा परिवार की मुण्डा भाषा एक समय गंगा घाटी तथा मध्य भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जाती थी ।^२ मिर्जापुर के अनेक गाँवों के नाम आज भी मुण्डा भाषा के हैं ।^३ वराहमिहिर की बृहत्संहिता में निषाद जाति की स्थिति मध्यदेश के दक्षिण पूर्व में बताई गई है ।^४ सम्भावना इस बात की प्रतीत होती है कि मध्य देश में आर्यों के प्रवेश के कारण इन लोगों को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर खिसकना पड़ा था । विन्ध्य पर्वतमाला तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में निषाद संस्कृति का आदिम और अविकल स्वरूप दीर्घकाल तक अरण्यवासी जातियों में जीवित रहा । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि उत्तरवैदिक काल में गंगा की घाटी में बसे बहुसंख्यक निषाद क्रमशः वैदिक समाज में अंगीकृत हो चले थे । उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का अनुमान राज-सूय के प्रसंग में उनके प्रति प्रदर्शित राजकीय अनुग्रह से किया जा सकता है । इतना अवश्य है कि अभी ये समाज की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अन्तर्गत स्थान नहीं पा सके थे । निरुक्त एव बृहद्देवता में इन्हें पचम वर्ण कहा गया है ।^५ उत्तर वैदिक साहित्य में निषादों का अनेकश उल्लेख हुआ है । शबर नाम भी इन्हीं का था ऐसा अनुमान किया जाता है । महाभारत में निषादों को कद का छोटा, जली लकड़ी की भाँति काला और लोहिताक्ष कहा गया है । भागवतपुराण में उ की गाल की उभड़ी हुई हड्डियों, दबी हुई नाक तथा ताम्रवर्ण केशों का उल्लेख है ।^६

निषाद लोग अधिकांशतः नदियों के किनारे रहते थे तथा मछलियों एवं अन्य जंगली पशुओं का शिकार करते थे । भाषा-वैज्ञानिकों ने मुण्डा तथा अन्य आस्ट्रिक भाषाओं का संस्कृत भाषा से तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ

१ वही

२ लिग्निस्टिक सर्वे आव इण्डिया, ४, पृष्ठ ६

३ जे० ए० एस० बी, भाग ३, पृ० ६२-३ ' १९०३)

४ बृहत्संहिता, १४ १०

५. द्रष्टव्य वैदिक इण्डेक्स १, ४५३

६ भागवत पुराण, ४ १४. ४४

ऐसे शब्दों को ढूँढ निकाला है जिन्हें उत्तरकालीन आर्य भाषा में ग्रहण किया गया। निश्चय ही इनमें से अनेक शब्दों को आर्यों ने सम्भवतः उन वस्तुओं से अपरिचयजन्य शब्दाभाव के कारण अपनाया। इन शब्दों का आर्य भाषा में प्रवेश भारतीय सस्कृति में निपाद तत्वों के अंगीकरण का सूचक है। चावल, कदली, नारियेल, ताम्बूल, वंगन, लोकी, जामुन, कपास और सिम्बल आदि का उत्पादन, मोर, मातंग तथा कृकवाक आदि पशु-पक्षियों से परिचय, हस्तिपालन की विधि आदि भारतीय-सस्कृति में निपाद तत्व माने जा सकते हैं। निपादों ने सम्भवतः कुदाल या छड़ी से भूमि खोदकर भूम प्रणाली से खेती करने की विधि का अविष्कार कर लिया था।

निपादों ने भारतवर्ष की धार्मिक परम्पराओं को भी समृद्ध करने में अपना विशिष्ट योग दिया। शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रचलित लिंगपूजा जिसका प्रचलन सैन्धव सस्कृति में भी पाया गया है, मूलतः आस्ट्रेलियन प्रतीत होती है। जीन सिलुस्की के अनुसार लिंग लगुड आदि शब्द आस्ट्रेलियन भाषा के ही हैं। भाषाविदों के मतानुसार ऐसे अनेक धार्मिक विश्वासों एवं परम्पराओं का मूल आस्ट्रेलियन होना चाहिए जो भारोपीय और द्रविड सस्कृतियों के अंग न होते हुए भी हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। यद्यपि उन सब की निपाद उत्पत्ति सिद्ध करना प्रमाणों के अभाव में प्रायः असम्भव है किन्तु आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, धार्मिक कृत्यों में ताम्बूल, हल्दी और सिन्दूर का प्रयोग, निच्छावर तथा निषेध (टैबू) में विश्वास चन्द्रमा की कला के आधार पर तिथियों की गणना तथा मोड़ी में गणना करने की प्रथा आदि का मूल प्रायः आस्ट्रेलियन माना गया है।^१ नृत्यशास्त्रियों का विश्वास है कि आस्ट्रेलियन जाति के लोग घोर टोटमवादी थे।^२ इसलिए बहुत से पशुओं जैसे नाग, मकर, कच्छप और हाथी की पूजा भी बीजरूपेण इन्हीं की सस्कृति की देन मानी जा सकती है। हो सकता है कि मत्स्य और कच्छप अवतार की कथाएँ मत्स्यगन्धा आख्यान, तथा पचतन्त्र और हितोपदेश में सुरक्षित पशुओं की कथाएँ मूल रूप में आस्ट्रेलियन जाति की देन रही हों।

निपाद जन नदी-जल की पवित्रता और उसकी पाप मोचन की शक्ति में भी विश्वास करते थे। मृत्यु के पश्चात् दिगन्त आत्मा की शान्ति के लिए

१ द्रष्टव्य, वैदिक एज, पृ० १५०-५५

२ बिहार में ओरांव जाति में ७३ और सयाल जाति में ६१ भेद है जो टोटम पर आधारित है।

जल में अस्थि-विसर्जन की प्रथा भी इन लोगों में प्रचलित थी। सयाल जाति के लोग जब तक दामोदर नदी में मृतकों की अस्थियों को विसर्जित नहीं कर लेते हैं, तब तक मृतात्मा को शान्ति नहीं मिलती, ऐसा उनका विश्वास है। गंगा शब्द का ज्ञान भी सम्भवतः आर्यों को निषाद जाति से ही प्राप्त हुआ। निषाद लोग गंगा शब्द के मूल आधुनिक रूप का प्रयोग सम्भवतः नदी के अर्थ में करते थे।^१ आज भी बंगला भाष में गंगा का अर्थ नदी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के निवृत्तिमूलक धार्मिक विचारों का बीज भी निषाद सस्कृति में ही था। निवृत्तिमूलक धार्मिक परम्पराओं को प्रायः मुनियों और श्रमणों की अवैदिक धारा से सम्बद्ध किया गया है^२ किन्तु इनकी निषाद उत्पत्ति की सम्भावना ने विद्वानों का ध्यान यथेष्ट रूप से आकर्षित नहीं किया। इसका प्रमुख कारण निषाद सस्कृति की अत्यन्त हीन और अधीनस्थ समझने का पूर्वाग्रह रहा है। निवृत्तिमार्गीय मुनियों का स्पष्ट उल्लेख ऋक्संहिता के केशि-सूक्त में हुआ है। इस प्रसंग में केशवारी, मैले 'गेरुए' कपड़े पहने हवा में उड़ते, जहर पीते, मीनेय में 'उन्मदित' और 'देवेयित' मुनियों का विलक्षण चित्र अभिलिखित है।^३ मुनियों का उल्लेख ऋक्संहिता में अन्यत्र भी है, पर विरल है, और ऐसा लगता है कि चमत्कार दिखलाते हुए मुनियों के दर्शन ने सूक्त-कार को विस्मय में डाल दिया था। वरुण से यह स्पष्ट होता है कि मुनियों की यह परम्परा ऋग्वैदिक आर्यों के लिए जितनी विचित्र है उतनी ही कदाचित् भी। पूर्वं वैदिक-कालीन ब्राह्मण धर्म की प्रवृत्तिवादी और देववादी दृष्टि मुनि-श्रमण दृष्टि के प्रतिकूल थी। जहाँ मुनियों के लिये प्रवृत्तिमूलक कर्म वन्धनात्मक और हेय था तथा ब्रह्मचर्य, तपस्या योग आदि निवृत्तिपरक क्रियाएँ ही उपादेय थी, ब्राह्मण धर्म में ऐहिक और आभुषिक सुख मुख्य पुरुषार्थ था और यज्ञात्मक कर्म प्रधान साधन। शङ्कराचार्य ने कहा है कि वैदिक धर्म द्विविध है, प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण।^४ पर यह स्मरणीय है कि पूर्ववैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म केवल प्रवृत्तिलक्षण था। निवृत्ति लक्षण धर्म के अनुयायी इस समय केवल मुनि-श्रमण थे। किन्तु आर्य लोग जैसे जैसे पूर्वं की ओर बढ़ते गये

१ वैदिक एज, पृ० १५४

२ बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-६

३ ऋ० १० १३६

४ गीताभाष्य का उपोद्घात।

ऐसे शब्दों को ढूँढ निकाला है जिन्हें उत्तरकालीन ग्राम्य भाषा में ग्रहण किया गया। निश्चय ही इनमें से अनेक शब्दों को ग्राम्यो ने सम्भवतः उन वस्तुओं से अपरिचयजन्य शब्दाभाव के कारण अपनाया। इन शब्दों का ग्राम्य भाषा में प्रवेश भारतीय सस्कृति में निपाद तत्वों के अंगीकरण का सूचक है। चावल, कदली, नारियल, ताम्बूल, बैंगन, लौकी, जामुन, कपास और सिम्बल आदि का उत्पादन, मोर, मार्तण्ड तथा कृकवाक आदि पशु-पक्षियों से परिचय, हस्तिपालन की विधि आदि भारतीय-सस्कृति में निपाद तत्त्व माने जा सकते हैं। निपादों ने सम्भवतः कुदाल या छड़ी से भूमि खोदकर भूमि प्रणाली से खेती करने की विधि का अविष्कार कर लिया था।

निपादों ने भारतवर्ष की धार्मिक परम्पराओं को भी समृद्ध करने में अपना विशिष्ट योग दिया। शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रचलित लिंगपूजा जिसका प्रचलन सैन्धव सस्कृति में भी पाया गया है, मूलतः आस्ट्रेलियन जाति की होती है। जीन सिलुस्की के अनुसार लिंग लगुड आदि शब्द आष्ट्रिक भाषा के ही हैं। भाषाविदों के मतानुसार ऐसे अनेक धार्मिक विश्वासों एवं परम्पराओं का मूल आस्ट्रेलियन जाति का है जो भारोपीय और द्रविड सस्कृतियों के अंग न होते हुए भी हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। यद्यपि उन सब की निपाद उत्पत्ति सिद्ध करना प्रमाणों के अभाव में प्रायः असम्भव है किन्तु आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, धार्मिक कृत्यों में ताम्बूल, हल्दी और सिन्दूर का प्रयोग, निष्ठावर तथा निषेध (टैबू) में विश्वास चन्द्रमा की कला के आधार पर तिथियों की गणना तथा षोडशी में गणना करने की प्रथा आदि का मूल प्रायः आस्ट्रेलियन माना गया है।^१ नृत्वशास्त्रियों का विश्वास है कि आस्ट्रेलियन जाति के लोग घोर टोटमवादी थे।^२ इसलिए बहुत से पशुओं जैसे नाग, मकर, कच्छप और हाथी की पूजा भी बीजरूपेण इन्हीं की सस्कृति की देन मानी जा सकती है। हो सकता है कि मत्स्य और कच्छप अवतार की कथाएँ मत्स्यगन्धा आख्यान, तथा पचतन्त्र और हितोपदेश में सुरक्षित पशुओं की कथाएँ मूल रूप में आस्ट्रेलियन जाति की देन रही हों।

निपाद जन नदी-जल की पवित्रता और उसकी पाप मोचन की शक्ति में भी विश्वास करते थे। मृत्यु के पश्चात् दिगन्त आत्मा की शान्ति के लिए

१ द्रष्टव्य, वैदिक एज, पृ० १५०-५५

२ बिहार में ओराव जाति में ७३ और संयाल जाति में ६१ भेद है जो टोटम पर आधारित है।

जल में अस्थि-विसर्जन की प्रथा भी इन लोगों में प्रचलित थी। सयाल जाति के लोग जब तक दामोदर नदी में मृतकों की अस्थियों को विसर्जित नहीं कर लेते हैं, तब तक मृतात्मा को शान्ति नहीं मिलती, ऐसा उनका विश्वास है। गंगा शब्द का ज्ञान भी सम्भवतः आर्यों को निषाद जाति से ही प्राप्त हुआ। निषाद लोग गंगा शब्द के मूल आष्टिक रूप का प्रयोग सम्भवतः नदी के अर्थ में करते थे।^१ आज भी बंगला भाग में गंगा का अर्थ नदी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के निवृत्तिमूलक धार्मिक विचारों का बीज भी निषाद सस्कृति में ही था। निवृत्तिमूलक धार्मिक परम्पराओं को प्रायः मुनियों और श्रमणों की अवैदिक धारा से सम्बद्ध किया गया है^२ किन्तु इनकी निषाद उत्पत्ति की सम्भावना ने विद्वानों का ध्यान यथेष्ट रूप से आकर्षित नहीं किया। इसका प्रमुख कारण निषाद सस्कृति को अत्यन्त हीन और अविकसित समझने का पूर्वाग्रह रहा है। निवृत्तिमार्गीय मुनियों का स्पष्ट उल्लेख ऋक्संहिता के केशि सूक्त में हुआ है। इस प्रसंग में केशवारी, मैले 'गेरुए' कपड़े पहने हुवा में उड़ते, जहर पीते, मौनेय में 'उन्मदित' और 'द्वेष्टित' मुनियों का विलक्षण चित्र अभिलिखित है।^३ मुनियों का उल्लेख ऋक्संहिता में अन्यत्र भी है, पर विरल है, और ऐसा लगता है कि चमत्कार दिखलाते हुए मुनियों के दर्शन ने सूक्त-कार को विस्मय में डाल दिया था। वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मुनियों की यह परम्परा ऋग्वैदिक आर्यों के लिए जितनी विचित्र है उतनी ही कदाचित् भी। पूर्व वैदिक-कालीन ब्राह्मण धर्म की प्रवृत्तिवादी और देववादी दृष्टि मुनि-श्रमण दृष्टि के प्रतिकूल थी। जहाँ मुनियों के लिये प्रवृत्तिमूलक कर्म बन्धनात्मक और हेय था तथा ब्रह्मचर्य, तपस्या योग आदि निवृत्तिपरक क्रियाएँ ही उपादेय थी, ब्राह्मण धर्म में ऐहिक और आधुनिक सुख मुख्य पुरुषार्थ था और यज्ञात्मक कर्म प्रधान साधन। शङ्कराचार्य ने कहा है कि वैदिक धर्म द्विविध है, प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण।^४ पर यह स्मरणीय है कि पूर्ववैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म केवल प्रवृत्तिलक्षण था। निवृत्ति लक्षण धर्म के अनुयायी इस समय केवल मुनि-श्रमण थे। किन्तु आर्य लोग जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते गये

१. वैदिक एज, पृ० १५४

२. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-६

३. ऋ० १० १३६

४. गीताभाष्य का उपोद्घात।

वैसे-वैसे वैदिक समाज पर मुनि-श्रमण विचारधारा का प्रभाव भी बढ़ता गया। उपनिषद् युग तक मुनियों के उदात्तस्वरूप का दर्शन होने लगता है^१ श्रमण शब्द का सस्कृत प्रयोग है^२, यद्यपि मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट रूप से यज्ञ-विधि के निन्दक मुण्डित-शिर भिक्षुओं की कृति प्रतीत होता है। ये मुनि-श्रमण तप को महत्व देते थे। ऐतरेय ब्राह्मण (३३.११) में तापस धर्म के विरोध की क्षीण प्रतिध्वनि सुनाई देती है किन्तु उपनिषद् काल तक धार्मिक जीवन में तप की प्रतिष्ठा निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी थी। छान्दोग्य उपनिषद् में 'तप' को तीन धर्मस्कन्धों में से एक माना गया है।^३ उपनिषत्कालीन सस्कृति का केन्द्र मध्य देश तथा उसके दक्षिण-पूर्व में कोशल तथा विदेह तक का भूप्रदेश था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैदिक आर्यों का तापस धर्म से घनिष्ठ परिचय पंजाब में न होकर गंगा की घाटी में हुआ। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में मुनियों का विरल उल्लेख इस बात का सकेत करता है कि तप की परम्परा उनकी अपनी अथवा सन्तानों की नहीं हो सकती। जैसा कि यह देख चुके हैं, आर्यों के आगमन के समय गंगा-घाटी में निषाद सस्कृति का विकास हो रहा था। ऐसी स्थिति में तापस-धर्म के विकास के पीछे निषाद प्रभाव ही एक स्वस्थ विकल्प प्रतीत होता है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि मगध और विदेह के समीपवर्ती प्रदेशों में छठी सदी ई० पू० के पश्चात् पहले, सम्भवतः उत्तरवैदिक युग में ही निवृत्तिपरक जैनधर्म के मूल सिद्धान्त अस्तित्व में आ चुके थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार तेईसवें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ की तिथि महावीर जैन से २५० वर्ष पूर्व बताई जाती है। जिससे जैन धर्म का प्रारम्भिक इतिहास षवीं सदी ई० पू० तक निश्चित रूप से पहुँचता है। स्मरणीय है कि परम्पराओं के अनुसार पार्श्वनाथ काले थे तथा सर्प उनका जातीय लाङ्घन था।^४ ये दोनों विशेषतायें निषाद जाति की हैं। सुविदित है कि बृहत्संहिता में मध्यदेश के दक्षिण पूर्व के प्रदेश को ही निषाद सस्कृति का केन्द्र कहा गया है।^५ वैदिक युग के अन्त में इन्हीं प्रदेशों में यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धर्म का विरोध तथा नैराश्र्यमूलक

१. बृहदारण्यक उपनिषद् ३.४.१, ४.४ २५, तैत्तिरीय आरण्यक २.२०

२. वही ४ ३.२२

३. छान्दोग्य उप० २ २३ १

३. छान्दोग्य उप० २ २३ १

४. मिय्स एण्ड लीजेन्ड्स एबाउट इण्डिया, पृ० १६६ ।

५. बृहत्संहिता १४-१० ।

बौद्ध धर्म का उदय एवं जैन धर्म का विकास हुआ। वैदिक धर्म के विपरीत इन नवोदित धर्मों की लोकप्रियता इस प्रदेश में दीर्घकाल तक सम्भवतः इसलिये बनी रही कि इनके सिद्धान्त स्थानीयजनों की प्राचीन एवं उदात्त धार्मिक परम्परा के सर्वथा अनुकूल थे।

यद्यपि तप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेकशः हुआ है किन्तु प्रायः सभी प्रसंगों में इसका अर्थ तेज, सन्ताप अथवा दाह है तपस्या नहीं। यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि निवृत्तिपरक अथवा क्लेश-लक्षण तप ऋक्संहिता के सुविदित जीवन दर्शन के विरुद्ध था तथा योगजन्य सिद्धियाँ उनकी अपरिचित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवैदिक काल में यह (तप) आधुनिक 'तपु' अथवा 'तबु' शब्द का पर्यायवाची हो गया जिसका अर्थ 'त्याग' अथवा 'निषेध' था। इसी के परिणामस्वरूप 'तप' शब्द को तपस्या के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा। विचाराहं है कि आधुनिक 'तपु' अथवा 'तबु' शब्द से ही पालीनेशियन 'टैबू' शब्द की व्युत्पत्ति हुई।

श्री सुनीतिकुमार चटर्जी कुछ अन्य दार्शनिक विचारों को भी मूल रूप में आधुनिक सत्कृति की देन मानते हैं।^१ पालीनेशियन आस्ट्रेलियों में 'मन' (Mana) की अवधारणा रही है जिसे वे सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वैदिक युग के अन्त तक आरण्यको एवं उपनिषदों में भ्रष्ट किन्तु सर्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता का 'ब्रह्मन्' के रूप में विस्तरण उल्लेख हुआ है। सम्भव है कि ब्रह्मन् की कल्पना के पीछे आधुनिक 'मन' की धारणा आधार रूप में रही हो क्योंकि भारत के आदिम आस्ट्रेलियों में 'मन' सम्बन्धी विश्वास अवश्य प्रचलित रहा होगा। सुविदित है कि 'ब्रह्मन्' के प्रति वैदिक भार्यों की आस्था तथा आकर्षण में वृद्धि मध्यदेश तथा उसके दक्षिण-पूर्व (काशी, कोशल, विदेह) में हुई। इसी प्रदेश को निषाद जाति की निवास-भूमि भी माना गया है।

निषादों के सामाजिक जीवन की कल्पना मध्यभारत की कतिपय-आधुनिक मापा-मापी असम्य एवं अर्ध-सम्य जातियों की आधिक एवं सामाजिक व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है। इस विषय में कठिनाई इस बात की है कि उन लोगों ने पड़ोसीसम्य जातियों के प्रभाव के कारण अनेक आदिम परम्पराओं का त्याग कर दिया है। फिर भी इनके कुछ विचित्र

रीति-रिवाज आज भी प्रायः अपरिवर्तित तथा मौलिक रूप में द्रष्टव्य है। एस० सी० राय के अनुसार ओराव तथा विहार की अन्य जनजातियों में पितामह और पौत्री के विचित्र विवाह का प्रचलन रहा है। आस्ट्रेलिया की यह परम्परा मेलनेशिया में भी पाई जाती है।^१ सथाल, हो, ओराव भील आदि सभी जातियों में असुर-विवाह का भी प्रचलन है। असम्भव नहीं है कि आस्ट्रेलिया समाज में पुरा-ऐतिहासिक काल से ही क्रय विवाह की परम्परा रही हो। इससे आस्ट्रेलिया समाज में नारी की उपयोगिता तथा बहुमूल्यता सूचित होती है।^२ धर्मग्रन्थों के विरोध के होते हुए भी निषादों द्वारा स्वीकृत क्रय-विवाह भारतीय समाज में सदैव प्रचलित रहा है।^३ सथाल, मुण्डा और ओराव आदि जातियों में बाल विवाह का भी प्रचलन है। यद्यपि निश्चायक ढंग से कुछ कहना कठिन है तथापि धर्मग्रन्थों के काल तक हिन्दू समाज में बाल विवाह के विस्तृत प्रचार की पीछे निषाद प्रभाव अनायास कल्पनीय हैं।

भारतवर्ष की प्रागार्य प्रजातियों के सांस्कृतिक इतिहास में किरातों का विशेष योग नहीं रहा है, फिर भी इस प्रसंग में उनका अध्ययन सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। मंगोल जातियाँ प्रागैतिहासिक किरात-सस्कृति युग से ही भारत वर्ष में आती रही हैं और हिमालय के गिरिपादीय प्रदेशों—असम, नैपाल, लद्दाख आदि में बसती रही हैं। मोएनजोदड़ो के विशाल जनसकुल में मंगोलतत्व विद्यमान था। वहाँ से उपलब्ध मूर्तियों से पंखे के आकार की जिस शिरोभूषा का ज्ञान होता है उसकी तुलना असम—प्रदेश में प्रचलित किरात जाति की शिरोभूषा से की जा सकती है। वैदिक साहित्य से भी उनके पर्वतीय प्रदेश का निवासी

१ एस० सी० राय, दि ओराव, पृ० ३५२-५४

२ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० १८२०

३ महाभारत के अनुसार जब भीष्म ने कन्या-शुल्क चाहनेवाले शल्य की भर्त्सना की तब शल्य ने तर्क उपस्थित किया था कि उचित अथवा अनुचित, इस प्राचीन कुलधर्म का त्याग करने में वे असमर्थ हैं।

महाभारत १ १२३६ (कुम्भको० संस्करण)
पूर्व प्रवर्तित किंचित्कुले स्मिन्नूपसत्तमै । साधु वा यदि वासाधु तन्ना-
तिश्रान्तुमुत्सहे ।

होने का ज्ञान होता है। वाजसनेयी संहिता में उन्हें गुहानिवासी तथा अथर्व-वेद में पर्वतीय प्रदेश का निवासी कहा गया है।^१ महाभारत में इन्हें हिमवन्त प्रदेश का निवासी बताया गया है।^२ अर्जुन से किरातो का सवर्ण उत्तरी अभियान में ही हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित आर्यों का प्रमुख प्रतिद्वंदी शम्बर इन्हीं पहाड़ी लोगों का नेता था।^३ इस शम्बर के सौ पर्वतीय दुर्गों के उल्लेख से इस अवधारणा की अशत पुष्टि भी होती है^४। ऋग्वेद की अन्य ऋचाओं से भी इसका सम्बन्ध पहाड़ी प्रदेश से सूचित होता है^५।

सांस्कृतिक दृष्टि से अविकसित होने के कारण किरात लोग निपादो तथा आर्यों के समक्ष सांस्कृतिक सवर्ण में टिक नहीं सके। उन्होंने अधिकांशतः हिन्दू संस्कृति को अपना लिया। जो इस प्रभाव से मुक्त रहे उनकी सांस्कृतिक परम्पराएँ आज भी अव्याहत रूप से असम के पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती हैं। वर्तमान किरात जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इनका समाज मातृवासीय, मातृसत्तात्मक तथा मातृस्था-नीय था। खासी और गारो जातियों में यह व्यवस्था आज भी पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। खासी लोग अपनी नशावली का प्रारम्भ स्त्रियों अथवा राजकुमारियों से मानते हैं। इनमें सृष्टि-निर्माण का देवता भी नारी-गुणोपेत है। इन लोगों में सम्पत्ति पिता की नहीं बल्कि माता की समझी जाती है। माता की मृत्यु के उपरान्त इस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भी लड़के नहीं बरन् लड़कियाँ ही होती हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत आय को स्वामिनी विवाह के पूर्व माता और विवाह के पश्चात् पत्नी हुआ करती है। विवाहोपरान्त पति प्रायः पत्नी के घर पर ही निवास करता है। खासी जाति में पौरोहित्य का कार्य भी प्रायः स्त्रियाँ ही सम्पादित करती हैं। हिन्दू धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव के कारण इनके समाज में भी स्त्रियों के प्रभुत्व का ह्रास होता जा रहा है। गारो लोगों की सामाजिक व्यवस्था भी इसी प्रकार मातृसत्तात्मक

१ वाज० सं० ३० १६, अथर्व० १०४ १४।

२ महाभारत ७४७, हिमवद्दुर्गनिलया किराता।

३ ऋग्वैदिक आर्य, पृ० ८१-२

४ ऋ० २ १४ ६।

५ ऋ० १ १३० ७, ४३० १४, ६२६ ५, २.२४.२ पर्वतिपु क्षिपन्।

है। इनकी सन्तानें माता के कुल एवं वंश से सम्बद्ध समझी जाती है। गरीबी लोग अपना मूल पूर्णज एक स्त्री को मानते हैं। इन लोगों में एक विचित्र प्रथा यह है कि सास के विधवा हो जाने पर नौकीम (दामाद) को उससे विवाह करना पड़ता है। सास सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। ऐसी स्थिति में उसकी सम्पत्ति को अपनी पत्नी के लिए सुरक्षित करने के लिए दामाद उससे विवाह कर लेता है।

किरातो की एक अन्य उल्लेखनीय सामाजिक परम्परा बहुभर्तृता का प्रचलन है। आजकल लद्दाख, उसके समीपवर्ती प्रदेशों तथा जानसरवावर की पहाड़ियों में इस प्रथा का प्रचार है। वेल्डरमार्क ने इस प्रथा का कारण स्त्रियों की संख्या की कमी माना है किन्तु सुमनेर, लुई, कनिंघम और वेल्स आदि विद्वानों ने इसका मूल कारण गरीबी बताया है।^१ पहाड़ी जीवन की कठोरता एवं संघर्ष ने इन लोगों को जनसंख्या-नियोजन के लिये विवश किया होगा।

वैदिक साहित्य के विकास का इतिहास, बौद्धजुई अभिलेख तथा आर्य-भाषा पर हुए आर्येतर प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए भारत में आर्यों के आगमन की तिथि द्वितीय सहस्राब्दि ई० पू० के आर्यों का-आगमन और प्रारम्भ में मानी जा सकती है।^२ स्थूलतः यही सैन्धव सभ्यताका विलोप वह समय था जब दैवीलोनिया में कसाइट, एशिया-माइनर में हिती और यूनान में एकिमन प्रविष्ट हुए थे। भारत में प्रवेश के पश्चात् ऋग्वेदिक आर्यों ने सप्तसैन्धव प्रदेश को अपना प्रारम्भिक आवास बनाया। सुविदित है कि यही प्रदेश पूर्ववर्तिनी आर्य सैन्धव संस्कृति के विकास का भी केन्द्र था। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि सैन्धव संस्कृति के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण ही था।^३ लगातार आनेवाली बाढ़ों से सैन्धव संस्कृति स्वतः ह्रासोन्मुख हो चली थी जिसके परिणामस्वरूप विजातीय आक्रमणकारियों का सफल प्रतिरोध नहीं हो सका। मोएनजोदड़ो में परवर्ती युगों का वर्धमान

१ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० ४३, सुमनेर, फॉक वेज, पृ० ३०२, डा० रामनारायण, सोशल इकोनोमी आब दी पोलियन्ड्रस पिपुल, पृ० ३२।

२ चिन्टरनट्ज, हिस्ट्री आब इण्डियन लिटरेचर, भाग १, पृ० ३१०

३ ह्यूडन, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ६४-६५।

ह्रास तथा अन्तिम विनाश, दोनों के चिन्ह मिले हैं। आर्यों द्वारा सस्कृति के विनाश के सूचक प्रबल साहित्यिक तथा पुरातात्विक संकेत उपलब्ध हैं।

ऋक्संहिता में ऐसे अनेक उद्धरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य सैन्धव सस्कृति से सुपरिचित तथा उसके विष्णुसक थे। इस ग्रन्थ में दास-दस्यु लोगों की जिन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है उनसे स्पष्टतः वे लोग सैन्धव सस्कृति के निर्माता ही प्रतीत होते हैं। उन्हें अपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृदवाक्), वैदिक कर्मों से रहित (अकर्मन्), वैदिक देवों को न मानने वाला (अदेवयु), यज्ञों से शून्य (अयज्वन्) एवं व्रतों से रहित (अव्रत) कहा गया है। इन नकारात्मक विशेषणों से दास-दस्यु लोगों का अन्तर्गतत्व मात्र सूचित होता है किन्तु अन्यत्र उन्हें 'शिशुदेव' भी कहा गया है।^१ लिंगपूजा की यह परम्परा सैन्धव समाज में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त दास-दास्यु लोगों के विपुलकाय पुरो तथा दुगो का भी उल्लेख हुआ है जिन्हें स्थान-स्थान पर आयसी, अश्ममयी, उर्वी, गोमती, शतभुजी और शारदी आदि विशेषणों से युक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दास-दस्यु लोग किसी समृद्ध नागरिक सस्कृति से सम्बन्धित थे। लिंगपूजक दास दस्यु लोगों की यह नागरिक सस्कृति सैन्धव सस्कृति ही हो सकती है क्योंकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में आर्यों की पूर्ववर्तिनी किसी अन्य नागरिक सभ्यता का अस्तित्व अज्ञात है।^२

दास-दस्यु लोगों से ऋग्वैदिक आर्यों का सम्बन्ध अनुतापूर्ण एवं सधर्ष-मय था। आर्य-दास सधर्ष की प्रतिध्वनि ऋक्संहिता में सर्वत्र उपलब्ध होती है। मंत्र ५. ३४, ५ में आर्यों द्वारा दासों के पराजय और वशीकरण का संकेत है। दासों के पुरों को नष्ट करने के लिए इद्र तथा अग्नि से अनेकश-

१ ऋ० ७. २१. ५, १०. ६६. ३

२ इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में दास-दस्यु की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए छ आखों से युक्त (ष षाक्ष) तीन सिर वाला (त्रिवीर्षाण) और शृंगमुकुटधारी कहा गया है (ऋ० १०. ६६. ६, ७. ६६. ४)। इस वर्णन पर ध्यान देने पर अनायास सिन्धु-घाटी के उस अनाय देवताओं की याद आती है जिसे शिव का आदि रूप माना गया है।

है। इनकी सन्तानें माता के कुल एवं वंश से सम्बद्ध समझी जाती है। गारो लोग अपना मूल पूर्वज एक स्त्री को मानते हैं। इन लोगों में एक विचित्र प्रथा यह है कि सास के विधवा हो जाने पर नोकोम (दामाद) को उससे विवाह करना पड़ता है। सास सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। ऐसी स्थिति में उसकी सम्पत्ति को अपनी पत्नी के लिए सुरक्षित करने के लिए दामाद उससे विवाह कर लेता है।

किरातो की एक अन्य उल्लेखनीय सामाजिक परम्परा बहुभर्तृता का प्रचलन है। आजकल लद्दाख, उसके समीपवर्ती प्रदेशों तथा जानसरबावर की पहाड़ियों में इस प्रथा का प्रचार है। वेस्टरमार्क ने इस प्रथा का कारण स्त्रियों की संख्या की कमी माना है किन्तु सुमनेर, लुई, कनिंघम और वेल्स आदि विद्वानों ने इसका मूल कारण गरीबी बताया है।^१ पहाड़ी जीवन की कठोरता एवं संघर्ष ने इन लोगों को जनसंख्या-नियोजन के लिये विवश किया होगा।

वैदिक साहित्य के विकास का इतिहास, बौद्धिक एवं अभिलेख तथा आर्य-भाषा पर हुए आर्येतर प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए भारत में आर्यों के आगमन की तिथि द्वितीय सहस्राब्दि ई० पू० के आर्यों का आगमन और प्रारम्भ में मानी जा सकती है।^२ स्थूलतः यही सैन्धव सभ्यताका विलोप वह समय था जब वेंवीलोनिया में कसाइट, एशिया-माइनर में हिती और यूनान में एकियन प्रविष्ट हुए थे। भारत में प्रवेश के पश्चात् ऋग्वेदिक आर्यों ने सप्तसैन्धव प्रदेश को अपना प्रारम्भिक आवास बनाया। सुविदित है कि यही प्रदेश पूर्ववर्तिनी अनार्य सैन्धव संस्कृति के विकास का भी केन्द्र था। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि सैन्धव संस्कृति के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण ही था।^३ लगातार आनेवाली बाढ़ों से सैन्धव संस्कृति स्वतः ह्रासोन्मुख हो चली थी जिसके परिणामस्वरूप विजातीय आक्रमणकारियों का सफल प्रतिरोध नहीं हो सका। मोएनजोदड़ो में परवर्ती युगों का वर्धमान

१ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० ४३, सुमनेर, फॉक वेज, पृ० ३०२, डा० रामनारायन, सोशल इकोनोमी ऑफ दी पोलियन्ड्रस पिपुल, पृ० ३२।

२ विन्टरनिट्ज, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग १, पृ० ३१०

३ ह्वीलर, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ६४-६५।

ह्रास तथा अन्तिम विनाश, दोनों के चिन्ह मिले हैं। आर्यों द्वारा सस्कृति के विनाश के सूचक प्रबल साहित्यिक तथा पुरातात्विक संकेत उपलब्ध हैं।

ऋक्संहिता में ऐसे अनेक उद्धरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य सैन्धव सस्कृति से सुपरिचित तथा उसके विष्वासक थे। इस ग्रन्थ में दास-दस्यु लोगों की जिन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है उनसे स्पष्टतः वे लोग सैन्धव सस्कृति के निर्माता ही प्रतीत होते हैं। उन्हें अपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृद्धवाक्), वैदिक कर्मों से रहित (अकर्मन्), वैदिक देवों को न मानने वाला (अदेवयु), यज्ञों से शून्य (अयज्वन्) एवं व्रतों से रहित (अव्रत) कहा गया है। इन नकारात्मक विशेषणों से दास-दस्यु लोगों का अनायत्त्व मात्र सूचित होता है किन्तु अन्यत्र उन्हें 'शिवदेव' भी कहा गया है।^१ लिङ्गपूजा की यह परम्परा सैन्धव समाज में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त दास-दास्यु लोगों के विपुलकाय पुरों तथा दुगों का भी उल्लेख हुआ है जिन्हें स्थान-स्थान पर आयसी, अश्ममयी, उर्वी, गोमती, शतशुजी और शारदी आदि विशेषणों से युक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दास-दस्यु लोग किसी समृद्ध नागरिक सस्कृति से सम्बन्धित थे। लिङ्गपूजक दास दस्यु लोगों की यह नागरिक सस्कृति सैन्धव सस्कृति ही हो सकती है क्योंकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में आर्यों की पूर्ववर्तिनी किसी अन्य नागरिक सभ्यता का अस्तित्व अज्ञात है।^२

दास-दस्यु लोगों से ऋग्वैदिक आर्यों का सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण एवं सघर्ष-मय था। आर्य-दास सघर्ष की प्रतिध्वनि ऋक्संहिता में सर्वत्र उपलब्ध होती है। मंत्र ५. ३४ ५ में आर्यों द्वारा दासों के पराजय और वशीकरण का संकेत है। दासों के पुरों को नष्ट करने के लिए इद्र तथा अग्नि से अनेकश-

१ ऋ० ७ २१ ५, १० ६६ ३

२ इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में दास-दस्यु की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए छ आखों से युक्त (ष डाक्ष) तीन सिर वाला (त्रिशिर्पाण) और शृगमुकुटधारी कहा गया है (ऋ० १० ६६ ६, ७. ६६ ४)। इस वर्णन पर ध्यान देने पर अनायास सिन्धु-घाटी के उस अनाय देवताओं की याद आती है जिसे शिव का आदि रूप माना गया है।

निवेदन भी किया गया है^१ तथा इन्द्र को पुरन्दर (पुरो का भेदन करने-वाला) का विरुद्ध प्रदान किया गया है ।^२ ऋग्वेद १ १४७ ७-८ में पृथ्वी को दास लोगो की श्मशान-भूमि कहा गया है । एक स्थान पर इन्द्र को कृष्णयोनि दासो का विनाश करने वाला तथा अन्यत्र उन्हें नीचे की गुफा में फँकने वाला कहा गया है ।^३ मन्त्र ४ १६ १३ में पचास सहस्र कृष्णवर्ण दासो को युद्धभूमि में मारने तथा उनके पुरी को नष्ट करने का उल्लेख है । इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने दास-दस्यु सस्कृति के विनाश का पूर्ण प्रयास किया, जिसमें उन्हें यथेष्ट सफलता भी प्राप्त हुई । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि मोएनजोदड़ो की सबको से प्राप्त अस्थिभंजर तथा रानाघुण्डाई तृतीय में अग्निकांड के दृश्य से भी किसी आक्रमण तथा तज्जित विध्वंस का शकैत मिलता है । इस प्रकार साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों की सम्मिलित सूचना की पृष्ठभूमि में सैन्धव सस्कृति के विनाश का कारण वैदिक आर्यों के आक्रमण को मानना अपरिहार्य हो जाता है ।

सैन्धव सभ्यता का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए इसका ह्रास तथा इसके भौतिक पक्ष का विलोप सर्वत्र समान रूप से नहीं हुआ । सिन्ध एवं पंजाब में यह सस्कृति प्रायः विनष्ट हो गई क्योंकि हड़प्पा में सैन्धव सस्कृति के ऊपर 'कब्रिस्तान एच' नामक सैन्धवोत्तर सस्कृति के अवशेष मिलते हैं । यह सस्कृति भी आर्योत्तर थी किन्तु सैन्धव सस्कृति की तुलना में अत्यन्त हीन और अग्रिकसित थी । इसी प्रकार चन्हूदड़ो में 'भूकर' और 'भूगर' सस्कृतियों के अवशेष मिले हैं । लोथल और रगपुर के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि सौराष्ट्र में यह सस्कृति दीर्घकाल तक जीवित रही । इस प्रदेश में सैन्धव सस्कृति का क्रमशः ह्रास के साथ क्रान्तर हुआ किन्तु आकस्मिक विनाश नहीं । पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सैन्धवों के पश्चात् कुछ अन्तराल के उपरान्त 'चित्रित भूरे मृत्पात्र' सस्कृति के निर्माताओं ने अधिकृत कर लिया । श्री बी० बी० लाल ने इस संस्कृति का निर्माता भारत में आने वाले प्रारम्भिक आर्यों को माना है ।^४ किन्तु यह असन्दिग्ध नहीं है । 'चित्रित भूरे मृत्पात्र' सस्कृति की परम्परा रुपड़ से

१ ऋ ८० २२ ८, ७ ५ ३

२ ऋ १ १०३. ३

३ ऋ २ १२. ४

४ एन्सयेन्ट इण्डिया, १०. ११ पृ० ५-१५१

कौशांबी तक मिली है। यह सस्कृति प्रधानतः गंगा की घाटी तक सीमित होने के कारण उत्तर-वैदिक आर्यों की प्रतीत होती है। यदि यह प्रारम्भिक आर्यों से सम्बद्ध होती तो इसके अवशेष सप्तसिन्धु प्रदेश में अधिक मिलते क्योंकि भारत में प्रवेश के पश्चात् आर्य सर्गप्रथम वही बसे थे।

आर्यों एवं अनार्यों के बीच का यह सघर्ष दीर्घकालीन नहीं रहा। प्रारम्भिक कलह की स्थिति के समाप्त होते ही इनका पारस्परिक दुरावमिटने लगा। ऋग्वेद में दाशराज्ञ युद्ध का जो उल्लेख है उसमें सुदास के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने वाली जातियों में अनार्य भी सम्मिलित थे।^१ प्रारम्भ में विजित अनार्यों को आर्यों ने दाम (स्लेव) बनाये। ऋग्वेद में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें दासों को गाथों और भेड़ों के साथ दान में देने का उल्लेख है।^२ ये दास पराजित अनार्य (दास-दस्यु) ही थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सैन्धव सस्कृति का विविध प्रभाव आर्यसभ्यता के प्रथम आविर्भाव के समय कम था और पीछे क्रमशः अधिक। प्रारम्भ में विजेता आर्य और विजित पलायमान अथवा दासकृत आर्योत्तर जातियाँ परस्पर सघर्ष में निरत थीं। इस प्रकार का युद्धजन्य सम्पर्क सांस्कृतिक आदान प्रदान अथवा समन्वय के लिए उपयोगी नहीं होता। उत्तरवैदिक युग तक जब आर्योत्तर लोग वर्ण-व्यवस्था के माध्यम से वैदिक समाज में अंगीकृत हुए तब सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हुआ।

ऋग्वैदिक सस्कृति की विकास-भूमि 'सप्तसिन्धु'^३ की भौगोलिक परिधि पश्चिम में कुमा से लेकर पूर्व में यमुना तक विस्तृत थी। ऋक्संहिता के

१ ऋ० ७.३३.२, ५, ८३.८

२ ऋ० ८.५१.३

३ ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु' शब्द का प्रयोग एक भूभाग विशेष तथा 'नदियों का समूह' दोनों अर्थों में हुआ है। इसकी सात नदियों में मेक्समूलर पंजाब की नदियों, सिन्धु तथा सरस्वती की गणना करते हैं। लुडविग तथा विन्टरनिट्ज सरस्वती के स्थान पर कुमा को मानते हैं। पंडित शेंशेन चन्द्र चट्टोपाध्याय 'सप्तसिन्धु' शब्द का प्रयोग 'सब नदियाँ' के अर्थ में हुआ मानते हैं जो पूर्ण वैदिक आर्यों से परिचित थीं। प्रारम्भ में सप्तसिन्धु शब्द निश्चय ही सात नदियों का सूचक रहा होगा किन्तु ज्यों ज्यों नई नदियों से पूर्ण वैदिक आर्यों का परिचय होता गया उन सबकी गणना 'सप्तसिन्धु' के अन्तर्गत होती गई।

एक उत्तरकालीन मंत्र में गंगा का भी उल्लेख हुआ
 पूर्व-वैदिक संस्कृति है ।^१ किन्तु इस विरल उल्लेख से यह सूचित है कि
 इस नदी से पूर्व-वैदिक आर्यों का विशेष परिचय
 नहीं था । इस युग में गंगा न तो सप्तसिन्धु की नदी थी और न इसे परवर्ती
 युगों की प्रतिष्ठा ही प्राप्त हो पाई थी उत्तर वैदिक युग के सांस्कृतिक केन्द्र
 मध्यदेश तक अभी आर्य-संस्कृति का विस्तार नहीं हो सका था^२ ।

यद्यपि पूर्व-वैदिक आर्यकृषि और पशुपालन में समान रूप से रुचि
 रखते थे तथापि उनका प्रधान व्यवसाय पशुपालन ही था । ऋग्वेद का ऋषि
 आर्थिक जीवन जितना गायों और घोड़ों के लिये लालायित है
 उतना किसी अन्य आर्थिक महत्व की वस्तु के लिये
 नहीं । गाय का आर्थिक महत्व उसके 'अध्व्या'
 विशेषण से भी स्पष्ट है ।^३ अगर मासाहार के लिये गायों का वध किया भी
 जाता था तो प्रायः बन्ध्या गायों की ही हत्या होती थी । इसीलिये ऋग्वेद
 के मंत्रों में अग्नि को 'वसानन्' कहा गया है । पशुधन के प्रति आर्यों का
 मोह दो विशिष्ट वैदिक कथाओं से भी प्रकट है । शुन शेष के पिता ने गायों
 के लोभ में पुत्र का विक्रय किया था तथा ऋज्ज्वाश्व के पिता ने भेड़ों की
 सति के कारण क्रुपित होकर अपने पुत्र को अन्धा बना दिया था । धीरे-धीरे
 कृषि का महत्व भी बढ़ रहा था ।^४ ऋग्वेद (१०, ३४) में जुआरी को चूत के

१. ऋ० १०. ७५ : ५

२. कुछ विद्वानों ने ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसार पूर्व में बिहार तक माना
 है । उनके अनुसार वैदिक संस्कृति को विदेह में प्रतिष्ठित करनेवाले
 विदेघमाथव के पुरोहित गौतम राहूगण ऋग्वेद के ऋषि हैं किन्तु इस
 प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि गौतम राहूगण का उल्लेख ऋग्वेद के दशम
 मंडल में हुआ है जिसकी प्राचीनता पूर्णतः सन्दिग्ध है । उपर्युक्त मत के
 लिए द्रष्टव्य—राधाकुमुदमुकर्जी, हिन्दू सभ्यता, पृ० ९५, पादटिप्पणी,
 उपेन्द्र ठाकुर, हिस्टरी ऑफ़ मिथिला, पृ० २३ ।

३. ईरान में भी गोहत्या के विरुद्ध जरयुस्त्र ने नियम बनाये । द्रष्टव्य—
 कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ़ इण्डिया, भाग १, पृ० १०२

४. कृषि का ज्ञान आर्यों को हिन्द-ईरानी युग से ही था । यह बात 'यवम्-
 कृषि' और 'यवो करेश' की समानता से प्रकट है ।

व्यसन को त्याग कर कृषि-कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। ऋग्वेद में कृषि-कर्म से सम्बन्धित विभिन्न यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। हल चलाने का कार्य अधिकांशतः बैलों से लिया जाता था। यत्र-तत्र घोड़ा के उपयोग का भी संकेत मिलता है।^१ पैदावार की वृद्धि के लिये 'शकृत' 'करीष' जैसे उर्वरक पदार्थों का प्रयोग भी होने लगा था। सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास भी अनेक मंत्रों से सूचित होता है।^२ खेती में उत्पन्न होने वाले अन्न को यव और धान्य कहा गया है।^३

ग्राम्य जीवन के सरल होने के बावजूद इन लोगों ने अनेक उपयोगी शिल्पों का विकास कर लिया था। बढई (तक्षन्) शिल्पियों का अशुभ्रा था।^४ वह युद्ध और सवारी के लिये रथ तथा माल ढोने के लिये अनसू का निर्माण करता था।^५ धातु का काम करने वाले 'कर्मार' कहलाते थे। इन लोगों ने धातु को गलाना सीख लिया था।^६ सोनार सोने के आभूषण बनाता था। सोना सिन्धु जैसी नदियों से तथा भूमि से प्राप्त किया जाता था।^७ कर्मकार और धुनकर का भी उल्लेख हुआ है। चमड़ा कमाने की कला ज्ञात थी।^८ कपड़ा धुनने का काम अधिकांशतः स्त्रियाँ करती थी।^९ इस युग में वस्तुओं के विनिमय की भी प्रथा थी। दस गावों को देकर इन्द्र की एक प्रतिमा लेने की बात एक मंत्र में कही गई है।^{१०} बाजार के भाव-ताव तथा क्रय-विक्रय के नियमों से सम्बन्धित कुछ संकेत भी मिलते हैं।^{११} यत्र-तत्र सामुद्रिक व्यापार का भी उल्लेख हुआ है ऋग्वेद ७.९५.२ में समुद्र शब्द का अर्थ

१ ऋ० १०.१०१.७

२ ऋ० १.१६१.१०, ७.४६.२, ३.४५.३, १०.६६.४

३ ऋ० १.११७.२१, ६.१३.४

४ ऋ० ६.११२.१

५ ऋ० ३.३३.६

६ ऋ० १०.७२.२, ५.६५

७ ऋ० ६.६१.७, १.११७.५

८ वैदिक इण्डेक्स १, २३४, २५७

९ ऋ० १.६२.३

१० ऋ० ४.२४.१० क इम दशमिर्ममेन्द्र क्रीणाति धेनुभि ।

११ ऋ० ४.२४.६

निश्चित रूप से सागर है क्योंकि इस मंत्र में सरस्वती नदी के पर्वत से समुद्र तक बहने का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त होने वाले धन (रथि समुद्रात, वसुनि समुद्रात) का भी वर्णन है^१ जिसका अर्थ मोती या समुद्री व्यापार से होने वाला लाभ हो सकता है। ऋक्संहिता १२५७ में 'नाव समुद्रिय' का उल्लेख भी सामुद्रिक नीयात्रा तथा व्यापार से पूर्व-वैदिक आर्यों का सम्बन्ध सूचित करता है। ऋग्वेदिक सस्कृति के ग्राम्य स्वरूप को देखते हुए समुन्नत व्यापार प्रायः अकल्पनीय है फिर भी उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह बात स्वीकृत की गई है कि पूर्व-वैदिक आर्य सामुद्रिक व्यापार करते थे।^२

पूर्व-वैदिक समाज जनो और ग्रामो में विभक्त था ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। वह राजा को शासन कार्य में सहायता देता था। राजा

सम्पूर्ण जन का नेता था। सामान्यतः वह निर्वाचित राजनीतिक संगठन द्वारा करता था^३ किन्तु वंशानुगत रूप से शासन करनेवाले राजवंश भी अज्ञात नहीं थे।^४ समिति और सभा जैसी लोकप्रिय सभायें शासन कार्य में राजा की सहायता करती थी। राजा स्वयं समिति में उपस्थित होता था तथा उसके सदस्यों के सहयोग की कामना करता था।^५ पूर्व-वैदिक युग में राजतंत्र पर इन परिषदों का विशेष नियंत्रण था। इस युग में राज-पद उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था जो शत्रुओं के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में सैनिक नेतृत्व राजा का प्रधान कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त आंतरिक शान्ति एवं व्यवस्था की सुरक्षा भी उसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत परिगणित होने लगी थी। राजा के प्रधान सचिव के रूप में पुरोहित न केवल उसके हित तथा समृद्धि के लिये देवताओं को प्रसन्न करने का

१ ऋ० १४७६, ७६७, ६६७४४

२ द्र० वैदिक एज, पृ० ३६७

३ ऋ० १०१२४८

४ उदाहरण के लिये दिवोदास और सुदास, पुरुकुत्स और अस दस्यु इत्यादि-
द्र० प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, पृ० ६६

५ ऋ० ६६२६, १०.१६६.४

प्रयास करता था वरन् युद्ध भूमि में में भी राजा के साथ रहता था ।^१ राजा को प्रजा से कर भी प्राप्त होने लगा था । ऋक्संहिता के मन्त्रों में उसे 'वल्लिहृत' कहा गया है ।^२ किन्तु कुछ मन्त्रों से इस बात की भी सूचना मिलती है कि कर ग्रहण नियमित और अनिवार्य नहीं हो सका था ।^३ ऋग्वेद में केवल जनो का ही उल्लेख है, इससे यह प्रकट होता है कि विभिन्न आर्यजन अभी निश्चित भू-प्रदेशों में स्थिर नहीं हो पाये थे । यह स्थिति राज्यसंस्था के समुचित विकास में बाधक थी । स्थायी जनपदों की स्थापना सर्वप्रथम उत्तर वैदिक युग में ही हो पाई ।

उत्तर वैदिक युगीन वर्णव्यवस्था तथा वर्गगत विषमताओं और विवे-
पताओं का जो चित्र समसामयिक-साहित्य में मिलता है वह ऋक्संहिता
में सर्वथा अनुपलब्ध है । ऋग्वेद के ऋषि सामा-

समाज में विभाजन जिस विभाजन से विल्कुल अपरिचित नहीं थे ।

की प्रक्रिया ऋग्वेद एव अवेस्ता के सम्मिलित साक्ष्य के आधार
पर कहा जा सकता है कि आर्यों ने श्रम विभाजन

का विकास हिन्द-ईरानी युग में ही कर लिया था । समाज में विभिन्न व्यवसायों का उदय हो चुका था जिनके अनुसरण करनेवाले 'गार्यों' की भाँति एक ही स्थान में विश्राम करते थे ।^४ एक ही परिवार में पिता बँध, पुत्र कार और माता पिम्पनहरी का कार्य कर सकती थी ।^५ दूसरे शब्दों में विविध व्यवसाय अभी वशानुगत नहीं हो पाये थे । विश्वामित्र, जो भरत जन के सहयोगी तथा सुदास के पुरोहित थे,^६ कुशिक कुल में उत्पन्न राजन्य थे ।^७ ऋषि भृगु के वंशजों में कुछ रथकार भी थे^८ तथा उन्होंने सशस्त्र सैनिकों की भाँति दाक्षराज युद्ध में भाग भी लिया था ।^९ ऋग्वेद के

१ ऋ० ७ १८.१३

२ ऋ० ७ ६ ५, १०. १७३ ६

३ ऋ० १० १६३ ६

४ ऋ० ६ ११२ ३

५ ऋ० ६ ११२ ३

६ ऋ० ३ ५३

७ ऋ० ३ ३३ ५, निरुक्त २ ४४

८ ऋ० ४ १६ २०, १ ३६ १४

९ ऋ० ७ १८.६

निश्चित रूप से सागर है क्योंकि इस मंत्र में सरस्वती नदी के पर्वत से समुद्र तक बहने का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त होने वाले धन (रयि समुद्रात्, वसूनि समुद्रात्) का भी वर्णन है^१ जिसका अर्थ मोती या समुद्री व्यापार से होने वाला लाभ हो सकता है। ऋक्संहिता १२५७ में 'नाव सधुद्रिय ' का उल्लेख भी सामुद्रिक नौ यात्रा तथा व्यापार से पूर्व-वैदिक आर्यों का सम्बन्ध सूचित करता है। ऋग्वेदिक सस्कृति के ग्राम्य स्वरूप को देखते हुए समुन्नत व्यापार प्रायः अकल्पनीय है फिर भी उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह बात स्वीकृत की गई है कि पूर्व-वैदिक आर्य सामुद्रिक व्यापार करते थे।^२

पूर्व-वैदिक समाज जनो और ग्रामो में विभक्त था ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। वह राजा को शासन कार्य में सहायता देता था। राजा सम्पूर्ण जन का नेता था। सामान्यतः वह निर्वाचित राजनीतिक संगठन द्वारा करता था^३ किन्तु वंशानुगत रूप से शासन करनेवाले राजवंश भी अज्ञात नहीं थे।^४ समिति

और सभा जैसी लोकप्रिय सस्थायें शासन कार्य में राजा की सहायता करती थीं। राजा स्वयं समिति में उपस्थित होता था तथा उसके सदस्यों के सहयोग की कामना करता था।^५ पूर्व-वैदिक युग में राजतंत्र पर इन परिपदों का विशेष नियंत्रण था। इस युग में राज-पद उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था जो शत्रुओं के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में सैनिक नेतृत्व राजा का प्रधान कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त आंतरिक शान्ति एवं व्यवस्था की सुरक्षा भी उसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत परिगणित होने लगी थी। राजा के प्रधान सचिव के रूप में पुरोहित न केवल उसके हित तथा समृद्धि के लिये देवताओं को प्रसन्न करने का

१ ऋ० १४७६, ७६७, ६६७४४

२. द्र० वैदिक एज, पृ० ३६७

३ ऋ० १०१२४८

४. उदाहरण के लिये दिवोदास और सुदास, पुरुकुत्स और वसु दस्यु इत्यादि।
द्र० प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, पृ० ६६

५ ऋ० ६६२६, १०१६६४

प्रयास करता था वरन् युद्ध भूमि में में भी राजा के साथ रहता था।^१ राजा को प्रजा से कर भी प्राप्त होने लगा था। ऋक्संहिता के मन्त्रों में उसे 'वल्लिहूत' कहा गया है।^२ किन्तु कुछ मन्त्रों से इस बात की भी सूचना मिलती है कि कर ग्रहण नियमित और अनिवार्य नहीं हो सका था।^३ ऋग्वेद में केवल जनों का ही उल्लेख है, इससे यह प्रकट होता है कि विभिन्न धार्यजन अभी निश्चित भू-प्रदेशों में स्थिर नहीं हो पाये थे। यह स्थिति राज्यसंस्था के समुचित विकास में बाधक थी। स्थायी जनपदों की स्थापना सर्वप्रथम उत्तर वैदिक युग में ही हो पाई।

उत्तर वैदिक युगीन वर्णव्यवस्था तथा वर्गगत विषमताओं और विवे-
षताओं का जो चित्र समसामयिक-साहित्य में मिलता है वह ऋक्संहिता
में सर्वथा अनुपलब्ध है। ऋग्वेद के ऋषि सामा-

समाज में विभाजन जिस विभाजन से बिल्कुल अपरिचित नहीं थे।

की प्रक्रिया ऋग्वेद एव अवेस्ता के सम्मिलित साक्ष्य के आधार

पर कहा जा सकता है कि आर्यों ने श्रम विभाजन

का विकास हिन्द-ईरानी युग में ही कर लिया था। समाज में विभिन्न व्यवसायों का उदय हो चुका था जिनके अनुसरण करनेवाले 'गायों की भाँति एक ही स्थान में विश्राम करते थे।^४ एक ही परिवार में पिता वंछ, पुत्र काव और माता पिम्पनहरी का कार्य कर सकती थी।^५ दूसरे शब्दों में विविध व्यवसाय अभी वशानुगत नहीं हो पाये थे। विश्वामित्र, जो भरत जन के सहयोगी तथा सुवास के पुरोहित थे,^६ कुशिक कुल में उत्पन्न राजन्य थे।^७ ऋषि भृगु के वंशजों में कुछ रथकार भी थे^८ तथा उन्होंने सशस्त्र सैनिकों की भाँति दाशराज्य युद्ध में भाग भी लिया था।^९ ऋग्वेद के

१ ऋ० ७ १८ १३

२ ऋ० ७ ६ ५, १० १७३ ६

३ ऋ० १० १६३ ६

४ ऋ० ६ ११२ ३

५ ऋ० ६ ११२ ३

६ ऋ० ३ ५३

७ ऋ० ३ ३३ ५, निरुक्त २ ४४

८ ऋ० ४ १६ २०, १ ३६ १४

९ ऋ० ७ १८ ६

के एक अन्य पुरोहित देवापि निरुक्ति द्वारा राजपुत्र बतलाये गये हैं। महा-भारत में इन्हें राजा शान्तनु का भाई कहा गया है। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायो को धारण करनेवाले लोग समान थे तथा सामूहिक रूप से विश के अन्तर्गत। समाज में तो उच्च-निम्न की भावना थी और न रोटी बेटी के सम्बन्धों में कोई वर्गगत दुराव ही था। फिर भी ब्राह्मणों एवं राजान्यों के विशिष्ट व्यवसाय क्रमशः सचेष्ट रूप से आत्मचेतन वर्गों का स्वरूप ग्रहण कर रहे थे। राजशक्ति की वृद्धि तथा याज्ञिक अनुष्ठानों के विस्तार के साथ-साथ उपर्युक्त दोनों वर्गों के प्रभाव में वृद्धि हुई। परिणामतः वे अपने को सर्वमाधारण से पृथक् समझने लगे। कालक्रम से शिक्षा-संस्थाओं के अभाव तथा प्रबल स्वार्थ-बुद्धि ने ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को अपने-अपने सम्मान्य व्यवसाय को वशानुगत बनाने की प्रेरणा तथा सुअवसर-प्रदान किये। कतिपय प्रसंगों में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग वशानुगत पुरोहित के अर्थ में किया गया है।^१ इसी प्रकार कुछ मन्त्रों में क्षत्रिय का अर्थ भी शासक वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति है।^२ यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में वशानुगतरूपेण शासन करनेवाले राजवर्गों के विरल उदाहरण भी उपलब्ध हैं। धार्मिक नेतृत्व के कारण ब्राह्मणों की वर्धमान प्रतिष्ठा अनेकशः सूचित है। एक स्थल पर उनका उल्लेख पितरों के साथ हुआ है।^३ अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मण का आदर करने वाले राजा के लिये पृथ्वी समृद्धशालिनी होती है तथा मनुष्य स्वेच्छया उसके समक्ष नत होते हैं।^४ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त शेष लोग अभी 'विश' की सीमा के अन्तर्गत थे। इसी शब्द से उत्तर वैदिक युग में वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई। सम्पूर्ण ऋग्वेद में 'पुरुष-सूक्त' के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी वैश्य और शूद्र शब्दों का उल्लेख नहीं है। चार वर्गों का स्पष्ट उल्लेख करने वाला यह सूक्त ऋग्वेद में प्रसिद्ध माना गया है।^५ ऐसी स्थिति में यह निश्चायक ढंग से कहा जा सकता है कि पूर्व-वैदिक आर्य चातुर्वर्ण-व्यवस्था से अपरिचित थे।

१ म्योर, वैदिक इण्डेक्स २, २४८ पर उद्धृत

२ ऋ० ४ ४२ १, ८ १०४ १३, १० १०६ ३

३ ऋ० ६ ७५ १०, ब्राह्मणान्. पितरं शिवे नो धावा पृथ्वी अनहसा।

४ ऋ० ४ १० ८

५ मेक्सम्यूलर, हिस्टरी ऑफ ऐन्ड्येन्ट सस्कृत लिटरेचर, पृ० ५७०

आर्यों का समाज पितृस्थानीय एवं पितृवशीय था। परिवार में प्रायः पितृ-परम्परा से सम्बन्धित लोग ही परिगणित होते थे।^१ श्राद्ध तथा अन्य अवसरों पर पितरों के आह्वान की परम्परा से ज्ञात पारिवारिक व्यवस्था होता है कि परिवार प्रायः सयुक्त होते थे और उनमें तीन या चार पीढ़ी के लोग साथ-साथ रहते थे।^२ सद्यः विवाहिता वधू के लिए यह कामना की जाती थी कि वह अपने घर में पुत्र-पौत्रों के साथ खेलते हुए पूरी आयु का उपभोग करे।^३ पिता के जीवन काल में सभी भाई प्रायः साथ-साथ रहते थे इसीलिए वधू को देवर पर शासन करने वाली भी कहा गया है। वैदिक युग की परिस्थिति सयुक्त परिवार के लिए अधिक अनुकूल थी। सुरक्षा तथा समृद्धि दोनों दृष्टि से सयुक्त परिवार एकाकी परिवारों की अपेक्षा अधिक हितकर एवं लाभदायक थे।

यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि पूर्ण वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। यद्यपि सन्तान पर पिता के प्रभाव एवं अधिकार के पर्याप्त सकेत मिलते हैं तथापि पारिवारिक जीवन में नारी के समक्ष पुरुष पारिवारिक जीवन में की प्रधानता अथवा पत्नी के उपर पति के प्रभुत्व पितृ प्रभुत्व की सीमाएँ का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में 'दम्पति' शब्द का अनेकशः प्रयोग परिवार में पति-पत्नी के सामूहिक स्वामित्व का सूचक है। इसी प्रकार 'गृहपति'^४ और 'गृहपत्नी'^५ शब्दों का उल्लेख भी दोनों की समान स्थिति का संकेत करता है। ऋग्वेद (१०. ८५) में वधू को न केवल परिवार के एक महत्वपूर्ण पुरुष सदस्य देवर पर शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है वरन् उसे परिवार के प्रधान

१ ऋ० १०. ३४. ४ के आधार पर आस्टे ने सुझाव रखा है कि यदाकदा परिवार में सास भी सम्मिलित होती थी। किन्तु यह मत निराधार है क्योंकि इस मंत्र में जुझारी केवल यही कहता है कि मेरी सास मुझ से घृणा करती है।

२ घुरये, फैमिली एण्ड किन इन इण्डो-यूरोपियन कल्चर, पृ० ४४-४५

३ ऋ० १०. ८५. ४२

४ ऋ० ६. ५३. २

५ ऋ० १०. ८५. २६

पुरुष मदम्य ध्वमुर पर भी आसन करने वाली कहा गया है ।^१ त्रिफाल्ट महोदय इम मत्र को मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का अवशिष्ट प्रभाव मानते हैं ।^२ ऐसी स्थिति में समाज में पुरुष की प्रधानता, पिता की निरंकुश सत्ता,^३ एवं पुरुष की तुलना में स्त्री की स्थिति चल-सम्पत्तिकी तरह होना,^४ ये सभी कल्पनाएँ निराधार प्रतीत होती हैं । सन्तान के भविष्य-निर्धारण में माता का मत पिता से कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था । रथवीति की कन्या का विवाह उसके माता के विरोध के कारण ही रुक गया था ।^५ पत्नी के ऊपर पति की प्रभुता को सिद्ध करने के लिए बहुधा ऋग्वेद १०, ३४ को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह अस्वस्थ निष्कर्ष निकाला जाता है कि पति अपनी पत्नी को छत में दाँव पर लगा सकता था ।^६ इस कल्पना की निस्सारता को सिद्ध करने के लिये इतना बताना पर्याप्त होगा कि इस सूक्त में जुआरी द्वारा पत्नी को दाँव पर लगाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । उसमें केवल यह कहा गया है कि 'अन्य पुरुष उसकी पत्नी का स्पर्श करते हैं ।'^७ किन्तु इसका कारण केवल पत्नी का दाँव पर लगाया जाना ही नहीं हो सकता । इसका कारण उसकी आर्थिक हीनता एवं अरक्षित स्थिति भी मानी जा सकती है । पूर्व-वैदिक युग में स्त्रियों की पुरुषों से हीनतर अवस्था में विश्वास करने वाले विद्वानों ने प्रायः उन मन्त्रों को भी उद्धृत किया है जिनमें कहा गया है कि तत्कालीन राजा एवं समृद्ध पुरुष पुरोहितों १० गायों और घोड़ों के साथ सैकड़ों वधुओं से भरे हुये रथ भी देते थे^८ और यह निष्कर्ष निकाला है कि इन स्थलों में वधुओं का उल्लेख निश्चित रूप में चल-सम्पत्ति के रूप में हुआ है किन्तु इन स्थलों में वर्णित वधुओं का रूप पूर्व-वैदिक नारी के स्वतन्त्र और अधिक जीवन के साथ मगत नहीं लगता । आर्य समाज में स्त्रियों का इतना

१. ऋ० १० ८५ ५५ ।

२. त्रिफाल्ट, दि मदर्स, (लघु सस्करण), पृ० ७६

३. जिमर, वैदिक इण्डेक्स १ ५२६ पर उद्धृत

४. अल्तेकर, पोजीशन आव वीमेन, पृ०

५. वैदिक इण्डेक्स २ ४००

६. अल्तेकर, पोजीशन आव वीमेन, पृ०

७. ऋ १० ३४. ४, ग्रन्थे जाया ५-४५ ।

८. ऋ० १. १२६. २-२

भी नहीं था कि वे रथों में भरकर, दान में दी जा सकें।^१ जिमर महोदय का यह विचार कि इन प्रसंगों में 'वधू' शब्द का अर्थ दासी (अनायाँ) है, युक्ति सगत प्रतीत होता है।^२ वैदिक आर्यों ने अनायाँ के साघर्ष के समय बहुसंख्यक स्त्रियों का अपहरण किया होगा, जिनसे उनके अन्तःपुर की सीमाएँ बढ़ी होगी। उन्होंने अपने पुरोहितों तथा आत्मीयजनों को इन्हीं अनायाँ 'वधुओं' को उपहार में देकर अनुग्रहीत किया होगा। ऐसी ही वधुओं के गर्भ से श्रीशिज वक्षीवन्त, दीर्घतमस, कवपऐलूष, और व्यास प्रभृति ऋषियों का जन्म हुआ होगा।

साधारणतः पूर्ण वैदिक पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखद था। दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी कामना सन्तानोत्पत्ति थी।^३ पिता सन्तति के माध्यम से अमृतत्व की कामना करता था।^४ नवपरिणीता वधू को दस पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया जाता था।^५ ऐसी स्थिति में पिता का सत्तानों के प्रति अपार स्नेह प्रकट करना सर्वथा स्वाभाविक है।^६ यद्यपि ऋक्संहिता में सर्वत्र पुत्र के लिए ही उत्कठा है तथा कन्या के प्रति उपेक्षा संकेतित है फिर भी कन्याओं की सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएँ पुत्रों की भाँति ही उपलब्ध थीं। इस युग की कन्या परिवार के लिए दुर्गह भार नहीं थीं। वह गृहकार्यों का उत्तरदायित्व भी वहन करती थी। दुहिता शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि पशुपालक आर्य परिवारों में गो-दोहन का कार्य कन्याएँ ही करती थी। उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी पुत्रों की ही भाँति थी तथा विवाह प्रायः पूर्ण वयस्क होने पर किये जाते थे। पति के चुनाव के लिये उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी।^७ स्मृतियों में जिन आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है उनमें अधिकांश के प्रचलन के चिन्ह ऋग्वेद में

१ ढी० ढी० कोशाम्बी, ऐन इन्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, पृ० ८२

२ द्रष्टव्य वैदिक इण्डेक्स २, २४०

३ ऋ० १० ८५ ३६

४ ऋ० ५४ १०, प्रजाभिरग्ने. अमृतत्वमश्याम्।

५. ऋ० १० ८५ २६

६ ऋ० १ ६१ १३, १ ६१ २०, ३ १ १०३ इत्यादि।

७ १० २७ १२, भद्रा वधू भवत्यत्सुपेक्षा स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्।

मिलते हैं।^१ समाज में बहुभर्तृता की प्रथा समाप्त हो चुकी थी।^२ तथा बहु-भार्यता के परिणामस्वरूप सपत्नियों के कलह के कारण पारिवारिक जीवन की शांति भग होने का यत्र-तत्र संकेत हुआ है।^३

पूर्व-वैदिक आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। भौतिक प्रकृति तथा मानव जीवन के विविध व्यापारों के पीछे बहुविध शक्तियाँ अधिष्ठातृ रूप में विद्यमान हैं। इन शक्तियों का ही देवता शब्द से पूर्व-वैदिक आर्य धर्म अभिधान हुआ है। देवताओं की सत्ता शुभ ज्यो-तिर्मय एवं अमर मानी गई है। ऋक्संहिता में देवताओं की कल्पना अधिकांशतः मनुष्य रूप में की गई है किन्तु सभी देवताओं का मानवीकरण समान रूप से पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका है। अनेक स्थलों पर उनके शारीरिक अवयव उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिधि हैं जिनके वे वस्तुतः प्रतीक हैं। उदाहरणार्थ सूर्य के वाहु उसकी रश्मियाँ हैं और अग्नि की जिह्वा उसकी ज्वाला। आर्य लोग अपने विभिन्न देवताओं को मंत्र एवं यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। जिसका प्रमुख उद्देश्य लौकिक सुख, समृद्धि और कल्याण था। उनकी कल्पना में यह जगत—पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश में विभक्त था तथा प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास था। वैदिक ऋषियों ने इन देवताओं के व्यक्तित्व में प्रायः समान गुणों का आरोप किया है तथा स्तुति करते समय प्रायः किसी भी देवता को सर्वोच्च घोषित किया है। मैक्समूलर ने इस प्रवृत्ति को उपास्यदेव-श्रेष्ठतावाद (हेनोथीज्म) नाम से अभिहित किया है^४ तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इस प्रवृत्ति को एकेश्वरवाद का सूचक माना है^५। इतना

१. भगवत् शरण उपाध्याय, बीमेन इन दि ऋग्वेद, पृ. ६४।

२. ऋ० १०. ८५ में नवविवाहिता वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा गया है 'देवकामा भव'। इसे आर्य-समाज में बहु-भर्तृता के पूर्ण प्रचलन का सूचक मानना चाहिये, क्योंकि स्वयं ऋग्वेदिक युग में इस प्रथा के प्रचलन का कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता।

३. ऋ० १. १०. ८ में सपत्नियों से युक्त व्यक्ति की दुर्दशा का संकेत है। इसी प्रकार ऋ० १०. १४५ में सपत्नीवाधन का प्रयास दिखाई देता है।

४. मैक्समूलर के इस मत का खडन हो चुका है। द्र० वैदिक माइयालोजी, पृ० १०

५. हिमट—मोरिजिन एण्ड ग्रेव आथ रिलिजन, पृ० १७२

मुनिश्चित है कि विभिन्न देवताओं में समान गुणों के आरोप तथा प्रत्येक की श्रेष्ठता के प्रतिपादन के परिणामस्वरूप एकेश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऋग्वेद के कुछ ऋषियों ने स्पष्टतः बहुदेववाद को चुनौती दिया है। प्रथम मण्डल में उस एक सत् की कल्पना की गई है जिसे ज्ञानी लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मरुत और मातरिषा आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं।^१ इसी प्रकार अन्यत्र देवताओं के असुरत्व को एक माना गया है।^२ दशम मण्डल के कुछ सूक्त, जिनकी प्राचीनता सदिग्ध है, वार्षनिक चिन्तन का भी सकेत करते हैं। इस प्रकार 'पुरुष सूक्त' में सृष्टि का कारणभूत मूल तत्त्व विराट-पुरुष को तथा नासदीय सूक्त में अव्यक्त 'तदेकम्' को बताया गया है। ऋक्संहिता में बहुदेववाद तथा एकेश्वर के सूचक मन्त्रों का साथ साथ होना विस्मयजनक नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज में एक ही समय में धार्मिक विश्वासों के विविध स्तर दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार की स्थिति प्रायः बौद्धिक वैपम्य के कारण उत्पन्न होती है।

ऋग्वेद के अनेक देवताओं में इन्द्र का प्राधान्य है।^३ वह युद्ध और बल का देवता है।^४ यहाँ तक कि इन्द्रिय शब्द प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में भी बल का पर्यायवाची है। आर्य प्रसार के युग में सग्रायों का बाहुल्य उनकी लोक-प्रियता का कारण था। उत्तरकाल में इन्द्र वर्षा के देवता के रूप में अचित्त हुए और इस प्रकार लोकप्रिय बने रहे। वरुण सत्य और ऋत के पालक के रूप में माने जाते थे।^५ उनके सूक्तों में ऋक्संहिता के नैतिक आदर्श प्रकाश पाते हैं। वरुण को असुर भी कहा गया है जो ईरानी देव अहुरमज्द से सम्बन्धित है। कुछ विद्वानों ने वरुण को मूलतः आकाश का देवता माना है।^६ किन्तु परिणत क्षेत्रज्ञचन्द्र चट्टोपाध्याय का यह मत कि वरुण रात्रि का

१ ऋ० १.१६४.४६।

२ ऋ० ३.५५

३ वैदिक देवताओं एवं देववाद पर सामान्यतः द्रष्टव्य—मैकडानल, वैदिक माइथालोजी, कीथ, रिलिजन एण्ड फिलासफी भाव दि वेद, डिमट—ओरिजिन एण्ड ग्रीक आफ रिलिजन

४ वैदिक माइथालोजी, पृ० ५४

५ ऋ० १.२३.५

६ वैदिक माइथालोजी, पृ० २७ कीथ, रिलिजन एण्ड फिलीसोफी भाव दि वेदाज एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० १०२

सूर्य है, अधिक समीचीन प्रतीत होता है।^१ आकाशीय देवताओं में वरुण के अतिरिक्त चौसठ उल्लेखनीय हैं जिनकी कल्पना आकाश-देव के रूप में की गई। भाषाविदों ने यूनानी देवता जियम के साथ उसकी अभिन्नता स्वीकार की है। इस प्रकार वह वैदिक आर्यों का प्राचीनतम देवता प्रतीत होता है। आकाशीय देवताओं में सूर्य भी उल्लेखनीय हैं जिनकी उपासना पाँच रूपों में प्रचलित थी जिन्हें सूर्य, सवितृ, मित्र, पूषन और विष्णु नाम से अभिहित किया गया है। इनमें विष्णु, जो ऋग्वेद में आकाशचारी सूर्य के रूप में उल्लिखित हैं, उत्तरकाल में सम्भवतः किसी अनार्य देवता की आत्मसात कर लेने के कारण अधिक लोकप्रिय हो गया।^२ उसकी उपासना भी पृथक् देव के रूप में होने लगी। इसी प्रकार अन्तरिक्षीय देवताओं में इन्द्र के अतिरिक्त रुद्र का स्थान महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इस देवता ने उत्तरवैदिक युग तक अतिशय महत्ता प्राप्त की तथा सैन्धव शिव को आत्मसात करने में समर्थ हुआ। ऋग्वेद में वह प्रकृति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक प्रसंगों के अध्ययन से वह भस्मावात के साथ आनेवाले विद्युत्चारी घने काले मेघों का देवीकरण प्रतीत होता है। मरुत सम्भवतः भस्मावात के देवता तथा रुद्र के सहायक थे। पृथिवी के देवताओं में अग्नि, बृहस्पति और सोम-विशेष रूप से ब्राह्मणों के देवता थे। इस वर्ग के देवताओं में स्वयं पृथ्वी की भी गणना हुई है जिसका उल्लेख अधिकांशतः चौसठ के साथ हुआ है। ऋग्वेदिक देवियों में उषा का वर्णन अत्यन्त हृदयग्राही है। यह उल्लेख्य है कि उषा के व्यक्तित्व को आर्योत्तर प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं माना जा सकता।^३ देवताओं का उस समय मुख्यतया ऐहिक प्रसाद प्रापित था। ऐसी स्थिति में और्ध्वदेहिक जीवन के विषय में पूर्ववैदिककालीन धारणाएँ अस्पष्ट थीं। यह माना जाता था कि देवताओं का यजन करने वाले सत्पुरुष मृत्यु के पश्चात् पितृलोक में निवास करते हैं। अनृत परायण व्यक्तियों की और्ध्वदेहिक अवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है।

१ पाण्डेय, जी० सी०, औरिजिन्स आफ बुद्धिज्म, पृ० २६८ पर उद्धृत

२. दी कल्वरल हैरिटेज ऑफ इण्डिया, वाल्यूम १, पृ० ८३ वैदिक एज, पृ० १६२

३ वैदिक उषा और उर्वशी का सिन्धु-संस्कृति से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। द्रष्टव्य—इण्डिया पास्ट एण्ड प्रेजेंट, पृ० १६३ और आगे

देवता के लिए मन्त्रपूर्वक द्रव्यत्याग को यज्ञ कहते थे। ईरान में एक समय प्राचीन आर्य लोग हवि को अग्नि में नहीं डालते थे।^१ भारतीय आर्यों में बहुत पहले ही वैदिक काल में अग्नि हव्यवाह के रूप में प्रकटहोते हैं, यद्यपि यह स्मरणीय है कि यहाँ भी उत्तरकालीन सिद्धान्त के अनुसार हवि का अग्नि में प्रक्षेप 'प्रतिपत्ति कर्म' ही समझा जाता था। यज्ञ का प्रारम्भिक स्वरूप सरल था। ऋत्विक् के द्वारा देवता के स्तुतिपरक मन्त्र पढ़े जाते थे और हवि के रूप में विविध धान्य अथवा गोरस से निर्मित अन्न, पशु अथवा सोमरस अर्पित किए जाते थे। क्रमशः अनेक यज्ञों में ऋत्विक् के कार्य का चतुर्धा विभाजन भी होता है। होता नामक ऋत्विक् ऋक्संहिता की ऋचाओं का पाठ करता था। अध्वर्यु कर्मकांड का भार वहन करता था उद्गाता सामगान करता था तथा ब्रह्मा यज्ञ कर्म का अध्वक्ष होता था। इनके साथ सहायक भी होते थे। कुछ यज्ञ इतने विस्तृत एवं व्यवसाध्य हो चले थे जिन्हें राजा अथवा समृद्ध (मघवन) लोग ही सम्पन्न कर सकते थे।

१ द्रष्टव्य-हेरोडोटस, हिस्टररीज़, (पेंग्विन क्लासिक्स में अनुवाद) पृ० ६८-६९।

वैदिक युगी

ऐतिह्यक जी

पल्लवि १

परवर्ती संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यको एण उपनिषदों का काल उत्तर-वैदिक युग के नाम से अभिहित किया जाता है।^१ इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य के विभिन्न भाग अधिकांशतः एक दूसरे में विकसित होते गये। ऋक्संहिता मूल ग्रन्थ था। उसी के मन्त्रों से सामवेद-संहिता का कलेवर बना।^२ किन्तु यजुर्वेद की कृष्ण तथा शुक्ल इन दो संहिताओं में पर्याप्त नई सामग्री भी है। वह उन मन्त्रों के रूप में है जो यज्ञीय कर्मकाण्डों के समय अध्वर्यु के लिये आवश्यक थी। कृष्ण-यजुर्वेद राजा इस कारण पड़ी कि इसमें मूल-मन्त्र-भाग और उसकी मद्यात्मक व्याख्या सम्मिलित रूप से सन्निविष्ट है। शुक्ल-यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में मन्त्र-भाग और यजुष भाग तो है किन्तु व्याख्यात्मक गद्य-भाग 'शतपथ-ब्राह्मण' के रूप में विल्कुल अलग साग्रहीत है। चौथी संहिता अथर्ववेद संहिता है। वह यज्ञ के निरीक्षक 'ब्रह्मा' के उपयोग के लिये थी। इस संहिता में कुछ मन्त्र तो ऋक्संहिता से लिए गये तथा कुछ की प्रकृति नितान्त नवीन तथा विचित्र है। इसमें विविध अभिचार, विवाह और प्रेम सम्बन्धी गीत तथा राजा एण राष्ट्र सम्बन्धी मन्त्र भी साग्रहीत हैं। इस संहिता से सामान्य जनो की सामाजिक स्थिति एण धार्मिक विश्वासों पर अधिक प्रकाश पड़ता है। संहिताओं के बाद ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का विकास हुआ। ब्राह्मण भारोपीय गद्य साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनमें वैदिक यज्ञीय कर्मकाण्ड के सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का विवेचन है और तत्सम्बन्धी अनेक कथाओं के द्वारा कर्मकाण्ड का महत्व समझाया गया है एण कर्मकाण्ड की उत्पत्ति पर भी विचार किया गया है। उनका सम्बन्ध संहिताओं से है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से सम्बन्धित है और उसमें सोम-यज्ञ और राज्याभियेक-विधि का वर्णन

१. इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद का दशम मंडल भी अधिकांशतः उत्तरवैदिक-कालीन माना गया है। अतः ऋग्वेद के दशम मंडल की सामग्री का उपयोग भी यथास्थान किया गया है।

२. इस ग्रन्थ में केवल ७८ नई ऋचाएँ हैं।

किया गया है। पचविंश ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है जिसमें ब्राह्म्यस्तोम यज्ञों का वर्णन है जिनके द्वारा ब्राह्म्य लोग आर्य-समुदाय में सम्मिलित किये जाते थे। शतपथ का सम्बन्ध शुक्ल-यजुर्वेद से है। इसमें अनेक विषय हैं और यह वैदिक युग का सबसे मूल्यवान् ब्राह्मण ग्रन्थ है। गोपथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध अथर्ववेद से है।

ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक हैं। उनका यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि उनमें वर्णित दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के लिये आरण्य का एकान्तवास आवश्यक था। आरण्यक ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच की कड़ी थे। आरण्यकों में ही सर्वप्रथम यज्ञ-कर्म की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रारम्भ हुई तथा कर्म से विद्या का अधिक महत्त्व समझा और घोषित किया गया। उपलब्ध आरण्यक ग्रन्थों में ऐतरेय, कौशीतकी और तैत्तिरीय हैं, जो उस नाम के ब्राह्मण के ही भाग हैं। पहले दो का सम्बन्ध ऋग्वेद से और तीसरे का कृष्ण-यजुर्वेद से है। उपनिषद ब्राह्मण साहित्य के अन्तिम विकास को सूचित करते हैं और आरण्यकों का अन्तिम रूप उनमें पाया जाता है। उनकी भाषा लौकिक संस्कृत के अत्यन्त निकट है, जिससे ज्ञात होता है कि वे वैदिक युग के समाप्तिकाल की रचनाएँ हैं। उपनिषदों का सम्बन्ध ब्राह्मणों के प्रमुख विषय यज्ञ एवं उसकी विधि से नहीं बल्कि आत्म-विद्या से है, जिसकी सहायता से जीवात्मा ससार से मुक्त होकर विश्वात्मा अथवा ब्रह्म में लीन हो जाती है। सामवेद का छान्दोग्य और शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण उपनिषद हैं। प्रसिद्ध एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उपनिषदों में कठ, ईश, इवेताश्वतर, मैत्रायणीय, तैत्तिरीय, मुण्डक, प्रश्न, माम्बूक्य और केन उल्लेखनीय हैं। इनमें कठ के अतिरिक्त अन्य उपनिषद बुद्ध से अधिक प्राचीन नहीं माने जाते। उत्तर-वैदिक समाज एवं संस्कृति के स्वरूप को निर्धारित करने के लिये उपर्युक्त विविध-विषयक विशाल साहित्य का आश्रय लेना अपरिहार्य है।

पूर्व-वैदिक युग में आर्यों की भौगोलिक परिधि अफगानिस्तान से यमुना-गंगा तक सीमित थी।^१ उनके सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र पर्जाब तथा सरस्वती का तटवर्ती प्रदेश था। किन्तु उत्तर-भौगोलिक विस्तार वैदिक युग तक आर्यों की भौगोलिक सीमा में अति-दृश्य विस्तार दिखाई देता है। दक्षिण-पूर्व की ओर अग्रेसर आर्यजन गंगा की घाटी में बसने लगे थे और स्थायी-जनपदों की

१. ऋ० १० ७५ ६ गंगा का एकाकी उल्लेख यहीं हुआ है।

स्थापना भी होने लगी थी। ऋग्वेद के प्रतापी भरत-जन अस्तित्वहीन हो चुके थे। पुराने पंचजनो की ख्याति का भी लोप हो चुका था।^१ इस युग में इसे 'ध्रुव मध्यमा दिशि' नाम से अभिहित किया गया है।^२ इस प्रदेश में निवास करने वाले जनों में कुरु पंचाल प्रमुख थे। ये सम्मिलित राष्ट्र प्रतीत होते हैं क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में कुरु पंचाल का उल्लेख साथ-साथ हुआ है। दूसरे, प्रारम्भ में ये दोनों एक ही नरेश द्वारा शासित होते थे।^३ ब्राह्मण ग्रन्थों में इनकी प्रकृष्ट प्रशंसा की गई है। कुरु-पंचाल के राजा राजसूय यज्ञ करते थे।^४ शीतकाल में वे दिग्विजय करते थे तथा ग्रीष्म में घर लौट आते थे।^५ उनकी यज्ञविधि सर्वोत्तम मानी जाती थी।^६ उपनिषत्काल तक कुरु-पंचाल के ब्रह्मण एवं राजन्य अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता के लिए विश्रुत हो गये थे। इस प्रदेश के निवासी अपने उच्चारण की शुद्धता के लिये प्रसिद्ध थे। सहिताओ एवं ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना भी अधिकांशतः कुरु-पंचाल के विद्वानों द्वारा की गई।^७ कुरुक्षेत्र की सीमा का संकेत करते हुये तैत्तरीय आरण्यक में कहा गया है कि इसके उत्तर में तूष्णं, दक्षिण में छाण्डव और पश्चिम में परीण की स्थिति थी।^८ महाभारत में कुरुक्षेत्र को सरस्वती और दशद्वती के बीच का भूभाग माना गया है। कुरु जनपद की भौगोलिक स्थिति का संकेत करने वाले विविध प्रसंगों के समवेत अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि स्थूलतः वर्तमान थानेश्वर, दिल्ली और गंगा-घाटी का ऊपरीभाग कुरु जनपद के अन्तर्गत था।^९ जैसा कि नाम से ही संकेतित है, पंचाल जन के अन्तर्गत कृवि, तुवंश, केशिन, सजय और सोमक ये पांच जन सम्मिलित

१. यास्क ने पंचजना का अर्थ 'चत्वारो वर्णा निपादस्तुपचम' किया है।

द्र० निरुक्त ३८

२. ऐत० ब्रा० ८ ३

३. ऐत ब्रा० ८ १४

४. शत० ब्रा० ५ ५ २ ३

५. तै० ब्रा० १ ८ ४ १-२

६. शत० ब्रा० १ ७ १८

७. वैदिक एज, पृ० २५३

८. तै० भार ५ १

९. राय चौधुरी, पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ एन्शयेन्ट इण्डिया, पृ० २२

थे ।^१ पंचाल जनपद के अन्तर्गत वरेली, वदायू, फर्रुखाबाद तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कुछ अन्य पड़ोसी जिले सम्मिलित थे ।^२ कुरु जनपद की राजधानी आसन्दीवन्त थी । यही परीक्षित पुत्र जनमेजय का अभिषेक और अश्वमेध सम्पन्न हुआ ।^३ कुरु-पचालो के अन्य प्रमुख नगर परिव्रका, काम्पिल्ल और कौशाम्बी थे । कौशाम्बी तो हस्तिनापुर की बाढ से विनष्ट होने के पश्चात् निचक्षु के काल में कुरु-जनों की राजधानी भी बनी ।^४ सम्भव है छान्दोग्य उपनिषद में उल्लिखित मटची के प्रकोप से उत्पन्न अकाल की स्थिति के कारण भी राजधानी का परिवर्तन हुआ हो । निचक्षु कालीन बाढ एव तज्जन्य विनाश का संकेत हस्तिनापुर के उत्खनन से भी मिलता है ।^५ ऐतरेय ब्राह्मण (८ १४) में वशो एव उशीनरों को कुरु-पचालो का पड़ोसी माना गया है तथा इनकी स्थिति भी मध्यदेश में स्वीकार की गई है । गोपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख उदीच्यों के साथ हुआ है ।^६ इससे प्रकट है कि इनकी स्थिति मध्यदेश के उत्तरी भाग में कहीं थी । कुरु-पचाल, वश और उशीनर के साथ ही मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है ।^७ मत्स्य तथा उनके पड़ोसी शात्व राजस्थान में वर्तमान जयपुर, भरतपुर और अलवर के प्रदेश में निवास करते थे ।^८

पूर्ण की ओर काशी, कोशल और विदेह तक वैदिक सस्कृति का विस्तार हो चुका था । उपनिषदयुगीन विदेह में ब्रह्मविद्या के अनेक प्रकारण्ड परिणत हुए । स्वयं विदेह-नरेश जनक अपनी विद्वता के लिए दूर-दूर तक विख्यात थे । शतपथ ब्राह्मण में विदेह-माथव-और गोतम राहूगण द्वारा कोशल और विदेह के उपनिवेशन की महत्वपूर्ण घटना का जिस प्रकार उल्लेख हुआ है

१ ब्रह्म पुराण १३ ६४

२ पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ एन्डयेन्ट इण्डिया, पृ० ७०

३ ऐत० ब्रा० २६ ७ शत० ब्रा० १३ ५, ४ २

४ दृष्टव्य, पार्जोटर, डाइनेस्टीज ऑफ दि कलि एज, पृ० ५

५ ऐन्डयेन्ट इण्डिया न० १०-११, पृ० १४

६ गो० ब्रा० २, ६ जिमर महोदय ने इसके आधार पर इन्हें उत्तर-पश्चिम का निवासी माना है तथा रामप्रसाद चन्दा ने बाहलीक का ।

७ कौपीतिकी उपनिषद ४ १

८ पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ एन्डयेन्ट इण्डिया, पृ० ६६-६७

उससे प्रतीत होता है कि अपने पूर्वान्निमुख प्रसार के समय आर्यों को गंगा की घाटी के दीर्घारण्यो को विदग्ध करना पड़ा था ।^१ प्रसार की इस प्रक्रिया में कोशल का आर्यीकरण विदेह के पूर्व सम्पन्न हुआ होगा । सदानोरा इन दोनों जनपदों के बीच सीमा थी । काशी, कोशल और विदेह के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे और किसी समय इन तीनों का एक ही पुरोहित होता था ।^२ काशी का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद की पौष्पलाद शाखा में उपलब्ध होता है ।^३ जनक का समकालीन काश्य अजातशत्रु भी दार्शनिक विवाद में विदग्ध था । मगध और अंग का पूर्ण आर्यीकरण अभी नहीं हो सका था । यही कारण है कि अथर्ववेद में तक्ष्मन (ज्वर) को पूर्व में मगध और अंग की ओर जाने के लिए कहा गया है ।^४ इसी प्रकार अथर्ववेद के ब्राह्मणों में मागधी का सम्बन्ध ब्राह्मणों से बताया गया है ।^५ ऐतरेयारण्यक में वज्र, वगध (मगध) और चेर के निवासियों को पक्षी कहा गया है जिसका साकेतिक अर्थ अनार्य प्रतीत होता है ।^६ पुण्ड्र, वंग और कर्लिंग जैसे प्रदेशों को चतुर्थ सदी ई० पू० तक अनार्य एवं अपवित्र समझा जाता था, इसीलिये बौधायन धर्मसूत्र में इन प्रदेशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये प्रायश्चित्त का विधान है ।^७ मगध में वैदिक संस्कृति का प्रवेश निश्चित रूप से छठी सदी ई० पू० के कुछ पहले हो चुका था क्योंकि इस प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने अपने उपदेश मागधी या प्राकृत में दिए, जिनका विकास वैदिक संस्कृत भाषा से हुआ था । इन प्रदेशों में दीर्घकाल तक ब्राह्मण धर्म एवं विचारों की दुर्बलता का कारण समुन्नत स्थानीय परम्पराओं की सशक्तता को माना जा सकता है ।

१ शत० ब्रा० १ ४ १ १० इसी प्रकार महाभारत में खाण्डव वन को जला कर हस्तिनापुर को बसाने का उल्लेख है ।

२ शाखायन श्रौत सूत्र १६ २९. ५

३. द्र०, वैदिक इण्डेक्स, २ ११५

४ अथर्ववेद ३. २२ १४

५. अथर्ववेद १५ २. १-४

६ ऐतरेय आरण्यक २ १ १ इमं प्रजा ... गगावगाधाश्चेरपादा अकर्म-
भीतो विद्मिश्च

७. बौधायन धर्मसूत्र १ १ २ १४

दक्षिण के प्रसंग में ऐतरेय ब्राह्मण में सत्वतो का उल्लेख है। सत्वत लोग उत्तर वैदिक युग में मध्यदेश के दक्षिण में निवास करते थे। महाभारत में पञ्चाल की दक्षिणी सीमा चर्मण्वती (चम्बल) तक बताई गई है।^१ अतः सम्भावना इस बात की है कि सत्वत लोग चर्मण्वती के दक्षिण में निवास करते थे।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में इन लोगों में भोज्य शासन प्रणाली के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में आर्यों का परिचय विदर्भ से भी था ऐतरेय ब्राह्मण में भीम वैदर्भ का उल्लेख है जिन्होंने ऋषि नारद और पर्वत से उपदेश प्राप्त किया।^३ प्रश्नोपनिषद् में भार्गव वैदर्भिका वर्णन है जो पैप्पलाद ऋषि के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गये थे।^४ उनके नाम से स्पष्ट है कि वे भृगुवशी थे तथा विदर्भ के निवासी थे। बृहदारण्यक उपनिषद् में विदर्भ के कौण्डिनेय को प्रारम्भिक उपदेशकों में स्थान दिया गया है।^५ जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में भी विदर्भ का उल्लेख है।^६ विदर्भ के अन्तर्गत वर्तमान बरार और उसके समीप स्थित वर्धा और बैन गंगा के बीच का भूभाग था। विदर्भ से आर्यों का घनिष्ठ परिचय तथा इस प्रदेश का वैदिक ऋषियों एवं ब्रह्म-विद्या आदि के साथ उल्लेख इस बात का सकेतक है कि उत्तर-वैदिक युग में आर्यों का प्रवेश न्यूनाधिक रूप से विन्ध्य के दक्षिण में भी हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण (३ २.१ २) में नाड नामक राजा का विरुद 'नैषधि' बताया गया है। सम्भवतः वह नैषध देश का निवासी था। नैषध की स्थिति भी

१ महाभारत १ १३८. ७४ दक्षिणाश्चापि पाञ्चालात् यावच् चर्मण्वती नदी ।

२ पोलिटिकल हिस्टरी आफ एन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० ६० ।

३ ऐत० ब्रा० ७ ३४

४. प्रश्नोपनिषद् १ १

५ बृहदारण्यक उपनिषद् २ ५ २२, ४ ५ २८

६ द्रष्टव्य, वैदिक इन्डेक्स २ ४४० प्राचीन अनुश्रुतियों में दक्षिण की ओर जाने वाले ऋषियों में अगस्त्य अग्रणी माने गये हैं। ऋग्वेद में अगस्त्य और लोपामुद्रा का वार्तालाप है तथा महाभारत में अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा को विदर्भ राज की कन्या कहा गया है। यदि यह कथानक सत्य है तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक युग में ही आर्यों के कुछ समूहों का प्रवेश विदर्भ जैसे सुदूरस्थ प्रदेशों में हो गया था।

उससे प्रतीत होता है कि अपने पूर्वाभिमुख प्रसार के समय आर्यों को गंगा की घाटी के दीर्घारण्यो को विदग्ध करना पड़ा था ।^१ प्रसार की इस प्रक्रिया में कोशल का आर्यीकरण विदेह के पूर्ण सम्पन्न हुआ होगा । सद्धानीरा इन दोनों जनपदों के बीच सीमा थी । काशी, कोशल और विदेह के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे और किसी समय इन तीनों का एक ही पुरोहित होता था ।^२ काशी का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद की पैपलाद शाखा में उपलब्ध होता है ।^३ जनक का समकालीन काश्य अजातशत्रु भी दार्शनिक विवाद में विदग्ध था । मगध और अग का पूर्ण आर्यीकरण अभी नहीं हो सका था । यही कारण है कि अथर्ववेद में तक्मन (ज्वर) को पूर्व में मगध और अग की ओर जाने के लिए कहा गया है ।^४ इसी प्रकार अथर्ववेद के ब्राह्मणों में मागधी का सम्बन्ध ब्राह्मणों से बताया गया है ।^५ ऐतरेयारण्यक में गश, वगध (मगध) और चेर के निवासियों को पक्षी कहा गया है जिसका साकेतिक अर्थ अनार्य प्रतीत होता है ।^६ पुण्ड्र, गंग और कलिग जैसे प्रदेशों को चतुर्थ सदी ई० पू० तक अनार्य एव अपवित्र समझा जाता था, इसीलिये बौधायन धर्मसूत्र में इन प्रदेशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये प्रायश्चित्त का विधान है ।^७ मगध में वैदिक सस्कृति का प्रवेश निश्चित रूप से छठी सदी ई० पू० के कुछ पहले हो चुका था क्योंकि इस प्रदेश में जैन एव बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने अपने उपदेश मागधी या प्राकृत में दिए, जिनका विकास वैदिक सस्कृत भाषा से हुआ था । इन प्रदेशों में दीर्घकाल तक ब्राह्मण धर्म एव विचारों की दुर्बलता का कारण समुन्नत स्थानीय परम्पराओं की शक्तता को माना जा सकता है ।

१. शत० ब्रा० १ ४ १ १० इसी प्रकार महाभारत में खाण्डव वन को जला कर हस्तिनापुर को बसाने का उल्लेख है ।

२. शाखायन श्रौत सूत्र १६ २६. ५

३. द्र०, वैदिक इण्डेक्स, २ ११५

४. अथर्ववेद ३. २२ १४

५. अथर्ववेद १५. २ १-४

६. ऐतरेय आरण्यक २ १. १ इम प्रजा * गगावगाधाश्चेरपादा अकर्म-भीतो विविश *

७. बौधायन धर्मसूत्र १ १ २ १४

दक्षिण के प्रसंग में ऐतरेय ब्राह्मण में सत्वतों का उल्लेख है। सत्वत लोग उत्तर वैदिक युग में मध्यदेश के दक्षिण में निवास करते थे। महाभारत में पंचाल की दक्षिणी सीमा चर्मण्वती (चम्बल) तक बताई गई है।^१ अतः सम्भावना इस बात की है कि सत्वत लोग चर्मण्वती के दक्षिण में निवास करते थे।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में इन लोगों में भोज्य शासन प्रणाली के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दक्षिण में आर्यों का परिचय विदर्भ से भी था ऐतरेय ब्राह्मण में भीम वैदर्भ का उल्लेख है जिन्होंने ऋषि नारद और पर्वत से उपदेश प्राप्त किया।^३ प्रश्नोपनिषद में भार्गव वैदर्भिका वरुण है जो पौष्पलाद ऋषि के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गये थे।^४ उनके नाम से स्पष्ट है कि वे भृगुवशी थे तथा विदर्भ के निवासी थे। बृहदारण्यक उपनिषद में विदर्भ के कौण्डिनेय को प्रारम्भिक उपदेशकों में स्थान दिया गया है।^५ जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में भी विदर्भ का उल्लेख है।^६ विदर्भ के अस्तंगंत वर्तमान बरार और उसके समीप स्थित वर्धा और चैन गंगा के बीच का भूभाग था। विदर्भ से आर्यों का घनिष्ठ परिचय तथा इस प्रदेश का वैदिक ऋषियों एवं ब्रह्म-विद्या आदि के साथ उल्लेख इस बात का सकेतक है कि उत्तर-वैदिक युग में आर्यों का प्रवेश न्यूनाधिक रूप से विन्ध्य के दक्षिण में भी हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण (३२.१२) में नाड नामक राजा का विरुद 'नैषधि' बताया गया है। सम्भवतः वह नैषध देश का निवासी था। नैषध की स्थिति भी

१ महाभारत १ १३८. ७४ दक्षिणावचापि पाञ्चालात् यावच्च चर्मण्वती नदी।

२ पोलिटिकल हिस्टरी आफ एन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० १०।

३ ऐत० ब्रा० ७ ३४

४ प्रश्नोपनिषद १ १

५ बृहदारण्यक उपनिषद २ ५ २२, ४ ५ २८

६ द्रष्टव्य, वैदिक इन्डेक्स २ ४४० प्राचीन अनुश्रुतियों में दक्षिण की ओर जाने वाले ऋषियों में अगस्त्य अग्रणी माने गये हैं। ऋग्वेद में अगस्त्य और लोपामुद्रा का वार्तालाप है तथा महाभारत में अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा को विदर्भ राज की कन्या कहा गया है। यदि यह कथानक सत्य है तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक युग में ही आर्यों के कुछ समूहों का प्रवेश विदर्भ जैसे सुदूरस्थ प्रदेशों में हो गया था।

विदर्भ के समीप ही रही होगी । ऐतरेय ब्राह्मण में अन्यत्र विन्ध्य पर्वतमाला तथा उसके दक्षिण में बसने वाली आर्येतर जातियों का भी उल्लेख है ।^१ इस प्रसंग में यह बताया गया है कि विश्वामित्र के जिन पुत्रों ने शुन,शेष को अपना बड़ा भाई मानते थे इनकार किया उन पचास पुत्रों को पिता के शाप के कारण आन्ध्र, मूर्तिव, शबर तथा पुलिन्द आदि म्लेच्छ जातियों में परिणत होना पड़ा । आन्ध्रों की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में निश्चायक ढंग से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता है । डा० स्मिथ का यह विश्वास है कि आन्ध्र लोग सुदूर अतीत से ही गोदावरी और कृष्णा के मुहाने के समीप निवास करते थे । पी० टी० श्रीनिवास आयंगर ने आन्ध्रों को मूलतः विन्ध्य-प्रदेश में निवास करनेवाली जाति माना है जो परवर्ती युगों में गोदावरी और कृष्णा की घाटी में जा बसी ।^२ उनका यह मत अधिक ब्राह्मण प्रतीत होता है क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में शबर पुलिन्द आदि जिन जातियों के साथ आन्ध्रों का उल्लेख हुआ है वे मध्य प्रदेश में रहने वाली जातियाँ हैं । मत्स्य और वायु पुराण में शबर और पुलिन्दों को 'दक्षिण-पथ वासिन' कहा गया है ।^३ इन लोगों की स्थिति आधुनिक ग्वालियर, रायपुर, सम्बलपुर और गजाम आदि स्थानों के आस-पास रही होगी ।^४ पुलिन्द लोगों की राजधानी दशार्ण के दक्षिण पूर्ण में स्थित थी ।^५ इनका निवास वर्तमान बुन्देलखण्ड में दसान नदी के तटवर्ती प्रदेश में था ।^६ मूर्तिवों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन है । शाखायन श्रौतसूत्र में इन्हें मूवीय कहा गया है ।^७ नाम-साम्य के आधार पर डा० रायचौधुरी इन्हें मुसी नदी के समीप का निवासी मानते हैं ।^८ प्रमाणों के अभाव के कारण उन्होंने इस सम्भावना को स्वयं सन्दिग्ध माना है ।

१ ऐत० ब्रा० ७ १८

२ इण्डियन एण्टिक्वेरी, पृ० २७६-७८ (१९१३)

३. मत्स्य, ११४ ४६-४८, वायु ४५ १२६

४. जे० ए० एस० बी, पृ० २८६ (१८६०) इण्डियन एण्टिक्वेरी, पृ० २८३ (१८७९)

५. महाभारत २ ५ १०

६. जे० ए० एस० बी० पृ० २५३ (१८६५)

७ शाखा० श्रौ० सू० १५.२६, ६

८. पोलिटिकल हिस्टरी आफ एन्डयेन्ट इण्डिया, पृ० ६४

उत्तर-वैदिक युग तक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण हम आर्थिक विकास में नवीन गति और दिशा पाते हैं। आर्य लोग अब स्थायी ग्रामों एवं जनपदों में रहने लगे थे।^१ विजित उर्वर प्रदेशों उत्तर वैदिक ग्राम में ग्राम की स्थापना होने लगी थी। विजेता के रूप में विस्तृत उर्वर भूमि पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास का क्रम स्वभावतः तीव्रतर हुआ। ग्राम आर्थिक व्यवस्था के केन्द्र बने तथा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक व्यवसायों और उद्योगों का विकास हुआ। दक्षिण-पूर्व की ओर गतिशील आर्यों को वनों को साफ करके अपने ग्रामों की स्थापना करनी पड़ी थी। इन्हीं वनों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाना पड़ता था। उत्तर-वैदिक साहित्य से उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र और अरण्य आस-पास हुआ करते थे। शतपथ ब्राह्मण में दीर्घारण्यो का उल्लेख हुआ है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्वी भारत के वनों का वर्णन है^३ जिनका धीरे-धीरे विनाश किया जा रहा था। अनेक प्रसंगों से ऐसा प्रतीत है कि छोटे-छोटे ग्राम बड़े ग्रामों में तथा बड़े ग्राम नगरों में विकसित हो रहे थे। यजुर्वेद संहिता तथा ब्राह्मणों में महापुरों का उल्लेख मिलता है।^४

ग्राम के अन्तर्गत निवास भूमि के अतिरिक्त कृषि-योग्य भूमि तथा गौचर भूमि का सन्निवेश था भूमि के स्वामित्व के भूमि सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने विस्तारश विचार किया है।^५ ऋग्वेद के ही अनेक मन्त्रों से निवास-भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व की पुष्टि होती है।^६ इस प्रसंग में गृहपति और गृहपत्नी

१ शत० ब्रा० ४ १ ५ २-७ में शर्यात मानव को अपने ग्राम के साथ घूमने वाला बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि अपवानस्वरूप कुछ जन-समूह अब भी यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे।

२ शत० ब्रा० १३ ३ ७ ११

३. ऐत० ब्रा० ३ ४४

४ तै० सं० ६ २ ३, १, काठ० सं० २४ १०, मैत्रा० सं० ३. ८ १, ऐत० ब्रा० १ २३ २, गो० ब्रा० २ २ ७।

५ विस्तृत अध्ययन के लिए द्रष्टव्य—मेन, हिन्दू ला, वेडेन पावेल, इण्डियन विसेज कम्युनिटी।

६ ऋ० ८, ५४ तथा ५५।

शब्द भी उल्लेखनीय हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में तो स्पष्टतः क्षेत्र एवं आयतन की व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में परिगणित किया गया है।^१ मेन महोदय ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भूमि के रूप में स्थावर सम्पत्ति पर पहले पचायतो का सामूहिक अधिकार होता था तथा बाद में इन सामूहिक अधिकारों में से पृथक् पृथक् अधिकारों की उत्पत्ति हुई। पहली अवस्था सामुदायिक स्वामित्व की थी और इसके पश्चात् वैयक्तिक स्वामित्व का जन्म हुआ।^२ वेडेन पावेल महोदय ने भूसम्पत्ति की ऐतिहासिक विवेचना करते करते हुए सतर्क सिद्ध किया है कि वैदिक युग में सामूहिक स्वामित्व का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता।^३ वैदिक साहित्य में भूमि-सम्पत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व के सूचक अनेक प्रबल प्रमाण उपलब्ध हैं। कृषि योग्य भूमि पर भी ऋग्वेदिक युग से ही वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकृत हो चुका था। यह बात ऋग्वेद में क्षेत्र पति, क्षेत्र पत्नी, क्षेत्र-जेषा, क्षेत्रजय आदि शब्दों के अनेक उल्लेख से स्पष्ट है।^४ ऋक्सूक्तों के एक प्रसंग के अनुसार अपाला ने इन्द्र से तीन वर मागे थे—मेरे पिता का सिर गंजा है, उसमें बाल पैदा करो, उसका खेत ऊसर है उसमें अन्न पैदा करो और मेरा त्वग्दोष दूर करो।^५ परवर्ती संहिताओं में क्षेत्र-विजय के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^६ तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि पड़ोसी के साथ भूमि सम्बन्धी कलह होने पर इन्द्र और अग्नि की आहुति देनी चाहिए।^७ विचारार्ह है कि अनायों के विशाल भूभागों के अपहरण तथा अनायों नगरों एवं अरण्यों के विध्वंस की प्रक्रिया में आर्यों ने इन्हीं देवताओं से प्रेरणा एवं साहाय्य के लिए निवेदन किया। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने यह दावा किया है कि वैदिक वाङ्मय में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व का कोई उल्लेख नहीं है तथा

१ छा० उप० ७ २४.२।

२ हिन्दू ला, पृ० ३१७-१९।

३ इण्डियन विलेज कम्यूनिटी (१८९९)

४ ऋ० १ ३३ १५, ४ ५७ १-२, ७ ५५ १०, १० ६६ १-३, ६ २०१ इत्यादि।

५ ऋ० ८.९१ ५-६, इमानि श्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय, सिरस्ततो-
र्गरामादिद म उपोदरे।

६. तै० स० ३ २ ८.५, काठ० स० ५.२, मै० स० ४ १२.३

७. तै० स० १.२.१

इसके विपरीत वैयक्तिक स्वामित्व पूर्णतया प्रमाणित है।^१ यह मत अधिकांशतः सत्य होते हुये भी निरपवाद नहीं है क्योंकि निवास-भूमि तथा कृषि-योग्य भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व अवश्य स्थापित हो चुका था किन्तु गोचर भूमि पर नहीं।^२ व्यक्तिगत गोचर-भूमि का उल्लेख सर्वथा अनुपलब्ध है। ऋ० १०.१९.३-४ में ग्राम के सभी पशुओं का एक ही व्यक्ति के संरक्षण में साथ साथ चरने का उल्लेख है। धर्मसूत्रों तथा अर्थशास्त्र में भी गोचर भूमि को ग्रामवासियों के सामूहिक उपयोग की वस्तु माना गया है। विशेषतः उत्तर-वैदिक युग में, जब कि अरण्यानी से आच्छन्न विस्तृत भूभाग खाली पड़े थे, गोचर भूमि को अधिकृत करने के व्यक्तिगत प्रयास का प्रश्न नहीं उठता।

ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ-तत्र भू-सम्पत्ति के लेन-देन का विरोध संकेतित है किन्तु अनेक प्रसंगों में स्पष्ट रूप से यज्ञ का सम्पादन करनेवाले पुरोहिता को दान में भूमि देने का वर्णन हुआ है।^३ शतपथ ब्राह्मण में गार्हपत्य अग्नि के प्रसंग में इस बात का संकेत है कि क्षत्रिय लोग राजा द्वारा प्रदत्त भूमि का विभाजन पारस्परिक समझौते के आधार पर करते थे।^४ ऋक्संहिता (१०.३४) में जुहारी द्वारा द्यूत में सब धन दाव पर लगा देने का उल्लेख है जिसमें उसका घर भी शामिल है। इन प्रमाणों की पृष्ठभूमि में भूमि के हस्तान्तरण का प्रचलन सिद्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद् में क्षेत्र और आयतन को व्यक्तिगत सम्पत्ति माना गया है जिनका हस्तान्तरण पूर्णतः सम्भव था।^५

वैदिक साहित्य में राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार सूचित करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है। पूर्ववैदिक काल में राजा को जनता से केवल कर प्राप्त होता था।^६ वह ग्राम की भूमि का भूमि पर राजकीय प्रभुत्व अधिकारी नहीं था। ग्राम की भू-सम्पत्ति पर ग्रामवासियों का ही अधिकार था। अथर्ववेद (४.२२.२) में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह राजा को ग्राम में भाग दिलाये।

१. वैदिक इण्डेक्स १.१००

२. एन० सी० बन्धोपाध्याय, इकोनोमिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्शेन्ट इण्डिया, पृ० ११४।

३. शत० ब्रा० १३.६२.१८, १३.७.१.१३ और १५।

४. शत० ब्रा० ७.१.१४।

५. छा० उप० ७.२४.२।

६. ऋ० १०.१७३।

इससे स्पष्ट है कि उत्तर-वैदिक युग के पूर्वार्द्ध में भी ग्राम की सम्पूर्ण भूमि राजा के प्रभुत्व के अन्तर्गत नहीं मानी जाती थी। सम्भवतः ग्रामवासियों द्वारा कुछ भूमि राजा एवं राजकर्मचारियों के भरण-पोषण के लिए दी जाती थी। यदि राजा सम्पूर्ण भू सम्पत्ति का स्वामी होता तो फिर इस प्रकार की प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्य तो यह है कि वैदिक युगमें भूमि सम्पत्ति विस्तृत थी तथा उसकी तुलना में जनसंख्या कम थी। जिस व्यक्ति ने भूमि को साफ किया तथा उस पर कृषिकर्म प्रारम्भ किया वही उसका स्वामी बना। राजकीय विधि-नियमों के विकास के अभाव में इस प्रकार की व्यक्तिगत भूमि पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं उठता। इतना अत्रश्य था कि कालक्रम से राजाओं के अधिकार में भी विस्तृत भूभाग आ गये थे। उपनिषद् युग तक ग्रामदान का उल्लेख मिलने लगता है। छान्दोग्य उपनिषद् से ज्ञात होता है कि राजा जनश्रुति पौत्रायण ने रैक्व नामक व्यक्ति जो महावृष में 'रैक्वपर्ण' नामक ग्राम दान में दिया।^१

उत्तर-वैदिक युगीन ग्राम आत्मनिर्भर इकाई के रूप में संगठित थे।^२ इनके निवासी रक्त-सम्बन्ध, समान रीति-रिवाज, समान उद्देश्य एवं सम-

स्याओं के कारण परस्पर सामुदायिकसूत्र में आवद्ध थे। सहयोग एवं सहानुभूति के बिना ग्राम्य-जीवन की सुरक्षा, शान्ति एवं स्वपर्याप्तता सम्भव नहीं

थी। ग्राम की आन्तरिक व्यवस्था ग्राम सभाओं द्वारा की जाती थी। ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। राजसूय के प्रसंग में रत्निन-सूची के अन्तर्गत ग्रामणी का भी उल्लेख हुआ है जिससे उसका राजनैतिक महत्त्व प्रकट होता है। ग्राम्यवादिन गाँव के भगवों को तय करता था। इस प्रकार वैदिक ग्राम स्वशासित एवं आन्तरिक मामलों में पूर्णतः स्वतन्त्र थे। ग्राम्य-जीवन प्रायः सुखी और सम्पन्न था। आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन ग्राम में ही हो जाता था। गाँवों में कृषक, पशुपालक तथा विविधशिल्पों को धारण करनेवाले लोग रहते थे जो वस्तु-विनमय के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पूर्व-वैदिक युग की भांति ही

१. छा० उप० ४२४।

२. छा० उप० ४२, ४

३. इण्डियन विलेज कम्युनिटी, पृ० ६

बहुसंख्यक पशु इस युग में समृद्धि के सूचक थे। पशुपालन और कृषि से भोजन की सामग्रियाँ प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो जाती थी। यजुर्वेद के एक प्रसंगसे तत्कालीन समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि का आभास मिलता है।^१ इस प्रसंग में यह कहा गया है कि अन्न से भठार भरे हैं, पशुओं से गोशालाएँ परिपूर्ण हैं दूध दही आदि रस-पदार्थों का कोई अभाव नहीं है। सभी अभीप्सित सुख सुलभ हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद में परीक्षित के राज्य में रहने वाले लोगों के सुख एवं समृद्धि का उल्लेख हुआ है।^२ इन साहित्यिक उल्लेखों से तथा यज्ञों में व्यय होने वाले प्रभूत धन-धान्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तर-वैदिक युग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और समृद्ध था। गगा-घाटी के उर्वर खेतों तथा चराग हों ने आर्यों के अन्न-धन एवं पशु-धन, दोनों को अधिक समृद्धि प्रदान किया। किन्तु आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हुये भी उत्तर वैदिक समाज भौतिक प्रगति की दृष्टि से काफी पीछे था। आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन की प्रमुखता के कारण नागरिक सम्यता का समुचित विकास नहीं हो सका। व्यापार और वाणिज्य की ओर भी लोगों का ध्यान यथेष्ट रूप से आकर्षित नहीं हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सुख, विलास एवं ऐश्वर्य के उत्तम साधनों का निर्माण नहीं हो पाया। साहित्यिक विवरण तथा हस्तिनापुर कूड आदि स्थानों से उपलब्ध पुरातात्विक सकेतों से उत्तर-वैदिक आर्यों की संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है उससे उनकी भौतिक हीनता चोत्तित होती है।

छठी शताब्दी ई०पू० तक ग्रामीण और आरण्यक वैदिक सम्यता अनेकत्र नगरवासिनी हो गई थी।^३ व्यापार के सुदूर-विस्तृत नगरों का विकासस्थल एवं जल पथों पर यात्रा करने वाले सारथवाहों के उद्यम ने इन नगरों को समृद्धि प्रदान की थी।^४ नागरिक वाणिज्य एवं व्यवसाय श्रेणियों में संगठित थे और इन श्रेणियों के

१. शुक्ल यजुर्वेद ३ ४३

२. अथर्व० २७ १२७ ७-१०

३. द्रष्टव्य—कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इण्डिया, जिल्द १, पृ० १८६, इको-नॉमिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्क्येन्ट इण्डिया, जिल्द १, भाग ३, ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म, पृ० ३१४-१५।

४. व्यापार पथों एवं सारथवाहों पर, द्रष्टव्य—राइज डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १०३-१०५, मोतीचन्द, सारथवाह।

प्रधान श्रेष्ठी समाज में तथा राजभवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे।^१ वृद्ध के युग में भारतीय सस्कृति द्रव्य के युग में अवतीर्ण हो रही थी। यह श्रमणों का ही नहीं श्रेष्ठियों का युग था। चम्पा के मेरुडक, श्रावस्ती के अनाथ-पिण्डक और कौशाम्बी के धोपक इन घनाढ्य श्रेष्ठियों के कुछ ज्वलन्त उदाहरण हैं। बौद्ध युग में नागरिक जीवन का यह सुविकसित स्वरूप आकस्मिक नहीं हो सकता। नगरों के विकास की प्रक्रिया निश्चित रूप से उत्तर वैदिक युग में ही प्रारम्भ हो चुकी होगी। जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में जानश्रुतेय को नगरिन (नगर-वासी) कहा गया है।^२ इसके अतिरिक्त उत्तर-वैदिक साहित्य में काम्पील^३, परिचक्रा^४, कौशाम्बी^५, अयोध्या^६ आदि नगरों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में नगर-रक्षक परिखा का भी वर्णन है।^७ वैदिक साहित्य की धार्मिक प्रकृति के कारण तत्कालीन-नगर व्यवस्था एवं निर्माण पद्धति के विषय में विशेष सूचना नहीं मिलती किन्तु पुरातात्विक प्रमाणों से यह सकेतिक है कि इस युग में गंगा की घाटी-में नगरों के अभ्युदय का जो इतिहास प्रारम्भ हुआ उसके निर्माण में सैन्धव परम्पराओं का महत्वपूर्ण योग था। कौशाम्बी की निर्माण-पद्धति पर हरप्पा परम्पराओं का प्रभाव स्पष्टतः दृष्ट है।^८ कौशाम्बी में नगर-रक्षक प्राचीर तथा मेहरावों का निर्माण प्रारम्भिक स्तरों में पूर्णतः हड़प्पा-पद्धति पर हुआ है।

ऋग्वेद तथा जेन्द-प्रवेस्ता के साक्ष्य का समवेत अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि हिन्द-इरानी युग में ही खेती आर्यों का महत्वपूर्ण व्यवसाय

१ श्रेष्ठियों पर द्रष्टव्य मजुमदार, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्कयेन्ट इण्डिया।

२ जै० उप० ब्रा० ३ ४० २

३ तैत्तिरीय संहिता, ७ ४ १६, मंत्रायणी संहिता, ३ १२.२०

४ शत० ब्र० १३ ५ ४ ७

५ ऐत० ब्रा० ८ १४ शत० ब्रा० १२ २ २ १३

६ ऐत० ब्रा० ७ ३ १

७ शत० ब्रा० ७ १ १ १३

८ एक्सकेवेसन्स ऐट कौशाम्बी, पृ० १४

वन चुका था।^१ किन्तु पूर्व-वैदिक युग में हम कृषि का महत्त्व पशुपालन की अपेक्षा गौण पाते हैं। इसका प्रधान कारण

कृषि ऋग्वैदिक आर्यों का अव्यवस्थित एवं अटनशील जीवन था। उन्हें कृषि के लिए ऐसी सुविधाएँ प्राप्त

नहीं थी जो उत्तर वैदिक युग में स्थायी जीवन प्रारम्भ करने के पश्चात् मिली। उत्तर-वैदिक युग तक समाज में कृषि का महत्त्व बढ़ने लगा था जो स्थायी ग्रामीण सम्यता के लिये सर्वथा स्वाभाविक था। कृषि के द्वारा उत्पन्न अन्न को ही लोग सम्पूर्ण जगत का पालक मानने लगे थे। तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार 'अन्न ही ब्रह्म है। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही सबका जीवन चलता है। विनष्ट होकर सभी अन्न में मिल जाते हैं तथा अन्न में ही एकरूपता प्राप्त करते हैं।^२ उपनिषदों में अधिक अन्न उत्पन्न करने का सन्देश (अन्न बहु कुर्वीत) सर्वप्रथम सुनाई देता है।

पुरोहितों तथा युद्धकर्मी राजान्यों को छोड़ सभी लोग कृषि-कर्म में योग देते थे। खेती में अधिकाराशत वैश्य लोग प्रवृत्त थे इसीलिए अष्टा वैश्यों का चिह्न चतुर्बाहुता था।^३ कृषि-कार्य में शूद्रों के श्रम का भी पर्याप्त उपयोग होता था। ये शूद्र सम्पन्न एवं सम्भ्रान्त लोगों की भूमि पर काम करते थे तथा यदा कदा भूमि सहित दान में भी दे दिये जाते थे।^४ सम्भव है कि कुछ धनी शूद्र व्यक्तिगत भूमि पर भी कृषि कर्म करते रहे हों। वेडेन पावेल महोदय की यह कल्पना कि वैदिक समाज में कृषि-कर्म अनार्य श्रमजीवियों द्वारा होता था^५, सत्याश मात्र प्रतीत होती है क्योंकि, जैसा कि देखा जा

१ कृषि का हिन्द-ईरानी युग से ही प्रचलित होना ऋक्संहिता के 'यवम् कृषि' और अथर्ववेद के 'यवो करेश' की समानता से प्रकट होता है। ऋग्वेद १० ३४ १३ में कृषि-कर्म की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख हुआ है।

२. तै० उप० ३ ३

३. काठकसंहिता ३७ १

४ दाक्षायन श्रौत सूत्र—'सहपुरुषा च दीयते'। कात्यायन श्रौत सूत्र २२ १० में उल्लिखित 'भूमिशूद्र वर्जनम्' भी आशिक रूप से इस प्रथा के प्रचलन का संकेतक है।

५ इण्डियन विलेज कम्यूनिटीज, पृ० १८०

चुका है, हिन्द-ईरानी युग से ही आर्यों में कृषि-कर्म की स्वस्थ परम्परा थी। ऋग्वेदिक युग में भी कृषि कर्म विकासोन्मुख था तथा कृषक-जीवन समादृत। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वैदिक आर्यों के प्रवेश के पूर्व उत्तरी भारत में जो जातियाँ रहती थी उनमें भी कृषि-कर्म का सन्तोषजनक विकास हुआ था। उन्होंने भी अपने अनुभव और ज्ञान के द्वारा उत्तर-वैदिक युगीन कृषक जीवन को समृद्ध किया। सिन्धु प्रदेश के उत्खनन में गेहूँ के जो नमूने उपलब्ध हुए हैं वे जगली नहीं हो सकते। यहाँ की विशाल जनसंख्या के पोषण के लिए पर्याप्त अन्न की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति समुन्नत कृषि कर्म के बिना सम्भव नहीं थी। यहाँ की उर्वर भूमि तथा वर्षा की प्रचुरता निश्चय ही उत्पादन की वृद्धि में सहायक हुई होगी। कृषि-कर्म के निमित्त यहाँ के निवासी हल का प्रयोग करते थे या नहीं, यह प्रायः अनिश्चित है क्योंकि उत्खनन से यहाँ इस प्रकार के किसी उपकरण का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सम्भव है काष्ठ निमित्त होने के कारण काल प्रवाह में वे नष्ट हो गये हों। तत्कालीन सुमेर में कृषि कर्म हल और बैल की सहायता से ही होता था। हम जानते हैं कि सुमेरियन एवं सैन्धव सस्कृति के निर्माताओं का भौतिक जीवन में बड़ी समानता थी। ऐसी स्थिति में सैन्धव जन कृषि-कार्य के लिये हल और बैल का प्रयोग करते होंगे, यही अनुमान अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, गंगा घाटी के निपाद भौतिक दृष्टि से अधिकसित एवं हल के उपयोग से अपरिचित होते हुए भी आर्यों के आगमन के पूर्व ही खड़ी या कुदाल से भूमि को खोद कर 'कूम' प्रणाली से खेती करने लगे थे।

अवेस्ता में खेती के लिए हल-बैल के प्रयोग का उल्लेख है तथा ऋक्संहिता में भी इस बात की सूचित करने वाले प्रसंग पर्याप्त हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में मेधावी लोगो द्वारा हल चलाने का उल्लेख है।^१ एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि अश्विन देवताओं ने मनु को खेती करना तथा हल चलाना सिखाया।^२ इस ग्रन्थ में बैलो द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख हुआ है।^३ सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में हल का साधारण नाम

१. ऋ० १०१. ४

२. ऋ० १२७. २१

३. ऋ० ६. २०. १६

लागल ग्रथवा सीरे मिलता है। इसके अगले नुकीले भाग को फाल कहते थे जो प्रायः नुकीला और तीक्ष्ण धार वाला होता था। हल की मूठ सम्भवतः लकड़ी की होती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र से इसके चिकने होने का आभास मिलता है।^१ हल में एक लम्बा मोटा बास बँधा होता था जिसे 'ईषा' कहते थे। 'ईषा' के ऊपर जुधा (युग) रखा जाता था। हल खींचने वाले बैलो की सख्या छ, आठ, बारह और चौबीस तक होती थी^२, जिससे हलो के प्रायः बृहदाकार और भारी होने का अनुमान होता है।

कृषि की सफलता के लिए उत्तर-वैदिक समाज में इन्द्र, पूषण, शुन सीरा सीता आदि अनेक देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी। बैलो को हल में जोतने, बीजवपन करने तथा नवान्न को प्रथम बार ग्रहण करने के लिये अनुष्ठानों की व्यवस्था थी। किसान फसल के पक जाने पर उसका संग्रह करते समय देवताओं के प्रति श्रद्धा स्वरूप कुछ अन्न वही छोड़ देता था। कृषि से सम्बन्धित इन धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे दो भावनाएँ थीं। प्रथमतः कृषक प्रकृति के प्रकोप से फसल की रक्षा के लिये देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता था। दूसरे धान्य संचय के समय कृतज्ञता प्रकाशन के लिये वह देवताओं को वलि देता था। वस्तुतः आज की ही भाँति उस युग में भी भारतीय कृषि कर्म प्राकृतिक सकटों से ग्रस्त रहता था। अना-वृष्टि से खेतों की क्षति होती थी अतः अनेकशः वृष्टि के लिये प्रार्थना की गई है।^३ इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि एवं विद्युत्पात से भी खेतों को हानि पहुँचती थी। इन दैवी प्रकोपों से मुक्ति के लिये अथर्ववेद में तत्र मंत्र का उल्लेख हुआ है।^४ उत्तर वैदिक युग में गंगा की घाटी में वैसे कृषकों के लिये बाढ़ भी एक भीषण समस्या रही होगी। पुराणों से ज्ञात होता है कि निचक्षु के समय में गंगा की भीषण बाढ़ से हस्तिनापुर नष्ट-भ्रष्ट हो गया था। इस बाढ़ के चिह्न हस्तिनापुर के उत्खनन से भी प्राप्त हुये हैं।^५ अथर्ववेद में उपक्वस, जम्ब, तथा पतंग आदि कृषिनाशक कीड़ों के नाम दिये गए

१ अथर्ववेद ३ १७ ३

२ काठक संहिता १५ २

३ अथर्ववेद ७ १८ ३६

४ अथर्ववेद ७ १८

५. ऐन्थेन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० १४

हैं जिनसे खेती की रक्षा के लिये अनेक यत्र तथा उपाय बताये गये हैं । छान्दोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि टिड्डियों से फसलकी बड़ी क्षति होती थी । एक बार टिड्डियों के कारण समस्त कुर जनपद अकाल-ग्रस्त हो गया था ।^१

संहिताओं तथा ब्राह्मणों में कृषक-जीवन से सम्बन्धित अनेक कार्यों का उल्लेख मिलता है । शतपथ में कर्षण (जीतना) वपन (बोना) लवन (काटना) तथा मर्दन (माडना) इन चार ही शब्दों में कृषि की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया है ।^२ मर्दन के पश्चात् चलनी (तितउ) अथवा शूर्प की सहायता से अन्न को भूसे से पृथक् किया जाता था ।^३ इसके कर्त्ता को धान्यकृत कहते थे ।^४ अनाज को नापकर उसे सुरक्षित रूप से रखने की व्यवस्था की जाती थी । नापने वाले वर्तन को ऊर्दर कहा जाता था और जिस घर में अनाज रखा जाता था उसे स्थिवि कहते थे ।^५

कृषि की सफलता के लिये सिंचाई के विविध साधन विकसित किये जा चुके थे । अथर्ववेद में वर्षा और कूप के पानी के अतिरिक्त नहरों के पानी का भी उल्लेख हुआ है ।^६ खेतों में पानी पहुँचाने वाली नालियों (कुल्या) का भी उल्लेख हुआ है ।^७ कूप से पानी निकालने के लिये यदा-कदा सम्भवतः रहट (चक्र) का भी प्रयोग होता था । वैदिक आर्यों के निवास-भूमि पञ्जाब और गंगा की घाटी के क्षेत्र (कृषि योग्य भूमि) प्रायः उपजाऊ होते थे । नदियों की बाढ़ से नई मिट्टी आती रहती थी जिससे भूमि की उर्वरा-शक्ति बनी रहती थी । खेतों को प्रायः उनकी उर्वरता के कारण ही उर्वर भी कहा जाता था । फिर भी पैदावार की वृद्धि के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था । शतपथ में गोबर (करीष) की खाद का उल्लेख है ।^८ और अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान माना गया है ।^९

१ छान्दोग्य उप० १० १-३, मटची हतेषु कुरुषु

२ शत० ब्रा० १ ६ २ ३

३ ऋ० १० ७१ २

४ द्रष्टव्य वैदिक इण्डेक्स १.१८२

५ ऋ० १० ६८ ३

६ अथर्ववेद ३ १३

७ ऋ० १०.४३ ७, ३.४५ ३

८ शत० ब्रा० २ १ १.७

९ अथर्ववेद १६ ३१ ३

उत्तर-वैदिक युग तक कृषकों ने विभिन्न प्रकार के अन्न पैदा करना सीख लिया था। ऋक्संहिता में यव और धान्य का उल्लेख है। यव (जौ)

सम्भवत एक विशेष प्रकार का अन्न था,^१ किन्तु

विविध धान्य धान्य अनाजों का साधारण नाम प्रतीत होता है।

यद्यपि सैन्धव-स्थलों के उत्खनन से उनके निवासियों में धान की खेती के प्रचलन का संकेत मिलता है^२ तथापि ऋग्वेदिक आर्य धान की खेती से अपरिचित थे। उत्तर-वैदिक युग में धान की खेती काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। व्रीहि शब्द जो ऋग्वेद में अनुपलब्ध है पिछली संहिताओं में खूब मिलता है। हस्तिनापुर के उत्खनन से भी चावल के दाने और धान की भूसी प्रकाश में आये हैं जिससे धान के विशेष उत्पादन की बात पुष्ट होती है। तैत्तिरीय संहिता में धान के तीन प्रमुख प्रकार बतलाए गये हैं जिन्हें कृष्ण (काला), आशु (शीघ्र पैदा होने वाला) तथा महाव्रीहि (बड़े दानों वाला) कहा गया है।^३ इन भेदों में आशु सम्भवत साठी नामक धान को लक्षित करता है जो साठ दिन में तैयार हो जाता है।

चावल की खेती का प्रचार गंगा की घाटी में आर्यों के प्रवेश के पूर्व ही हो चुका था। श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि प्रोटो आस्ट्रलायड जाति के लोगों को चावल की खेती का ज्ञान बहुत पहले हो चुका था। चावल शब्द ही आर्य-भापा का न होकर मुराडा भापा का है। हम बतला चुके हैं कि आर्यों के आने के पूर्व प्रोटो आस्ट्रलायड जाति के लोग ही गंगा के मैदान में रहते थे। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना अधिक युक्ति-संगत-प्रतीत होती है कि आर्यों ने चावल की खेती करना निपादों से सीखा।

उत्तर-वैदिक साहित्य में यव और व्रीहि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनाजों का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में व्रीहि के अतिरिक्त तदुल

- १ जौ के लिये अवेस्ता में 'येव' और ग्रीक भाषा में 'जेन्न' शब्द पाये जाते हैं जो ऋग्वेदिक 'यव' से समानता रखते हैं। इससे यह सम्भावना होती है कि ऋग्वेद में भी यव शब्द का प्रयोग जौ के ही अर्थ में हुआ है न कि सभी प्रकार के अन्नों के अर्थ में।

२ चाइल्ड—न्यू लाइट धान दि मोस्ट ऐन्वयेन्ट ईस्ट, पृ० २०६

३. सं० सं० १८१०१

(१० ६ २६) का वर्णन हुआ है जो धान का एक दूसरा किस्म प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त इस वेद में भाप (उडद) श्यामाक (सावा), शारि-
शाका (सरसों), गन्ना, तिल, शण आदि का भी उल्लेख हुआ है ।^१
वाजसनेयी संहिता में गोधूम, यव, ब्रीहि, माष, मुदग्, मसूर, तिल श्यामाक,
प्रियगु नीवार आदि की उपज का वर्णन है ।^२ बदर, कुवल, करकन्धु, न्यग्रोध
अश्वत्थ, विल्व, आमलक आदि उपयोगी वृक्षों के नाम भी संहिताओं में
मिलते हैं । यह कहना कठिन है कि ये वृक्ष लगाये भी जाते थे या केवल
जंगली होते थे । न्यग्रोध और अश्वत्थ जैसे वृक्ष तो निश्चय ही जंगली रहे
होंगे । पर्याप्त भूमि अभी कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा सकी थी । ऐसे
जंगली और विना जुते प्रदेशों में भी अन्न और फल उत्पन्न होते थे । ब्रह्म-
चारियों को यह सन्देश दिया गया है कि उन्हें विना जुते भूमि से एकत्रित
अन्न से जीवन बसर करना चाहिये । अनाज बोने की मित्त-मित्त ऋतुओं
का विशिष्ट वर्णन तैत्तिरीय संहिता में हुआ है । फसलों साल में दो बार बोई
जाती थी ।^३ शीतकाल में बोई गई फसल चैत के महीने में पक जाती
थी । बीज बोने का समय जलवायु में विशेष परिवर्तन न होने के कारण
बहुत कुछ आधुनिक युग के समान ही था ।

कृषि के अतिरिक्त पशुपालन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था । कृषि कार्य
में विकास के साथ-साथ पशुओं एवं विशेषतः गाय वँलों की महत्ता में वृद्धि
हो रही थी । वँलों से खेती का काम लिया जाता
पशु पालन था । वे विशेषतः हल जोतने और गाड़ी खींचने के
काम में लाये जाते थे । जवान तथा शक्तिशाली
वँल को वृषभ कहते थे । गाड़ी (अनस) खींचने वाले वँल की अनडवान
संज्ञा थी । वँलों को पालतू और अधिक उपयोगी बनाने के लिये उन्हें बधिया
करने की भी प्रथा थी । ऐसे वँल को महानिरष्ट (Castrated Bull)
कहा गया है ।^४ खास तौर से कृषि सम्बन्धी उपयोगिता के ही कारण गोमांस
भक्षण का भी निषेध होने लगा था । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट घोषणा की
गई है कि गाय और वँल पृथ्वी को धारण करते हैं अतः उनका मांस नहीं

१ अथर्व० १२२ ५४, १८ ३ ६ ६ १७४, ३ १४५, ४ ३६,

२. वाज० स० १८ १२, १६ २२, २१ २६ ७, १० २४, १२४

३ तै० स० ५ १.७ ३

४ तै० स० १ ८ ६ १, काठक स० १५ ४ ६, मै० सं० २ ६.५

खाना चाहिये ।^१ फिर भी गोमासाहार का पूर्ण त्याग अभी नहीं हो सका-
था । विभिन्न पशुओं का मांस लोगों के भोजन का प्रमुख अङ्ग था । हस्तिना-
पुर के उत्खनन से घोड़े, सूअर, भैंसा, गाय आदि पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त
हुई हैं ।^२ उत्तर वैदिक साहित्य में स्थान स्थान पर अतिथि सत्कार के लिये
महोक्ष (बड़ा बैल) अथवा महाज (बड़ा बकरा) के वध की व्यवस्था मिलती है।^३
सैंकड़ों बैलों के वध का श्रेय अगस्त्य नाम के एक यजमान को दिया गया
है ।^४ विवाह के पुनीत अवसर पर भी मेहमानों के स्वागत के लिए गोवध
होता था ।^५ शतपथ ब्राह्मण (३.१.२.२१) से ज्ञात होता है कि ऋषि याज्ञ-
वल्क्य गोमांस खाने के शौकिन थे ।^६ इस प्रकार स्पष्ट है कि भोजन सामग्री
के रूप में भी पशुओं का महत्व पूर्ववत् बना हुआ था ।

गाय का दूध तथा उससे बनाये गये विविध पदार्थ तो भोजन के विशिष्ट
अंग थे ही । दूध सोमरस में मिलाने तथा क्षीरोदन बनाने के लिये भी अति
उपयोगी था । इससे उत्पन्न दही और घी भोजन के काम में आता था तथा
साथ ही इनका यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों में भी उपयोग होता था ।

वैदिक युग में सिक्को के कम प्रचलित होने के कारण पशु ही अधिका-
शत विनिमय के साधन थे ।^७ अतः उनका आर्थिक महत्व और भी बढ़ गया
था । पशुओं की संख्या से ही किसी व्यक्ति के वैभव का अनुमान लगाया जा
सकता था । साधारण मनुष्य ही नहीं राज लोग भी पशुधन की कामना करते
थे । अथर्ववेद के एक प्रसंग में राजा के लिए गाय, बैल और घोड़ों की प्राप्ति

१ शत० ब्रा० ३.१.२.३

२ ऐन्वयेन्ट हड्डियाँ न० १०.११, पृ० ८५

३ शत० ब्रा० ३.४.१.२, शाखायन० शृ० सू० २.१५.२

४. तै० ब्रा० २.७.११.१, पच० ब्रा० २१.१४.५

५ ऋ० १०.८५.१३

६ सूत्रकाल तक हम गोमांस भक्षण की व्यवस्था पाते हैं । आपस्तम्ब ने
थाद में गोमांस को पितरों की सन्तुष्टि के लिये सर्वोत्तम माना है ।—
आप० घ० सू०, २.७.१६.२६)

७ ऋ० ४.२४-१० में दस गायों की देकर इन्द्र की एक प्रतिमा लेने की
वात कही गई है । इसी प्रकार ब्राह्मण साहित्य में गाय के बद्धिया के
बदले सोम खरीदने का उल्लेख है ।

के निमित्त प्रार्थना की गई है।^१ इन्हीं पशुओं को दक्षिणा में देकर राजा लोग पुरोहितों को अनुग्रहीत करते थे तथा विद्वानों का सरक्षण।^२ गाय दक्षिणा के लिये सर्वोत्कृष्ट वस्तु थी यही कारण है कि दक्षिणा शब्द अनेक स्थानों पर 'गो' के पर्यायवाची के रूप में मिलता है। अनेक ऋषियों ने दानस्तुतियों में इन दक्षिणा देने वालों के प्रति आभार प्रदर्शित किया है।^३

पूषन को पशुओं का रक्षक देवता माना गया है। ऋग्वेद (१० १७ २) में उसे अनष्टापशु (गोरक्षक) कहा गया है।^४ वस्तुतः ग्वालों के सजग रहनेपर भी गाएँ कभी-कभी विपत्तियों में पड़ जाती थी। वे कुर्वे अथवा गड्ढे में गिर जाती थी। ऐसी स्थिति में अग्न भग का भय बना रहता था।^५ इसके अतिरिक्त गायों के चोरी चले जाने अथवा जंगली पशुओं का शिकार बन जाने का भी भय लगा रहता था। पशुओं के समूह इतने विशाल होते थे कि उनकी पहचान के लिये उनके कानों पर नाना प्रकार के चिन्ह लगाये जाते थे।^६ गायों के कानों को छेदने की प्रथा काफी बाद तक पशुपालक समाज में प्रचलित रही क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में भी ऐसे चिन्हों का वर्णन मिलता है।^७

गायों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक भिन्न-भिन्न शब्द वैदिक साहित्य में मिलते हैं जिससे इस पशु की लोकप्रियता सिद्ध होती है। प्रसव योग्य गाय को शुष्टि, दूध देने वाली गाय को घेनु, बंघ्या गाय को स्तरी, घेनस्तरी अथवा वशा और वच्चा देने के पश्चात् बघ्या हुई गाय को सूत-वसा कहा गया है। इसी प्रकार विभिन्न आयु के बछड़ों के लिये भी पृथक्-पृथक् नाम मिलते हैं। गायें दिन में प्रायः तीन बार दुही जाती थी।^८

१ अथर्ववेद ४ २२. २

२ राजा जनक द्वारा याज्ञवल्क्य की गोप्राप्ति की कथा प्रसिद्ध है। बृहदारण्यक उप० ३ ६ १, ८ १।

३ कठोपनिषद् १ १ २

४ तै० ब्रा० ३ १ २ १२ में पूषन को पशुप कहा गया है।

५ ऋ० १ २० ८

६ मं० स० ४ २ ६, ककरिकर्ण्यं, दात्रकर्ण्यं, छिद्रकर्ण्यं, आदि

७ अष्टाध्यायी ६ ३. ११५

८ तै० स० ७. ५. ३ १ प्रातर्दोह, सगव और सायदोह।

वैदिक आर्यों के लिये गाय का अपने बच्चों के लिए रम्भाना इतना परिचित और सुखद था कि वे देवताओं को बुलाने के लिये अपने शोभन गानों की तुलना इससे करने में तनिक भी नहीं सकुचाते थे ।^१

गाय-बैल के अतिरिक्त अनेक पशुओं का उल्लेख हुआ है जिनमें घोड़ा, भैंस, भेंड और बकरी महत्वपूर्ण हैं । अथर्ववेद में हाथी का भी उल्लेख हुआ है । ऋग्वेदिक आर्यों का परिचय इस पशु से नहीं था । सम्भवतः हाथी पालने की कला आर्यों ने गंगा की घाटी में रहने वाले निषादों से सीखा । मिरजापुर की पहाड़ियों से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में हम हाथी फँसाते हुए मनुष्यों का चित्र पाते हैं । इससे इस सम्भावना की पुष्टि होती है । ऐतरेय ब्राह्मण (४ ६) से ज्ञात होता है कि यदा कदा गदहों का उपयोग भी गाड़ी खींचने के लिये होता था । अथर्ववेद में ऊँटगाड़ी का भी उल्लेख हुआ है ।^२ घोड़ा तो अपनी शक्ति और गति के लिये प्रसिद्ध ही था । वह आर्य सस्कृति के प्रसार का अग्रदूत था । घोड़े का उपयोग यदा-कदा गाड़ी (अनस) के लिये भी होता था^३ किन्तु अधिकांशतः वे रथ में ही जोते जाते थे ।^४ घुड़सवारी भी अज्ञात नहीं थी ।^५

सिन्धु नद के तटवर्ती प्रदेशों में घोड़े विशेष रूप से पाये जाते थे ।^६ इसीलिये वाद में 'सिन्धव' शब्द घोड़े का पर्यायवाची बन गया । ऋग्वेद में कई स्थानों पर सिन्धु और सरस्वती को 'वाजिनीवती' कहा गया है ।^७ इससे प्रतीत होता है कि इन प्रदेशों में घोड़ों की बहुलता थी ।

यद्यपि कृषि एवं पशुपालन वैदिक आर्यों के प्रधान उद्यम थे तथापि विभिन्न उद्योग और व्यवसाय भी समुचित रूप से विकसित हो गये थे ।

इन व्यवसायों का संगठन आर्थिक एवं सामाजिक विविध शिल्प एवं व्यवसाय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था । एक ओर तो ये व्यवसायी विभिन्न उपकरणों के निर्माण द्वारा भौतिक जीवन को समृद्ध बना रहे थे, दूसरी ओर आर्थिक विभाजन

१ ऋ० ६ १२ २

२ अथर्ववेद २० १३७ २

३ वैदिक इन्डेक्स १ ४२

४ वैदिक इन्डेक्स १ ४२

५ ऋ० ५, ६१ १-३, वाज० स० ३० १३, तै० ब्रा० ३ ४ ७ १

६ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ २ १३, शाखायन आरण्यक ६ ७

७ ऋ० १० ७५ ८, १ ३ १०, २ ४१ १८, ६ ६१ ३-४ आदि ।

और व्यवसायिक विभिन्नता के आधार पर वे पृथक् पृथक् सामाजिक वर्गों का स्वरूप धारण करने लगे थे परिणामतः उत्तर वैदिक युग में वैश्य वर्ण के अन्तर्गत आन्तरिक विभाजन और विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। आर्येतर शिल्पियों के वैदिक समाज में प्रवेश के कारण अनेक शिल्पी, जिनका स्थान समाज में पहले आदरणीय था शूद्र वर्ण के अन्तर्गत परिगणित हुए। क्रमशः व्यवसायो और शिल्पो के आधार पर अनेक जातियों का उदय हुआ। पूर्व वैदिक युग में ही अनेक व्यवसाय और उद्योग अस्तित्व में आ चुके थे।^१ किन्तु उन्हें धारण करने वाले लोग समान रूप से विश के अन्तर्गत थे। उनका कोई पृथक् आर्थिक संगठन नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक युग में जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपने को प्रवेश निषिद्ध वर्गों के रूप में संगठित किया तब वैश्यों पर भी इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। वैश्य वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के लोग थे अतः उनका सामूहिक संगठन सम्भव नहीं था। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यवसायों और शिल्पियों को धारण करने वाले लोग पृथक् पृथक् आर्थिक इकाई के रूप में संगठित होने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख है^२ जो किसी व्यावसायिक संघ का प्रधान प्रतीत होता है। वाजसनेयी संहिता में उल्लिखित गण और गणपति शब्द भी व्यावसायिक संघों के संघटन का संकेत करते हैं।^३ यद्यपि उत्तर वैदिक साहित्य से इन गणों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता तथापि परवर्ती साहित्य से उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि समान व्यवसायों के अनुसरणकर्त्ता प्रायः एक संघ के अन्तर्गत संगठित होते थे। ये संघ व्यापारिक कार्यों की देख-रेख तथा व्यवसायियों के हितों की सुरक्षा करते थे।

परवर्ती संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। पाणिनि के सूत्रों में भी ग्रामों से सम्बन्धित शिल्पजीवियों का उल्लेख मिलता है।^४ नागरिक जीवन के पूर्ण विकसित न होने के कारण

१. ऋ० १०. १४२. ४, १. ६१. ४, ७. ३२ २०, ६. ११२ १, १०. ११६. ५, १०. ७२. २

२. ऐत० ब्रा० ३. ३०. ३

३. वाज० स० २३ १६ १

४. अष्टाध्यायी ६. २ ६२

विभिन्न उद्योगों के अनुसरणकर्त्ता प्रायः गांवों में रहते थे तथा गांव को आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनाने में योग देते थे। उत्तर-वैदिक साहित्य में रथकार, कर्मार, तक्ष, क्षातृ, कुलाल, ईषुकृत, धवकृत, मृगयु, रज्जुसर्ग, जयाकार, वप, मणिकार, मुराकार, विदलकार, कटककार आदि विभिन्न व्यवसायियों का उल्लेख अनेकश हुआ है।^१ उद्योगों एवं व्यवसायों की इस विविधता से समुन्नत आर्थिक जीवन का संकेत मिलता है।

उपर्युक्त व्यवसायों तथा उद्योगों में कुछ तो निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिये बढई रथकार लोहार ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधारस्तम्भ थे। बढई लकड़ी की सहायता से कृषि कर्म के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता था। साथ ही वह घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बनाता था। कुलिश अथवा परशु उसका प्रमुख औजार था।^२ व्यवसाय की महत्ता के कारण उनकी सामाजिक स्थिति भी समादृत थी। रथकार का उल्लेख ऋक्संहिता में तो नहीं हुआ है किन्तु उत्तरवैदिक युग तक अत्यन्त प्रभावशाली हो चुका था। पूर्व-वैदिक युग में सम्भवतः रथ बनाने का कार्य तक्षन ही करता था किन्तु परवर्ती युग में उसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार होने लगा। परिणामतः रथ-निर्माताओं का एक नया व्यावसायिक वर्ग अस्तित्व में आया।^३ यह नवोदित आर्थिक वर्ग तक्षन समाज से ही निकला होगा। रथकार का व्यवसाय इतना महत्वपूर्ण था कि वह राजकीय सम्मान का विषय समझा जाता था।^४ रथकार के लिए अग्निहोत्र की व्यवस्था भी थी।^५ युद्ध एवं प्रसार की स्थिति में रथकार के व्यवसाय का

१ अथर्ववेद ३ ५ ६ ७, तै० सं० ४, ५ ४ २, वान० सं० १६ २६-२८ का० सं० १७ १३, तै० ब्रा० ३ ४ १

२ ऋ० ३ २ १, का० सं० १२ १०

३ स्टुमर्ट पिगट महोदय ने रथ के विभिन्न अंगों के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्दावली के आधार पर वैदिक रथ के आकार प्रकार का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया है, किन्तु पुरातात्विक प्रमाणों तथा विस्तृत साहित्यिक संकेतों के अभाव में पिगट द्वारा कल्पित वैदिक रथ का स्वरूप असन्दिग्ध नहीं माना जा सकता है। वैदिक रथ के निर्माण पद्धति के विषय में द्रष्टव्य—प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २८०

४ मै० सं० २ ६ ५, ४ ३ ८

५ तै० ब्रा० १ १ ४

आदरणीय होना सर्वथा स्वाभाविक था। कर्मरि (स्मिथ) के लिये भी उत्तर-वैदिक साहित्य में सम्मान सूचक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद में उन्हें मनीषी शिल्पकारों में स्थान दिया गया है।^१ वह नित्य उपयोग के लिये धातु के वर्तन तथा सोमरस पीने के लिए धातु के प्याले बनाता था। स्वर्णभूषणों के बनाने वाले को हिरण्यकार कहा गया है।^२ ये लोग स्वर्ण से निष्क, कर्णशोभन आदि विविध आभूषण बनाते थे। सम्भवतः समृद्ध लोगों के लिये स्वर्ण चषक भी बनाये जाते थे।^३

वस्त्रों की सार्वजनिक उपयोगिता के कारण बुनकर का व्यवसाय भी विशेष महत्वपूर्ण था। इस व्यवसाय से वैदिक समाज पूर्णतः सुपरिचित था। बुनकर को वाय कहा गया है। ऋक्संहिता में प्रयुक्त वायोवाय शब्द से ज्ञान पड़ता है कि उस समय घोंटी बुननेवालों तथा अन्य वस्त्र जैसे चादर, दुपट्टा, कम्बल आदि बुननेवालों में भेद माना जाता था। इस व्यवसाय से सम्बद्ध तन्तु (ताना) ओतु (धाना) वेसन (करघा) आदि पारिभाषिक शब्दों से वस्त्र निर्माण की विधि पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि हस्तिनापुर के उत्खनन से चित्रित भूरे-मृत्पात्रवाले स्तरों से सुई जैसा नुकीली उपकरण भी प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग सम्भवतः कपड़ा सीने के लिये होता था।^४ यह बात विस्मयजनक है कि उत्तर-वैदिक साहित्य में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु ऊर्णा शब्द का प्रयोग अनेकत्र हुआ है।^५ इससे प्रतीत होता है कि ऊनी कपड़ों का विशेष उपयोग होता था। सिन्धु और पंजाब विशेष रूप से ऊनी वस्त्रों के केन्द्र थे। ऋग्वेद (१० ७५.८) में सिन्धु नदी को सुवासा और ऊर्णावती कहा गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद (१ १२६.७) में गंधार के भेड़ों से उत्पन्न उत्तम ऊन का उल्लेख है। ऋग्वेद में भेड़ों को ऊर्णावती विशेषण दिया गया है।^६ वास्तव में ऊन के कारण ही उनकी महती उपयोगिता थी। अथर्ववेद में शण का उल्लेख हुआ

१ अथर्ववेद ३ ५-६

२ वाज० स० ३० १७, तै० ब्रा० ३ ४ १४ १

३ तै०स० ५ ७ १ ३, तै० ब्रा० १. ३. ३ ७, शत० ब्रा० ५ १ २ १९।

४ ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० १४।

५ शत० ब्रा० १२ ५ १ १३, वाज० स० १३ ५०, पचविंश ब्रा० १२ ११.१०

६ ऋग्वेद ५ ६ ३।

है।^१ इससे वस्त्र, आच्छादन, बोरे और घटाइयाँ आदि बनती थीं। घनवान लोग प्रायः रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते थे। अनेक स्थानों पर क्षीम और ताम्र्य का उल्लेख हुआ है।^२ ये वस्त्र बड़े ही मूल्यवान माने जाते थे। जिन कपड़ों पर कढ़ाई का काम होता था उन्हें पेशाब् कहते थे। पेशाब् का उपयोग अधिकांश स्त्रियाँ शृंगार के लिए करती थीं। उत्सवों में सम्मिलित होनेवाली वधुएँ पति-प्राप्ति की कामना से सुन्दर पेशाब् धारण करती थीं।

सूत कातने कपड़ा बुनने तथा ऊन पर कढ़ाई आदि करने का काम विशेषतः स्त्रियों का प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में ऊन से सूत बनाने का कार्य स्त्रियों का विशेष कर्म माना गया है।^३ पचविंश ब्राह्मण (१८६) में वयित्री शब्द मिलता है जिसका आशय वस्त्र बननेवाली स्त्री से है। वाजसनेयी संहिता (३०६) में प्रयुक्त पेशाब्कारी शब्द इस बात को प्रमाणित करता है कि वस्त्रों को कढ़ाई आदि के द्वारा अलंकृत करने का कार्य भी प्रायः स्त्रियाँ ही करती थीं।

लोकोपयोगी व्यवसायों में कुलाल का व्यवसाय बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर कुलाल का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कुलाल-चक्र के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी के घड़े, प्याले, तश्तूरियाँ आदि चाक के ऊपर ही बनते थे।^४ हस्तिनापुर, अहिच्छत्रा रूपर प्रभृति स्थानों से भी मृत्पात्रों के जो टुकड़े मिले हैं वे अधिकांशतः चाक पर बने हुये हैं यद्यपि हस्तनिर्मित मृत्पात्र भी अज्ञात नहीं हैं।^५

इन व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे व्यवसाय भी थे जो आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से हीन कहे जा सकते हैं। निश्चय ही इन व्यवसायों का अनुसरण निर्धन और साधन-विहीन लोग करते रहे होंगे। ऐसे व्यवसायियों में कण्टकीकारी, विदलकारी, कैवत, गोविकर्तन, बाश, धेवर, पाशिन, पुजिष्ठ, आदि प्रमुख थे। इन व्यवसायों से स्पष्ट होता है कि समाज में कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक रूप से हीन तथा घृणित वृत्ति के प्रचलन का कारण असम्भ एवं भर्षवर्ष

१ अथर्ववेद २४५।

२ मै० त० ३६७, अथर्ववेद १८४३१, शत० ब्रा० ५३५२०।

३ एतद्वा एतस्त्रोणा कर्म यदूणसूत्रम्।

४ शत० ब्रा० ६८१

५ एन्वयेन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० ११-१३।

अनायं जातियो का वैदिक समाज मे प्रवेश भी था। द्विजातियो से इन्हें पृथक् करने का जो प्रयास उत्तर-वैदिक युग से ही दिखाई देता है उसके पीछे एक प्रबल कारण इनका हीन सांस्कृतिक स्तर भी था।

उत्तर-वैदिक युग तक अनेक धातुओं का आविष्कार हो चुका था। उपयोगी धातुओं मे अयस का उल्लेख बार-बार हुआ है किन्तु इसका अर्थ बड़ा ही सदृश है। 'वैदिक इण्डेक्स' के लेखक धातु-विज्ञान और लौह अयस का अर्थ लोहा मानते हैं किन्तु पुरातात्विक पुग में प्रवेश साक्ष्य से ऋग्वेदिक आर्यों का लोहे से परिचय अभी तक असिद्ध है। हस्तिनापुर के उत्खनन से भी ताम्रनिर्मित तीर-फलक ही प्राप्त हुये हैं। अतः ऋग्वेद मे उल्लिखित अयस निर्मित तीर फतको को ताम्र-निर्मित मानना ही अधिक उपयुक्त होगा। ऋग्वेद मे अयस के लिए प्रयुक्त विशेषणों से इस बात का संकेत मिलता है कि यह ताम्र था, जैसा कि अग्नि के विशेषण 'अयो द्रष्टु' से स्पष्ट है।^१ वस्तुतः ऋग्वेद मे अयस शब्द का प्रयोग सामान्यतः सभी धातुओं के लिए हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि इस संहिता मे विभिन्न धातुओं के लिए पृथक् नाम नहीं मिलते। यह ताम्र के साथ साथ सम्भवतः कांस्य के लिए भी प्रयुक्त होता था।^२ उत्तर-वैदिक काल मे सर्वप्रथम प्रत्येक धातु को पृथक् नाम प्रदान किया गया। ताम्र को अन्य धातुओं से पृथक् करने के लिए 'लोहायस' कहा गया। अथर्ववेद तथा अन्य संहिताओं में बहुधा दो प्रकार के अयस का उल्लेख हुआ है—क्षाम और लोहित।^३ शतपथ ब्राह्मण मे अयस और लोहायस को अलग-अलग धातु बताया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है लोहायस शब्द का प्रयोग ताम्र के अर्थ में हुआ है किन्तु क्षाम, जिसका प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, निश्चित रूप से लोहा (आइरन) प्रतीत होता है। उत्तरवैदिक युग तक लोहे से आर्यों का पूर्ण परिचय हो चुका था जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र मे प्रगति का मार्ग

१ ऋग्वेद १.८८.५, १०.८७.२।

२ ऋग्वेद में दास-दस्यु लोगों के 'आयसी पुरो' का उल्लेख हुआ है। यदि ये आयसी पुर मन्थव सन्ध्या के निर्माताओं के हैं जैसा कि अनेक विद्वानों ने माना है तो निश्चय ही इस प्रसंग में अयस को कांस्य या पर्यायवाची मानना चाहिए।

३ अथर्ववेद ६.५.४, मंत्रायणी मंहिता ४२९

प्रशस्त हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य से भी यह प्रतीत होता है कि लोहे से वैदिक आर्यों का पूर्ण परिचय उत्तर-वैदिक युग में ही हुआ। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि हस्तिनापुर के उत्खनन में चित्रित-भरे-मृत्पात्र वाले स्तर के ऊपरी हिस्से में ही लोहे के बने शस्त्र उपलब्ध हुये हैं।^१ तबे और लोहे के अतिरिक्त सोना, चाँदी त्रपु (टिन) और शीशा इस युग के अन्य उपयोगी धातु थे।^२ सोने और चाँदी का उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माणार्थ होने लगा था तथा आर्थिक दृष्टि से इन धातुओं को विशेष मूल्यवान समझा जाने लगा था। स्थान स्थान पर दान और दक्षिणा में निष्क एवं शतमान देने का उल्लेख मिलता है।

निष्क, शतमान, सुवर्ण और पाद प्रभृति धातुखण्डों का उल्लेख परवर्ती संहिताओं, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में अनेकत्र ऐसे प्रसंगों में हुआ है जिनसे यह प्रतीत होता है कि इन धातुखण्डों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा था। यद्यपि ताम्रनिर्मित मुद्राओं का उल्लेख सर्वथा अनुपलब्ध है तथा रजत-निष्कका उल्लेख पञ्चविंश ब्राह्मण में केवल ब्राह्मणों के प्रसंग में हुआ है^३ तथापि स्वर्ण-पिण्डों का दान दक्षिणा के प्रसंग में बार-बार उल्लेख हुआ है। अधिकांशतः निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के अर्थ में हुआ है^४ किन्तु अनेक प्रसंगों में निष्क का अर्थ निश्चित रूप से मुद्रा प्रतीत होता है।^५ शतमान जो गोलाकार होता था राजसूय के अवसर पर रथ के पहिये में बाधा जाता था तथा तत्पश्चात् पुरोहित को दक्षिणा-स्वरूप दे दिया जाता था। शतमान का उल्लेख अन्यत्र भी दक्षिणा के रूप में हुआ है।^६ इसका उल्लेख सुवर्ण के साथ हुआ है तथा इसे हिरण्य भी कहा गया है। सम्भव है शतमान एक निश्चित तौल का (सम्भवतः १०० कृष्णल का) एक धातुखण्ड रहा हो तथा विनिमय के साधन के रूप में निष्क के साथ इसका

१ ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० ८५

२ पुरातात्विक साक्ष्य के लिए द्रष्टव्य— ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० १३

३ पंच० ब्रा १७.१.१४

४ निष्क ग्रीव, ऋ० ५.१६.३, निष्क कण्ठ, ऐत० ब्रा० ८.२२.१

५ ऋ० १.१२.६२, शत० ब्रा० १०.४.११, गोपय० ब्रा० १.३.६।

६ शत० ब्रा० १३.४.२१०, रजत हिरण्य दक्षिणा नाना रूपत्या शतमान भवति शतायुर्वैपु रूपः।

भी उपयोग होता रहा हो। निष्क और शतमान का दक्षिणा और दान की वस्तु के रूप में उल्लेख निश्चित रूप से इनके आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होने का संकेत करता है। काठक संहिता में हिरण्य कृष्णल का उल्लेख हुआ है^१ जो गुजा के तेल का घातुखण्ड प्रतीत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में यह कहा गया है कि विदेह राज जनक ने अपनी सभा में एक दार्शनिक-विवाद में भाग लेने वाले विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान को एक सहस्र गायों को पुरस्कार में देने की व्यवस्था की थी जिनमें प्रत्येक की सीधों में दस पाद बँधे हुये थे। इस प्रसंग में पाद सिक्का प्रतीत होता है। पाद सम्भवतः निष्क, सुवर्ण अथवा शतमान का चौथाई भाग था।^२ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित इन घातुखण्डों के नमूने अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं किन्तु यह सुविदित है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मुद्रा का उपयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा था। ऐसी स्थिति में मुद्रा-निर्माण के विकास का इतिहास निश्चित रूप से उत्तर वैदिक युग में प्रारम्भ होना चाहिये। इतना अवश्य है कि उत्तरवैदिक युग में अधिकांशतः गायें ही विनिमय का साधन थीं^३ तथा निष्क सुवर्ण, शतमान और पाद जैसे घातुखण्ड न तो राज्य द्वारा नियन्त्रित थे और न चिह्नित।^४ ऐसी स्थिति में इन्हें आधुनिक अर्थ में सिक्का मानना तो कठिन होगा किन्तु मुद्रा-निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था को दृष्टि में रखते हुए इन्हें 'पंच मार्कंड' सिक्कों का पूर्ववर्ती अविकसित रूप माना जा सकता है।

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वैदिक आर्यों की आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण थी। कृषि-कर्म और पशुपालन ही उनके प्रमुख व्यवसाय थे।

व्यापार तथा वाणिज्य का विकास अभी शैशवा-
व्यापार एवं वाणिज्य वस्था में था। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में सुदूरवर्ती प्रदेशों को जाने वाले सारथवाहों का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पूर्व वैदिक युग से ही आर्यों की साक्षात् अथवा परम्परा से

१ काठक० म० ११ ४।

२ ब्राह्मण साहित्य में पाद मन्त्र के चौथाई भाग को कहा गया है।
ऐत० ब्रा० ४४, कीपीतकि ब्राह्मण २६ ५, निरुक्त० ७ ९।

३ ऐत० ब्रा० ५ २२ ९, ७ ३३ ६, ८ ३७ ७ इत्यादि।

४ द्रष्टव्य, जे० एन० एस० माई०, न० १५,

समुद्र का ज्ञान हो चुका था ।^१ यत्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा 'नाव समुद्रियः' का भी उल्लेख हुआ है । कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य कुशल नाविक थे तथा विदेशों से सामुद्रिक व्यापार भी करते थे ।^२ किन्तु पूर्व-वैदिक आर्यों का भौतिक दृष्टि से अविकसित एव अटनशील जीवन व्यापारिक समृद्धि के लिये विशेष अनुकूल नहीं था । ऐसी स्थिति में व्यापार एव वाणिज्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ भी सीमित थी । वैदिक सस्कृति की पूर्ववर्तिनी सैन्धव-सम्यता के अन्तर्गत सामुद्रिक व्यापार समुन्नत था । आर्य ऋषियो ने यहाँ के व्यापारियों को सम्भवत 'परिण' नाम से अभिहित किया है । परिणियों का घन आर्यों के आकर्षण का बहुत बड़ा केन्द्र था ।^३ ऋग्वेद में इन परिणियों को ऐश्वर्ययुक्त^४ कृपण तथा दासों से सम्बद्ध बतलाया गया है जिनसे उनके अनार्यत्व का बोध होता है । आर्यों के आक्रमण के परिणामस्वरूप सिन्धु-प्रदेश की समुन्नत नागरिक सम्यता घराशायी हो गई और सैन्धव नगरों के पतन के पश्चात् विदेशी व्यापार का मार्ग स्वभावत अवरुद्ध हो गया । उत्तर-वैदिक युग में, जब आर्यों तथा आर्येतरजनों के बीच हुए सामाजिक एव सांस्कृतिक सामंजस्य के परिणामस्वरूप नवीन सामाजिक व्यवस्था उद्भूत हुई तथा राजसत्ता के विकास के साथ-साथ शान्ति और सुरक्षा स्थिर हुई, पुन साक्षर नागरिक जीवन का अभ्युत्थान प्रारम्भ हुआ तथा सैन्धव सम्यता का भौतिक पक्ष भी पुनरुज्जीवित होने लगा । बहुत सम्भव है कि उत्तर-वैदिक युग के मिश्रित समाज में आर्येतरजनों द्वारा व्यापार और वाणिज्य को विशेष प्रोत्साहन मिला हो । विशेषत सैन्धव जनो की प्रतिभा वशानुगत एव परम्परागत रूप से अवश्य जीवित रही होगी । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वणिज, वाणिज, वाणिज्या आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भी उसी मूल से हुई है जिससे 'परिण' शब्द की । इससे आर्येतर जनो का व्यापार और वाणिज्य से गहरा सम्बन्ध द्योतित होता है ।

उत्तर वैदिक साहित्य में 'वाणिज्या' के सम्बन्ध में कई स्थान पर संकेत मिलते हैं । अथर्ववेद में एक स्थान पर दूर्वा (वस्त्र) पवस्त (चादर) और अग्नि

१ ऋ० १ १७ ७, १ १६३ ३, ३ ३६ ७, ७ ६ ७, १ ११२ ६

२ वैदिक एज, पृ० २४५ पर उद्धृत वेबर का मत ।

३ ऋ० ६ १३ ३, ६ ५३ ३, १ ६४ ४

४. ऋ० १.३३.२

(घर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है ।^१ इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि व्यापारी लोग विभिन्न वस्तुओं को लेकर इधर-उधर घूमा करते थे । कभी वे इन वस्तुओं का विनिमय करते थे और कभी विन्नय । समय समय पर उन्हें हिसक पशुओं एवं डाक़ुओं का भी सामना करना पड़ता था । अथर्ववेद (३ १५) से ज्ञात होता है कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने में खूब मोल-भाव होता था । आन्तरिक व्यापार प्रायः स्थल मार्ग से होता था । आवागमन की सुविधा के लिये कुछ सड़कें भी थी ।^२ अथर्ववेद (१६. २. १) में व्रात्यो के प्रसंग में विपथ का जो उल्लेख हुआ है उससे सामान्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सुपथ भी अवश्य रहे होंगे । व्यापारिक वस्तुओं को ढोने का काम अधिकांशतः पशुओं से लिया जाता था । ऐसे पशुओं में बैल, घोड़े, ऊँट, गदहे और भैंस मुख्य थे । शतपथ ब्राह्मण में व्याज पर धन देने वाले 'कुसीदिन' का भी उल्लेख हुआ है ।^३

उत्तर-वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध के भी संकेत मिलते हैं । प्रकृत्या कर्मकाण्ड प्रधान होने के कारण यजुर्वेद तथा ब्राह्मण साहित्य में इस विषय पर विशेष सामग्री अनुपलब्ध है किन्तु अथर्ववेद में अनेक मन्त्र एवं विशिष्ट शब्द विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं । अथर्ववेद में मोती पैदा करने वाले शल का उल्लेख है^४ जो समुद्र से लाये जाते थे । वाजसनेयी संहिता में समुद्री यात्राओं के लिए उपयोगी सी डाढ़ो वाले बड़े जलपोत का भी उल्लेख मिलता है ।^५ उपर्युक्त उद्धरणों से उत्तर-वैदिक युग में सामुद्रिक व्यापार की पुष्टि होती है । साथ ही अथर्ववेद के कुछ विचित्र शब्दों, यहूदी घर्म ग्रन्थों, बोगजकुई अभिलेख तथा अन्य असीरियन अभिलेखों के साक्ष्य से उत्तर-

१ अथर्ववेद ४ ७ ६

२ द्रष्टव्य-परि-रथ्य, बलूमफील्ड, हिमस ग्राफ दि अथर्ववेद, पृ० ५८७, इस प्रसंग में अथर्ववेद में उल्लिखित 'पथिकृत' भी उल्लेखनीय है ।

द्रष्टव्य—अथर्ववेद १८ २ ५३, ३. २५ इत्यादि ।

३ शत० ब्रा० १३ ४ ३ ११

४ अथर्ववेद ४. १०. १-३

५ वाज० स० ३१ ७, शतारिष नो ।

वैदिक युगीन भारत तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सूचित होता है। ग्रार्थों के आक्रमण और सन्धव संस्कृति के विघ्न से उत्पन्न उथल पुथल के कारण पुरा-ऐतिहासिक भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में शिथिलता आ गयी थी किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक ये सम्बन्ध पुनः स्थापित हुये। वाइविल में उल्लिखित ओफिर (आभीर १) कर्पस (कपास) और कोफ (कपि) एवं अमुरव-निपाल (लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू०) के अभिलेखों में कपड़े के लिये प्रयुक्त सिन्धु शब्द इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं। एशिया माइनर के वोगज-कुई के अभिलेख (लगभग १४०० ई० पूर्व) में मित्र, नासत्य वरुण प्रभृति वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। एशिया माइनर जैसे सुदूरस्थ प्रदेशों के निवासियों का वैदिक देवताओं से परिचय निश्चित रूप से इस बात को सूचित करता है कि उत्तर वैदिक युग में भारत का पश्चिमी एशिया से पर्याप्त सांस्कृतिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध व्यापारिक सम्पर्क के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। भारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापारियों के पश्चिमी देशों की ओर जाने का वर्णन मिलता है। एक जातक कथा में, जो मूलतः उत्तर-वैदिक कालीन हो सकती है वगेरू राज्य (वेंबीलोन) की यात्रा का उल्लेख है। अथर्ववेद में तैमात, उरुगूल, आलगी, विलिगी आदि अनेक ऐसे शब्द आये हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं। ग्रिफिथ ह्विटनी तथा ब्लूमफील्ड जैसे विद्वानों ने इन शब्दों को अस्पष्ट बतलाया है किन्तु बालगगाधर तिलक इन्हें वेंबीलोन की अक्कादी भाषा से आया हुआ मानते हैं। इनमें तैमात तो निश्चित्यतः वेंबीलोनियन 'तियामत' प्रतीत होता है। उरुगूल शब्द का प्रयोग भी तिलक के अनुसार अक्कादी भाषा में पाताल के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार वैदिक शब्द अप्सु का सम्बन्ध अक्कादी शब्द 'अब्जु' से जोड़ा जा सकता है। श्री तिलक का तो यहाँ तक कहना है कि 'उरुक्रम', 'उरुगाय', 'उर्वंशी' तथा 'अप्सुजित' जैसे सभी शब्द अक्कादी शब्दों से व्युत्पन्न हुये होंगे। भारतवासियों का सम्भवतः वेंबीलोनियन ज्ञान विज्ञान से भी परिचय था। डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का विश्वास है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला 'मन' शब्द 'मीना' ने निकला है। इन तथ्यों के प्रकाश में तथा छठी शताब्दी ई० पू० में भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य की समुन्नत दशा तथा नागरिक जीवन के विकास को दृष्टिगत करते हुए उत्तर-वैदिक युग में भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।

(चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है ।^१ इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि व्यापारी लोग विभिन्न वस्तुओं को लेकर इधर-उधर घूमा करते थे । कभी वे इन वस्तुओं का विनिमय करते थे और कभी विनय । समय समय पर उन्हें हिंसक पशुओं एवं डाकुओं का भी सामना करना पड़ता था । अथर्ववेद (३ १५) से ज्ञात होता है कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने में खूब मोल-भाव होता था । आन्तरिक व्यापार प्रायः स्थल मार्ग से होता था । आवागमन की सुविधा के लिये कुछ सड़कें भी थीं ।^२ अथर्ववेद (१६ २. १) में व्रात्यो के प्रसंग में विपथ का जो उल्लेख हुआ है उससे सामान्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सुपथ भी अवश्य रहे होंगे । व्यापारिक वस्तुओं को ढोने का काम अधिकांशतः पशुओं से लिया जाता था । ऐसे पशुओं में बैल, घोड़े, ऊँट, गदहे और भैंस मुख्य थे । शतपथ ब्राह्मण में व्याज पर घन देने वाले 'कुसीदिन' का भी उल्लेख हुआ है ।^३

उत्तर-वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध के भी संकेत मिलते हैं । प्रकृत्या कर्मकाण्ड प्रधान होने के कारण यजुर्वेद तथा ब्राह्मण साहित्य में इस विषय पर विशेष सामग्री अनुपलब्ध है किन्तु अथर्ववेद में अनेक मन्त्र एवं विशिष्ट शब्द विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं । अथर्ववेद में मोती पैदा करने वाले शल का उल्लेख है^४ जो समुद्र से लाये जाते थे । वाजसनेयी संहिता में समुद्री यात्राओं के लिए उपयोगी सौ डाढ़ों वाले बड़े जलपोत का भी उल्लेख मिलता है ।^५ उपर्युक्त उद्धरणों से उत्तर-वैदिक युग में सामुद्रिक व्यापार की पुष्टि होती है । साथ ही अथर्ववेद के कुछ विचित्र शब्दों, यहूदी घर्म ग्रन्थों, वोगजकुई अभिलेख तथा अन्य असीरियन अभिलेखों के साक्ष्य से उत्तर-

१ अथर्ववेद ४ ७ ६

२ द्रष्टव्य-परि-रथ्य, वलूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, पृ० ५८७, इस प्रसंग में अथर्ववेद में उल्लिखित 'पयिकृत' भी उल्लेखनीय है ।

द्रष्टव्य—अथर्ववेद १८ २. ५३, ३ २५ इत्यादि ।

३ शत० ब्रा० १३ ४ ३ ११

४ अथर्ववेद ४ १०. १-३

५ वाज० स० ३१ ७, शतारिष नो ।

वैदिक युगीन भारत तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सूचित होता है। आर्यों के आक्रमण और सैन्य सङ्कृति के विघ्नास से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण पुरा-ऐतिहासिक भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में शिथिलता आ गयी थी किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक ये सम्बन्ध पुन स्थापित हुये। वाइविल में उल्लिखित ओफिर (आभीर १) कर्पस (कपास) और कोफ (कपि) एवं अत्रुरव-निपाल (लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू०) के अभिलेखों में कपड़े के लिये प्रयुक्त सिन्धु शब्द इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं। एशिया माइनर के वोगज-कुई के अभिलेख (लगभग १४०० ई० पूर्वा) में मित्र, नासत्य वरुण प्रभृति वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। एशिया माइनर जैसे सुदूरस्थ प्रदेशों के निवासियों का वैदिक देवताओं से परिचय निश्चित रूप से इस बात को सूचित करता है कि उत्तर वैदिक युग में भारत का पश्चिमी एशिया से पर्याप्त सांस्कृतिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध व्यापारिक सम्पर्क के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। भारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापारियों के पश्चिमी देशों की ओर जाने का वर्णन मिलता है। एक जातक कथा में, जो मूलत उत्तर-वैदिक कालीन हो सकती है वगेरू राज्य (बैबीलोन) की यात्रा का उल्लेख है। अथर्ववेद में तैमात, उरुगूल, आलगी, विलिगी आदि अनेक ऐसे शब्द आये हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं। ग्रिफिथ ह्विटनी तथा ब्लूमफील्ड जैसे विद्वानों ने इन शब्दों को अस्पष्ट बतलाया है किन्तु वालगगाधर तिलक इन्हें बैबीलोन की अक्कादी भाषा से आया हुआ मानते हैं। इनमें तैमात तो निश्चित बैबीलोनियन 'तियामत' प्रतीत होता है। उरुगूल शब्द का प्रयोग भी तिलक के अनुसार अक्कादी भाषा में पाताल के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार वैदिक शब्द अम्पु का सम्बन्ध अक्कादी शब्द 'अब्बु' से जोड़ा जा सकता है। श्री तिलक का तो यहाँ तक कहना है कि 'उरुकम', 'उरुगाय', 'उर्वशी' तथा 'अम्पुजित' जैसे सभी शब्द अक्कादी शब्दों से व्युत्पन्न हुये होंगे। भारतवासियों का सम्भवत बैबीलोनियन ज्ञान विज्ञान से भी परिचय था। डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का विदवास है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला 'मन' शब्द 'मीना' ने निकला है। इन तथ्यों के प्रकाश में तथा छठी शताब्दी ई० पू० में भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य की समुन्नत दशा तथा नागरिक जीवन के विकास को दृष्टिगत करते हुए उत्तर-वैदिक युग में भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।

वैदिक आर्यों के पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर विचार करना भी यहाँ अनुचित नहीं होगा। वैदिक ग्रन्थों में घर को सूचित करने वाले गृह, आयतन, पस्त्या, वास्तु, हर्म्य, दुरोण आदि अनेक शब्द मिलते हैं। सम्भवतः ये विशिष्ट नाम घरों की विशिष्टता विविध धरेल्ले उपकरण को लक्ष्य करके रखे गये थे। चारों ओर से दीवारों से घिरे रहने के कारण घर आयतन तथा द्वार-युक्त होने के कारण दुरोण कहलाता था। निवास-स्थान के अर्थ में वास्तु और पस्त्या शब्द का प्रयोग भी होता था। हर्म्य (घर्म्य) शब्द ऐसे घरों का संकेत करता है जिसमें सरलता-पूर्वक घूम पा सकती हो। वैदिक-युगीन भवन अनेक कमरों से युक्त होते थे। यज्ञ के प्रसंग में हविर्धान, अग्निशाला, पत्नीना सदन, तथा सदस इन चार शब्दों का विशेष उल्लेख मिलता है जिससे साधारण वैदिक गृहों के अनेक कक्षों में विभक्त होने की बात पृष्ठ होती है। उत्सव तथा यज्ञों में आने वाले अतिथियों के लिये भी पृथक् घर होता था जिसे आवास्य कहते थे।^१ तैत्तिरीय आरण्यक में घनधानी नामक एक विशिष्ट प्रकार के भवन का उल्लेख है^२ जिसका उपयोग सम्भवतः कोषागार के रूप में होता था। पशुओं के लिये भी अलग कमरे होते थे जिन्हें शाला कहते थे।

पुरातात्विक साक्ष्यों तथा वैदिक उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग के मकान बहुत ही साधारण और कामचलाऊ किस्म के होते थे। भवन-निर्माण के लिये बास, मिट्टी, लकड़ी, तथा कच्चे ईंट प्रधान साधन थे। अथर्ववेद के दो सूक्तों में गृह-निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है^३ किन्तु पारिभाषिक शब्दों की दुर्ज्ञेयता के कारण रचना पद्धति का यथार्थ विवेचन अत्यन्त दुष्कर हो जाता है। तथापि इनसे वैदिक भवनों की विशेषताओं का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। पुरातत्त्व एव-साहित्य के सामूहिक साक्ष्य से ज्ञात होता है कि मकानों की दीवारें अधिकांशतः मिट्टी, कच्चे ईंट अथवा सरकण्डे (रीड्स) आदि से बनी होती थी जिस पर मिट्टी का पलस्तर होता था।^४ यद्यपि पके हुए ईंटों का उल्लेख स्थान

१ अथर्ववेद ६.६.५

२ तै० आ० १०.६.७

३. अथर्ववेद ३.१२, ६.३

४ ऐन्शेयेन्ट इण्डिया न० १०-११, पृ० ८५

स्थान पर यज्ञ-वेदी के निर्माण के प्रसंग में हुआ है किन्तु पुरातात्विक अवशेषों से भवन-निर्माण में पके ईंटों का प्रयोग अज्ञात प्रतीत होता है।^१ मकानों की छत प्रायः बास के लट्ठों और घास-फूस तथा खर की सहायता से बनाई जाती थी। पहले बास के टुकड़े काट कर ढाचा बनाने का काम होता था। ढाचे को सम्भवतः अक्ष कहते थे।^२ इसके ऊपर छाजन के लिए 'पलद' तथा तृण रखे जाते थे। इसके पश्चात् पूरे छाजनको रस्सियों से बांध दिया जाता था। छत को प्रायः छदिस और छन्दस नाम से अभिहित किया गया है। अथर्ववेद (३ १२ ३) में एक मकान को बृहच्छन्दस विशेषण दिया गया है। इस प्रकार मकानों की बनावट बहुत कुछ आजकल के ग्रामीण भोपड़ों की भाँति रही होगी। इतना अवश्य है कि आज के युग में इन भोपड़ों के निर्माण का कारण दीनता है किन्तु वैदिक युग में इसका कारण निर्माण-कौशल का अभाव था। उस युग के समृद्ध लोग भी ऐसे हीवास्तु हर्म्य और आयतन में रहते थे जो अन्य भवनों की अपेक्षा कुछ विशाल, हवादार तथा अनेक कक्षों से युक्त रहे होंगे।

वैदिक साहित्य में पारिवारिक जीवन में काम आने वाले नाना प्रकार के उपयोगी उपकरणों का उल्लेख मिलता है। उनकी विविधता तथा बनावट से भी तत्कालीन भौतिक जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सर्वप्रथम हम घरेलू उपयोग की वस्तुओं में सोने और बँठने के लिये निर्मित विभिन्न आसनों पर विचार करेंगे। याज्ञिक अनुष्ठानों के अवसर पर कुक्ष के बने हुये प्रस्तर^३ 'वर्हि' और 'कूर्च'^४ का उपयोग किया जाता था। बैठने और लेटने के लिये चटाईया भी बनाई जाती थी। कशिपु (सेज) का निर्माण सम्भवतः

१ हस्तिनापुर के उत्खनन से इस युग से सम्बन्धित स्तर में केवल एक खरिडत ईंट प्राप्त हुई है पके ईंटों से बस्ती एक भी दीवाल का अवशेष नहीं मिला। यही स्थिति रूपड के उत्खनन से भी प्रमाणित है।

२ अथर्ववेद ८ ८ १८ (अक्षुजालाम्याम), १३ १८, इस शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। किन्तु मकान के प्रसंग में ठाठ ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

३ ऋ० १०.१४४, अथर्ववेद १६ २ ६, तै० स० १७ ७ ४, वाज० स० २ १८।

४ तै० स० ७ ५ ८ ५, बृहदारण्यक २ ११ १, ऐत० ब्रा० ५ १४
वैदिक इण्डेक्स के लेखकों के अनुसार यह घास का एक आसन था जो बैठने के लिये उपयोग में लाया जाता था।

वैदिक इण्डेक्स १ १७७, शत० ब्रा० ७.१३.४ ३ में हिरण्यकूर्च का उल्लेख है।

नरकट तथा कट (वेंत) की सहायता से होता था ।^१ राजा अपने ऐश्वर्य के सूचनार्थ अश्वमेध में हिरण्यकशिपु (स्वर्ण आसन) पर बैठता था ।^२

ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धजनो के अन्त पुरों में बहुमूल्य शैय्या एवं आसनो का उपयोग होता था । ऋग्वेद के एक सूक्त में तल्प, वह्य और प्रोष्ठ पर लेटी स्त्रियो का उल्लेख हुआ है । ये तीनों आसन सम्भवत रचना और सजावट की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे । 'तल्प' एक कीमती पलंग था जिस पर विवाह के पश्चात् वर-वधू समागमार्थ शयन करते थे । अथर्ववेद के विवाह सूक्त में (१४.२.३१) वधू को प्रसन्नचित्त होकर तल्प पर आरोहण करने तथा पति केलिये प्रजा उत्पन्न करने का उपदेश दिया गया है ।^३ शतपथ ब्राह्मण में नियमत उत्पन्नपुत्र की 'तालप' सजा दी गई है इससे भी इस विचार की पुष्टि होती है ।^४ छान्दोग्य उपनिषद् (५.१०.९) गुह्यतल्पसेवी की गणना पंच पातकियो में करता है ।^५ तल्प की रचना भी पवित्र उदुम्बर वृक्ष की लकड़ी से होती थी ।^६ इन सभी बातों पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि तल्प गैवाहिक शैय्या थी जिस पर पति-पत्नी शयन करते थे ।

ऋग्वेद में प्रोष्ठ-शय्या स्त्रियों का उल्लेख है । प्रोष्ठ का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (७.५५.८) में भी हुआ है । यह काष्ठ-निर्मित वेंच प्रतीत होता है । इसके निर्माण के विषय में विशेष वर्णन का अभाव है । तल्प और प्रोष्ठ के अतिरिक्त वह्य एक सुखद आसन था । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसका उपयोग लोगों की (विशेषत स्त्रियो को) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये होता था । 'वह्य' आधुनिक पालकी और डोली का प्राचीन प्रतिनिधि जान पड़ता है । अथर्ववेद के एक प्रसंग से यह विदित होता है कि आन्ता नद्यु ए वह्य पर चढती थी ।^७ अवश्य ही इसका उपयोग वधू के पति-

१. अथर्व० ६. १३. ५ इसका निर्माण स्त्रियां करती थीं ।

२. शत० ब्रा० १३. ४. ३. १

३. आरोह तल्प सुमनस्यमानेह प्रजा जनय पत्ये अस्मै

४. शत० ब्रा० १३. १. ६. २

५. स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबन्च गुरोस्तल्पमावसन् ब्रह्महा च एते पतन्ति चत्वार पञ्चमद्वारैस्तैरिति ।

६. तै० ब्रा० { २. ६. ५

७. अथर्ववेद ४. २०. ३, सा भूमिमा सरोहिय वह्य आन्ता वधूरिव ।

गृह गमन के समय होता रहा होगा।^१ इस प्रकार की परम्परा आज भी भारत के ग्राम्य-जीवन में प्रचलित दिखाई देती है।

परवर्ती सहिताओं^२ तथा ब्राह्मणों^३ में आसन्दी का भी उल्लेख है। इसका उपयोग केवल बैठने के लिये होता था। अतिथियों के आने पर उन्हें बैठने के लिये प्रायः आसन्दी दी जाती थी। प्राप्त प्रसंगों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि राजाओं के अभिषेक के अवसर पर उन्हें बैठने के लिये आसन्दी की व्यवस्था थी। ऐसे अवसरों पर निश्चय ही आसन्दी का प्रयोग राजसिंहासन के रूप में होता था। यह बात जनमेजय की राजधानी के नाम 'आसन्दीवन्त' से भी प्रमाणित होती है। ऐतरेयब्राह्मण (८.५, ६) तथा शतपथ ब्राह्मण (५.४.४१) में आसन्दी के अग-प्रत्यग का विस्तृत वर्णन मिलता है जिससे अलंकारों से सुसज्जित इस आसन के गौरव का आभास मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि यह खदिर वृक्ष की लकड़ी अथवा उदुम्बर की लकड़ी से बनाया जाता था।

१ ऋ० १०.३८ में सूर्या के विवाह के प्रसंग में हम सूर्या को रथ में बैठकर पतिगृह को आते देखते हैं।

२ अथर्ववेद १४.२.६५, १५.३.२, तै० स० ७.५.८५, वाज० स० ८.५६, १६.१६

३ ऐत० ब्रा० ८.५, ६, १२, शत० ब्रा० ३.३.४.२६, ५.२.१.२२, ५.४.४.१

९-व्य र १

उत्तर वैदिक युग में ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वर्ण व्यवस्था का विकास भी हुआ। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, (१० ६०) जिसमें वर्ण-व्यवस्था के सैद्धान्तिक औचित्य को सिद्ध करने का प्रथम प्रयास है, इसी युग की देन है। यह वर्णन कुछ परिवर्तन के साथ उत्तर वैदिक युग के अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है।^१ द्वािष्टने महोदय ने अथर्ववेद (१६ ६ ६) के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की रचना भी अथर्ववैदिक युग के अन्तिम चरण में ही हुई।^२ इस युग में न केवल चार वर्णों एव अन्य व्यावसायिक वर्गों का रूप स्पष्ट हुआ बल्कि उनके साथ सामाजिक भेद-भाव की भावना का भी जन्म हुआ।

हम देख चुके हैं कि ऋग्वैदिक युग में ही वर्गों का उदय प्रारम्भ ही हुआ था। ब्राह्मण एव राजन्य अपने को विश से पृथक् और श्रेष्ठ बनाने में सलग्न थे। फिर भी वर्ण शब्द का प्रयोग अभी आर्य और दास इन परस्पर विरोधी और विजातीय लोगों के प्रजातीय एव सांस्कृतिक पार्थक्य का ही द्योतक था। उत्तर वैदिक साहित्य में हम आर्य-दास विरोध तथा द्विवर्ण की स्थिति का सहसा लोप देखते हैं और इसकी जगह स्थान-स्थान पर चार वर्णों का उल्लेख पाते हैं।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्जातीय विवाह-जन्य सम्मिश्रण के कारण जब अनेक आर्यों ने भी अपना मौलिक रूप रग खो दिया, जब दासियों के गर्भ से उत्पन्न होकर दीर्घतमा, भीमिश और वत्स जैसे लोग ऋषित्व की प्राप्ति हुए तथा जब कृष्णत्वच शूद्रों के अतिरिक्त राजन्य भी घुसर वर्ण वाले होने लगे^४ तब आर्य वर्ण और दास वर्ण का पुराना अन्तर स्वभावतः मन्द पड़ गया। समाज के नवोदित चार वर्गों के लिये वर्ण शब्द का प्रयोग बड़ा ही कौतूहलजनक था क्योंकि पहले वर्ण शब्द का प्रयोग

१. अथर्ववेद १६ ६ ६, पच० ब्रा० ५ १.३-१०, वाज० सं० ३१ ११, तै० ब्रा० ३ १२. ५-६

२. हार्नर्ड ओरियन्टल सीरीज़, ८, पृ० ८६५-६८

३. शत० ब्रा० ५ ५ ४. ६, ६. ४ ४. १३, अथर्ववेद ३ ५. ७

४. वैदिक इण्डेक्स भाग २, पृ० २४७

सर्वथा पृथक् मानव समुदायो के लिये होता था किन्तु अब यह समाज के आन्तरिक विभाजन का प्रतीक बन गया। एक ओर तो सामंजस्य एवं समन्वय के माध्यम से अनार्यों के विशाल जनसमूह शूद्र नाम के अन्तर्गत आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में अन्तर्भूत हो चतुर्थ वर्ण बने^१ और दूसरी ओर आर्यों का अपना समाज वर्ण-विभाजन की दिशा में इतना आगे बढ़ चुका था कि जन की आन्तरिक एकता विभ्रूल्लित होने लगी। दासों के विशुद्ध सघर्ष में अपनी समग्रता के रक्षा हेतु वैदिक जन अपने को मात्र आर्य समझते थे किन्तु अपनी आन्तरिक व्यवस्था में वे केवल आर्य न रह कर ब्राह्मण राजन्य और वैश्य हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में वैदिक ऋषियों को आर्य वर्ण के अन्तर्गत तीन पृथक् वर्णों की कल्पना करनी पड़ी। इस प्रकार जहाँ विकसित श्रम-विभाजन के आधार पर आर्य वर्ण तीन वर्णों में विभाजित हुआ वही शूद्र वर्ण का उद्गमन आर्य सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत आर्योत्तर जनों के प्रवेश की सूचना देता है।^२

पूर्व युग में आर्यों की सम्मिश्रण सम्बन्धी नीति पर्याप्त उदार थी। यद्यपि प्रारम्भ में आर्य अनार्य सम्पर्क बहुत कम हुआ फिर भी जो अनार्य आर्यों की व्यवस्था में अन्तर्भूत हुये उनके लिये पृथक् वर्ण की व्यवस्था नहीं हुई। सम्भवतः आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें वही स्थिति मिली जो उनके अपने देशी समाज में थी। निम्न स्थिति वाले अनार्य तथा युद्धबन्दी दास पारिवारिक सेवकों के रूप में आर्य परिवारों के सदस्य हो गये होंगे। अनार्य अथवा दासों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का निषेध ऋग्वेद में अज्ञात है। इसके विपरीत गंगा की घाटी में जब आर्यों और स्थानीय जनो का सम्पर्क काफी बढ़ गया तब अल्पसंख्यक विजेताओं की संस्कृति के लोप की शका उत्पन्न हो गई और ऐसा लगा कि देशी जनता और उसकी संस्कृति का प्रवाह में आर्यों की अपनी परम्पराएँ विलीन हो जायगी अतः उन्होंने पार्श्विक नीति को प्रोत्साहन दिया। साथ ही वे अनार्य जिन्हें शूद्र वर्ण के अन्तर्गत स्थान मिला, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही हीन थे। परिणामस्वरूप ये शीघ्रता पूर्वक विजेता की संस्कृति को नहीं अपना सके। इसके विपरीत आर्यों के लिये निम्नस्तरीय अनार्य संस्कृति में कोई आकर्षण नहीं था। यही नहीं इनकी कुछ इतनी

१ कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० ६६, १२८-२९

२ रामप्रसाद चन्दा, इण्डो-आर्यन रेसेज, पृ० ३६

निष्कृष्ट परम्परायें भी थी जिन्हें निश्चित रूप से शूद्रों की सामाजिक हीनता का एक सहायक कारण कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ श्वपाक श्वानमांस भक्षी थे और इसीलिये वे समाज में अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। इन नवोदित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप शूद्रों के साथ स्वच्छन्द सम्मिश्रण का विरोध हुआ और सामाजिक व्यवस्था उत्तरोत्तर रुढ़िग्रस्त और कठोर होने लगी। शूद्रों को समाज का अङ्ग मानते हुए भी उन्हें अन्य तीन वर्गों के सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया तथा उन्हें द्वि-जातियों से पृथक् करने के लिये और धार्मिक एवं सामाजिक सुविधाओं से हीन करने के लिये परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में विभिन्न प्रकार के नियम बनाये गये। आर्यों के विस्तार पथ में जो भी नई जातियाँ सम्पर्क में आईं वे अनायास शूद्र वर्ण के अन्तर्गत समाविष्ट हो गईं। इस प्रकार इस नई व्यवस्था से एक तरफ अनाथों के आर्यीकरण की समस्या का सरलतापूर्वक समाधान हुआ और दूसरी ओर अल्पसंख्यक होते हुए भी आर्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रधानता सुरक्षित रही।

शूद्रों के बहिष्करण तथा सत्सम्बन्धी नियम-निर्धारण का समाज पर बड़ा ही सक्रामक प्रभाव पड़ा। धीरे-धीरे समाज के उच्च वर्गों ने (ब्राह्मण और राजन्य) वैश्यों को भी अधिकार च्युत करना प्रारम्भ किया तथा अनेक प्रकार के नियमों की व्यवस्था द्वारा उनकी स्थिति को उत्तर वैदिक युग के अन्त तक शूद्रों के समकक्ष कर दिया। विश्व के सदस्य तक्षन और रथकार जो कभी यज्ञकर्म करते थे तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के पात्र थे^१ धीरे-धीरे शूद्र वर्ण में परिगणित हुए। सूत्र-काल तक वैश्यों को भी शूद्रों की भाँति वाजपेय यज्ञ में प्रवेश से वंचित कर दिया गया।^२ वर्गों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की व्यवस्था हो रही थी तथा वर्गों के सापेक्षिक सामाजिक स्तर के निर्धारण का भी प्रयास हो रहा था। इस नवीन परिवर्तन के पीछे उच्च वर्गों की स्वार्थ भावना ही प्रबल थी। वे अपने विशिष्ट व्यवसाय को अपनी सन्तानों के लिये भी सुरक्षित रखना चाहते थे अतः वे अपने वर्ग के चारों ओर दुर्भेद्य और अनुल्लंघनीय

१ वाज० सं० ३०.६ ७, अथर्ववेद ३.५ ६, शत० ब्रा० १३.४ २.१७, तै० ब्रा० १ १.४.८ ।

२ चाराह श्रौत सूत्र ३.१.१.१, किन्तु शाख्या० श्री० सू० के अनुसार (१६ १७.४) वैश्यों को वाजपेय यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था ।

प्राचीर के निर्माण में सलग्न थे। पीरोहित्य और राजत्व दोनों आनुवंशिक हो चले थे। जैसे यज्ञतंत्र कुछ अपवाद भी अज्ञात नहीं हैं। शतपथ ब्राह्मण विभिन्न वर्णों के लोगों के लिए विभिन्न आकार की चिताओं की व्यवस्था करता है।^१ इसी ग्रन्थ में यज्ञ के अवसर पर विभिन्न वर्णों के लोगों को पुकारने के लिये पृथक्-पृथक् सम्बोधनों की भी व्यवस्था की गई है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण (१.५) में बताया गया है कि ब्राह्मण को गायत्री मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय को त्रिष्टुभ का और वैश्य को जगती का। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण को वसन्त में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा काल में अग्नि-होत्र करना चाहिए।^३ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञ में ब्राह्मण को पलाश की लकड़ी का, क्षत्रिय को न्यग्रोध और वैश्य को अश्वत्थ की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए।^४ इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्णों के पहचान के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञापवीत की भी कल्पना की गई। शतपथ ब्राह्मण में गायत्री मन्त्र के पाठ के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करते हुये कहा गया है कि इस मन्त्र को ब्राह्मण को भू से क्षत्रिय को भुव से और वैश्य को स्व से प्रारम्भ करना चाहिए।^५ इस प्रकार के अनेक नियमों ने वर्णों को एक दूसरे से सर्वथा पृथक् कर दिया। आपाततः ये नियम विल्कुल साधारण और निर्दोष थे किन्तु ये ही क्रमशः वर्णों के पारस्परिक पार्थक्य के प्रतीक बन गये।

हम देखते हैं कि उत्तर-वैदिक युग के प्रारम्भ में वर्णों के आपसी सम्बन्धों में ऊच-नीच की भावना का विकास नहीं हो पाया था। अभी वर्णों के सापेक्षिक स्तर का निर्धारण भी नहीं हो सका था। यही कारण है कि स्थान-स्थान पर इन वर्णों का उल्लेख करते हुए वर्णन-क्रम में सामाजिक प्रधानता का ध्यान नहीं रखा गया है। अथर्ववेद (१६ ३२-८) तथा वाजसनेयी संहिता (२६ २) में चार वर्णों के उल्लेख-क्रम में शूद्र को तीसरा और

१ शत० ब्रा० १३ ८ ३ ११

२ वही, ११ ४ १२, ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आघव। इसमें वर्णों की सापेक्षिक प्रतिष्ठा के निर्धारण का प्रयास दिखाई देता है।

३ तै० ब्रा० १ १४

४ शत० ब्रा० ५ ३ २ ११

५ वही २ १ ३.४

वैश्य को चौथा स्थान दिया गया है।^१ मैत्रायणी संहिता (४.४.९) में वैश्य का उल्लेख राजन्य के पूर्व हुआ है। अथर्ववेद (३५.७) में तो क्रमशः राजन्य वैश्य शूद्र और आर्य का उल्लेख हुआ है। यहाँ आर्य शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए हुआ प्रतीत होता है जो कुछ विचित्र लगता है। ब्राह्मणों ने तो ऋग्वेदिक युग से ही अपनी सामाजिक प्रधानता का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था।^२ उत्तर वैदिक साहित्य में इसी प्रधानता के लिए क्षत्रियों और ब्राह्मणों का प्रच्छन्न सघर्ष मिलता है। किन्तु इन सभी प्रयासों के होते हुए भी पुरुषसूक्त में उल्लिखित वर्णों का क्रम अभी सामाजिक दृष्टि से पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं हो सका था। यह कार्य इस युग के अन्त तक अशत सफल हुआ क्योंकि इस समय तक वैश्य और शूद्र निश्चित रूप से तृतीय और चतुर्थ वर्ण के अन्दर प्रतिष्ठित हो चुके थे किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता की समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस सघर्ष की परम्परा हमें बौद्ध साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है।^३

वर्णों के इस विकास में तत्कालीन धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का बड़ा योग था। धार्मिक क्षेत्र में नये मन्त्रों की रचना का कार्य प्रायः समाप्त हो चला था। इस युग में अधिकांशतः यज्ञ-सम्बन्धी साहित्य का विकास हुआ तथा मन्त्र साहित्य से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई। यज्ञों की विधि तथा अनुष्ठान इतने विस्तृत और जटिल हो गये कि अनुभवों और प्रशिक्षित पुरोहित के अभाव में यज्ञ कार्य असम्भव होने लगा। धीरे-धीरे सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य ब्राह्मणों के अधीन हो गया। फलतः धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार स्थापित हुआ। वैसे स्वतन्त्र रूप से यज्ञ करनेवाले लोग भी इस युग में अज्ञात नहीं थे^४ किन्तु उन्हें

१ तै० सं० ५.३.१० १-३, काठक सं० १७.५, वाज० सं० १४.२८-३०

२ ऋ० ४.५.० ८

३ बौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास है।

४ ऐत० ब्रा० ७.२७ में विश्वन्तर और श्यपर्णस के विषय में बिना पुरोहित की सहायता से यज्ञ करने का उल्लेख है।

पुरोहितो के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा ।^१ किसी भी मेधावी व्यक्ति के लिए अब बिना किसी कुशल पुरोहित से यज्ञ सम्बन्धी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त किए पुरोहित्य में प्रवीण होना असम्भव था । इस स्थिति में पुरोहित्य स्वतः ब्राह्मणेतर वर्ग के लिए अप्राप्त होने लगा । ब्राह्मणों ने व्यावहारिक रूप में अन्य वर्गों के लिए पुरोहित्य की शिक्षा का निषेध कर दिया तथा प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए गोत्र और प्रवर की व्यवस्था की ।^२ सूत्रकाल तक आते-आते तो यहाँ तक नियम बनाये गये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पुरोहित्य नहीं कर सकता जिसका सम्बन्ध ऋषियों की तीन (कौपीर्ताक सूत्र) अथवा दस (लाट्यायन) पीठियों से न हो । राजन्य, जो धार्मिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों के प्रतिस्पर्धी थे याज्ञिक अनुष्ठानों की सूक्ष्मता से अनभिज्ञ होने के कारण, यज्ञ-धर्म से विरत हो ब्रह्मविद्यानुशीलन में लगे तथा इस क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त स्थािति भी मिली । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों को एक पृथक् विशिष्ट वर्ग बनाने में धार्मिक परम्पराओं के विकास का बड़ा योग था । विशाल धार्मिक साहित्य एवं सूक्ष्म याज्ञिक कर्मकाण्डों की सुरक्षा के लिए एक पृथक् वर्ग की स्थिति अनिवार्य हो गई । साथ ही यह भी कहा गया कि यज्ञ के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो यजमान अभीप्सित फल की प्राप्ति के विरुद्ध किसी सकट में पड़ जाता है ।^३ ऐसे नियमों ने धर्मभीरु जनता को इस बात के लिये विवश किया कि वे वशानुगत-पुरोहितों से ही यज्ञ काय में सहायता लें क्योंकि व्यवसाय के कारण याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्पादन में वे अधिक सिद्धहस्त समझे जाते थे । स्वयं पुरोहित के लिए भी यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं और विधि-विधानों में पारंगत होना अनिवार्य था क्योंकि इन विधि-विधानों तथा मन्त्रों के पठ में साधारण भूल का दुष्परिणाम पुरोहित को भी भोगना पड़ता था । शतपथ ब्राह्मण (१. ७. ३. १६) के अनुसार यज्ञ सम्पादन में कुछ त्रुटि हो जाने के कारण एक पुरोहित का हाथ ही हट गया था । यज्ञ के अवसर पर अपने उत्तर-दायित्व का समुचित बहन न करने के कारण आपाठि सीश्रोमतेय नामक पुरोहित

१ नवाऽपुरोहितस्य देवा अन्नं अदन्ति, ऐत० ब्रा० ४०. १.

२ एन० के० दत्त, ओरिजिन, एण्ड प्रोग्रेस ऑफ़ कास्ट इन इण्डिया, पृ० ८१

३. ऐत० ब्रा० ७. २६

मृत्यु को प्राप्त हुआ ।^१ यज्ञो का दूरूह और रहस्यमूलक होना शूद्रोंकी स्थिति को हीन बनाने में भी सहायक हुआ । एक तो विस्तृत और व्ययपूर्ण यज्ञो के सम्पादन के लिये निर्धन शूद्रो के पास अर्थ और समय दोनों का अभाव था दूसरे वैदिक मन्त्रों के उच्चारण तथा विविध न्यियों के आचरण में इन शूद्रो द्वारा अधिक त्रुटि की आशंका थी । शूद्रो को वैदिक धर्म से बहिष्कृत करने का जो प्रयास हुआ उसका एक कारण यह भी था । बाद के युग में जब स्त्रियाँ भी अशिक्षित होने के कारण वैदिक मन्त्रों के शुद्ध पाठ करने में असमर्थ हुईं तो उन्हें भी शूद्र कोटि में रखा गया^२ तथा उनके लिये भी वैदिक-साहित्य का अध्ययन और विशिष्ट यज्ञो में भाग लेना निषिद्ध हो गया ।^३ वैसे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के गिरने का कारण आर्य परिवारों में बहुसंख्यक अनायाग्नो का प्रवेश भी था ।^४ ये अनायाग्न स्त्रियाँ यज्ञ-मूलक धर्म से अपरिचित होने तथा आर्य भाषा के अल्पज्ञान के कारण स्वभावतः यज्ञ सम्बन्धी कृत्यों में अनेक त्रुटियाँ करती रही होगी । यही कारण है कि इनके विरुद्ध समाज की जो प्रतिक्रिया हुई उसके परिणामस्वरूप उत्तर-वैदिक युग से ही स्त्रियों की गणना शूद्रो के साथ होने लगी तथा उनके व्यक्तित्व में अपवित्रता का आरोप हुआ ।^५ वैदिक ऋषियों ने युगीन सामाजिक विभाजन को धार्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए देवताओं को भी चार वर्णों में विभाजित किया जिसके अनुसार अग्नि, बृहस्पति इत्यादि ब्राह्मण हुये, इन्द्र, वरुण और सोम क्षत्रिय कहे गये । रुद्र, आदित्य तथा विश्वदेव को वैश्य और पूषण को शूद्र कहा गया ।^६

यह युग धार्मिक परम्पराओं के साथ-साथ राजशक्ति के विकास का भी युग था । धीरे-धीरे राज्य विशालकाय एवं स्थायी होने लगे । अश्वमेध एवं बाजपेय जैसे यज्ञों की व्यवस्था हुई जिनके कारण राजन्य वर्ग की प्रतिष्ठा में अतीव वृद्धि हुई । कालक्रम से क्षत्रियों की प्रभुता का प्रभाव इतना बढ़ा

१. शत० ब्रा० ६ २ १. ३७

२. शत० ब्रा० १४, १ १. १३

३. शाखा० ब्रा० २७, ४, अयज्ञियाणी पत्न्यो बहिर्वेदिहिता ।

४. राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली शूद्रा ही हुआ करती थी ।

५. शत० ब्रा० १४ १. १ १३ ।

६. मंत्रा० स० १. १०. १३, शत० ब्रा० १४. ४. २. २३-२५, ऐत० ब्रा० ३४. ५ ।

कि पुरोहित वर्ग भी उससे अप्रभावित नहीं रह सका। राजसूय यज्ञ के अव-
 अवसर पर ब्राह्मण भी क्षत्रिय से नीचे बैठता था।^१ ब्राह्मण साहित्य में
 ऐसे प्रसंगों का अभाव नहीं है जहाँ राजन्य को सर्वाधिक उच्च और सामा-
 जिक दृष्टि से प्रधान कहा गया है।^२ असम्भव नहीं कि कुछ पुरोहितों ने
 आश्रयदाता की सन्तुष्टि के लिए समाज-सघर्ष की वेदी पर वर्गगत स्वार्थ
 का बलिदान किया हो। राजकीय शक्ति के विस्तार के साथ ही राजन्य
 वर्ग की अहंमन्यता भी बढ़ रही थी। विश (साधारण जनों) का शोषण
 हो रहा था।^३ इन्हीं राजन्यों के द्वारा पुरोहित भी प्रभूत घनराशि प्राप्त
 करते थे तथा यही विस्तृत एवं व्ययसाध्य यज्ञों को प्रोत्साहन भी मिलता
 था। यही कारण है कि विशेष तौर से राजन्य वर्ग के लिए पुरोहित की
 सहायता को अनिवार्य बतलाया गया।^४ क्रमशः जब राजसत्ता निरकुश और
 वशानुगत होने लगी तब समिति और सभा जैसी लोकप्रिय संस्थाओं का भी
 ह्रास प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार राजसत्ता के विकास ने ब्राह्मणों की
 भाँति ही क्षत्रियों को भी अपेक्षाकृत एक वशानुगत वर्ग में बदल दिया।
 यह वर्ग बुद्धिजीवी ब्राह्मणों को तो विशेष हानि न पहुँचा सका किन्तु वैश्यो
 और शूद्रों के शोषण और उत्पीड़न सम्बन्धी इनका प्रयत्न युगीन सामाजिक
 इतिहास का करुण अध्याय है जिस पर हम अग्रिम पृष्ठों में विचार करेंगे।

उत्तर वैदिक युग के सामाजिक विभाजन पर सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक
 परिवर्तनों का पड़ा। गंगा की घाटी में पहुँच कर आर्यों ने अपनी आर्थिक
 स्थिति को अधिक समृद्ध किया। उनके कृषि और
 आर्थिक विकास और पशुपालन जैसे पतृक व्यवसाय तो गंगा के उपजाऊ
 सामाजिक व्यवस्था मैदान में विकसित हुए ही साथ ही सामाजिक
 पर उसका प्रभाव जीवन में आर्यों के प्रवेश के कारण विभिन्न
 व्यवसायों एवं उद्योग-धन्धों का विकास हुआ। सुख
 और उपभोग की विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की मात्रा में वृद्धि तो हुई ही
 उनकी निर्माण-कला में भी पर्याप्त परिष्करण हुआ। इस युग में आर्यजन
 नागरिक जीवन से भी उदासीन नहीं रह सके। मध्यदेश में नगरों का

१. शत० १। १४ ४. १ २३।

२. वही।

३. विशामत्ताजनि, ऐत० ब्रा० ३६३

४. ऐत० ८ २४

निर्माण प्रारम्भ हुआ। पुरातात्विक अवशेषों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि हस्तिनापुर और कौशाम्बीप्रभृति नगरों का अस्तित्व १००० ई० पू० के लगभग प्रारम्भ हो चुका था।^१ नागरिक जीवन के विकास के साथ ही व्यापार और वाणिज्य की ओर भी लोगो ने ध्यान देना प्रारम्भ किया। इस आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप विभिन्न व्यवसायो ने, जो अभी तक विश्व अथवा वैश्य वर्ग के अन्तर्गत थे, पृथक् आर्थिक वर्गों का रूप धारण किया जो स्वनिर्मित नियमों के आधार पर संगठित हुए।^२ धीरे-धीरे इनका संगठन अन्तर्मुखी होता गया तथा ये पृथक् सामाजिक इकाइयों में बदल गये। इस प्रकार वैश्य वर्गों के अन्तर्गत आन्तरिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न व्यावसायिक सभ जातियों में परिणत होने लगे। इन नवोदित आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव वर्णों के आपसी सम्बन्धों पर भी पड़ा। उत्पादन के साधनों की वृद्धि के साथ ही श्रम की समस्या बढ़ने लगी जिसका समाधान विजित स्थानीय जनो को श्रमकार्य में नियोजित करके हुआ। अधिकांश शूद्र श्रमजीवी बनावे गये। परिणामस्वरूप इनमें और आर्य स्वामियों में सम्पर्क बढ़ा। इस सम्पर्क ने शूद्रों को जहाँ आर्यों की सामाजिक व्यवस्था का अविच्छिन्न अंग बना दिया वहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। आर्यों के उच्च वर्ग धीरे-धीरे श्रमकार्य से उदासीन होने लगे तथा वैदिक युग के अन्त तक श्रम तथा श्रमजीवियों को लोग हीन दृष्टि से देखने लगे। यही कारण है कि शूद्रों के साथ साथ विश्व के वे सदस्य भी अनादृत और तिरस्कृत होने लगे जिनका व्यवसाय पहले नितान्त आदरणीय और प्रतिष्ठित था। उत्तर-वैदिक युग के विभिन्न औद्योगिक सघों की गणना, जो विश्व के अंग थे, धर्मसूत्रों के काल तक शूद्र वर्ग के अन्तर्गत होने लगी। विचरार्ह है कि आर्थिक सम्पन्नता की पृष्ठभूमि में ही यज्ञ मूलक धर्म और राजसत्ता का विकास भी सम्भव हो सका।

वर्णों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्तर वैदिक साहित्य से प्राप्त कौन से प्रामाणिक अथवा सामाजिक आदर्शों अथवा नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते

१ द्र० ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० १४, एक्सकेवेसन्स एंड कौशाम्बी पृ० ५-६

२ कारपोरेट लाइफ इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० ३७६।

हैं जो व्यावहारिक जीवन में अज्ञात थे तथा कौन से अश सस्यामो और नियमो की वास्तविक स्थिति को सूचित करते हैं। उदाहरणार्थ जहाँ ब्राह्मणो और क्षत्रियों के विशेषाधिकारो एवं श्रेष्ठता का वर्णन हुआ है वहाँ यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि इनमें उच्च वर्ग के विशेषाधिकारो की स्थापना का प्रयास मात्र है या तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक चित्र प्रतिबिम्बित है। उत्तर वैदिक साहित्य में बहुधा हमें दोनो प्रकार के प्रसंग उपलब्ध होते हैं। क्योंकि यह युग सस्यामो के स्वाभाविक विकास तथा नियमों के निर्धारण, दोनो का था। किन्तु इन दोनो का विकास सहगामी नहीं है। प्रायः सस्यामों का जन्म पहले होता है और उन्हें सैद्धान्तिक रूपवाद में मिलता है किन्तु कुछ भिन्न परिस्थितियों में समाज अथवा वर्ग-विशेष के स्वार्थसाधन हेतु नियमो की सृष्टि होती है तथा सस्यामो को जन्म दिया जाता है। यह सत्य है कि वर्णों अथवा वर्गों का विकास विभिन्न आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से अनायास और अचिन्त्य रूप से हो रहा था किन्तु समाज का साधनसम्पन्न एवं वृद्धजीवी वर्ग इस परिवर्तन के प्रति उदासीन नहीं था। ये लोग इन परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों तथा नवीन सस्यामो को अपने लिये अधिकाधिक अनुकूल और उपयोगी बनाने के लिये नियमो और सिद्धान्तो की स्थापना कर रहे थे। वाङ्मय परिस्थितियों ने जहाँ सामाजिक विभाजन के कार्य को प्रोत्साहित किया वही अधिकारो के स्वामित्व की चेतना ने विभिन्न वर्गों के सदस्यों को पारस्परिक सीमा निर्धारण के लिये प्रेरित किया जिसके पोछे वर्ग के स्वार्थों की रक्षा तथा उनमें भावी हस्तक्षेप की आशंका, दोनो ही प्रधान रूप से उपस्थित थीं। इस युग के सामाजिक जीवन में अधिकांश नियमो का निर्माण इसी दृष्टि से हुआ। समाज में ब्राह्मणो और राजन्धो का वर्ग शक्तिशाली था। विविध नियमों की स्थापना का कार्य भी पुरोहित वर्ग का ही विशेषाधिकार हो गया था। परिणामस्वरूप हम स्थान-स्थान पर ऐसे प्रसंगो का उल्लेख पाते हैं जहाँ ब्रह्म और क्षत्र को दृढ़ करने का आदेश अथवा निवेदन है।^१ निश्चय ही विश्व के सदस्यों ने ऐसी आतिकारी, एकपक्षीय एवं अभूतपूर्व भान्यतामो का हादिक स्वागत नहीं किया होगा। साहित्यिक साक्ष्यो से ऐसा लगता है कि अन्ततोगत्वा ब्राह्मणो और क्षत्रियो को अपनी सामाजिक उच्चता तथा विशेषाधिकारो के प्रतिष्ठापन में सफ-

लता मिली। इस सामाजिक प्रधानता की प्राप्ति के लिये शास्त्र और शास्त्र का भी पर्याप्त आश्रय लिया गया। शिक्षा एवं प्रचार के अधिकांश साधन युगीन साहित्य के रूप में ब्राह्मणों के हाथ में केन्द्रीभूत थे। उन्होंने अपने विचारों को धार्मिक आवरण में लपेट कर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया अतः उनका विरोध करना असम्भव तो दुष्कर अवश्य हो उठा। दूसरी ओर राजन्य वर्ग ने अपनी शक्ति के प्रभाव से उन नियमों को समाज में स्थिर करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में हमें जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे एकपक्षीय दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अधिकांशतः इनकी रचना विशिष्ट एवं विशेषाधिकारयुक्त वर्गों द्वारा हुई। यह हमें इस सामाजिक व्यवस्थापन और वर्ण-सघर्ष के विषय में वैश्यों एवं क्षत्रियों की प्रतिक्रिया का भी ज्ञान होता, तो निश्चय ही सामाजिक इतिहास के अध्ययन में हम अधिक स्वस्थ निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते।

वर्णों की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हुये सर्वप्रथम हम उत्तरवैदिक युगीन ब्राह्मणों की दशा पर विचार करेंगे। इस विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या ब्राह्मण वर्ग

ब्राह्मण-वर्ग की वशानुगत हो चुका था? विद्वानों में इस विषय पर सामाजिक स्थिति बड़ा वैमत्य है। वेबर महोदय ने विषय के गभीर अध्ययन के पश्चात् यह स्थापना की कि उत्तर-वैदिक

युग की वर्णव्यवस्था में कुछ शिथिलता के होते हुए भी प्रायः वही चित्र दृष्टिगोचर होता है जिसे मनुस्मृति में आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है।^१ वेबर महोदय का यह कथन ब्राह्मण वर्ग के वशानुगत होने का संकेत करता है। वेदिक इण्डेक्स के लेखकों ने भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के व्यवसाय की वशानुगत माना है तथा इस बात पर बल दिया है कि इन वर्णों की सदस्यता उत्तर वैदिक युग तक जन्म पर आधारित हो चुकी थी।^२ यद्यपि ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व के परिचायक उनके अपने वर्ण धर्म थे किन्तु अब ये वर्णधर्म और वर्ण-व्यवसाय सबके लिए ब्राह्म्य नहीं थे। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान और अध्ययन के द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का प्रयास करता था तो बहुधा उसे निराशा ही मिलती थी इससे स्पष्ट होता है कि जन्म की

१. वेबर का मत, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्डियेन्ट इण्डिया, पृ० ३३३ पर उद्धृत।

२. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २६४

हीनता की पूर्ति अब ज्ञान से सम्भव नहीं थी। यह बात प्रायः प्रशस्त हो चली थी कि ब्राह्मणेतर व्यक्ति पौरोहित्य नहीं कर सकता है।^१ इस युग में एक भी विश्वाग्नि नहीं हुआ जो क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सके।

श्री रमेशचन्द्र मजुमदार ने उक्त मत की आलोचना करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणों का वर्ग एक व्यावसायिक सघ के रूप में था जिसकी सदस्यता का आधार जन्म नहीं बल्कि वेदाध्ययन था।^२ दूसरे शब्दों में ब्राह्मण केवल वे थे जो वेदों के विद्वान् थे तथा पौरोहित्य में निपुण थे।^३ उक्त विद्वान् ने अपने मत की स्थापना का सतर्क एवं सायास प्रयास किया है किन्तु पुष्टि के लिए दिये गये प्रमाण या तो शिथिल हैं अथवा उनकी व्याख्या पूर्वाग्रह से प्रभावित है। शतपथ ब्राह्मण में यह अवश्य कहा गया है कि याज्ञवल्क्य की शिक्षा से जनक ब्राह्मण हुए।^४ किन्तु इसी ग्रन्थ में अन्यत्र ब्राह्मणों ने जनक के द्वारा धार्मिक विवाद में पराजित होने पर उन्हें राजन्य वन्धु कहा है।^५ इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रवाहण जैवलि नामक पञ्चाल नरेश को भी राजन्य-वन्धु कहा गया है।^६ निश्चय ही ये दोनों नरेश वैदिक साहित्य एवं धर्म के प्रकाण्ड पंडित थे किन्तु इन्हें कहीं भी स्पष्टतः ब्राह्मण वर्ग के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण (११.६.२.१०) में जहां जनक को ब्राह्मण कहा गया है उसका तात्पर्य मात्र उनके ब्रह्म-ज्ञान का सूचक है न कि ब्राह्मण वर्ग की सदस्यता का।^७

यदि ब्राह्मणेतर वर्ग के लोग अपने ज्ञान और विद्वत्ता के आधार पर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति में समर्थ होते तथा ब्राह्मणों के सघ की सदस्यता के अधिकारी होते, जैसा कि मजुमदार महोदय सोचते हैं, तो राजन्यवि और देवराजन जैसे शब्दों तथा सम्बोधनों की आवश्यकता नहीं होती।^८ जिस

१ एन० के० दत्ता, श्रीरजिन एण्ड प्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, पृ० ८६

२ कारपोरेट लाइफ इन ऐन्वयेन्ट इण्डिया, पृ० ३४०-४१।

३ वही।

४ शत० ब्रा० ११.६.२.१०।

५ वही ११.६.२.५।

६ वृ० उप० ६.१.५।

७. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २७२।

८. पंच ब्रा० १२.१२.६, १८.१०.५।

समय याज्ञवल्क्य ने कुछ ब्राह्मण-ऋषियों को, जो जनक से धार्मिक वाद-विवाद के लिये उद्यत थे, ऐसा करने से रोका, उस समय के उनके तर्क निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना था कि 'हम लोग ब्राह्मण हैं किन्तु जनक केवल क्षत्रिय हैं। यदि हमने उन्हें पराजित किया तो इस विजय की बात हम किससे कहेंगे। इसके विपरीत यदि उन्होंने हमें पराजित किया तो सभी यह कहेंगे कि एक क्षत्रिय ने ब्राह्मणों को पराजित किया। अतः ऐसा कार्य आप लोग मत करें।', याज्ञवल्क्य के इस कथन से प्रकट होता है कि जनक-विद्वत्ता अथवा वैदिक ज्ञान के फलस्वरूप ब्राह्मण होने में कदापि समय नहीं हुये थे। इस प्रसंग में श्री मजुमदार का मत अवश्य ही एक भ्रान्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है क्योंकि वह एकाकी प्रसंगों पर आधारित है।

अपने मत की पुष्टि के लिए मजुमदार महोदय तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता के दो अंग उद्धृत करते हैं। तै० स० में कहा गया है 'जो वेदों का ज्ञाता और धार्य है वही ब्राह्मण ऋषि है।'¹ मैत्रायणी संहिता तथा काठक संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण के माता-पिता के विषय में क्या पूछते हो? जो श्रुतिवान है वही ब्राह्मण का पिता और पितामह है।² इन प्रसंगों से निश्चय ही ज्ञान को ब्राह्मण का प्रधान गुण तथा ब्राह्मणत्व का मूल आधार बतलाया गया है किन्तु यह वर्णन हमारे समस्त समाज का वास्तविक चित्र नहीं प्रस्तुत करता। हम ऊपर देख चुके हैं कि शक्तिशाली राजन्य वर्ग के लिए भी विद्वत्ता एवं ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणत्व का गौरव प्राप्त करना असम्भव था फिर विश्व के अन्य सदस्यों के विषय में क्या कल्पना की जाय। ऐसी स्थिति में इन प्रसंगों से केवल इतना अनुमान करना युक्तिसंगत होगा कि ये ब्राह्मणत्व विषयक सामाजिक आदर्शों का प्रतिपादन करते हैं जो वशानुगत पीरोहित्य की प्रतिक्रिया के रूप में यत्र तत्र सकलित हैं। यथार्थ जीवन में इन आदर्शों का कोई प्रभाव नहीं था।

मजुमदार महोदय ने ऐतरेय ब्राह्मण का वह अंश भी उद्धृत किया है जिस में इस बात का संकेत है कि क्षत्रिय यज्ञकार्यों में तब तक दीक्षित नहीं

१ एष वै ब्राह्मण ऋषिरार्षेयो य शुश्रुवन्—तै० स० ६.६.१.५।

२ काठक स० ३०.१, मै० स० ४८.१, १०७.६
कि ब्राह्मणस्य पितरम् कि उ पृच्छसि मातरम्
श्रुत चेद् अस्मिन् वेद्यम स पिता स पितामह।

हो सकता जब तक वह अपने अस्त्र-शस्त्रों (तीर धनुष) तथा राजकीय वस्त्रों का त्याग कर ब्राह्मणोचित वस्त्र धारण करके, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण होकर, यज्ञ के लिये न प्रस्तुत हो ।^१ मज्जिमवार महोदय इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कोई खास भेद नहीं था । दोनों अपने व्यवसाय एवं जीवन पद्धति में परिवर्तन के साथ वर्ण-परिवर्तन भी कर सकते थे ।^२ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 'जो कोई यज्ञ करता है, ऐसा मान कर करता है कि मानो वह ब्राह्मण हो ।'^३ कात्यायन ने अपने श्रौतसूत्र में कुछ और स्पष्ट करते हुये कहा है कि 'वैश्य और राजन्य को भी ब्राह्मण शब्द से ही सम्बोधित करना चाहिए ।'^४ इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि यज्ञ के लिये दीक्षित वैश्य और राजन्य को, यह राजन्य या वैश्य दीक्षित हुआ है, ऐसा नहीं कहना चाहिये, बल्कि 'यह ब्राह्मण दीक्षित हुआ है ऐसा कहना चाहिये ।'^५ इस प्रसंग में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ये आदेश यज्ञ से सम्बन्धित हैं । यज्ञकर्ता क्षत्रिय जब यज्ञ के लिये दीक्षा लेता था तब वह ब्राह्मण की भाँति ही पवित्र माना जाता था । साथ ही वह ब्राह्मणोचित नियमों का आचरण भी करता था किन्तु यजमान की यह पवित्रता तथा उसका ब्राह्मणत्व यज्ञ की अवधि तक ही सीमित था ।^६ इसमें उसके स्थायी ब्राह्मणत्व का कोई भी संकेत नहीं है । यहाँ केवल ब्राह्मणों और यज्ञों की पवित्रता पर ही यथेष्ट प्रकाश पड़ता है ।

ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शुन शेष की कथा इस बात की पुष्टि करती है कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता केवल वेदाध्ययन एवं विद्वत्ता के कारण नहीं थी । एक बालक भी ब्राह्मण परिवार में जन्म मात्र के कारण श्रेष्ठ और पवित्र समझा जाता था ।^७ हरिश्चन्द्र के पुत्र के बदले जब शुन शेष के बलि की व्यवस्था हुई तब सन्तोष प्रकट करते हुये वरुण ने यह कहा कि 'निश्चय ही एक

१. ऐत० ब्रा० ७ १७, शत० ब्रा० ३.२.१-३६ ।

२. कारपोरेट लाइफ इन ऐन्वयेन्ट इण्डिया, पृ० ३३८ ।

३. शत० ब्रा० १३.४.१.३

४. कात्यायन श्रौ० सू० ६.४.१२

५. म्यूर, संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पृ० ३६९

६. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २६३

७. ऐत० ब्रा० ३३ ४, भूयान्वे ब्राह्मण क्षत्रियादिति वरुण उवाच ।

ब्राह्मण क्षत्रिय से अधिक उपयुक्त है'। शुन.शेष एक बालक था। वैदिक साहित्य में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह इस श्रवणायु में ही विद्वान् श्रवण पौरोहित्य करने में समर्थ था। फिर भी उसे ब्राह्मण कहा गया और क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया। इस कथानक से दो बातें स्पष्ट प्रमाणित होती हैं। प्रथम तो यह कि ब्राह्मण का पुत्र जन्म के कारण ब्राह्मण वर्ग का सदस्य था। दूसरे वह जन्म की पवित्रता के कारण ही क्षत्रियादि-अन्य वर्गों से श्रेष्ठ भी था। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण वर्ग को ज्ञान और कर्म पर आधारित धावसायिक सघ बतलाना दुराग्रह मात्र होगा। शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुये उनकी एक विशेषता 'ब्राह्मण्य या वंश की शुद्धता' (Purity of descent) बताई गई है।^१ निश्चय ही यह ब्राह्मण्य शब्द वंशानुगत ब्राह्मणत्व की ओर संकेत करता है अन्यथा यदि सभी वर्गों के लोग ब्राह्मण होने में समर्थ होते तो फिर वंश की शुद्धता का कोई महत्व ही नहीं था। वास्तव में यहाँ ब्राह्मण्य शब्द का अर्थ ब्रह्मपुत्र होना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्रह्मपुत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण तथा सूत्र साहित्य से ज्ञात होता है कि ब्रह्मपुत्र एक सम्मान सूचक शब्द था।^२ बृहदारण्यक उपनिषद् (६४२९) से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण का पुत्र होना बड़े गौरव का विषय था। इन सभी प्रमाणों के सामूहिक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण वर्ग वंशानुगत ही चला था तथा मात्र जन्म के कारण ब्राह्मण आदरणीय समझा जाने लगा था। वैसे अध्ययन, अध्यापन और पौरोहित्य ब्राह्मणों के प्रधान धर्म थे अतः उनके लिए विद्वान् और श्रुतिवान् होना सर्वथा स्वाभाविक था। सम्पूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य में निश्चयपूर्वक केवल एक उदाहरण सत्यकाम जाबाल का मिलता है जिसे गीतम हरिद्रुमत ने अज्ञात-गोत्र होने पर भी उपनीत किया किन्तु इस प्रसंग में भी गीतम ने उसे दीक्षित करते हुए जो तर्क उपस्थित किये वे विशेष महत्वपूर्ण हैं। गीतम ने सत्यकाम से कहा था, सच्चे ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई ऐसी सच्ची बात नहीं कह सकता, जाओ सोम्य समिध लाओ। मैं तुम्हें-उपनीत करूँगा क्योंकि

१. शत० ब्रा० ११५७१ श्री मजुमदार ने भी ब्राह्मण्य का अर्थ वंश शुद्धता ही स्वीकार किया है। — पूर्व उद्धृत ग्रन्थ, पृ० ३३४

२. शत० ब्रा० ११४१.२६ आश्वलायन श्रौ० सू० २१८१२ शाखा० श्रौ० सू०, १२२१, १२.

तुम सत्य से भ्रष्ट नहीं हुये।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्यकाम की दीक्षा के पीछे गौतम द्वारा कल्पित उसका ब्राह्मणत्व ही था। विचारणीय है कि उपनिषद् युग का विशिष्ट विद्वान् होते हुये भी स्पष्टतः उसे कहीं भी ब्राह्मण नहीं कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि गौतम हरिद्रुमत की कृपा से उसे वैदिक साहित्य एवं वाङ्मय का ज्ञान तो हुआ किन्तु फिर भी समाज ने उसके ब्राह्मणत्व को नहीं स्वीकार किया।

ब्राह्मणों ने एक ओर जहाँ अपने को नैशानुगत एवं प्रवेशनिषिद्ध वर्ग में समीक्षित किया वहीं अपनी सामाजिक प्रधानता को भी स्थिर करने का प्रयास किया। उत्तर वैदिक युग तक ब्राह्मण वर्ग सामाजिक प्रधानता समाज में विशेष सम्मान्य समझा जाने लगा था।

ऋग्वेद में इनका उल्लेख पितरों के साथ हुआ है तथा यह भी कहा गया कि वही राजा सुख-शान्तिपूर्वक अपने घर में निवास करता है जो ब्राह्मणों का आदर करता है। ऐसा करने वाले राजा के लिये पृथ्वी सदैव उबार रहती है तथा सभी मनुष्य स्वेच्छया उसके समक्ष नत होते हैं^२। ब्राह्मण की श्रेष्ठता का यह उद्घोष उत्तर वैदिक युग तक और भी प्रबल हो उठा। तैत्तिरीय संहिता में उसे प्रत्यक्ष देवता कहा गया है^३। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे दिव्य वर्ण वाला कहा गया है^४ तथा तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों की विद्वता का उल्लेख करते हुये कहा गया है समस्त देवता ब्राह्मणों में निवास करते हैं^५। ताण्ड्य ब्राह्मण में उसे क्षत्रिय से उच्च स्थान दिया गया है^६। इसी ग्रन्थ में अन्यत्र ब्राह्मण की महत्ता प्रकट करने के लिये उसे विराट् पुष्प के मुख से निःसृत कहा गया है^७। ऐतरेय ब्राह्मण ३४, ४ में उसे क्षत्रिय से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। अथर्ववेद ५ १७ ८ और ५ १७ १६ में भी ब्राह्मणों की प्रधानता की

१ छान्दोग्य उप० ४४ ५, त होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति,

२ ऋ० ४, ५० ८

३. तै० स० १ ७ ३१ एते नै देवा प्रत्यक्ष यद् ब्राह्मणा ।

४ तै० ब्रा० १.२ ६ ।

५ तै० ब्रा० २ १५ ।

६. ताण्ड्य ब्रा० १११ २ ब्रह्म हि पूर्णं क्षत्रात् ।

७ ताण्ड्य ब्रा० ६ १ ६ 'मुखेन वीर्यं करोति मुखतोहिस्पृष्ट' ।

प्रतिध्वनि सन्निहित है। ब्राह्मणों का यह दावा अधिकांशतः समाज द्वारा मान्य हो चला था^१।

ब्राह्मणों की इस मान्यता का मूल कारण उनका धार्मिक नेतृत्व था। जैसे-जैसे यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं की महत्ता तथा मंत्रपाठ की शुद्धता की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे ही वैसे अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भी स्थापित होती गई। पुरोहित राजा की सफलता तथा समृद्धि के लिये विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान एवं यज्ञ करता था। वह राजा के धार्मिक जीवन में पुरोहित था तथा राजनैतिक विषयों में परामर्शदाता सचिव।^२ उत्तर वैदिक युग में पुरोहित्य अत्यन्त विकसित रूप में मिलता है। पुरोहितों के पास मंत्र, तंत्र, जादू टोने का विशाल भंडार एकत्र हो गया था जिसे लोग राजा और प्रजा दोनों की सुरक्षा एवं समृद्धि का सर्वाधिक व्यावहारिक और विशिष्ट साधन मानने लगे थे।^३ ब्राह्मणों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में विशेषाधिकारों का भी सृजन किया। उनके पीछे अपनी योग्यता और सेवा का न्यूनाधिक प्रतिदान प्राप्त करने की कामना ही प्रधान थी। शतपथ ब्राह्मण (६.५.७.१) में जहाँ ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण्य, प्रतिरूपचर्या, यज्ञ, और लोकपक्ति का निर्देश हुआ है वहीं उन्हें अर्चा (सम्मान) दान, अजेयता और अवध्यता का भी अधिकारी बतलाया गया है।^४ अपने को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिये ब्राह्मणों ने धर्मकार्यों में पुरोहित की सहायता को अनिवार्य बतलाया। ऐतरेय ब्राह्मण (८.२४) से ज्ञात होता है कि राजा के लिए पुरोहित अनिवार्य माना जाता था। अन्यथा

१ उत्तर वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर इनके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया गया है। (काठक स० २५.३, तै० ब्रा० ११.१०.६, शत० ब्रा० २४.१.१०, ३४.६ आदि। शत० ब्रा० १४.६.१.२ में उन्हें भगवन्त कहा गया है तथा काठक स० १६.१२ में कहा गया है कि ब्राह्मण जहाँ कहीं भी जाय भोजनादि से उसकी सेवा तथा स्वागत करना चाहिये।

२ ब्लूमफील्ड, अथर्ववेद एण्ड गोपथ ब्राह्मण, पृ० ३२।

३ अथर्ववेद एण्ड गोपथ ब्राह्मण, पृ० ३०

४. प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धर्मान् ब्राह्मण निष्पादयति ब्राह्मण्य, प्रतिरूप-चर्या, यज्ञो, लोकपक्ति लोक पच्यमानश्चतुर्भिः धर्मैः ब्राह्मण भुनक्ति अर्चया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च।

इसी ग्रन्थ में कहा गया है कि पुरोहितविहीन राजा का अन्न देवता नहीं स्वीकार करते अतः यज्ञ कार्य के लिये अभिलषित राजा को पुरोहित की सहायता लेनी चाहिये ।^१ उत्तर-गौडिक साहित्य में स्थान-स्थान पर देवताओं और असुरों को भी पुरोहितों से युक्त बतलाया गया है और इस प्रकार धार्मिक कार्यों में पुरोहितों के महत्त्व को परोक्ष रूप में प्रकट किया गया है । तैत्तिरीय संहिता के अनुसार विश्व रूप देवताओं का पुरोहित था ।^२ काठक संहिता (४४) में सणु और अमर्क को देवताओं का पुरोहित कहा गया है । ये पुरोहित दक्षिणा और दान के रूप में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करते थे^३ तथा लोगों को गोदान आदि का महत्त्व बता कर दान की ओर प्रेरित करते थे । ब्राह्मणों को दान देना देवताओं को दान देने के समान समझा जाता था । ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के काल में ऐसे अनेक राजा हुये जिन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को प्रभूत धन राशि दी । इस प्रकार के राजाओं में बिदेहराज जनक का नाम आदर से लिया जा सकता है । ब्राह्मणों ने अपनी अर्थलिप्सा की पूर्ति के लिये यहां तक नियम बनाया कि जो गायें जोड़वे वल्लभों को जन्म दें उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दिया जाय^४ । इतना ही नहीं ब्राह्मणों ने अपने को आर्थिक शोषण से भी मुक्त करने का प्रयास किया । अथर्ववेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी गायों को अब्राह्मण नहीं खा सकते । यज्ञ की अवशिष्ट सामग्री के उपभोग का अधिकारी भी एकमात्र ब्राह्मण ही था^५ क्योंकि देवताओं द्वारा भुक्तपदार्थ के उपभोग के लिये जिस पवित्रता की अपेक्षा थी वह ब्राह्मण के ही अन्दर थी । ऐतरेय ब्राह्मण ब्राह्मणों को आदायी और आपायी कहता है जिससे उनके दान ग्रहण करने और सोम रस पीने के विशेषाधिकारों की पुष्टि होती है^६ । दान ग्रहण करने के सम्बन्ध में उनका एकाधिकार इतना प्रबल हो उठा

१ ऐत० ब्रा० (४० १) न वा अपुरोहितस्य देवा अन्नं अदन्ति तस्माद्राजा यज्ञयमाणो ब्राह्मणं पुरोदधीत देवा मे अन्नम् अदन्ति ।

२ तै० स० २ ५ १ १, विश्वरूपो वैत्वाष्ट्रः पुरोहितो देवाना आसीत् ।

३ ऐत० ब्रा० ३६ ६ २, ८ और ६

४ अथर्ववेद २ २८ ३

५ शत० ब्रा० २ ३ १ ३६

६ ऐत० ब्रा० ७ २९ २

था कि पचविंश ब्राह्मण^१ में तरन्त और पुरुमिल्ह द्वारा दान ग्रहण के औचित्य को सिद्ध करने के लिये इस बात की ओर संकेत किया गया है कि उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी^२। इससे यह ज्ञात होता है उत्तरवैदिक युग तक दान ग्रहण करने के लिये ब्राह्मण ही सुपात्र समझे जाते थे। ब्राह्मणों ने अपनी दान वृत्ति को तुच्छता से बचाने के लिये नियम बनाया कि उन्हें दान में ऐसी वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये जो अन्य वर्णों के लोगों द्वारा अस्वीकृत हो^३।

सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों के कुछ ऐसे विशेषाधिकार थे जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति का संकेत करते हैं। तैत्तरीय संहिता के अनुसार राजा ब्राह्मण को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को विशेषाधिकार तथा ब्राह्मण को यातना देने वाले व्यक्ति को दण्डित करें। ब्राह्मणका रक्त वहाने वाला व्यक्ति पितरो के लोक को नहीं प्राप्त करता।^४ इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को शारीरिक कष्ट देने वाले तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की ठेस पहुँचाने वाले लोगों के विरुद्ध राजकीय दण्ड तथा दैविक अभिशाप दोनों की कामना की गई। यह निश्चयपूर्वक कहना प्रायः कठिन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्थापित इन विशेषाधिकारों को कहाँ तक सामाजिक मान्यता प्राप्त हो सकी थी। अथर्ववेद के अनुसार यदि किसी स्त्री के दस अब्राह्मण पति हों और ब्राह्मण उसका ग्यारहवाँ पति बने तो वही उसका वास्तविक पति होगा न कि शेष अथवा राजन्य।^५ इस कथन से ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बहुत बाद तक समाज में अन्तर्जातीय विवाह के क्षेत्र में अनुलोम विवाह को जो मान्यता मिलती रही उसके पीछे भी मूलतः ब्राह्मणों की यह स्वार्थ भावना ही निहित प्रतीत होती है।

१ पच० ब्रा० १३७-१२

२ वैदिक इण्डेक्स, भाग २, नृ० ८३

३ शत० ब्रा० ३.५.१. २५. १३. ४. ३. १४

४ तै० स० २.६.११

५. अथर्ववेद ५.१७.६

ब्राह्मणों ने सर्वाधिक प्रयास राजसत्ता के प्रभाव से मुक्त-होने के लिये किया। राजमारोहण के अवसर पर पुरोहित कहता था, 'हे मनुष्यों! यह व्यक्ति तुम्हारा राजा है। (किन्तु) ब्राह्मणों का राजसत्ता के प्रभाव राजा सोम है।'^१ इस प्रकार वे अपने को राजा के से मुक्ति का प्रयत्न शासन से मुक्त मानते थे। इसी ग्रन्थ में अन्यत्र यह कहा गया है कि जब राजा भूमि तथा उससे सम्बन्धित अन्य वस्तुओं को पुरोहित को दान देता है तो इस दान के अन्तर्गत ब्राह्मण की सम्पत्ति नहीं शामिल हो सकती।^२ राजा केवल मूर्ख पुरोहित को छोड़ कर अन्य किसी भी ब्राह्मण को किसी प्रकार की यातना देने का अधिकारी नहीं था।^३ तैत्तिरीय संहिता में ऐसा कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ब्राह्मण और अभ्राह्मण कोई प्रश्न लेकर जाय तो उस व्यक्ति को पहले ब्राह्मण से बोलना चाहिए नकि अभ्राह्मण से। ऐसा करने से वह व्यक्ति ब्राह्मण का नहीं स्वयं अपना आदर करता है।^४ दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि ब्राह्मण और अभ्राह्मण किसी व्यक्ति से यह पूछें कि कौन बड़ा है तो उसे ब्राह्मण की प्रधानता घोषित करनी चाहिये। वैदिक इण्डेक्स के लेखकों तथा डा० घुरिये ने इस प्रसंग को न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित करते हुये कहा है कि ब्राह्मण और अभ्राह्मण में वैधानिक विरोध (Legal dispute) उत्पन्न होने पर निर्णायक को प्रथम के पक्ष में बोलना चाहिये।^५ परन्तु इस मत को स्वीकार करने में पर्याप्त कठिनाई है। प्रथम यह कि इस प्रसंग में कोई ऐसा स्पष्ट सकेत नहीं है जिसके आधार पर इसे न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित किया जा सके। दूसरे प्रोफेसर कीथ ने स्वयं 'अधिब्रू' शब्द का अर्थ करते हुये इस बात में सन्देह प्रकट किया है कि यहाँ

१ शत० ब्रा० ११.५ ७^१

२ शत० ब्रा० १३.५.४.२६, ६.२.१८, ७.१.१३

३ शत० ब्रा० १३.४.२.१७

४ तै० स० २.३.११.६

यद् ब्राह्मणाश्चाब्राह्मणाश्च प्रश्नमेयाता ब्राह्मणायाधिब्रूयाद्यद् ब्राह्मणा-
याध्याहातमनेध्याह यद् ब्राह्मण पराहात्मान पराह तस्मात् ब्राह्मणो न
परोच्य ।

५ वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ८३

इसका तात्पर्य 'निर्णय करना' ही होगा।^१ उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अधिब्रू शब्द का अर्थ बोलना (Speak to) भी हो सकता है। तीसरे जहाँ स्मृतियों में ब्राह्मणों द्वारा अनेक सुविधाओं की प्राप्ति का अन्व प्रयास मिलता है उन्हें न्याय के ऊपर उठाने का प्रयास कही भी नहीं है। यदि तैत्तिरीय संहिता में ऐसी कोई व्यवस्था होती तो अवश्य ही स्मृतिकारों ने उसकी प्रामाणिकता का लाभ उठाकर न्याय के क्षेत्र में भी विशेषाधिकारों की स्थापना का प्रयत्न किया होता।^२ ब्राह्मणों की हत्या को अवश्य ही महापातक समझा जाने लगा था। शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में ब्राह्मण की हत्या को ही वास्तविक हत्या माना गया है।^३ अब्राह्मण की तुलना में ब्राह्मण का वध एक गुरुतर अपराध था जिसकी तुलना भ्रूणहत्या से की गई है।^४ ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त अश्वमेध यज्ञ से होता था।^५ इसके विपरीत पंचविशब्राह्मण (१४६८) से ज्ञात होता है कि पुरोहित यदि अपने सरक्षक के साथ विद्वासघात करे तो उसे मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता था। निश्चय ही यह नियम एक असाधारण स्थिति की ओर संकेत करता है।

उपर्युक्त वर्णन से हमें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ब्राह्मणों ने सामाजिक जीवन में केवल विशेष सुविधाओं की प्राप्ति का ही प्रयास किया बल्कि अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य भी वे प्रयास सजग रहे। उन्होंने अपने को सामाजिक आदर्श का प्रति-रूप बनाने का प्रयास किया।

ब्राह्मण के लिए प्रतिरूपचर्या (चरित्रकी शुद्धता) एक अनिवार्य विशेषण थी।^६ उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के आचार के सम्बन्ध में अनेक नियम तथा निर्देश मिलते हैं। ब्राह्मण से सद्यता^७ और भद्रता^८ की आशा

१ हार्जर्डे ओरियण्टल सीरीज, भाग १८, पृ० २०३

२ हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० ३६, पादाटिप्पणी

३ शत० ब्रा० १३ ३ ५ ३

४ तै० सं० ६.५ १० २, काठक स० २७ ६

५ शत० ब्रा० ८ ३.१ १

६ वही ६.५ ७ १

७ वही २ ३ २ १२

८ वही २ ३.४.६

की जाती थी। ब्राह्मण पुरोहित और शिक्षक के कार्य भी सम्पादित करता था। अतः भाषा और उच्चारण की शुद्धता का ज्ञान भी उसके लिये आवश्यक था।^१ अप्रुत उच्चारण- (Impure speech) कभी-कभी श्यापणस जैसे पुरोहितों के बहिष्कार और अपमान का कारण बन जाता था।^२ ब्राह्मणों को विलास और ऐश्वर्य से विमुक्त करने के लिये भिक्षा वृत्ति पर जोर दिया गया।^३ इनके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों के आचरण के सम्बन्ध में निषेध भी मिलते हैं। कौपीतिक ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण के लिये शस्त्र धारण करना निषिद्ध है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण को राज्य भार वहन करने में असमर्थ बतलाया गया है^४ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण से लक्ष्मी नहीं प्रसन्न होती है।^५ उसे अश्लील वचन नहीं बोलना चाहिये।^६ स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये तथा एक निश्चित आयु में अपने पुत्र का उपनयन करना चाहिये।^७ जो ब्राह्मण इन नियमों की अवहेलना करता था उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास हो जाता था तथा वर्ग का पूर्ववत् सदस्य होने के लिये उन्हें अनुष्ठान और व्रत करना पड़ता था।

ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक हितों की रक्षा करना था। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये उन्हें अपने ज्ञान और गुण द्वारा दूसरों की सहायता करनी पड़ती थी जिसे वे शिक्षक और पुरोहित के रूप में पूरा करते थे। पौरोहित्य और शिक्षण दोनों के लिए वैदिक

१ शत० ब्रा० ३२१ १४, काठक स० १४ ५, ३७ २, वाज० स० २३ ६२

२ ऐत० ब्रा० ७ २७

३ कौपी० उप०, ६३ १०४

४ शत० ब्रा० ५ ११ १२

५ तै० ब्रा० ३.६ १४, न वै ब्राह्मणे श्री रमते इति ब्राह्मणोऽन्योगायेद्राज-
न्योन्यः।

६ शत० ब्रा० ३२.१ २४

७ वेदर का मत, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्डयेन्ट इण्डिया, पृ० ३४०-४१
पर उद्धृत

ज्ञान (ब्रह्मवर्चसम्) की अनिवार्यता विभिन्न प्रसंगों में बताई गई है।^१ यद्यपि 'ब्रह्मवर्चसम्' की प्राप्ति में अनेक अनुष्ठान भी सहायक बताये गये हैं किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन स्वाध्याय बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की महिमा की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।^२ इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् में यह कहा गया है कि विद्वान् श्रोत्रिय का विद्याजनित सुख परमानन्द के समान होता है।^३ बृहदारण्यक उपनिषद् के एक प्रसंग में स्वाध्याय और अध्यापन को सर्वोच्च तप माना गया है।^४ स्वाध्याय के विषय बहुधा तीन वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद) हुआ करते थे जिन्हें त्रयी कहा गया है। त्रयी के अध्येता विद्यार्थी को त्रिशुक्रिय^५ अथवा त्रिशुक^६ कहते थे। शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय आरण्यक तथा छान्दोग्य उपनिषद् में अन्य अनेक विषयों के अध्ययन-अध्यापन का उल्लेख है^७ जैसे इतिहास, पुराण, गाथा, नारायणी, ब्रह्मोद्य, देव-जन-विद्या, सर्पविद्या, अथवागिरस, देव, निधि, पित्र्य, राशि, और सूत्र इत्यादि। तैत्तिरीय आरण्यक तथा सूत्र साहित्य में स्वाध्याय के लिये स्थान और काल का भी संकेत हुआ है।^८ यदि स्वाध्याय गाव के बाहर अरण्य अथवा किसी एकान्त आश्रम में होता था तो विषय की स्फुट स्वर में पाठ करके कठस्थ करने की स्वतंत्रता थी (वाचा) अन्यथा गाव में स्वाध्याय करने वालों के लिये मौन चिन्तन (मनसा) का आदेश था। ब्राह्मण के लिये स्वाध्याय और

१. तै० सं० ४.१.७.१, ७.५.१८.१, वाज० सं० २२.२२, २७.२, तै० ब्रा० ३.८.१३.१, ऐत० ब्रा० ४.११.६-६, शत० ब्रा० १३.२.६.१०, १०.३.५.१६, ११.४.४.१, पंच० ब्रा० ६.३.५।

२. काठक सं० ३.७.७, तै० ब्रा० २.७.१.१, पंच० ब्रा० २.३.७.३, शत० ब्रा० २.३.१.३१

३. वृ० उप०, ४.३.३५-३६, तै० ब्रा० ६.८

४. वही ७.८.१०

५. काठक सं० ३.७.७

६. तै० ब्रा० २.७.१.२

७. शत० ब्रा० ११.५.७.५-८, तै० ब्रा० २.६.१०, छान्दोग्य उप० ७.१.२.४, २.१, ७.१

८. तै० ब्रा० २.१.१२-१५

तत्तज्जन्य ज्ञान इतना आवश्यक समझा गया कि विद्वत्ता को ब्राह्मणत्व का अनिवार्य विशेषण माना गया।^१

अध्यापन कार्य में यद्यपि ब्राह्मणेतर वर्ग के लोग भी यत्र तत्र भाग लेते थे तथापि इस व्यवसाय पर प्रायः ब्राह्मणों का एकाधिपत्य था। ब्राह्मणों के साथ शिक्षण का इतना अधिक सम्बन्ध था कि जब गार्ग्य

अध्यापन

काशिराज अजातशत्रु के पास ब्रह्मज्ञान के लिये

पहुँचे तो दूसरे ने उत्तर दिया कि क्षत्रिय के पास

ब्राह्मण का विद्यार्जन के हेतु पहुँचना प्रतिलोम है।^२

शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मणों के चार प्रधान धर्मों में लोकपति (दूसरों की शिक्षा देना) को भी स्थान देता है। शिक्षक के रूप में उसका प्रथम कार्य अपने पुत्र को वैदिक शिक्षा एवं याज्ञिक कर्मकाण्डों में प्रवीण करना था।^३ इस प्रकार वह अपने पुत्र को पत्रिक व्यवसाय में भी दक्ष बनाता था। आरुणि और श्वेतकेतु की कथा तथा वरुण और भृगु के पौराणिक आख्यात^४ से पिता द्वारा पुत्र के शिक्षण की परम्परा प्रमाणित होती है।^५ कतिपय उद्धरणों से यह भी सिद्ध होता है कि कभी-कभी ये ब्राह्मण अपनी विशेषज्ञता के अभाव में अपने पुत्रों को अन्य लघुप्रतिष्ठ विद्वानों के यहाँ भी भेजते थे।^६ अध्यापक के रूप में वह बहुत से शिष्यों को साथ-साथ शिक्षा देता था।^७ वह मन और मस्तिष्क की पूरी शक्ति से विद्यार्थियों को पढ़ाता था तथा उन्हें सब कुछ सिखाने का प्रयास करता था।^८ कुछ विद्यार्थियों के लिये सवस्तरवासिन शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि कभी-कभी विद्यार्थी एक वर्ष की अल्प अवधि तक ही एक आचार्य के पास निवास करते थे। विद्यार्थी अधिकांशत आचार्य के कुल में ही रहते थे।^९

१ तै० स० ३६.१४, एप वे ब्राह्मण ऋषिराषेयोय शुभवन'

२ वृ० उप० २१.१५, कौपी० उप० ब्रा० ४.१८

३ शत० ब्रा० १६.२४, वृ० उप० ५.२१, छान्दोग्य ४.५.५, ५.११.७

४ शत० ब्रा० ११.६.११

५ वृ० उप० ६.१.१, शत० ब्रा० ११.६.११

६ द्र० वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ८८

७ तै० ब्रा० ७.३

८ वही ७.४

९ आचार्य कुलवासिन या अन्तेवासिन। छान्दोग्य उप० ३.२.५, ४.१०.१

और भोजन करते थे' और इसके बदले में गुरुकी सेवा करते थे, जैसे गायो को चराना, यज्ञिय अग्नि को निरन्तर प्रदीप्त रखना आदि । सत्यकाम जाबाल के आख्यान से विदित होता है कि उसे गुरु के गायो की साथ रहने और तब लौटाने का आदेश दिया गया था जब उनकी संख्या एक सहस्र हो जाय । विद्यार्थी भिक्षाचरण में भी गुरु की सहायता करता था ।^१

कुछ खास विद्यार्थे विशिष्ट जनो के लिये ही थी । उनके अधिकारी सभी विद्यार्थी नहीं थे ।^२ छान्दोग्य उपनिषद (५३) में प्रशासन को क्षत्रियो की विद्या कहा गया है । अध्ययन और अध्यापन सम्बन्धी विविध नियमों का विस्तृत वर्णन हमें सूत्र साहित्य में मिलता है ।

यद्यपि साधारण गृह्य यज्ञ विना पुरोहित की सहायता के भी सम्पन्न होते थे किन्तु श्रौत यज्ञों में उसकी सहायता अपरिहार्य थी । ब्राह्मण साहित्य में विशालतम यज्ञों के लिये सोलह पुरोहितों तक

यज्ञ-सम्पादन की व्यवस्था मिलती है किन्तु अन्य अपेक्षाकृत

साधारण श्रौत यज्ञों में चार, पांच, छ, सात और दस पुरोहित भी पर्याप्त समझे जाते थे ।^३ शतपथ ब्राह्मण एक स्थान पर सदस्य नामक सत्तरहवें पुरोहित का भी उल्लेख करता है ।^४ पचविंश ब्राह्मण सोलह के अतिरिक्त तीन अन्य पुरोहितों का वर्णन करता है^५ जिन्हें उन्नेतृ, अभिगर और अपगर कहा गया है । इस प्रकार कर्मकाण्डों और अनुष्ठानों की जटिलता के साथ-साथ पुरोहित्य पर भी ब्राह्मणों का एकाधिकार हो चुका था । पुरोहित्य ब्राह्मणों का पौत्रिक व्यवसाय था जिसकी शिक्षा उन्हें पिता पुत्र परम्परा से प्राप्त होती थी । ब्राह्मणों का यज्ञ से अभेद्य सम्बन्ध इस बात से प्रकट होता है कि कोई भी राजन्य अथवा वैश्य तब तक यज्ञ में भाग नहीं ले सकता था जब तक स्वयं ब्राह्मणोचित वेशभूषा न धारण करे ।^६ फिर कोई ब्राह्मणोत्तर व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से यज्ञ में पुरोहित्य

१. छान्दोग्य उप० ४३५

२. छान्दोग्य उप० ४३,५

३. पच० ब्रा० १५५ २८, तै० ब्रा० ३५.०.१, काठक स० ३७ १७

४. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ८६

५. शत० ब्रा० १०.४२ १९

६. पच० ब्रा० २५ १४ ३

७. ऐत० ब्रा० ७ १४.१६

किस प्रकार कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों द्वारा वे राजा और प्रजा दोनों के सुख शान्ति का मार्ग प्रकाश कर रहे थे।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उत्तर वैदिक युग में सामाजिक प्राधान्य और नेतृत्व के लिये ब्राह्मणों और क्षत्रियों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों की उदो-

ब्राह्मण-क्षत्रिय

प्रतिस्पर्धा

यमान श्रेष्ठता से धीरे-धीरे राजन्य वर्ग के अन्दर असन्तोष और क्षोभ का भाव उत्पन्न होने लगा था। वे राष्ट्र के प्रभु थे। विश्व पर उनका पर्याप्त

प्रभाव था। अतः वे ब्राह्मणों के समक्ष अपनी सामाजिक हीनता को स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे। उन्होंने न केवल ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया बल्कि उनके स्थान पर अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी किया। घोपाल महोदय ने अनेक उद्धरणों की पृष्ठभूमि में यह प्रमाणित किया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के दो अत्यन्त शक्तिशाली वर्ग थे जिनके सम्पर्क और संघर्ष ने युग के सामाजिक इतिहास की गति प्रदान की।^१ शतपथ ब्राह्मण जैसे विशाल ग्रन्थों में जहाँ ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है वही स्थान स्थान पर क्षत्रियों की यह विरोधात्मक प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है। एक प्रसंग में स्पष्ट कहा गया है कि क्षत्रियो से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि राजसूय के अवसर पर ब्राह्मण भी उसके समक्ष निम्नासन ग्रहण करता है।^२ इसी प्रकार अन्यत्र यह कहा गया है कि क्षत्रिय के पश्चात् ब्राह्मण मान्य है।^३ वस्तुतः आर्थिक सम्पन्नता और राजनैतिक प्रभुत्व के कारण राजन्य वर्ग की स्थिति भी बहुत सामान्य हो चली थी। तैत्तिरीय संहिता से ज्ञात होता है कि अन्य तीन वर्गों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में वह समर्थ हो चला था।^४ फिर भी ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के राजनैतिक प्रभाव से मुक्ति का भुखार प्रयास किया। पुरोहित राजा के समक्ष राज्याभिषेक के अवसर पर इस बात की घोषणा करता था कि यह अभिषिक्त व्यक्ति सब

१ घोपाल, हिन्दू पोलिटेक लाइफ, पृ० ७३ ८०

२ शत० ब्रा० १४४ १ २३

३ सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, ग्रन्थ ६, पृ० ६६

४ तै० स० २.५.१० १

लोगो का राजा है। किन्तु ब्राह्मणों का राजा सोम है।^१ इस प्रकार अपनी सामाजिक महत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने सदैव अपने को राजाओं के प्रभाव क्षेत्र के बाहर रखने का प्रयास किया तथा इसके लिए नियम बनाये। वेबर महोदय का मत है कि इसी सघर्ष काल में ब्राह्मणों ने ब्रह्मजय, ब्रह्मगाव, शतरुद्रिय जैसे स्तोत्रों की रचना की। क्षत्रियों को पौरोहित्य जैसे धार्मिक कार्यों से पृथक् तो किया ही गया साथ ही यज्ञ-तन्त्र उनकी पुरोहितों को नियुक्त करने और निकालने की भी स्वतन्त्रता जाती रही।^२ जनमेजय पारिक्षित ने कश्यपो को अपने पौरोहित्य से पृथक् कर दिया था किन्तु असितमृग ने उन्हें पुनः पौरोहित्य में लगाने के लिये विवश किया।^३ विश्वन्त सोशदमन ने अपने पुरोहित को यज्ञ से बहिष्कृत करने के पश्चात् पुनः नियुक्त किया था। किन्तु इसके विपरीत महाभारत में कार्तिवीर्य और विश्वामित्र की कहानी है जिन्होंने क्रमशः जमदग्नि और वशिष्ठ की गायों का अपहरण किया। पुराणों में भी ऐसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किये। अथर्ववेद में ब्राह्मणों तथा उनकी गायों को हानि पहुँचाने वाले राजान्यों को शाप दिया गया है कि उनका राज्य वैसे ही नष्ट हो जाय जिस प्रकार टूटी नौका जल में नष्ट हो जाती है।^४ इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तथा उनकी गायों का अपहरण करनेवाले निरकुण्ठ राजान्य भी उत्तर वैदिक युग में अज्ञात नहीं थे। अथर्ववेद के एक मन्त्र में ब्रह्म जाया के अपहरण की दुष्परम्परा का भी संकेत मिलता है।^५ ऐसे राजान्य को ब्राह्मणों ने निर्धन और दरिद्र होने का शाप दिया है।

उपनिषदों के काल तक यह श्रेष्ठता विषयक ब्राह्मण क्षत्रिय सघर्ष और तीव्र हो गया। ब्राह्मणों की मान्यता के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम उनका

१ शत० ब्रा० ११५७१

२ दत्त, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इण्डिया, पृ० ९०

३ ऐत० ब्रा० ७२७

४ अथर्व० ५.१६३ और ८

५ अथर्व० ५.१७१४

नास्यक्षरा निष्कप्रीवः सूनानामेति अग्रतः ।

यस्मिन् राष्ट्रे निरुच्यते ब्रह्मजाया चित्वा ।

ज्ञान और दूसरा धार्मिक कार्यों में उनकी अनिवार्यता । अतः इन दोनों क्षेत्रों में क्षत्रियो ने अपने को ब्राह्मणों के समकक्ष लाने की कोशिश की । उपनिषद्-कालीन राजन्य वर्ग ब्राह्मणों की भाँति अध्ययन अध्यापन, मनन-चिन्तन में सलग्न दिखाई देता है । जब समग्र याज्ञिक और कर्मकाण्डीय धर्म पुरोहितों के हाथ में केन्द्रीभूत हो गया तब इस दिशा में प्रवेश निषिद्ध देख क्षत्रियो ने धर्म के क्षेत्र में एक नये पथ का अनुसरण किया जिसके माध्यम से वे ब्राह्मणों के समान ही यज्ञ और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समर्थ हुये । यह उपनिषदों की नई विद्या थी जिसे ब्रह्म-विद्या के नाम से भी अभिहित किया गया है । इसके अन्तर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण प्रारम्भ हुआ । इस युग में सर्व प्रथम भारतीय मस्तिष्क ने आदिम विश्वासों और मान्यताओं से ऊपर उठकर सत्य के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण का वैज्ञानिक प्रयास किया । इस नई विद्या में राजन्य वर्ग यदि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं तो समान अवश्य था । बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार जनक वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे ।^१ पचाग्नि विद्या का तो प्रादुर्भाव ही प्रवाहण जैबलि से हुआ था ।^२ क्षत्रिय विद्वानों की विद्वत्ता और ख्याति इस बात से प्रमाणित होती है कि अनेक लघुप्रतिष्ठ ब्राह्मण-विद्वान भी इनके समीप अध्ययन करने जाते थे । उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य ने जनक से शिक्षा प्राप्त की थी ।^३ वालाकि गार्ग्य ने अजातशत्रु से^४ तथा श्वेतकेतु आरुण्य ने प्रावहण जैबलि से ।^५ छान्दोग्य उपनिषद् में यह भी बताया गया है कि एक बार पाँच ब्राह्मण उद्दालक आरुणि के पास एक समस्या के समाधान के लिये आये । स्वयं अनभिज्ञ होने के कारण वे उन्हें राजा अश्वपति कौक्य के पास ले गये जिन्होंने समस्या का समुचित समाधान किया । इस प्रकार क्षत्रियों ने अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में कीर्ति अर्जित की तथा ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिकार को खण्डित किया ।

जहाँ तक याज्ञिक कार्यों में ब्राह्मणों की अनिवार्यता का प्रश्न था इसका समाधान क्षत्रियों ने दूसरी रीति से किया । उन्होंने याज्ञिक धर्म के मूल पर

१ बृ० उप० ४२१

२ छान्दोग्य उप० ५३७

३ शत० ब्रा० ११६२१५

४ बृ० उप० २१

५ छान्दोग्य उप० ५११

ही कुठाराघात किया। आत्म-यजन, चिन्तन और मनन की अपेक्षा यज्ञों की हीनता प्रदर्शित की गई।^१ तपश्चर्या और त्यागपूर्ण जीवन पर बल दिया गया। उपनिषदों में सर्वप्रथम हिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध नियम प्रतिपादित किये गये।

उपनिषदकाल में ब्राह्मण-श्रेष्ठता के विरुद्ध जो असन्तोष उत्पन्न हो रहा था वह निरन्तर विकासोन्मुख रहा तथा छठी सदी ई० पू० तक उसने प्रकट विद्रोह का रूप धारण कर लिया। बौद्ध एवं जैन धर्म में न केवल यज्ञमूलक ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ बल्कि उनमें ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के प्रति क्षत्रियों की अस्वीकृति भी परिलक्षित होती है। बौद्ध और जैन धर्मों के प्रवर्तकों का क्षत्रिय होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस पारस्परिक संघर्ष के निवारण तथा सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास भी दिखाई देता है। तैत्तिरीय संहिता में दोनों की महानता का यशोगान किया गया है।^२ इस ग्रन्थ के अनुसार राजन्य युक्त ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है तथा ब्राह्मण युक्त क्षत्रिय अन्य क्षत्रियों से श्रेष्ठ है।^३ ऐतरेय ब्राह्मण पुरोहित को क्षत्रिय की आधी आत्मा बतलाता है।^४ शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का सहयोग कीर्ति और सफलता प्रदान करने वाला होता है। इसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि किसी विशेष कृत्य का सम्पादन करने वाले राजन्य को ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिये क्योंकि ब्राह्मण के सहयोग से किया गया क्षत्रिय का कार्य सफल होता है।^५

१. छान्दोग्य उप ५ १५.५, कोपी० उप० २.५

२. तै० सं० ५ १ १० ३

३. तै० सं० ५ १ १० ३ तस्मात् ब्राह्मणो राजन्यवानत्यन्य ब्राह्मण तस्माद्वा-जन्यो ब्राह्मणवानत्यन्य राजन्यम्।

४. ऐत० ब्रा० ३४ ४ अर्धात्मो हवा एष क्षत्रियस्य यत्पुरोहितः।

५. शत० ब्रा० ४ १. ४ ६ तस्माद्वा क्षत्रियेण करिष्यमाणेनोपसर्तव्य एव ब्राह्मणः। स हैवास्मै तद् ब्रह्मप्रसूत कर्मध्यते।

जब हम स्वतंत्र रूप से उत्तरवैदिक युग के राजन्य-वर्ग की स्थिति पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि राजन्य-वर्ग और उसकी राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को प्राणिमात्र सामाजिक स्थिति का अधिपति, धर्म और ब्राह्मण का रक्षक कहा जाता था।^१ शतपथ ब्राह्मण मनुष्यों में श्रोत्रिय और राजा इन दोनों को घृतिव्रत बतलाता है।^२ तैत्तिरीय संहिता के अनुसार राजा मनुष्यों को बन्धनयुक्त बनाता है।^३ राजन्यो की शक्ति का प्रभाव समाज के शेष तीन वर्गों पर इतना अधिक था कि वे ब्राह्मणों के निष्कासन और निर्वासन में समर्थ थे, विश के अत्ता (भक्षक या शोषक) समझे जाते थे तथा शूद्रों को अनायास ही मृत्युदण्ड दे सकते थे।^४ इससे स्पष्ट होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक प्रभुत्व भी बढ़ता जा रहा था।

इस युग के क्षत्रिय वर्ग को सबसे बड़ा श्रेय उपनिषदों के दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन का दिया गया है।^५ कतिपय क्षत्रिय नरेशों के दार्शनिक ज्ञान का परिचय हमें छान्दोग्य उपनिषद ५.३, ५.११, बृहदारण्यक उपनिषद २.१, ६.२, और कौषीतकि उपनिषद १.१, ४.१, से होता है। इन उद्धरणों से यह प्रकट होता है कि ब्राह्मणों की भांति राजन्य भी धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त रुचि लेते थे। काशे महोदय ने क्षत्रियों के ब्रह्मविद्याप्रणोता होने में सन्देह व्यक्त किया है तथा इस पक्ष की पुष्टि के लिये अनेक तर्क व प्रमाण प्रस्तुत किये हैं^६ किन्तु उनके तर्क केवल डॉसन तथा भण्डारकर महोदय की स्थापना को

१ ऐत० ब्रा० ३८ और ३९, ३, क्षत्रियो जनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि-विशामत्ताजनि—ब्राह्मणों गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि।

२. शत० ब्रा० ५.४.५, घृतिव्रतो वै राजा—एष च श्रोत्रियश्च तो ह वै मनुष्येषु घृतिव्रतो।

३ तस्मात् राजा मनुष्या विधृता। तै० स० २.६.२.२

४ तै० ब्रा० ३.१२.६ ऐत० ब्रा० ७.२६.१

५. द्र०, भण्डारकर, गौण्याविज्म एण्ड शैविज्म, पृ० ६

६. हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० १०७

ही कुठाराघात किया। आत्म-यजन, चिन्तन और मनन की अपेक्षा यज्ञो की हीनता प्रदर्शित की गई।^१ तपश्चर्या और त्यागपूर्ण जीवन पर बल दिया गया। उपनिषदों में सर्वप्रथम हिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध नियम प्रतिपादित किये गये।

उपनिषदकाल में ब्राह्मण-श्रेष्ठता के विरुद्ध जो असन्तोष उत्पन्न हो रहा था वह निरन्तर विकासोन्मुख रहा तथा छठी सदी ई० पू० तक उसने प्रकट विद्रोह का रूप धारण कर लिया। बौद्ध एवं जैन धर्म में न केवल यज्ञमूलक ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ बल्कि उनमें ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के प्रति क्षत्रियों की अस्वीकृति भी परिलक्षित होती है। बौद्ध और जैन धर्मों के प्रवर्तकों का क्षत्रिय होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस पारस्परिक संघर्ष के निवारण तथा सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास भी दिखाई देता है। तैत्तिरीय संहिता में दोनों की महानता का यज्ञोगान किया गया है।^२ इस ग्रन्थ के अनुसार राजन्य युक्त ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है तथा ब्राह्मण युक्त क्षत्रिय अन्य क्षत्रियों से श्रेष्ठ है।^३ ऐतरेय ब्राह्मण पुरोहित को क्षत्रिय की आधी आत्मा बतलाता है।^४ शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का सहयोग कीर्ति और सफलता प्रदान करने वाला होता है। इसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि किसी विशेष कृत्य का सम्पादन करने वाले राजन्य को ब्राह्मण कि सहायता लेनी चाहिये क्योंकि ब्राह्मण के सहयोग से किया गया क्षत्रिय का कार्य सफल होता है।^५

१. छान्दोग्य उप ५ १५ ५, कौपी० उप० २, ५

२. तै० सं० ५ १ १० ३

३. तै० सं० ५ १ १० ३ तस्मात् ब्राह्मणो राजन्यवानत्यन्यं ब्राह्मण तस्माद्ब्राह्मण्यो ब्राह्मणवानत्यन्य राजन्यम् ।

४. ऐत० ब्रा० ३४ ४ अर्धात्मो हवा एष क्षत्रियस्य यत्पुरोहित ।

५. शन० ब्रा० ४. १ ४. ६ तस्माद् क्षत्रियेण करिष्यमाणोऽपसर्तव्य एव ब्राह्मण । स हेवास्मै तद् ब्रह्मप्रसूत कर्मव्यते ।

जब हम स्वतंत्र रूप से उत्तरवैदिक युग के राजन्य-वर्ग की स्थिति पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि राजन्य-वर्ग और उसकी राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को प्राणिमात्र सामाजिक स्थिति का अधिपति, धर्म और ब्राह्मण का रक्षक कहा जाता था।^१ शतपथ ब्राह्मण मनुष्यों में श्रोत्रिय और राजा इन दोनों को धृतिव्रत बतलाता है।^२ तैत्तिरीय संहिता के अनुसार राजा मनुष्यों को बन्धनयुक्त बनाता है।^३ राजन्यों की शक्ति का प्रभाव समाज के शेष तीन वर्णों पर इतना अधिक था कि वे ब्राह्मणों के निष्कासन और निर्वासन में समर्थ थे, विश्व के अत्ता (भक्षक या शोषक) समझे जाते थे तथा शूद्रों को अनायास ही मृत्युदंड दे सकते थे।^४ इससे स्पष्ट होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक प्रभुत्व भी बढ़ता जा रहा था।

इस युग के क्षत्रिय वर्ग को सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपनिषदों के दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन का दिया गया है।^५ कतिपय क्षत्रिय नरेशों के दार्शनिक ज्ञान का परिचय हमें छान्दोग्य उपनिषद ५ ३, ५ ११, बृहदारण्यक उपनिषद २ १, ६ २, और कौपीतकि उपनिषद १ १, ४ १, से होता है। इन उद्धारणों से यह प्रकट होता है कि ब्राह्मणों की भांति राजन्य भी धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त रुचि लेते थे। काण्व महोदय ने क्षत्रियों के ब्रह्मविद्याप्रणोता होने में सन्देह व्यक्त किया है तथा इस पक्ष की पुष्टि के लिये अनेक तर्क व प्रमाण प्रस्तुत किये हैं^६ किन्तु उनके तर्क केवल डॉसन तथा भण्डारकर महोदय की स्थापना को

१. ऐत० ब्रा० ३८ और ३९, ३, क्षत्रियो जनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि-विशामत्ताजनि— ब्राह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि।
२. शत० ब्रा० ५ ४ ५, धृतव्रतो वै राजा—एष च श्रोत्रियश्च तौ ह वै मनुष्येपु धृतव्रतौ।
३. तस्मात् राजा मनुष्या विवृता। तै० स० २ ६ २, २
४. तै० ब्रा० ३ १२ ६ ऐत० ब्रा० ७ २६ १
५. द्र०, भण्डारकर, 'ब्रह्मविज्जम् एण्ड शैविज्जम्' पृ० ६
६. हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० १०७

सन्दिग्ध बनाने में समर्थ हैं। उनसे कोई अपना स्वस्थ निष्कर्ष नहीं निकलता। प्रोफेसर ईगलिंग ने भी तत्कालीन धार्मिक आन्दोलन में क्षत्रियो का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं माना है।^१ वैदिक इण्डेक्स के लेखकी को तो इन राजाओं की विद्वत्ता में मात्र प्रशंसा और चाटुकारिता की झलक मिलती है।^२ किन्तु उत्तर वैदिक साहित्य में प्राप्त प्रसंगों से इतना तो प्रायः स्पष्ट है कि जनक, प्रावहण जैबलि, अश्वपति कैकेय और काशिराज अज्ञात-शत्रु प्रभृति नरेश उपनिषद युग के प्रमुख विद्वानों में अपना स्थान रखते थे जिनके ज्ञान की गन्ध तत्कालीन साहित्य में बिखरी पड़ी है। उपनिषदयुग के धार्मिक आन्ति के सम्बन्ध में इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि विकास की यह नई दिशा ब्राह्मणोत्तर प्रयासों का परिणाम थी जिसमें अनायें परम्पराओं का भी पर्याप्त प्रभाव था। याज्ञवल्क्य, वालाकि गार्ग्य तथा श्वेतकेतु आरुण्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों को भी इस नवीन विषय के ज्ञान हेतु क्षत्रिय कुमारों के यहाँ जाना पड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद (६, २,) तथा छान्दोग्य उपनिषद (५, ११) में यह कहा गया है कि 'इस विद्या' का ज्ञान अब तक किसी ब्राह्मण को नहीं था। यहाँ इस विद्या का तात्पर्य सम्पूर्ण ब्राह्मविद्या से न होकर केवल पञ्चाग्निविद्या से है। पञ्चाग्निविद्या परोक्षरूप में (In figurative way) आवागमन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। निश्चय ही उपनिषदों के दार्शनिक विचारधारा के मूल में आत्मा की अमरता और आवागमन का सिद्धान्त था। आवागमन के सिद्धान्त का विकास गंगा की घाटी में आर्यों के प्रवेश के पूर्व ही निपाद जाति ने कर लिया था। दूसरे नैराश्रयमूलक धार्मिक विचारों का विकास भी मगध और विदेह के क्षेत्र में आठवीं सदी ई० पू० तक हो चुका था। इस प्रकार उपनिषदों की इस नवीन विद्या का मूल अचार्य तथा खास तौर से निपाद उत्पत्ति वाला प्रतीत होता है जिसका विकास स्थानीय राजान्यों के माध्यम से हुआ। यही कारण है कि उपनिषदों के दर्शन का विकास सप्तसिंधु प्रदेश में न होकर गंगा की घाटी में हुआ।^३

राजन्य वर्ग का प्रमुख कार्य शासन और सुरक्षा का था। युद्ध में सैन्य-संचालन उनका उत्तरदायित्व था तथा तीर-घनुष उनका जातीय

१. वैदिक इण्डेक्स, भाग भाग १, पृ० २०६ पर उद्धृत

२. द्र० वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २०६

३. द्र० प्रथम अध्याय, पृ० १६-२०

चिन्ह ।^१ युद्ध में क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी भाग लेते थे^२ किन्तु क्षत्रिय-वर्ग अपने राजकीय अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के कारण दूसरों से पृथक् और विशिष्ट था ।^३ क्षत्रियों के कृषिकर्म करने तथा व्यापार आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रमाणों का अभाव है । शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर वीणावादन तथा संगीत में भाग लेते थे ।

वैश्य शब्द ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को छोड़ कर अन्यत्र नहीं मिलता । विश का उल्लेख अथर्व्य स्थान-स्थान पर हुआ है जिसका तात्पर्य सर्वसाधारण से था । उत्तरवैदिक युग तक वर्ण-विभाजन के वैश्य परिणामस्वरूप इन्हीं साधारण जनो का एक तीसरा वर्ग अस्तित्व में आया जिसे वैश्य नाम से अभिहित किया गया है । फिक महोदय ने वंश्यों की स्थिति एक वर्ग के रूप में नहीं स्वीकार किया है । यदि हम वैश्य वर्ण का तात्पर्य एक ऐसी इकाई से मानें जिसके विवाह सम्बन्ध वर्ग के अन्तर्गत ही सीमित हो तथा जिसके सभी सदस्य एक सामान्य पैतृक व्यवसाय अपनाते हों तो निश्चित रूप से फिक महोदय का मत महत्वपूर्ण हो जाता है । यह मानना पूर्णतः सही नहीं होगा कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी साधारण जनो को वैश्य नाम से पुकारा गया क्योंकि उत्तर वैदिक युग तक समाज के सामान्य जनो का एक बहुत बड़ा भाग वर्ग संघर्ष एवं अनार्य सम्पर्क के परिणामस्वरूप क्षत्रियों के चतुर्थ वर्ण में स्थानान्तरित किया गया । इतना अवश्य है कि प्रारम्भिक स्थिति में यह वर्ग अपने प्रयासों के कारण अस्तित्व में नहीं आया । यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वैश्यों के अन्दर प्रारम्भ में

१. अथर्ववेद १८ २ ६०, काठक स० १८ ६ ३७ १,

शत० ब्रा० ५ ३ ५.३० तै० आ० ६ १.३,

ऐत० ब्रा० ७ १६, तै० स० ७ ५ १८ १, मैत्रा० स० ३ १२ ६

२. अथर्ववेद ६ ७ ६

३. काठक स० २७ ४ (तस्मात् राजन्येन अथर्वक्षेत्रेण वैश्यघ्नन्ति) में राजन्य के न्याय और दंड विषयक अधिकार का संकेत है । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि शासन-कार्य भी एकमात्र क्षत्रियों के हाथ में सीमित नहीं था । शासन में पुरोहित, वैश्य-ग्रामणी आदि क्षत्रियेतर लोगों का भी पर्याप्त प्रभाव था ।

वर्ग निर्माण की चेतना का भी अभाव था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने जब अपने को विश्व से पृथक् करके अपना अलग संगठन प्रारम्भ किया तब स्वभावतः विश्व के शेष लोग भी एक इकाई में बंध चले। ऐसा करने से वैश्यो को शूद्रो के नबोदित वर्ग के समक्ष, जिनसे वैश्यों की व्यवसाय-गत समानता थी, अपनी सामाजिक श्रेष्ठता और द्विजातित्व की रक्षा करनी भी अशक्त सम्भव थी। यह भी सत्य है कि वैश्य वर्ण के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लोग तथा विभिन्न व्यवसायोपजीवी एकत्र संग्रहीत थे अतः इस वर्ग के अन्तर्गत विभिन्नताओं और बहुलताओं का सुन्दर सामंजस्य मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण वैश्यो को अन्य वर्णों की अपेक्षा बहुसंख्यक वतलाता है।^१

वैश्यो के इस तीसरे वर्ग में अनार्य तत्व का प्रवेश ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सम्मान्य वर्णों की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ होगा। वह वर्ग अपनी बहुसंख्यता और विविधता के कारण, जीवन के विभिन्न दैनिक कार्यों में शूद्रो से सम्पर्क के कारण तथा व्यावसायिक जीवन में अपेक्षाकृत समानता के कारण अनार्य जनो का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सका। साधारण आर्य जनता और अनार्य जनता में पर्याप्त रक्त-मिश्रण हुआ। सम्पन्न तथा महत्वपूर्ण व्यवसायो को धारण करने वाले अनार्य जन भी वैश्य वर्णों को अन्तर्गत सम्मानित हुये होंगे। वैश्यो की वर्धमान सामाजिक हीनता का यह भी एक कारण था। दूसरे अनुवर्ती युग का वसिष्ठा शब्द भी, जिसका विकास 'पणि' शब्द से हुआ प्रतीत होता है, वैश्य वर्ग के अन्तर्गत अनार्य व्यापारियों एवं व्यवसायियों के प्रवेश का संकेत करता है।

उत्तरवैदिक युगीन वैश्य वर्ण की स्थिति सामाजिक परिस्थितियों के दबाव के कारण क्रमशः हीन होती जा रही थी। उत्तर वैदिक साहित्य में इन्हें 'अन्यस्य बलिकृत' कहा गया है।^२ तैत्तिरीय वैश्यों की सामाजिक संहिता में कहा गया है कि मनुष्यों में वैश्य और स्थिति में क्रमिक ह्रास पशुओं में गाय समान है अतः ये दूसरों के लिये खाद्य है। इनकी रचना भी खाद्य सामग्रियों से हुई है।^३ सूत्रकाल तक कतिपय ग्रन्थों ने वैश्यो को भी शूद्रो की भाँति अश्वमेध यज्ञ में

१. तै० ब्रा० ३.१२ ६, तस्माद भूया सोऽन्येभ्य ।

२. ऐत० ब्रा० ७.२६

३. तै० सं० २.५.१०.२

प्रवेश से वंचित कर दिया ।^१ वैश्य को 'यथाकामज्जेय' भी कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि राजा उसे इच्छानुसार निष्कासन का दंड दे सकता था । वैश्यों को कुछ प्रसंगों में शूद्रों के समान स्थिति प्रदान की गई । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि एक वैश्य शूद्रा का पति हो सकता है तथा शूद्र वैश्या का ।^२ इसके कारण भी प्रायः स्पष्ट हैं । राजन्य वर्ग की शक्ति एवं सख्या में ज्यों-ज्यों विस्तार हुआ वैसे ही आर्यों का प्रारम्भिक राजनैतिक संगठन भी बदलने लगा । परिणामस्वरूप राजन्य एवं वैश्य वर्ग की स्थिति में बड़ा ही महत्वपूर्ण अन्तर आ गया । क्षत्रियों को वैश्य वर्ग का भ्राता कहा गया । वैश्य समुदाय धीरे-धीरे आर्यों के सम्भ्रान्त वर्गों से दूर होता गया तथा समाज के दलित शूद्र वर्ग के निकटतर होता गया । ब्राह्मणों ने भी क्षत्रियों की वर्धमान शक्ति और शोषण के विरुद्ध वैश्यों का साथ न देकर अपने हितों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये राजन्य वर्ग का साथ दिया तथा वैश्यों के ऊपर राजन्य वर्ग की प्रभुता को स्वीकार किया । अनेक प्रसंगों में वैश्यों को ब्राह्मण और क्षत्रिय से हीन कहा गया ।^३ इस प्रकार इन दो उच्च वर्गों के सामूहिक षडयन्त्र के कारण वैश्यों की स्थिति पर्याप्त हेय हो गई जिसे उपर उठाने में वे सर्वथा असमर्थ रहे ।

गंगा की घाटी में पहुँचने तक बहुसंख्यक अनार्य अथवा दास आर्य समाज में शूद्र के रूप में अन्तर्निहित हुये जिनका सदुपयोग आर्य स्वामियों ने उन्हें श्रमकार्य में नियोजित करके किया । खेती, पशुपालन एवं विभिन्न उद्योग-धन्धों में इनके प्रवेश के कारण अतीव प्रगति हुई । इसके परिणामस्वरूप समाज के सम्भ्रान्त वर्गों ने श्रमकार्य छोड़ कर श्रमिकों की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ किया । इस प्रकार श्रम तथा सेवा कार्य शूद्रों का कर्तव्य माना गया तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर-भावना का लोप होने लगा । वैश्य वर्ग जो असाधारण शक्ति अथवा प्रभुत्व प्राप्त करने में असमर्थ रहा पूर्ववत् श्रम-कार्य एवं उत्पादन में सलग्न रहा । कृषि, वाणिज्य एवं विभिन्न व्यवसायों में जो अभी तक वैश्यों के अधीन थे, शूद्रों ने भी हस्तक्षेप प्रारम्भ किया । व्यवसायों की इस समानता के कारण वैश्य और शूद्र एक दूसरे के निकट

१. वाराह श्री० सू० ३१११

२. शत० ब्रा० १३२६८, तुलनीय तै० ब्रा० ३६७३, वाज० सू० २३३०

३. तै० सू० २५१०१, काठक सू० १६.१०, शत० ब्रा० ६४.४.१३, पंच० ब्रा० २.८.१

होते गये तथा शूद्रों की भांति वैश्यों को भी उच्च वर्गों ने हीन दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया। शतपथ ब्राह्मण में तक्षन के स्पर्श को अपवित्र बताया गया है।^१ रथकार, कर्मरि, तष्टा, चर्मन्, भिषग आदि विभिन्न व्यवसायी धीरे-धीरे वैश्य वर्ग से पृथक् होने लगे तथा सूत्र युग तक उन्हें द्विजातियों से बहिष्कृत किया गया। इसी युग में हम वैश्यों को विभिन्न व्यावसायिक जातियों में विभाजित होते हुये देखते हैं। इनमें प्रथम प्रकार के वे लोग थे जिनका उद्योग समादृत था। इन्हीं लोगों को द्विजातियों के प्राय सभी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे प्रकार के लोग तात्कालिक समाज की दृष्टि में गृहीत पेशे वाले थे। उन्हें क्रमशः उपनयन आदि आर्य संस्कारों से हीन किया गया। अतः वे कालक्रम से शूद्रों के निकट होते गये।

उत्तरवैदिक युग के बढ़ते हुये आर्य-अनार्य सम्पर्क के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक आर्यों को जब कृष्णत्वच लोगों के बीच अपने अस्तित्व को खो देने का संकट उत्पन्न हुआ तथा रक्त-शुद्धता की चेतना सजग हुई तब ब्राह्मणों और राजान्यों ने प्रजातीय पार्थक्य (Racial segregation) की नीति को अपनाया तथा अनार्यों के साथ वैवाहिक सम्बन्धों को रोकने की चेष्टा की। किन्तु आर्य जनता का बहुसंख्यक वैश्य वर्ग अनार्य जनता के अधिक निकट होने के कारण पर्याप्त रक्त सम्मिश्रण का निषेध न कर सका होगा। इस सम्पर्क के कारण स्वभावतः समाज के उच्च वर्ग (ब्राह्मण और क्षत्रिय) विश (Proletariate) को भी अपने से पृथक् एवं हीन समझने लगे होंगे।

वैश्यों की सामाजिक स्थिति विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी किन्तु उनकी आर्थिक दशा काफी अच्छी थी। पशुपालन और कृषि उनका व्यवसाय था। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वैश्य पशु की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है।^२ ताण्ड्य ब्राह्मण में कहा गया है कि 'वैश्य दूसरों द्वारा भुक्त होते हुए भी क्षीण नहीं होता क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्रजापति की प्रजननेन्द्रिय से हुई है।^३ इसीलिए उसके पास बहुसंख्यक पशु हैं। सभी देवता उसके संरक्षक हैं। उसका छन्द जगती है तथा वर्षा उसके लिए अनुकूल ऋतु है।' सम्पन्नता के

१ शत० ब्रा० ११.३.१२

२ तै० सं० २.५.१०.२, 'पशुकाम, खलु वैश्यो यजते'।

३ ताण्ड्य ब्रा० ६.२.१०,

कारण ही उनके ऊपर कर का भार अधिक था। सम्पूर्ण समाज के भरण-पोषण का भार विशेषतः उन्हीं पर था। आश्रम-व्यवस्था में जो स्थिति गृहस्थ आश्रम की थी वही स्थिति वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत वैश्य वर्ण की थी। वैंडेन पावेल महोदय का यह मत कि वैदिक समाज में कृषि-कार्य आदिवासी श्रमजीवियों द्वारा होता था,^१ एक आधारहीन कलाना है। ऋग्वैदिक युग से ही आर्यों में कृषि कार्य की स्वस्थ परम्परा थी जो वैश्यों के माध्यम से बाद तक जीवित रही। अष्टा (बेल हाँकने का अकुश) वैश्य का जातीय चिन्ह माना जाता था। वैश्य लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों तथा वाणिज्य का भी अनुसरण करते थे किन्तु कृषि और पशुपालन ही उनका प्रधान व्यवसाय था।

ऋग्वैदिक युग में हम विश्व के सामान्य सदस्यों को भी युद्ध में भाग लेते हुए देखते हैं किन्तु इस युग तक होमर युगीन सामान्य जनो की भाँति वैदिक युगीन वैश्य भी युद्ध कला में अपेक्षाकृत कम निपुण होने के कारण तथा अस्त्र-शस्त्रों की अनुपलब्धता के कारण, भीषण युद्ध के लिये अनुपयुक्त था। राजनैतिक महत्त्व के उत्सवों पर अन्य लोगों के साथ वैश्यों को भी निमन्त्रित किया जाता था। ग्रामणी, जो रत्नित भी था, राजसूय के अवसर पर राजकीय आदर का पात्र था। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वैश्यों का आदर्श ग्रामणी होना था।^२ यह पद सम्भवतः राजा अपनी वैश्यों को देता था। राजसूय यज्ञ में द्यूत क्रीडा के अवसर पर अन्य वर्ण वालों के साथ वैश्य भी भाग लेता था।

वैश्यों को यज्ञ करने तथा वेदाध्ययन करने का अधिकार था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भाँति ही उनका उपनयन होता था इसी से द्विज की परिभाषा के अन्दर उनका स्थान था। ऐतरेय ब्राह्मण वैश्यों की महत्ता स्वीकार करते हुए कहता है कि देवकर्म अथवा याज्ञिक क्रियाओं में वैश्य समुदाय का योग आवश्यक है।^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और रथकार यज्ञाग्नि (Sacrificial fire) की स्थापना कर सकते थे।^४ वैश्य अश्वमेध और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों में भाग लेते थे। इस प्रकार धार्मिक

१ इण्डियन विलेज कम्युनिटी, पृ० १८०

२ तै० स० २५४४

३ ऐत० ब्रा० १६

४ तै० ब्रा० ११४८

जीवन की प्रायः सभी सुविधायें उन्हें उपलब्ध थीं। वैदिक साहित्य में प्रायः ऐसे प्रमाणों का अभाव है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वैश्य वर्ण के लोग भी ब्राह्मण-क्षत्रियों की भाँति अपने जीवन का विशेष भाग वेदों के अध्ययन तथा पांडित्य प्राप्ति में लगाते थे। सम्भवतः सैद्धान्तिक रूप में वैदिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हुये भी वैश्य समुदाय ने अपना समय व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति में ही अधिक लगाया। धार्मिक शिक्षा ब्राह्मणों के लिये तो जीविका थी तथा क्षत्रियों के लिए पर्याप्त अवकाश होने के कारण एक व्यसन।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में ही शूद्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। अथर्ववेद में शूद्र शब्द का उल्लेख अवश्य ही कई स्थानों पर हुआ है, किन्तु अन्य वर्णों के साथ प्रायः उन्नीसवें अध्याय में ही शूद्र मिलता है।^१ अथर्ववेद का उन्नीसवाँ और बीसवाँ अध्याय मूल संकलन के बाद में जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार काल की दृष्टि से यह अंश परवर्ती माना गया है। इसी युग में पुरुष-सूक्त भी ऋग्वेद में प्रक्षिप्त हुआ। समाज के चतुर्थ श्रम-जीवी वर्ग के लिये शूद्र शब्द के प्रयोग का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता। शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति का प्रथम प्रयास वादरायण के वेदान्त सूत्र में मिलता है जिसमें इस शब्द को शुक् और द्र इन दो भागों में विभाजित किया गया है।^२ इसका सीधा अर्थ हुआ 'जो शोक को प्राप्त हो।' पुराणों में भी शूद्र शब्द का मूल 'शुच' ही माना गया है तथा कहा गया है 'जो शोकाकुल होकर इधर-उधर दौड़ता है, निर्बल एवं निस्तेज है, वही शूद्र है।'^३ दीर्घनिकाय के अनुसार शूद्र नाम उनके क्षुद्र आचरण के कारण पड़ा।^४ परवर्ती ग्रन्थों द्वारा दी गयी यह व्युत्पत्ति पूर्वग्रहों वृद्धि की उपेक्ष प्रतीत होती है

१ अथर्ववेद १९.३२.८, १९.६२.१, इसके विपरीत अथर्ववेद ५.१७.९ केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों का उल्लेख करता है।

२ वेदान्त सूत्र १.३.३४

३ 'शोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रता ।

निस्तेजसो श्रमवीर्याश्च शूद्रास्तान् श्रवीत् स ।

—वायु पुराण १.८.१५.८.

४. दीर्घनिकाय, ३.९५

यही कारण है कि इनसे शूद्रों की स्थिति पर अधिक प्रकाश पड़ता है और उत्पत्ति पर कम।

शूद्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लुडविग महोदय का यह मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में यह किसी प्रमुख आर्य-विरोधी जाति (द्राव्य) का नाम था^१ जिन्हें आर्यों ने शूद्रों की उत्पत्ति पराजित करके वशीभूत किया। समानधर्मी होने के कारण सभी विजित दास (शत्रु) शूद्र नाम से ही अभिहित किये गये। शूद्र नामक अनार्य जाति की स्थिति का सकेत साहित्यिक साक्ष्यों से होता है। महाभारत में नकुल द्वारा विजित जातियों की सूची में शूद्रों का वर्णन आभीरों के साथ हुआ है।^२ आभीर सम्भवतः भारत युद्ध के समय एक जाति (द्राव्य) थे।^३ जो बाद में पञ्जाब में फैल गये।^४ इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि शूद्र भी आभीरों की भाँति ही एक जाति (द्राव्य) थे। नकुल द्वारा उनकी पराजय उनके स्वशासित जन-समूह होने का सकेत करता है। यूनानी इतिहासकारों के वर्णन से भी ज्ञात होता है कि चतुर्थ सदी ई० पू० में शूद्र जाति के लोग वर्तमान सिन्ध-प्रदेश में रहते थे। डिमोडोरस ने उन्हें सोड्राई (Sodrai) तथा एरियन ने सोग्डाई (Sogdoi) नाम से अभिहित किया है।^५ टालमी ने भी सीड्रोई (Sydroi) जाति का उल्लेख किया है। यह जाति मध्य एरोकोशिया में रहती थी जिसकी पूर्वी सीमा सिन्धु नदी का स्पर्श करती थी।^६ इस जाति की शाखाएँ अफगानिस्तान से लेकर सरस्वती के समीप तक फैली हुई थीं। महाभारत में शूद्रों और आभीरों का निवास सरस्वती के निकट बताया गया है।^७ अथर्ववेद में तक्षमान (ज्वर) को भूजवन्तो, महावृषो और बाह्वलीको के साथ एक शूद्रों पर भी आक्रमण

१ ट्रान्सलेशन आव ऋग्वेद ३, २१२।

२ महाभारत ६१० ६६

३ जे० बी० आर० एस०, ४१ पृ० १६० १

४ वही ४१, पृ० २५५

५ मित्रिएडल, इनवेजन आव इण्डिया, पृ० २६३, १५७

६ मित्रिएडल, ऐन्टिक्वैटिज् इण्डिया डिस्क्राइब्ड बाई टोलेमी, पृ० ३१७

७ महाभारत, २ २६ ६

मण करने के लिये कहा गया है।^१ इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि इस प्रसंग में वर्णित शूद्र, समाज का चतुर्थ वर्ण न होकर, भूजवन्तो महावृषो और बाह्लीको की भाँति ही एक जाति थी। दूसरे, ये सभी लोग उत्तर पश्चिम भारत में ही निवास करते थे।^२ उपर्युक्त प्रमाणों की पृष्ठ-भूमि में यह प्रतीत होता है कि जिन दासों से आर्यों का सघर्ष हुआ, उनकी एक प्रबल शाखा का नाम शूद्र था। इनके इस स्थानीय नाम का परिचय आर्यों की काफी बाद में सम्पर्क की स्थिति में हुआ होगा। यही कारण है कि इस नाम का उल्लेख ऋग्वेद के मूल भाग में नहीं हुआ है।

शूद्रों को आर्यों की प्रारम्भिक लहर (वेबर और राय का मत) अथवा ऋग्वैदिक आर्यों का अनुगामी मानना^३ ज्ञात प्रमाणों द्वारा अनुमोदित नहीं है। यह सच है कि शूद्रों का पत्रिक प्रदेश पश्चिमोत्तर भारत आर्यों का भी निवास-स्थान था,^४ किन्तु मात्र इसके आधार पर शूद्रों को आर्यों से सम्बन्धित करना ऐतिहासिक दृष्टि से समीचीन न होगा। हम देख चुके हैं कि इसी प्रदेश में अनार्य सैन्धव सभ्यता का विकास हो चुका था। मोहनजोदड़ों से प्राप्त चन्द्र अस्थिपत्रों के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि आर्यों ने सैन्धव सभ्यता के निर्माताओं को समूल नष्ट कर दिया। उनमें से अधिकांश आर्य स्वामियों के साथ पराधीनता की छाया में जीने की विवश हुये होंगे। जहाँ तक ब्राह्मण युगीन शूद्रों द्वारा आर्य-भाषा के ज्ञान का प्रश्न है, वह अत्यन्त अल्प और सम्पर्कजन्य था। उसके आधार पर उनके आर्यत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत, जैसा कि आगे बताया जायगा,^५ शूद्रों को वेदाध्ययन से वंचित करने का प्रधान कारण उनका संस्कृत भाषा से अपरिचित होना था। वैदिक प्रसंगों से शूद्रों का मूलतः अनार्य होना ही प्रामाणिक है।^६ उत्तर वैदिक साहित्य में भी उन्हें ऋग्वैदिक दासों की भाँति ही आर्य-विरोधी बताया गया है तथा उनके प्रति

१ अथर्ववेद ५.२७ ७-८

२ वैदिक एज, पृ० २५८-५९

३ रामशरण शर्मा, शूद्राज इन ऐन्थेन्ट इण्डिया, पृ० ३३।

४ म्यूर, ओरियण्टल संस्कृत टेक्स्ट्स, २. पृ० ३५५-५७।

५ द्र० इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठ

६ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १, पृ० ८६, १२-१२६, वैदिक एज, पृ०

३८६-८७, ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म, पृ० २६२-६३।

घृणा व्यक्त की गई है। हम ऊपर बता चुके हैं कि अथर्ववेद में ऊपर को शूद्रा पर आक्रमण करने के लिये कहा गया है। पैम्पलाद शाखा के उसी मंत्र में शूद्रा के स्थान पर दामी का उल्लेख हुआ है^१ जिससे प्रतीत होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची थे। शूद्रों को समाज के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् करने का जो प्रयास हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है उससे भी उनके अनार्यत्व का बोध होता है। उत्तर वैदिक युग के अग्रणीय शूद्र की तुलना ऋग्वेद के अग्रज्वन दास से की जा सकती है।^२ दास यदि शिश्न-देव थे तो शूद्र भी अधिकांशतः रुद्र के उपासक कहे गये हैं।^३ दासों की भांति ही शूद्र भी कृष्ण थे। महाभारत में उनके प्रति द्वेष के कारण सरस्वती के मरुस्थल में खो जाने का उल्लेख है।^४ यजुर्वेद में महाव्रत अनुष्ठान के प्रसंग में आर्य और शूद्र के बीच द्वन्द्व की व्यवस्था की गई है जिसमें आर्य विजयी होता है।^५ निश्चय ही यहाँ आर्य दास सवर्ष का नाटकीय प्रदर्शन है जो आर्यों की विजय और दासों की पराजय का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार यह प्रायः स्पष्ट है कि अधिकांश अनार्य जो आर्यों के समाज में अन्तर्भूत हुये उन्हें शूद्रों के इस चौथे वर्ग में स्थान मिला। किन्तु शूद्र वर्ण के अन्तर्गत केवल अनार्य ही थे, ऐसी बात नहीं है। सूत्र-काल तक आर्या में विश (कामन पीपुल) के कुछ लोग भी, जो खास कर निम्न पेशों में लगे थे, व्यवसाय की समानता के कारण धीरे-धीरे शूद्र वर्ण में गिने जाने लगे। इस तरह आर्थिक एवं सांस्कृतिक-हीनता के कारण बहुत से आर्य भी शूद्रत्व को प्राप्त हुये। उत्तरवैदिक युग के अन्त तक शूद्र वर्ण आर्य अथवा अनार्य शब्द की परिधि से अलग, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े, क्षोपित और दलित लोगों का आश्रय बन चुका था।

शूद्र वर्ण अन्य वर्णों की अपेक्षा अत्यन्त हीन अवस्था में था। राजसूय यज्ञ के प्रसंग में चारों वर्णों की स्थिति का संकेत करते हुये शूद्रों को अन्यस्य प्रेक्ष्य, कामोत्थाप्य और यथाकामवध्य कहा गया है।^६ अन्यस्य

१ अथर्ववेद, पैम्प०, १३.१.६

२ पच० ब्रा० ६.१.११

३ शत० ब्रा० ५.३.१.१०

४ महाभारत ६.३७.१

५ वैदिक एण्डेक्स, भाग २, पृ० ३९०

६ ऐत० ब्रा० ७.२६

प्रेष्य का तात्पर्य तो दूसरे का सेवक अथवा दास' प्रतीत होता है, किन्तु कामोत्थाप्य का अर्थ सन्दिग्ध एवं विवादग्रस्त है। कोथ महोदय इसका अर्थ इच्छानुसार निष्कासन के योग्य (To be expelled at will) करते हैं।^१ हाग महोदय ने कुछ और स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो स्वामी के इच्छानुसार निष्कासित किया जा सके।^२ सायण के अनुसार यह शब्द इस बात की सूचना देता है कि शूद्रों से उनका स्वामी दिन अथवा रात में कभी भी स्वेच्छापूर्वक काम ले सकता है।^३ किन्तु उपर्युक्त सभी विद्वानों की व्याख्यायें पूर्वाग्रह से प्रभावित हैं। उत्थाप्य शब्द का सामान्य अर्थ उठाने योग्य है। इसमें निष्कासन अथवा निर्वासन का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संकेत नहीं है। कामोत्थाप्य का सही अर्थ 'इच्छानुसार उठाने योग्य' प्रतीत होता है। इस अर्थ की 'यथाकामवध्य' के साथ सगति भी बैठती है। दोनों शब्दों के सामूहिक अर्थ का आशय यह होगा कि शूद्र को इच्छानुसार उठाया जा सकता था तथा इच्छानुसार शूद्र का वध किया जा सकता था। इस कथन से स्पष्ट होता है कि शूद्रों का उत्थान और पतन भी दूमरों की इच्छा पर अवलम्बित था। वे स्वयं अपने भाग्य के निर्णायक नहीं थे। साधारणतया 'यथाकामवध्य' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसकी स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी हिचक के हत्या की जा सके किन्तु यहाँ वध का अर्थ हत्या से न होकर ताड़न से प्रतीत होता है। सायण की व्याख्या के अनुसार शूद्र स्वामी द्वारा इच्छानुकूल ताड़ित होता है।^४ निरुक्त के द्वारा भी सायण की यह व्याख्या प्रायः अनुमोदित है। निरुक्त में तीन स्थानों पर वध का अर्थ हत्या करना है^५ तथा पाँच स्थानों पर मात्र दण्ड देना या ताड़न करना।^६ इस प्रसंग में हाग महोदय का अनुवाद अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। उन्होंने इसका अर्थ 'इच्छानुसार पीटा जाने योग्य'

१. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ३८६

२. ट्रांसलेशन भाव ऐतरेय ब्राह्मण, पृ० ४८५

३. 'मध्यरात्रादौ यदाकदाचिद्दिन इच्छा भवति तदानीम् अयम् उत्थाप्यते।'

४. 'वध्य = कुपितेन स्वामिना ताड्यो भवति इच्छामनतिक्रम्य'

५. निरुक्त ३ २, ५ १६, १० ११,

६. वही ३ ६, ९.१५, १६, १८, १०.२६

(To be beaten at pleasure) किया है।^१ शूद्रों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध अनुचित समझा जाता था। यद्यपि वैश्यो और शूद्रों के बीच अनुलोम एव प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रायः मान्य थे तथापि यह भी कहा गया है कि शूद्रा का आर्य पति समृद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाता है।^२ टीकाकार ने यहाँ आर्य का अर्थ वैश्य किया है।^३ यह बात भी प्रमाणित है कि सामाजिक विरोध के होते हुए ब्राह्मण एव क्षत्रिय भी स्वतन्त्रतापूर्वक शूद्र स्त्रियों से विवाह करते थे।^४ लगभग एक दर्जन ऐसे ऋषियों के नाम भविष्य पुराण में संग्रहीत हैं जिनकी मातायें शूद्र वर्ण की थीं।^५ कुछ सशोधन के साथ यह सूची महाभारत एव अन्य पुराणों में भी मिलती है। महाभारत के अनुसार व्यास घीबर कन्या से, पराशर इक्ष्वाक नारी से, कपि ज्वावाद चंडाल स्त्री से, वशिष्ठ गणिका से तथा मुनिश्रेष्ठ मदनपाल नाविक की कन्या से उत्पन्न हुए थे।^६ इन ऋषियों की वास्तविक स्थिति तथा कालक्रम के विषय में तो निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु इनसे ऋषि और शूद्रा के बीच के वैवाहिक सम्बन्ध के प्रचलन की पुष्टि होती है। उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शूद्रा भार्या तो प्रायः प्रमाणित है। राजा की चौथी और न्यूनतम समादृत पत्नी पालागली शूद्रा ही थी।^७ किन्तु आर्यों की शूद्रा पत्नियों को धर्मपत्नी होने का गौरव नहीं प्राप्त हुआ। आर्य परिवार में रहते हुए भी उन्हें धार्मिक एव सामाजिक सुविधायें पूर्णतः प्राप्त नहीं थीं। यही कारण है कि शाखायन ब्राह्मण शूद्रा भार्या को केवल वासना की तृप्ति का साधन मानता है।^८ धर्मसूत्रों में भी शूद्रवर्णा पत्नी को मात्र रमण के लिए उपयुक्त कहा गया है।

समाज का अविच्छिन्न अंग होते हुये भी शूद्र अन्य तीन वर्गों से पृथक् था। उसके लिये एक सीमा निर्धारित थी जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर

१. ट्रान्सलेशन आव ऐतरेय ब्राह्मण, पृ० ४८५

२ वाज० सं० २३ ३०, मे० सं० ३ १३ १

३ वाज० सं० २३ ३० पर महीधर और उवट की टीका।

४ कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इण्डिया, भाग १, पृ० १२६।

५ भविष्य पुराण १.४२ २२-२६

६ महाभारत ५३ १३-१६ (कुम्भ० संस्करण)

७ शाखा० श्रौ० सू० १६ ४४

८, शाखा० ब्रा० २७ १

सकता था। वैश्य अपने पतन के पश्चात् भी द्विजातियों के सभी धार्मिक और सामाजिक सुविधाओं से युक्त था। इसके विपरीत शूद्र आर्यों के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् था। न तो उसे उपनयन का अधिकार था और न तो वेदाध्ययन की सुविधा। वाजसनेयी संहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि सभी जनो को 'कल्याणीवाक्' बोलना चाहिये।^१ श्री मुकर्जी के अनुसार कल्याणीवाक् का तात्पर्य वेदाध्ययन से है। इस आधार पर उनका कथन है कि सभी लोग समान रूप से वेदाध्ययन कर सकते थे।^२ किन्तु 'कल्याणीवाक्' का यह अर्थ प्रामाणिक नहीं है। टीकाकार महीधर और उवट के अनुसार 'कल्याणीवाक्' का अर्थ दयायुक्त अथवा सहानुभूतियुक्त वचन से है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी वर्ण वाले लोगों को बात करते समय भद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। संहिता और ब्राह्मण साहित्य में शूद्र को उपनयन से पृथक् करने का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं है। उपनयन का प्रथम स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद में हुआ है^३ जहाँ बालक के दूसरे जन्म का (द्विजत्व) का संकेत है। किन्तु यहाँ भी बालक के वर्ण का कोई वर्णन नहीं है। श्री अनन्त सदाशिव अल्टेकर के अनुसार उपनयन का प्रचलन प्रारम्भ में केवल पुरोहितों में ही था जो क्रमशः ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा भी अपनाया गया।^४ यह सच है कि समाज के धार्मिक जीवन से सम्बद्ध होने के कारण अधिकांशतः पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों के लड़के ही वेदाध्ययन करते थे जिनका समुचित रीति से उपनयन संस्कार होता था,^५ किन्तु अथर्ववेद से हम राजा एवं कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के आचरण की बात जानते हैं। उपनयन संस्कार का शैक्षणिक महत्त्व सम्भवतः बाद में विकसित हुआ। प्रारम्भ में यह एक जातीय संस्कार था जिसके द्वारा बालक को जन की सदस्यता प्राप्त होती थी। प्रारम्भिक ईरानियों में भी इस प्रकार की प्रथा थी जिसके द्वारा प्रत्येक पन्द्रह वर्ष की अवस्था के लड़के लड़की को

१ वाज० सं० २६ २, यथेमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज-
न्येभ्याम् शूद्राय आर्याय च

२ ऐन्दयेन्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० ५३

३ अथर्ववेद ११ ५ ३

४. एजुकेशन इन ऐन्दयेन्ट इण्डिया, पृ० १०

५ तै० सं० ६ ३ १०, गो० ब्रा० १ २ २-४।

समाज की सदस्यता प्राप्त होती थी।^१ श्री शर्मा का मत है कि प्रारम्भ में शूद्र भी उपनयन के अधिकारी रहे होंगे।^२ उनकी कल्पना का मूल आधार शूद्रों के उपनयन के निषेध के सम्बन्ध में सहिताग्रो^३ और ब्राह्मण ग्रन्थों का मोन ही है। किन्तु इस मोन के आधार पर किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचना सर्वथा असम्भव है। सूत्र साहित्य में तो स्पष्टतः उपनयन और वेदाध्ययन से शूद्रों को पृथक् किया गया है।^४ इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन के लिये ऋतुओं का निर्धारण है किन्तु शूद्र के लिये नहीं।^५ एक दूसरे ग्रन्थ में कहा गया है कि उपनीत व्यक्ति को शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए।^६ यद्यपि ये सभी प्रमाण उत्तरवैदिक युग के सायकाल से सम्बन्धित हैं तथापि ब्राह्मणों के युग की अवस्था भी बहुत कुछ समान होने के कारण उन उद्धरणों की प्रामाणिकता स्वीकार्य है। दूसरे वैदिक यज्ञो एव महत्त्वपूर्ण कर्मकाण्डों से भी शूद्रों को पृथक् करने के नियम ब्राह्मणों में मिलते हैं जिनके विषय में हम अग्रिम पृष्ठों में विचार करेंगे। वैदिक साहित्य की पवित्रता यज्ञों और अनुष्ठानों से कम नहीं थी फिर शूद्रों का उपनयन तथा वेदाध्ययन सर्वथा अकल्पनीय प्रतीत होता है। तीसरे, जैसा कि पहले ही कहा गया है उपनयन आयों का जातीय सस्कार था। उत्तरवैदिक युग तक सामाजिक व्यवस्था में अन्तर्निहित होने के पश्चात् भी शूद्र आयों के लिये विजातीय ही था।^७ वे उपनयन को द्वारा उन्हें अपने समान सामाजिक स्तर प्रदान करने को कदापि प्रस्तुत नहीं थे। ईरान में भी नवजोत नामक सस्कार हूइती वर्ग के लिये निषिद्ध था।^८ विधिवत् वेदाध्ययन की परम्परा तो केवल ब्राह्मणों में ही थी। क्षत्रियों में सामान्यतया युद्धविद्या का ही प्रचलन था।^९ वैसे कुछ जिज्ञासु राजन्य वेदाध्ययन में भी पर्याप्त रुचि लेते थे तथा दार्शनिक ज्ञान के विकास में भी

१ वेन्दिदाद, १८ ९

२ शूद्राज इन ऐन्वेन्ट इरिडया, पृ० ६७-६८

३ शाट्या० श्री० सू० २६ १ २०

४ वही, १८ ३, २६

५ दाह्या० श्री० सू० ७ ३ १४

६ दत्त, ओरिजिन एण्ड प्रोथ भाव कास्ट इन इरिडया, पृ०

७ सेनार्ट, कास्ट इन इरिडया, पृ० ११८

८ जे० ए० ओ० एस० १३, पृ० १०६-११३

सकता था । वैश्य अपने पतन के पश्चात् भी द्विजातियों के सभी धार्मिक और सामाजिक सुविधाओं से युक्त था । इसके विपरीत शूद्र आर्यों के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् था । न तो उसे उपनयन का अधिकार था और न तो वेदाध्ययन की सुविधा । वाजसनेयी संहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि सभी जनो को 'कल्याणीवाक्' बोलना चाहिये ।^१ श्री मुकर्जी के अनुसार कल्याणीवाक् का तात्पर्य वेदाध्ययन से है । इस आधार पर उनका कथन है कि सभी लोग समान रूप से वेदाध्ययन कर सकते थे ।^२ किन्तु 'कल्याणीवाक्' का यह अर्थ प्रामाणिक नहीं है । टीकाकार महीधर और उवट के अनुसार 'कल्याणीवाक्' का अर्थ दयायुक्त अथवा सहानुभूतियुक्त वचन से है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी वर्ण वाले लोगों को बात करते समय भद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । संहिता और ब्राह्मण साहित्य में शूद्र को उपनयन से पृथक् करने का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं है । उपनयन का प्रथम स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद में हुआ है^३ जहाँ बालक के दूसरे जन्म का (द्विजत्व) का संकेत है । किन्तु यहाँ भी बालक के वर्ण का कोई वर्णन नहीं है । श्री अनन्त सदाशिव अल्टेकर के अनुसार उपनयन का प्रचलन प्रारम्भ में केवल पुरोहितों में ही था जो क्रमशः ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा भी अपनाया गया ।^४ यह सच है कि समाज के धार्मिक जीवन से सम्बद्ध होने के कारण अधिकांशतः पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों के लड़के ही वेदाध्ययन करते थे जिनका समुचित रीति से उपनयन संस्कार होता था,^५ किन्तु अथर्ववेद से हम राजा एवं कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के आचरण की बात जानते हैं । उपनयन संस्कार का शैक्षणिक महत्व सम्भवतः बाद में विकसित हुआ । प्रारम्भ में यह एक जातीय संस्कार था जिसके द्वारा बालक को जन की सदस्यता प्राप्त होती थी । प्रारम्भिक ईरानियों में भी इस प्रकार की प्रथा थी जिसके द्वारा प्रत्येक पन्द्रह वर्ष की अवस्था के लड़के लड़की को

१ वाज० स० २६ २, यथेमा वाच कल्याणी भावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज-
न्येभ्याम् शूद्राय आर्याय च

२ ऐन्ड्येन्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० ५३

३ अथर्ववेद ११ ५. ३

४. एजुकेशन इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० १०

५ तै० स० ६ ३ १०, गो० ब्रा० १ २ २-४ ।

समाज की सदस्यता प्राप्त होती थी।^१ श्री शर्मा का मत है कि प्रारम्भ में शूद्र भी उपनयन के अधिकारी रहे होंगे।^२ उनकी कल्पना का मूल आधार शूद्रों के उपनयन के निषेध के सम्बन्ध में सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का मौन ही है। किन्तु इस मौन के आधार पर किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचना सर्वथा असम्भव है। सूत्र साहित्य में तो स्पष्ट उपनयन और वेदाध्ययन से शूद्रों को पृथक् किया गया है।^३ इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन के लिये ऋतुओं का निर्धारण है किन्तु शूद्र के लिये नहीं।^४ एक दूसरे ग्रन्थ में कहा गया है कि उपनीत व्यक्ति को शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए।^५ यद्यपि ये सभी प्रमाण उत्तरवैदिक युग के सायकाल से सम्बन्धित हैं तथापि ब्राह्मणों के युग की अवस्था भी बहुत कुछ समान होने के कारण उन उद्धरणों की प्रमाणिकता स्वीकार्य है। दूसरे वैदिक यज्ञो एव महत्वपूर्ण कर्मकाण्डों से भी शूद्रों को पृथक् करने के नियम ब्राह्मणों में मिलते हैं जिनके विषय में हम अग्रिम पृष्ठों में विचार करेंगे। वैदिक साहित्य की पवित्रता यज्ञों और अनुष्ठानों से कम नहीं थी फिर शूद्रों का उपनयन तथा वेदाध्ययन सर्वथा अकल्पनीय प्रतीत होता है। तीसरे, जैसा कि पहले ही कहा गया है उपनयन आर्यों का जातीय सस्कार था। उत्तरवैदिक युग तक सामाजिक व्यवस्था में अन्तर्निहित होने के पश्चात् भी शूद्र आर्यों के लिये विजातीय ही था।^६ वे उपनयन के द्वारा उन्हें अपने समान सामाजिक स्तर प्रदान करने को कदापि प्रस्तुत नहीं थे। ईरान में भी नवजोत नामक सस्कार हुइती वर्ग के लिये निषिद्ध था।^७ विधिवत् वेदाध्ययन की परम्परा तो केवल ब्राह्मणों में ही थी। क्षत्रियों में सामान्यतया युद्धविद्या का ही प्रचलन था।^८ वैसे कुछ जिज्ञासु राजन्य वेदाध्ययन में भी पर्याप्त रुचि लेते थे तथा दार्शनिक ज्ञान के विकास में भी

१ वेन्दिदाद, १८६

२ शूद्राज इन ऐन्डयेन्ट इण्डिया, पृ० ६७-६८

३ शाट्या० श्री० सू० २६१२०

४ वही, १८.३.२६

५ दाह्या० श्री० सू० ७३१४

६ दत्त, ओरिजिन एण्ड ग्रीथ आव कास्ट इन इण्डिया, पृ०

७ सेनार्ट, कास्ट इन इण्डिया, पृ० ११८

८ जे० ए० श्री० एस० १३, पृ० १०६-११३

उनका योग था। वैश्यों में अधिकांशतः व्यावसायिक शिक्षा का ही प्रचलन था। वैश्यो की ही भांति शूद्र भी व्यावसायिक शिक्षा ही प्राप्त करते थे जो उन्हें परिवार और जाति के माध्यम से प्राप्त होती थी। उनके समस्त आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइया इतनी प्रबल थी कि न तो उनके पास वैदिक धर्म तथा साहित्य के अध्ययन के लिये समय था और न तो सुविधा ही।

शूद्रो को धार्मिक अनुष्ठानों से पृथक् करने का भगीरथ प्रयास उत्तवैदिक युग से ही प्रारम्भ होता है जिसकी अविच्छिन्न परम्परा हमें उन्नीसवीं सदी तक मिलती है। जन्मगत हीनता के कारण धार्मिक जीवन से शूद्र को यज्ञ से वहिष्कृत किया गया।^१ शतपथ शूद्रो के पृथक्करण ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को शूद्र के लिये अस्पृश्य का प्रयास बतलाता है।^२ यद्यपि शूद्र अश्वमेध यज्ञ में प्रहरी का कार्य करता था तथापि वह यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर सकता था। शतपथ ब्राह्मण उसे निश्चित रूप से अयज्ञीय बतलाता है।^३ काठक संहिता का एक अंश स्त्रियो तथा शूद्रो को यज्ञ के अवसर पर सोम पीने के अधिकार से वंचित करता है किन्तु यह वरुण यजुर्वेद की अन्य शाखा का मत मानते हैं।^४ शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र दीक्षित व्यक्ति के लिये शूद्र से बोलने तक का निषेध किया है।^५ पचविंश ब्राह्मण में कहा गया है कि शूद्रो के न तो देवता हैं और न तो उन्हें यज्ञ करने का अधिकार है।^६ अग्निहोत्र के लिये आवश्यक दुग्ध के दोहन का अधिकार भी शूद्र को नहीं है।^७ यहाँ हम स्पर्शजन्य अपवित्रता का आभास पाते हैं। मैत्रायणी संहिता में तो कहा गया है कि दुहने की थाली भी किसी आर्य द्वारा ही

१ तै० ब्रा० ३.२.३.६, कात्या० श्रौ० सू० १.५,

शाखा० श्रौ० सू० १.१.१-३, मादव० श्रौ० सू० १.३.३

२. शत० ब्रा० ६.४.४.६

३ वही ३.१.१.१०

४ शूद्राज इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० ७४

५. शत० ब्रा० ३.१.१.१०

६ पच० ब्रा० ६.१.१.१

७ काठक स० ३.१.२, मैत्रा० स० ४.१.३, तै० ब्रा० ३.२.३.६-१०

निमित्त होनी चाहिये ।^१ तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि शूद्रों को धार्मिक अवसरों पर द्विजातियों के चरणप्रक्षालन का कार्य करना चाहिये ।^२

वैदिक युग के अन्तिम चरण तक निश्चित रूप से शूद्र पवित्र अवसरों के लिये अछूत समझा जाने लगा था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रवर्ग्य नामक उत्सव में यजमान को स्त्रियो और शूद्रों से सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये क्योंकि वे अनृत हैं ।^३ परवर्ती साहित्य में स्त्रियो एवं शूद्रों को यज्ञ से बहिष्कृत करने का प्रयास प्रायः सर्वत्र मिलता है ।^४ एक प्रसंग में तक्षन (बडई) के भी स्पर्श से अशुद्धि की कल्पना की गई ।^५ ज्ञातव्य है कि अथर्ववेद में उसे विश के सम्मान्य सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है । शूद्रों की स्पर्शगत अपवित्रता का उल्लेख संहिताओं में नहीं मिलता । ऐसे प्रसंग शतपथ ब्राह्मण और श्रौतसूत्रों में ही मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि शूद्रों की धार्मिक अपवित्रता का विचार तथा स्पर्श एवं दर्शन का निषेध वैदिक युग के समाप्तिकाल में ही विशेष दृष्टिगोचर होता है । साथ ही शूद्रों की यज्ञादि पवित्र अवसरों पर ही अपवित्र माना जाता था । साधारणतया जीवन के अन्य पक्षों में इनका सम्पर्क हेय नहीं माना जाता था । हम जानते हैं कि बहुत बाद तक ब्राह्मणों के घर में शूद्र रसोइया हुआ करते थे तथा ब्राह्मण लोग शूद्र द्वारा बनाये भोजन को ग्रहण करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं करते थे ।^६ चण्डाल और पौलकस जैसे बर्बर एवं घृणास्पद जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का अन्न अवश्य ही अशुद्ध और अग्राह्य था, जिसका प्रधान कारण उनकी अतिशय गन्दी आदतें थी । उदाहरणार्थ स्वपाक इसलिये तिरस्कृत थे कि वे इवान-मासभक्षी थे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है । छ्वादीय उपनिषद में उशस्ति नाम के एक ब्राह्मण का वर्णन है जिसने एक हस्तिपालक के भोजन का शेषांश ग्रहण किया तथा उसी दिन एक पड़ोसी

१ मैत्रा० सं० १८३

२ तै० सं० ७.११

३ शत० ब्रा० १४१.३१

४. द्र०, जे० बी० भार० एस० ३६, १८१-६१

५ शत० ब्रा० ११३.१२, अशुद्धस्तथा

६ आचार्य क्षितिमोहन सेन, संस्कृति-संगम,

राजा के यहाँ पीरोहित्य करने की इच्छा से उपस्थित हुआ ।^१ इससे प्रकट है कि साधारण स्थिति में शूद्र का अन्न ग्राह्य था ।

शूद्र धार्मिक जीवन में वहिष्कृत होते हुये भी कतिपय याज्ञिक कृत्यों में भाग ले सकते थे । उदाहरण के लिए अन्य वर्णों के साथ वह यज्ञ की हवि तैयार करने में भाग लेता था । शतपथ ब्राह्मण में एक शूद्र के पितृमेघ यज्ञ करने का उल्लेख है ।^२ किन्तु इन कतिपय अपवादस्वरूप प्रमाणों के आधार पर शूद्रों का याज्ञिक धर्म में प्रवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता । ये शूद्र अधिकांशतः रुद्र के उपासक थे । रथकार, कुलाल, कर्मार, निपाद, पुजिष्ठ, मृगयु, धनुकार, ईपुकार आदि-विभिन्न जातियों एवं व्यवसायियों के लोग रुद्र के उपासक कहे गये हैं । इनमें अधिकांश शूद्र थे ।^३ शूद्रों के लिये, जो अधिकांशतः अनार्य थे, वैदिक देवता रुद्र अधिक आकर्षक था, क्योंकि उत्तरवैदिक युग तक अनार्य देवता शिव और वैदिक रुद्र का एकीकरण हो चुका था । इस प्रकार वैदिक धर्म के अन्तर्गत ही परोक्ष रूप में अनार्यों ने अपने धार्मिक परम्पराओं के प्रति आस्था प्रकट की । ज्यों-ज्यों समाज के उच्च वर्णों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती गई तथा विश्व के साधारण-सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति गिरती गई वैसे ही ये निराश एवं दलितलोग अनार्य जनता के अधिक समीप आते गये । परिणामतः रथकार और कर्मार जैसे व्यवसायी भी, जो विश्व के सदस्य थे, रुद्र के उपासक हो गये । रत्न-हविषी नामक उत्सव के अवसर पर रुद्र को गोविवर्तन का देवता कहा गया है ।^४ सायण ने उन्हें निम्न जातीय माना है ।

शूद्रों को वैदिक धर्म एवं याज्ञिक कर्मकाण्डों से पृथक् करने के कई कारण थे । आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विभाजन ने यज्ञों के स्वरूप को विल्कुल बदल दिया जिसके फलस्वरूप यज्ञ बड़े ही विस्तृत दुरुह एवं व्ययपूर्ण हो गये । कालक्रमेण यज्ञ उच्च वर्णों के विशेषाधिकार हो गये क्योंकि उन्हीं के पास इन विस्तृत यज्ञों को चलाने के साधन एवं सुविधायें थी । महाभारत में युधिष्ठिर ने स्पष्ट कहा है कि याज्ञिक धर्म निर्धन व्यक्ति की शक्ति के बाहर

१. छान्दोग्य उप० १.१०

२. शत० ब्रा० १३ ८ ३ ११

३. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० २४६-५०

४. शत० ब्रा० ५ ३.१ १०

है।^१ शूद्र जिनकी आर्थिक दशा अत्यन्त हीन थी यज्ञ के व्यय में असमर्थ थे। सम्पन्न शूद्र यज्ञ के अधिकारी रहे होंगे,^२ ऐसा निष्कर्ष निकालना भी गलत है क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त अन्य कठिनाइयाँ भी शूद्रों के समक्ष थीं।

बहुधा विजेता जातियों में अपने धर्म एवं सस्कृति के बलपूर्वक प्रचार की भावना होती है। वैदिक आर्यों में इसके विपरीत स्थानीय जनता को अपने धार्मिक जीवन से पृथक् रखने की परम्परा बड़ी हो विचित्र लगती है। इतना अवश्य है कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में ब्राह्मण विश्वास की पवित्रता की रक्षा के लिये शूद्रों के पृथक्करण का प्रमाण हम नहीं पाते, किन्तु ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के युग तक ज्यों ज्यों आर्यों और अनायों का सम्पर्क बढ़ता गया वैसे ही पृथक्करण की नीति भी बढ़ती गई। ईंग्लिश महोदय का विचार इस समस्या का आशिक समाधान प्रस्तुत करता है।^३ उनके अनुसार अनायों की धार्मिक परम्पराओं के प्रभाव से जब ब्राह्मणों के धार्मिक विश्वास आच्छादित एवं सकटाकीर्ण होने लगे तब आर्यों ने अपने और अनायों शूद्रों के बीच एक अनुलघनीय सीमा के निर्धारण का प्रयास किया जिसके पीछे सांस्कृतिक स्वत्व की रक्षा की भावना विद्यमान थी। पहले अध्याय में हम देख चुके हैं कि प्रागार्य भारतीयों का धार्मिक जीवन कितना समुन्नत था। आज भी भारतीयों के धार्मिक विश्वासों का अधिकांश अनायों है।

इसके अतिरिक्त शूद्र लोग आर्यों के सम्पर्क के पश्चात् भी अपने परम्परागत धार्मिक विश्वासों को सहज ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। मूर्तिपूजक होने के कारण यज्ञ प्रधान वैदिक धर्म के प्रति उनकी अनासक्ति सर्वथा स्वाभाविक थी। साथ ही वैदिक मन्त्रों के उच्चारण की शुद्धता का भी धार्मिक महत्त्व था। शूद्रों के लिये, संस्कृत भाषा से अल्प परिचय होने के कारण, उच्चारण की शुद्धता, मन्त्रों का उचित पाठ तथा अनुष्ठानों का सही ढंग से सम्पादन बड़ा ही दुष्कर था। अतः इन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भी शूद्र याज्ञिक धर्म के प्रति हतोत्साहित हुये तथा हतोत्साहित किये गये।

१ महाभारत (कुर्म०) १३ १६४ २-३, न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञां प्राप्तुं पितामहः, बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भार विस्तरा, पार्थिवै राजपुत्रैर् वा शक्या प्राप्तुं पितामहः, नार्यन्यूर्नरवगुणैरेकात्मभिरसहर्त ।

२ शर्मा, शूद्राज इन ऐन्शेन्ट इण्डिया, पृ० ८०

३ सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, भाग १२, भूमिका, पृ० १३

शूद्रों की आर्थिक स्थिति भी पर्याप्त रूप से हीन थी। ये लोग कठोर परिश्रम करते थे किन्तु परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं का पूर्ण उपभोग स्वयं नहीं कर पाते थे। जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वैश्य धनवान् होता है और शूद्र कुशल कर्मकर्ता।^१ कर्मकर्ता का अर्थ सम्भवतः श्रमजीवी है क्योंकि वेदोत्तर युग में इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। प्रारम्भिक उपनिषदों में शूद्र को वैश्यों की भाँति ही पूषण कहा है।^२ इससे प्रतीत होता है कि शूद्र अपने श्रम के द्वारा समाज के अन्य वर्गों का पोषण करता था। इनके श्रम का उपयोग अधिकांशतः कृषिकर्म में होता था।^३ ये शूद्र बहुधा सम्पन्न एवं सम्मानित लोगों की भूमि पर काम करते थे तथा यदा-कदा भूमि सहित दान में दिये जाते थे।^४ 'वैदिक इण्डेक्स' के लेखकों ने आर्थिक दृष्टि से इनकी तुलना यूरोपीय सर्फ़ (Serfs) से की है।^५ सम्भव है कुछ धनी शूद्र व्यक्तिगत भूमि पर भी कृषि कर्म करते रहे हों। ये लोग कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों में लगे हुये थे। सूत्र-साहित्य में इनके लिये व्यापार तथा वाणिज्य की भी व्यवस्था है।^६ महाभारत में शूद्र को सम्पत्तिहीन बतलाया गया है।^७ किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण में शूद्र के बहुपशु होने का भी संकेत मिलता है।^८ कुछ संहिताओं में धनवान् शूद्रों का भी उल्लेख हुआ है।^९ इस प्रकार शूद्र वर्ग के लोग विभिन्न व्यवसायों के द्वारा अपनी रोटी की व्यवस्था में लगे थे किन्तु युगीन साहित्य में उनका कर्तव्य निर्धारित करते हुये सेवा कर्म की व्यवस्था ही की गई।^{१०}

१. जै० ब्रा० २.२६६

२. वृ० उप० १.४.३

३. मुकर्जी, ऐन्वयेन्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० १५८

४. शाखा० श्रौ० सू० १६.१४.१८ सहपुरुषं च दीयते, १६.१५.२०, कात्यायन श्रौत सूत्र २.२.१० में भूमिशूद्रवर्जनम् का उल्लेख है। यह निषेध भी आंशिक रूप से इसप्रथा के प्रचलन का संकेत करता है।

५. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ३८९

६. वही, भाग २, पृ० ३९१

७. महाभारत, १२.३०.७

८. पंच० ब्रा० ६.१.११

९. मैत्रा० स० ४.२.७.१०, पंच० ब्रा० ६.१.११

१०. जै० ब्रा० १.६८-९, शाट्या० श्रौ० सू० २६.१.७

जिसके पीछे उच्च वर्गों की स्वार्थभावना ही प्रबल थी। कुछ शूद्र द्विजातियों के यहाँ सेवक का भी कार्य करते थे क्योंकि स्थान-स्थान पर उनका कार्य द्विजातियों का चरणप्रक्षालन (पादावनेज्य) बताया गया है।

तत्कालीन राजनैतिक जीवन में शूद्रों का स्थान अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण था। वे समाज के एक विशाल जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते थे अतः उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। राजा द्वारा समादृत बारह रत्नियों में शूद्रों का भी स्थान था।^१ बारह सदस्यों की यह सभा हिन्द-यूरोपीय जाति की अन्य शाखाओं में भी मिलती है।^२ ये रत्निये इतने महत्वपूर्ण थे कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा को स्वतः इनके यहाँ रत्नहविषी नामक अनुष्ठान के लिये जाना पड़ता था। इन रत्नियों में प्रायः सभी वर्गों के सदस्य थे। तक्षक और रथकार को भी रत्नियों में स्थान दिया गया है। किन्तु इनका राजनैतिक महत्व इनके व्यवसाय की महत्ता के कारण था। इन लोगों ने आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार में रथों एवं गाड़ियों के निर्माण से सहायता प्रदान की। दूसरे, इनके कार्य का सामरिक महत्व भी था। शतपथ ब्राह्मण इन दोनों रत्नियों का उल्लेख न करके गोविकर्तन (Huntsman) और पालागल (Messenger) का उल्लेख करता है।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों रत्निये शूद्र वर्ग के थे। पालागल के शूद्रत्व की सम्भावना इस बात से होती है कि पालागली को शूद्रा कहा गया है।^४ गोविकर्तन, जिसे शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों द्वारा भी रत्नियों की सूची में स्थान दिया गया है,^५ सायण द्वारा हीन जाति वाला कहा गया है।^६ सायण ने इसी प्रकार सेनानी नामक रत्निये को भी शूद्र माना है।^७ इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राजनैतिक जीवन में शूद्रों

१. हिंदू पालिटी, भाग २, पृ० २०

२. चादविक, हिरोइक एज, पृ० ३७०

३. शत० ब्रा० ५.३.१ १०-११

४. शाखा० श्री० सू० १६.४४, शत० ब्रा० १३.५ २.८

५. मै० स० २.६५, आप० श्री० सू० १८ १० २०. शाट्या श्री० सू० १३ ४८

६. सायण की टीका—शत० ब्रा० ५.३ २ २-४

७. ब्र०, सायण की टीका, शत० ब्रा० ५.३ २.२, शूद्रान् सेनान्यादिन ...।

का भी प्रतिनिधित्व था। अन्य वर्णों के रत्नियों की भांति शूद्र रत्नन भी इतने महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि राजा राजसूय के प्रसंग में स्वयं उनके यहाँ उपस्थित होता था। रत्नन के रूप में इनके अधिकार और कर्तव्य का विशेष उल्लेख नहीं हुआ है जिससे इनकी अवज्ञा का बोध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका प्रतिनिधित्व औपचारिक मात्र था।

जायसवाल महोदय रत्नहविषी नामक उत्सव को बहुत महत्व देते हैं, जिसमें भावी नरेश एक विजित शूद्र की पूजा करता था।^१ इस राजकीय समा-
दार के कारण हीन शूद्रों की स्थिति भी कुछ गौरवान्वित हुई हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह कहना गलत होगा कि शूद्र वर्ण के रत्नन केवल अपने विशिष्ट व्यवसायों के कारण ही समावृत्त थे तथा वे अपने वर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पालागल (सदेशवाहक) तथा गोविकर्तन (शिकाग्रियों का प्रधान) का व्यवसाय किसी भी प्रकार से विशेष महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वास्तव में शूद्रों के राजनैतिक प्रति-
निधित्व का कारण भी अशत राजनैतिक था। प्रथमतः अनायों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात् शान्तिपूर्ण शासन के लिये समझौते की आवश्यक-
कता थी। इन शूद्रों के माध्यम से निम्नस्तरीय अनायें जनता का भी प्रति-
निधित्व हो जाता था। दूसरे वैदिक राजा की स्थिति बहुत कुछ जनता के सहयोग पर निर्भर थी जैसा कि अथर्ववेद (३५६) से स्पष्ट होता है। वैद्यों तथा शूद्रों का वर्ग संख्या में अधिक था। इन्हीं दो वर्गों द्वारा उच्चवर्गों का भरण-पोषण भी होता था। अतः इनकी सन्तुष्टि के लिये तथा राजसत्ता को स्थिर रखने के लिये इन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया जाता था। शूद्रों का राजनैतिक महत्व राजसूय यज्ञ में होने वाली द्यूतक्रीडा से भी स्पष्ट होता है। कृष्ण-यजुर्वेद की पुरानी परम्परा के अनुसार द्यूतक्रीडा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों भाग लेते थे तथा अन्त में राजा विजयी होता था।^२ वाजसनेयी संहिता में द्यूतक्रीडा में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के ही भाग लेने का उल्लेख है।^३ इससे प्रतीत होता है कि इस अनुष्ठान से वैद्यों और शूद्रों को पृथक् करने का प्रयास भी प्रारम्भ हो चुका था।

१. हिन्दू पालिटी, २ पृ० २१

२. मै० सं० ४४६, वाराह श्रौ० सू० ३.३ ३ २४, आप० श्रौ० सू० १८ १९.

२-३, शाट्या० श्रौ० सू० १३ ६ २६-२०

३. वाज० सं० १० २६

फिर भी द्यूतक्रीडा मे शूद्रो के भाग लेने का जो उल्लेख है उससे राज-नैतिक जीवन मे इस वर्ण के प्रतिनिधित्व की बात प्रमाणित होती है। राजसूय यज्ञ के एक दूसरे कृत्य के अनुसार राजा ब्राह्मण को स्वर्ण क्षत्रिय को धनुष और तीन वाण, वैश्य को लाठी और शूद्र को बीज से भरा पात्र देता है तथा बदले में उनके गुणों को प्राप्त करने की कामना करता है।^१ इस प्रकार वह शूद्र से दीर्घजीवन प्राप्त करता है। युधिष्ठिर के राजसूय के अवसर पर शूद्र भी निमन्त्रित हुये थे।^२ यजुर्वेद की संहिताओं से ज्ञात होता है कि राजा राजसूय के अवसर पर सूर्य की उपासना करता हुआ आर्य और शूद्र के प्रति किये गये पाप के लिये प्रायश्चित्त करता था।^३

अश्वमेध यज्ञ में सशस्त्र सैनिक के रूप में अश्व की रक्षा करते हुए भी शूद्र का उल्लेख है।^४ शूद्रों द्वारा सैनिक वृत्ति का धारण आश्चर्यजनक नहीं है। तैत्तिरीय संहिता में भी शूद्र सैनिकों का उल्लेख मिलता है।^५ महा-भारत मे तो चारो वर्णों द्वारा शस्त्रधारण की बात कही गई है।^६ इस प्रकार राजसत्ता की रक्षा मे शूद्रों का सशस्त्र योग भी इस युग मे अज्ञात नहीं था। राजनैतिक महत्त्व के अनुष्ठानो मे शूद्र कहाँ तक भाग लेते थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान मे वे भाग नहीं लेते थे। राजसूय यज्ञ मे ही शूद्र अभिषेचन मे भाग लेने का अधिकारी नहीं था।^७ जायसवाल महोदय के अनुसार जन्य अथवा जन्यमित्र नामक जो चौथा व्यक्ति जल छिड़कता था, वह शूद्र होता था।^८ किन्तु जन्य या जन्यमित्र का अर्थ शूद्र करना कल्पना मात्र पर अवलम्बित है। वाजपेय यज्ञ में भी शूद्र के प्रवेश का अधिकार नहीं था।^९

१ काठक स० ३८ १

२. विशिष्ट भावयान् शूद्राश्च सर्वानानयनेति च, महा० २ ३० १४

३ तै० स० १ ८ ३ १, काठक स० ३८.५, शत० ब्रा० १२ ६ २ ३

४ शतम शूद्रावरुयिनः, आप० श्री० सू० २०.५ १३, शाट्या श्री० सू० २० ५०

५ तै० स० ६ ४, ८

६ महाभारत ५ ६४ ७

७ शत० ब्रा० ३ ५ ११-१४, तै० ब्रा० १ ७ ८ ७

८ हिन्दू पालिटी, भाग २, पृ० २५

९. शाखा० श्री० सू० १६ १७.४

इन सभी बातों के होते हुये भी शूद्र को समाज का अविच्छिन्न और अनिवार्य अंग समझा जाता था। समाज के सुख-दुख में उसका भी भाग था। अथर्ववेद तथा वाजसनेयी संहिता में आर्य और शूद्र दोनों का प्रिय बनने की कामना व्यक्त की गई है।^१ अथर्ववेद में एक ऋषि कहता है कि 'भुक्ते देवताओ का प्रिय बनाओ, राजन्यो का प्रिय बनाओ, शूद्रो भी आर्यों का प्रिय बनाओ।'^२ निश्चय ही यहाँ चारों वर्णों के प्रिय बनने की कामना की गई है। एक उल्लेखनीय अक्ष में जो यजुर्वेद की लगभग सभी शाखाओं में मिलता है अग्नि से चारों वर्णों के लोगों को 'रुचम्' (तेज Brilliance) प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।^३ उपनिषदों के युग तक नवीन धार्मिक क्रान्ति के साथ ही शूद्रों के प्रति हीन सामाजिक दृष्टिकोण का भी विरोध हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मन् के क्षेत्र में कोई भेद अथवा दुराव नहीं रहता। यहाँ चंडाल और पील्कश भी हीन नहीं माने जाते हैं।^४ इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद चंडाल को भी अग्निहोत्र के अवशेष का अधिकारी बतलाता है।^५

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शूद्रों को अविकाशित विजातीय, विजित तथा हीनाचारी होने के कारण समाज के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् किया गया। साथ ही उनकी हीन स्थिति का बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने स्वार्थ-साधन हेतु दुरुपयोग भी किया। फिर भी अपनी आर्थिक उपयोगिता के कारण उन्हें कुछ सुविधायें भी प्राप्त हुई थी। किन्तु कीथ महोदय का यह मत कि इस युग में शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट (Ambiguous) थी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।^६ यत्र-तत्र राजनैतिक अवसरों पर उनके प्रति सम्मान अवश्य प्रकट किया गया है किन्तु मात्र इनके आधार पर शूद्रों की

१. अथर्ववेद १६. ३२ ८, ६२. १, वाज० स० २६.२

२ अथर्ववेद १६ ६२ १

३ तै० स० ५. ७. ६. ४, वाज० स० १८. ४८ मं० सं० ३. ४. ८

४ बृ० उप० ४. ३. ०

५ छान्दोग्य उप० ५. २४. ४

६ केम्प्रेज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० १२६

शूद्राज इन ऐन्क्येन्ट इण्डिया, पृ० ८१

आदरणीय स्थिति का बोध नहीं होता । इसके विपरीत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में उनके बहिष्कार एवं अवज्ञा का जो भाव मिलता है उससे उनकी कष्ट कथा ही मुखरित होती है । शूद्रों की पशुवत् स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण का 'यथाकामवध्य' विशेषण ही पर्याप्त है ।



इन सभी बातों के होते हुये भी शूद्र को समाज का अविच्छिन्न और अनिवार्य अंग समझा जाता था। समाज के सुख-दुख में उसका भी भाग था। अथर्ववेद तथा वाजसनेयी संहिता में आर्य और शूद्र दोनों का प्रिय बनने की कामना व्यक्त की गई है।^१ अथर्ववेद में एक ऋषि कहता है कि 'मुझे देवताओं का प्रिय बनाओ, राजान्यों का प्रिय बनाओ, शूद्रों और आर्यों का प्रिय बनाओ।'^२ निश्चय ही यहाँ चारों वर्णों के प्रिय बनने की कामना की गई है। एक उल्लेखनीय अंश में जो यजुर्वेद की लगभग सभी शाखाओं में मिलता है अग्नि से चारों वर्णों के लोगों को 'रुचम्' (तेज Brilliance) प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।^३ उपनिषदों के युग तक नवीन धार्मिक क्रान्ति के साथ ही शूद्रों के प्रति हीन सामाजिक दृष्टिकोण का भी विरोध हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मन् के क्षेत्र में कोई भेद अथवा दुराव नहीं रहता। यहाँ चंडाल और पील्कश भी हीन नहीं माने जाते हैं।^४ इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद चंडाल को भी अग्निहोत्र के अवशेष का अधिकारी बतलाता है।^५

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शूद्रों को अधिकांशतः विजातीय, विजित तथा हीनाचारी होने के कारण समाज के सांस्कृतिक जीवन से पृथक् किया गया। साथ ही उनकी हीन स्थिति का बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने स्वार्थ-साधन हेतु दुरुपयोग भी किया। फिर भी अपनी आर्थिक उपयोगिता के कारण उन्हें कुछ सुविधायें भी प्राप्त हुई थी। किन्तु कीथ महोदय का यह मत कि इस युग में शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट (Ambiguous) थी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।^६ यत्र-तत्र राजनैतिक अवसरों पर उनके प्रति सम्मान अवश्य प्रकट किया गया है किन्तु मात्र इनके आधार पर शूद्रों की

१ अथर्ववेद १६. ३२. ८, ६२. १, वाज० सं० २६.२

२ अथर्ववेद १६ ६२ १

३ तै० सं० ५. ७. ६. ४, वाज० सं० १८ ४८ मं० सं० ३ ४. ८

४ बृ० उप० ४. ३. २

५ छान्दोग्य उप० ५. २४. ४

६ कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० १२६

शूद्राज इन ऐन्क्वेन्ट इण्डिया, पृ० ८१

आदरणीय स्थिति का बोध नहीं होता । इसके विपरीत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में उनके बहिष्कार एवं अवज्ञा का जो भाव मिलता है उससे उनकी कुरूप कथा ही मुखरित होती है । शूद्रों की पशु-स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण का 'यथाकामवध्य' विशेषण ही पर्याप्त है ।



पश्चि ।श्चि संग्रह

और

नि िं की शा

उत्तर-वैदिक-युगीन पारिवारिक संगठन बहुत कुछ पूर्ववैदिक-युग के समान था यद्यपि इसपर आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ने के कारण कुछ अन्तर भी आ गये थे । संयुक्त परिवार की परम्परा अभी विच्छिन्न नहीं हो पाई थी । संयुक्त परिवार अथर्ववेद (३ ३० १-३) में पारिवारिक जीवन के, जिस आदर्श का चित्रण है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है ।^१ पिता के, जो कुटुम्ब का नायक होता था, जीवन काल में उसके सभी पुत्र एवं पौत्र बहुधा साथ-साथ रहते थे लेकिन अब कभी-कभी उसकी वृद्धावस्था में उसके पुत्र पारिवारिक सम्पत्ति का वटवारा करने की माग करने लगे थे । जैमिनीय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अभिप्रतारण के चार पुत्रों ने उस समय सम्पत्ति के वटवारे के लिए कलह किया जब वह वृद्धावस्था में रोगशैथिल्य पर पड़ा हुआ था ।^२ पुत्रों के कलह का कारण जानने पर अभिप्रतारण ने क्षुब्ध होकर कहा कि 'मैंने सुना था कि एक समय ऐसा आयेगा जब पिता के जीवन कालमें ही पुत्र सम्पत्ति का वटवारा करा लेंगे । उसके इस कथन से प्रमाणित होता है कि पिता के जीवन-काल में पुत्रों द्वारा सम्पत्ति-विभाजन एक अज्ञात-पूर्व एवं आश्चर्यजनक बात थी । मनु के पुत्रों ने भी उसके ही जीवन काल में

१ सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि व
अन्यो अन्यमभिहृत्य वरुणं जातमिवाध्या
अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समनाः
जाया पर्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम्
मा भ्राता भ्रातर द्विसन्मा स्वसारमुत स्वसा
सम्य च समता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।

२. जै० ब्रा० ३ १५६

सम्पत्ति का बटवारा करा लिया था ।^१ इस नवीन परिवर्तन से कई विषयों पर प्रकाश पड़ता है । प्रथम, इससे प्रतीत होता है कि इस युग में पिता की असीम सत्ता का ह्रास होने लगा था । हम कह चुके हैं कि आर्यों की पितृ-प्रधान पारिवारिक व्यवस्था में पुत्रों पर पिता का प्रायः निरंकुश शासन रहता था । पारिवारिक सम्पत्ति का वह एकमात्र स्वामी था और पुत्रों का दाय-प्राप्ति का अधिकार मात्र नैतिक था ।^२ किन्तु इसके विपरीत उत्तर-वैदिक युग तक पुत्र पिता की सम्पत्ति पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानने लगे थे । स्पष्ट है कि इस युग में एक ओर पिता के निरंकुश अधिकारों का अन्त हो रहा था तो दूसरी ओर पारिवारिक सम्पत्ति पर सामूहिक स्वामित्व की चेतना विकसित हो रही थी । ब्राह्मण युग में पुत्रों के जन्मना स्वत्ववाद का सिद्धान्त अस्तित्व में आ चुका था । किन्तु परवर्ती युग में यह सिद्धान्त प्राचीन परम्परा के अनुकूल न होने के कारण धर्मसूत्रों द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ । इन ग्रन्थों में पिता के अधिकारों का समर्पण करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि सम्पत्ति-विभाजन पिता के जीवन काल में नहीं होना चाहिए ।^३

उत्तरवैदिक युग में पारिवारिक विघटन एवं पुत्रों द्वारा सम्पत्ति-विभाजन की यह नवोदित प्रथा बहुत कुछ परिस्थितिजन्य थी । पूर्ववैदिक आर्यों को युद्ध, विजय एवं प्रसार की सकटग्रस्त परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा । ऐसी स्थिति में चाहते हुए भी एकाकी और विभाजित जीवन व्यतीत करना सर्वथा असुरक्षित था । दूसरे इस युग में पशु- (और विशेषतः गायें) आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होते हुए भी दुर्लभ नहीं थे । युद्ध में पराजित स्थानीय जनो के पशु-समूह सरलता से आर्यों के हाथ आ जाते थे । उन्हें प्राप्त करने के लिए पारस्परिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं थी । इसके विपरीत उत्तरवैदिक युग तक आर्यों का प्रसार-क्रम काफी मन्द पड़ चुका था । वे स्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे । राजसत्ता के विकास के साथ शान्ति एवं सुरक्षा में वृद्धि हुई । ऐसी स्थिति में भूसम्पत्ति एवं पशुधन की सहज प्राप्ति दुष्कर हो गई । परिणामतः धीरे-धीरे परिवार की पूर्वार्जित सम्पत्ति ही

१ ऐत० ब्रा० ५ १४, तै० स० ३.१.६.४ के अनुसार यह बटवारा मनु ने स्वयं किया ।

२. वैदिक इण्डेक्स, १.३५१

३. गौतम १५ १५, १६

इसके सदस्यों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र हो गई। शक्तिमान पिता पारिवारिक सम्पत्ति के वटवारे में पूरी मनमानी करता था तथा अपने प्रियपुत्र को सम्पत्ति में अधिक हिस्सा दे सकता था। ताण्ड्य ब्राह्मण^१ में कहा गया है कि पिता का प्रिय पुत्र अधिक सम्पत्ति प्राप्त करता है अतः अन्य पुत्रों को उससे स्वभावतः ईर्ष्या होती है। निश्चय ही सभी पुत्र सम्पत्ति विभाजन में समान भाग चाहते होंगे अतः पिता के मनमाने विभाजन से बचने के लिए उनके अस्वस्थ अथवा अशक्त होने पर स्वयं विभाजन का प्रयास करने लगे। इसके अतिरिक्त पिता के शक्तिमान रहने पर तो पुत्रों और पुत्रवधुओं पर पर्याप्त शासन रहता था किन्तु उसके प्रभाव के हटते ही भाइयों में कलह प्रारम्भ हो जाता था फिर उनका साथ-साथ-रहना प्रायः कठिन हो जाता था। ऐसी स्थिति में यदा-कदा पिता के जीवनकाल में ही भाई अलग हो जाते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् भी यदि सभी भाई साथ-साथ रहते थे तो ज्येष्ठ भ्राता समुक्त परिवार का प्रधान बनता था। जान मेन ने इसकी स्थिति पिता से भिन्न मानी है। उनके अनुसार जहाँ पिता प्रकृत्या परिवार का स्वामी था वहाँ ज्येष्ठ भ्राता केवल भाइयों के समझाते से परिवारका मुखिया बनता था।^२

उत्तरवैदिक-युगीन पारिवारिक जीवन में विघटन की प्रक्रिया का संकेत भ्रातृव्य शब्द के अर्थपरिवर्तन से भी होता है। भ्रातृव्य शब्द का अर्थ चचेरा भाई है।^३ अथर्ववेद में उसकी गणना वान्धवों में की गई है।^४ किन्तु ब्राह्मण युग तक हम इसका प्रयोग प्रतिस्पर्धी शत्रु के अर्थ में पाते हैं।^५

१. ताण्ड्य ब्रा० १६.४.४.३-४

२. मेन, हिन्दू ला, पृ० ३२०

३. क्लिटने ने अथर्ववेद (२.१८.५) के अनुवाद में इसका मूल अर्थ भतीजा माना है किन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। यदि पितृव्य का अर्थ चाचा हो सकता है तो निश्चय ही भ्रातृव्य का अर्थ भतीजा न होकर चचेरा भाई ही होगा।

४. अथर्ववेद १०.३.६, ५.२२.१२

५. शत० ब्रा० १.१.१.२१, ऐत० ब्रा० ३.७, पच० ब्रा० २.७.२, १२.१३.२ देखिए सहिताएं—अथर्ववेद २.१८.१, ७.१.१८, वाज० स० १.१०, तै० स० १.३.२.१, ३.५.६.२

काठक संहिता में उसे 'अप्रिय' 'पाप्मा' और 'द्विषन' विशेषण दिए गए हैं।^१ पाणिनि ने भ्रातृव्य शब्द के दोनों अर्थों को समान रूप से स्वीकार किया है।^२ भ्रातृव्य के शत्रु बनने के कारण सामूहिक परिवार के साम्प्रतिक भाँडे प्रतीत होते हैं।^३ आप्टे महोदय का यह मत कि भ्रातृव्य शब्द का शत्रुवाचक अर्थ सम्भवतः इरानियों एवं भारतीय आर्यों के पारस्परिक कलह का स्मरण दिलाता है,^४ नितान्त काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य के जिन अंशों में भ्रातृव्य शब्द का शत्रुवाचक अर्थ मिलता है वे अधिकांशतः हिन्द-इरानी युग से बहुत बाद के हैं। दूसरे भारतीय आर्यों एवं इरानियों के बीच किसी संघर्ष अथवा कलह के निश्चायक प्रमाण भी नहीं हैं। भ्रातृव्य शब्द के शत्रुवाची अर्थ से इतना तो स्पष्ट है कि चचेरे भाइयों का साथ-साथ रहना उत्तरवैदिक युग में एक असामान्य स्थिति थी। इनके इस सम्बन्ध से भाइयों के आपसी सम्बन्ध पर भी न्यूनाधिक रूप से प्रकाश पड़ता है। इससे इस बात की सम्भावना दृढ़ होती है कि भाइयों का सामूहिक और सयुक्त जीवन केवल पिता के प्रभाव के कारण ही था। उस प्रभाव से मुक्त होते ही वे अपने पृथक् परिवार की व्यवस्था का प्रयास करते होगे। सुत्रकाल तक तो स्पष्ट रूप से विभाजन का सैद्धांतिक समर्थन हुआ। गौतम के अनुसार विभाजन से धर्म-वृद्धि होती है।^५

उत्तरवैदिक युग की सयुक्त परिवार-व्यवस्था के ह्रास के कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे प्रबल कारण आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन था। यद्यपि कृषि और पशुपालन आर्यों के प्रमुख विघटन के प्रमुख कारण व्यवसाय थे किन्तु अब धीरे-धीरे वाणिज्य और शिल्पों का भी विकास होने लगा था। एण, कार्पाण तथा आढक, द्रोण, प्रस्थ आदि नामों के उल्लेख से उस समय की व्यापारिक प्रगति का संकेत मिलता है। व्यापारिक प्रगति एवं लघु उद्योग धंधों के विकास के फलस्वरूप परिवार से अलग होकर जीविकोपार्जन करना सरल एवं स्वाभाविक हो गया। व्यापारिक तथा

१ काठक सं० १८८, १०७

२ अष्टाध्यायी, ४.१.१४४-४५

३ पाल, ला भाव प्राइमार्जेनिचर, पृ० २२८

४ आप्टे, सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन ग्रुहसूत्राज, पृ० ६७

५. गौतम, २८.४ विभागे धर्मवृद्धि

औद्योगिक विकास के अपेक्षया मन्द होने के कारण पारिवारिक विघटन की प्रवृत्ति भी धीमी रही ।

व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रगति का एक और भी परिणाम हुआ । कृषि एवं पशुपालन जैसे व्यवसायों में सामूहिक श्रम की आवश्यकता थी अतः इनसे उत्पन्न धन पर परिवार का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत स्वत्व की कल्पना नहीं कर सकता था । इसके विपरीत पृथक् उद्योगों एवं व्यापार में अर्जित सम्पत्ति प्रायः व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम होती है । परिणामतः ऐसी सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार एवं उसके उपभोग की स्वतन्त्रता की भावना ने परिवार के सदस्यों को पृथक् पृथक् रहने को प्रेरित किया होगा । वैदिक युग के पितृप्रधान संयुक्त परिवार के कठोर अनुशासन में पले व्यक्ति को यह पृथक् जीवन बड़ा ही भारहीन प्रतीत हुआ होगा साथ ही उसके अहवृद्धि की तृप्ति भी हुई होगी ।

पाल महोदय के अनुसार संयुक्त परिवार में विघटन का एक कारण पितृपूजा भी रही होगी । जब लोग यह विश्वास करने लगे कि पितर परलोक में अपने वंशजों द्वारा दिए गए अन्न के उपभोग से पलते हैं तो पुत्र में यह इच्छा होनी स्वाभाविक थी कि वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सावधानी से अपने पिता को अन्न पहुँचाता रहे । यदि कोई विद्वान किसी दिन यह सिद्ध कर देगा कि वैदिक परिवार में इसी कारण ये झगड़े उत्पन्न हुए तो हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा । इन झगड़ों से न केवल संयुक्त परिवार का विघटन हुआ बल्कि पितृपूजा में पितृपरम्परा में पूजे जाने वाली पीढ़ियों की सख्या भी मर्यादित हो गई ।^१ किन्तु इस सम्भावना के पक्ष में न केवल प्रमाणों का अभाव है बल्कि यह असंगत भी प्रतीत होती है । एक ही परिवार में विभिन्न पितृपूजक सदस्यों में किसी प्रकार के पारस्परिक विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए । परिवार के एक सदस्य की पितृभक्ति से दूसरे की पितृभक्ति का भाग अवरुद्ध नहीं होता । आज भी हिन्दू संयुक्त परिवारों में पितृपूजा होती है किन्तु उनके कारण पारिवारिक जीवन में कलह नहीं होता । अब भी प्रायः पारिवारिक विभाजन एवं विघटन के कारण आर्थिक ही हुआ करते हैं । सम्भव है कि इस युग की भाँति वैदिक युग में भी पारिवारिक कलह में स्त्रियों का हाथ रहा हो ।

रक्त सम्बन्ध के कारण जहाँ भाइयों में स्नेह और सहानुभूति की भावना होती है वहीं अन्य परिवारों से आने के कारण कुलवधुओं की निष्ठा पति के अतिरिक्त अन्य लोगों में कम होती है।^१ पूरे परिवार के साथ आत्मीयता के अभाव में अपने को परिवार के सभी श्रेष्ठ जनों के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिए पति को पृथक् परिवार की सृष्टि करने की प्रेरणा देना उनके लिए सर्वथा स्वाभाविक होता है।

कुछ विद्वानों ने कर्मवाद के सिद्धांत के विकास को भी पारिवारिक विघटन का कारण माना है।^२ लेकिन स्पष्टतः कर्मवाद का सिद्धान्त व्यक्तियों समुक्त परिवार से पृथक् करने का कारण नहीं बरन् विघटन के सिद्धान्तिक औचित्य को सिद्ध करने का एक साधन मात्र कहा जा सकता है।

समुक्त परिवार के विघटन का यह तात्पर्य नहीं है कि ब्राह्मण युग में यह सस्था समाप्त हो चली थी। अभिप्रतारण और मनु के पुत्रों के उदाहरण पारिवारिक जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की सूचना देते हुए भी अपवाद मात्र थे। अथर्ववेद के अक्षुण्ण परम्परा स्थापन सूक्त (४.५) और सामनस्य सूक्त (३ ३०) समुक्त परिवार के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। स्थापन सूक्त में रात में परिवार के सभी सदस्यों को मन्त्रों से सुलाने की कामना करते हुए कहा गया है जो नागिया प्रोष्ठ (बेंच) पर लेटी हुई हैं, पलंग पर लेटी हुई हैं, पालकी में लेटा करती हैं, जो स्त्रियाँ उत्तम गधवाली हैं, उन सबको हम सुलाते हैं। मध्यरात्रि में गति करने वाली प्रत्येक वस्तु को हमने पकड़ रक्खा है। चक्षु और स्वास को भी थाम लिया है तथा गति करने वाले अंगों को भी निरुद्ध कर लिया है। जो कोई बैठा हुआ है, इधर-उधर जाता है, खड़ा होकर देखता है, हम उन सबकी धारें नींद से बन्द करते हैं। माता सो जाय, पिता सो जाय, कुत्ता सो जाय गृहस्वामी (विशपति) सो जाय। इस स्त्री के सभी सम्बन्धी और चारों ओर के

१ रामायण ३ ४५ २८ में स्त्रियों को फूट डालने वाला कहा गया है। विमुक्तश्चपलाश्लोक्षणा भेदकरा स्त्रिय ।

२ सर्वाधिकारी — प्रिंसिपल्स ऑफ हिन्दू ला ऑफ इन्हेरिटेंस, पृ० ५५

लोग सो जाय ।^१ सायणाचार्य के अनुसार इस सूक्त का पाठ स्वयम्भिवन में उसके आसपास के लोगो एवं सम्बन्धियों को सुलाने के लिए होता था ।^२ इस सूक्त से यह स्पष्ट है कि एक ही परिवार में अनेक लोग रहते थे । अनेक सदस्यों से युक्त परिवार सयुक्त परिवार के अस्तित्व को सूचित करता है जिसमें पति-पत्नी के अतिरिक्त उनके माता-पिता, अनेक सम्बन्धी और बहुत सी स्त्रिया साथ-साथ एक ही घर में रहती थी । सामनस्य सूक्त (३ ३०) का कवि कहता है मैं तुम्हें समान हृदय वाला, समान मन वाला तथा द्वेषरहित बनाता हूँ । जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है उसी प्रकार तुम आपस में प्रेम रखो । तुम समान चित्त वाले बनो, साथ-साथ चलो, साथ-साथ कार्यों की सिद्धि करो तथा आपस में विभक्त न हो । एक-दूसरे के प्रति मधुरे वचन का प्रयोग करो । मैं तुम्हें मिलकर गति करने वाला तथा समान मन वाला बनाता हूँ । तुम एक स्थान में जल पियो, साथ-साथ भोजन करो । मैं तुम सबको एक बन्धन में बाँधता हूँ । जिस प्रकार प्ररे, रथचक्र के चारों ओर जुड़े रहते हैं उसी प्रकार तुम एक साथ मिलकर गति करते हुए अग्नि की उपासना करो ।^३ स्पष्टतः इस सूक्त में परिवार को अविभक्त और सयुक्त बनाए रखने का आदेश दिया गया है ।

- १ अथर्ववेद ४ ५ ३-६, प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या बह्वशीवरीः । स्त्रियोया पुण्यगन्धयस्ता सर्वा स्वपयामसि ॥ एतदेतदजग्रभ चक्षु प्राण-मजग्रभम् । अगान्यजग्रभ सर्वा रात्रीणामतिशर्वरे ॥ य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन् विष्यति । तेषा सदध्मो अक्षीणि- । स्वप्नु माता, स्वप्नु पिता, स्वप्नु श्वा, स्वप्नु विश्वपतिः । स्वपन्त्वस्यै ज्ञातय स्वप्स्वयमभितो जन ॥
२. इस सूक्त के १, ३, ५ और ६ मंत्र ऋ० ७ ५५ ५-८ में मिलते हैं । इनमें भी इन मन्त्रों का प्रयोग सुलाने के लिए किया गया है । भिक्षिप महोदय ने ऋ० २, ५४ की टिप्पणी में कहा है कि अथर्ववेदकालीन प्रेमी जब अपनी प्रेयसी के पास अभिसार के लिए जाता था तो वह इन मन्त्रों की सहायया से उसके अन्य सम्बन्धियों को सुलाता था ।
- ३ अथर्ववेद ३. ३० १, ५-६, सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व । अन्योऽन्यमभिहृत्य वत्स जातभिवाच्या । जायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट स्राघयन्त सधुराश्चरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सघ्रीचीनान्व संमनसस्कृणोमि ॥ समानी प्रपा सह वीन्नभाग समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि । सम्यञ्चोग्नि सपर्यंतारा नाभिमिवाभित ॥

सयुक्त परिवार की यह अविच्छिन्न परम्परा गृह्यसूत्रों में भी पूर्णतः जीवन्त है। गोमिल गृह्यसूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय विशाल सयुक्त परिवार होते थे।^१ परिवार के सदस्यों की सख्या इतनी अधिक होती थी कि भोजन एक चूल्हे पर नहीं बन पाता था, अतः अलग-अलग भोजन की व्यवस्था की जाती थी। पारस्कर गृह्यसूत्र में भी एक विशाल परिवार का उल्लेख हुआ है।^२ इस ग्रन्थ के अनुसार गृहपति को वैश्वदेव यज्ञ के पश्चात् पहले भिक्षुओं, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों और अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, फिर बालकों और बूढ़ों को तदनन्तर परिवार के अन्य सदस्यों को।
 , उसे स्वयं सर्वरु अन्त में भोजन करना चाहिए।

वैदिक परिवार में सामान्यतः तीन पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते थे।^३ जैसा कि श्राद्ध एवं अन्य यज्ञों में पितरों के आह्वान से सकेत मिलता है। उत्तर-वैदिक युग तक पितरों की पूजा का रूप पर्याप्त परिवर्तित हो चुका था। ऋग्वेद, शुक्ल, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में वर्णित पितरों की पूजा में स्पष्ट अन्तर है। ऋग्वेद में पितरों का सामान्य रूप से आह्वान किया गया है।^४ ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सम्बन्ध किसी कुल विशेष से नहीं वरन् सम्पूर्ण जन से माना जाता था। यज्ञादि पवित्र अवसरों पर इनका आह्वान होता था। उस समय सहस्रों की संख्या में देवताओं सहित इनकी उपस्थिति की आशा की जाती थी।^५ किन्तु ऋग्वेद में ही विभिन्न परिवारों द्वारा अपने पारिवारिक पितरों की पूजा करने के सकेत भी मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अगस्त्य और लोपामुद्रा का वार्तालाप इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।^६ इस सूक्त में महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा से यौन-सम्बन्ध की याचना करते हैं। दीर्घ काल तक अविवाहित रहने के पश्चात् अगस्त्य को ज्ञात होता है कि उनके पितर उनसे नियमित रूप से बलि न मिलने के कारण अत्यन्त कष्ट में हैं। पितरों ने अपने उद्धार का मार्ग अगस्त्य द्वारा गृहस्थ जीवन का

१ गो० गृ० सू० १ ४ २३ २६

२ पा० गृ० सू० २ ६

३ द्रष्टव्य—हिन्दू परिवार मीमांसा पृ० ३८।

४ ऋ० १० १५

५ कपाडिया, हिन्दू किनशिप, पृ० १२, घुरिये, फैमिली एण्ड किन इन इण्डोमार्थन कल्चर, पृ० ४४

६ ऋ० १.१७६

स्वीकार बताया। इस पर अगस्त्य ने इनके उद्धार के लिए विदर्भराज से सृष्टि के समग्र प्राणियों के सर्वोत्तम अंगों से विनिर्मित लोषामुद्रा को मांगा।^१ यदि अगस्त्य और लोषामुद्रा के वार्तालाप का आधार महाभारतकार द्वारा प्रदत्त इस पुराकथा को माना जाय तो यह स्वीकृत करना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक युग में ही पृथक् पृथक् परिवारों में अपने पितरों की पूजा होने लगी थी तथा यह विश्वास भी प्रबल हो चुका था कि पितर पुत्रों द्वारा प्राप्त अन्न से पलते हैं। उत्तरवैदिक साहित्य में पितृपूजा के जो उदाहरण हमें मिलते हैं उनसे स्पष्ट है कि पुत्र अपने ही पिता, पितामह आदि पूर्वजों को यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट करते थे। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में पितरों की पीढियों की सख्या भी मर्यादित कर दी गई है। शुक्ल यजुर्वेद (१९ ३६-३७) में पिता, पितामह और प्रपितामह को नमस्कार करते हुए उनसे वंशजों को पवित्र करने की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद के पितृमेघ या श्राद्ध सम्बन्धी सूक्तों में तत, ततामह और प्रततामह को स्वधादान का उल्लेख है।^२ प्रपितामह का उल्लेख परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में अनेकश हुआ है।^३ पितृपूजा में केवल तीन पीढी के पूर्वजों का आह्वान संयुक्त कुटुम्ब-व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। घुरिये महोदय इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि साधारणतया चार पीढी के लोग एक परिवार में साथ साथ रहते थे जिनमें चौथा अपने तीन पूर्वजों (पिता, पितामह, प्रपितामह) से सुपरिचित होने के कारण मृत्यु के पश्चात् उन्हें बलि देता था। यदि परिवार में तीन ही पीढी के लोग रहते तो पितृपूजा में दो ही पीढी के पूर्वजों को स्थान मिलता।^४ उपर्युक्त विद्वान का मत तर्कपूर्ण होते हुए भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि चार पीढियों का व्यावहारिक रूप में एक साथ रहना असामान्य घटना ही कही जाएगी। दूसरे, अथर्ववेद में (१४ १ ४३, ४४) नववधू को पोतो पर से युक्त परिवार शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है। उसे प्रपौत्रों से युक्त परिवार पर शासन करने को नहीं कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर प्रपौत्र का उल्लेख अवश्य हुआ

१ महाभारत, ३ ६६

२ अथर्ववेद १८.४.७५

३ तै० स० १.८.५१, शन० ब्रा० २ ४.२ १६, १२ ८ १७

४. घुरिये, फॅमिली एण्ड किन इन इण्डो-आर्यन कल्चर, पृ० ४५

है।^१ किन्तु मात्र इसके आधार पर चार पीढ़ियों का साथ-साथ रहना सिद्ध नहीं होता। अपवादस्वरूप आज भी कुछ ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनमें प्रपितामह और प्रपौत्र को अल्पकाल तक साथ साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है किन्तु ऐसे स्थानों पर भी बहुधा बालक की चेतना के सजग होने के पूर्व ही प्रपितामह का देहावसान हो जाता है। हम देख चुके हैं कि ऋ० १० ८५ में नववधू को सास स्वसुर की रानी बनने को कहा गया है किन्तु वहाँ भी प्रपितामह अथवा प्रपितामही का कोई उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में हम कहीं भी प्रपितामह का संयुक्त परिवार के जीवित सदस्य के रूप में उल्लेख नहीं पाते। ऐतरेय ब्राह्मण में नप्तृ का प्रयोग प्रपौत्र के अर्थ में अवश्य हुआ है^२ किन्तु इस प्रसंग से भी उसके पारिवारिक सदस्य होने की बात स्पष्ट नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति अपने वंशजों को पारिवारिक अग्निहोत्र की परम्परा को अक्षुण्ण रखने का संदेश देते हुए पुत्र, पौत्र और नप्तृ को सम्बोधित करता है। वस्तुतः यहाँ उसके सन्देश परिवार के सदस्यों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अतः इसके आधार पर चार पीढ़ियों का साथ-साथ रहना पुष्ट नहीं होता। अभिप्रतारण की कथा से भी स्पष्ट है कि पुत्रों के युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते पिता स्वयं वृद्ध और अशक्त हो जाता था। वैदिक परिवार का जो चित्र सामान्यतः मिलता है उससे ज्ञात होता है कि परिवार का केन्द्र गृहपति एवं उसके भाई होते थे और उनके साथ संयुक्त परिवार की ग्रन्थि को दृढ़ करने वाले बड़े माता पिता तथा गृहपति एवं उसके भाइयों की अपनी सन्तानें होती थीं। इस प्रकार सामान्य रूप से वैदिक परिवार की सीमा पितामह से पोते तक ही समझनी चाहिए। पितृपूजा में तीन पीढ़ियों की संख्या मर्यादित करने का कारण इसी ही प्रतीत होता है। परिवार में पला प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊपर की दो पीढ़ियों से सुपरिचित होता था। अतः श्राद्ध के समय न केवल अपने पिता का अह्वान करता था बल्कि अपने पिता एवं पितामह के पिता के प्रति भी अपना आदर व्यक्त करता था।

उत्तरवैदिक युग में दाम्पत्य जीवन पर्याप्त सुखी था तथा पत्नी का स्थान पूर्ववत् महत्वपूर्ण और आदरणीय माना जाता था। तैत्तिरीय संहिता

१ ऋ० ८ १७ १३, प्रणपात

२. ऐत० ब्रा०, ३२.१०

से ज्ञात होता है कि समाज में तीन ऋणों की कल्पना जन्म ले चुकी थी।^१ पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विधिवत बाम्पत्य जीवन की विवाह एवं पुत्रोत्पत्ति आवश्यक माने जाते थे। महत्ता महर्षि अगस्त्य ने पितरों के उद्धार-हेतु ही वैवाहिक जीवन स्वीकार किया था।^२ अविवाहित पुरुष को यज्ञाधिकार से वंचित माना जाता था।^३ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात् ही व्यक्ति पूर्ण समझा जाता था।^४ यज्ञादि कार्यों की सिद्धि के लिए पुत्र-प्राप्ति आवश्यक थी। ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर मन्यास की निन्दा करते हुए पुत्रोत्पादन को ही परम-धर्म बताया गया है।^५ विवाह एवं पुत्रार्जन की इस अनिवार्यता के पीछे सामाजिक हित एवं प्रगति की प्रबल भावना थी। पुत्र वृद्धावस्था का सहारा था, राष्ट्र की शक्ति था उसी के माध्यम से वंश की परम्परा अक्षुण्ण रहती थी। तैत्तिरीय संहिता में प्रजा के माध्यम से अमृतत्व प्राप्ति की कामना की चर्चा पीछे की जा चुकी है। एकाकी जीवन घामिक और आर्थिक दृष्टि से भी अपेक्षणीय था। अविवाहित व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध नहीं दे पाता था। साथ ही मृत्यु के पश्चात् होने वाली अपनी दुर्गति की कल्पना से वह स्वभावतः खिन्न रहता था। विवाह की इस अनिवार्यता के पीछे नवीन वैराग्यमूलक प्रवृत्तियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया का भी योग था। उत्तरवैदिक युग के अन्त तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्म-वादिनीस्त्रियो के समूह समाज में बढ़ने लगे थे। इस नये विकास को रोकने के लिए भी विवाह की अनिवार्यता पर बल दिया गया। महाभारत में जरत्कार और कुरिणर्ग की कथा द्वारा स्त्री-पुरुष दोनों के लिए विवाह एवं पारिवारिक जीवन की अनिवार्यता व्यक्त की गई है। जरत्कार (११३ व १४५) एक उग्र तपस्वी थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था किन्तु पितरों की दुर्दशा देखकर अन्ततोगत्वा उन्हें विवाह करना पड़ा।

१ तै० सं० ६३.१०५, काणे, हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० २७०

२ देखिए पीछे,

३ शत० ब्रा० ५ ? ६१०, अयशोयो वै एषस्पत्नीक, तुल० तै० ब्रा० २२ २ ६

४ शत० ब्रा० ५ २.११०

५ ऐत० ब्रा० ३३ ११, किं नु मल किमजिन कि इमथ्युणि कि तप । पुत्रं ब्राह्मण इच्छध्व स वै लोको वदावदः ।

कृण्णिगर्भ की कन्या ने आजीवन घोर तप किया (१५२), तथा बूढ़ी होने पर स्वर्गरोहण की इच्छा की किन्तु जब नारद द्वारा उसे यह ज्ञात हुआ कि अविवाहिता कन्या स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं होती तब उसने अपनी तपस्या का अद्वाश देकर श्रृंगवान से शादी की और उसके पश्चात् ही वह स्वर्ग जा सकी। हिन्दू समाज में विवाह की अनिवार्यता का विचार आज भी जीवित है। कई प्रदेशों में जब कोई व्यक्ति अविवाहित हो मर जाता है तो दाह संस्कार के पूर्व उसका विवाह अवश्य कराया जाता है।^१

उत्तर-वैदिक युग में विवाह-पद्धति से सम्बन्धित विभिन्न नियम तथा प्रणालियाँ दिखाई देती हैं। समाज के सम्भ्रान्त व्यक्तियों का भुक्ताव बहु-पत्नीत्व की ओर था। उत्तर-वैदिक-साहित्य में

विवाह

बहुपत्नीकता की अस्वस्थ परम्परा को प्रोत्साहित किया गया है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय ब्राह्मण में

बहुपत्नीत्व को सौभाग्यदायक बताया गया है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ हो सकती हैं किन्तु एक स्त्री के अनेक पति नहीं।^३ याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान तथा दार्शनिक ने भी मैत्रेयी और कात्यायनी नामक दो स्त्रियों से विवाह किया था।^४ ऐतरेय ब्राह्मण एक स्थान पर राजा हरिश्चन्द्र की सौ पत्नियों का उल्लेख करता है।^५ इसके अतिरिक्त राजसूय की विधि के विवरण से ज्ञात होता है कि राजाओं की बहुधा विभिन्न वर्णोत्पन्न चार पत्नियाँ होती थीं।^६ मैत्रायणी संहिता में मनु की दस पत्नियाँ बताई गई हैं।^७ शतपथ ब्राह्मण में भी बहुपत्नीत्व का समर्थन किया गया है तथा इसका एक धार्मिक आधार प्रस्तुत किया गया है।^८ किन्तु वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है

१. सेन्सस रिपोर्ट, १९३१, खण्ड १, भाग १, पृ० २२७

२. तै० ब्रा० ३.८४ श्रिया वा एतद्रूप यत्पत्नय

३. ऐत० ब्रा० १२.११, तस्मात् एकस्य बह्वी जाया भवन्ति न एकस्यै बहव सहपतय तै० सं० ६.५.१०.४, एकोबह्वीर्जाया विन्दते।

४. वृ० उप० ४.५.१२

५. ऐत० ब्रा० ३.३१

६. शत० ब्रा० १३.२.६.४-६ महिषी, परिव्रुक्ति, बाताता और पालागली

७. मैत्रा० सं० १.५.८

८. शत० ब्रा० ९.१.४६

कि बहुपत्नीकता की यह परम्परा सामाजिक दृष्टि से बहुत ही घातक थी। निश्चय ही इन सपत्नियों के कलह से पारिवारिक जीवन अशान्त और क्षुब्ध रहता होगा। अथर्ववेद में सपत्नी विनाश के लिए मन्त्रों का विधान है।^१ उत्तर-वैदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर सपत्न शब्द का प्रयोग प्रतिद्वन्दी के अर्थ में हुआ है।^२ इससे यह सिद्ध होता है कि सपत्नियों में 'प्रिय सखीवृत्ति' अकल्पनीय थी। उनकी प्रतिद्वन्दिता और संघर्ष ने जहाँ दाम्पत्य जीवन के सुखों को दूषित और विपाक्त किया वहीं वह स्त्रियों के पतन का भी एक प्रबल कारण बना। पति का सपत्नियों की तुलना में अधिक प्रेम और साहचर्य प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठता नारी अपने गौरव-पूर्ण आसन को छोड़कर सेवाकार्य में सलग्न हुई और क्रमशः पति के चरणों में जा बैठी। सहिता युग की पत्नी (स्वामिनी) उपनिषद काल तक भार्या (भरण के योग्य) कहलाने लगी।^३ बहुसंख्यक अनार्या स्त्रियों का आर्यों के अन्तपुर में प्रवेश इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप द्रुततर हुआ होगा। ये स्त्रियाँ विजित और अधिकृत थीं अतः उन्हें धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों से पृथक् रक्खा जाता था तथा मात्र उपभोग की वस्तु माना जाता था। धीरे-धीरे यह दृष्टिकोण आर्या स्त्रियों पर भी लागू होने लगा और उन्हें भी उपभोग की वस्तु एवं प्रजनन-यन्त्र समझा जाने लगा। उत्तर वैदिक नारी के लिए जाया शब्द का अपेक्षया अधिक प्रयोग इस बात का संकेतक है कि अब नारी की महत्ता का सबसे बड़ा कारण उसका प्रजनन कार्य माना जाता था। स्त्रियाँ धीरे-धीरे अयज्वन शूद्र की कोटि में रक्खी जाने लगी।^४

वैदिक समाज के सम्भ्रान्त वर्गों में बहुविवाह के प्रचलन के मुख्य कारण सम्भवतः अनेक पुत्रों की लालसा एवं वर्द्धमान समृद्धिजन्य विलासप्रियता थी। आर्यों की पितृप्रधान व्यवस्था भी बहुपत्नीकता के प्रचलन के लिए कम उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष शासित समाज ने जहाँ स्त्रियों को पुरुष के प्रति निष्ठा रखने को बाध्य किया वहाँ पुरुषों को अनेक-स्त्र्यभिगमन की स्वतन्त्रता प्रदान की। श्रोत महोदय ने अनेक उद्धरणों के साथ यह बताया है कि

१. अथर्ववेद १४.३.१८

२. वैदिक इण्डेक्स, २.४२४

३. वृ० उप० ३.४.१, ४.५.१

४. शत० ब्रा० १४.१.११३

प्रारम्भिक आर्य जातियों में विवाहित पुरुष के व्यभिचार को विशेष आपत्ति-जनक नहीं माना जाता था किन्तु पत्नी का व्यभिचार एक भीषण अपराध समझा जाता था।^१

बहुपत्नीकता के प्रचलन को सूचित करने वाले विभिन्न उदाहरणों के आधार पर हमें इसे तत्कालीन युग में प्रचलित सामान्य प्रथा नहीं मान लेनी चाहिए। साधारण जनो में एकपत्नीकता ही प्रतिष्ठित थी। सूत्र युग तक हम विधायकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पाते हैं। सूत्रकारों ने पारिवारिक जीवन को दुःखद बनानेवाली बहुपत्नीक प्रथा का विरोध किया तथा एकपत्नीव्रत की व्यवस्था की। आपस्तम्ब ने धर्म और प्रजा से युक्त पत्नी की उपस्थिति में द्वितीय विवाह का निषेध किया है।^२ केवल स्त्री के अप्रजा स्त्रीप्रजा अथवा मृतप्रजा होने पर ही द्वितीय विवाह की अनुमति दी गई। किन्तु ऐसी स्थिति में भी एक निश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करने का विधान किया गया।

ब्राह्मण साहित्य में बहुपति प्रथा का विरोध मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३१२) स्पष्ट शब्दों में इस प्रथा का निषेध करता है। साथ ही तैत्तिरीय संहिता में भी ऐतरेय ब्राह्मण के इस मत का समर्थन हुआ है।^३ द्रौपदी के विवाह के प्रसंग में भी महाभारत में बहुपत्नीकता की इस प्रथा को अश्रुत और लोकवेदविरुद्ध बताया गया है (महाभारत ११६५ २७-२८)। कुन्ती को स्वतः अपनी आकस्मिक आज्ञा के दुष्परिणाम पर घोर कष्ट हुआ था।^४ इस विरोध के होते हुए भी बहुपत्नीकता के प्रचलन की प्रतिध्वनि हमें उत्तर-वैदिक साहित्य में यत्र तत्र मिलती है। अथर्ववेद (१४१६१) में सूर्या के अनेक पतियों का उल्लेख मिलता है। यास्क ने यह स्वीकार किया है कि बहुधा पति के जीवन काल में भी स्त्री देवर के लिए गम्य हुआ करती थी।^५

१ प्रिहिस्टारिक एरिटक्विटीज, पृ० ३८८

२ आप० धर्म० सूत्र० २. ११ १२, धर्मप्रजासम्पन्ने दारेनान्या कुर्वीत

३ तै० स० ६६४३, ब्रह्मव्य कैम्विज हिस्टरी आफ इण्डिया, ग्रंथ १, पृ० ८८, वैदिक इण्डेक्स १४७९।

४ महाभारत ११२३ २, कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रान् उवाच भुक्तेति समेत्य सर्वे। पश्चाच्च कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णा कष्ट मया भाषित मितपुवाच।

५ निरुक्त ३ १५

महाभारत में हमें जटिला गौतमी, वाक्षी, ममता और माधवी जैसी बहु-पत्निका स्त्रियों के जो उदाहरण मिलते हैं उन्हें केवल कल्पनाप्रसूत नहीं कहा जा सकता। उपनिषदों में प्राप्त अनेक ऋषियों एवं व्यक्तियों के नाम, जो उनकी माता के नाम पर आधारित हैं, बहुपत्निकता के सूचक माने जा सकते हैं। सत्यकाम जाबाल, गौतमी-पुत्र, गार्गीपुत्र प्रभृति नाम सम्भवतः इस बातका संकेत करते हैं कि स्त्री के अनेक पति होने के कारण अथवा पितृत्व अज्ञात होने के कारण माताओं के नाम पर पुत्रों का नाम रखने की आवश्यकता पड़ी। इन अल्पसंख्यक उदाहरणों के आधार पर हम इतना ही कह सकते हैं कि वैदिक समाज में बहुपत्निकता की परम्परा सर्वथा अज्ञात नहीं थी। साधारणतः पितृप्रधान समाज में बहुपत्निकता के विकास की सम्भावना नहीं होती है। भारतवर्ष में आज भी यह व्यवस्था उन्हीं जातियों में दिखाई देती है जिनका समाज मातृसत्तात्मक है। कुमायूँ प्रदेश में प्रायः सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तथा उनसे उत्पन्न सन्तान सबसे बड़े भाई की मानी जाती है।^१ इस प्रकार की वैवाहिक रीति पंजाब की रंझाज, लहौल आदि पहाड़ी जातियों में भी पाई जाती है। हिमालय की तराई में फैले किरात लोगों (मंगोलिड्स) में भी बहुपत्निकता की प्रथा बहुत प्रचलित है। भारत में सुदूर दक्षिण में भी बहुपत्निकता की परम्परा दृष्टिगोचर होती है। उत्तरी कन्नड से नायरों ने बहुपत्निकता की प्रथा का त्याग ब्रिटिश शासन काल में किया। थियेन, तोनियार तथा वेल्सर जातिकी स्त्री सभी भाइयों की सामूहिक पत्नी समझी जाती है। नीलगिर के टोडा लोगों में भी इस प्रथा का प्रचलन है। ट्रावनकोर-कोचीन तथा मलाबार में कुछ अन्य ऐसी जातियाँ हैं जिनमें बहुपत्निकता का प्रचलन है। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि बहुपत्निकता का प्रचलन भारतवर्ष में प्रमुखतया प्रजातिगत दृष्टि से हिमालय की तलहटी में बसने वाली मंगोल जातियों में तथा दक्षिण भारत के द्रविड भाषा-भाषी भूमध्यसागरीय लोगों में रहा है। विवाह की यह प्रणाली आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल थी। इसीलिए भारतीय साहित्य में प्रायः सर्वत्र इस व्यवस्था का तिरस्कार किया गया। वैदिक साहित्य में बहुपत्निकता के प्रचलन के जो संकेत मिलते हैं उन्हें अपवादस्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत सम्भव है कि इन एकाकी प्रसंगों में आर्योत्तर सामाजिक परम्पराओं का ही उल्लेख हो क्योंकि

उत्तर-वैदिक युग आर्य एवं आर्येतर सांस्कृतिक परम्पराओं के सामञ्जस्य का युग था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन समाज में ऐसे वाह्य तत्वों— का प्रवेश सर्वथा स्वाभाविक था जिनकी उपस्थित सामाजिक पृष्ठभूमि एवं सांस्कृतिक परिवेश को देखते हुए विचित्र लगे।

धर्मसूत्रों में बहुधा सपिण्ड एवं सगोत्र विवाह का निषेध मिलता है। गोमिल गृह्यसूत्र^१ और आपस्तम्बधर्मसूत्र^२ के अनुसार सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता। गौतम जैसे विधायकों ने सपिण्ड विवाह की सीमा निर्धारित करते हुए कहा है कि सपिण्ड विवाह पिता के पक्ष में सात पीढ़ी तक तथा माता के पक्ष में पाँच पीढ़ी तक निषिद्ध है। इसी आधार पर व्यवस्थाकारों ने मातुल दुहिता, पितृस्वसादुहिता आदि के साथ विवाह का निषेध किया है। बोधायन ने मातुलकन्या तथा पितृस्वसासुता से विवाह की परम्परा को दक्षिण भारत में प्रचलित माना है।^३ उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति के लिए यह प्रथा कुछ विचित्र सी थी। महाभारत में भी सपिण्ड और सगोत्र विवाह का निषेध है।^४ वैश्वे महाभारत में वर्णित कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह तथा अर्जुन और सुभद्रा का विवाह प्रतिभ्रातृव्य (cross-cousin) विवाहों के न्यूनाधिक प्रचलन की सूचना देते हैं। सगोत्र विवाह को प्रायः सभी सूत्रकारों ने निषिद्ध बताया है। इसका क्षेत्र सपिण्ड विवाह की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। चाहे युवक युवती के बीच सैकड़ों पीढ़ियों का अन्तर क्यों न हो, फिर भी उनके सगोत्र होने पर विवाह नहीं हो सकता। बोधायन ने सगोत्र कन्या के साथ विवाह करने वाले के लिए चाद्रायण व्रत द्वारा प्रायश्चित्त करने की व्यवस्था की है।^५ गोमिल गृह्य सूत्र^६ हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र^७ तथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र^८ में भी सगोत्र विवाह निषिद्ध है।

१ गो० गृह्य० सू० ३ ४. ५

२ आप० ध० सू० २ ५ ११-१६

३ बोधायन—१ १ १९-२६, वृहस्पति का मत स्मृति चन्द्रिका १ १० में उद्धृत स्वमातुलसुतोद्वाहो मातृवन्धुत्व दूषित।

४ महाभारत, १३ ४४ १८

५ बोधायन, प्रवराध्याय ५५, सगोत्रा गत्वा चाद्रायण चरेत्।

६ गो० गृ० सू०, ३ ४ ४

७ हिरण्य० गृ० सू०, १ ११. २

८ आप० ध० सू० २. ११ १५

वैदिक साहित्य में पिण्ड शब्द का उल्लेख तो अनेकश हुआ है।^१ किन्तु सपिण्ड शब्द कहीं भी नहीं मिलता। अतः वैदिक युग में सपिण्ड विवाह निषिद्ध थे अथवा नहीं, कहना दुष्कर है। गोत्र की व्यवस्था सम्भवतः वैदिक युग में ही हो चुकी थी। अथर्ववेद^२ में निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय के अर्थ में हुआ है। गोत्र का नाम प्रायः किसी पूर्वज के नाम पर होता था। प्रमुख ऋषियों के नाम पर समुदायों के नामकरण की परम्परा ऋग्वैदिक युग में भी अज्ञात नहीं थी।^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के नाम पर एक समुदाय को आगिरसी प्रजा कहा गया है।^४ ऐतरेय ब्राह्मण शुनः शेष को जन्मना आगिरस कहता है।^५ ताण्ड्य ब्राह्मण^६ तथा कौपीतिक ब्राह्मण^७ में भी सगोत्र ब्राह्मणों का उल्लेख है। उपनिषद् युग तक भारद्वाज, आश्वलायन, गार्ग्य, कात्यायन, गौतम, भार्गव, जमदग्नि वशिष्ठ कश्यप आदि अनेक गोत्र अस्तित्व में आ चुके थे। किन्तु इस युग में गोत्र का विशेष महत्त्व यज्ञ और शिक्षा कार्य में ही था, यद्यपि उपनिषद् युग तक सम्भवतः सगोत्र विवाहों का निषेध भी किया जाने लगा था।^८ उत्तर वैदिक साहित्य में इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि रक्त-सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध घृणित समझा जाने लगा था। माता-पिता की तीन या चार अनुगामी पीढ़ियों के अन्तर्गत विवाह निषिद्ध माना जाता था।^९ किन्तु यदा कदा तीसरी या चौथी पीढ़ी से वैवाहिक सम्बन्ध हो सकता था। सायण के अनुसार कर्णों में विवाह तीसरी पीढ़ी में हो सकता था तथा सौराष्ट्रों में चौथी पीढ़ी में। धीरे-धीरे लोग उन घाँसिक अनुष्ठानों से भी उदासीन होने लगे थे जिनमें निकटामिगमन की आज्ञा थी। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार राजा जनक

१ ऋ० १ १६२ १९, तै० स० ४ ६ ९, शत० ब्रा० २ ४. २ २४

२ अथर्व० ५. ११ ३

३ ऋ० ६ ३५ ५, १० ६६ १४

४ तै० २ २ ३

५ ऐत० ब्रा० ३३ ५

६ ताण्ड्य १८ २. ११

७ कौपीतिक ब्रा० २५ १५

८ दत्त, एन० वे०, ओरिजिन एण्ड प्रोथेन्स ऑफ़ द इण्डिया, पृ० १०८

९ कौपीतिक ब्रा० ३. ८, शत० ब्रा० १, ८ ३. ६

ने गोसव नामक अनुष्ठान का सम्पादन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें निकटाभिगमन की व्यवस्था थी।^१ वैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 'वधू' शब्द का प्रयोग भी इस बात को सूचित करता है कि साधारणतया स्थानीय विवाह का प्रचलन नहीं था।

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक घृणा नहीं थी। अथर्ववेद (५.१७.९) के अनुसार यदि एक कन्या से विवाह के लिए ब्राह्मण और वेश्य दोनों इच्छुक हों तो ब्राह्मण युवक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शत-पथ ब्राह्मण में राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि के विवाह का उल्लेख मिलता है।^२ शतपथ ब्राह्मण^३ से इस बात का संकेत मिलता है कि एक क्षत्रिय के वरिष्क कन्या के साथ गैवाहिक सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध नहीं था किन्तु शूद्र कन्या से विवाह तथा उनसे उत्पन्न सन्तान, दोनों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही कारण है कि कवष ऐलूष को यज्ञ से वहिष्कृत करने का प्रयत्न किया गया^४ तथा वत्स को अग्नि-परीक्षा के लिए विवश किया गया।^५ शूद्रों से गैवाहिक सम्बन्ध के विरोध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। गंगा के मैदान में आर्येतर जातियों के बाहुल्य तथा उनके साथ बढ़ते हुए सम्पर्क ने सम्भवतः आर्यों को रक्त शुद्धता की ओर सचेत किया। दूसरे, पंजाब में जिन दासों (अनायों) के साथ आर्यों का सघर्ष और सम्पर्क हुआ वे पर्याप्त सुसंस्कृत एवं श्रीसम्पन्न थे। इसके विपरीत वे ज्यों ज्यों दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते गये उनके मार्ग में अनेक अर्द्धसम्य और भौतिक दृष्टि से नितात हीन जातियाँ आईं जिनके आचरण भी प्रायः घृणास्पद थे। आर्यों ने उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था में समाविष्ट तो किया किन्तु उनके साथ स्वतन्त्र गैवाहिक सम्बन्ध को प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी शूद्रा से आर्य पुरुषों का गैवाहिक सम्बन्ध अज्ञात नहीं था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली सम्भवतः शूद्रा हुआ करती

१ जै० ब्रा० २.११३ उप मातरम् इयाद् उप स्वसारम् उप सगोत्राम् । —
तेन हैतेन जनको विदेहो इयाक्षाचक्रे । तम् ब्राह्मणा अभितो निषेद्ध ।

२ शत० ब्रा० ४.१५

३ द्रष्टव्य कारणे, हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्राक्ष, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० ४४७

४ ऐत० ब्रा० २.१६, कौषीतकि ब्रा० १२.१३

५ पच० ब्रा० १४.६.६

वैदिक साहित्य में पिण्ड शब्द का उल्लेख तो अनेकशः हुआ है।^१ किन्तु सपिण्ड शब्द कहीं भी नहीं मिलता। अतः वैदिक युग में सपिण्ड विवाह निषिद्ध थे अथवा नहीं, कहना दुष्कर है। गोत्र की व्यवस्था सम्भवतः वैदिक युग में ही हो चुकी थी। अथर्ववेद^२ में निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय के अर्थ में हुआ है। गोत्र का नाम प्रायः किसी पूर्वज के नाम पर होता था। प्रमुख ऋषियों के नाम पर समुदायों के नामकरण की परम्परा ऋग्वैदिक युग में भी अज्ञात नहीं थी।^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण में अगिरस ऋषि के नाम पर एक समुदाय को आगिरसी प्रजा कहा गया है।^४ ऐतरेय ब्राह्मण शूनः शेष को जन्मना आगिरस कहता है।^५ ताण्ड्य ब्राह्मण^६ तथा कौपीतिक ब्राह्मण^७ में भी सगोत्र ब्राह्मणों का उल्लेख है। उपनिषद् युग तक भारद्वाज, आश्वलायन, गार्ग्य, कात्यायन, गौतम, भार्गव, जमदग्नि वशिष्ठ कश्यप आदि अनेक गोत्र अस्तित्व में आ चुके थे। किन्तु इस युग में गोत्र का विशेष महत्त्व यज्ञ और शिक्षा कार्य में ही था, यद्यपि उपनिषद् युग तक सम्भवतः सगोत्र विवाहों का निषेध भी किया जाने लगा था।^८ उत्तर वैदिक साहित्य में इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि रक्त-सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध घृणित समझा जाने लगा था। माता-पिता की तीन या चार अनुगामी पीढ़ियों के अन्तर्गत विवाह निषिद्ध माना जाता था।^९ किन्तु यदा कदा तीसरी या चौथी पीढ़ी से गैवाहिक सम्बन्ध हो सकता था। सायण के अनुसार कर्णों में विवाह तीसरी पीढ़ी में हो सकता था तथा सौराष्ट्र में चौथी पीढ़ी में। धीरे-धीरे लोग उन धार्मिक अनुष्ठानों से भी उदासीन होने लगे थे जिनमें निकटामिगमन की आशंका थी। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार राजा जनक

१ ऋ० १ १६२ १९, तै० सं० ४ ६ ९, ३, शत० ब्रा० २ ४. २ २४

२ अथर्व० ५. ११ ३

३ ऋ० ६ ३५. ५, १० ६६ १४

४ तै० २ २ ३

५ ऐत० ब्रा० ३३ ५

६ ताण्ड्य १८ २. ११

७ कौपीतिक ब्रा० २५ १५

८ दत्त, एन० के०, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इण्डिया, पृ० १०८

९ कौपीतिक ब्रा० ३. ८, शत० ब्रा० १, ८. ३. ६

ने गोसव नामक अनुष्ठान का सम्पादन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें निकटाभिगमन की व्यवस्था थी।^१ वैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 'वधू' शब्द का प्रयोग भी इस बात को सूचित करता है कि साधारणतया स्थानीय विवाह का प्रचलन नहीं था।

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक धृष्टा नहीं थी। अथर्ववेद (५.१७.९) के अनुसार यदि एक कन्या से विवाह के लिए ब्राह्मण और वैश्य दोनों इच्छुक हो तो ब्राह्मण युवक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शत-पथ ब्राह्मण में राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि के विवाह का उल्लेख मिलता है।^२ शतपथ ब्राह्मण^३ से इस बात का संकेत मिलता है कि एक क्षत्रिय के दणिक कन्या के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध नहीं था किन्तु शूद्र कन्या से विवाह तथा उनसे उत्पन्न सन्तान, दोनों को धृष्टा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही कारण है कि कवष ऐलूष को यज्ञ से बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया^४ तथा वत्स को अग्नि-परीक्षा के लिए विवश किया गया।^५ शूद्रों से वैवाहिक सम्बन्ध के विरोध के अनेक कारण प्रतीत होते हैं। गंगा के मैदान में आर्यतर जातियों के बाहुल्य तथा उनके साथ बढ़ते हुए सम्पर्क ने सम्भवतः आर्यों को रक्त शुद्धता की ओर सचेत किया। दूसरे, पंजाब में जिन दासों (अनायों) के साथ आर्यों का सघर्ष और सम्पर्क हुआ वे पर्याप्त सुसंस्कृत एवं श्रीसम्पन्न थे। इसके विपरीत वे ज्यों ज्यों दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते गये उनके मार्ग में अनेक अद्वैतसम्य और भौतिक दृष्टि से नितांत हीन जातियाँ आईं जिनके आचरण भी प्रायः धृष्टास्पद थे। आर्यों ने उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था में समाविष्ट तो किया किन्तु उनके साथ स्वतन्त्र वैवाहिक सम्बन्ध को प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी शूद्रा से आर्य पुरुषों का वैवाहिक सम्बन्ध अज्ञात नहीं था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली सम्भवतः शूद्रा हुआ करती

१ जै० ब्रा० २.११३ उप मातरम् इयाद् उप स्वसारम् उप सगोत्राम् । —
तेन हैतेन जनको विदेहो इयासाचक्रे । तम् ब्राह्मणा अभितो निषेद्ध ।

२ शत० ब्रा० ४.१.५

३ द्रष्टव्य कारणे, हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग १, पृ० ४४७

४ ऐत० ब्रा० २.१६, कौषीतकि ब्रा० १२.१.३

५. पंच० ब्रा० १४.६.६

थी। वैदिक ऋषियों का दासियों अथवा शूद्रा स्त्रियों से अवैध सम्बन्ध एवं समागम प्रमाणित करने वाले प्रसंग भी मिलते हैं।^१ किन्तु वे विरल ही हैं।

विवाह अब भी प्रायः पूर्ण प्रौढावस्था में ही होता था। अथर्ववेद ब्रह्मचर्य के पश्चात् ही कन्या द्वारा पति-प्राप्ति का समर्थन करता है।^२ इस युग में कुछ ज्ञिया ब्रह्मवादिनी भी हुआ करती थी जो आजीवन अविवाहिता रहती थी। सम्पूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य में किसी कन्या के बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाने का एक मात्र उदाहरण छान्दोग्य उपनिषद्^३ में कुरु देश के एक निर्धन ब्राह्मण की 'आटकी' पत्नी का है। शंकर से आटकी का अर्थ अवि-कसित-यौवना (अनुपजातपयोधरा) किया है। आटकी की उत्पत्ति यदि 'इट्' धातु से मानी जाय तो इसका अर्थ धुमकड़ होगा। इस प्रसंग में शंकर भाष्य अपने युग की प्रथा से प्रभावित प्रतीत होता है।

परिवार का प्रधान पुरुष पति और पिता के रूप में परिवार पर शासन करता था। पति शब्द उनके पारिवारिक स्वामित्व का सूचक है। इस शब्द के प्रचलन का यह अर्थ लगाना भूल होगा कि पति पति-पत्नी को पत्नी का स्वामी माना जाता था क्योंकि पति शब्द की भाँति पत्नी शब्द भी स्वामित्व का द्योतक है। इससे यह सिद्ध होता है कि पारिवारिक जीवन में दोनों की समान स्थिति थी। यही बात अथर्ववेद में अनेकश प्रयुक्त दम्पती^४ शब्द की व्युत्पत्ति से भी प्रमाणित होती है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार पत्नी पति के शरीर का आधा भाग होती है।^५ शतपथ ब्राह्मण पति-पत्नी को दाने के दो दालों की भाँति मानता है^६ जिनकी संयुक्त स्थिति ही दोनों को पूर्णता प्रदान करती है। इस प्रकार केवल पति-पत्नी की समानता की ही कल्पना नहीं की गई थी बल्कि दोनों को एक ही शरीर के दो अविभाज्य अंग माना गया। इसीलिए शतशय ब्राह्मण में अन्यत्र पत्नीविहीन जीवन असर्व और

१. वाज० सं० २३, ३१, तै० सं० ७.४.१६

२. अथर्ववेद, ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्, ११.५.१८

३. छान्दोग्य उप० १.१०.१

४. अथर्ववेद ६.१.१३.३, १२.३.१४, १४.२.६

५. तै० सं० ६.१.८.५, अर्धवाप्य आत्मनो यत्पत्नी

६. शत० ब्रा० १४.४.२४-५, तस्मादर्धं वृगलमिव स्व इति स्माह्याज्जवल्क्यः

अधूरा बताया गया है।^१ धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पादन भी दोनों साथ साथ करते थे। आर्यों की परिवार व्यवस्था पितृप्रधान होते हुए भी पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में पत्नी की स्थिति पति के समान ही आदरणीय थी। अथर्ववेद में इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वह पति-पत्नी को चक्रवाक दम्पती की भाँति एकदूसरे के प्रति सच्चे अनुराग की प्रेरणा दे। इस युग में स्त्रियों में परवर्ती युगों की पातिव्रत्यभावना का बीजरूपण प्रारम्भ भी यत्र-तत्र दिखाई देता है। शर्यातपुत्री सुकन्या कहती है कि मेरे पिता ने मुझे जिस व्यक्ति को विवाह में दे दिया है, जीवित रहते मैं उसका उपहास नहीं करा सकती।^२

उत्तर वैदिक युग का पिता, अपनी सन्तानों के भरण पोषण और रक्षण के लिए सर्वदा सचेष्ट रहता था, जैसा कि उसके उदार नाम से ही स्पष्ट है।

शतपथ ब्राह्मण में विवाह का प्रमुख प्रयोजन सन्तान-
पिता नोत्पत्ति बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता में सन्तान
द्वारा अमृतत्व के उपभोग की कामना की गई है।^३

अथर्ववेद (३, २३) में वीर-प्रसूति के लिए प्रार्थना की गई है तथा नारी को बारबार पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया गया है।^४ पुत्र-प्राप्ति के लिए प्रार्थनाओं के अतिरिक्त लोग अनेक अनुष्ठान करते थे। ह्विटने के अनुसार अथर्ववेद (६ ८१.३) में पुत्र-प्राप्ति के लिए हाथ में ताबीज बाँधने की प्रथा का संकेत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण गर्भाधान का उद्देश्य पुत्र-प्राप्ति ही बतलाता है।^५ निश्चय ही इस युग में पुत्र-प्राप्ति के हेतु पुसवन भी होने लगा था।^६ इतना ही नहीं, अथर्ववेद में पुत्र-प्राप्ति के लिए औषधियों के प्रयोग का संकेत भी मिलता है। अथर्ववेद (६ ११ में शमी वृक्ष के ऊपर उगा हुआ पीपल पुत्रदाता माना गया है। इसी प्रकार शतवार (अथर्ववेद १६ ३६) तथा ओदुम्बर की (वहीं १६.३१) मणियों का बाधना भी वीर पुत्र

१. शत० ब्रा० ५.२१ १०

२. शत० ब्रा० ४ १ ५.६, यस्मै मां पिता दान्निवाह ष जीवन्त हास्यामीति ।

३. तै० सं० १ ४.४६.१

४. अथर्ववेद ३. २३ ३-५ पुमांस पुत्र जनय त पुमान् तु जायताम्

५. तै० ३।० ३ ७.१

६. अथर्ववेद ६.११ आ० शृ० सू० १ १३, शाखा० शृ० सू० १ २०, पार० शृ० सू० १ १४, गोमिल शृ० सू० २ ६

प्रदायक बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि लोग पुत्र प्राप्ति का एक प्रबल साधन यज्ञ भी मानते थे।^१ ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्त करने वाले अनेक राजाओं का उल्लेख करते हैं। वसिष्ठान, श्रीशिव, वीतह्वय श्रायस, वसवस्युआदि ने यज्ञ के द्वारा सहस्रो पुत्र प्राप्त किए।^२ यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्त करने वाले कतिपय राजाओं का उल्लेख काठक संहिता (२२३) पञ्चविंश ब्राह्मण (२५ १६.३) तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (२६ ११) में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार द्रोणदी और धृष्टद्युम्न यज्ञीय अग्नि से उत्पन्न हुये थे।^३ इसी प्रकार रामायण में भी दशरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करते दिखाया गया है।

पुत्र-प्राप्ति की उत्कण्ठा के पीछे आर्थिक और सामरिक कारण ही प्रमुख थे।^४ साथ ही कुछ नवोदित विश्वास भी इसके लिए उत्तरदायी थे। जैसा

कि पहले ही सकेत किया गया है उत्तरवैदिक युग परिवार में पुत्रों, मे पितृश्रद्धा की भावना बलवती होने लगी थी।^५ का महत्त्वपूर्ण लोगो को यह विश्वास हो चला था कि पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता की रक्षा करने के कारण ही पुत्र कहलाता है।^६ यास्क ने अपने निरुक्त (२११)

में इस व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है। अनेक परवर्ती धर्मग्रन्थों एवं रामायण महाभारत में भी इस व्युत्पत्ति का समर्थन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३३ १) पुत्र की महिमा का वर्णन करते हुए उसे ऋणमुक्त करने वाला, अमृतत्व प्रदान करने वाला तथा पुत्र नामक नरक से बचाने वाला कहता है।

पिता पुत्र का सम्बन्ध प्रायः प्रेमपूर्ण होता था। शाखायन आरण्यक से ज्ञात होता है कि युवक पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता हुआ पिता कभी-

१ शत० ब्रा० ४४२६

२ तै० स० ५६.५३

३ महाभारत १ १६९ ३६-५६

४ शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि—“पूर्ववय मे पिता द्वारा पालित होकर युवावस्था मे पुत्र वृद्ध पिता का पालन पोषण करता है। (तस्मात् पूर्ववयसे पुत्रा पितरमुपजीवन्ति। उत्तरवयसे पुत्रान् पितृपजीवति), शत० ब्रा० १२.२.३४

५ शत० ब्रा० १७२.११, तै० स० ६३ १०५

६ गो० ब्रा० १११ १२

कभी उसका माथा झुमता था। स्वयं शिक्षित होने पर अनेक व्यक्ति अपने पुत्र को स्वयं शिक्षा प्रदान करते थे। श्वेतकेतु आरुण्य की कथा इस प्रसंग में उदाहरणीय है। उसके पिता उद्दालक ने उसे चौबीस वर्ष की अवस्था तक वेदाध्ययन कराया था।^१ इसके अनुकूल ही हम पुत्रों में भी पिता के प्रति श्रद्धा भाव पाते हैं। अथर्ववेद (३३०२) पुत्र को पिता के प्रति अनुव्रत बतलाता है। पुत्र पिताकी वृद्धावस्था में उसकी रक्षा एवं सेवा करते थे। जिमर महोदय ने प्रतिपादित किया है कि वैदिक युग में बेटे बूढ़े माता-पिता की हत्या कर देते थे तथा उन्हें जगली जानवरों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे।^२ जिमर की इस स्थापना का आधार 'उद्धित' शब्द है जिसका अर्थ है 'उठाकर अलग रखना हुआ'। अथर्ववेद (१८२३४) में इस शब्द का प्रयोग पितृमेघ सूक्त में शवों के प्रसंग में आया है। वैदिक युग में शवों को गाड़ने की विधि भी प्रचलित थी और जलाने की भी। पहले प्रकार को अग्निदग्ध और दूसरे प्रकार को अग्निदग्ध कहा जाता था।^३ अग्निदग्ध कभी गाड़ दिए जाते थे (निखात) और कभी जंगल में छोड़ दिए जाते थे। जंगल में छोड़ने की इस परम्परा को 'उद्धित' कहा गया है। अथर्ववेद (१८२३४) में मृत-शरीर के ही उद्धित करने का वर्णन है जीवित शरीर के नहीं। ऋग्वेद (८५१२) में अवश्य ही पार्षद्वाण द्वारा बूढ़े सोते पिता को उद्धित करने की बात कही गई है किन्तु इस प्रसंग में 'उद्धित' शब्द केवल बाहर फेंक देने की क्रिया का संकेत करता है न कि हत्या का। सम्भव है उद्दण्ड पार्षद्वाण ने अभाग्य पिता को शयनावस्था में घर के बाहर फेंक दिया हो। इस प्रमाण के आधार पर पितृहत्या सर्वथा अकल्पनीय है। यदि इस प्रकार की कोई परम्परा वैदिक युग में प्रचलित होती तो कम से कम सूत्र साहित्य में कुछ निषेधात्मक निर्देश अवश्य मिलता। इसके विपरीत तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार आचार्य शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी को माता-पिता की देववत् पूजा का उपदेश देते थे।^४ पिता की ही भाँति पुत्र माता का भी सम्मान करता था। अथर्ववेद (३३०२) माता के अनुकूल मन वाला होने का उपदेश देता है। महाभारत (११९६.१६) में माता को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है। वैदिक

१ बृ० उप० ६२१४

२ वैदिक इण्डेक्स १, ५२७ से उद्धृत

३ देखिए ऋ० १०१५१४, अथर्ववेद १८२३४

४ तै० उप० १११२, मातृदेवो भव पितृ देवो भव

साहित्य में पितृव्य शब्द का अभाव इस बात का संकेतक है कि चाचा को भी लोग पिता ही कहकर पुकारते थे। महाभारत में भी चाचा को पितृव्य न कह कर पिता ही कहा गया है। पाण्डवों ने धृतराष्ट्र को कभी भी पितृव्य नहीं कहा। वे उन्हें 'पिता' अथवा 'तात' कहकर सम्बोधित करते थे।

धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होने के कारण पुत्री की दशा पुत्र की अपेक्षा हीन थी। यद्यपि बृहदारण्यक उपनिषद् में धीमती कन्या के जन्म के लिए विधि नियम बताया गया है^१

कन्या की स्थिति तथापि उसके जन्म पर प्रायः खिन्नता ही प्रकट की गई है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण (३३ १) में उसे कृपण कहा गया है। इसका भाष्य करते हुए सायण ने कहा है कि 'वह जन्म के समय अपने सम्बन्धियों को कष्ट देती है, विवाह के समय अर्थहानि का कारण बनती है और यौवन में अनेक दोषों के कारण (कुल को) कलंकित कर सकती है। इस प्रकार कन्या माता-पिता का हृदय विदीर्ण करने वाली होती है।'^३ कन्या के प्रति अनादर का भाव इस बात से भी प्रकट है कि जहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर उसे (शय्या पर से) उठा लेते थे, नवजात कन्या को (शय्या पर ही) छोड़ देते थे।^४ यहाँ कन्या को छोड़ने के लिये 'परास्यन्ति' शब्द का प्रयोग है। इसके आधार पर विद्वानों ने अनेक भीषण कल्पनाएँ कर ली हैं। जिमर और डेलब्रुइक ने प्रतिपादित किया है कि वैदिक युग में बालिकावध की प्रथा प्रचलित थी।^५ कन्यावध की परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल में यूनान, चीन और अरब जैसे देशों और स्वयं मध्यकालीन भारत में प्रचलित थी। अरब में कन्यावध का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति मुहम्मद साहब थे। इन उदाहरणों से उत्पन्न पूर्वाग्रह के कारण-जिमर एवं डेलब्रुइक महोदय ने मान्यता रखी है कि वैदिक आर्य कन्याओं को घने जंगलों में छोड़ देते थे, जिससे उन्हें वन्य पशु खा जाय। राजवाड़े

१ बृ० उप० ४ २७

२ अथर्ववेद ६ २, ३

३ सायणभाष्य ऐत० ब्रा० ३३ १, सम्भवे स्वजनदुःख-कारिका, सम्प्रदान समये अर्थहारिका यौवनेऽपि बहुदोषकारिका, दारिकाहृदयदारिकापितु ।

४. काठक स० २७ १, तै० स० ६ ५. १० ३, मै० स० ४ ६ ४, ४ ७९

५ तस्मात्स्त्रिय जाता परास्यन्ति न पुमांस । वैदिक इण्डेक्स १ ४८७ से उद्धृत

ने उनके इस मन्तव्य का समर्थन किया है।^१ लेकिन इन विद्वानों की कल्पना सर्वथा निराधार है। किसी भी प्राचीन टीकाकार ने इस शब्द का यह अर्थ नहीं माना है। सायण में इसका अर्थ कन्या को पति कुल में छोड़ना किया है।^२ कन्यावध का समर्थन करने वाला कोई भी विद्वान वैदिक साहित्य से एक भी निर्विवाद प्रमाण नहीं दे सका है। वेबर महोदय पचविंश ब्राह्मण (११ ८ ८) में प्राप्त आंगिरस युक्ताश्व की कथा को कन्यावध का प्रमाण मानते हैं किन्तु इस कथा में युक्ताश्व द्वारा शिशुओं को वेवल विपरिहार अथवा कष्ट देने का उल्लेख है न कि उनको मारने का।

कन्या के प्रति वैदिक आर्यों की उदासीनता तथा पारिवारिक जीवन में उनकी अवहेलना तत्कालीन समाज की सकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक है। जाति एवं वंश की परम्परा को अविच्छिन्न रखने में पुत्री का भी उतना ही योग था, जितना पुत्र का। वही कन्या विवाह के उपरान्त पत्नी और जाया के रूप में अधिक उपयोगी होने के कारण आदर प्राप्त करती थी किन्तु उसके इस भावी महत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता था।

माता-पिता की वृद्धावस्था में कन्या को प्रायः भाई और भाभी के शासन तथा सुरक्षा में रहना पड़ता था। जैसा कि भ्राता शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है भाई वहिन का रक्षक और पोषक माना जाता था। भ्रातृ-युक्त कन्याएँ सौभाग्यशालिनी समझी जाती थी। इसी आधार पर बाद में भगिनी शब्द का विकास भी हुआ। वैदिक साहित्य में भ्रातृहीना कन्याओं की दुर्दशा का चित्र प्रायः मिलता है। अभ्रातृका कन्या का विवाह प्रायः कठिन होता था। या तो उन्हें आजीवन कौमार्य व्रत धारण करना पड़ता था अथवा विवश होकर वेश्यावृत्ति अपनाती पड़ती थी।^३ इसके कई कारण थे एक, प्रायः वैदिक आर्य अनाथ और अरक्षित कन्याओं से विवाह करने में हिचकते थे विवाह के पश्चात् स्याला अपने वहिन के पति के लिए एक प्रबल मित्र और सहायक सिद्ध होता था। देवताओं की उदारता की तुलना स्याले को उदार वृत्ति से की गई।^४ अतः यह स्वाभाविक ही था कि विवाहार्थी ऐसी कन्या

१ निरुक्त, भट्टाकार ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित, पृ० ४२१

२ सायण भाष्य तै० सं० १ ४ २८

३ द्र० वैदिक इण्डेक्स २ ४६६, अथर्ववेद १ १७ १ अभ्रातर, इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवचंसः

४. निरुक्त ६ ६, वैदिक इण्डेक्स २ ११३, ४८६, ४६०, ४६६

से विवाह करने में हिचकिचाहट दिखावे जो इस उदार मित्र और सहायक से हीन हो।^१ दूसरे मातृहीना-कन्याओं को पिता पिण्डदान की सुविधा के लिए पुत्रिका बना लेते थे।^२ ऐसी पुत्री प्रायः पिता के घर रहती थी, तथा उससे उत्पन्न पुत्र अपने पिता को पिण्डदान न देकर अपने नाना (मैटर्नल ग्रेंड फादर) को देता था। इस प्रकार मातृहीना कन्या से विवाह धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों दृष्टियों से हानिकारक समझा जाता था।

भाई और बहिन के बीच स्नेह तन्तु के होते हुए भी बहुधा ननद-भाभी का सम्बन्ध प्रेमपूर्ण नहीं होता था। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। घर में इन दोनों की स्थिति प्रायः समान होती थी। ननद अपने भाई के दुलार तथा गृहस्वामिनी माता के प्यार की अधिकारिणी होने के कारण परिवार के नारी सदस्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसके विपरीत नववधू न केवल परिवार के सदस्यों का स्नेह और ध्यान आकर्षित करती थी वरन् कालक्रम से ननद पर शासन भी करने लगती थी। ऐसी स्थिति में ननद का खिन्न और ईर्ष्यालु हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। ऐतरेय ब्राह्मण का एक प्रसंग ननद-भाभी के सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति की बहिन, जो उसी गर्भ से पैदा हुई है जिससे वह स्वयं पैदा हुआ है, उसकी पत्नी का जो दूसरे के गर्भ से उत्पन्न हुई है अनुसरण करती हुई जीवन व्यतीत करती है।^३ तृतीय या चतुर्थ सदी तक अथवा इसके पूर्व ही संस्कृत शब्द 'ननद' की व्युत्पत्ति 'न प्रसन्न होने वाली' (न नन्दति इति) किया जाने लगा था।^४ हम ठीक प्रकार से नहीं कह सकते कि यह स्थिति केवल कुमारी कन्याओं की ही थी अथवा विवाह के पश्चात् पितृगृह में लौटी हुई कन्याओं की भी, किन्तु सम्भवतः दोनों स्थितियों में ननद के ऊपर भाभी का शासन प्रायः हुआ करता था क्योंकि उसकी भाभी का पति गृहपति होता था और वह गृहपत्नी।

१. फैमिली एण्ड किन इन इण्डो आर्यन कल्चर, पृ० ४८

२. द्र० वैदिक इण्डेक्स, १ ५२८, ५३७, २ ४९६

३. ऐत० ब्रा० ३.२.१२

४. द्रष्टव्य—इरावती कार्बे, किनशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, पृ० ४३

वधू गृहपत्नी के रूप में न केवल पति की बहिनो पर शासन करती थी बल्कि न्यूनाधिक रूप से पति के छोटे भाई भी उसके प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत थे यद्यपि देवर कुछ अवस्थाओं में उसपर वधू पतिवत् अधिकार भी रखता था। यास्क ने देवर शब्द की टीका करते हुए उसे दूसरा पति बताया है।^१ महाभारत में भी पति के अभाव में देवर से विवाह का उल्लेख है। वैदिक युग में पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा का विवाह प्रायः देवर से ही होता था। ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत भाभी के हृदय में देवर के प्रति (एक अज्ञात भय के कारण) सम्मान होना स्वाभाविक ही था। अथर्ववेद (१४२.१८) से इन दोनों सम्बन्धियों के बीच प्रेमपूर्ण सम्बन्ध की पुष्टि होती है।

सास ससुर के प्रति वधू का व्यवहार प्रायः आदरपूर्ण होता था। उत्तर वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वधू ससुर के समक्ष सलज्ज और अनुशासनयुक्त रहती थी। मंत्रायसी संहिता में ब्राह्मण के लिए एक स्थान पर सुरागण का निषेध इसलिए किया गया है कि सुरा के प्रभाव में ससुर और पुत्रवधू भी परस्पर अभद्र बातें करते हैं।^२ इससे प्रकट होता है कि ससुर और पुत्रवधू में बहुत ही सयत्त और अनुशासनपूर्ण व्यवहार तथा सम्बन्ध की अपेक्षा की जाती थी। अथर्व-वेद में स्पष्टतः ससुर और पुत्रवधू के बीच लज्जाजनित द्वारी का उल्लेख हुआ है।^३ यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार लोग घूप से दूर रहने और वचने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार पुत्रवधू ससुर से दूर रहने का प्रयास करती है। ऐतरेय ब्राह्मण शत्रुसेना को शक्तिहीन करने के लिए एक अनुष्ठान का उल्लेख करता है जिसके प्रभाव के प्रसंग में ससुर-पुत्रवधू सम्बन्ध का रूपक दिया गया है।^४ सायणाचार्य ने इसपर भाष्य करते हुए कहा है कि यह अनुष्ठान शत्रुसेना को पराजित करने में सहायक है क्योंकि इसमें जिस देवता का आह्वान होता है वह शत्रुसेना की सरक्षिका देवी का ससुर होता है। जिस प्रकार युवती पुत्रवधू ससुर के समक्ष लज्जावश अंगों को छिपाने के लिए

१ निरुक्त ३ १५

२ मंत्रा० सं० २४ १-२

३ अथर्व० ८ ६ २४, ये सूर्यात्परिसर्पेन्ति स्तुपेव श्वशुरादधि।

४. ऐत० ब्रा० १२.११, स्तुषा श्वशुरात्सलज्जमानानिलीयमानैति।

अपने को वस्त्रों से आच्छादित करती है तथा धीरे से घर के अन्दर सरक जाती है उसी प्रकार का आचरण इस विशेष अनुष्ठान के प्रभाव से शत्रु सेना करती है। आश्वलायन श्रौतसूत्र में भी शत्रु को वशीभूत करने के लिए 'स्तुपा-श्वशुरिय इष्टि' का वर्णन है।^१ अथर्ववेद (१४ २ २६) में पुत्रवधू द्वारा श्वशुर की सहायता की कामना की गई है। वृद्धावस्था में प्रायः श्वशुर पुत्रवधू के शासन और देखभाल में आ जाता था। वैदिक साहित्य में यद्यपि श्वश्रू (मदर इन ला) और स्तुपा के पारस्परिक सम्बन्धों को सूचित करने वाले प्रसंगों का अभाव है तथापि अथर्ववेद (१४ २ २६) से स्पष्ट है कि पुत्रवधू श्वशुर और श्वश्रू दोनों का समान रूप से आदर और सत्कार करती थी।^२ बहुवो का सास के प्रति व्यवहार पर्याप्त नम्र होता था।^३ सास की वृद्धावस्था में वह उसका उत्तरदायित्व सम्हालती थी, तथा घर की सभाज्ञी बनती थी।^४

वैदिक परिवार के पितृप्रधान होने के कारण पत्नी के पिता अथवा स्त्री पक्ष के अन्य सम्बन्धियों का विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। श्वशुर शब्द जहाँ पति के पिता का बोधक है, पत्नी के पिता का बोधक नहीं है। स्याला के सम्बन्ध में जो एकाकी प्रसंग मिलते हैं उनका उल्लेख ऊपर ही चुका है। उसे इन्द्र और अग्नि के समान उदार (उपहारादि) देने वाला बतलाया गया है। मामा, जिनकी स्थिति महाकाव्यों और स्मृतियों के काल तक महत्वपूर्ण हो चली थी, वैदिक युग में प्रायः महत्वहीन सम्बन्धी हैं। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में उनका उल्लेख केवल एक बार हुआ है।^५ वैदिक साहित्य में इन्हें 'मातुभ्रातृ' कहा गया है। सूत्रकाल से आगे इन्हें मातुल कहा गया सूत्रसाहित्य में सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मामा का स्थान पितृव्य के बाद माना गया है।^६

१ आश्वलायन २.११

२ श्वशुराय शंभूः स्योना श्वश्रूणि ।-

३ काठक स० ३१.१

४ ऋ० १० ८५.४६

५ मै० स० १ ६.१२

६. गौतम ५.२८-३०, बसिष्ठ ११ १, बोधायन २.४६

किसी भी युग अथवा देश की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण का वास्तविक भूल्याकन स्त्रियों की स्थिति एवं उनके विषय में प्रचलित धारणाओं के अध्ययन के बिना प्रायः अपूर्ण स्त्रियों की दशा है। उत्तर वैदिक युग की नारी का जीवन समुन्नत होते हुए भी पतनोन्मुख था। एक ओर जहाँ हम स्त्रियों के प्रति परम्परागत सम्मान का भाव देखते हैं वहीं दूसरी ओर उनके प्रति नवीन अस्वस्थ धारणाओं का जन्म होता हुआ भी पाते हैं। शैक्षणिक सुविधाएँ स्त्रियों को प्रायः पुरुषों की भाँति प्राप्त थी। बृहदारण्यक उपनिषद (६. ४. १७) में पंडिता कन्या की प्राप्ति के लिये विशेष अनुष्ठानों की योजना मिलती है। अथर्ववेद में कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा-प्राप्ति का उल्लेख मिलता है।^१ शुक्ल यजुर्वेद में शिक्षित स्त्री-पुरुष को ही विवाह के उपयुक्त बतलाया गया है।^२ वास्तव में कन्या ब्रह्मचर्य ञाल में अपने को न केवल विदुषी बनाती थी बल्कि सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनने का भी प्रयास करती थी। इसमें वह अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करती हुई समाज और धर्म के उन सभी नियमों से सुपरिचित हो जाती थी जिनकी उसे गृहस्थ जीवन में आवश्यकता पड़ती थी। उपनिषद-युग तक तो स्त्रियाँ दार्शनिक विषयों के अध्ययन एवं चिन्तन में पर्याप्त ख्याति प्राप्त करने लगी थी। ऐसी स्त्रियाँ भी अज्ञात नहीं थी जो आजीवन अध्यात्मचिन्तन में ही लगी रहती थीं। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। पारिवारिक जीवन में उसकी गृहपत्नियाँ भी ब्रह्म और आत्मन के रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासु रहती थीं। बृहदारण्यक उपनिषद में हम याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक ज्ञान के लिए उत्कण्ठित देखते हैं।^३ इसी पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है कि विदेह राज जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य अनेक परिण्डों को परास्त करने के पश्चात् गार्गी वाचकनदी की विद्वत्ता को समक्ष अकस्मात् हतप्रभ हो गये थे।^४ कौषीतकि ब्राह्मण (२६) में एक कुमारी गन्धर्व-ग्रहीत अग्निहोत्र में पारंगत बताई गई है। तैत्तिरीय संहिता

१ अथर्ववेद ११.५.१८

२ शुक्ल यजुर्वेद ८.१

३ वृ० उप० २.४.३ तथा ४.५.४ सा हवाच येनाह नामृता स्या किमहं तेन क्रूयां यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि।

४ वृ० उप० ३.६ तथा ८

(६ १६.५) तथा मैत्रायणी संहिता (३ ७.३) में स्त्रियों की संगीत नृत्य-अभिरुचि का वर्णन है ।^१ शतपथ ब्राह्मण (१४ ३ १ ३५) सामगान को स्त्रियों का विशेष कार्य बतलाता है । इससे प्रकट है कि उत्तर वैदिक युग में स्त्रियाँ गान विद्या में प्रवीण होती थी तथा उनमें मन्त्रों के शुद्ध पाठ एवं स्वरों के उचित आरोहवरोह की क्षमता होती थी । आश्वलायन गृह्यसूत्र (३ ८ ११) में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है इससे प्रकट होता है कि गृह्य सूत्रों के काल तक स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार पूर्ववत् प्राप्त था । धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों, नियमों एवं विधि-निषेधों से स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक परिचित थी । आपस्तम्ब का कथन है कि अनूत्लिखित कर्तव्यों का ज्ञान स्त्रियों से प्राप्त करना चाहिए । उनका ज्ञान समस्त अध्ययन का पूरक है ।^२

सामाजिक एवं धार्मिक महत्त्व के उत्सवों में भी स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक भाग ले सकती थी । अथर्ववेद में अलकृता नारी के समा में जाने का उल्लेख है ।^३ यज्ञ में तो पत्नी पति के साथ अनिवार्य रूप से भाग लेती थी । स्त्रियों को स्पष्टतः यज्ञ का अधिकारिणी कहा गया है ।^४ अपत्नीक व्यक्ति यज्ञ के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था ।^५ रामायण काल तक हम राम की सीता की अनुपस्थिति में यज्ञ करने में असमर्थ पाते हैं । इस समस्या के समाधान हेतु उन्हें सीता की सुवर्ण-प्रतिमा बनवानी पड़ी थी । शतपथ ब्राह्मण में पत्नी द्वारा यज्ञ की अनेक क्रियाओं के सम्पादन का वर्णन है ।^६ यज्ञ की वेदी के निर्माण में उसकी सहायता अपेक्षित थी ।^७ इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक क्रियाओं में भी वह पति की सहयोग देती थी ।^८ पारस्कर गृह्यसूत्र (२.१७) से ज्ञात होता है कि शस्यवृद्धि के लिए पत्नी स्वतन्त्र रूप से भी सीता यज्ञ कर सकती थी । धार्मिक क्रियाओं की भाँति ही उनसे

१. गायन्त स्त्रिय कामयन्ते,

२ आप० ध० सू० २, २ २६ १५

३ अथर्ववेद २.३६.१

४. अथर्ववेद ११.१ १७-२७ योषितो यज्ञिया इमा

५ शत० ब्रा० ५ १ ६ १०, तै० ब्रा० २२ २ ६

६ शत० ब्रा० १ ६.२ १, १ ६.२.५

७ शत० ब्रा० १० २ ३ १, १० २.३.३

८ शत० ब्रा० ३ ८ २ १-६

उत्पन्न फल के भोग में भी पत्नी पति के समान ही अधिकारिणी समझी जाती थी। अकेले पुरुष स्वर्ग के भोग की भी आकांक्षा नहीं करता था। वाजपेय यज्ञ में यज्ञीय गूप के सहारे सीढ़ी पर चढ़ता हुआ पति पत्नी से कहता था आओ हम दोनों साथ साथ स्वर्गारोहण करें।^१

उपर्युक्त वर्णन से वैदिक नारी की जिस उच्च स्थिति का बोध होता है वह चिरस्थायी नहीं थी। उत्तर वैदिक युग में ही स्त्रियों की दशा पतनोन्मुख हो चली थी। उनके विषय में विभिन्न प्रकार के हीन विचारों का प्रतिपादन एव प्रचार हो रहा था। पत्नी के लिए अब अधिकांशतः भार्या और जाया शब्द का प्रयोग होने लगा था। पोष्या और भार्या जैसे शब्द स्त्री की अधीनता का संकेत करते हैं। जाया शब्द का बाहुल्य नारी के प्रजनन कार्य के महत्त्व पर बल दिए जाने का प्रमाण है। परवर्ती संहिताओं एव ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ कहीं भी स्त्रियों के महत्त्व पर उनकी उपयोगिता को पृथक् करके विचार किया गया है, प्रायः उनकी भर्तृत्वा की गई है। मैत्रायणी संहिता (३६३) में स्त्री को झूठ बोलने वाली और मृत्यु के देवता से सम्बद्ध बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण (१४ १ १३१) में भी स्त्रियों को अनृत कहा गया है। काठक संहिता नारी को भावुक और निर्बीज बतलाता है।^२ मैत्रायणी संहिता के एक अन्य प्रसंग में स्त्री पर चरित्रहीनता का दोष लगाते हुए कहा गया है कि पति द्वारा घन से खरीदी जाने वाली स्त्री भी अन्य पुरुषों के साथ विचरण करती है।^३ इस प्रसंग से स्त्रियों का क्रय-विक्रय भी न्यूनाधिक रूप में प्रमाणित है। स्त्री-विक्रय की परम्परा के प्रचलन का संकेत यास्क ने अपने निरुक्त में भी दिया है।^४ तैत्तिरीय संहिता में भी नारी की शारीरिक हीनता का उल्लेख हुआ है और उसे यज्ञ में सोम का भाग लेने के अधिकार से विहीन एवं पापी पुरुषों से भी तुल्य बातें करनेवाली बताया गया है।^५ जैमिनीय ब्राह्मण (१ ६८) में स्त्रियों को दुःख का साधन माना गया है तथा कहा गया है कि इन्हें देवताओं ने क्रोध, आलस्य, नीद, भूख या वासना तथा

१ शत० ब्रा० ५ २१ १०

२ काठक स० २८ ८ ४४

३ मै० स० १ १० ११

४ निरुक्त ३४

५ तै० स० ६ ५ ८२

मे रखता है तथा उनकी अपवित्रता की घोषणा करता है।^१ स्त्रियों का धार्मिक अनुष्ठानों से बहिष्कार एक आकस्मिक घटना नहीं थी। उनके अधिकारों का अपहरण बड़ी मन्द गति से हुआ। जिन अपवित्रताओं एवं दूषणों के कारण उत्तरवैदिक युग के अन्त तक स्त्रियों को यज्ञाधिकार से वंचित कर दिया गया उनके निराकरण का प्रारम्भ में प्रयास भी किया गया। शतपथ ब्राह्मण (१३११३) पत्नी के नाभि के नीचेवाले भाग को अपवित्र बतलाता है तथा इस अशौच को दूर करने के लिए वस्त्रों के ऊपर कुशा घास के चरुडातक की व्यवस्था करता है। यज्ञ में होने वाले विभिन्न अनुष्ठान धीरे-धीरे स्त्रियों के हाथ से निकल कर पुरोहितों के अधिकार क्षेत्र में आने लगे। पहले पत्नी द्वारा होने वाला हवि तैयार करने का कार्य अब पुरोहित (अग्नीध्र) करने लगा।^२ इसी प्रकार सोमयाग में प्रवर्ग्य नामक कृत्य (धर्म नामक गरम वर्तन में दूध डालना) पहले पत्नी द्वारा सम्पादित होता था, किन्तु बाद में इसे उद्गाता करने लगा।^३ इन प्रमाणों के आधार पर यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर वैदिक युगीन नारी धार्मिक जीवन से बहिष्कृत कर दी गई थी क्योंकि हम अनेक प्रसंगों में पत्नी को पति के साथ यज्ञ कार्य करते हुए पाते हैं, तथापि इनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज के अन्य वर्गों एवं सस्थाओं की भाँति ही स्त्रियों के सम्बन्ध में भी नए विचारों एवं नवीन मूल्यों का उन्मेष प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार भारतीय नारी के पतन का जो इतिहास बाद में उपलब्ध होता है उसके विकास के बीज उत्तरवैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था में ही निहित थे।

वैदिक आर्यों के पितृप्रधान समाज में पुरुष की अपेक्षा नारी को कम सम्मान प्राप्त होना स्वाभाविक था। पूर्व वैदिक युग की सामाजिक-अव्यवस्था एवं बाह्य सघर्षों ने पुरुष को स्त्रियों पर स्वामित्व के आरोपण का विशेष अवसर नहीं दिया। उत्तरवैदिक युग तक, जब समाज के विभिन्न वर्गों एवं परिवार के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनकी सामाजिक स्थिति शीघ्रतर होने लगी, पुरुषापेक्षी प्रवृत्तियाँ उभर हो चलीं। इसके पीछे जहाँ एक ओर समाज में व्याप्त वर्ग सघर्ष, शोषण और अधिकरण की नूतन

१ शत० ब्रा० १४१११३

२. शत० ब्रा० ११४.१३

३ शत० ब्रा० ४३.१-२५, पत्नीकर्मैव एतेऽत्र कुर्वन्ति यदुद्गातर ।

द्यूतश्रीढा जैसे दुर्व्यसनों के साथ मनुष्य को कष्ट देने के लिए बनाया है। शतपथ ब्राह्मण पुरुष के समक्ष नारी की हीनता का प्रतिपादन करते हुए यहाँ तक कहता है कि अनेक स्त्रियों के बीच एक छोटा बालक हो तो उनमें वही श्रेष्ठ समझा जायगा।^१

इस युग के सामाजिक जीवन में जो संघर्ष दिखाई देता है उसका प्रभाव सामान्यजनो के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ा। पारिवारिक जीवन में हम पुरुषों को स्त्रियों के समक्ष अपनी उच्चता का प्रतिपादन करते हुए देखते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी समान अधिकारों का ह्रास एवं स्त्रियों की दुर्बलता का लाभ उठाकर उनके शोषण का प्रयास होने लगता है। शतपथ ब्राह्मण एक स्थान पर पति का अत्ता कहता है। विचारणीय है कि इसी प्रकार राजा को भी 'विश' का अत्ता कहा गया है। पत्नी के समक्ष पति की गुरुता एवं श्रेष्ठता की स्थापना का प्रयास शतपथ ब्राह्मण (११.४.१३) में स्पष्ट दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण का यह अंश इस बात की व्यवस्था करता है कि पत्नी को पति के पश्चात् भोजन करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण पत्नी के शरीर पर भी प्रायः पति का अधिकार मानता है।^२ इस अंश में हमें स्त्री की परतन्त्रता (न नारी स्वातन्त्र्यमर्हति) का स्पष्ट वर्णन दिखाई देता है। यहाँ कहा गया है कि 'देवताग्रो' ने पीट-पीट कर अपनी पत्नियों को शक्तिहीन कर दिया है। अतः इस प्रकार पीडित और शक्तिहीन होने के कारण उनका अपने शरीर और सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

इसी युग में नारी को याज्ञिक अधिकारों से भी वंचित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि यज्ञों से धर्मपत्नी के रूप में नारी को बहिष्कृत नहीं किया जा सका, तथापि उसके धार्मिक अधिकारों को सीमित और संकुचित कर दिया गया। धार्मिक क्षेत्र में उनकी अपवित्रता और याज्ञिक अनुपयुक्तता का विचार प्रचलित हो गया जिसकी प्रतिध्वनि उत्तर वैदिक साहित्य के उत्तरार्द्ध में सर्वत्र मिलती है। याज्ञिकों के एक सम्प्रदाय ने यह प्रतिपादित किया कि स्त्रियाँ यज्ञ की अधिकारिणी ही नहीं हैं। उनका स्थान यज्ञ की वेदी के बाहर होना चाहिए।^३ यद्यपि शतपथ ब्राह्मण स्त्रियों को यज्ञ से बहिष्कृत करने का समर्थन नहीं करता फिर उन्हें अयज्वन शूद्रों की कोटि

१. शत० ब्रा० १.३.१६

२. शत० ब्रा० ४४.२.१३

३. शाखा० ब्रा० २७.४, अयज्ञिया गैपत्यो बहिर्वेदिहिता.

मे रखता है तथा उनकी अपवित्रता की घोषणा करता है।^१ स्त्रियों का धार्मिक अनुष्ठानों से बहिष्कार एक आकस्मिक घटना नहीं थी। उनके अधिकारों का अपहरण बड़ी मन्द गति से हुआ। जिन अपवित्रताओं एवं दूषणों के कारण उत्तरवैदिक युग के अन्त तक स्त्रियों को यज्ञाधिकार से वंचित कर दिया गया उनके निराकरण का प्रारम्भ मे प्रयास भी किया गया। शतपथ ब्राह्मण (१३११३) पत्नी के नाभि के नीचेवाले भाग को अपवित्र बतलाता है तथा इस अशौच को दूर करने के लिए बस्त्रों के ऊपर कुशा घास के चरखाटक की व्यवस्था करता है। यज्ञ में होने वाले विभिन्न अनुष्ठान धीरे-धीरे स्त्रियों के हाथ से निकल कर पुरोहितों के अधिकार क्षेत्र में आने लगे। पहले पत्नी द्वारा होने वाला हवि तैयार करने का कार्य अब पुराहित (अग्नीध्र) करने लगा।^२ इसी प्रकार सोमयाग में प्रवर्ग्य नामक कृत्य (धर्म नामक गरम बर्तन में दूध डालना) पहले पत्नी द्वारा सम्पादित होता था, किंतु बाद में इसे उद्गाता करने लगा।^३ इन प्रमाणों के आधार पर यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर वैदिक युगीन नारी धार्मिक जीवन से बहिष्कृत कर दी गई थी क्योंकि हम अनेक प्रसंगों में पत्नी को पति के साथ यज्ञ कार्य करते हुए पाते हैं, तथापि इनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज के अन्य वर्गों एवं सस्थाओं की भाँति ही स्त्रियों के सम्बन्ध में भी नए विचारों एवं नवीन मूल्यों का उन्मेष प्रारम्भ हो गया था। इस प्रकार भारतीय नारी के पतन का जो इतिहासवाद में उपलब्ध होता है उसके विकास के बीज उत्तरवैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था में ही निहित थे।

वैदिक आर्यों के पितृप्रधान समाज में पुरुष की अपेक्षा नारी को कम सम्मान प्राप्त होना स्वाभाविक था। पूर्व वैदिक युग की सामाजिक-अव्यवस्था एवं बाह्य संघर्षों ने पुरुष को स्त्रियों पर स्वामित्व के आरोपण का विशेष अवसर नहीं दिया। उत्तरवैदिक युग तक, जब समाज के विभिन्न वर्गों एवं परिवार के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनकी सामाजिक स्थिति दृष्टतर होने लगी, पुरुषापेक्षी प्रवृत्तियाँ उभ हो चलीं। इसके पीछे जहाँ एक ओर समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष, शोषण और अधिकरण की नूतन

१ शत० ब्रा० १४१११३

२. शत० ब्रा० ११४.१३

३ शत० ब्रा० ४३१८५, पत्नीकर्मैव एतेऽत्र कूर्गन्ति यदुद्गातर ।

प्रक्रिया का परोक्ष प्रभाव था वही कतिपय अनार्य जनो के मातृमूलक-समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया भी थी ।

स्त्रियों को धार्मिक जीवन से बहिष्करण के प्रयास के कारण अधिकांशतः परिस्थितिक थे । वर्णव्यवस्था के विकास एवं पुरोहित वर्ग के प्रभावक्षेत्र में विस्तार के कारण यज्ञो का स्वरूप वामन के शरीर की भांति बढ़ने लगा । याज्ञिक प्रक्रियाएँ उत्तरोत्तर जटिल और आढम्बरपूर्ण होने लगीं । यज्ञ की छोटी क्रियाओं के लिए विस्तृत विधियाँ निर्धारित की जाने लगी । पहले पति पत्नी द्वारा किया जाने वाला साधारण कृत्य अब होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा आदि अनेक पुरोहितों की सहायता से होने लगा । वैदिक मंत्रों के उच्चारण में लेशमात्र भी त्रुटि अनिष्टकर मानी जाने लगी ।^१ फलतः कम पढ़ी-लिखी स्त्रियों के लिए यज्ञ में भाग लेना कठिन हो गया । दूसरे पुरोहितों ने पत्नी द्वारा सम्पादित होने वाले अनेक कृत्यों को स्वयं करना प्रारम्भ किया जिससे स्त्रियों का यज्ञों में सहयोग क्रमशः कम होने लगा । विशेषतः पुरोहितों द्वारा किए गए इस परिवर्तन पर आक्षेप करने में स्त्रियाँ समर्थ भी नहीं थी । इस नैराश्य से प्रभावित होकर उपनिषद् काल तक अनेक स्त्रियों ने ब्रह्मज्ञान को अपनी बौद्धिक एवं अध्यात्मिक जिज्ञासा का केन्द्र बनाया ।

इसी प्रकार आर्यों का अनार्य स्त्रियों से विवाह भी पत्नी को यज्ञ-अधिकार से बहिष्कृत करने का एक प्रमुख कारण बना । यद्यपि शूद्रा अथवा अनार्य से विवाह हतोत्साहित किये जाते थे तथापि आर्य परिवारों में शूद्र स्त्रियाँ विवाहिता बधू अथवा खेल के रूप में आती रही । आर्यों की अनार्य पत्नियों का उल्लेख धर्मसूत्रों के काल तक मिलता है । वशिष्ठ धर्मसूत्र^२ कृष्णवर्णा स्त्री को धर्म के लिए उपयुक्त न मानकर केवल रमण के लिए उपयुक्त मानता है । वैदिक कर्मकाण्डों से अपरिचित होने के कारण स्वभावतः अनार्य पत्नियाँ अनुष्ठानों में अधिक भूल कर सकती थी । अतः यज्ञों की पवित्रता की रक्षा के लिए तथा अभीप्सित फल की प्राप्ति के लिए ऐसी स्त्रियों से याज्ञिक अधिकार छीनना बाध्यनीय समझा गया । किन्तु कानान्तर में इन शूद्राओं के दुर्भाग्य की छाया उनकी आर्या सपत्नियों पर भी पड़ने लगी तथा नारी मान को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र समझा जाने लगा ।

१. पाणिनि शिक्षा ५२

२. वशिष्ठ धर्मसूत्र १८. १७

धार्मिक दृष्टि से स्त्रियों को अपवित्र घोषित करने के लिए उनकी दुर्बलताओं का आश्रय लेना आवश्यक था। इसीलिए स्त्रियों की अपवित्रता का प्रमुख कारण मासिक-धर्म बताया गया। रजस्वला नारी की अपवित्रता का सकेत हमें सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता (२.५.१) के अनुसार 'उस समय स्त्री मलिन वस्त्रों वाली होती है। ऐसी स्त्री के साथ न बोलना चाहिए न बैठना। उनका अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक था कि पत्नी को यज्ञ कार्य से भी पृथक् किय जाता। तैत्तिरीय ब्राह्मण उस पुरुष को भाग्यहीन बतलाता है जिसकी पत्नी उसे यज्ञ के समय रजस्वला होने कारण प्राप्त नहीं होती^१ क्योंकि पत्नी के अभाव में आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। प्रारम्भ में केवल रजस्वला स्त्रिया अपवित्र समझी जाती रही होगी किन्तु बाद में प्रतिमास होने वाले इस दूषण के कारण उन्हें स्थायी रूप से अपवित्र और अमेध्य मान लिया गया। शतपथ ब्राह्मण इसीलिए स्त्री के नाभि के नीचे वाले भाग को स्थायी रूप से अमेध्य बतलाता है^२ मासिक धर्म से उत्पन्न होने वाले अशौच और कुप्रभाव को विश्व की अनेक प्राचीन एवं आधुनिक जातियों ने स्वाकार किया है।^३ फ्रेजर महोदय के अनुसार इस अवस्था में स्त्री की अपवित्रता का कारण आदिम जातियों का यह विश्वास रहा है कि जीवन-शक्ति रक्त में रहती है^४ इसलिए रजस्वला स्त्रिया रक्तस्राव के कारण दुर्बल हो जाती है। अतः उनका स्पर्श करने वाला पुरुष भी दुर्बल और रुग्ण हो जायगा।

उत्तरवैदिक युग में विधवाएँ तिरस्कृत और उपेक्षित नहीं थीं। सती प्रथा के प्रचलन के चिह्न हमें इस युग में नहीं मिलते। सम्भवतः भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों में भी सती-प्रथा का प्रचलन था परन्तु ऋग्वेद और अवेस्ता के सामूहिक साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आर्य हिन्दू इरानी युग में ही इस प्रथा का त्याग कर चुके थे। वैदिक आर्यों में सती प्रथा के निषेध का कारण नितान्त व्यवहारिक प्रतीत होता

१ तै० ब्रा० ३. ७. १

२ शत० ब्रा० १. ३. १. १३, ५. २. १. १५

३ फ्रेजर, गोल्डेन बाल १. पृ० २२६-२७, हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १३५

४ वही, २, पृ० २४०

प्रक्रिया का परोक्ष प्रभाव था वही कतिपय अनार्य जनों के मातृमूलक-समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया भी थी ।

स्त्रियों को धार्मिक जीवन से बहिष्करण के प्रयास के कारण अधिकांशतः परिस्थितिक थे । वर्णव्यवस्था के विकास एवं पुरोहित वर्ग के प्रभावक्षेत्र में विस्तार के कारण यज्ञों का स्वरूप वामन के शरीर की भाँति बढ़ने लगा । याज्ञिक प्रक्रियाएँ उत्तरोत्तर जटिल और आढम्बरपूर्ण होने लगी । यज्ञ की छोटी क्रियाओं के लिए विस्तृत विधियाँ निर्धारित की जाने लगी । पहले पति पत्नी द्वारा किया जाने वाला साधारण कृत्य अब होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा आदि अनेक पुरोहितों की सहायता से होने लगा । वैदिक मंत्रों के उच्चारण में लेशमात्र भी त्रुटि अनिष्टकर मानी जाने लगी ।^१ फलतः कम पढ़ी-लिखी स्त्रियों के लिए यज्ञ में भाग लेना कठिन हो गया । दूसरे पुरोहितों ने पत्नी द्वारा सम्पादित होने वाले अनेक कृत्यों को स्वयं करना प्रारम्भ किया जिससे स्त्रियों का यज्ञों में सहयोग क्रमशः कम होने लगा । विशेषतः पुरोहितों द्वारा किए गए इस परिवर्तन पर आक्षेप करने में स्त्रियाँ समर्थ भी नहीं थी । इस नैराश्य से प्रभावित होकर उपनिषद् काल तक अनेक स्त्रियों ने ब्रह्मज्ञान को अपनी बौद्धिक एवं अध्यात्मिक जिज्ञासा का केन्द्र बनाया ।

इसी प्रकार आर्यों का अनार्य स्त्रियों से विवाह भी पत्नी को यज्ञ-धिकार से बहिष्कृत करने का एक प्रमुख कारण बना । यद्यपि शूद्रा अथवा अनार्य से विवाह हतोत्साहित किये जाते थे तथापि आर्य परिवारों में शूद्र स्त्रियाँ विवाहिता बधू अथवा खेल के रूप में आती रहीं । आर्यों की अनार्य पत्नियों का उल्लेख धर्मसूत्रों के काल तक मिलता है । वशिष्ठ धर्मसूत्र^२ कृष्णवर्णा स्त्री को धर्म के लिए उपयुक्त न मानकर केवल रमण के लिए उपयुक्त मानता है । वैदिक कर्मकाण्डों से अपरिचित होने के कारण स्वभावतः अनार्य पत्नियाँ अनुष्ठानों में अधिक भूल कर सकती थी । अतः यज्ञों की पवित्रता की रक्षा के लिए तथा अभीप्सित फल की प्राप्ति के लिए ऐसी स्त्रियों से याज्ञिक अधिकार छीनना वाञ्छनीय समझा गया । किन्तु कालान्तर में इन शूद्राओं के दुर्भाग्य की छाया उनकी आर्य सपत्नियों पर भी पड़ने लगी तथा नारी मात्र को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र समझा जाने लगा ।

१ पाणिनि शिक्षा ५२

२. वशिष्ठ धर्मसूत्र' १८, १७

धार्मिक दृष्टि से स्त्रियों को अपवित्र घोषित करने के लिए उनकी दुर्वलताओं का आश्रय लेना आवश्यक था। इसीलिए स्त्रियों की अपवित्रता का प्रमुख कारण मासिक-धर्म बताया गया। रजस्वला नारी की अपवित्रता का सकेत हमें सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता (२.५.१) के अनुसार 'उस समय स्त्री मलिन वस्त्रों वाली होती है। ऐसी स्त्री के साथ न बोलना चाहिए न बैठना। उनका अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक था कि पत्नी को यज्ञ कार्य से भी पृथक् किया जाता। तैत्तिरीय ब्राह्मण उस पुरुष को भाग्यहीन बतलाता है जिसकी पत्नी उसे यज्ञ के समय रजस्वला होने कारण प्राप्त नहीं होती^१ क्योंकि पत्नी के अभाव में आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। प्रारम्भ में केवल रजस्वला स्त्रियाँ अपवित्र समझी जाती-रही होगी किन्तु बाद में प्रतिमास होने वाले इस दूषण के कारण उन्हें स्थायी रूप से अपवित्र और अमेध्य मान लिया गया। शतपथ ब्राह्मण इसीलिए स्त्री के नाभि के नीचे वाले भाग को स्थायी रूप से अमेध्य बतलाता है^२ मासिक धर्म से उत्पन्न होने वाले अशौच और कुप्रभाव को विश्व की अनेक प्राचीन एवं आधुनिक जातियों ने स्वीकार किया है।^३ फ्रेजर महोदय के अनुसार इस अवस्था में स्त्री की अपवित्रता का कारण आदिम जातियों का यह विश्वास रहा है कि जीवन-शक्ति रक्त में रहती है^४ इसलिए रजस्वला स्त्रियाँ रक्तस्राव के कारण दुर्वल हो जाती हैं। अतः उनका स्पर्श करने वाला पुरुष भी दुर्वल और रूग्ण हो जायगा।

उत्तरवैदिक युग में विधवाएँ तिरस्कृत और उपेक्षित नहीं थीं। सती प्रथा के प्रचलन के चिह्न हमें इस युग में नहीं मिलते। सम्भवतः भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों में भी सती-प्रथा का वैधव्य प्रचलन था परन्तु ऋग्वेद और अवेस्ता के सामूहिक साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आर्य हिन्दू इरानी युग में ही इस प्रथा का त्याग कर चुके थे। वैदिक आर्यों में सती प्रथा के निषेध का कारण नितान्त व्यवहारिक प्रतीत होता

१ तै० ब्रा० ३. ७. १

२ शत० ब्रा० १.३.१.१३, ५.२.१.१८

३ फ्रेजर, गोल्डेन वाच १. पृ० २२६-२७, हिन्दू परिवार भीमांसा, पृ० १३५

४ वही, २, पृ० २४०

है। अपने को सामरिक दृष्टि से अधिक सशक्त करने के लिए तथा वशविस्तार के लिए उन्होंने प्रजनन कार्य में समर्थ विधवाओं को मृत्यु की विभीषिका से निकाल कर नवजीवन के प्रकाश में खड़ा किया तथा उन्हें पुनः समृद्ध और सन्तानयुक्त जीवन व्यतीत करने की सुविधा दी।^१ तैत्तिरीय आरण्यक में विधवा स्त्री का अपने पति के हाथों से उसकी धनुष आदि प्रिय वस्तुओं को लेकर गृहप्रत्यागमन तथा उसके आगामी जीवन में सुख समृद्धि की कामना का उल्लेख है।^२ ऋ० १० १८ ८ तथा उत्तरवैदिक साहित्य के प्रस्तुत प्रसंग इस बात का सकेत करते हैं कि वैदिक युग में वे पति के शव के पार्श्व में लेटती थी तत्पश्चात् पुनः उन्हें जीवलोक में लौट आने का सदेश दिया जाता था। आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार विधवा स्त्री को देवर, मृत पति का शिष्य अथवा कोई विश्वस्त वृद्ध दास श्मशान से घर लाता था।^३ समस्त सूत्र साहित्य मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक विभिन्न सत्कारों का वर्णन करता हुआ भी सती प्रथा के विषय में सर्वथा मौन है।

पूर्व वैदिक युग की भांति उत्तरवैदिक युग में भी विधवा विवाह प्रचलित थे। अथर्ववेद में एक स्थान पर पंचोदन क्रिया के द्वारा पत्नी और उसके

द्वितीय पति में अन्वय और अभिन्नता उत्पन्न

पुनर्विवाह तथा

नियोग

करने की योजना है।^४ तैत्तिरीय संहिता ३ २ ४ ४ में 'देविपव्य' अथवा विधवा के पुत्र का उल्लेख है।

धर्मशास्त्रों में पुनर्भू और पौनर्भव शब्द का स्थान-

स्थान पर प्रयोग पुनः विवाह के सूत्रकालपर्यन्त अक्षुण्ण प्रचलन को सिद्ध करता है। महाभारत में भी पति के अभाव में देवर को पति बनाने की व्यवस्था की गई है।^५ गौतम ने देवर के साथ नियोग का प्रतिपादन किया है (गौतम १८ ४-८)।

१. अथर्ववेद १८, १ १, इय नारीपतिलोक वृणानानिपद्यते उपत्वा मर्त्यं मेतम् धर्मम् पुराणमनुपालयन्ती तस्मै प्रजाद्रविण चेत् घत्त ।

२. तै० आर० ६ १

३. आप० गृह्य० सू० ४ २.१८, तामुत्थापयेद्देवर पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरहासो वा उदीर्णो नारि अभिजीवलोकोऽस्ति ।

४. अथर्व० ६ ५.२७-२८ या पूर्ण पतिं वित्वा अथान्य विन्दते पतिम् पञ्चोदनं च तौ अज ददतौ न नियोजत ।
समान लोको भवति पुनर्भूवा अपर पतिः

५. महा० १३.१२.१६ नारी तु पत्यभावे देवर कृणुतेपति ।

वैदिक साहित्य के साक्ष्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विधवा का पुनर्विवाह अथवा नियोग उसके देवर के ही साथ होता था। जब हम ऋग्वेद में नवपरिणीता वधू को दिए गए आशीर्वाद 'देवुकामा भव', ऋग्वेद (१० ४ २ २) में उल्लिखित शैब्यारूढ विधवा के पास पहुँचते देवर, एव यास्क द्वारा दी गई देवर शब्द की व्युत्पत्ति पर सामूहिक रूप से विचार करते हैं तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि विधवाओं का पुनर्विवाह प्रायः पति के भ्राता के साथ ही होता था। महाभारत के अनुसार पाण्डु और धृतराष्ट्र के जन्म के लिए सत्यवती ने जब अपने पुत्रवधुओं के नियोग की व्यवस्था की थी, उसके लिए उसने अपने ही पुत्र व्यासद्वैपायन को निमन्त्रित किया था। देवर से साथ पुनर्विवाह और नियोग की प्रथा विश्व की अन्य जातियों में भी प्रचलित थी। प्राचीन काल में यहूदियों में इस प्रथा का प्रचलन था। ओल्ड टेस्टामेण्ट में इसका उल्लेख हुआ है।^१

१ पोलीशन आव वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १४३

उत्तर वैदिक युग में आदर्शों के उन्मेष तथा सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्था के साथ ही राज्य के सघटन में भी विकास दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उस युग में प्रायः जनराज्यों की ही परम्परा थी। यदु, पुरु, दृष्ट्यु, भरत आदि जिन जनो का उल्लेख इस ग्रन्थ में हुआ है उनका कोई निश्चित भूप्रदेश नहीं था। भ्रमराशील कबीलों के साथ ही उनके राज्य भी बदलते रहते थे। कबीली जीवन के ये संस्कार उत्तर-वैदिक युग तक भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुए थे। शतपथ ब्राह्मण (४ १ ५ २) से ज्ञात होता है कि एक ग्राम अपने नेता शर्मात मानव के नेतृत्व में इधर-उधर घूमा करता था। इससे स्पष्ट है कि उत्तर-वैदिक युग में भी आर्यों के कुछ समूह अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रादेशिक (Territorial) राज्यों की स्थापना के पश्चात् भी जन-राज्यों की परम्परा का प्रभाव पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाया था। राजसूय यज्ञ के 'देवपु-हविषी' नामक अनुष्ठान में राजा के लिए जान-राज्य की भी कामना की गई है।^१ यद्यपि विद्वानों ने जान-राज्य के विविध अर्थ किये हैं^२ तथापि इस शब्द को पूर्व-वैदिक युगीन जन-राज्यों का संकेत मानना ही अधिक युक्तिसंगत होगा। सम्भवतः जान-राज्य के माध्यम से यह इच्छा व्यक्त की जाती थी कि राजा अपने जन का शासक बने।^३ ब्राह्मण साहित्य में वर्णित राजसूय यज्ञ के प्रसंग में ऐसे अनेक अनुष्ठानों का विधान है जिनका स्वरूप पूर्णतया आदिम है।^४ इन्हीं की दृष्टि में रखते हुये घोपाल महीदय ने यहाँ तक कहा है कि उत्तर-वैदिक युग का राज-तन्त्र अशत कबीली अवस्था में था।^५

१. वाज० स० १४०, मै० स० २६६, मै० स० १८१०, का० स० १५५

२. द्र०, यु० एन० घोपाल, स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१०

३. रामशरन शर्मा, आस्पेक्ट्स आव पॉलिटिकल आइडियाज़ एण्ड इस्टी-द्यूशनस् पृ० १२०

४. वही पुस्तक, पृ० ११६-१२६

५. घोपाल, हिस्टीरियोग्राफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २८६

सामान्यत उत्तर-वैदिक युग तक स्थायी प्रादेशिक-राज्यों की स्थापना हो चुकी थी और पूर्व वैदिक युग के अधिकांश जन जनपदों का रूप ग्रहण कर चुके थे ।^१ उनके राजा अब राष्ट्र अर्थात् प्रदेश के स्थायी प्रादेशिक भी स्वामी समझे जाने लगे थे ।^२ उत्तर-वैदिक राज्यों की स्थापना साहित्य में एकराट् का राज्य-क्षेत्र ससागर पृथ्वी बताया गया है जिससे प्रादेशिक राज्यों का पूर्ण विकास प्रमाणित होता है ।^३ इस युग के राजा विश्व के साथ ही राष्ट्र पर भी प्रभुता स्थापित करने के लिए चिन्तित थे, ऐसा सकेत तैत्तिरीय संहिता में एक अनुष्ठान का महत्व समझाते हुए किया गया है ।^४ प्रादेशिक राज्यों की स्थापना के परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी मनोवृत्ति में वृद्धि हुई । सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिए तथा सागर वेष्टित वसुधा का एकमात्र स्वामी बनने के लिये राजाओं ने वैदिक कर्मकाण्डों का आश्रय लिया । अश्वमेध, वाजपेय और ऐन्द्रमहाभिषेक जैसे यज्ञों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई । ब्राह्मण ग्रन्थों में कुरु-पंचाल, कोशल और मत्स्य के ऐसे अनेक राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध तथा ऐन्द्र महाभिषेक के द्वारा सार्वभौम प्राप्त किया । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जनमेजय, भीम सेन श्रुतसेन तथा भरत व सत्रजित-शतानीक आदि बारह राजाओं ने अश्वमेध द्वारा सार्वभौम पद प्राप्त किया था । सम्राट् पद की प्राप्ति के लिये सम्भवत वाजपेय यज्ञ भी किया जाना था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वाजपेय से सम्राट् बनता है । राज्य हीन है और साम्राज्य श्रेष्ठ ।^५ सम्राट् की वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो हमें नहीं है किन्तु इतना स्पष्ट है कि वह राजा से श्रेष्ठ समझा जाता था । राजा लोग सम्राट् पद की कामना करते थे । वैदिक राज्य होमर युगीन यूनानी राज्यों की भांति ही आकार में छोटे रहे होंगे किन्तु फिर भी सम्राट् का राज्य-क्षेत्र अवश्य कुछ विस्तृत रहा होगा । ऐतरेय ब्राह्मण (७३) के अनुसार प्राच्य देश के शासकों का अभिषेक साम्राज्य पद के लिये होता था ।^६ शतपथ ब्राह्मण में विदेह-

१ ऐत० ब्रा० ८३ १४

२ अथर्व० ३४२, वर्धन राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व तै० स० २३ ३-४

३ ऐत० ब्रा० ८.१६, हिन्दू सम्यता, पृ० १००

४ तै० स० २३ १,—उमे एव विश्व चराष्ट्रं चावगच्छति ।

५ शत० ब्रा० ५२ ११३ ।

६ ऐत० ब्रा० ७३ १४

राज जनक को, जो निश्चय ही प्राच्य-देशीय नरेश थे सम्राट कहा गया है ।^१ राजसूय के पर राजा धनुष-बाण लेकर चारो दिशाओं की प्रतीकात्मक विजय के माध्यम से अपने दिग्विजय की कामना की अभिव्यक्त करता था । उत्तर-वैदिक समाज में यह धारणा प्रबल हो चुकी थी कि यज्ञों के सम्पादन से यजमान को अभीप्सित फल की प्राप्ति होती है ।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिषेक के महत्त्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र-पर्यन्त वसुधा का एकराट् होना चाहे वह ऐन्द्र-महाभिषेक द्वारा अभिषिक्त हो ।^३ ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि बहुधा राजे विशेष राजनैतिक सफलताओं के अभाव में भी इन विशिष्ट यज्ञों के सम्पादन से ही सम्राट, एकराट् तथा सार्वभौम पद के अधिकारी मान लिये जाते थे । इस दृष्टि से जनक जैसे राजाओं का सम्राट होना आपत्तिहीन भी प्रतीत होता होता है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये किसी दिग्विजय का उल्लेख परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में नहीं मिलता ।

इस युग में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों का प्रचलन मिलता है । हम जानते हैं कि पूर्व-वैदिक युग के जन-राज्यों की स्थिति शासन-व्यवस्था की दृष्टि से बहुमुखी प्रयोग के लिये विशेष अनुकूल शासन-पद्धतियाँ नहीं थी । सुव्यवस्थित शासन-पद्धतियों का विकास तो स्यायी-प्रादेशिक-राज्यों में ही सम्भव था ।

ऋग्वेद और अथर्ववेद के अध्ययन ने शासन व्यवस्था में राजतन्त्र और जनतन्त्र का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है । किन्तु यजुर्वेद की संहिताओं एवं ब्राह्मणों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक युग में अनेक प्रकार की शासन-पद्धतियाँ व्यवहृत होने लगी थी । ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, राज्य, स्वाराज्य, भोज्य और वंराज्य नाम की पाँच शासन-प्रणालियों का उल्लेख हुआ है ।^४ इनमें से प्रथम दो तो निश्चित रूप से राजतन्त्र के ही विभेद हैं जिसका प्रचलन क्रमशः प्राच्य देश और मध्यदेश में था । उत्तर वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों के अधिकांश की रचना मध्यदेश में हुई ।

१. शत० ब्रा० ११ ३.१ २-६

२ देखिये पच० ब्रा० २० १२४, चित्ररथ कापेय द्विराज यज्ञ के द्वारा 'एक क्षत्रपति' हुआ ।

३. ऐत० ब्रा० ८.१५

४. ऐत० ब्रा० ७ ३.१४

इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कुरु पंचाल के शासकों ने ही राजसूय यज्ञ का सम्पादन भी विशेष रूप से किया था।^१ अतः ब्राह्मणों में वर्णित राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के प्रसंग में नृपतन्त्रात्मक राज्यों की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत अन्य शासन प्रणालियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का सर्वथा अभाव है। महाभारत और अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वराज्य, भोज्य और वीराज्य जनतन्त्रात्मक राज्य प्रतीत होते हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर-वैदिक युगीन सामाजिक वातावरण जनतन्त्रात्मक शासन पद्धतियों के विकास के लिये विशेष अनुकूल नहीं था। यही कारण है कि वीराज्य स्वराज्य और भोज्य शासन-प्रणालियाँ वैदिक सस्कृति के केन्द्र मध्यदेश से दूर, विशेषतः आर्य-प्रभाव से मुक्त प्रदेशों में ही प्रचलित हुईं।^२ यहाँ उत्तर-वैदिक युग में हुये उन सामाजिक परिवर्तनों पर भी न्यूनाधिक रूप से विचार करना आवश्यक है।

वर्ण-व्यवस्था के नवोदित प्रभाव के कारण जनसाधारण राजनीति से पृथक् एग उदासीन हो चले थे। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण राजकार्य के लिये व्यर्थ होता है।^३ ऐसी स्थिति में वीर्यो एग शूद्रो का राजनीति में विशेष प्रवेश निश्चय ही कठिन रहा होगा। राजनैतिक क्षेत्र में राजन्यों का प्रभाव क्रमशः बढ़ता जा रहा था। परिस्थितिक साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि समिति नामक संस्था, जिसे राष्ट्रीय सभा स्वीकार किया गया है^४, ब्राह्मण युग तक लुप्त हो चली थी। ब्राह्मण साहित्य में राजसूय के विस्तृत विवरण में समिति का कोई उल्लेख नहीं है। इससे प्रकट होता है कि उत्तर वैदिक समाज में राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति के विकास के साथ ही जनतन्त्रात्मक संस्थाओं का अस्तित्व लुप्तप्राप्य हो गया।^५ छान्दोग्य उपनिषद् में पाचालो की समितिका उल्लेख अवश्य हुआ है, जहाँ विद्वान ब्राह्मणों के साथ उपस्थित उनके राजा प्राव-

१ शत० ब्रा० ५५२५

२ द्र० इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठों में।

३. शत० ब्रा० ५१११२, न वी ब्राह्मणो राज्याय अल

४. हिन्दू राजतन्त्र, भाग १, पृ० १२, एन० सी० वन्दोपाध्याय—डेवलपमेण्ट
भाव हिंदू पालिटी एण्ड पोलिटिकल थियरी, पृ० ११८

५. द्र० घोपाल, हिन्दू पब्लिक लाइफ, पृ० ११६

राज जनक को, जो निश्चय ही प्राच्य-देशीय नरेश थे सम्राट कहा गया है ।^१ राजसूय के अवसर पर राजा धनुष-बाण लेकर चारों दिशाओं की प्रतीकात्मक विजय के माध्यम से अपने दिग्विजय की कामना की अभिव्यक्त करता था । उत्तर-वैदिक समाज में यह धारणा प्रबल हो चुकी थी कि यज्ञों के सम्पादन से यजमान को अभीप्सित फल की प्राप्ति होती है ।^२ ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिषेक के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र-पर्यन्त वसुधा का एकराट् होना चाहे वह ऐन्द्र-महाभिषेक द्वारा अभिषिक्त हो ।^३ ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि बहुधा राज्ञे विशेष राजनैतिक सफलताओं के अभाव में भी इन विशिष्ट यज्ञों के सम्पादन से ही सम्राट्, एकराट् तथा सार्वभौम पद के अधिकारी मान लिये जाते थे । इस दृष्टि से जनक जैसे राजाओं का सम्राट् होना आपत्तिहीन भी प्रतीत होता होता है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये किसी दिग्विजय का उल्लेख परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में नहीं मिलता ।

इस युग में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों का प्रचलन मिलता है । हम जानते हैं कि पूर्व-वैदिक युग के जन-राज्यों की स्थिति शासन-व्यवस्था की दृष्टि से बहुमुखी प्रयोग के लिये विशेष अनुकूल शासन-पद्धतियाँ नहीं थी । सुव्यवस्थित शासन-पद्धतियों का विकास तो स्थायी-प्रादेशिक-राज्यों में ही सम्भव था । ऋग्वेद और अथर्ववेद के अध्ययन ने शासन-व्यवस्था में राजतन्त्र और जनतन्त्र का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है । किन्तु यजुर्वेद की संहिताओं एवं ब्राह्मणों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक युग में अनेक प्रकार की शासन-पद्धतियाँ व्यवहृत होने लगी थी । ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, राज्य, स्वाराज्य, भोज्य और वैराज्य नाम की पाँच शासन-प्रणालियों का उल्लेख हुआ है ।^४ इनमें से प्रथम दो तो निश्चित रूप से राजतन्त्र के ही विभेद हैं जिसका प्रचलन क्रमशः प्राच्य देश और मध्यदेश में था । उत्तर वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों के अधिकांश की रचना मध्यदेश में हुई ।

१. शत० ब्रा० ११.३.१२-६

२. देखिये पच० ब्रा० २०.१२४, चिन्नरथ कापेय द्विराश यज्ञ के द्वारा 'एक क्षत्रपति' हुआ ।

३. ऐत० ब्रा० ५.१५

४. ऐत० ब्रा० ७.३.१४

इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कुरु पंचाल के शासकों ने ही राजसूय यज्ञ का सम्पादन भी विशेष रूप से किया था।^१ अतः ब्राह्मणों में वर्णित राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के प्रसंग में नृपतन्त्रात्मक राज्यों की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत अन्य शासन प्रणालियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का सर्वथा अभाव है। महाभारत और अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वाराज्य, भौज्य और वीराज्य जनतन्त्रात्मक राज्य प्रतीत होते हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक युगीन सामाजिक वातावरण जनतन्त्रात्मक शासन पद्धतियों के विकास के लिये विशेष अनुकूल नहीं था। यही कारण है कि वीराज्य स्वाराज्य और भौज्य शासन-प्रणालियाँ वैदिक सस्कृति के केन्द्र मध्यदेश से दूर, विशेषतः आर्य-प्रभाव से मुक्त प्रदेशों में ही प्रचलित हुईं।^२ यहाँ उत्तर-वैदिक युग में हुये उन सामाजिक परिवर्तनों पर भी न्यूनाधिक रूप से विचार करना आवश्यक है।

वर्ण-व्यवस्था के नवोदित प्रभाव के कारण जनसाधारण राजनीति से पृथक् एग उदासीन हो चले थे। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण राजकार्य के लिये व्यर्थ होता है।^३ ऐसी स्थिति में वीक्ष्यो एग शूद्रो का राजनीति में विशेष प्रवेश निश्चय ही कठिन रहा होगा। राजनैतिक क्षेत्र में राजन्यो का प्रभाव क्रमशः बढ़ता जा रहा था। परिस्थितिक साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि समिति नामक सस्था, जिसे राष्ट्रीय सभा स्वीकार किया गया है^४, ब्राह्मण युग तक लुप्त हो चली थी। ब्राह्मण साहित्य में राजसूय के विस्तृत विवरण में समिति का कोई उल्लेख नहीं है। इससे प्रकट होता है कि उत्तर वैदिक समाज में राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति के विकास के साथ ही जनतन्त्रात्मक सस्थाओं का अस्तित्व लुप्तप्राप्य हो गया।^५ छान्दोग्य उपनिषद् में पाचालों की समितिका उल्लेख अवश्य हुआ है, जहाँ विद्वान ब्राह्मणों के साथ उपस्थित उनके राजा प्राव-

१ शत० ब्रा० ५५२५

२ द्र० इसी अध्याय के अग्रिम पृष्ठों में।

३. शत० ब्रा० ५१११२ न वै ब्राह्मणो राज्याय अल

४. हिन्दू राजतन्त्र, भाग १, पृ० १२, एन० सी० वन्दोपाध्याय—डेवलपमेण्ट थाव हिंदू पालिटी एण्ड पोलिटिकल थियरी, पृ० ११८

५. द्र० घोपाल, हिन्दू पब्लिक लाइफ, पृ० ११६

हण जैवलि ने श्वेतकेतु आरुणेय से पांच प्रश्न पूछे थे।^१ जायसवाल महोदय ने यहाँ भी समिति को ऋग्वेद और अथर्ववेद की समिति की भाँति ही राष्ट्रीय सभा माना है तथा इसमें उपस्थित लोगों को जनता द्वारा निर्वाचित प्रनिनिधि माना है।^२ उनका यह मत पूर्णतः पूर्वग्रह-जन्य कल्पना पर आधारित है। क्योंकि इस प्रसंग में समिति शब्द का प्रयोग राज-परिषद के अर्थ में हुआ प्रतीत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद (६२१) में भी श्वेतकेतु सम्बन्धी इस घटना का उल्लेख हुआ है। किन्तु इस प्रसंग में समिति की जगह पाचालो की परिषद का उल्लेख है। इन दोनों प्रसंगों की अतिशय समानता को देखते हुये यह प्रतीत होता है कि समिति और परिषद दोनों शब्दों का प्रयोग एक अर्थ में हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद से यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ भृत्य गण राजा की सेवा में तत्पर थे। इस प्रसंग में समिति द्वारा होनेवाले किसी सार्वजनिक कार्य का कोई संकेत नहीं है। उत्तर-वैदिक संस्कृति के केन्द्र कुरु-पंचाल में यदि समिति नामक जन-सभा (Popular assembly) जीवित होती तो ब्राह्मण साहित्य उसके विषय में बिल्कुल मौन कदापि नहीं होता। सूत्र साहित्य तो समिति के नाम से भी अपरिचित है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैराज्य शासन प्रणाली का प्रचलन हिमालय से समीपवर्ती प्रवेश उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र में था।^३ जिमर महोदयने उत्तर कुरु की एकता कश्मीर से स्थापित की है जो असम्भव नहीं प्रतीत होता।^४ मैकडानेल और कीथ ने वैराज्य को राजतन्त्र का ही एक रूप माना है।^५ किन्तु वैराज्य शब्द का सम्बन्ध राजतन्त्र से जोड़ना असंगत प्रतीत होता है। क्योंकि इस प्रसंग में वैराज्य शब्द का प्रयोग जनपद के लिये हुआ है न कि राजा के लिये। काशी प्रसाद जायसवाल और रमेशचन्द्र मजुमदार ने वैराज्य को जनतन्त्र माना है।^६ श्री जायसवाल ये अपने मत को सतर्क प्रामाण्य करने

१. छान्दोग्य ५.३

२. हिन्दू राजतन्त्र, भाग १, पृ० १३

३. “ये के च परेण हिमवन्त जनपदा उत्तरकुरुव उत्तरमद्रा इति वैराज्याय-
तेऽभिपिच्यन्ते। विराडिति तेनाभिपिक्तानाचक्षते।” ऐत० ब्रा० ७.३.१४

४. जिमर—कारपोरेट लाइफ, पृ० २१६ पर उद्धृत, वैदिक इण्डेक्स १, ८४

५. वैदिक इण्डेक्स, २. २२१

६. हिन्दू राजतन्त्र १, १२४, कारपोरेट लाइफ, पृ० २१६

का प्रयास किया है किन्तु उनका यह मत अन्य ज्ञात तथ्यों के अविरोध नहीं है। उन्होंने वैराज्य का अर्थ 'राजा-विहीन' शासन प्रणाली किया है किन्तु इसका शाब्दिक अर्थ केवल 'राजा-विहीन' होगा। ऐसी स्थिति में वैराज्य जनतंत्र का भी बोधक हो सकता है और अराजक स्थिति का भी। अथर्ववेद में स्पष्टतया 'विराड' शब्द का प्रयोग अराजक स्थिति के लिये हुआ है।^१ फिर वैदिक साहित्य के ही एक अग्र ऐतरेय ब्राह्मण में विराड का अर्थ एकमात्र कल्पना के सहारे जनतंत्र करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। सम्भवतः उत्तर-कुरु जैसे सुदूरस्थ पर्वतीय प्रदेशों में वैदिक सत्कृति का प्रभाव अपेक्षाकृत देर से पड़ा। महाभारत इस बात की सूचना देता है कि उत्तर कुरु नामक प्रदेश में दीर्घकाल तक विवाह की मर्यादा नहीं स्थापित हो सकी थी।^२ इसका तात्पर्य है कि परिवार नामक संस्था, जो वैदिक समाज में पूर्णतः स्थिर हो चुकी थी, यहाँ बहुत बाद में व्यवस्थित हुई। हम जानते हैं कि परिवार और व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना का राज्य के विकास में अनिवार्य योग रहा है।^३ सामाजिक-अव्यवस्था की स्थिति में राजनैतिक व्यवस्था की कल्पना निराधार है। असम्भव नहीं है कि अथर्ववेद में वर्णित अराजकता की स्थिति (विराड) उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र में काफी समय तक वर्ती रही हो। इस अराजक स्थिति में सावैज्ञानिक समस्याओं पर जनता ही विचार करती होगी। इसलिये सम्भवतः ऐतरेय ब्राह्मण में वैराज्य के लिये सम्पूर्ण जनपद के अभिप्रेत की बात कही गई है। कौटिल्य ने भी वैराज्य में जनता के विचारों की प्रधानता (प्रकृति-चित्त-ग्रहणापेक्षि) को स्वीकार किया है किन्तु साथ ही उन्होंने जनता की उदासीनता, अनुत्तरदायित्व और असुरक्षित स्थिति का भी उल्लेख किया है।^४ इससे स्पष्ट है कि वैराज्य एक ऐसी स्थिति थी जिसमें राजशक्ति के अभाव में जनता के विचारों की प्रधानता

१ अथर्व० ८ १० १, विराड वा इदमग्रमासीत् तस्या जातायाः सर्वमवि-
भेदेयमेवेद भविष्यति।

२ यत्र नार्य कामचारा भवन्ति। १२ १०२, २६ (वाम्बे संस्करण)

३ राकहिल—दि लाइफ आफ बुद्ध, पृ० ४-७

४ अर्थशास्त्र ८.२, वैराज्यन्तु प्रकृतिचित्त ग्रहणापेक्षि यथास्थितमन्यैर्भुज्यत
इत्याचार्या। नेति कौटिल्य। वैराज्ये तु जीवत परस्पराच्छिद्य नेतृर्ममेति
मन्यमान कर्पयत्यपवाहयति। पण्य वा करोति। विरक्त वा परित्य-
ज्यापगच्छतीति।

रही होगी, किन्तु -साय ही राजनैतिक संगठन की चेतना का अभाव रहा होगा। ऐसी दशा में उत्तर-वैदिक युगीन वैराज्य को सुविकसित एवं संगठित प्रजातन्त्र न मानकर शराजक-स्थिति मानना ही अधिक युक्तिसंगत एवं ज्ञात तथ्यों के अनुकूल होगा।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार स्वाराज्य शासन-प्रणाली का प्रचलन प्रतीची-दिशा (पश्चिम) के नीच्यो और अपाच्यो में था।^१ कुछ विद्वानों ने नीच्यो को सिन्ध नदी के मुहाने के समीप रखने का प्रयास किया है तथा अपाच्यों को उनका पड़ोसी माना है।^२ उत्तर-वैदिक युग की भौगोलिक परिधि इस बात को प्रमाणित करती है कि पंजाब से दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुये वैदिक-जन पश्चिमीय भारत के उपनिवेशीकरण के प्रति उदासीन रहे। इससे स्पष्ट है कि इस युग तक पश्चिमी भारत का अधिकांश वैदिक सस्कृति के प्रभाव क्षेत्र के बाहर था। इसके विपरीत इस क्षेत्र में अनार्य सैन्धव सस्कृति का अस्तित्व दीर्घ काल तक कायम रहा। रगपुर और लोथल के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित है कि सैन्धव-सस्कृति की परम्परायें पंजाब और सिन्ध में विनष्ट होने के पश्चात् भी पश्चिम में गुजरात और काठिया-वाड तक वैदिक सस्कृत के विकास-काल में भी जीवित रही। परिस्थितिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये पश्चिमीय प्रदेशों में प्रचलित स्वाराज्य शासन-पद्धति को सैन्धव-सास्कृतिक परम्पराओं से सम्बन्धित करना सर्वथा स्वाभाविक होगा। स्वराट वे थे जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ की थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्वाराज्य का अर्थ समान लोगों का नेता होना या ज्येष्ठ्य प्राप्त करना बतलाया गया है।^३ स्वराट शासक की स्थिति गण या सघ के सभापति की थी। महाभारत से यह ज्ञात होता है कि गणों के शासन में कतिपय कुलीन परिवारों का ही हाथ था जिनकी स्थितिसमान मानी जाती थी।^४ इस प्रकार स्वाराज्य एक कुलीन तन्त्रात्मक शासन-पद्धति प्रतीत होती है। इस प्रकार की शासन-पद्धति बौद्ध युग में लिच्छवियों में प्रचलित थी।

१. सायण ने नीच्य और अपाच्य शब्दों का प्रयोग कुत्सित अर्थ में माना है।

२. हिन्दू पालिटी, पृ० ८१।

३. तै० ब्रा० १३२२२, य एव विद्वान वाजपेयेन यजति गच्छति स्वाराज्यम्, अथ समानानापर्योति, तिष्ठन्ते = स्मे ज्येष्ठ्याय

४. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १०१०, श्लोक ६,
जात्या च सदृशा सवे क्रुजे सदृशास्तथा

उत्तर-वैदिक युग में विदेह में राजतंत्र का प्रचलन था किन्तु वीद्ध युग तक हम यहा गणतंत्र का आक्रामिक विकास देखते हैं। सम्भव है कि इस परिवर्तन के पीछेभी सैन्धव सस्कृति का प्रभाव रहा हो। इस अनुमान के लिये कोई प्रबल आधार तो नहीं है। किन्तु पुरातात्विक साक्ष्यों का सांकेतिक समर्थन अवश्य प्राप्त है। एक तरफ जहा स्वाराज्य शासन-प्रणाली और लिच्छवियों की शासन-प्रणाली में समानता मिलती है वही दूसरी ओर मोए-जोदडों से प्राप्त विद्यालय भवन एवं स्नानागार गैशाली के सथागार और अभिषेक पृष्ठकिणी की याद दिलाते हैं। सैन्धव सस्कृति के प्रभाव का सुदूर पूर्व में गैशाली तक पहुँचना असम्भव अवश्य प्रतीत होगा किन्तु उनकी भौतिक परम्पराओं का प्रभाव निश्चित रूप से कौशाम्बी तक दृष्टिगोचर होता है।^१ ऐसी स्थिति में इस प्रभाव का गैशाली तक पहुँचना असम्भाव्य नहीं है। दक्षिण-पश्चिम में प्रचलित भोज्य शासन-पद्धति भी स्वाराज्य से मिलती जुलती गणतन्त्रात्मक व्यवस्था थी। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार भोज्य शासन प्रणाली सत्वत (यादवों का ही पुराना नाम) लोगों में प्रचलित थी। जाय-सवाल महोदय ने गुजरात को भोज्य लोगों का प्राचीनतम निवास स्थान माना है।^२ भोज आज भी काठियावाड़ के एक देशी रियासत का नाम है। इसमें प्रतीत होता है कि भोज्य शासन पद्धति का प्रचलन दक्षिण-पश्चिम दिशा में था। ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक के लिये गुजरात को दक्षिण मानना अस्वाभाविक नहीं है। सम्भवतः भोज्य वे शासक थे जो वशानुगत न होकर एक निश्चित काल के लिये शासक होते थे। भोज्य शासन एक परिपद की सहायता से चलता था। महाभारत परिपद में होने वाले उग्र वाद-विवाद एवं सदस्यों की पारस्परिक स्पर्धा की भी सूचना देता है।^३ महाभारत से ज्ञात होता है कि वासुदेव कृष्ण ऐसे ही भोज्य सभ के प्रमुख थे जिसका संगठन अघक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज ने स्वयं को मिलाकर किया था।^४ उत्तर-वैदिक युग में सम्भवतः वीतहव्यों में भी भोज्य शासन-प्रणाली का ही प्रचलन था। अथर्ववेद में वीतहव्यों के सहस्त्रों की संख्या में शासन

१ जी० आर० शर्मा, एक्सकेवेमन्स एट कौशाम्बी, पृ० ६

२ हिन्दू पालिटी, पृ० ८०

३ शान्तिपर्व ८१ ७-११

४ यादवा कुकुराः भोजा सर्वचान्धकवृष्णय

स्वय्यायत्ता महाबाहो लोका लोकेश्वराश्चये। शान्तिपर्व ८१ २६

करने का उल्लेख है^१ जिससे उनकी गणतंत्रात्मक शासन-प्रणाली प्रमाणित होती है। इन वीतहव्यों का सम्बन्ध हैहव्यों से था जो यादवों की ही एक शाखा थे।^२ यादवों में भोज्य शासन प्रणाली का प्रचलन अप्रत्याख्य है। भोज्य-शासन पद्धति भी अधिकांशतः वैदिक संस्कृति से अप्रभावित प्रदेशों में प्रचलित होने के कारण तथा स्वाराज्य से मिलती जुलती होने के कारण अनार्य शासन पद्धति ही प्रतीत होती है। इस प्रसंग में यह बतलाना भी उचित होगा कि सहस्रों की सख्या में शासन करने वाले वीतहव्य घोर ब्राह्मण-विरोधी थे। अथर्ववेद में ब्राह्मणों के विरोध और शाप के कारण इनके विनाश की बात भी कही गई है।

राजतन्त्रात्मक शासन-पद्धति ही उत्तर-वैदिक युग की सामान्य तथा लोकप्रिय व्यवस्था थी। इस युग के राजाओं ने वैदिक कर्मकांडों में विशेष अभिरुचि दिखाई। राजनैतिक महत्त्व के विविध राजतन्त्र यज्ञों के प्रसंग में राजाओं की महत्त्वकांक्षा, उनके अधिकार और कर्तव्य आदि का साकेतिक उल्लेख भी हुआ है। ज्ञात तथ्यों के आधार पर यहाँ तक कहा जा सकता है कि राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के माध्यम से उत्तर-वैदिक काल में सर्वप्रथम राजा की अपेक्षाकृत अनियंत्रित सत्ता का विकास तथा जनता के शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। राजा की शक्ति केवल दैवी विधि-नियम द्वारा सीमित थी।^३

इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्रारम्भ में राजा के निर्वाचन की ही प्रथा सम्मान्य थी। ऋग्वेद में तो राजा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता ही है, अथर्ववेद में भी विश्व द्वारा अनुवर्षिक राजपद राजा के वरण की कामना की गई है।^४ किन्तु निर्वाचन की यह प्रथा उत्तर-वैदिक युग तक राज-शक्ति में वृद्धि, राज्य की विशालता तथा जनता की उदासीनता के कारण

१ अथर्व० ५.१८ १०, ये सहस्र अराजन्नासन् दश शता उत ते ब्राह्मणस्य गा जग्धा वीतहव्या पराभवन्

२ डा० राजवली पाण्डेय का लेख, 'इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस १९५२, भाग १, पृ० ७६-८५

३ वन्दोपाध्याय, डेवलपमेण्ट आव हिन्दू पालिटी एण्ड पोलिटिकल चियरी, पृ० १२५

४ अथर्ववेद ३ ४ २ 'त्वा विशो वृणुता राज्याय'।

धीरे-धीरे अव्यावहारिक हो चली थी। एतरेय ब्राह्मण (८ १२ ५, १७ ५) के अनुसार राजा को राजसूय के अवसर पर राज-पितृ भी कहा जाता था^१ जिसका तात्पर्य है 'भावी राजा के पिता'। इस विरुद्ध से राजपद का आनु-वशिक होना प्रमाणित होता है। शतपथ ब्राह्मण में दश पीढ़ियों से शासित राज्यों का उल्लेख है।^२ कुछ जनपद में भी वशानुगत शासन की परम्परा थी। इससे प्रतीत होता है कि इस युग में नृपतन्त्र सामान्यतः वशानुगत था। वर्ण व्यवस्था के विकास के कारण विविध वर्ण एवं व्यवसाय वशानुगत हो गये थे। पैत्रिक या वशानुगत व्यवसाय को ग्रहण करना ही धर्म समझा जाने लगा था। उत्तर-वैदिक युग में एक भी विश्वामित्र अथवा देवापि न हो सका जो पैत्रिक व्यवसाय का त्यागकर स्वतन्त्रतापूर्वक पौरोहित्य कर सके। ऐसी स्थिति में राजपद का आनुवशिक होना सामाजिक व्यवस्थापन के अनु-कूल भी था। राजा अब विश्व द्वारा निर्वाचित होने वाला जन का नेता नहीं था। वह स्वयं अब 'विशामत्ता' (विश्व का भक्षक) बन चुका था।^३ अब राजा को अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिये राजन्यो एवं अन्य सजात राज-पुत्रों की सहायता अपेक्षित थी। ये सजात राजपुत्र अक्सर प्रतिस्पर्धा से युक्त होने के कारण राजा के लिए विपत्ति हो जाते थे। आतृव्य शब्द का शत्रु-वाची अर्थ इसका संकेत करता है। हम जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पीछे आतृव्यों का संघर्ष ही था। सम्भवतः इन्हीं सजात राजपुत्रों को दृष्टि में रखते हुये राजा के लिए 'असपत्न' होने की कामना की गई है।^४ शतपथ ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि राजा वही हो सकता है, जिसे राजा लोग स्वी-कार करें, दूसरा नहीं हो सकता।^५ यहाँ राजानः राजन्य का पर्यायवाची प्रतीत होता है जिनका समर्थन राजा को अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिये अनिवार्य था। अथर्ववेद के एक मन्त्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बहुधा कतिपय कारणों से प्रजा ही राजा को निर्वासित भी कर सकती थी तथा यदि जनता उसे पुनः राजपद पर प्रतिष्ठित करना चाहे तो

१ ऐत० ना० ८ १२ राजान राजपितर ।

२ शत० ब्रा० १२ ६ ३ ३

३ ऐत० ना० ३८ और ३६ ३

४ यजुर्वेद ६ ४०

५. शत० ब्रा० ६ ३ ४ ५ यस्मै वा राजानो राज्यमनुमन्यते स राजा भवति नस्यस्मै न ।

उसे वापस भी बुलाया जा सकता था ।^१ किन्तु इस प्रसंग में न तो जनता द्वारा निर्वासन का ही कोई संकेत है और न तो जनता द्वारा उसके पुनः राजपद पर प्रतिष्ठित होने का ही । उक्त मन्त्र में यह कहा गया है कि 'वह जो अन्य क्षेत्र में अवसृज्य है, वह श्येन द्वारा पराये स्थान से पुनः यहाँ लाया जायगा । अश्विन उसके लिए मार्ग को सुगम कर देंगे । सब सजात उसके चारों ओर एकत्र होंगे' । सायणाचार्य के भाष्य से स्पष्ट है कि इस मन्त्र में शत्रुत्सादित राजा का उल्लेख है न कि जनता द्वारा निर्वासित राजा का । इस सूक्त में राजा के पुनरागमन तथा राज्यप्राप्ति के पीछे भी सजातों की सहायता का ही संकेत है न कि विश्व के ।

इस युग में राजाओं की शक्ति का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है । अथर्ववेद में उसे योद्धाओं में श्रेष्ठ, धनपति और जनता का स्वामी कहा गया है ।^२ राजसूय के एक अनुष्ठान के अनुसार ब्राह्मण, राजशक्ति का विस्तार क्षत्रिय, वैश्य प्रत्येक राजा के लिये एक गाय एवं राजा के विशेषाधिकार छोड़ता है ।^३ इसका तात्पर्य यह है कि राजा का प्रभुत्व प्रत्येक वर्ण पर है । उसके क्रोध का आतंक भी क्रमशः बढ़ता जा रहा था ।^४ शतपथ ब्राह्मण (५४३२१) में अभिषिक्त राजा के सम्बन्ध में कहा गया है कि "जिसका अभिषेक हो गया है वह अब महान हो गया है पृथ्वी अब उससे भय खाती है ।" यहाँ पृथ्वी का भय निश्चित रूप से राष्ट्र का भय है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजा की सत्ता सर्वंकष हो चुकी थी । वह राज्य के सम्पूर्ण क्रिया-चक्र का केन्द्र समझा जाने लगा था ।^५ शतपथ ब्राह्मण (५२१२५) में भी इसी भाव को प्रकट करते हुये कहा गया है कि 'यह तुम्हारा राष्ट्र है, तुम इसके नियामक और धारणकर्ता हो ।'^६ इस युग में हम राजाओं के व्यक्तित्व में दैवी गुणों एवं विशेषणों का भी आरोप पाते हैं । राजा को

१ अथर्व० ३३.५

२ अथर्व० ४२२

३ तै० स० १८.२६, तै० ब्रा० १.७.१७

४ अथर्व० ६४७२ अन्यत्र राज्ञामभियातु मनु ।

५ क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नामिरसि । शुक्ल यजुर्वेद २०.१

६ इदं ते राष्ट्रं यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि धरुणः ।

वरुण के समान धर्मपति कहा गया है। इसके साथ ही इन्द्र की उपाधियाँ भी राजा को लगाई जाने लगी थी।^१ राज्याभिषेक के अवसर पर पुरोहित कहता है कि भगवान सविता के ही आदेश से अभिषेक किया जाता है तथा यह अभिषेक मनुष्य द्वारा न होकर पूषन और अश्विनी कुमारी द्वारा ही सम्पन्न होता है। ऐसा विश्वास था कि अभिषेक के समय राजा के शरीर में अग्नि और सविता और बृहस्पति देवता प्रवेश करते हैं। बहुसंख्यक प्रजा द्वारा राजाज्ञा के पालन का एक कारण यह बतलाया गया है कि राजा प्रजापति का प्रत्यक्षरूप है।^२ इस प्रकार आशिक रूप से राजाओं के देवत्व की कल्पना भी प्रारम्भ हो गयी थी। अथर्ववेद के एक उत्तरकालीन सूक्त में (२० १२७ ७) राजा परीक्षित को स्पष्ट रूप से मर्त्यों का देवता कहा गया है।

ब्राह्मण युग तक राजा अपने वर्द्धमान प्रभाव के कारण अदृश्य भी समझा जाने लगा था। राजसूय के एक कृत्य के अनुसार पुरोहित एक दंड से बहुत कोमलतापूर्वक राजा के पीठ का स्पर्श करता था। श्री काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार इस प्रतीकात्मक अनुष्ठान द्वारा यह सूचित किया जाता था कि राजा न्याय या दंड के ऊपर नहीं बल्कि उसके अधीन है।^३ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.४.४७) के अनुसार इसके द्वारा राजा का शरीर दंड-वध से परे हो जाता है।^४ यही आशय कात्यायन श्रौतसूत्र में भी प्रकट किया गया है।^५ इन दोनों उद्धरणों की प्रामाणिकता को दृष्टि में रखने पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि इस अनुष्ठान द्वारा पुरोहित न्याय के समक्ष राजा के अदृश्य होने की ही घोषणा करता था।^६ राजा का यह न्याय-विषयक विशेषाधिकार उस वातावरण में असम्भव नहीं प्रतीत होता जिसमें वह ऋत के रक्षक वरुण की भाँति साक्षात् धर्मपति

१ ऐत० ब्रा० ८ २

२ शत० ब्रा० ५ १ ५ १४, एष वै प्रजापतेः प्रत्यक्षतमो यद्राजन्य

३ हिन्दू पालिटी, पृ० २१७

४ शत० ब्रा० ५ ४ ४७, अथैनं पृष्ठत तूष्णीमेव दण्डैर्न्यन्ति दण्डवधमति-
नयन्ति तस्मात् राजा दण्ड्यो यदेन दण्डवधमतिनयन्ति।

५ का० श्रौत० सू० १५ ७.६, पाप्मान ते पृह्मोति त्वा वधम् न
यामिति वा।

६ द्र० यू० एन० घोषाल, हिस्टोरियोग्राफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २६६

समझा जाने लगा था । इस कृत्य को पुरोहित के प्रभुत्व का द्योतक मानना^१ अथवा आदिम परम्परा का अवशेष मानना^२ अनावश्यक कल्पनायें हैं ।

इस बढ़ती हुई राजशक्ति का तत्कालीन सामाजिक-व्यवस्था पर प्रबल प्रभाव पड़ा । राजनैतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रियों के गौरव में वृद्धि हुई । ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न वर्णों तथा राजा के सम्बन्ध का संकेत करते हुए राजा को ब्राह्मण को इच्छानुसार निष्कासित करनेवाला, वैश्य का भक्षक तथा शूद्र का यथाकाम वध करने वाला कहा गया है ।^३ विचारणीय है कि इस प्रसंग में राजा का प्रभाव क्षत्रिय वर्ण पर नहीं दिखालाया गया है क्योंकि वह स्वयं क्षत्रियों का ही प्रतिनिधि था । ऐसी स्थिति में उत्तर वैदिक साहित्य में क्षत्रियों की सामाजिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन सर्वथा स्वाभाविक है । वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि समाज में सबसे ऊँचा स्थान क्षत्रीय का है, ब्राह्मण का स्थान उसके नीचे है ।^४ इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि राजा जो चाहता है ब्राह्मण को वही करना पड़ता है ।^५ क्षत्रियों की इस वर्धमान प्रभुता तथा सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध वैश्य और शूद्र तो नहीं कर सके किन्तु धर्म-प्राण प्रजा के पूज्य धर्माधिकारियों में इसकी प्रतिक्रिया अवश्य हुई । ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की बढ़ती हुई शक्ति के प्रतिरोध का विशेष प्रयास तो नहीं किया क्योंकि शक्ति-शाली राजन्य ब्राह्मण और धर्म दोनों का गोप्ता समझा जाता था^६ किन्तु उन्होंने क्षत्रियों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने का भरभूर प्रयत्न किया । राजसूय के प्रकरण में देवपुर्हविषी नामक अनुष्ठान के प्रसंग में पुरोहित एकत्र लोगों से कहता था 'हे मनुष्यों, यह तुम्हारा राजा है । हम ब्राह्मणों का राजा सोम है ।'^७ शतपथ ब्राह्मण में इसे स्पष्ट करते हुये कहा

१ वेवर, पूर्ण निर्दिष्ट पुस्तक, पृ० २ पर उद्धृत

२ आर० एस० शर्मा एस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १२३

३ ऐत० ब्रा० ७ २६

४ तत्समात्क्षत्रात्पर नास्ति तस्माद् ब्राह्मण क्षत्रियमवस्तादुपास्ते, १. ४ १०

५ यदा वै राजा कामयते अथ ब्राह्मणं जिज्जनाति । ३ ६. १४

६ घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३३७

७ सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ।

वाज० सं० ६ ४० तै० सं० १८, १९, तै० ब्रा० १ ७ ४, आदि

है कि ब्राह्मण को पार्थिव नरेश के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त करने का तात्पर्य यह है कि राजा को कर ब्राह्मणोत्तर लोगों से ही लेना चाहिये।^१ उत्तर-वैदिक युगीन ब्राह्मणों की यह मान्यताविरल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (१३ ६ २. १८) में स्पष्ट कहा गया है कि राजा अपनी सम्पूर्ण भूमि पुरोहितों को दान में देता है तब उस दान के अन्तर्गत ब्राह्मण की सम्पत्ति नहीं आती। वशिष्ठ ने अपने धर्मशास्त्र (१ ४४) में सम्भवत इन्हीं वैदिक प्रसंगों के आधार पर यह नियम बना डाला कि राजा को ब्राह्मण पर कर नहीं लगाना चाहिए तथा गौतम धर्मसूत्र में कहा गया कि राजा का शासन ब्राह्मण वर्ग पर नहीं चल सकता।^२ शतपथ के निर्देश तथा उत्तर-वैदिक सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुये यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि 'राजसूय के अवसर पर पुरोहित द्वारा कहे गये उपर्युक्तवाक्य में राजा को ही सोम (देवता) कहा गया है तथा इस कथन द्वारा राजा की ही श्रेष्ठता व्यक्त की गई है न कि ब्राह्मण की राजसत्ता से मुक्ति'।^३ इतना ही नहीं ब्राह्मण वर्ग ने अपनी सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राजन्य राष्ट्र से प्रभु थे। उनके सम्मुख बिना उनकी सहमति के अपनी श्रेष्ठता को स्थिर रखना कठिन था। इसलिये राजा द्वारा ब्राह्मण के समक्ष अपनी हीनता का प्रदर्शन तथा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का स्वीकरण ही राजा और राष्ट्र दोनों के अभ्युदय का कारण बतलाया गया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो राजा ब्राह्मण के प्रति नम्र होता है वही शत्रु के लिये बलशाली सिद्ध होता है।^४ इसी भाष्य का एक मन्त्रश्रुवेद में भी मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो राजा पुरोहित का यथेष्ट सम्मान करता है वह शत्रुओं पर विजय तथा प्रजा से सम्मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में भी राजा का ब्राह्मण के वशीभूत होना राष्ट्र के लिये समृद्धजनक एवं श्रेयस्कर कहा गया।^५ राज्याभिषेक के अवसर पर राजा तीन

१ शत० ब्रा० ५ ४ २ ३,

२ राजावै सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम् । १. ११

३. हीस्टरमन—दी ऐन्शयेन्ट इरिडियन रायल कन्शकेशन, पृ० ७७-७८
जायसवाल—'हिन्दू राजतन्त्र', खण्ड २, पृ० ५०-५३

४ शत० ब्रा० ५ ४ ४ १५

५. ऐत० ब्रा० ८.६, तद्यत्र वै ब्राह्मण क्षत्र वशमेति तद्वाष्ट्र समृद्ध तद्वीरवदाह।

वार ब्राह्मण को नमस्कार करता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जब तक वह ऐसा करता है, तभी तक उसकी समृद्धि होती है।^१ इस युग में ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे भी नियम बनाये जिससे राजनीति में भी उनका प्रवेश अपरिहार्य हो गया। एक तरफ जहाँ उन्होंने अपनी सामाजिक प्रधानता तथा विशिष्ट स्थिति का प्रतिपादन किया वहीं अनिवार्य अनुग्रह द्वारा राजाओं को कृतज्ञ तथा नम्र बनाये रखने का व्यावहारिक प्रयास भी किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह स्थापना मिलती है कि बिना पुरोहित के देवता राजा की बलि स्वीकार नहीं करते।^२ शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त राजसूय के विवरण से भी स्पष्ट है कि राजा को अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिये समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग की आवश्यकता थी तथा देवताओं की कृपा भी अपेक्षित थी। पुरोहित जनमत को भी राजा के अनुकुल करता था और साथ ही यज्ञों द्वारा राजा को देवी अनुग्रह का पात्र भी बनाता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जिस राजा के राज्य का गोप्ता ब्राह्मण पुरोहित हो वहीं अपनी शक्तिसे विजय प्राप्त करता है तथा उसी को विश भी एकमत से स्वीकार करती है।^३ राजनैतिक जीवन में ब्राह्मणों की यह महत्ता केवल सैद्धान्तिक नहीं थी। व्यावहारिक जीवन में भी अधिकांशतः इसे 'स्वीकृत किया गया था। शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी ग्रन्थों में रत्नियों की सूची में पुरोहित का ही नाम प्रथम है। राजसूय के अवसर पर यज्ञिय तलवार को क्रमशः अनेक उपस्थित लोग धारण करते थे। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार सर्वप्रथम अश्वयुज ही उसे ग्रहण करता था तथा तत्पश्चात् राजा को देता था। शतपथ ब्राह्मण (४४.१५.१६) में इस कृत्य का अभिप्राय बतलाते हुये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तलवार को अपने से निम्न स्तर वाले व्यक्ति को देता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि उत्तर-वैदिक युग में सामाजिक जीवन की भाँति ही राजनैतिक जीवन में भी ब्राह्मण पुरोहित का पर्याप्त प्रभाव था^४ किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं

१ ऐत० ब्रा० ८.१, स (नुपः) यन्ममो ब्रह्मणे इति त्रिस्तुत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति ब्रह्मण एव तत्सन्न वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्धं तद्दीरवदाह ।

२ तै० ब्रा० १.७.१

३ ऐत० ब्रा० ८.२५, यस्येव विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोप पुरोहित तन्मं विशः सजानत समुखा एकमनसो ।

४ देखिए घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३२२

है कि इस युग में राज्य के ऊपर धर्म का अथवा राजा के समक्ष ब्राह्मण का प्रभाव एक पूर्णतः मान्य स्थिति थी। यत्र-तत्र ब्राह्मण ग्रन्थों में ही राजनैतिक महत्त्व के अवसरों पर पुरोहित का स्थान गौण तथा अन्य पदाधिकारियों का स्थान प्रमुख दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण रत्नियों की सूची में पुरोहित के पहले सेनानी को स्थान देता है,^१ तथा पचविंश ब्राह्मण में वीरो का उल्लेख करते हुये पुरोहित का नाम राज-भ्राता और राज-पुत्र के बाद रखा गया है। कृष्ण-मज्जवेद में यज्ञिय तलवार के क्रमिक हस्तांतरण के प्रसंग में शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत राजा का नाम प्रथम और पुरोहित से पूर्व है।^२ इससे स्पष्ट है कि वैदिक पुरोहित लेखकों के अनुसार भी राज्य पूर्णतया सम्प्रदाय अथवा धर्म द्वारा अनुशासित नहीं था।^३ दूसरे इस युग में ऐसे शासक भी अज्ञात नहीं थे जिन्होंने ब्राह्मणों में विरुद्ध आचरण किये। ब्राह्मणों की गाय छीननेवाले राजा के लिए जो भयकर शाप उच्चरित हुए हैं उनके लक्ष्य ऐसे ही राजे रहे होंगे^४ जो धर्मगुरुओं द्वारा राज्य में हस्तक्षेप का विरोध करते थे। ऐसी स्थिति में ही राज्य और धर्म का संघर्ष हुआ होगा। निश्चय ही अपने विशेषाधिकारों का विरोध करनेवाले राजाओं को ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया होगा तथा उनके पतन के लिए षड्यन्त्र भी किये होंगे। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसे अनेक उल्लेख हैं कि ब्राह्मणों के विरोध के कारण राजाओं को राज्य तथा सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों के प्रति अनुचित व्यवहार किया जिसके कारण उन्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ी। इसी प्रकार दस पीढ़ी से शासनारूढ़ सृज्यों का राज्य नष्ट हो गया। महाभारत में भी ब्राह्मण विरोधी राजाओं के पतन की अनेक कथाएँ उपलब्ध हैं।^५

जैसा कि ऊपर भी संकेत किया जा चुका है, उत्तर वैदिक कालीन राजतंत्र से समिति जैसी लोकसंस्थाओं के लोप के कारण राजसंस्था पर बाह्य अक्रुश का अभाव था। कुछ विद्वानों ने राजसूय के प्रसंग में उल्लिखित रत्नियों को समिति का निर्वाचित प्रतिनिधि सिद्ध करने का प्रयास किया।

१ शत० ब्रा० ५३१

२ पच० ब्रा० १६१४

३ धीपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०५

४ अथर्ववेद १२५, १३.१ १-२५

५ द्र० प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, पृ० ८३

है।^१ किन्तु जैसा कि हम आगे विचार करेंगे, रत्निन केवल राज्य-कर्मचारी थे। प्रमाणों की दृष्टि में रखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि शासन में

महत्वपूर्ण स्थिति रखते हुये भी रत्निन लोग राज-राजशक्ति की मर्यादा शक्ति को मर्यादित करने में समर्थ थे। राजा की एवं राजा के कर्तव्य प्रभुता सर्वोपरि थी। सम्पूर्ण विश्व पर उसका प्रभाव था।^२ अपनी स्थिति का लाभ उठा कर कुछ राजे

निरंकुश और आततायी भी हो जाते थे। वैदिक साहित्य में ऐसे राजाओं की घोर निन्दा की गई है। अथर्ववेद (५.१६ १५) का कथन है कि अधार्मिक राजा के राज्य में वर्षा नहीं होती, और उसे समिति तथा मित्र-वर्ग का सहयोग नहीं प्राप्त होता। शनपथ ब्राह्मण में उन राजा के लिये 'राष्ट्रिय' शब्द का प्रयोग हुआ है जो निरंकुशतापूर्वक राष्ट्र के साधनोंका प्रयोग एकमात्र अपने लिये करता है। वहीं पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार यव को हरिण खा जाता है उसी प्रकार निरंकुश और अत्याचारी राजा प्रजा को-खा डालता है। साथ ही, जिस प्रकार शिकारी पशु पशु का वध कर डालता है उसी प्रकार निरंकुश राजा प्रजा को नहीं छोड़ता।^३ किन्तु सामान्यतः राजा देवी पुरातन नियमों तथा सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध आचरण नहीं करता था।^४ विधिनियम साक्षात् देवदत्त माने जाते थे और यह अनियमित समझा जाता था कि राजा उनका पालन करे। धर्म से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है अतः धर्म का पालन राजा का नित्य और आवश्यक कर्तव्य था।^५ इस धर्म के निरूपक ऋषि थे न कि राजा। आपाततः राजा की शक्ति अनियंत्रित और अमर्यादित अवश्य थी किन्तु वास्तव में उसका शासन पूर्णतया समाज द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदर्शों के अनुरूप होने के कारण पर्याप्त रूप से मर्यादित और लोकमतापेक्षी होता था। जनता के धर्मभीरु होने के कारण राजा समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं को नहीं तोड़ सकता था। संसार के सर्वप्रथम राजा वरुण को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि श्रुति स्मृतियों में जो धर्म कहा गया है, उसका पूरा पालन करूँगा

१. हिन्दू राजतंत्र, भाग २, पृ० ३४

२. अथर्ववेद ४.२० ७

३. शत० ब्रा० १३.२.३.८

४. घोपाल-स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३४६

५. 'तदेतन्नस्य क्षत्रं यदधर्मस्तस्माद्धर्मोपरि नास्ति,'-श्रु० उप० १.४.१४

श्रीर कभी मनमानी नहीं करूँगा ।^१ सामाजिक नियम राजा की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण थे । राजा वरुण की भाति धर्मपति समझा जाता था^२ इसका तात्पर्य है कि वरुण की भाति ही राजा द्वारा 'श्रद्धा' की रक्षा की कामना की जाती थी । ऐसी स्थिति में भला राजा स्वयं धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किस प्रकार कर सकता था । धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले राजाओं के लिये पदभ्रष्ट होने का भय सदैव बना रहता था । इस बात के उदाहरण हम दे चुके हैं कि किस प्रकार धर्माधिकारियों के विरोध के कारण अनेक राजाओं एवं राजवंशों को राज्य च्युत होना पड़ा । शतपथ ब्राह्मण (५४३२१) में स्पष्ट कहा गया है कि राजा शक्तिशाली होते हुए भी पृथ्वी से भय खाता है कि कहीं पृथ्वी उसे पद-भ्रष्ट न कर दे । इसीलिये राजा पृथ्वी अर्थात् राष्ट्र के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुये कहता था 'पृथ्वी तू मेरी माता है । न तू मेरी हत्या कर और न मैं तुम्हारी हत्या करूँ' ।^३ इस प्रसंग में राज्यारोहण के समय राजा द्वारा की गई एक प्रतिज्ञा विशेष महत्वपूर्ण है । राजा श्रद्धासहित यह प्रतिज्ञा करता था कि 'जिस रात्रि में मैं पैदा हुआ हूँ तथा जिस रात्रि में मैं मरूँगा, इन दोनों के बीच जितने भी यज्ञ व अनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा स्वर्ग लोक और अपनी सन्तान से वंचित हो जाऊँ, यदि तुमसे द्रोह करूँ ।'^४ वेबर महोदय ने तथा श्री घोषाल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि इस प्रसंग में राजा जो प्रतिज्ञा करता था वह ब्राह्मण पुरोहित के प्रति होती थी ।^५ उनके अनुसार इससे केवल ब्राह्मणों की उस अहमन्यता का बोध होता है जिसके द्वारा वे राजा को अपने प्रति विनीत बनाने की कोशिश करते थे । किन्तु राजसूय के अवसर पर समाज व विविध वर्गों के लोग उपस्थित रहते थे । उन सबके प्रति राजा का उत्तरदायित्व था । राज्य उसे पुरोहित अकेला नहीं प्रदान करता था । ऐसी स्थितिमें राजसूय जैसे सांख्यिक महत्व के अवसर पर राजा द्वारा केवल पुरोहित के प्रति अपनी श्रद्धा और कर्तव्यपरायणता दिखलाना सर्वथा अस्वाभाविक और विचित्र

१. महामारत १२४६११६

२. शत० ब्रा० ५३३-६ और ६

३. पृथिवि मातर्मा हिसीर्मा हत्वाम् इति ।—शत० ब्रा० ५४३२०

४. ऐत० ब्रा० ८३१५, या च रात्रिमजायेऽह या च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेण इष्टापूर्तं मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृजीया यदि ते द्रुह्येयमिति ।

५. वेबर, स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३३० पर उद्धृत

लगता है। जायसवाल तथा रमेशचन्द्र मजुमदार का यह मत अधिक ऐतिहासिक और ग्राह्य प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित के माध्यम से सम्पूर्ण जनता के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा के सूचनार्थ इस प्रतिज्ञा को दुहराता था।^१ प्राचीन जातियों में प्रजा के प्रति राजा की इस प्रकार की प्रतिज्ञा अन्य देशों में भी मिलती है। मैक्सिको लोगों में राजा सिंहासनारोहण के समय यह प्रतिज्ञा करता था कि उसके राज्य-काल में सूर्य में प्रकाश, बादलों में जल, नदियों में प्रवाह और धरती में उर्वरा शक्ति की प्रचुरता रहेगी।^२ इस प्रतिज्ञा में प्रजा और राष्ट्र दोनों के प्रति राजा की निष्ठा प्रकट होती है। साथ ही इस बात का भी संकेत मिलता है कि राजा किस प्रकार अपने कर्तव्य के बन्धन में बंधा होता था। कर्तव्यपरायणता स्वयं राजा की निरंकुशता को मर्यादित करने में काफी हद तक समर्थ थी। राजा की कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही अथर्ववेद में उसे राष्ट्र-भृत्य माना गया है।^३ एक प्राचीन धर्मसूत्र लेखक के अनुसार राजा वास्तव में प्रजा का सेवक है और प्रजा की आय का छठा भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता है।^४

जब हम राजा के प्रमुख कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों पर विचार करते हैं तो स्वभावतः राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में भी वैदिक दृष्टिकोण का अनुमान इस प्रसंग में होता है। राजा का प्रमुख कर्तव्य युद्ध काल में शत्रुओं से रक्षा और शान्ति-काल में प्रजापालन था।^५ स्वहित चिन्तन की प्रधानता के कारण पुरोहितों ने खासतौर पर राजा को 'ब्राह्मणों का गोप्ता' ही रखा। धर्मसूत्रकारों ने राजा के सुरक्षा कार्य को विशेष महत्व प्रदान करते हुये कहा है कि राजा का कर्तव्य प्रजा का संरक्षण है जिसके लिये उसे प्रजा की आय का छठा भाग वेतन के रूप में मिलता है।^६ किन्तु राजा का कार्य क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं था। राजा वरुण की भाँति धृत-व्रत,

१. जायसवाल—हिन्दू राजतन्त्र, भाग २,

मजुमदार—ऐन्सायेन्ट इण्डिया, पृ० ७६

२. फ्रेजर—गोल्डेन बाऊ, पृ० ८७

३. अथर्व० १६ ३७ ३

४. वी० धर्म० सू० १ १०.

५. ऋ० ३ ४३ ५ गोपा जनस्य

६. वी० धर्म० सू० १.१०.६

नियम और व्यवस्था का संरक्षक, साधुओं का प्रतिपालक और दुष्टों को दंड देने वाला समझा जाता था ।^१ धर्म का सम्बर्धन, सदाचार को प्रोत्साहन तथा ज्ञान का संरक्षण प्रत्येक राज्य के लिये गौरव का विषय था ।^२ राज्य और राजा की स्थिति का उद्देश्य प्रजा का सवागीण विकास ही समझा जाता था । अथर्ववेद (१६.८ १-२) का कथन इस बात की पुष्टि करता है । इन मंत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस योग्य पुरुष को चुनने से हमारी विजय होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारा आरोग्य बढ़ेगा, हमारा तेज, हमारा ज्ञान और हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा, हमारे पशु पुष्ट होंगे, हमारी सन्तति ठीक होगी और शूर-वीर पुरुष हमारे पास रहेंगे । राजा का वरुण की भांति धर्मपति होना राजा के न्याय सम्बन्धी अधिकारों का भी संकेत करता है । न्याय-कार्य से वरुण का सम्बन्ध ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में उल्लिखित उनके गुणचरों (स्पर्श) से प्रकट होता है । वरुण के गुणों एवं विशेषणों का राजा पर आरोप इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तरवैदिक युग तक राजा का न्याय सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त विस्तृत हो चुका था ।^३ वैदिक शासक प्रजा की भौतिक उन्नति के प्रति भी सजग और सचेष्ट रहता था । राजसूय के अवसर पर जब प्रथम बार राजा सिंहासन पर बैठता था तब पुरोहित उसे कहता था कि कृषि कर्म के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिये और पीपण के लिये यह राज्य तुम्हें दिया जाता है ।^४ इससे स्पष्ट है कि प्रजा की समृद्धि और सुख में सम्बर्धन राजा का प्रमुख कर्त्तव्य था । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण (५ २ १ २५) के अनुसार राजा के सिंहासनारोहण का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण ही है । इस प्रसंग में हमें जनकल्याणकारी राज्य को जन्म देनेवाली धारणाओं का बीज दिखाई देता है । अथर्ववेद (२० ११७ ६ १०) में परीक्षित के सफल शासन में प्रजा के सुख-समृद्धि का उल्लेख है । इसी अर्थ (३ ४ ४) में यह आशा प्रकट की गई है कि राजा वैभव की वृद्धि करेगा तथा प्रजा में समान रूप से उसका

१ शत० ब्रा० ५ ३ ३.६ और ६

२. छान्दोग्य ५ ११-५, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्ययो

नानाहिताग्निर्वा विदाम्न स्वैरी स्वैरिणी कुत ।

३ घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१८-१९

काठक सं० २८.४, तस्माद्राज्येनाप्यक्षेण वैश्यं घ्नन्ति।

४ - शत० ब्रा० ५ २ १ २५ कृष्णं त्वाक्षेमाय त्वा र य्यै त्वा पोषायस्व ।

लगता है। जायसवाल तथा रमेशचन्द्र मजुमदार का यह मत अधिक ऐतिहासिक और ग्राह्य प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित के माध्यम से सम्पूर्ण जनता के प्रति अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा के सूचनार्थ इस प्रतिज्ञा को दुहराता था।^१ प्राचीन जातियों में प्रजा के प्रति राजा की इस प्रकार की प्रतिज्ञा अन्य देशों में भी मिलती है। मैक्सिको लोगों में राजा सिंहासनारोहण के समय यह प्रतिज्ञा करता था कि उसके राज्य-क्षेत्र में सूर्य में प्रकाश, बादलों में जल, नदियों में प्रवाह और धरती में उर्वरा शक्ति की प्रचुरता रहेगी।^२ इस प्रतिज्ञा में प्रजा और राष्ट्र दोनों के प्रति राजा की निष्ठा प्रकट होती है। साथ ही इस बात का भी संकेत मिलता है कि राजा किस प्रकार अपने कर्त्तव्य के बन्धन में बंधा होता था। कर्त्तव्यपरायणता स्वयं राजा की निरंकुशता को मर्यादित करने में काफी हद तक समर्थ थी। राजा की कर्त्तव्यनिष्ठा के कारण ही अथर्ववेद में उसे राष्ट्र-भृत्य माना गया है।^३ एक प्राचीन धर्मसूत्र लेखक के अनुसार राजा वास्तव में प्रजा का सेवक है और प्रजा की आय का छठा भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता है।^४

जब हम राजा के प्रमुख कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों पर विचार करते हैं तो स्वभावतः राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में भी वैदिक दृष्टिकोण का

अनुमान इस प्रसंग में होता है। राजा का प्रमुख

राजा के कर्त्तव्य कर्त्तव्य युद्ध काल में शत्रुओं से रक्षा और शान्ति-काल में प्रजापालन था।^५ स्वहित चिन्तन की प्रघा-

नता के कारण पुरोहितों ने खासतौर पर राजा को 'ब्राह्मणों का गोप्ता' ही रखा। धर्मसूत्रकारों ने राजा के सुरक्षा कार्य को विशेष महत्व प्रदान करते हुये कहा है कि राजा का कर्त्तव्य प्रजा का संरक्षण है जिसके लिये उसे प्रजा की आय का छठा भाग वेतन के रूप में मिलता है।^६ किन्तु राजा का कार्य क्षेत्र यही तक सीमित नहीं था। राजा वरुण की भाँति घृत-व्रत,

१. जायसवाल—हिन्दू राजतन्त्र, भाग २,

मजुमदार—ऐन्सायेन्ट इण्डिया, पृ० ७६

२. फ्रेजर—गोल्डेन बाऊ, पृ० ८७

३. अथर्व० १६ ३७ ३

४. वी० धर्म० सू० १.१०.

५. ऋ० ३ ४३ ५ गोपा जनस्य

६. वीधायन १.१० ६

नियम और व्यवस्था का संरक्षक, साधुओं का प्रतिपालक और दुष्टों को दह-
 देने वाला समझा जाता था ।^१ धर्म का सम्बर्धन, सदाचार को प्रोत्साहन
 तथा ज्ञान का संरक्षण प्रत्येक राज्य के लिये गौरव का विषय था ।^२ राज्य
 और राजा की स्थिति का उद्देश्य प्रजा का सवागीण विकास ही समझा
 जाता था । अथर्ववेद (१६.८ १-२) का कथन इस बात की पुष्टि करता
 है । इन मन्त्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस योग्य पुरुष को चुनने
 से हमारी विजय होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारा आरोग्य बढ़ेगा, हमारा
 तेज, हमारा ज्ञान और हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा,
 हमारे पशु पुष्ट होंगे, हमारी सन्तति ठीक होगी और शूर-वीर पुरुष हमारे
 पास रहेंगे । राजा का वरुण की भाँति धर्मपति होना राजा के न्याय सम्बन्धी
 अधिकारों का भी संकेत करता है । न्याय-कार्य से वरुण का सम्बन्ध ऋग्वेद
 तथा अथर्ववेद में उल्लिखित उनके गुणचरो (स्फश) से प्रकट होता है ।
 वरुण के गुणों एवं विशेषणों का राजा पर आरोप इस बात की पुष्टि करता
 है कि उत्तरवैदिक युग तक राजा का न्याय सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त
 विस्तृत हो चुका था ।^३ वैदिक शासक प्रजा की भौतिक उन्नति के प्रति भी
 सजग और सचेष्ट रहता था । राजसूय के अवसर पर जब प्रथम बार राजा
 सिंहासन पर बैठता था तब पुरोहित उसे कहता था कि कृषि कर्म के लिए,
 कल्याण के लिए, समृद्धि के लिये और पोषण के लिये यह राज्य तुम्हे दिया
 जाता है ।^४ इससे स्पष्ट है कि प्रजा की समृद्धि और सुख में सम्बर्धन राजा
 का प्रमुख कर्त्तव्य था । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण (५.२.१.२५) के अनुसार
 राजा के सिंहासनारोहण का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण ही है । इस प्रसंग में
 हमें जनकल्याणकारी राज्य की जन्म देनेवाली धारणाओं का बीज दिखाई
 देता है । अथर्ववेद (२०.११७.६.१०) में परीक्षित के सफल शासन में प्रजा
 के सुख-समृद्धि का उल्लेख है । इसी ग्रंथ (३.४.४) में यह आशा प्रकट की
 गई है कि राजा वैभव की वृद्धि करेगा तथा प्रजा में समान रूप से उसका

१ शत० ब्रा० ५.३.३६ और ६

२. छान्दोग्य ५.११.५, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्ययो
 नानाहिताग्निर्वा विदाम्न स्वैरी स्वैरिणी कुत ।

३ धोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१८-१९
 काठक स० २८.४, तस्माद्राजन्येनाध्यक्षेण वैश्यं घ्नन्ति।

४ — शत० ब्रा० ५.२.१.२५ कृण्वै त्वाक्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषायस्व ।

वितरण करेगा। सौभाग्य से उत्तर-वैदिक युग धर्मपरायण, विद्वान् एवं दार्शनिक राजाओं का युग था जिनकी कर्तव्यनिष्ठा एवं जनकल्याण की भावना में सन्देह नहीं किया जा सकता।

धर्मप्रधान होने के कारण वैदिक वाङ्मय से राज्यों की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता।

राज्यों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में राजकीय आय के साधन अत्यन्त सीमित थे। लोग स्वेच्छा-

पूर्वक जो बलि राजा को उन्महारस्वरूप देते थे वही उसे कर के रूप में प्राप्त होता था।^१ ऐसी स्थिति में राजा को अपने कर्मचारियों तथा अनुयायियों का भरण-पोषण अपनी ही भूमि, चरागाहों और गोधन से प्राप्त होने वाली आय से करना पड़ता था। युद्ध में पराजित शत्रुओं की सम्पत्ति अवश्य कभी कभी राजा की आय में वृद्धि का कारण बनती थी। राज्य-भ्रष्ट राजा के पुनः राज्य प्राप्ति के समय प्रार्थना की जाती थी कि इन्द्र उसे प्रजा से बलि प्राप्त करने में सहायता दें^२ तथा उसे प्रजा में प्रचुर उपहार और बलि प्राप्त हो।^३ किन्तु ब्राह्मण साहित्य में राजा द्वारा प्रजा से कर लेने के अधिकार को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई। इस युग तक ऐच्छिक बलि का स्थान नियमित भाग ने ले लिया। राज्य के द्वारा नियुक्त भाग धुक नामक अधिकारी राजकीय कर की वसूली करता था। राज्याभिषेक के प्रसंग में राजा को 'विशामत्ता' कहा गया है इससे भी यह सिद्ध होता है कि राजा नियमित रूप से प्रजा से कर लेने लगा था। इस युग में कर का अधिकांश बोझ वैश्यों पर ही था। अनेक स्थलों पर उनका वर्णन विशेष रूप से करदाताओं के रूप में हुआ है।^४ उत्तर-वैदिक युग में पुरोहित वर्ग राज-कर से मुक्ति की दावा करने लगा था। सम्भव है राज्य ने भी पुरोहितों के प्रभाव के कारण इसे स्वीकार किया हो। क्षत्रिय स्वयं शासक वर्ग के थे। शूद्रों के पास विशेष सम्पत्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में वैश्यों पर ही कर का विशेष भार होना स्वाभाविक था।

१. द्र० ऐस्पेक्ट्स आफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १०६

२. अथ ते इन्द्रः केवली प्रजा बलितहवत्स्करत। कृ० १८. १७६ ६

३. अथर्ववेद ३ ४ ३

४. 'अन्यस्य बलिहृति,' ऐत० ब्रा० ७ २६, शत० ब्रा० १२ २ ६, १४

हापकिन्स ने 'विशामत्ता' शब्द के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया है कि वैदिक काल में कर बहुत कठोर थे। किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में अत्ता शब्द का प्रयोग भोक्ता शब्द के ही अर्थ में हुआ है। यथा एक स्थान पर पति को अत्ता और पत्नी को आद्य कहा गया है।^१ वैदिक इण्डेक्स के अनुसार इस उक्ति का सूत्र उस पुरानी प्रथा में है जिसमें राजा और उसके कर्मचारियों का पोषण प्रजा के उपहारों से चलता था जिसके अनेक उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में भी पाये जाते हैं।^२ सम्भव है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राजा की महत्ता के सूचनार्थ विशामत्ता शब्द का लाक्षणिक प्रयोग हुआ हो। फिर भी इतना अवश्य है कि कर का भार मुख्यतः वीर्यों पर था। कुछ अत्याचारी राजा ऐसे भी रहे होंगे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता का शोषण करते हों। यह बात शतपथ ब्राह्मण (१३ २ ३ ८) से स्पष्ट है। इस प्रसंग में यह कहा गया है कि जिस प्रकार शिकारी पृष्ठ पशु का वध कर देता है उसी प्रकार निरंकुश राजा-प्रजा को नहीं छोड़ता। किन्तु निश्चय ही यह सामान्य स्थिति का उल्लेख नहीं है।

इस युग में भागधुक और समाहर्ता नाम के कर्मचारी सम्भवतः कर विभाग से ही सम्बन्धित थे। सम्भवतः भागधुक (राजा का भाग वसूलने वाला) का काम अन्न एवं अन्य उत्पादित सामग्रियों में से राजा का राजकीय भाग एकत्र करना था, तथा दूसरे का नाम इन्हें भण्डारों और कोषों में सुरक्षित करना था।^३ राज्य की आय के प्रमुख स्रोत कृषि और पशु पालन थे। कृषक राजा को फसल का एक भाग दिया करते थे जिसका परिमाण वैदिक साहित्य में नहीं बतालाया गया है। सम्भव है धर्मसूत्र काल की भांति ही इस काल में भी राजा उत्पादित वस्तु के छठे भाग का अधिकारी रहा हो। उस युग में पशु-धन का विशेष महत्त्व था। पशुपालक लोग कर में गाय, बैल और घोड़े दिया करते थे।^४ राज्य इन सबके एक निश्चित अंश का ही अधिकारी था। वैदिक काल में वाणिज्य और व्यवसाय अभी विकास की प्रारम्भिक स्थिति में थे इसलिए इस स्रोत से विशेष आय बहुत अधिक नहीं रही होगी।

१ शत० ब्रा० १ २ ३ ६

२ वैदिक इण्डेक्स २, ६२

३ इस विषय पर आगे रत्नियों के प्रसंग में विचार किया गया है।

४ अथर्ववेद ४ २२ २ एम भज ग्रामे अश्वेषु गोषु।

उत्तर-वैदिक युग तक शासन में राजा की सहायता के हेतु राजपरिषद का विकास सम्भवतः हो चुका था। इस परिषद के सदस्यों का स्वरूप अनुवर्ती युगों के मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के राजकर्मचारी समान रहा होगा। अथर्ववेद के एक मंत्र में यम के सभासदों के राजसी पद का उल्लेख है जिन्हें यम को प्राप्त होने वाले यज्ञ के १६ वें भाग का अधिकारी कहा गया है।^१ इससे प्रतीत होता है कि मृत्युलोक के राजा के भी सभासद होते थे, जिन्हें राजकीय आय का एक निश्चित भाग प्राप्त होता था। सम्भव है इन सभासदों के माध्यम से ही मन्त्रिमण्डल और राजकर्मचारियों का संकेत हो। इससे अधिक स्पष्ट वर्णन यजुर्वेद की संहिताओं एवं ब्राह्मणों में रत्नियों का मिलता है, जो राज-परिषद के सदस्य प्रतीत होते हैं। शासन के संचालन में इनका महत्वपूर्ण योग रत्नी-सूची के अन्तर्गत परिगणित नामों से ही स्पष्ट है। राजसूय के अवसर पर राजा स्वयं रत्न-हवि के माध्यम से विभिन्न रत्नियों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था।^२ यद्यपि घोपाल महोदय ने यह आक्षेप किया है कि ये हविया रत्नियों को न देकर निश्चित देवताओं को दी जाती थीं^३ किन्तु इससे रत्नियों का महत्व नहीं घटता क्योंकि इस विशिष्ट कार्य के लिये रत्नियों के ही घर पर उपस्थित होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त मंत्रायणी संहिता में रत्नियों को राजशक्ति का अनिवार्य अंग कहा गया है जिनकी तेजस्विता से सम्पूर्ण राष्ट्र तेजस्वी होता है।^४ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.७.३.१) में रत्नियों को राष्ट्र को प्रदान करने वाला और धारण करने वाला कहा गया है।^५ राजसूय के अवसर पर राजा-प्रत्येक रत्नी से यह कहता था कि वह निश्चित रूप से राजा का एक रत्न है तथा उसी के लिये राजा का अभिषेक होता है।^६ राजसूय के इस कृत्य का

१. अथर्ववेद ३.२९.१, यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य पोडशं यमस्यामी सभासदः ।

२. हिन्दू राजतन्त्र, भाग २, पृ० २६

३. स्टडीज़ इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०४

४. म० स ८.३.४

५. तै० ब्रा० १.७.३.१,

६. शत० ब्रा० ५.३.११-१२

लक्ष्य राजा के लिये जनता के इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की स्वामिमक्ति (उपजीव्यता) प्राप्त करना बतलाया गया है।^१

दुर्भाग्यवश इन रत्नियों की सख्या की जो सूची विभिन्न ग्रन्थों से प्राप्त होती है उसमें कुछ अन्तर है। इन विभिन्न संहिताओं और ब्राह्मणों में मिलने वाली सख्या की सूची घोपाल तथा शर्मा महोदय ने अपने ग्रंथों में उद्धृत की है। जायमवाल ने केवल ग्यारह रत्नियों की गणना की है।^२ तैत्तिरीय संहिता में रत्नियों की सख्या ग्यारह अवश्य बतलाई गई है किन्तु मैत्रायणी संहिता में चौदह, काठक-संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में बारह रत्नियों का उल्लेख है।^३ विचित्र बात तो यह है कि 'द्वादश-मंडल' की परम्परा अन्य भारोपीय जातियों में भी पाई जाती है।^४ कुछ भारोपीय देव-ताओं के भी द्वादश मंडल का उल्लेख मिलता है।^५ इसके आधार पर चादिक महोदय ने 'द्वादश मण्डल' को आर्य जाति की एक अत्यन्त प्राचीन मर्यादा माना है जिसकी परम्परा आर्यों के विविध शाखाओं में बिखर जाने के बाद भी जीवित रही।^६ असम्भव नहीं है कि वैदिक राज्य में रत्नी मण्डल की १२ अवस्था ११ की सख्या इस प्राचीन परम्परा से परम्परागत और परोक्ष रूप से प्रभावित होने के कारण ही हो। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि रत्नियों की सूची में राजा के सम्बन्धी, मंत्री, विभागों के अध्यक्ष एवं अन्य राजकर्मचारी सम्मिलित थे। रत्नी-सूची के तक्षक और रथकार का नाम केवल मैत्रायणी संहिता में ही मिलता है। सम्भवतः इन्हीं दो नामों के कारण मैत्रायणी संहिता की सूची भी अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा कुछ अमामान्य हो गई है। प्रारम्भ में ये दोनों व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण अतएव आदरणीय समझे जाते थे। आदिम समाज में कारीगरों की सामाजिक स्थिति प्रायः सर्वत्र उच्च थी।^७ अथर्ववेद में उन्हें राजा का सहायक बनने के लिए

१ मै० सं० ४३८, इमामेज़ीन प्रजाम्य उपजीवनीय करोति।

२ हिन्दू पालिटी, पृ० २००

३ मैत्रा० सं० ११६५, का० सं० १५४, तै० ब्रा० १७३

४ चादिक—हिरोइक एज, पृ० ३७०

५ वही

६ चादिक, हिरोइक एज, पृ० ३७०

७ अनेक्जेण्डर गोल्डेनवेजर, एन्थ्रोपोलोजी, पृ० ३८६

प्रार्थना की गई है।^१ उत्तर-वैदिक साहित्य में कालक्रम की दृष्टि से मंत्रायणी संहिता की प्राचीनता भी स्वीकृत है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में तक्षन और रथकार अपनी व्यावसायिक विशिष्टता के कारण रत्नी वर्ग के सदस्य थे किन्तु बाद में जैसे-जैसे व्यावसायिक जीवन में अनार्यों के प्रवेश के कारण उद्योगधंधों के प्रति हीन भाव उत्पन्न होता गया वैसे ही रथकार और तक्षन जैसे व्यवसायियों का सामाजिक और राजनैतिक महत्व भी घटता गया। धर्मसूत्रों में रथकार को वर्णसंकर (Mixed caste) कहा गया है तथा बौद्ध साहित्य में उनके व्यवसाय को 'हीन शिप्पम्' के अन्तर्गत परिगणित किया गया है। दूसरे, बाद के अन्य ग्रंथों में प्राप्त सूचियों में केवल उन्हीं लोगों को स्थान दिया गया है जो शासन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण थे। इन्हीं कारणों से मंत्रायणी संहिता को छोड़ कर अन्य चार ग्रन्थों में तक्षन और रथकार का समावेश रत्नी सूची के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

ब्राह्मण अथवा पुरोहित शतपथ ब्राह्मण को छोड़ कर अन्य सभी ग्रन्थों से प्राप्त रत्नी सूची में अपना प्रथम स्थान रखता है। इससे शासन-तंत्र में उसका प्रबल प्रभाव प्रकट होता है। पुरोहित राजा का परामर्शदाता था तथा साथ ही वह यज्ञों और अनुष्ठानों द्वारा राजा को दैवी कृपा का पात्र बनाता था। ऐतरेय ब्राह्मण (८२४-२८) में उसे राष्ट्रगोप कहा गया है जिससे उसके राजनैतिक महत्व का बोध होता है। रत्नी-सूची के ब्राह्मण अथवा पुरोहित को ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधि मानना^२ एक पूर्वाग्रहजन्य कल्पना है। वस्तुतः राजनैतिक जीवन में पुरोहित का अस्तित्व एवं महत्त्व शासन कार्य में धार्मिक एवं बौद्धिक सहयोग के कारण था न कि किसी सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण। इसी प्रकार यह मत भी नहीं स्वीकार किया जा सकता कि ब्राह्मण वर्ग अनार्य पुरोहितों का था^३। जन्हे राजनैतिक जीवन में प्रधानता और श्रेष्ठता प्रदान करके नवागन्तुक विजेताओं ने बहुत बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया।^४ जैसा कि हमने पहले ही स्वीकार किया है, समानधर्मी होने से ब्राह्मण वर्ण ने अनार्य पुरोहितों का

१ अथर्ववेद ३.५६

२. हिन्दू पालिटो, पृ० २०४

३. पार्जोटर—ऐन्सायेन्ट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ० ३०६

कोशाम्बी-एन इएट्रोडक्शन टु दी स्टडी आफ इण्डियन हिस्ट्री, पृ० ६७-६८

४. एस्पेक्ट्स ऑफ पालिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १०५

प्रवेश असम्भाव्य नहीं है, किन्तु ब्राह्मणों को सामान्यतया अनायें पुरोहितों का वर्ग मानना अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा होगी। वैदिक आर्यों के हृदय में स्थानीय अनायों के प्रति सहिष्णुता और सहनशीलता का भाव नाम मात्र को ही था। यह बात शूद्रों के प्रति वैदिक समाज के दृष्टिकोण से स्पष्ट है।^१ शूद्रों के अन्दर अनार्यत्व की प्रधानता सर्वथा अप्रत्याख्येय है।^२ रत्नी सूची के पुरोहित के विषय में एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में उसका स्थान सेनानी के पश्चात् है तथा पचविंश ब्राह्मण के वीरों की सूची में उसका नाम राजभ्राता और राजपुत्र के पश्चात् है।^३ इससे प्रकट होता है कि उत्तर वैदिक युग में ही काल क्रम से शासन-तंत्र में पुरोहितों और धर्माधिकारियों का प्रभाव घट रहा था।

तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'राजन्य' को दूसरा स्थान दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उसे सेनानी और पुरोहित के पश्चात् रखा गया है। काठक संहिता में राजन्य के स्थान पर राजा और शतपथ ब्राह्मण में यजमान का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि तीसरा रत्नी जिसे राजन्य भी कहा गया है राजा स्वयं होता था। राजा के यहाँ इन्द्र देवता को हवि दी जाती थी। इन्द्र को उत्तर-वैदिक साहित्य में देवताओं का राजा स्वीकार किया गया है।^४ इस बात को स्वीकार करने के लिये प्रमाणों का अभाव है कि राजन्य क्षत्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था।

शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों की सूची में महिषी का नाम तीसरा है। महिषी शब्द, जिसका तात्पर्य राजा की प्रधान रानी से है, राजाओं की बहुपत्नीकता की पुष्टि करता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि वैदिक काल में रानी की हैसियत राजा की पत्नी की ही नहीं थी बल्कि शासन-व्यवस्था में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान था।^५ जायसवाल

१ ऐत० ब्रा० ७ २६, यथाकाम वध्य ।

२ वैदिक इण्डेक्स, वाल्यूम २, पृ० ३८८-८९, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, ब्रा० १, पृ० ८६, १२८-९

३ शत० ब्रा० ५ ३ १ पचविंश ब्रा० १६, १ ४

४. अथर्व० ४ ६० ११, ६० ६८ १, तै० सं० २ २० ११ ६, तै० ब्रा० २ २ १०

५ घोषाल—स्टडीज़ इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०६

महोदय महिषी के इस महत्व का कारण राजा द्वारा वार्षिक अनुष्ठानों के सम्पादन में पत्नी के सहयोगकी आवश्यकता को मानते हैं।^१ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही अपत्नीक व्यक्ति-यज्ञ-कर्म का अधिकारी नहीं होता।^२ ऐसी स्थिति में राजसूय के अवसर पर पत्नी की उपस्थिति निश्चय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण रही होगी। किन्तु रत्नी-सूची में महिषी की महत्वपूर्ण स्थिति उसके शामन-सम्बन्धी उत्तरदायित्वों की ओर भी संकेत करती है, क्योंकि रत्नी सूची के सभी सदस्य प्रायः राजनैतिक एवं प्रशासकीय महत्व के व्यक्ति हैं। महिषी के यहां, माता की भांति भरण-पोषण करने वाली अदिति को हवि प्रदान की जाती थी^३ जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिषी की स्थिति सर्वसाधारण के लिये राजमाता की थी जो न केवल पारिवारिक जीवन में राजा की पत्नी होती थी बल्कि राष्ट्रीय जीवन में राजा के साथ प्रजा पालन के गुह्यतर उत्तरदायित्व का वहन करती थी। महिषी के अतिरिक्त रत्नी-सूची में बाबाता और परिवृत्ति का उल्लेख उत्तर-वैदिक राजनैतिक जीवन में मातृमत्तात्मक परम्पराओं के अवशिष्ट प्रभाव का संकेत करता है।^४ बाबाता के नाम का उल्लेख केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में हुआ है किन्तु परिवृत्ति का नाम शतपथ को छोड़ कर शेष चारों ग्रन्थों में हुआ है। तीन ग्रन्थ परिवृत्ति को चौथा स्थान देते हैं। केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में बाबाता में समावेश के कारण उसे पाचवा स्थान मिला है। राजा की इन दोनों पत्नियों के राजनैतिक महत्व का कारण प्रायः अज्ञात है। सम्भव है कि इन राजपत्नियों को सम्मानित करने के लिये तथा इन्हें विरोध का अवसर न प्रदान करने के लिये ही रत्नी-वर्ग का सदस्य माना गया हो।^५ कुछ भी हो, महिषी, बाबाता और परिवृत्ति का रत्नी-वर्ग का सदस्य होना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि उत्तर-वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा इतनी उच्च थी कि राजनैतिक कार्यों में भी सहयोग करती थीं। सम्भव है कि सामान्य स्त्रियाँ राजनैतिक जीवन से अलग रही हों जैसा कि मैत्रायणी

१. हिन्दू पालिटी, पृ० २०१

२. शत० ब्रा० ५. १. ६, १०,

३. शत० ब्रा० ५. ३. १. ४

४. रामचरण शर्मा—पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, पृ० १०६

५. वही, पृ० १०६

सहिता में स्त्रियों के सभा गमन के विरोध से प्रकट होता है।^१ किन्तु इसके विपरीत पचविंश ब्राह्मण में वीरों की सूची में महिषी की गणना तथा राजपत्निया की रत्नी-मण्डल की सदस्यता इस बात को प्रमाणित करती है कि स्त्रिया नियमत राजनैतिक जीवन से पृथक् नहीं थी।

तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, और काठक संहिता के अनुसार सेनानी का स्थान रत्नियों में पाचवा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे छठवा और शतपथ ब्राह्मण में प्रथम स्थान दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजाओं की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के विकास के कारण ब्राह्मण युग के अन्त तक सेनानी का पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकांश ग्रंथों में इसके पाचवें स्थान के कारण तथा पचविंश ब्राह्मण के वीरों की सूची में इसके अनुल्लेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शासन विभाग की तुलना में सेना विभाग का महत्व कम था।^२ सायण का यह मत कि सेनानी शुद्ध होता था, पूणत कल्पनाप्रसूत प्रतीत होता है क्योंकि सेनानी के घर पर पवित्र वैदिक देवता अग्नि की हवि प्रदान किया जाता था। सेनानी अग्नि देवता का पार्थिव प्रतिनिधि प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य में अग्नि का उल्लेख सेना के अग्रणी नेता के रूप में भी हुआ है।^३ सेनानी का कार्य भी युद्धों में सेना का नेतृत्व करना ही था।

उपर्युक्त पांच रत्नियों के अतिरिक्त सूत, ग्रामणी, क्षत्र सग्रहीतृ, भागधुक, और अक्षावाप का नाम सभी सूचियों में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी गणना के सम्बन्ध में क्रम-भेद अवश्य है। ये पांचो शासन-कार्य में सहायता देने वाले राजकर्मचारी थे। सूत के वास्तविक कार्य के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। अल्लेकर महोदय के अनुसार वह रथसेना का प्रधान था जो सम्मान के लिये राजा को सारथी का पद वहन करता था।^४ घोपाल महोदय ने उसे बन्दी या आख्यायक माना है^५ जो महाकाव्यों में वर्णित सूत के काफी निकट प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य से उपलब्ध

१ मै० स० ४ ७ ४

२ घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०७

३ अथर्ववेद ३ १ १, डा० बी० डब्ल्यू० करम्बेल्कर, दी अथर्ववेदिक सिविलाइजेशन, पृ० ११५

४ अल्लेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० ११०

५. घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३

ग्रामणी की पृष्ठभूमि में यह अधिक ग्राह्य है। एक स्थान पर सूत को जनता का मुख कहा गया है।^१ बहुत सम्भव है कि सूत के कुछ प्रशासकीय उत्तरदायित्व भी रहे हों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसकी गणना पीराणिक आदि साधारण पदाधिकारियों में की गई है जिन्हें एक सहस्र रजत मुद्रायें प्रति वर्ष वेतन में मिलती थी।^२

ग्रामणी को मंत्रायणी संहिता और काठक संहिता में वैश्य-ग्रामणी कहा गया है। इससे इसके वर्ण का ज्ञान होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट प्रतीत होता है वह गाँव का मुखिया या प्रधान था। निश्चय ही वैदिक राज्यों के आकार में लघु होने पर भी एक राज्य में बहुत से ग्राम रहे होंगे किन्तु रत्नहर्विषी के प्रसंग में केवल एक ही ग्रामणी का उल्लेख है। इस समस्या के समाधान की दृष्टि से अल्तेकर महोदय ने ग्रामणी को गाँवों के मुखियों का प्रधान माना है।^३ किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नहर्विषी अनुष्ठान में भाग लेने वाला ग्रामणी राजधानी का ही प्रमुख वैदिक नागरिक होता था। सम्भव है युद्ध के अवसर पर छोटे समूहों का नेतृत्व करने के अतिरिक्त वह ग्राम्य शासन में राजा के प्रतिनिधि के रूप में योग देता हो। जायसवाल महोदय उसे पीर का प्रधान भी मानते हैं (Head of the township)।^४ किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक पूर्ण विकसित नागरिक जीवन सन्दिग्ध है। इसी प्रकार यह कल्पना कि राजकीय कर को वसूल करने का कार्य ग्रामणी का था^५ निराधार प्रतीत होती है क्योंकि यह कार्य भागदुब द्वारा किया जाता था।

डा० यू० एन० घोपाल के अनुसार क्षत्र भोजन वांटने वाले को कहते थे।^६ किन्तु इस प्रकार का कोई विभाग उस युग में था, यह बहुत सन्दिग्ध है। क्षत्र शब्द का एक अर्थ प्रतिहार (Chamberlain) भी है जो

१ मंत्रा० सं० ४३८

२ अर्थशास्त्र ५३-६१, द०, हिन्दू पालिटी पृ० २०२

३ अल्तेकर—प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, पृ० १११

४ जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०४

५ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १, ११७

६ घोपाल पूर्व निदिष्ट पुस्तक, पृ० ३०३

इस प्रसंग में अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है।^१ सम्भव है वह राजा का परिपार्श्वक भी रहा हो।^२

सम्रहीतृ की वास्तविक स्थिति एवं कार्य के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मत भेिन्न्य है। किन्तु टीकाकारों के मत को दृष्टि में रखते हुए तथा अर्थशास्त्र के सन्निधाता नामक अधिकारी से इसकी समानता स्थापित करते हुए यह कहा जा सकता है कि वह कोषाध्यक्ष था।^३ अधिकांश ग्रन्थों में भागधुक के साथ इसके उल्लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है। अनेक विद्वानों ने सम्रहीतृ का अर्थ बलगा धारण करने वाला (Holder of the reins) या रथचालक स्वीकार किया है,^४ तथा इस आधार पर उसे प्रमुख योद्धा का सारथी मान है। किन्तु यह एक सम्भावना मात्र है। वस्तुतः भागधुक, जिसका काम कर वसूलना था, कोषाध्यक्ष के अस्तित्व एवं महत्त्व को अपरिहार्य बना देता है। ऐसी स्थिति में सम्रहीतृ को कोषाध्यक्ष मानना ही परिस्थितिक साक्ष्यों के अनुकूल होगा क्योंकि भागधुक द्वारा एकत्रित राजकर की सुरक्षा की दृष्टि से भी कोषाध्यक्ष की स्थिति अनिवार्य थी।

भागधुक और सम्रहीतृ का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में नहीं मिलता। इनका उल्लेख यजुर्वेद की संहिताओं और ब्राह्मणों में है इससे स्पष्ट है कि नियमित राजकर वसूलने की परम्परा तथा राजकोष की व्यवस्था उत्तर-वैदिक युग में ही हो सकी। भागधुक राजा का भाग वसूलने वाला अधिकारी

१ बाज० स० ३० १३ पर टीका करते हुये महीधर ने क्षतृ का अर्थ प्रतिहार किया है तथा सायण ने शतपथ ब्राह्मण ५ २.१ ७ १२ टीका करते हुये इसका अर्थ अन्तःपुराध्यक्ष किया है।

२ प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० ११०

३ जाममवाल—हिन्दू पाटली, पृ० २०२

४ द्र०, शत० ब्रा० ५ ३.१ ८ पर ईंगलिंग की टीका, तै० स० १ ८ ६ पर कोष की टीका,

शर्मा—एस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १०

५ सायण महोदय ने तै० स० १ ८.६ पर टीका करते हुए सम्रहीतृ को 'धन सम्रहकर्ता कोषाध्यक्ष,' कहा है तथा तै० ब्रा० ३.४ ७ पर टीका करते हुये इसका अर्थ 'भाण्डागाराध्यक्ष' माना है।

था। उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का संकेत करता है जब राज-कर ऐच्छिक न रहकर अनिवार्य हो चला था। ऋग्वेद में राजा को प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को बलि कहा गया है।^१ किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक राजा प्रजा की आय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहाँ धर्मसूत्रों में उल्लिखित षष्ठांश से हो। भाग सम्भवतः अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। भागधुक के घर पर पशुओं के देवता पूजन को बलि दी जाती थी^२ अतः पशुओं के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव प्रतीत होती है।

अक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी सन्दिग्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा (छूतक्रीड़ा में) पासा फेंकनेवाला।^३ इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे छूतक्रीड़ा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे छूतक्रीड़ा से सम्बन्धित अधिकारी माना है। अक्षावाप की समानता अर्थशास्त्र के अक्ष-पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महोदय ने उसे आय-व्यय के लेखे के प्रधान अधिकारी माना है।^४ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३.१.१०) में अक्षावाप के साथ अक्ष (पासा) और जुमा खेलनेवाली पटरी का भी उल्लेख है जिससे छूतक्रीड़ा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुर्निवार्य हो जाता है। सम्भव है कि वह छूतक्रीड़ा तथा अन्य सामाजिक आनन्दोत्सवों का प्रबन्धक रहा हो।

गोविकर्तन नामक रत्नी का उल्लेख तीन सूचियों में मिलता है किन्तु तीनों सूचियों में इसके नाम में कुछ अन्तर है। मैत्रायणी संहिता में इसे गोविकर्त, काठक संहिता में गोव्यन्च और शतपथ ब्राह्मण में गोनिकर्तन कहा गया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा गोवध करनेवाला या, जायसवाल महोदय ने इसे जंगलों का प्रधान अधिकारी माना, घोपाल ने इसे शिकारियों का प्रधान माना है।^५ इसके घर पर -

दी जाती थी इससे पशुओं के प्रति इसकी भयकरता का संकेत मिलता है। जैसा कि जायसवाल महोदय ने कहा है, असम्भव नहीं प्रतीत होता कि वह मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित उस मौर्य कालीन अधिकारी के समान रहा हो जो शिकारियों का प्रधान होता था तथा वीज खानेवाले पशुओं एवं पक्षियों का नाश करता था।^१ सम्भव है यह अधिकारी राजकीय भोजनालय के लिए भी पशुओं का शिकार करता हो।

पालागल का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जिसकी गणना प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य के अन्तर्गत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इसे ब्राह्मण युग के अन्तर्गत में रत्नी सूची में स्थान मिला जो इसके नवोदित महत्त्व की सूचना देता है। अल्टेकर महोदय उसे परवर्ती युगों के विदूषक की भाँति राजा का अन्तरंग मित्र मानते हैं। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३.१.११) से यह प्रकट होता है कि वह सदेशवाहक का काम या दौत्य कर्म करता था। यह शूद्र वर्ण का होता था।^२ फिर भी उसका राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य घटनाओं, कुचक्रों एवं विचारधाराओं की सूचना वह राजा को देता था। साथ ही राजकीय सन्देश दूसरे राज्यों में पहुँचाता था। इस प्रकार राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, युद्ध और विग्रह की स्थिति में सदैव उसका महत्त्व था। आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में भी इस प्रकार के सन्देशवाहकों का राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है।^३ वे जातीय भोज, प्रतिकार सम्बन्धी युद्ध की तैयारी, अथवा जातीय सभा की सूचना को प्रसारित करने के लिये विशेषतः महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पञ्चविंश ब्राह्मण (१६.१.४) में राजा के सहायक आठ वीरों का उल्लेख है जिसमें रत्नी-सूची को पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रु और सग्रहीतृ के अतिरिक्त राज-भ्राता और राजपुत्र को भी सम्मिलित किया गया है। यद्यपि अन्तिम दो को रत्नी-सूची के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया है किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण के इस अंश से सिद्ध है कि शासन-कार्य में इन दोनों का भी पर्याप्त योग था।

हीस्टरमन ने यह विचार प्रकट किया है कि रत्नियों के नाम से उत्कालीन शासन-व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।^४ उनके अनुसार रत्नी-

१ मित्रिण्डिल—मेगस्थनीज, पृ० ८४

२ शत० ब्रा० १३.५.५८

३. अलेक्जेंडर गोल्डेनवेइजर, एन्थ्रोपोलोजी, पृ० ३८०

४ दी ऐन्डयेन्ड इण्डियन रायल कन्सेकेशन, पृ० ५३

था। उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का संकेत करता है जब राज-कर ऐच्छिक न रहकर अनिवार्य हो चला था। ऋग्वेद में राजा को प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को बलि कहा गया है।^१ किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक राजा प्रजा की आय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहाँ धर्मसूत्रों में उल्लिखित षष्ठांश से हो। भाग सम्भवतः अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। भागधुक के घर पर पशुओं के देवता पूजन को बलि दी जाती थी^२ अतः पशुओं के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव प्रतीत होती है।

अक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी सदिग्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा (द्यूतक्रीडा में) पासा फेंकनेवाला।^३ इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे द्यूतक्रीडा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे द्यूतक्रीडा से सम्बन्धित अधिकारी माना है। अक्षावाप की समानता अर्थशास्त्र के अक्ष-पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महोदय ने उसे आय-व्यय के लेखे के प्रधान अधिकारी माना है।^४ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३.११०) में अक्षावाप के साथ अक्ष (पासा) और जुआ खेलनेवाली पटरी का भी उल्लेख है जिससे द्यूतक्रीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुर्निवार्य हो जाता है। सम्भव है कि वह द्यूतक्रीडा तथा अन्य सामाजिक आनन्दोत्सवों का प्रबन्धक रहा हो।

गोविकर्तन नामक रत्नी का उल्लेख तीन सूचियों में मिलता है किन्तु तीनों सूचियों में इसके नाम में कुछ अन्तर है। मंत्रायणी संहिता में इसे गोविकर्त, काठक संहिता में गोव्यञ्च और शतपथ ब्राह्मण में गोविकर्तन कहा गया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा गोवध करनेवाला या कसाई। जायसवाल महोदय ने इसे जंगलों का प्रधान अधिकारी माना है^५ तथा घोपाल ने इसे शिकारियों का प्रधान माना है।^६ इसके घर पर रुद्र को बलि -

१ घोपाल—हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २२१-३२

२ शत० ब्रा० ५.३.१६

३. द्रष्टव्य घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३

४ जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

५ जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

६ हिस्टीरियोग्रफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २४९

दी जाती थी इससे पशुओं के प्रति इसकी भयकरता का संकेत मिलता है। जैसा कि जायसवाल महोदय ने कहा है, असम्भव नहीं प्रतीत होता कि वह मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित उस मौर्य कालीन अधिकारी के समान रहा हो जो शिकारियों का प्रधान होता था तथा बीज खानेवाले पशुओं एवं पक्षियों का नाश करता था।^१ सम्भव है यह अधिकारी राजकीय भोजनालय के लिए भी पशुओं का शिकार करता हो।

पालाण्ड का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जिसकी गणना प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य के अन्तर्गत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इसे ब्राह्मण युग के अन्तर्गत में रत्नी सूची में स्थान मिला जो इसके नवोदित महत्व की सूचना देता है। अल्टेकर महोदय उसे परवर्ती युगों के विदूषक की भाँति राजा का अन्तरंग मित्र मानते हैं। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५.३.१.११) से यह प्रकट होता है कि वह सदेशवाहक का काम या दौत्य कर्म करता था। यह शूद्र वर्ण का होता था।^२ फिर भी उसका राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य घटनाओं, कुचक्रों एवं विचारधाराओं की सूचना वह राजा को देता था। साथ ही राजकीय सन्देश दूसरे राज्यों में पहुँचाता था। इस प्रकार राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, युद्ध और विग्रह की स्थिति में सदैव उसका महत्व था। आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में भी इस प्रकार के सन्देशवाहकों का राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है।^३ वे जातीय भोज, प्रतिकार सम्बन्धी युद्ध की तैयारी, अथवा जातीय सभा की सूचना को प्रसारित करने के लिये विशेषतः महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पचविंश ब्राह्मण (१६.१.४) में राजा के सहायक आठ वीरों का उल्लेख है जिसमें रत्नी-सूची को पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, ऋतु और सन्नहीतृ के अतिरिक्त राज-भ्राता और राजपुत्र को भी सम्मिलित किया गया है। यद्यपि अन्तिम दो को रत्नी-सूची के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया गया है किन्तु पचविंश ब्राह्मण के इस अंश से सिद्ध है कि शासन-काम में इन दोनों का भी पर्याप्त योग था।

हीस्टरमन ने यह विचार प्रकट किया है कि रत्नियों के नाम से उत्कालीन शासन-व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।^४ उनके अनुसार रत्नी-

१ मित्रिण्डल—मेगस्थनीज, पृ० ८४

२ शत० ब्रा० १३.५.५८

३ अलेक्जेंडर गोल्डेनवेइजर, एन्थ्रोपोलोजी, पृ० ३८०

४ दी ऐन्वयेन्ट इण्डियन रायल कन्फेडरेशन, पृ० ५३

था। उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का सूचक करता है जब राज-कर ऐच्छिक न रहकर अनिवार्य हो चला था। ऋग्वेद में राजा को प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को वलि कहा गया है।^१ किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक राजा प्रजा की आय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहाँ धर्मसूत्री में उल्लिखित षष्ठांश से हो। भाग सम्भवतः अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। भागधुक के घर पर पशुओं के देवता पूषन को वलि दी जाती थी^२ अतः पशुओं के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव प्रतीत होती है।

अक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी समीक्ष्य है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा (द्यूतक्रीडा में) पासा फेंकनेवाला।^३ इस प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे द्यूतक्रीडा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे द्यूतक्रीडा से सम्बन्धित अधिकारी माना है। अक्षावाप की समानता अर्थशास्त्र के अक्ष-पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महादय ने उसे आय-व्यय के लेखे के प्रधान अधिकारी माना है।^४ किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५३११०) में अक्षावाप के साथ अक्ष (पासा) और जुआ खेलनेवाली पटरी का भी उल्लेख है जिससे द्यूतक्रीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुर्निवार्य हो जाता है। सम्भव है कि वह द्यूतक्रीडा तथा अन्य सामाजिक आनन्दोत्सवों का प्रबन्धक रहा हो।

गोविकर्तन नामक रत्नी का उल्लेख तीन सूचियों में मिलता है किन्तु तीनों सूचियों में इसके नाम में कुछ अन्तर है। मंत्रायणी संहिता में इसे गोविकर्तं, काठक संहिता में गोव्यन्च और शतपथ ब्राह्मण में गोनिकर्तन कहा गया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा गोवध करनेवाला या कसाई। जायसवाल महादय ने इसे जंगलों का प्रधान अधिकारी माना है^५ तथा घोपाल ने इसे शिकारियों का प्रधान माना है।^६ इसके घर पर रुद्र को वलि -

१. घोपाल—हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २२१-३२

२. शत० ब्रा० ५३१६

३. द्रष्टव्य घोपाल—स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३

४. जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

५. जायसवाल—हिन्दू पालिटी, पृ० २०३

६. हिस्टोरियोग्राफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २४९

का यह मत पूर्णतः निर्विवाद है कि ये रत्नी राज्य के उच्च-अधिकारी थे । विभिन्न रत्नियों में उनके पद और महत्व की दृष्टि से कुछ अन्तर और संस्तरण (Official hierarchy) अवश्य रहा होगा किन्तु उनके पद और प्रतिष्ठा में बहुत अन्तर नहीं था ।^१ क्योंकि राजा के लिए सभी रत्नियों की सहायता समान रूप से महत्वपूर्ण एवस्पृहणीय मानी गई है ।

उत्तर-वैदिक साहित्य तथा धर्मसूत्रों में राज्य की परिभाषा अथवा उसके सात अंगों का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।^२ सर्वप्रथम कौटिल्य ने राज्य के सात अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, राज्य के सात अंग दरद और मित्र का उल्लेख किया है ।^३ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी राज्य के सप्तांगों का उल्लेख हुआ है ।^४ किसी भी सुविकसित राज्य में इन सात तत्वों का समावेश अनिवार्य समझा जाता था । कुछ विद्वानों ने वैदिक एवम् सूत्र साहित्य में इन सप्तांगों का उल्लेख न मिलने का कारण इस शस्था के पूर्ण विकास की स्थिति का अभाव माना है ।^५ किन्तु उत्तर-वैदिक साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि इस युग में राज्य के ये सातों तत्व अस्तित्व में आ चुके थे । उनका सिद्धान्तिक व्यवस्थापन बाद में सम्पन्न हुआ जिसका श्रेय सर्वप्रथम कौटिल्य को दिया जा सकता है । राजनीतिशास्त्र के आधुनिक । राज्य के चार आवश्यक तत्व माने हैं—सम्प्रभुता, सरकार, भूमि जब हम सप्तांग सिद्धान्त से इसकी तुलना करते हैं तो ज्ञात है चारों तत्व क्रमशः स्वामी, अमात्य और जनपद के अन्तर्गत

सूची में राज-पत्नियों, राज्याधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कारीगर वर्ग के लोगों के नाम अस्त-व्यस्त रूप में मिश्रित हैं। किन्तु वे भूल जाते हैं कि उत्तर-वैदिक भारतीय समाज, जो अभी लौह-युग में प्रवेश कर रहा था, इतना विकसित नहीं था कि राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को पूर्णतः पृथक् किया जा सके। शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में पुरोहित, राजपत्नियों तथा रथकार और तक्षन जैसे कारीगरों का प्रवेश हमें इस लिये आश्चर्यजनक लगता है कि हम पुरा-ऐतिहासिक शासन-पद्धति को वर्तमान सरकारों की पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास करते हैं। वैदिक समाज धर्म प्रधान था अतः उस युग के राजनैतिक जीवन में पुरोहित का प्रवेश सर्वथा स्वाभाविक है। जहाँ तक राजपत्नियों का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि उनका भी राजनैतिक महत्व मूलतः धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से ही था। मंत्रायणी संहिता की रत्नी-सूची में व्यवसायों की विशिष्टता एवं अत्यधिक उपयोगिता के कारण तक्षन और रथकार को रत्नी सूची में स्थान अवश्य दिया गया है किन्तु अन्य सूचियों से उनके नाम का वहिष्कार इस बात की सूचना देता है कि क्रमशः रत्नियों की सूची में वही लोग रह गये थे जो राजनैतिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण थे। पीछे हम देख चुके हैं कि किस प्रकार प्रायः प्रत्येक रत्नी अपने ढंग से शासन कार्य में सहायक था।

काशी प्रसाद जायसवाल रत्नियों की मूलतः समिति का सदस्य मानते हैं^१ किन्तु इस अनुमान के लिए कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत स्थिति इस सम्भावना के प्रतिकूल दिखाई देती है। प्रथमतः, समिति नामक संस्था का पूरे ब्राह्मण साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है जिससे इसका अस्तित्व ही सर्वथा सदिग्ध प्रतीत होता है। दूसरे, रत्नी-मण्डल की रानिया समिति जैसी किसी लोकसभा की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। यही बात सेनानी, भागदुध, सप्रहीतृ आदि-अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। पुरोहित, राजा, ग्रामणी और पालागल चार वर्णों का प्रतिनिधित्व करते थे, यह बात भी पूर्णतः सदिग्ध है।^२ वस्तुतः पुरोहित, ग्रामणी और पालागल भी राजनैतिक महत्व के कारण ही रत्नी-सूची के सदस्य थे। समाज के विभिन्न वर्गों से इनका सम्बन्धित होना पूर्णतः आकस्मिक है। जायसवाल

१ हिन्दू राजतन्त्र, भाग २, पृ० ३४

२ वही

का यह मत पूर्णतः निर्विवाद है कि ये रत्नी राज्य के उच्च-अधिकारी थे । विभिन्न रत्नियों में उनके पद और महत्व की दृष्टि से कुछ अन्तर और सस्तरण (Official hierarchy) अवश्य रहा होगा किन्तु उनके पद और प्रतिष्ठा में बहुत अन्तर नहीं था ।^१ क्योंकि राजा के लिए सभी रत्नियों की सहायता समान रूप से महत्वपूर्ण एवस्पृहणीय मानी गई है ।

उत्तर-वैदिक साहित्य तथा धर्मसूत्रों में राज्य की परिभाषा अथवा उसके सात अंगों का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।^२ सर्वप्रथम कौटिल्य ने राज्य के सात अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, राज्य के सात अंग दण्ड और मित्र का उल्लेख किया है ।^३ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी राज्य के सप्तांगों का उल्लेख हुआ है ।^४ किसी भी सुविकसित राज्य में इन सात तत्वों का समावेश अनिवार्य समझा जाता था । कुछ विद्वानों ने वैदिक एव सूत्र साहित्य में इन सप्तांगों का उल्लेख न मिलने का कारण इस सत्था के पूर्ण विकास की स्थिति का अभाव माना है ।^५ किन्तु उत्तर-वैदिक साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि इस युग में राज्य के ये सात तत्व अस्तित्व में आ चुके थे । उनका सैद्धान्तिक व्यवस्थापन बाद में सम्पन्न हुआ जिसका श्रेय सर्वप्रथम कौटिल्य को दिया जा सकता है । राजनीतिशास्त्र के आधुनिक विचारकों ने राज्य के चार आवश्यक तत्व माने हैं—सम्प्रभुता, सरकार, भूमि और जनता । जब हम सप्तांग सिद्धान्त से इसकी तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये चारो तत्व क्रमशः स्वामी, अमात्य और जनपद के अन्तर्गत

१ घोषाल-हिस्टीरियोग्रैफी एण्ड अदर एसेज, पृ० २५५, पाटटिप्पणी

२ सरस्वती विलास नामक पुस्तक में, जिसकी तिथि १६वीं सदी मानी गई है (काणो, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र. १, ४१३) एक श्लोक में राज्य के सप्तांगों का उल्लेख है, जिसे गीतम धर्म सूत्र से उद्धृत बतलाया गया है किन्तु गीतमधर्मसूत्र में नहीं मिलता ।

३ अर्थशास्त्र ६ १

४. मनु० ९. २६४, शान्तिपर्व ६६ ६२-३, विष्णु० ३. ३३, याज्ञवल्क्य १ ३५३ आदि ।

५ धार्मा-ऐस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, पृ० १४

आ जाते हैं। स्वामी अथवा राजा में सम्प्रभुता निहित थी^१ तथा अमात्य मण्डल द्वारा शासन संचालन होता था। जनपद एक ऐसा तत्त्व था जिसके अन्तर्गत जनता और उसके द्वारा अधिकृति भूमि दोनों का समावेश है। इस प्रकार आधुनिक राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों की दृष्टि में रखने पर निश्चय ही प्राचीन भारतीयों की राज्य-विषयक धारणा नितान्त अर्वाचीन लगती है।^२

जब हम वैदिक साहित्य में राज्य के इन सातों तत्वों को ढूँढते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रमाणों का ही आश्रय लेना पड़ता है। सप्ताग का स्वामी वैदिक युग में राजा ही था क्योंकि वह निश्चित रूप से राष्ट्र रूपी शरीर के सर्वोच्च स्थान पर आसीन माना जाता था।^३ वह राज्य का केन्द्रबिन्दु तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।^४ उसकी प्रभुता सर्वव्यापी थी।^५

यजुर्वेद में उल्लिखित रत्नी-सूची के विविध अधिकारी एवं कर्मचारी अमात्यमण्डल के सदस्य माने जा सकते हैं यद्यपि उनके लिये अमात्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है किन्तु उनका स्वरूप बहुत कुछ प्राग्-मौर्य साहित्य में वर्णित अमात्यो के समान था।^६ प्राग्-मौर्य युग में शासन में भाग लेने वाले विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी अमात्य नाम से अभिहित किये जाते थे।^७ इन अमात्यो में ग्राम-प्रधान अथवा ग्रामणी से लेकर न्यायाधीश और धर्माधिकारी तक सम्मिलित थे। इस प्रकार रत्नी सूची के पुरोहित, सेनानी, सूत, ग्रामणी, सप्रहीतृ, भागधुक आदि को परवर्ती युग के अमात्यो का पूर्वरूप माना जा सकता है। अथर्वशास्त्र में भी प्रधान पुरोहित, मन्त्री, कर वसूलने वाले अधिकारी, तथा कोषाध्यक्ष आदि अधिकारियों को अमात्यमण्डल का सदस्य माना गया है।^८

१ स्वामी शब्द से ही राजा के सर्वव्यापी प्रभुता का अनुमान किया जा सकता है।

२. पुसात्कर-एज आंव इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ३०७

३ अथर्ववेद ३.४.२

४ शुक्ल यजुर्वेद, २०.१

५ अथर्ववेद ४.२२.७

६ मेहता ग्रार० एन०, प्रो-बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १३६

७ फ्रिक, दोसल आर्गनाइजेशन आंव नाथ-इस्टन इण्डिया, पृ० १४५-८

८ १.६-१०, १६, ८.१

अर्थशास्त्र में तीसरी प्रकृति को जनपद कहा गया है तथा मनु और विष्णु ने इसे राष्ट्र कहा है। यह तत्व भूमियुक्त-राज्य की स्थिति का संकेत करता है। जैसा-कि-पहले ही बतलाया गया है,—उत्तर वैदिक युग तक भूमियुक्त राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। उत्तर वैदिक साहित्य में राष्ट्र और जनपद इस दोनों शब्दों का राजा और शासन के प्रसंग में अनेक बार उल्लेख हुआ है। चौथा तत्व कौटिल्य ने दुर्ग माना है किन्तु मनु ने इसे पुर नाम दिया है। महाभारत के एक अंश से प्रकट होता है कि पुर राजधानी को कहते थे।^१ उत्तर-वैदिक युग से ही इन राजधानियों को सुरक्षा की दृष्टि से प्राचीरो तथा परिखा से परिवेष्टित करने की परम्परा चल पड़ी थी^२ इसलिए पुर को दुर्ग भी कहा जाने लगा। उत्तर-वैदिक युग में आसंदीवन्त तथा कौशाम्बी आदि पुरों का अस्तित्व अप्रत्याख्य है। उत्तर-वैदिक साहित्य में भागधुक और सप्रहीतृ के उल्लेख से स्पष्ट है कि राजकीय कोष की उचित व्यवस्था भी होती थी। कौटिल्य ने सैन्य शक्ति को ही राज्य का श्रद्धा तत्व—दड माना है। यजुर्वेद की सहिताओं और ब्राह्मणों में सेनानीका अनेकश उल्लेख राज्य द्वारा समुचित सैन्य-संगठन की पुष्टि करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अन्तिम अंग मित्र है। मित्र अथवा सुहृद का स्पष्ट उल्लेख तो वैदिक साहित्य में नहीं मिलता किन्तु सम्भव है राज्याभिषेक के अभिषेचनीय नामक कृत्य में भाग लेने वाला जन्य या जन्यमित्र अर्थशास्त्र और स्मृतियों का मित्र या सुहृद हो।^३

१ मनु० ६ २६, विष्णु० ३, ३३

२. शर्मा, एक्सकेवेन्स एट कौशाम्बी, पृ० ६

३ घोपाल, स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३१८

पूर्व-वैदिक धर्म के तीन प्रमुख पक्ष हैं—देव-तत्त्व, यज्ञ-तत्त्व तथा दार्शनिक चिन्तन । इनमें देव-तत्त्व का ही प्राधान्य है । ऋक्संहिता के अधिकांश सूक्तों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिये स्तुतिपरक ऋचायें ही सप्रहीत हैं । इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ भी किये जाते थे । यज्ञों का स्वरूप अत्यन्त सरल एवं साधारण था । यद्यपि दार्शनिक चिन्तन की झलक भी ऋग्वेद में यत्र तत्र उपलब्ध है^१ तथापि सम्पूर्ण ऋक्संहिता में विस्तृत दार्शनिक चर्चा का अभाव ही है । उत्तर-वैदिक युग में हम देव-तत्त्व का ह्रास तथा यज्ञ एवं दार्शनिक चिन्तन की दिशा में झुकाव पाते हैं । तत्कालीन धर्म के अन्तर्गत स्थूल यज्ञीय कर्मकाण्डों का विस्तार तथा सूक्ष्म तत्त्व-चिन्तन की गरिमा—दोनों समान रूप से दृश्य हैं । यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ सस्या का साम्राज्य है । उस युग के धार्मिक विश्वासों के अनुसार यज्ञ ही वह परम शक्तिमान साधन है जिसके द्वारा देवता भी वशीभूत किये जा सकते हैं ।^२ इसी के द्वारा लौकिक सुख और पारलौकिक शान्ति भी सम्भव है । उत्तर-वैदिक युग में यज्ञमूलक धर्म का जो अतिशय विकास एवं विस्तार हुआ उसके परिणामस्वरूप मूल धार्मिक भावना लुप्त-प्राय हो गई तथा धर्म का प्रतीकात्मक एवं ब्राह्मणपूर्ण कलेवर ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया ।^३ इस प्रकार पूर्ववैदिक धर्म की सादगी और सरलता इस युग में नष्ट हो गई तथा उसका स्थान भावहीन कृत्रिम उपचारों ने ले लिया । धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्रमें जटिलता एवं दुरुहता बहुधा भाव-शून्यता का परिचायक हुआ करती है । कर्मकाण्डों के इस विस्तार के स्वाभाविक प्रतिक्रियास्वरूप उपनिषत्काल में दार्शनिक चिन्तन की वह प्रबल धारा प्रवाहित हुई जिसका उद्गमन ऋक्संहिता से हुआ था तथा जिसकी गति परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों के युग में प्रायः अवरुद्ध हो गई थी ।

१ ऋ० १ १६४, १०. १२६, १०. ६०, १०. १२१,

२ तै० सं० २ ३ १ ५, पच० ब्रा० ६. २. २२

३ राधाकृष्णन, इण्डियन फिलोसोफी, पृ० १२३

यद्यपि उत्तर वैदिक समाज पर धर्म का अतिशय प्रभाव अप्रत्याशयेय है तथापि नवोदित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने भी धर्म के विकास एवं धार्मिक दृष्टिकोण में न्यूनाधिक परिवर्तन को सामाजिक और आर्थिक प्रभावित एवं प्रोत्साहित किया। वर्ण व्यवस्था के परिवेश तथा धर्म पर विकास के साथ ही वशानुगत ब्राह्मण वर्ग अस्तित्व उसका प्रभाव मे आया। पौरोहित्य ब्राह्मणों का व्यवसाय था।

ऋक्संहिता मे ही ब्राह्मणों (पुरोहितों) की श्रेष्ठता को स्थिर करने का प्रयास प्रतिध्वनित है। एक प्रसंग में यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा की समृद्धि तभी होती है जब राजा ब्राह्मण का आदर करता है।^१ उत्तर-वैदिक युग तक यज्ञ-कार्य पुरोहित की सहायता के बिना असम्भव माना गया।^२ पौरोहित्य अब एक मात्र ब्राह्मणों का वर्ण-धर्म बन गया। ऐसी परिस्थिति मे उन्होंने अपने व्यवसाय को अधिक लाभप्रद और स्थायी बनाने का स्वभावतः प्रयास किया। उत्तर वैदिक यज्ञ-संस्था के आशातीत विस्तृत, विपुलकाय एवं जटिल होने का एक प्रमुख कारण ब्राह्मण-पुरोहितों का वर्गगत स्वार्थ भी था, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के उदात्त आदर्श निष्प्रभ हो गये। यज्ञों को रहस्यात्मक एवं दुर्बुद्ध बनाने के लिए अधिकतर प्रतीकों का सहारा लिया गया तथा भाषा का प्रयोग भी इस प्रकार किया गया मानो उसका उद्देश्य विचारों को प्रकट न करके अवगुंठित करना हो।^३ इन विविध प्रतीकों एवं निर्देशों को समझने मे पुरोहित ही समर्थ थे। एकान्त रूप से पौरोहित्य में प्रवृत्त होने के कारण जहाँ ब्राह्मणों ने यज्ञ संस्था को विकसित किया वही जन-साधारण मे भय-मिश्रित श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये यज्ञों का स्वरूप रहस्यमूलक भी बनाया। समाज को यज्ञ संस्था की ओर प्रेरित करने के लिए ब्राह्मण-साहित्य मे यज्ञ की महत्ता तथा विविध अनुष्ठानों से उत्पन्न सुपरिणामों का विशद उल्लेख भी हुआ। विशाल श्रौत यज्ञ जो महीनों तक चलते थे पुरोहितों की आय में वृद्धि के महत्वपूर्ण साधन बने। अश्वमेध जैसे यज्ञ में तो यदाकदा पुरोहित (अश्वयु) राजा की चतुर्थ पत्नी को भी दक्षिण मे प्राप्त कर लेता था।^४ इस नवीन धार्मिक

१ ऋ० ४५० ८

२ ऐत० ब्रा० ४०.१

३ राधाकृष्णन, इण्डियन फिलोसोफी, पृ० १२६

४ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी अथ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, पृ० ३४५

दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देव तत्व की महत्ता में भी ह्रास हुआ। पूर्ण-वैदिक काल में देवताओं को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किया जाता था। इसके लिए पुरोहित की सहायता अपेक्षित नहीं थी। इसके विपरीत उत्तर-वैदिक काल में यज्ञ को देवताओं को तुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन माना गया। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरोहितों की अर्थदृष्टि तथा सामाजिक प्रभुत्व के नियंत्रण की भावना ने क्रमशः साधन को साध्य बना दिया और इस प्रकार देवताओं की तुलना में यज्ञ की प्रधानता घोषित हुई। यज्ञ की सृष्टि का मूल माना गया तथा यह कहा गया कि देवता भी यज्ञ से ही शक्ति धारण करते हैं।^१ अनेक प्रमुख देवताओं का तादाम्य भी यज्ञ के साथ स्थापित किया गया। वर्ण-व्यवस्था के विकास तथा राजनैतिक संगठन के स्थायी के साथ-साथ प्रभुत्व-सम्पन्न राजन्य वर्ग शक्ति एवं साम्राज्य के विस्तार हेतु सचेष्ट हुआ। इन राजन्यों के राजनैतिक जीवन में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ सहायक था।^२ इन धर्म-प्राण राजाओं ने आन्तरिक शान्ति, शत्रु-विनाश एवं दिग्विजय की कामना से तथा सम्राट्, एकराट् आदि पदों की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े सोमयज्ञों का सम्पादन किया। इन यज्ञों से उन्हें यश भी प्राप्त हुआ और मानसिक शान्ति भी। ब्राह्मणों में कुरु-पंचाल के अनेक राजाओं का सादर उल्लेख है जिन्होंने अवधमेघ के सम्पादन से सार्वभौम पद की प्राप्ति की।

यज्ञमूलक धर्म के पीछे बढ़ती हुई भौतिक समृद्धि तथा नवीन आर्थिक परिस्थितियों का भी विशिष्ट योग था। उत्तर-वैदिक युग में मध्यदेश के उर्वर शस्य-श्यामल प्रदेश में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्रगति तो हुई ही, साथ ही नागरिक जीवन के प्रारम्भ तथा वाणिज्य, व्यापार एवं विविध उद्योगों के विकास के कारण आर्थिक प्रगति के नये द्वार खुले जिनके परिणामस्वरूप छठी सदी ई० पू० तक आवस्ती और कौशाम्बी प्रभृति नगरों में अनायाधिष्णक और घोषक जैसे घनपति अस्तित्व में आये जिन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि से बौद्ध धर्म के सम्बर्धन का प्रयत्न किया। उत्तर-वैदिक

१. पंच० ब्रा० १.८.४१

२. राजमूय के रत्नहविषी नामक अनुष्ठान में यतपय ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अन्य पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ रत्नी मानते हैं।

दृष्टव्य, घोपाल, हिन्दू पवित्र लाइफ, पृ० ७६।

युग में भी आर्थिक दृष्टि से। समृद्ध एवं सम्पन्न वैश्यों का अभाव नहीं रहा होगा। यह बात उन वैदिक प्रसंगों से सूचित होती है जिनमें स्पष्टतः यह कहा गया है कि वैश्य की सहायता के अभाव में यज्ञ सफल नहीं होते।^१ यज्ञमूलक धर्म शूद्रों के लिये दुष्कर था किन्तु उन्हें तो सांस्कृतिक पार्थक्य एवं आर्थिक हीनता के कारण नियमतः यज्ञ कर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था।^२

उपनिषत्कालीन दार्शनिक चिन्तन-धारा के विकास के पीछे कर्मकाण्ड-प्रधान यज्ञ-संस्था के विरुद्ध होने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया थी जिसका मुख्य रूप आरण्यकों में द्रष्टव्य है। जिज्ञासु एवं बुद्धिजीवी जनो ने कर्मकाण्डों की स्थूलता एवं बाह्यादम्बर में अन्तर्निहित सत्य को ढूँढने का प्रयास किया। फलतः कालक्रमेण देवयजन के समस्त आत्मयजन की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई। कम से विद्या का अधिक महत्त्व शीघ्र ही समझा और घोषित किया गया।^३

यज्ञ उत्तर-वैदिक धर्म का मेरुदंड है। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष्य अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। नृत्तत्ववेत्ताओं ने यज्ञों के विकास के

यज्ञों का विकास

एवं विस्तार

पीछे अनेक मूलभूत कारणों का उल्लेख किया है।

उदाहरणार्थ बलिदान (Gift offering) पितृ-पूजा (Ancestor-Worship) उर्वरतामूलक

अनुष्ठान (fertility rite) देवता से सामीप्य स्थापन (Communion with deity) तथा पापों से मुक्ति आदि यज्ञ के प्रमुख प्रेरक तत्व माने गये हैं।^४ इनसे भी प्रायः प्रत्येक के समर्थक प्रमाण ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं।^५ यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ-संस्था का साम्राज्य है तथा उसके

१ ऐत० ब्रा० १६

२, अत० ब्रा० ३११.१०

३ स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आव बुद्धिज्म, पृ० २७६-८०

४ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० ३५३-२७८

५. द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० २५७ और उसके भागों। अश्वमेध उर्वरतामूलक यज्ञ है। पिण्ड-पितृयज्ञ में पितृपूजा स्पष्ट है। इसी प्रकार 'इष्टामक्षण' अनुष्ठान देवता से सामीप्य की भावना का संकेत करता है। बलिदान तथा पाप से मुक्ति का भाव तो विविध यज्ञों में प्रकट रूप से विद्यमान है।

दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देव तत्व की महत्ता में भी ह्रास हुआ। पूर्व-वैदिक काल में देवताओं की प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किया जाता था। इसके लिए पुरोहित की सहायता अपेक्षित नहीं थी। इसके विपरीत उत्तर-वैदिक काल में यज्ञ की देवताओं की तुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन माना गया। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरोहितों की अर्थदृष्टि तथा सामाजिक प्रभुत्व के नियंत्रण की भावना ने क्रमशः साधन को साध्य बना दिया और इस प्रकार देवताओं की तुलना में यज्ञ की प्रधानता घोषित हुई। यज्ञ की सृष्टि का मूल माना गया तथा यह कहा गया कि देवता भी यज्ञ से ही शक्ति धारण करते हैं।^१ अनेक प्रमुख देवताओं का तादाम्य भी यज्ञ के साथ स्थापित किया गया। वर्ण-व्यवस्था के विकास तथा राजनैतिक संगठन के स्थायी के साथ-साथ प्रभुत्व-सम्पन्न राजन्य वर्ग शक्ति एवं साम्राज्य के विस्तार हेतु सचेष्ट हुआ। इन राजन्यों के राजनैतिक जीवन में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ सहायक था।^२ इन धर्म-प्राण राजाओं ने आन्तरिक शान्ति, शत्रु-विनाश एवं दिग्विजय की कामना से तथा सम्राट्, एकराट् आदि पदों की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े सोमयज्ञों का सम्पादन किया। इन यज्ञों से उन्हें यश भी प्राप्त हुआ और मानसिक शान्ति भी। ब्राह्मणों में कुरु-पंचाल के अनेक राजाओं का सादर उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध के सम्पादन से सार्वभौम पद की प्राप्ति की।

यज्ञमूलक धर्म के पीछे बढ़ती हुई भौतिक समृद्धि तथा नवीन आर्थिक परिस्थितियों का भी विशिष्ट योग था। उत्तर-वैदिक युग में मध्यदेश के उर्वर शस्य-श्यामल प्रदेश में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्रगति तो हुई ही, साथ ही नागरिक जीवन के प्रारम्भ तथा वाणिज्य, व्यापार एवं विविध उद्योगों के विकास के कारण आर्थिक प्रगति के नये द्वार खुले जिनके परिणामस्वरूप छठीं सदी ई० पू० तक आवस्ती और कौशाम्बी प्रभृति नगरों में अनायविण्डक और घोषक जैसे घनपति अस्तित्व में आये जिन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि से बौद्ध धर्म के सम्बर्धन का प्रयत्न किया। उत्तर-वैदिक

१. पंच० ब्रा० १.८.४.१

२. राजमूय के रत्नहविषी नामक अनुष्ठान में दत्तपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अन्य पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ रत्नी मानते हैं।

ब्रह्मव्य, घोपाल, हिन्दू पब्लिक लाइफ, पृ० ७६।

युग में भी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं सम्पन्न वैश्यो का अभाव नहीं रहा होगा। यह बात उन वैदिक प्रसंगों से सूचित होती है जिनमें स्पष्टतः यह कहा गया है कि वैश्य की सहायता के अभाव में यज्ञ सफल नहीं होते।^१ यज्ञमूलक धर्म शूद्रों के लिये दुष्कर था किन्तु उन्हें तो सांस्कृतिक पार्थक्य एवं आर्थिक हीनता के कारण नियमित यज्ञ कर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था।^२

उपनिषत्कालीन दार्शनिक चिन्तन-धारा के विकास के पीछे कर्मकाण्ड-प्रधान यज्ञ सस्था के विरुद्ध होने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया थी जिसका मुखर रूप भारण्यकों में द्रष्टव्य है। जिज्ञासु एवं बुद्धिजीवी जनों ने कर्मकाण्डों की स्थूलता एवं बाह्याडम्बर में अन्तर्निहित सत्य को ढूँढने का प्रयास किया। फलतः कालक्रमेण देवयजन के समक्ष आत्मयजन की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई। कर्म से विद्या का अधिक महत्व शीघ्र ही समझा और घोषित किया गया।^३

यज्ञ उत्तर-वैदिक धर्म का मेरुदण्ड है। अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष्य अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। नृतत्ववेत्ताओं ने यज्ञों के विकास के यज्ञों का विकास पीछे अनेक मूलभूत कारणों का उल्लेख किया है। एव विस्तार उदाहरणार्थ बलिदान (Gift offering) पितृ-पूजा (Ancestor-Worship) उर्वरतामूलक अनुष्ठान (fertility rite) देवता से सामीप्य स्थापन (Communion with deity) तथा पापों से मुक्ति आदि यज्ञ के प्रमुख प्रेरक तत्व माने गये हैं।^४ इनमें से प्रायः प्रत्येक के समर्थक प्रमाण ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं।^५ यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ-सस्था का साम्राज्य है तथा उसके

१ ऐत० ब्रा० १६

२, शत० ब्रा० ३११.१०

३ स्टडीज इन दि ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म, पृ० २७६-८०

४ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी ऑफ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० ३५३-२७८

५. द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी ऑफ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० २५७ और उसके भागे। अश्वमेध उर्वरतामूलक यज्ञ है। पिण्ड-पितृयज्ञ में पितृपूजा स्पष्ट है। इसी प्रकार 'इडाभक्षण' अनुष्ठान देवता से सामीप्य की भावना का संकेत करता है। बलिदान तथा पाप से मुक्ति का भाव तो विविध यज्ञों में प्रकट रूप से विद्यमान है।

नाना अनुष्ठानों का इतना सूक्ष्म वर्णन है कि पाठक को आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। इस सस्था के सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन के लिए श्रौत एवं गृह्य सूत्रों की सहायता भी अपेक्षित है। उत्तर वैदिक युग में यज्ञ बहुत ही व्ययसाध्य, विस्तृत एवं रहस्यात्मक हो गये थे। कुछ यज्ञ महीनों तथा वर्षों तक चलते थे। इनका सम्पादन अधिकांशतः सासारिक सुख एवं ऐश्वर्य के लिये होता था। इनमें अन्तर्निहित वणिक्-वृत्ति (लेन-देन का भाव) यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में अनेकत्र मुखरित है।^१ इस युग में सब कर्मों में यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया।^२ यज्ञ से सृष्टि के निर्माण की बात ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में ही मिलती है जिसे प्रकारान्तर से ब्राह्मणों में अनेकशः दुहराया गया है।^३ यज्ञ को पाप से मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्निहोत्र अनुष्ठान से प्राणी अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है।^४ इसी ग्रन्थ में अन्यत्र कहा गया है कि अश्वमेध करने वाला अपने समस्त पापों को तथा ब्रह्महत्या को दूर भगा देता है।^५ गोपथ ब्राह्मण में एक सुन्दर उपमा द्वारा इस पापमोचन के तत्त्व को समझाया गया है। इसके अनुसार जिस प्रकार साप अपनी पुरानी केंचुल से छूट जाता है तथा 'इषीका' मूज से छूट जाती है उसी प्रकार शाकला का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है।^६ उत्तर-वैदिक साहित्य में इस बात का प्रचुर संकेत है कि यज्ञ देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस युग के प्रमुख देवताओं को यज्ञ का आध्यात्मिक प्रतीक माना गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ प्रजापति का ही प्रत्यक्ष रूप है।^७ इसी प्रकार विष्णु तथा आकाश में देदीप्यमान आदित्यों का भी तादात्म्य यज्ञ से स्थापित किया गया।^८ पञ्चविंश ब्राह्मण के एक प्रसंग में तो यह भी कहा गया है कि

१. वाज० सं० ३.५०, शत० ब्रा० ३.५.३.१९

२. शत० ब्रा० १.७.३.५, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म।

३. ताण्ड्य ब्रा० ६.१

४. शत० ब्रा० २.३.१.६

५. शत० ब्रा० १३.५.४.१

६. गो० ब्रा० ४.६

७. शत० ब्रा० ४.३.४.३, एषं प्रत्यक्ष यज्ञो यत् प्रजापतिः।

८. शत० ब्रा० ५.२.३.६, ५.४.५.१, १४.१.१.१६

यज्ञ द्वारा ही देवता तेज एवं शक्ति प्राप्त करते हैं।^१ उत्तर वैदिक साहित्य में यज्ञ द्वारा देवताओं को वाध्य एवं वशीभूत करके इच्छानुकूल फल के प्राप्ति की बात अनेकत्र कही गई है।^२

इस युग में अनेक यज्ञों में ऋत्विक् के कर्मों का चतुर्था विभाजन दृष्ट होता है। होता नामक ऋत्विक् ऋक्संहिता के ऋचाओं का पाठ करता था। अघ्वयुर् कर्म का भार सम्हालता था तथा यजुर्वेद से सम्बद्ध होता था। उद्गाता सामगान करता था और ब्रह्मा समस्त यज्ञ कर्म का अध्यक्ष होता था। उसका सम्बन्ध अथर्ववेद से था। सोम यज्ञों में पुरोहितों की संख्या सोलह तक होती थी जो विविध कर्मों को सम्पादित करते थे। इनमें मुख्य ऋत्विजों के तीन-तीन सहायक हुआ करते थे।

उत्तर-वैदिक काल में यज्ञों की संख्या में अतिशय विस्तार हुआ तथा स्थूलरूपेण उनके वर्गीकरण का भी प्रयास किया गया। अग्नि प्रमुखतया दो प्रकार की मानी गई—स्मार्ताग्नि और श्रौताग्नि।

यज्ञों का वर्गीकरण इनमें प्रथम अग्नि की स्थापना प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिये कर्तव्य है। इस गृह्याग्नि में क्रियमाण यज्ञ पाक-यज्ञ कहलाता है, जिसके अन्तर्गत श्रीपासन होम, वैश्वदेव, पार्ष्व, अष्टका मासिक, श्राद्ध, श्रवण, शूलगव आदि सात यज्ञों की गणना हुई है। ये यज्ञ साधारण और सरल हैं। श्रौत यज्ञों को हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ इन दो भागों में विभाजित किया गया है।^३ हविर्यज्ञ के अन्तर्गत अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, निरुद्ध-पशु बन्ध, सौत्रामणी और पिण्ड-पितृयज्ञ माने गये हैं। इसी प्रकार सोमयाग के अन्तर्गत अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्यामि का उल्लेख है। पुनश्च यज्ञों का विभाजन एकाह, अहीन और सत्र में हुआ है। ब्राह्मण युग में राजसूय और अश्वमेध सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोम-यज्ञ माने गये। राजाओं की शक्ति एवं प्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ राजनैतिक महत्व के इन यज्ञों की महत्ता में वृद्धि स्वाभाविक थी। ब्राह्मण युग तक सोम-यज्ञों के लिये विस्तृत चित्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

१ पच० ब्रा० १. ८ ४१

२ तै० सं० २ ३, १ ५, प० ब्रा० ६ २ २२

३ काणे, हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र, जिल्द २, भाग २, पृ० ६७६
कीथ, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २-
विन्टरनिक्स, हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर, भाग १, पृ० २७१

अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातः काल और सन्ध्याकाल में अग्नि की उपासना है जिसमें मुख्यतः दूध की तथा गीणत. यवागू, तण्डुल, दधि और घृत की आहुति दी जाती थी। ब्राह्मण-साहित्य में अग्निहोत्र के उद्देश्य एवं महत्त्व पर वैमत्य है। यह प्रायः स्वीकृत है कि इसका उद्देश्य अशत उदीयमान सूर्य की सहायता करना है।^१ इसे पापों से मुक्त करने वाला तथा स्वर्ग ले जाने के लिये उत्तम नाव माना गया।^२ सूर्य के विषय में यह विश्वास था कि वह शाम की अग्नि में समाहित हो जाता है।^३ इस आधार पर अनेक कल्पनार्यों की गई। अग्निहोत्र के अनेक तत्वों की प्रतीकात्मक व्याख्या भी हुई।^४ जनक को इस बात का श्रेय दिया गया है कि उन्होंने अग्निहोत्र की प्रक्रिया को धूलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, पुरुष एवं स्त्री में ढूढने का प्रयास किया।^५ इस प्रसंग में अग्निहोत्र की दार्शनिक व्याख्या का प्रयास दिखाई देता है।

दर्श और पूर्णमास यज्ञ को अन्य सभी इष्टियों की प्रकृति माना गया है। दर्श पूर्णमास याग क्रमशः अमावस और पूर्णिमा को किये जाते थे।

दर्श में आग्नेय पुरोडाश याग, इन्द्र देवताक दधि-

दर्श और पूर्णमास द्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक पयोद्रव्यक याग, ये तीन भाग होते हैं। पूर्णमास में अग्नि देवताक अष्टाकपाल पुरोडाश याग, अग्निषोमीय आज्यद्रव्यक उपाशुयाग, तथा अग्निषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश याग, ये तीन भाग होते हैं। इस प्रकार छ यागों की समष्टि दर्शपूर्णमास के नाम से प्रसिद्ध है। दर्श में अग्नि और इन्द्र प्रमुख देवता हैं और पूर्णमास में अग्नि और सोम। सोम और अग्नि के इस विचित्र सम्पर्क ने विद्वानों का ध्यान 'आकर्षित किया है।^६ सम्भवतः

१ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, पृ० ३१८

२. शत० ब्रा० १, पृ० १६१ (अच्युत ग्रन्थमाला)

३. शत० ब्रा० १ पृ० १७८ (")

४. शत० ब्रा० २, पृ० ११७४ (")

५. शत ब्रा० १, पृ० २५० (")

६. ओल्डेनबर्ग का मत, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३२१ पर उद्धृत

लोगों का ऐसा विश्वास था कि दश-यज्ञ के सम्पादन से चन्द्रमा के पुनरोदय एवं वृद्धि में सहायता मिलती है।^१

चार-चार मासों में अनुष्ठेय होने के कारण इसका यह नामकरण है। इसका सम्बन्ध स्पष्टतः ऋतुओं से है। इसमें चार पर्वा होते हैं। वैश्वदेव का फाल्गुनी पूर्णिमा को तथा वरुण-प्रघास का सम्पादन चातुर्मास्य आषाढी पूर्णिमा को होता था। साकमेघ चार मासों के अनन्तर कार्तिकी पूर्णिमा को तथा शुनासीरीय फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को अनुष्ठेय थे। वरुण-प्रघास का सम्बन्ध स्पष्टतः पापमोचन से है।^२ शुनासीरीय कृषि कर्म से संबंधित अनुष्ठान है।^३ यह भी कहा गया है कि वैश्वदेव अग्नि से सायुज्य प्राप्त कराता है, वरुण-प्रघास वरुण से तथा साकमेघ इन्द्र से। साकमेघ अनुष्ठान में त्र्यम्बक को बलि चढ़ाने की महत्वपूर्ण बात कही गयी है। उन्हें बलि चोराहे पर दी जाती थी। इस अवसर पर एक पिण्ड उत्तर की दिशा में चींटियों के झुण्ड पर फेंक दिया जाता था तथा कहा जाता था 'हे रुद्र यह तुम्हारा भाग है'। इस प्रसंग में आगे रुद्र से मूजवन्त के उस पार जाने को कहा जाता है।^४ साकमेघ का यह प्रसंग दो बातों को सूचित करता है। प्रथम यह कि उत्तर-वैदिक ऋत्विज समाज की दृष्टि में रुद्र की स्थिति अन्य देवताओं से पृथक् थी। दूसरे उनको बलि भी आदिम-विधि से प्रदत्त की जाती थी तथा यजमान-बलि द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास करता था।

आग्रयण इष्टि का प्रयोजन स्पष्ट है। नवीन उत्पन्न द्रव्य (धान तथा यव) से शरद तथा वसन्त में यह इष्टि विहित है। यह आग्रयण नित्य इष्टि है। इसके अनुष्ठान के पश्चात् ही आहिताग्नि नये अन्न को खाता है।

१ घात० ब्रा० २, पृ० ११६६ ६७ (अच्युत ग्रंथमाला)

२ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आफ दि वेद-एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३२२

३. कीथ, पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३२३

४. द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आफ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३२२

पशु-यज्ञ प्रति वत्सर वर्षाश्रुतु में करने का विधान था। कहीं-कहीं उत्तरायण के तथा दक्षिणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान विहित है। द्रव्य है छाग और वह भी प्रत्यक्ष नहीं, निरुद्ध पशु बन्ध प्रत्युत उसके वपा, हृदय, वक्ष यकृत आदि नाना अंगों का होम इन्द्राग्नि, सूर्य, अथवा प्रजापति के उद्देश्य से अग्नि में विहित है। खदिर अथवा विल्व के वृक्ष में छाग को बाँध कर सज्जपन करते हैं। तदनन्तर अगविशेषों को निकाल कर यज्ञ में हवन करते हैं। क्रमशः पशुबन्ध में होने वाली हिंसा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ।^१ अतः पुरोहितों ने पशु-यज्ञ को रहस्यात्मक (Mystical) और मिथ्याभिचारिक [(Quasi-Magical)] स्वरूप प्रदान करने का प्रयास भी किया।^२

यद्यपि सूत्र-साहित्य में सौत्रामणी को हविर्यज्ञ के अन्तर्गत स्थान दिया गया है किन्तु यह याग सोम-यज्ञ के अधिक निकट प्रतीत होता है।^३ इसमें पशु और सुरा की वलि दी जाती थी। हिलेब्रान्त सौत्रामणी इसे ब्रह्मरोतर अनुष्ठान मानते हैं जिसे सोम-यज्ञ के अनुसार परिष्कृत एवं सज्जित किया गया किन्तु कीथ महोदय ने इस मत की सतर्क आलोचना की है। वे इसका मूल इन्द्र-सवधी पुराकथा में आधारित मानते हैं।^४ स्वतन्त्र और अगभूत होने से यह द्विष्टि दो प्रकार की होती है। स्वतन्त्र याग में ब्राह्मण का ही तथा अगभूत में क्षत्रिय एवं वैश्य का अधिकार माना गया है। पशु तीन होते हैं—अज, मेघ और ऋषभ तथा देवता भी यथाक्रम अश्विनी, सरस्वती और इन्द्र होते हैं। आरम्भ में ‘सौत्रामण्या सुराग्रह’ सम्भवतः एकान्त नियम था किन्तु आप-स्तम्ब श्रौतसूत्र में ‘पयोग्रहा वा स्युः’ नियम भी विकल्पतः मिलता है।^५

१ शाखायन ब्राह्मण ११ १३ में कहा गया है कि यज्ञ में हिंसित पशु दूसरे लोक में जाकर यज्ञकर्ता को खाते हैं।

२ शत० ब्रा० १ ३७६, ३८४ (अच्युत ग्रथमाला)

३ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३५२।

४. कीथ, पूर्वनिर्दिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३५३-५४, अतिशय सोम-पान से इन्द्र रण्य हुये तथा अश्विनी और सरस्वती के प्रयत्न से स्वस्थ हुये।

५. आप० श्रौ० सू० १९ २ २३

पितृ यज्ञ के अन्तर्गत बलि द्वारा पितरो को सन्तुष्ट किया जाता था। इस यज्ञ के प्रसंग में पारिवारिक तथा श्रौत अनुष्ठानों में नितान्त साम्य है।

पितृ यज्ञ के स्वरूप के अध्ययन से यह बात प्रकट पिण्डपितृयज्ञ होती है कि पितरो तथा देवताओं के प्रति लोगों के भाव में पर्याप्त अन्तर था।^१ देवताओं के प्रति किये गये यज्ञ में जहाँ फल-प्राप्ति की कामना प्रमुख थी वहीं पितृयज्ञ के मूल में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा-भाव ही मुख्य प्रेरक तत्व था।

सोम यज्ञों की विशालता एवं जटिलता विशेष उल्लेखनीय है जो विशेषतः वाजपेय, अश्वमेध तथा राजसूय इत्यादि राजनैतिक महत्व के यज्ञों में पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। सोम रस की सोम यज्ञ आहुति देने से इन यज्ञों की सोम-याग के अन्तर्गत माना गया है। वाजपेय प्रारम्भ में एक क्षत्रिय अनुष्ठान था जिसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना था।^२ वैसे ब्राह्मण साहित्य में इसका सम्पादन ब्राह्मणों के लिये भी विहित है। ईशुप्रासन, अजिषावन, दुदुभिवादन, आदि इसके प्रमुख तत्व हैं। यूपारोहण जैसे अनुष्ठानों को सम्भवतः बाद में जोड़ा गया।^३ अश्वमेध यज्ञ के सौर और उर्वरतामूलक अनुष्ठान होने के बिन्दु स्पष्ट हैं। इस दृष्टि से मेघ्य अश्व तथा राजमहिषी का समागम उल्लेखनीय है।^४ मूलतः अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य उर्वरता के कारणभूत वसन्त के सूर्य के आगमन पर उत्सव मनाना था।^५ कालक्रमेण यह यज्ञ राजाओं के दिग्विजय से सम्बन्धित किया गया। राजसूय के अन्तर्गत राजा के अभिषेक तथा उससे सम्बन्धित अनेक अनुष्ठानों का सकलन है। अभिषेक, द्यूतक्रीडा, रथ-धावन, तथा रत्नहविषी आदि इसके प्रमुख तत्व हैं। इस यज्ञ के प्रसंग में प्रयुक्त प्रतीक, प्रतिज्ञा तथा

१ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आन दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग, २, पृ० ४३१

२ गो० ब्रा० ५ ८

३ द्रष्टव्य, स्टडीज इन दि ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म, पृ० १७७

४ शत० ब्रा० १३.५ २ २

५ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आन दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३४६

आशीष राजनैतिक संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही उनसे तत्कालीन सामाजिक संगठन, विशेषतः 'वर्यो' के पारस्परिक सम्बन्ध एवं उनकी तुलनात्मक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है।

'यज्ञा यज्ञा वो अग्नये' (ऋ० ४८१) ऋचा पर सामगान अग्निष्टोम कहलाता है। इस साम के अन्तिम होने से यह याग कहलाता है 'अग्निष्टोम संस्था' और लघुता की दृष्टि से केवल 'अग्निष्टोम'।

अग्निष्टोम यह याग पाच दिनो तक चलता है। ऐष्टिक वेदि में आनुषंगिक इष्टियो का तथा सौमिक वेदि में प्रधान इष्टियो का अनुष्ठान किया जाता है। प्रकृति याग होने से इसका विशेष महत्व है। वारह शस्त्रो का प्रयोग इसकी विशेषता है। हिलेब्रान्त महोदय इस अनुष्ठान को वसन्तोत्सव से सम्बन्धित मानते हैं किन्तु इस मत के पक्ष में प्रमाणों का अभाव है।^१

इसका स्वरूप भी बहुत कुछ अग्निष्टोम के समान ही है। इसमें पूर्व उक्त याग से तीन शस्त्र अधिक होते हैं। शस्त्रों एवं स्तोत्रों की संख्या पन्द्रह होती है। दो पशुओं की बलि दी जाती है।

इस इष्टि में उक्त्यु के अनन्तर एक षोडशी नामक स्तोत्र और विद्यमान रहता है। पन्द्रह स्तोत्रों को गर्भित कर एक और स्तोत्र की सत्ता इसकी विशिष्टता है। यह स्वतन्त्र ऋतु नहीं है इसलिये **षोडशी** अग्निष्टोम की भांति इसका अनुष्ठान पृथक् रूप से नहीं होता है। इसमें मेघ्य पशुओं में तीसरे पशु (मेघ) भेडा का भी उल्लेख है।

षोडशिस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र सञ्जक सामों का गायन इस याग के अन्त में होता है। इसमें उन्तीस स्तोत्र और **अतिरात्र** शस्त्र होते हैं। इसका सम्पादन रात्रिकाल में होता है तथा इसमें मेघ्य पशुओं की संख्या चार होती है।

उपयुक्त चारों यागों का सामूहिक अभिधान ज्योतिष्टोम है।^२ प्राचीनतर संहिताओं में अत्यग्निष्टोम, आतोर्धाम और वाजपेय की गणना ज्योतिष्टोम

१. रिलिजन एण्ड फिलोसोफी भाव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३२७

२. तै० ब्रा० १५११

के अन्तर्गत नहीं हुई है। सम्भवतः बाद में संख्या को सात करने के लिए इन्हें जोड़ दिया गया ^१ क्योंकि सात की संख्या परम्परागत रूप से शुभ एवं पवित्र मानी जाती थी।

इसमें अग्निष्टोम के अन्तर्गत बिना उक्त किये हुए षोडशी का विधान किया जाता है। इसमें तेरह शस्त्र एवं स्तोत्र होते हैं। अग्निष्टोम तथा अत्यग्निष्टोम में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

आप्तोर्याम को यत्र-तत्र अतिरात्र के साथ अहीन यज्ञों के अन्तर्गत माना गया है तथा अन्यत्र इसकी गणना एकाह यज्ञों में हुई है। अतिरात्र के सन्धि स्तोत्र तथा आश्विन शस्त्र के बाद इसमें क्रमशः चार स्तोत्र और शस्त्र अधिक जोड़े गये हैं।^२

सोम यज्ञों में सर्वाधिक जटिल, विकृत एवं बीभर्ष पुरुषमेघ तथा अग्नि-चयन के प्रसंग में चित्ति-निर्माण से सम्बन्धित पञ्च-पशु यज्ञ है। पुरुषमेघ के अन्तर्गत तो मनुष्य की बलि का विधान है ही,^३ साथ ही 'चित्ति-निर्माण' में मेघ्य पाच पशुओं के अन्तर्गत भी मनुष्य की गणना हुई है।^४ शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मणों एवं सूत्रों में पुरुषमेघ तथा अग्निचयन का जो वर्णन उपलब्ध होता है, उससे प्रकट होता है कि- उत्तर-वैदिक युग में नरमेघ सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत था। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वान् नरमेघ यज्ञ को पूर्णतः प्रतीकात्मक मानते हैं।^५ किन्तु इसके विपरीत विद्वानों का दूसरा पक्ष अशत वास्तविक नर-बलि की प्रथा का प्रचलन

१ आप० श्रौ० सू० १४.१४, का० श्रौ० सू० १०.१२८

२ द्रष्टव्य, कीथ पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३२६

३ शत० ब्रा० १३६२१, यदस्मिन् मेघ्यान्पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेघ।

४. शत० ब्रा० ६२११८

५ ईंग्लिश, सेन्ट्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, भाग ४४, पृ० ३४, कीथ, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३६२

स्वीकार करता है ।^१ मित्र महोदय (R.L. Mitra) के मतानुसार तैत्तिरीय शाखा के अन्तर्गत पुरुषमेघ का स्वरूप कथमपि प्रतीकात्मक नहीं था जब कि शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण शतपथ के अनुसार सभी मेघ्य मनुष्य प्रतीकात्मक अनुष्ठान के पश्चात् मुक्त कर दिये जाते थे ।^२ किन्तु उनका यह मत भी पूर्णतः निरापद नहीं है । ब्राह्मण एवं सूत्र साहित्य के अध्ययन से जो स्थिति स्पष्ट होती है उससे सूचित है कि कृष्ण यजुर्वेदीय एवं शुक्ल यजुर्वेदीय दोनों शाखाओं के अनुसार पर्यग्निकरण के पश्चात् कुछ मनुष्य मुक्त कर दिये जाते थे तथा बाँकी का बलिदान होता था । कात्यायन श्रौत सूत्र में मेघ्य मनुष्यों की मुक्ति के प्रति विशेष उदारता प्रदर्शित की गई है तथा विकल्पतः उनके स्थान पर हिरण्य पुरुष तथा मृण्मय पुरुष को भी ब्राह्मण बताया गया है ।^३ असम्भव नहीं है कि यह श्रौतसूत्र नवोदित अहिंसा के सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण अग्निचयन की परम्परागत प्रक्रिया में कुछ शिथिलता का आरोप करता हो । हिलेब्रान्त महोदय पुरुषमेघ के प्रचलन को स्वीकार करते हुए भी इतने बड़े मानव-समूह का वध सन्दिग्ध मानते हैं जिसका वर्णन वाजसनेयी संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य ग्रन्थों में हुआ है ।^४ सैकड़ों की संख्या में मनुष्यों की बलि आश्चर्यजनक एवं असम्भाव्य होते हुये भी असम्भव नहीं है । यूरोपीय आर्यजातियों में 'ओथिन सम्प्रदाय' (कल्ट आफ ओथिन) के अन्तर्गत भी बहुसंख्यक मनुष्यों की बलि दी जाती थी । इस प्रसंग में निम्नान्वे मनुष्यों और अश्वों के वध का उल्लेख मिलता है ।^५ इस संख्या को देखते हुये वाजसनेयी संहिता में उल्लिखित एक सौ चौरासी तथा शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित एक सौ छ्वाछठ मेघ्य मनुष्यों की संख्या भी स्वीकार की जा सकती है, विशेषतः इसलिये कि पुरुषमेघ के प्रसंग में उल्लिखित सभी मनुष्यों का वध नहीं होता था । उनमें से बहुसंख्यक पर्यग्निकरण के पश्चात् उसी प्रकार छोड़ दिये जाते थे जिस प्रकार अश्वमेघ में वनैले पशु ।^६ प्राचीन आर्य

१. बेबर और हिलेब्रान्त का मत, जी० आर० शर्मा, एक्सकेवेमन्स एट कोशाम्बी, पृ० ११७ पर उद्धृत

२. जे० ए० एस० वी०, १८७६, पृ० १०३

३. कात्या० श्रौ० सू० १६३२,

४. वाजसनेयी संहिता में मेघ्य मनुष्यों की संख्या १८४ तथा शत० ब्रा० में १६६ बताई गई है ।

५. चादविक, दि कल्ट आफ ओथिन, पृ० २४

६. शत० ब्रा० १३.६ २.१, तुलनीय आप० श्रौ० सू० २० १७ ५

जातियों में पुरुषमेघ का प्रचलन सुविदित है।^१ किन्तु यह आदिम एग वर्बर परम्परा ऋग्वेदिक संस्कृति में मृतप्राय है। यह बात शुन शेष की मुक्ति तथा उसकी कथा में अन्तर्निहित करुणोत्पादन के उद्देश्य द्वारा सूचित होती है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में पुरुष-सूक्त के अतिमानवीय पुरुषमेघ को छोड़कर वास्तविक पुरुषमेघ का उल्लेख कहीं नहीं है।^२ उत्तर वैदिक काल में इस प्राचीन एग आदिम परम्परा का उन्मज्जन बहुत ही आश्चर्यजनक है।^३ पुरुषमेघ यज्ञ के स्वरूप, उद्देश्य तथा इसकी सामाजिक मान्यता के ज्ञान-हेतु उत्तर-वैदिक साहित्य में उपलब्ध इसके विधि विधानों का सक्षित अध्ययन और विवेचन भी कर्तव्य हैं।

सामान्यतः पुरुषमेघ यज्ञ पाच दिन तक चलता था।^४ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह चालीस दिनों तक भी चल सकता है।^५ जिस प्रकार अश्वमेघ में अश्व प्रधान मेध्य पशु है उसी प्रकार पुरुषमेघ में मनुष्य। इस यज्ञ की सम्पादन-पद्धति भी अश्वमेघ पर ही आधारित है।^६ सत्यासाढ श्रौतसूत्र में कहा गया है कि पुरुषमेघ के अधिकारी ब्राह्मण और राजा ही होते हैं।^७ इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र में भी पुरुषमेघ के अधिकारी ब्राह्मण और क्षत्रिय माने गये हैं।^८ पुरुषमेघ के लिये एक ब्राह्मण या क्षत्रिय को सहस्र गायें और सौ घोड़े देकर खरीदने का विधान था।^९ यदि क्रय के माध्यम से कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो किसी शत्रु को जीत कर उसकी बलि देनी

१ ओदर, प्रिहिस्टरिक एण्टिविवटीज आव दि आर्यन पिपुल्स, यफ० बी० जेवन्स का अनुवाद, पृ० ४२२

२ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३४७

३ अथर्ववेद ११ २ ६ में रुद्र को पुरुष-बलि देने का प्रारम्भिक उल्लेख मिलता है।

४ शत० ब्रा० १३.६ १ १, पञ्चाह पुरुषमेघ।

५. शत० ब्रा० १३ ६ १ २

६ शाखा० श्री० सू० १६ १० २, सर्वमाश्वमेधिकम्

७ सत्या० श्री० सू० १४ ६ १, राजा ब्राह्मणों का

८ आप० श्री० सू० २० २४ २, ब्राह्मणो राजान्यो वा यजेत। का० श्री० सू० २५ २

९ शाखा० श्री० सू० १६ १० ६, ब्राह्मण क्षत्रिय वा सहस्रेण शताश्वेनावश्रीय

चाहिये ।^१ यदि उसकी पत्नी अवरोध करे तो उसकी सम्पत्ति छीन लेने तथा अव्राह्मणी होने पर उसकी हत्या करने की बात भी कही गई है ।^२ इस प्रकार प्राप्त पुरुष को स्नानादि द्वारा पवित्र करके एक वर्ष तक स्वतंत्र छोड़ देने की व्यवस्था थी । उस काल में वह ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता था ।^३ वर्ष के पूरा होने पर इन्द्र और पूषण को पशु-बलि दी जाती थी ।^४ शुश शेष काशीवन्त आदि से सम्बन्धित नाराशसी का पाठ होता था ।^५ शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन श्रौत सूत्र तथा आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में पुरुष मेघ के लिये ग्यारह यूपों का विधान है ।^६ किन्तु शाखायन श्रौत सूत्र में पञ्चीस यूपों के निर्माण का उल्लेख है ।^७ पुरुष मेघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान तीसरे दिन होता था । इस अवसर पर मेघ्य पुरुषों को त्रिविध-यूपों में बाँटा जाता था ।^८ पुरोहित यूपवद्ध मनुष्यों की ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मन्त्रों के माध्यम से प्रशंसा करता था । इससे पुरुषमेघ एवं पुरुष सूक्त का सम्बन्ध प्रकट होता है । इसके पश्चात् मेघ्य मनुष्यों का पर्यग्निकरण होता था ।^९ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पर्यग्निकृत मनुष्य मुक्त कर दिये जाते थे तथा केवल ग्यारह मनुष्यों का वध होता था जो पर्यग्निकृत नहीं होते थे ।^{१०} अश्वमेध यज्ञ में भी पर्यग्निकृत पशुओं को मुक्त करके ही अश्व वध होता था ।^{११} ब्राह्मणों तथा सूत्रों के अध्ययन में इतना सुनिश्चित है कि कर्मकाण्डीय साहित्य में वास्तविक पुरुषमेघ का विधान था किन्तु यह कहना निश्चित ही कठिन है कि समाज द्वारा इस प्रकार के अमानुषिक यज्ञों को कितनी नान्यता प्राप्त थी । यह यज्ञ अवश्य ही जनसाधारण के घृणा एवं भयमिश्रित

१. वृत्तान श्री० सू० ७ ३७ १६, सपत्न विजित्य तेन यजेत

२. शाखा० श्री० सू० १६ १० ६ सवत्सरायोत्सृजन्ति

३. शा० श्री० सू० १६.१० ६ सर्वकामिनमन्यत्रा ब्रह्मचर्यात्

४. वृत्तान श्री० सू० ७ ३७ २१

५. शाखा० श्री० सू० १६ ११

६. शत० ब्रा० १३.६ १.६, कात्या० श्री० सू० २१.४, यूपैकावशिनी भवति

७. शाखा० श्री० सू० १६ १२ ६

८. कात्या० श्री० सू० २१ ७-६

९. शत० ब्रा० १३ ६.२ १२

१०. शत० ब्रा० १३.६ २ १३ १५, एकावशिनी सत्यापयति

११. आप० श्री० सू० २० १७.५

अश्वत्था का विषय रहा होगा। ब्राह्मणसाहित्य में किसी राजा द्वारा पुरुषमेघ के सम्पादन का उल्लेख नहीं मिलता। प्रायः सर्वत्र इसका सैद्धान्तिक विवरण ही उपलब्ध होता है। सम्भव है कि पुरोहितों के प्रभाव से आक्रान्त किसी राजा ने पुरुषमेघ को व्यावहारिक रूप भी दिया हो, किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में निश्चायक साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। कतिपय पुरातात्विक प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं जिनसे यह सूचित होता है कि पुरुषमेघ की प्रथा व्यावहारिक जीवन में भी सर्वथा अज्ञात नहीं थी।^१ पुरातात्विक साक्ष्यों का विवेचन अग्रिम पृष्ठों पर अग्निचयनके प्रसंग में किया जायगा। इसके पूर्व पुरुषमेघ के उद्देश्य तथा इसके पीछे उपस्थितमूल भावना का अध्ययन आवश्यक है।

शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेघ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि इसके सम्पादन से 'पुरुष-नारायण' की स्थिति सर्वश्रेष्ठ हो गई। इसी प्रकार इसका यजमान भी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है तथा सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।^२ सत्याषाढ श्रौत सूत्र में यह भी कहा गया है कि सभी प्राणियों में ज्येष्ठ्य, तथा श्रेष्ठ्य तथा स्वाराज्य एव आधिपत्य का इच्छुक व्यक्ति पुरुषमेघ करे।^३ शाखायन श्रौत सूत्र में कहा गया है कि प्रजापति को जो अश्वमेघ से नहीं प्राप्त हो सका उसे पुरुषमेघ द्वारा प्राप्त किया।^४ गोपथ ब्राह्मण में राजनैतिक महत्व के यज्ञों का उल्लेख करते हुये राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ, पुरुषमेघ और सर्वमेघ द्वारा प्रजापति के क्रमशः राजा, सम्राट, स्वराट, विराट, और सर्वराट होने की बात कही गई है।^५ इन सभी उद्धरणों से स्पष्ट है कि पुरुषमेघ के सम्पादन का उद्देश्य इच्छानुकूल फल प्राप्त करना था किन्तु यज्ञ की मूल धार्मिक प्रेरणा ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०. १०) में उल्लिखित विराट-पुरुष की बलि से ली गई है। यह बात अग्निचयन के प्रसंग में अधिक स्पष्ट है। ब्राह्मणों एवं सूत्रों में ऐसे अनेक संकेत हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि अग्निचयन का उद्देश्य उस प्रजापति

१. शर्मा, जी० आर० एक्सकेवैसन्स एट कोशाम्बी, अध्याय ८, पृ० ८७-१२६

२. शत० ब्रा० १३. ६, १. १

३. सत्या० श्रौ० सू० १४. ६. १

४. शाखा० श्रौ० सू० १६. १०. १, प्रजापतिरश्वमेघेनेष्ट्वा - पुरुषमेघमपश्यत्। तस्य यदनामश्वमेघेनासीत्तत्सर्वं पुरुषमेघेषाप्नोत्।

५. गो० ब्रा० ५. ८

का उद्धार एवं पुनर्निर्माण करना था, को पुरुष के रूप में बलिदान होकर नृष्टि के निर्माण के कारण बना ।^१ इसीलिये प्रजापति का तादात्म्य यज्ञ वेदी से भी स्थापित किया गया है ।^२

पुरुषमेव का संकेत अग्निचयन के प्रसंग में भी हुआ है । अग्निचयन में चित्तिनिर्माण के समय जो पंचपशु बध होता था उसमें घोड़ा, बकरा, भैंसा तथा सांड के साथ मनुष्य भी बिद्यमान है । अग्निचयन को सोम याग का एक अंग माना गया है ।^३ अग्निचयन महाव्रत यज्ञ के लिये अनिवार्य तथा अन्य सोम यज्ञों के लिये ऐच्छिक था ।^४ अग्निचयन के लिये एक वर्ष की अवधि निर्धारित है ।^५ उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार की चित्तियों का उल्लेख हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें चन्द्रचित्ति, श्येनचित्ति, अलजाचित्ति आदि दस चित्तियों का उल्लेख है जिनका उद्देश्य क्रमशः पशुप्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, प्रतीष्ठा-प्राप्ति आदि बताया गया है ।^६

चित्ति-निर्माण के प्रसंग में पञ्च पशुबध का जो विधान है उसके यथा-विधि पालन पर शतपथ ब्राह्मण बल देता है ।^७ किन्तु अन्यत्र इसी अर्थ में विकल्पतः यह भी कहा गया है कि केवल अज की बलि से ही पाँच पशुओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है ।^८ बौधायन श्रौत सूत्र के अनुसार मनुष्य का सिर वेदी में रखने के लिये बिना उसकी हत्या किये भी युद्ध में मृत व्यक्ति के शव से प्राप्त किया जा सकता है ।^९ आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में भी यह कहा गया है कि यह सिर विद्युत से मरे व्यक्ति अथवा तीर से मरे व्यक्ति को भी हो सकता है ।^{१०} कात्यायन ने तो हिरण्यमय या मृगमय कपाल को विकल्पतः

१. शत० ब्रा० ५.१.२.१३

२. शत० ब्रा० ८.२.१.१८,

३. कात्या० श्रौ० सू० १६.१, हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्राज, अथ २, भाग २, पृ० १२४७

४. कात्या० श्रौ० सू० १६.२

५. शत० ब्रा० ६.१.२.२०

६. तै० ब्रा० ५.४.११

७. शत० ब्रा० ६.२.१.३९

८. शत० ब्रा० ६.२.२.१५

९. बौ० श्रौ० सू० १०.६

१०. आप० श्रौ० सू० १६.६.२, वैश्यस्य राजन्यस्य वेपुहवस्याशनिहृत्रस्य वा ।

ग्राह्य वतलाया है।^१ ऐसी स्थिति में चित्तिनिर्माण के लिये मनुष्य-वध का प्रचलन प्रायः अज्ञात अथवा अल्पज्ञात रहा होगा। अग्निचयन के प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि इसका स्वरूप विशेषतः तांत्रिक, अभिचारपूर्ण तथा जटिल था। विविध आकार एवं बनावट वाली दस हजार आठ सौ ईंटों का प्रयोग, कूर्म, सर्प, कमल-पत्र, हिरण्यमय पुरुष तथा पञ्च पशुओं के कपाल की वेदी में स्थापना, अग्निचयन के तांत्रिक स्वरूप को व्यक्त करता है।

अग्निचयन और पुरुषमेघ का सूचक विरल पुरातात्विक साक्ष्य कोशाम्बी के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। श्री गोवर्धन राय शर्मा कोशाम्बी के पूर्वी द्वार पर स्थित पक्षी के आकार वाली वेदिका को पुरुषमेघ से सम्बन्धित ह्येन-चित्ति मानते हैं।^२ इस वेदी के उत्खनन में जो सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं उनके आधार पर उनका कहना है कि इस वेदी का सम्बन्ध पुरुषमेघ से था तथा इसका निर्माण याज्ञिक साहित्य में विहित नियमों के अनुसार हुआ था। इस वेदी पर न केवल अनेक मानव-कपाल और पशुओं की अस्थियाँ मिली हैं वल्कि उखा, सर्प की लोहाकृति, कूर्म, और अपाढा आदि इष्टिकायें भी उन्हें प्राप्त हैं। ये सभी वस्तुयें यजुर्वेदीय ब्राह्मणों तथा श्रौतसूत्रों के अनुकूल हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय अपाढा नामक इष्टिका पर उत्कीर्ण 'देवलक्ष्म' (पुरुषमेघ यज्ञ के चिन्ह स्वरूप यूपबद्धमनुष्य का इष्टिका पर अंकन) है। कोशाम्बी की इस वेदिका में प्राप्त अपाढा नामक इष्टिका पर यूप से बंधे मनुष्य का चित्र है जिसके झुकी हुई गर्दन पर कोई हथियार गिरता हुआ दिखाई देता है।^३ यह प्रतीक सम्भवतः पुरुष मेघ से इस चित्ति का सम्बन्ध-सूचित करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि पुरुषमेघ का प्रचलन-वास्तविक जीवन में भी सर्वथा अज्ञात नहीं था। शक्तिशाली राजाओं के स्वार्थ-साधन के लिये किसी निरीह मनुष्य की हत्या उस युग में सर्वथा सम्भव थी। इस विकृति के कारण ही यज्ञमूलक धर्म की लोकप्रियता भी सहसा लुप्त हो गई। उपनिषत्काल तक यज्ञों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ तथा अहिंसा के सिद्धान्त पर बल दिया गया उसके पीछे पशु-यज्ञ तथा विशेषतः पुरुषमेघ की अमानुषिक परम्परा की प्रबल प्रतिक्रिया रही होगी।

१. कात्या० श्रौ० सू० १६.३२, अग्न्यानि वा हिरण्यम्यानि वा मृन्म्यानि वानालार्म्यतान्।

२. द्रष्टव्य, एक्सकेवेसन्स एट कोशाम्बी, अध्याय ८, ६

३. एक्सकेवेसन्स एट कोशाम्बी, पृ० ६३, प्लेट १८ बी

का उद्धार एवं पुनर्निर्माण करना था, को पुरुष के रूप में बलिदान होकर नृष्टि के निर्माण के कारण बना । ^१ इसीलिये प्रजापति का तादात्म्य यज्ञ वेदी से भी स्थापित किया गया है । ^२

पुरुषमेघ का संकेत अग्निचयन के प्रसंग में भी हुआ है । अग्निचयन में चित्तिनिर्माण के समय जो पचपशु बध होता था उसमें घोड़ा, बकरा, भैंसा तथा सांड के साथ मनुष्य भी विद्यमान है । अग्निचयन को सोम याग का एक अंग माना गया है । ^३ अग्निचयन महाव्रत यज्ञ के लिये अनिवार्य तथा अन्य सोम यज्ञों के लिये ऐच्छिक था । ^४ अग्निचयन के लिये एक वर्ष की अवधि निर्धारित है । ^५ उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार की चित्तियों का उल्लेख हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें चन्दश्चिति, श्येनचिति, अलङ्गाचिति आदि दस चित्तियों का उल्लेख है जिनका उद्देश्य क्रमशः पशुप्राप्ति, स्वर्गप्राप्ति, प्रतीष्ठा-प्राप्ति आदि बताया गया है । ^६

चित्ति-निर्माण के प्रसंग में पञ्च पशुबध का जो विधान है उसके यथाविधि पालन पर शतपथ ब्राह्मण बल देता है । ^७ किन्तु अन्यत्र इसी ग्रन्थ में विकल्पतः यह भी कहा गया है कि केवल अज की बलि से ही पाचों पशुओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है । ^८ वीधायन श्रौत सूत्र के अनुसार मनुष्य का सिर वेदी में रखने के लिये बिना उसकी हत्या किये भी युद्ध में मृत व्यक्ति के शव से प्राप्त किया जा सकता है । ^९ आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में भी यह कहा गया है कि यह सिर विद्युत से मरे व्यक्ति अथवा तीर से मरे व्यक्ति को भी हो सकता है । ^{१०} कात्यायन ने तो हिरण्यमय या मृण्मय कपाल को विकल्पतः

१. शत० ब्रा० ५. १. २. १३

२. शत० ब्रा० ८. २. १. १८,

३. कात्या० श्रौ० सू० १६. १, हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्राज, ग्रन्थ २, भाग २, पृ० १२४७

४. कात्या० श्रौ० सू० १९. २

५. शत० ब्रा० ६. १. २. २०

६. तै० ब्रा० ५. ४. ११

७. शत० ब्रा० ६. २. १. ३९

८. शत० ब्रा० ६. २. २. १५

९. वी० श्रौ० सू० १०. ६

१०. आप० श्रौ० सू० १६. ६. २, वैश्यस्य राजन्यस्य वेपुहवस्याग्निहवस्य वा ।

ग्राह्य बतलाया है।^१ ऐसी स्थिति में चित्तिनिर्माण के लिये मनुष्य-वध का प्रचलन प्रायः अज्ञात अथवा अल्पज्ञात रहा होगा। अग्निचयन के प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि इसका स्वरूप विशेषतः तांत्रिक, अभिचारपूर्ण तथा जटिल था। विविध आकार एवं बनावट वाली दस हजार आठ सौ ईंटों का प्रयोग, कूर्म, सर्प, कमल पत्र, हिरण्यमय पुरुष तथा पञ्च-पशुओं के कपाल की वेदी में स्थापना, अग्निचयन के तांत्रिक स्वरूप को व्यक्त करता है।

अग्निचयन और पुरुषमेघ का सूचक विरल पुरातात्विक साक्ष्य कोशाम्बी के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। श्री गोवर्धन राय शर्मा कोशाम्बी के पूर्वी द्वार पर स्थित पक्षी के आकार वाली वेदिका को पुरुषमेघ से सम्बन्धित ध्येन-चित्ति मानते हैं।^२ इस वेदी के उत्खनन में जो सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं उनके आधार पर उनका कहना है कि इस वेदी का सम्बन्ध पुरुषमेघ से था तथा इसका निर्माण याज्ञिक साहित्य में विहित नियमों के अनुसार हुआ था। इस वेदी पर न केवल अनेक मानव-कपाल और पशुओं की अस्थियाँ मिली हैं वल्कि उखा, सर्प की लोहाकृति, कूर्म, और अपाढा आदि इष्टिकाएँ भी उन्हें प्राप्त हैं। ये सभी वस्तुएँ यजुर्वेदीय ब्राह्मणों तथा श्रौतसूत्रों के अनुकूल हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय अपाढा नामक इष्टिका पर उत्कीर्ण 'देवलक्ष्म' (पुरुषमेघ यज्ञ के चिन्ह स्वरूप यूपबद्ध मनुष्य का इष्टिका पर अंकन) है। कोशाम्बी की इस वेदिका में प्राप्त अपाढा नामक इष्टिका पर यूप से बंधे मनुष्य का चित्र है जिसके झुकी हुई गर्दन पर कोई हथियार गिरता हुआ दिखाई देता है।^३ यह प्रतीक सम्भवतः पुरुष मेघ से इस चित्ति का सम्बन्ध-सूचित करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि पुरुषमेघ का प्रचलन-वास्तविक जीवन में भी सर्वथा अज्ञात नहीं था। शक्तिशाली राजाओं के स्वार्थ-साधन के लिये किसी निरीह मनुष्य की हत्या उस युग में सर्वथा सम्भव थी। इस विकृति के कारण ही यज्ञमूलक धर्म की लोकप्रियता भी सहसा लुप्त हो गई। उपनिषद्काल तक यज्ञों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ तथा अहिंसा के सिद्धान्त पर बल दिया गया उसके पीछे पशु-यज्ञ तथा विशेषतः पुरुषमेघ की अमानुषिक परम्परा की प्रबल प्रतिक्रिया रही होगी।

१. कात्या० श्रौ० सू० १६.३२, अन्यानि वा हिरण्यमानि वा मृन्मयानि वानालार्म्यतान्।

२. द्रष्टव्य, एक्सकेवेसन्स एट कोशाम्बी, अध्याय ८, ९

३. एक्सकेवेसन्स एट कोशाम्बी, पृ० ६३, प्लेट १८ बी.

श्रीदर के अनुसार पुरुषमेध की परम्परा आर्य जाति में अति प्राचीन काल में प्रचलित थी ।^१ किन्तु ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक अनुष्ठानों में इसका कोई स्थान नहीं है । ऋग्वेद संहिता में इस पुरातन

आर्येतरिय प्रभाव परम्परा की प्रतिध्वनि अवश्य मिलती है । पुरुषमेध के माध्यम से सृष्टि के उद्भव की कल्पना ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है । हिलेब्रान्त महोदय का यह मत कि ऋग्वैदिक समाज में पुरुषमेध के प्रचलन के चिन्ह हैं, निराधार है ।^२ उत्तर वैदिक युग में पुरुषमेध का उन्मज्जन तथा इसका तांत्रिक स्वरूप सम्भवतः इस बात का संकेत करता है कि यह मृतप्राय परम्परा कतिपय नवीन सांस्कृतिक धाराओं के योग से पुनः बलवती हुई तथा इसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ । पुरुषमेध की परम्परा पर आशिक आर्येतरिय प्रभाव को सूचित करने वाले साक्ष्य निश्चायक न होते हुए भी महत्वपूर्ण तथा अनुपेक्षणीय हैं । सुविदित है कि वैदिक आर्यों की ग्राम्य सस्कृति नगर निर्माण से उदासीन तथा भवन निर्माण में ईंटों के प्रयोग से अपरिचित थी । ऐसी स्थिति में चित्ति-निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग विस्मय जनक है । इष्टिकामय चित्ति निर्माण नागरिक सभ्यता की देन प्रतीत होती है न कि वास्तुकला में ईंटों के प्रयोग से अपरिचित समाज की । हस्तिनापुर के उत्खनन से ज्ञात है कि उत्तर-वैदिक आर्यों का परिचय इष्टि का निर्माण से अत्यन्त अल्प और सम्भवतः एकदम नया था । असम्भव नहीं है कि इष्टिकामय चित्तिनिर्माण की प्रथा नागरिक सैन्धव सस्कृति से ग्रहण की गई हो । आधार-बलि होने के कारण अग्निचयन के प्रसंग में चित्ति-निर्माण से सम्बन्धित 'पञ्चपशुबलि' भी प्रकृत्या उसी स्रोत से सम्बद्ध होनी चाहिये । सैन्धव सस्कृति के अन्तर्गत धर्म का स्वरूप अत्यन्त उदात्त था किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वहाँ धर्म का हीनतर पक्ष सर्वथा अज्ञात था । वहाँ से प्राप्त बहुसंख्यक तावीज तांत्रिक क्रियाओं के प्रचलन के सूचक तो है ही, साथ ही कतिपय मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्र सैन्धव समाज में नरमेध के प्रचलन को प्रमाणित करते हैं ।^३ इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय

१. उनका यह मत ऋग्वेद १०.१८८ और १०.८५.२१-२२ पर आधारित है । उनके मत की आलोचना के लिये द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलो-सोफी ग्राम दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३४७

२. श्रीदर, प्रिहिस्ट्रिक एण्टिक्विटीज ग्राम दि आर्यन पिपुल्स, पृ० ४२२

३. माक्षल, मोएनजोदोही एण्ड इण्डस सिविलिजेशन, भाग १, पृ० ५२, चित्र सं० २२

है कि अथर्ववेद में केवल रुद्र को पच-पशु प्रदान करने का उल्लेख हुआ है।^१ अग्निचयन के प्रसंग में भी रुद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है।^२ च्विति-निर्माण के पश्चात् सर्वप्रथम रुद्र को प्रसन्न करने के लिये शतरुद्रिय के पाठ का विधान है। अग्निचयन तथा पचपशु वध से रुद्र का यह सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद एव यजुर्वेद का रुद्र ही पचपशु यज्ञ तथा नरमेघ से सन्वन्धित किया गया है जो सैन्धव शिव को आत्मसात करने के कारण प्रधानतः एक अनार्य देवता प्रतीत होता है। उनका अनार्यत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि उन्हें यज्ञ की बलि चौराहे पर चींटियों के समूह पर हवि फेंक कर दी जाती थी तथा उनसे मूजवन्त से भी उस पार चले जाने की प्रार्थना की जाती थी। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि अग्निचयन की प्रथा का प्रारम्भ पश्चिमोत्तर लोगों में माना गया है।^३ कौशाम्बी में अग्निचयन तथा पुरुषमेघ के सूचक जो प्रमाण मिले हैं वे भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। श्री शर्माने कौशाम्बी के नगर-निर्माण-पद्धति पर भी आर्येतरिय सैन्धव परम्पराओं का प्रभाव माना है।^४ उपर्युक्त सूत्रों को परस्पर जोड़ने पर अग्निचयन एव पुरुषमेघ के प्रचलन पर आर्येतर प्रभाव की सम्भावना दृढ़ होती है। इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञ मूलक धर्म वैदिक आर्यों की अपनी विशेषता थी किन्तु सांस्कृतिक सामंजस्य के साथ यज्ञों के अन्तर्गत आर्येतर तत्व भी ग्रहण किये गये। उनका जो मिश्रित स्वरूप आज उपलब्ध है उससे आर्य एव आर्येतर परम्पराओं का पृथक्करण अत्यन्त दुष्कर है।

यद्यपि पच महायज्ञों का स्वरूप अत्यन्त सरल एव साधारण था तथापि उनके अन्तर्गत यज्ञ-धर्म का उदात्त स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। ये यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिये कर्तव्य थे तथा साथ ही इनमें-
 पचमहायज्ञ निहितत्याग, श्रद्धा एव सर्वभूतानुकम्पा की भावना धार्मिक उच्चादशों का संकेत करती है। पचमहा-यज्ञों का स्थान सामाजिक एव सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

१ अथर्ववेद ११.२.१, चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्व पशुपते नमस्ते तमेवे पञ्च-पशवो विभक्ता गावो अस्वा पुरुषाभजावयः।
 यहाँ पशुपति का उल्लेख सैन्धव शिव का स्मरण दिलाता है।

२ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी भाव दि वेद-एण्ड उपनिषद्स, भाग २, पृ० ३५५

३ कीय, पूर्ण उद्धृत पुस्तक, भाग २, पृ० ३५४

४ एक्सकेवेसन्स ऐट कौशाम्बी

प्रत्येक गृहस्थ के लिये पञ्चमहायज्ञों के सम्पादन के पश्चात् ही भोजन ग्रहण करने का विधान था। शतपथ ब्राह्मण में भूत-यज्ञ, मनुष्य-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, देवयज्ञ और ब्राह्मयज्ञ 'पञ्च महायज्ञ' के रूप में उल्लिखित हैं।^१ देवयज्ञ के अन्तर्गत प्रातः और सायंकाल भोजन तैयार होने पर देवताओं को हवि प्रदान किया जाता था। 'यदन्ना पुरुष तदन्ना तस्य देवता' में विश्वास करने वाले वैदिक समाज में भोजन के पूर्व देवताओं को सन्तुष्ट करना सर्वथा स्वाभाविक था। दूसरा भूत-यज्ञ है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्राणियों को सन्तुष्ट करना था। गोभिल गृह्य सूत्र के अनुसार इसका प्रदान विविध देवताओं सपों और राक्षसों के लिये भी होता था।^२ पितृ-यज्ञ के अन्तर्गत बलि जल के साथ पितरों को समर्पित की जाती थी। वैदिक समाज में यह विश्वास था कि पितर परलोक में अपने वंशजों द्वारा प्रदत्त अन्न से ही पलते हैं। साथ ही परिवार के सुख एवं समृद्धि के लिये भी पितरों की प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि आवश्यक मानी जाती थी। ब्राह्मयज्ञ के अन्तर्गत स्वाध्याय अर्थात् वेदाध्ययन का विधान था। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म यज्ञ की भूमि प्रशंसा बड़ी ही आलंकारिक शैली में की गई है।^३ इस ग्रन्थ के अनुसार ऋक् का अध्ययन देवताओं के लिये पयकी आहुति है। यजुष का आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथर्वगिरस का मेद-आहुति तथा अनुशासन, विद्या, वाकोवाक, इतिहास, पुराण, नाराशसी गाथाओं का अध्ययन देवों के लिये मधु की आहुति है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान की परम्परा को अमरत्व प्रदान करने के लिये ही ब्राह्मण साहित्य में वेद वेदांगों का अनुशीलन एक पुनीत महायज्ञ माना गया। पाचवाँ महायज्ञ मनुष्य यज्ञ है जिसके अनुसार ब्राह्मण, अतिथि तथा भिक्षुओं को भोजन दिया जाता था। अतिथि सत्कार की महत्ता का वर्णन उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता है।^४ इसके विपरीत देवयज्ञ मनुष्ययज्ञ तथा पितृयज्ञ से विमुख अपने शरीर मात्र के पोषण में सलग्न व्यक्ति की निन्दा की गई है।^५

१. शत० ब्रा० ११. ५. ६

२. गो० श्रु० सू० १. ४

३. शत० ब्रा० ११. ५. ७

४. ऐत० ब्रा० १. १७, १. २५, शिरो वा एतद् यज्ञस्य यद् आतिथ्यम्

५. ऐत० ब्रा० ७. ६.

ब्राह्मण युग के अन्त तक वैदिक समाज विपुलकाय, औपचारिक एवं आडम्बरपूर्ण यज्ञों के प्रति उदासीन होने लगा था। यज्ञों में व्याप्त बाह्याडम्बर से मूल धार्मिक भावना प्रायः अस्त हो चुकी यज्ञमूलक धर्म का विरोध और थी। उसके द्वारा हेतु प्रतीकों से आन्ध्रन ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन यज्ञों में अन्तर्निहित ज्ञान की सर्वोपरि महत्ता घोषित हुई। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान के अभाव में परलोक की प्राप्ति न तो यज्ञ से सम्भव है और न तप से। इसकी प्राप्ति केवल उसे हो सकती है जो यज्ञ के मूल में निहित धार्मिक भावना को जानता है।^१ इसी ग्रन्थ में अन्यज्ञ वाणी के समक्ष मन अर्थात् ज्ञान की श्रेष्ठता प्रजापति द्वारा स्वीकृत बताई गई है।^२ आरण्यको में तो स्पष्टतः यज्ञों के भीतर विद्यमान याध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा की गई। यज्ञ से सम्बन्धित अनुष्ठान नहीं बल्कि सदान्तर्गत दार्शनिक विचार ही आरण्यकों के मुख्य विषय हैं। आरण्यकेतुक तथा सावित्रचयन सहस्र अग्निचयनो में यज्ञ-विधि का भौतिक पक्ष प्रतीकात्मकता में विलीन-प्राय हो गया। इस प्रकार क्रमशः कर्मकाण्ड के समक्ष ज्ञान की श्रेष्ठता तथा देव यजन के समक्ष आत्म-यजन की महत्ता स्वीकृत हुई। उपनिषत्काल तक ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति सम्मान्य एवं अप्रत्याख्येय है। मुण्डक उपनिषद के अनुसार यज्ञीय अनुष्ठान अदृढरूप प्लव है जिनके द्वारा ससार का सन्तरण कभी नहीं हो सकता। यज्ञादि अनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक पाकर भी अन्ततः इस भूतल पर आते हैं।^३ इस प्रकार कर्मकाण्ड की हीनता तथा दोषों के वर्णन के अनन्तर ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई तथा ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में लय होने की तुलना नाम रूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में मिल जाने से की गई है। यज्ञों के विरोध का एक प्रबल कारण यज्ञ-में होने वाली हिंसा थी। यज्ञ में हिंसित पशुओं के विषय में कहा गया है कि वे दूसरे लोक में जाकर यज्ञकर्ता को खाते हैं।^४ इससे प्रकट है कि लोगों में हिंसात्मक यज्ञों के प्रति घृणा का भाव जग रहा था तथा लोग उनसे पराङ्गमुख होने के लिए सचेष्ट थे।

१. सत० ब्रा० १०.५.४.१५

२. सत० ब्रा० १.४.५ = १२

३. मुण्डक उप० १.२.१०

४. शां० ब्रा० ११.१३

उत्तर-वैदिक युग में देव समाज प्रायः ऋग्वेदिक देव समाज के ही समान है किन्तु परवर्ती संहिताओं तथा ब्राह्मणों द्वारा सम्बद्धित धर्म के अन्तर्गत देवताओं की श्रेष्ठता स्वीकृत नहीं है। अथर्ववेद देव दत्त मुख्यतः 'गृह्य एवं आभिचारिक संस्कारों का ही निरूपण करता है। कौशिक सूत्र के सांस्कारिक-विषयो सहित अथर्ववेद के बाद के अश्व प्रेताराम्य और दैत्य विषयक अत्यन्त-रोचक विवरण प्रस्तुत करते हैं। अथर्ववेद में निर्दिष्ट देव-भण्डन ऋग्वेद से अवातरकालीन विकास का सूचक और पोषक है। अथर्ववेद में इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि ऋग्वेदीय देवों की सत्ता है किन्तु उनका प्राकृतिक दृश्यों का प्रतीकात्मक रूप विस्मृत-प्रायः बन गया है। अब वे केवल देव विशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम मुख्यतः राक्षसों का सहार, रोगों का विनाश एवं शत्रुओं का विध्वंसन है। अथर्ववेद में देवताओं के लिये अलग-अलग प्रशस्ति के सूक्त अपेक्षाकृत कम हैं जबकि अनेक देवताओं का एक साथ आवाहन इसकी विशेषता है। यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में देवगण छायात्मक-व्यक्तित्व मात्र हैं। उनका उल्लेख यज्ञों के प्रसंग में हुआ है। उनके व्यक्तिगत गुण प्रायः विलीन हो गये हैं। कुछ प्रमुख देवताओं का महत्त्व घट गया है तथा ऋग्वेद के कतिपय साधारण देवता अधिक श्रेष्ठ हो गये हैं। इस युग में ऋग्वेदिक युग के प्रमुख देवता इन्द्र और वरुण का स्थान गौण हो गया तथा उनका स्थान रुद्र शिव, विष्णु और सूर्य आदि लेने लगे। ब्राह्मण युग का प्रधान देवता प्रजापति है। उनका तादात्म्य यज्ञ से स्थापित किया गया है।^१ साथ ही उन्हें देवताओं तथा सम्पूर्ण सृष्टि का स्रष्टा माना गया है। इस युग में निर्जीव पदार्थों तथा पशुओं एवं वृक्षों में भी देवत्व की कल्पना मिलती है।^२ काल, काम और स्कम्भ आदि अमूर्त भावात्मक देवताओं का उल्लेख अथर्ववेद में प्रथम बार हुआ है। इनमें विशेष महत्ता स्कम्भ को दी गई है। उसका तादात्म्य ब्रह्मण और प्रजापति के साथ स्थापित किया गया है। देश और काल, देवता, वेद एवं समस्त नैतिक शक्तियाँ उसी में अन्तर्निहित मानी गई हैं।^३ अम्बिका आदि देवियों का यजुर्वेद में उल्लेख सम्भवतः मातृदेवी की वर्धमान लोकप्रियता का संकेतक है।

१. शत० ब्रा० ४३४३

२. द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी भाग दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स, भाग १, पृ० १८४-१८७।

३. अथर्ववेद १०.७७, १३, १७

उत्तर वैदिक युग में एक ओर जहाँ वैदिक धर्म का अन्त-विकास हुआ वहीं इस पर आर्येतर धर्म धाराओं का प्रचुर प्रभाव भी पड़ा। पीछे हम देख

चुके हैं कि किस प्रकार तदोदित वर्ण-व्यवस्था के आर्येतर प्रभाव अन्तर्गत आर्यों एवं अनार्यों का सम्मिश्रण हुआ।^१

ऐसी स्थिति में आर्य एवं आर्येतर सस्कृतियों में सामंजस्य एवं समन्वय भी अवश्यम्भावी हो गया। वैदिक यज्ञ सस्थाके अन्तर्गत भी आर्येतर धार्मिक तत्व आत्मसात हुये।^२ यह प्रभाव वैदिक देवतत्व पर भी परिलक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तथा उनकी महत्ता में भी वृद्धि हुई। अनार्य प्रभाव के कारण ही उत्तर-वैदिक युग में पूर्ववैदिक काल के गौण देवता रुद्र और विष्णु अतिशय लोकप्रिय हुये। इस युग में ऋग्वेदिक रुद्र ने प्रकृत्या समान होने के कारण सैन्धव शिव को आत्मसात किया। यजुर्वेद में अनेक ऐसे सकेत हैं जिनसे शिव का आशिक अनार्यत्व पुष्ट होता है।^३ उभय सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध होने के कारण यह देवता जनसाधारण में अधिक श्रद्धेय हो गया। इसी प्रकार विष्णु की लोकप्रियता के पीछे भी आर्येतर धार्मिक परम्पराओं का प्रभाव प्रतीत होता है। ऊपर, प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि विष्णु आर्यों के सौर देवता होते हुये भी अशत द्रविडों के आकाश देवता हैं।^४ इसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में क्रमशः मातृदेवी की उपासना भी लोकप्रियता प्राप्त करती है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम अम्बिका नामक देवी का उल्लेख हुआ है तथा अम्बिका का सम्बन्ध रुद्र से बताया गया है।^५ बहुत संभव है कि सैन्धव शिव के साथ ही उनसे सम्बन्धित अम्बिका की अवधारणा भी सैन्धव सस्कृति से ग्रहण की गई हो।^६ यह विकल्प यजुर्वेद में इस देवी के आकात्मिक उल्लेख, शिव के साथ उनके सम्बन्ध तथा सैन्धव समाज में प्रचलित मातृदेवी की उपासना की लोकप्रियता को देखते हुए सहज कल्पनीय है। अथर्ववेद से उपलब्ध धार्मिक विश्वासों में विरोधी एवं

१. द्रष्टव्य—ऊपर, अध्याय ३-

२. द्रष्टव्य—इसी अध्याय का पृ० २१६

३. वाज० म० १६०, तै० स० ४४

४. विस्तृत अध्ययन के लिये द्र०—द्रविडिक स्टडीज, पृ० ६१-६२

५. वाज० स० ३५७

६. यह सुझाव श्री श्रीराम गोयल का है।

विचित्र तत्वों का सम्मिश्रण आर्य एवं आर्येतर सांस्कृतिक सम्पर्क का परिणाम माना गया है।^१ सम्भवतः पिप्पल जैसे वृक्षों में देवत्व की कल्पना तथा उनकी उपासना और विविध अभीप्सित फलों की प्राप्ति के लिये तांत्रिक क्रियाओं का आश्रय अथर्ववेद पर आर्येतरीय प्रभाव का ही सूचक है। यह उल्लेखनीय है कि सैन्धव संस्कृति के अन्तर्गत पिप्पल वृक्ष में देवत्व की कल्पना तथा तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास प्रचलित धर्म का अनिवार्य अंग था।^२ इसके विपरीत ये तत्व पूर्व-वैदिक धर्म में प्रायः अज्ञात हैं। नाग जैसे जन्तुओं की उपासना निपाद जाति की देन हो सकती है। निपाद लोग घोर टोटमवादी थे तथा उनके अनेक समूहों में नाग (सर्प) की धार्मिक महत्ता एवं पवित्रता स्वीकृत थी।

उत्तर-वैदिक युग में देव तत्व के ह्रास का प्रमुख कारण यज्ञों की सर्वाति-शायिता थी जिनके प्रभाव से देवता भी आच्छन्न हो गये। यज्ञ को ही ऐहिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का सर्वोत्तम देवताओं के महत्त्व के साधन माना गया तथा यह प्रतिपादित किया गया ह्रास के कारण कि यज्ञ से ही देवताओं ने भी शक्ति, तेज एवं अमरत्व प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में यज्ञों का सम्पादन ही परम-धर्म हो गया जिसके माध्यम से इच्छानुकूल फल की प्राप्ति के लिये देवताओं को विवश किया जा सकता था। इस प्रकार यज्ञ के समक्ष देवताओं का महत्त्व स्वभावतः कम हो गया। दूसरे विभिन्न देवताओं में सारभूत एकता छूटने की भावना, जो ऋक्संहिता में ही उपलब्ध है, कालक्रमेण अधिक विकसित हुई और परिणामस्वरूप अन्त में एक ही परमदेव की सत्ता स्वीकृत हुई जिसे ब्राह्मणों में प्रायः प्रजापति माना गया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया है। उसे देवताओं का भी स्रष्टा माना गया है^३। इस मनोवृत्ति के कारण बहुदेववाद को धक्का तो लगा ही साथ ही उदीयमान देवता प्रजापति को अतिशय महत्ता के कारण अन्य देवता उपेक्षित हुये। उनके व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं का भी लोप हो गया। रुद्र, विष्णु आदि जिन देवताओं की स्थिति सुरक्षित एवं सम्बर्धित हुई उनके प्रभाव के पीछे प्रबल ऐतिहासिक कारण थे जिनका

१. रैंगोजिन, वैदिक इण्डिया, पृ० ११७-१८

२. ह्वीलर, इण्डस सिविलिजेशन, पृ० ८०-८४

३. ताण्ड्य ब्रा० ६ १

मकेत किया जा चुका है।^१ स्कम्भ आदि अमूर्त देवताओं का उद्गमन उस दार्शनिक चिन्तन के विकास का सूचक है जिसकी चरम परिणति ब्रह्म की कल्पना में दिखाई देती है।

ऋग्वेदिक युग के प्रमुख देवता इन्द्र और वरुण इस युग में महत्वहीन हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इन्द्र प्रारम्भ में युद्ध और शक्ति का देवता है। इन्द्रिय शब्द प्राचीन बौद्ध-साहित्य में भी इन्द्र और वरुण बल का पर्यायवाची है। ऋग्वेदिक युग के अन्त तक इन्द्र वर्षा के देवता बन गये। यह बात उनके वृषन् विरुद से भी सूचित है। ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें द्युलोक का प्रधान कहा गया है^२ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं में अन्तिम इन्द्र की रचना प्रजापति ने की।^३ इन्द्र का उल्लेख देवताओं के शासक के रूप में भी अनेकश हुआ है। यज्ञों में इन्द्र का प्रमुख स्थान था। राजाओं का अभिषेक भी प्रायः इन्द्र के अभिषेककी पद्धति से होने के कारण ऐन्द्र महाभिषेक नाम से ज्ञात था। ऋग्वेदिक युग में युद्ध में विजय के अभिलाषी व्यक्ति विशेषतः इन्द्र की स्तुति करते थे किन्तु उत्तर वैदिक काल में दिग्विजय एवं शत्रूत्सादन के लिये अश्वमेध, वाजपेय आदि यज्ञों की सहायता अपेक्षित थी। ऐसी स्थिति में इन्द्र के प्रभाव का घुमिल हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। इसी प्रकार ऋग्वेद के सम्मान्य वरुण अथर्ववेद में सर्वोच्च शक्तियों से रहित हैं। अनेकश उनका उल्लेख जल के नियन्त्रक के रूप में हुआ है। इन्हें जल से उसी प्रकार सम्बन्धित किया गया है जिस प्रकार सोम को पर्वतों से।^४ वे जल के सर्वाधिपति हैं तथा उनका स्वर्ण आवास जल में ही स्थित माना गया है।^५ यजुर्वेद में वरुण का उल्लेख एक ऐसे शिशु के रूप में है जिसने अत्यन्त मातृत्व

१ कीय महोदय के अनुसार रुद्र और विष्णु की लोकप्रियता इसलिये बढ़ी कि वे सामान्य जनो के देवता थे।

द्रष्टव्य—रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १,

२. ऐत ब्रा० ८ १२

३. तै० ब्रा० २ २ १०

४. अथर्ववेद ४ ३ ३

५. अथर्ववेद ७ ८३

भावना से युक्त जल को अपना आवास बनाया है ।^१ ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता माने गये हैं किन्तु ऋग्वेद के व्यवस्थापक महान् देवता के रूप में उनका उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है । उनका कार्यक्षेत्र सकुचित एवं सुनिश्चित हो गया है । इस दृष्टि से वह यूनानी देवता पोसीडोन से तुलनीय है । नैतिकता की रक्षा एवं पापियों के दमन से वरुण का औपचारिक सम्बन्ध उत्तर वैदिक युग तक बना रहा । इसीलिये ब्राह्मणों में भी प्रायश्चित्त के प्रसंग में वह अतिशय महत्वपूर्ण है । उत्तर वैदिक युग में राजशक्ति के विस्तार के साथ राजा स्वयं दंडधर और व्यवस्था का रक्षक बना । उसके व्यक्तित्व में वरुण के गुणों का आरोप भी किया गया । ऐसी स्थिति में असम्भव नहीं है कि वरुण के कार्यक्षेत्र में सकोच और उनकी महत्ता में ह्रास का एक प्रमुख कारण राजशक्ति का विस्तार भी रहा हो । सर्वोच्च देवता के रूप में प्रजापति की धारणा के विकास के कारण भी वरुण का सर्वव्यापी और सार्वभौम स्वरूप विस्मृत प्रायः हो गया ।

“यजुर्वेद एवं ब्राह्मणों में सर्वाधिक सामान्य स्थान प्रजापति का है । यद्यपि ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख हुआ है^२ किन्तु उनका स्थान देव-मण्डल में विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । प्रारम्भ में वे सृजन के देवता प्रजापति हैं इसलिये ऋक्संहिता तथा अथर्ववेद में सन्तान की कामना से ही उनकी स्तुति अधिक मिलती है । किन्तु उत्तर-वैदिक काल में उनका उल्लेख सम्पूर्ण विश्व के स्रष्टा के रूप में हुआ है । वे देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों का सृजन करने वाले हैं ।^३ उन्हीं से वेदों तथा वर्णों की उत्पत्ति भी मानी गई है । उनकी महत्ता इस बात से प्रकट है कि उन्हें यज्ञ का साक्षात् रूप माना गया है ।^४ उत्तर-वैदिक युग का यह सर्वोच्च देवता अमूर्त (एन्सट्रिक्ट) है । वे प्रकृति के किसी अंग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उनके मानवीकरण का भी विशेष प्रयास नहीं दिखाई देता है । उनसे सम्बन्धित पुराकथाओं में अपनी पुत्री उपस के साथ उनका निकटामिगमन का प्रयास बहुचर्चित है । मैत्रायणी संहिता के अनुसार उनके इस कृत्य पर कुपित होकर रुद्र ने शर सघान किया किन्तु प्रजापति द्वारा पशुपति बनाये

१ वाज० सं० १०७

२ ऋ० १०. १२१, ८५. ४३, १६६. ४, १८४. १

३ ताण्ड्य ब्रा० ६ १

४. शत० ब्रा० ४ '३ ४. ३

जाने का गौरव प्राप्त कर उन्होंने लक्ष्य वेध नहीं किया ।^१ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उनके इस दुष्कर्म से सभी देवता क्रुद्ध हुये तथा उन्होंने भयकर तत्त्वों से प्रजापति के दमनार्थ रुद्र का सृजन किया ।^२ इस पुराकथा का सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है । इससे प्रकट है कि पिता-पुत्री के बीच यौन-सम्बन्ध सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध एव समाज के कोप का विषय था । प्रजापति जैसे महान् देवता को इस प्रकार के अनैतिक कर्म से सम्बन्धित करना विस्मयजनक है । अन्यत्र इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रजापति ने उपस का विवाह सोम के साथ किया था ।^३

प्रजापति का पशु-रूप में उल्लेख तथा उससे सम्बन्धित पुराकथाएँ विशेष महत्वपूर्ण हैं । शूकर रूप में जलमग्न पृथ्वी को उपर उठाने तथा कच्छप रूप में प्रजाओं की सृष्टि करने की बात ब्राह्मण साहित्य में उल्लिखित है ।^४ सम्भवत इसी कल्पना की आधारशिला पर परवर्ती युग से विष्णु के शूकर और कच्छप अवतार की बात हिन्दू धर्म में स्वीकृत हुई । उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित प्रजापति का शूकर और कच्छप स्वरूप आर्योत्तर प्रभाव का परिणाम प्रतीत होता है । शतपथ ब्राह्मण में जलप्लावन की कथा का भी उल्लेख हुआ है ।^५ वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कल्पना भी सम्भवत जलप्लावन आख्यान से ही सम्बन्धित है । इस कथा में जलप्लावन आख्यान का अग्रिम विकास सूचित है । यह उल्लेखनीय है कि जलप्लावन तथा वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार सम्बन्धी पुराकथा से वैदिक आर्यों का परिचय बहुत बाद का है । वैदिक संहिताओं में इस पुराकथा का कोई संकेत नहीं मिलता । यह पुराकथा मूलतः सुमेरीय सभ्यता की देन प्रतीत होती है । जलप्लावन की कथा का प्राचीनतम उल्लेख सुमेरीय साहित्य में मिलता है । सैन्धव सस्कृति तथा सुमेरीय सस्कृति के घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुये यह स्पष्ट है कि इस कथा से सैन्धव नागरिक भी सुपरिचित रहे होंगे । भारत में जलप्लावन और वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा मूल रूप में सैन्धव सांस्कृतिक परम्परा से ग्रहण की गई होगी

१. मैत्रा० स० ४, २, १२

२. ऐत० ब्रा० ३.३३

३. जै० ब्रा० १.२१३ ऐन० ब्रा० ४.७

४. शत० ब्रा० १४.१.२.११, तै० स० ७.१.५.१

५. शत० ब्रा० १.८.१

तथा सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल बनाने के लिये इसमें न्यूनाधिक सशोषण और परिवर्धन भी हुआ होगा।^१ इसी प्रकार कच्छप से सृष्टि के विकास की कथा से टोटमवादी मनोवृत्ति पूर्णतः परिलक्षित है। पुरा-ऐतिहासिक युग में गंगा की घाटी में निवास करने वाली निषाद जाति में टोटमवाद का प्रचलन अप्रत्याख्य है। सैन्धव सस्कृति के निर्माण में भी निषाद जाति का योग था। ब्राह्मण साहित्य की रचना निषाद जाति के केन्द्र मध्यदेश में हुई अतः यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक साहित्य में टोटमवाद से प्रभावित ये कथाएँ निषाद स्रोत से ली गई होंगी।

रुद्र का वर्णन ऋक्संहिता में भी मिलता है। ऋग्वेदीय रुद्र आकाश के मध्यम कोटि के देवता हैं और सम्भवन 'भंभावात के साथ आने वाले विद्युत्धारी घने काले मेघों' के दैवीकरण हैं।

रुद्र उनके स्वरूप में उग्रता का प्राबल्य होते हुये भी सौम्यता का अभाव नहीं है। अथर्ववेद में भी रुद्र का स्वरूप बहुत कुछ ऋग्वेदीय वर्णन के सदृश है, यद्यपि यत्र तत्र उनके विषय में कुछ नवीन तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में रुद्र को कृष्णोदर और लाल पीठ वाला कहा गया है।^२ वह धनुर्धारी और नीले केश वाले (नील शिखण्डिन) हैं।^३ उन्हें सहस्राक्ष भी कहा गया है।^४ इस विरुद्ध को उनके वर्तमान प्रभाव का सूचक माना जा सकता है। ऋग्वेद के समान अथर्ववेद में भी रुद्र की स्तुति उग्र और सौम्य दोनों रूपों में की गई है, यद्यपि उग्र रूप पर अधिक बल दिया गया है। सौम्य रूप में

१. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋक्संहिता १६१७ और ८७७.१० में वराह का उल्लेख वृत्र के रूप में हुआ है तथा विष्णु द्वारा उसके वध की बात कही गई है। तैत्तिरीय संहिता ६२४२, में भी उसका सम्बन्ध असुरों से बताया गया है तथा इन्द्र द्वारा उसकी हत्या का उल्लेख हुआ है। इन वर्णनों से भी उसका सम्बन्ध आर्येतर देवमण्डल से सूचित होता है। उत्तर वैदिक युग के मिथुन समाज में उसका समीकरण प्रजापति के साथ स्थापित करने का प्रयास हुआ।

२. अथर्ववेद १११७८

३. अथर्ववेद ११२६

४. अथर्ववेद ११२२-७

उन्हें ऋग्वेद के समान ही 'जलापभेषज' कहा गया है^१; और व्याधिनाश के लिये उनका आह्वान किया गया है। अथर्ववेद में रुद्र को प्रायः पशुपति भी कहा गया है। इस उपाधि का उनके लिये इस ग्रन्थ में ही सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में भी उनके द्वारा पशुओं के कल्याण का उल्लेख है, इसलिये यह विरुद्ध ऋग्वेदीय वर्णन का ही अग्रिम विकास माना जा सकता है। किन्तु आर्येतर सैन्धव धारा के अन्तर्गत भी आदि शिव की उपासना 'पशुपति' रूप में प्रचलित थी। इस प्रकार उत्तर-वैदिक काल में, जब आर्य णव आर्येतर परम्पराओं का सगम हुआ, रुद्र-शिव के पशुपति रूप की महत्ता में वृद्धि आर्येतर प्रभाव को भी सूचित करती है। ऋग्वेद में रुद्र को पशुओं का कल्याण करने वाला कहा गया है, मात्र इससे उनके पशुपति रूप की कल्पना का जन्म नहीं हुआ, वरन् अवैदिक देवता शिव और वैदिक रुद्र के तद्गत्य में इस विश्वास को बल मिला।

उग्र रूप में अथर्ववेदीय रुद्र अपने विषधर शरो से व्याधियों को फैलाते हैं। उनसे प्रार्थना की गई कि अपने विद्युत् शरो को स्तोताओं से दूर रखें।^२ एकस्थल पर उनके मातस्य की भर्त्सना की गई है।^३ उन्हें ज्वर और विष से श्रस्त करने वाला भी कहा गया है।^४ एक स्थान पर उन्हें स्पष्टतः आतंकित करने वाला नरेश तथा विष्वसक (उपहन्तु) कहा गया है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों से रुद्र का सम्बन्ध नरमेष से भी परिलक्षित होता है। इस वेद में एक स्थान पर रुद्र को यज्ञ में आहुति के रूप में पांच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें से एक प्राणी मनुष्य है।^५ इससे संकेतित है कि रुद्र को कभी कभी नरवलि भी दी जाती थी। इससे रुद्र की भयकर प्रकृति और भी अधिक उद्भासित होती है। इस प्रसंग में एक और तथ्य उल्लेखनीय है। अथर्ववेद में एक स्थान पर रुद्र के भूकने वाले विकराल श्वानों का उल्लेख हुआ है, जो भक्ष्य को बिना चबाए, निगल जाते हैं।^६ परवर्ती युग में श्वानों को यम का सहचर बताया गया है। यह सर्वथा सम्भव है कि अथर्ववेदीय युग में

१ अथर्ववेद २.२७.६

२ अथर्ववेद ११.२.२६

३ अथर्ववेद १.२८.५

४ अथर्ववेद ११.२.२२-२६

५ अथर्ववेद ११.२.६

६ अथर्ववेद १०.१.३०

रुद्र के एक रूप को मृत्यु का देवता माना जाता रहा हो और इस रूप में उनके सहचर श्वानों की कल्पना की गई हो। कालान्तर में जब यम मृत्यु का देवता माना गया तब श्वानों का सम्बन्ध रुद्र के स्थान पर यम के साथ जोड़ दिया गया होगा। भारत के अनेक प्रदेशों में भैरव का, जो मुरडमाल धारण करते हैं तथा शिव के ही एक रूप माने जाते हैं, वाहन श्वान ही माना गया है तथा उन्हें 'श्वाश्व' कहा जाता है। रुद्र का मृत्यु से सम्बन्ध भूत और पिशाच से उनके सम्बन्ध में भी संकेतित है। अथर्ववेद में पिशाचों का मृतकों से सम्बन्ध बताया गया है और उन्हें 'शव रा भक्षण करने वाला' (त्रव्याद) कहा गया है।^१ एक स्थल पर अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह रुद्र मनुष्य के उस मांस को जिसे पिशाचों ने खा लिया है पुनः प्रदान करें।^२ भूतपति के रूप में रुद्र की कल्पना सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलती है और इसी में उनकी अभिन्नता भव और शर्व से स्थापित की गई है, जिन्हें स्पष्टतः भूतपति कहा गया है।^३

यद्यपि अथर्ववेदीय रुद्र प्रधानतः एक भयकर तथा उग्र देवता है तथापि उसके प्रभाव एवं लोकप्रियता में क्रमिक वृद्धि के चिह्न स्पष्ट हैं। यह विरोधाभास विस्मयजनक है। इस प्रसंग में उनका भव और शर्व इन दो देवताओं को आत्मसात कर लेना और सहस्राक्ष जैसे विरुद्ध उदाहरणीय हैं। इस अर्थ में कुछ स्थलों पर इन दोनों देवताओं के विनाशात्मक वाणों और विद्युत का उल्लेख हुआ है।^४ वहाँ इनको रुद्र से पृथक् देवता माना गया प्रतीत होता है। लेकिन अन्यत्र ये रुद्र के दो नाम बन गये हैं। स्पष्ट है कि अथर्ववेद के रचना काल में रुद्र और इन देवताओं को अभिन्न स्वीकृत किया जाने लगा। सम्भवतः इन विद्युत्धारी देवताओं का स्वरूप रुद्र के सदृश था। इसलिए अपने वर्धमान प्रभाव के युग में रुद्र ने इनको आत्मसात कर लिया तो कोई आश्चर्य नहीं।

उत्तर-वैदिक कालीन रुद्र सम्प्रदाय की वर्धमान लोकप्रियता तथा आर्यतर समाज से उसका सम्बन्ध अथर्ववेद के पन्द्रहवें मण्डल के आत्यसूक्त के अनुशीलन से परिलक्षित होता है। इसमें रुद्र का उल्लेख प्रात्य के साथ हुआ है।

१. अथर्ववेद ५. २६. ६

२. अथर्ववेद ५. २६. ५

३. अथर्ववेद ११. २. ६

४. अथर्ववेद २. २७. ६, ६. ६३. १, १२. ४. १७ इत्यादि

यह ब्राह्म्य कही देवता प्रतीत होता है और कही पर्यटक । इसके प्रारम्भ में ही कहा गया है कि ब्राह्म्य महादेव बन गया । ब्राह्म्य ईशान बन गया । अन्त में कहा गया है कि ब्राह्म्य पशुओं की ओर चला और उसने रुद्र का रूप धारण किया । इस सूक्त का सही अर्थ क्या है, यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है ।^१ किंतु फिर भी इससे दो तथ्य स्पष्ट हैं । प्रथम, इसमें ब्राह्म्यों को वैदिक आर्य धर्म से पृथक् और उसका विरोधी माना गया है और दूसरे ब्राह्म्यों का सम्बन्ध रुद्रोपासनासे प्रदर्शित किया गया है ।^२ इसका समर्थन यजुर्वेद से भी होता है जिसमें रुद्र के लिये दीर्घात्य शब्द का प्रयोग हुआ है तथा नके उपासकों में ब्रात और ब्रातपति की गणना की गई है । ये ब्राह्म्य सांस्कृतिक दृष्टि से आर्येतर परम्परा से सम्बद्ध थे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ताण्ड्य ब्राह्मण में ब्राह्म्यों को रजत-निष्क धारण करने वाला बतलाया गया है ।^३ वैदिक समाज में रजत-निष्क धारण करने की परम्परा नहीं थी । सरय तो यह है कि ऋग्वेदिक आर्य रजत शब्द से प्रायः अपरिचित थे ।^४ ऐसी स्थिति में ब्राह्म्यों में रजत-निष्क के प्रयोग का प्रचलन उनके अनार्यत्व का ही संकेतक है ।

१ विभिन्न मतों के लिये द्र०—ए० चक्रवर्ती, दि ब्राह्म्याज, ए० आई० ओ० सी० न० ३ (मद्रास), बी० एम० आप्टे, दि इम्पार्टेन्स भाव दि कन्सेप्शन भाव व्रत इन सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ भाव रिग्वेदिक आर्यन्स एंड इदम् विपरिग आन दि प्राब्लम भाव दि ब्राह्म्याज, ए० आई० ओ० सी० ११ (हैदराबाद), ए० पी० करमारकर, दि ब्राह्म्याज इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, सम्पूर्णानन्द, ब्राह्म्यकारण्डम्

२ श्री कण्ठ शास्त्री, प्रोटो इण्डिक रिलिजन, पृ० ७-९, ५५-६०, राधाकृष्ण चौधरी, ब्राह्म्याज इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, पृ० २६ ३७

३ ताण्ड्य ब्रा० १७ १.१४

ब्राह्म्य-समाज में लोक प्रिय रजत 'भारोपीय भाषा' का शब्द है । ईरानी भाषा का 'मलजत' और पश्चिमी भाषाओं में प्राप्त 'मजैन्त' शब्द रजत के ही परिवर्तित रूप हैं । यह तथ्य विस्मय-जनक है कि भारोपीय सांस्कृतिक परम्परा से सम्बद्ध होते हुए भी 'रजत' वैदिक समाज में तिरस्कृत और उपेक्षित है और इसके विपरीत वैदिक आदर्शों के विरोधी ब्राह्म्यों में सम्मान्य एवं लोकप्रिय ।

४ ऋक्संहिता के आठवें मण्डल में केवल एक स्थान पर रजत का उल्लेख है जो प्रक्षिप्ताश प्रतीत होता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आठवाँ मण्डल वक्ष मण्डल नहीं है तथा उसकी प्राचीनता पूर्णतः सन्दिग्ध है ।

अथर्ववेद में उनके विषपायी (गरगिरी) होने का भी उल्लेख है जो अकस्मात् रुद्र के विपपान का स्मरण दिलाता है । ऋक्संहिता के दशम मण्डल के केशि सूक्त में कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया । यद्यपि यास्क और सायण ने केशी शब्द का लाक्षणिक अर्थ सूर्य माना है किन्तु काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण जैसे उत्तर वैदिक ग्रन्थों में केशियों का उल्लेख एक कबीले के अर्थ में हुआ है । इससे लगता है कि ऋग्वेद के इस सूक्त का केशी भी सूर्य न होकर केशी जातीय था । ऐसी स्थिति में केशी का अर्थ जटाधारी करना अधिक उपयुक्त होगा । यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी सूक्त के कुछ मंत्रों में केशी की तुलना मुनियों से की गई है ।^१ इन मुनियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनके केश लम्बे और बस्त्र पीत होते हैं । वे पवन में विहार करते हैं, विपपान करते हैं और मीनेय से उन्मदित रहते हैं । यह सर्वथा स्पष्ट है कि इन मुनियों का केशियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । उनके चमत्कारपूर्ण विरल वर्ण और अन्य अनेक तथ्यों के आधार पर यह प्रायः स्वीकार किया गया है वे किसी समृद्ध आर्योत्तर सांस्कृतिक परम्परा के उच्छेदित अवशेष थे ।^२ इस प्रकार ब्राह्मण, केशी और मुनि अगौदिक धार्मिक परम्पराओं के पोषक थे । इनमें प्रथम दो का सम्बन्ध रुद्र से स्पष्ट है । यह बात अत्यन्त कोतूहलजनक है कि रुद्र, ब्राह्मण, केशी और मुनियों को समान रूप से विपपान करने वाला कहा गया है । इससे भी उनके समान धार्मिक परिवेश का संकेत मिलता है ।

यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में रुद्र के प्रभाव और अनार्यत्व में वृद्धि हो जाने के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं । अथर्ववेद भव और शर्व को आत्मसात करने की प्रक्रिया संकेतित है जब निश्चित रूप से वे रुद्र के दो नाम मात्र हैं । यद्यपि यजुर्वेद विनाशकारी एव कल्याणकर दोनों रूपों में स्तवन हुआ है 'महाभिषेक' आदि विरुद्ध दिये गये हैं तथापि उनके स्वरूप कुछ ऐसे नवीन तत्वों का समावेश है जो अशतः पु-
विकास किन्तु मुख्यतः आर्योत्तर प्र-
संहिता में रुद्र के लिये "दीर्घात्य" ।
५ . प्रतीत है
है । ५६५

१ ऋक्संहिता १०, १३६

२. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास,

अर्थ 'उच्छृङ्खल आचरणवाला' बताया है। यह शब्द अथर्ववेद के ब्राह्म्य सूक्त के साक्ष्य से सगति रखता है और रुद्र की आर्येतर ब्राह्म्यसमाज में लोकप्रियता का परिचायक है। यजुर्वेद में रुद्र का पशुपति रूप भी अपेक्षया स्पष्टतर हो गया है। यजुर्वेद में रुद्र की कल्पना के विकास पर सर्वाधिक प्रकाश 'त्र्यम्बक होम' और 'शतरुद्रिय' नामक दो सूक्तों से मिलता है। 'त्र्यम्बक होम' में रुद्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी हैं जो समस्यामूलक हैं। प्रथम इस सूक्त में रुद्र को त्र्यम्बक कहा गया है^१। दूसरे, इसमें रुद्र के साथ पहली बार एक देवी अम्बिका का उल्लेख हुआ है जिसे उनकी बहन बताया गया है^२। तीसरे, इसमें रुद्र को कृत्तिवासा (खाल के वस्त्र पहनने वाला) कहा गया है^३। चौथे, इसमें रुद्र के वाहन मूषक की चर्चा है। और पाँचवें, इसमें रुद्र से उनका यज्ञ भाग देने के उपरान्त 'मूजवत' पर्वत से परे चले जाने के लिये अनुरोध किया गया है^४। यह प्रार्थना कुछ ऐसे ढंग से की गई है जिससे लगता है कि स्तोत्रा अपने आपको रुद्र से दूर ही रखना चाहता था। रुद्र के सम्बन्ध में 'त्र्यम्बक होम' से अधिक दिलचस्प बातें शतरुद्रिय स्तोत्र के छाद्यठ मन्त्रों में कही गई हैं। इसमें पहली बार रुद्र को शिव, शक्र गिरित्र, गिरिचर तथा गिरिशय आदि कहा गया है। ये उपाधियाँ परवर्ती युगों में अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। दूसरे, इसमें उनकी पुरानी 'नील शिखण्डिन' उपाधि 'नील ग्राव' में परिवर्तित हो जाती है^५। तीसरे, इसमें रुद्र को कुछ ऐसी उपाधियाँ भी दी गई हैं जो किसी प्रकार भी सम्मानपूर्ण नहीं कही जा सकती—जैसे स्तेनाना पति (चोरों का स्वामी) स्तायूनापति (ठगराज), तस्कराणापति (तस्कर-राज), विकृन्तानापति (गलकटो का सरदार), तथा वनानापति आदि।^६ इस स्तोत्र में रुद्र के गणों का भी वर्णन है जिनमें व्रात, व्रातपति, तक्षन, कुलाल, कर्मकार, निषाद, श्वनि (श्वानपालक) मृगयु (ध्याघ) आदि सम्मिलित किये गये हैं। रुद्र सम्प्रदाय के अनुपाधियों को देखते दृष्टे स्पष्ट है कि रुद्र की उपासना समाज के हीन वर्ग में विशेष

१ वाज० स० १ ६०

२ वाज० स० ३. ५७, तै० ब्रा० १ ६ १०

३ वाज० स० १६. ११

४ शत० ब्रा० २ ६ २. १७

५ वाज० स० १६. २८

६ वाज० स० १६, तै० सं० ४ ४

अथर्ववेद में उनके विषयायी (गरगिरी) होने का भी उल्लेख है जो अकस्मात् रुद्र के विपपान का स्मरण बिलाता है । ऋक्संहिता के दशम मण्डल के केशि सूक्त में कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया । यद्यपि यास्क और सायण ने केशी शब्द का लाक्षणिक अर्थ सूर्य माना है किन्तु काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण जैसे उत्तर वैदिक ग्रन्थों में केशियों का उल्लेख एक कवीले के अर्थ में हुआ है । इससे लगता है कि ऋग्वेद के इस सूक्त का केशी भी सूर्य न होकर केशी जातीय था । ऐसी स्थिति में केशी का अर्थ जटाधारी करना अधिक उपयुक्त होगा । यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी सूक्त के कुछ मन्त्रों में केशी की तुलना मुनियों से की गई है ।^१ इन मुनियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनके केश लम्बे और वस्त्र पीत होते हैं । वे पवन में बिहार करते हैं, विपपान करते हैं और मौनेय से उन्मदित रहते हैं । यह सर्गथा स्पष्ट है कि इन मुनियों का केशियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । उनके चमत्कारपूर्ण विरल वर्णन और अन्य अनेक तथ्यों के आधार पर यह प्रायः स्वीकार किया गया है वे किसी समृद्ध आर्येतर सांस्कृतिक परम्परा के उच्छेदित अवशेष थे ।^२ इस प्रकार ब्राह्मण, केशी और मुनि अवैदिक धार्मिक परम्पराओं के पोषक थे । इनमें प्रथम दो का सम्बन्ध रुद्र से स्पष्ट है । यह बात अत्यन्त कौतूहलजनक है कि रुद्र, ब्राह्मण, केशी और मुनियों को समान रूप से विपपान करने वाला कहा गया है । इससे भी उनके समान धार्मिक परिवेश का संकेत मिलता है ।

यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में रुद्र के प्रभाव और अनार्यत्व में और अधिक वृद्धि हो जाने के चिन्ह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं । अथर्ववेद में रुद्र द्वारा भव और शर्व को आत्मसात करने की प्रक्रिया संकेतित है जबकि यजुर्वेद में निश्चित रूप से वे रुद्र के दो नाम मात्र हैं । यद्यपि यजुर्वेद में भी उनका विनाशकारी एवं कल्याणकर दोनों रूपों में स्तवन हुआ है और उन्हें पुराने 'महामयिक' आदि विरुद्ध दिये गये हैं तथापि उनके स्वरूप की कल्पना में कुछ ऐसे नवीन तत्त्वों का समावेश हो गया है जो अशतः पुराने तत्त्वों का विकास किन्तु मुख्यतः आर्येतर प्रभाव का परिणाम प्रतीत होते हैं । इन संहिता में रुद्र के लिये "दीर्घात्प" विरुद्ध का प्रयोग हुआ है । महीधर ने इसका

१ ऋक्संहिता १०, १३६

२ बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-५

अर्थ 'उच्छृङ्खल आचरणवाला' बताया है। यह शब्द अथर्ववेद के व्रात्य सूक्त के साक्ष्य से समर्थ रखता है और रुद्र की आर्येतर व्रात्यसमाज में लोकप्रियता का परिचायक है। यजुर्वेद में रुद्र का पशुपति रूप भी अपेक्षया स्पष्टतर हो गया है। यजुर्वेद में रुद्र की कल्पना के विकास पर सर्वाधिक प्रकाश त्र्यम्बक होम और 'शतरुद्रिय' नामक दो सूक्तों से मिलता है। 'त्र्यम्बक होम' में रुद्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी हैं जो समस्यामूलक हैं। प्रथम इस सूक्त में रुद्र को त्र्यम्बक कहा गया है^१। दूसरे, इसमें रुद्र के साथ पहली बार एक देवी अम्बिका का उल्लेख हुआ है जिसे उनकी वहन बताया गया है^२। तीसरे, इसमें रुद्र को कृत्तिवासा (खाल के वस्त्र पहनने वाला) कहा गया है^३। चौथे, इसमें रुद्र के वाहन मूषक की चर्चा है। और पाँचवें, इसमें रुद्र से उनका यज्ञ भाग देने के उपरान्त 'भूजवत' पर्वत से परे चले जाने के लिये अनुरोध किया गया है^४। यह प्रार्थना कुछ ऐसे ढंग से की गई है जिससे लगता है कि स्तोता अपने आपको रुद्र से दूर ही रखना चाहता था। रुद्र के सम्बन्ध में 'त्र्यम्बक होम' से अधिक दिलचस्प बातें शतरुद्रिय स्तोत्र के छाछठ मन्त्रों में कही गई हैं। इसमें पहली बार रुद्र को शिव, शकर गिरित्रि, गिरिचर तथा गिरिशय आदि कहा गया है। ये उपाधियाँ परवर्ती युगों में अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। दूसरे, इसमें उनकी पुरानी 'नील शिखरिडन' उपाधि 'नील शाय' में परिवर्तित हो जाती है^५। तीसरे, इसमें रुद्र को कुछ ऐसी उपाधियाँ भी दी गई हैं जो किसी प्रकार भी सम्मानपूर्ण नहीं कही जा सकती—जैसे स्तेनाना पति (चोरी का स्वामी) स्तायूनापति (ठगराज), तस्कराणापति (तस्कर-राज), विकृन्तानापति (गलकटो का सरदार), तथा वनानापति आदि।^६ इस स्तोत्र में रुद्र के गणों का भी वर्णन है जिनमें व्रात, व्रातपति, तक्षन, कुलाल, कर्मकार, निषाद, श्वनि (श्वानपालक) मृगयु (व्याध) आदि सम्मिलित किये गये हैं। रुद्र सम्प्रदाय के अनुयायियों को देखते हुये स्पष्ट है कि रुद्र की उपासना समाज के हीन वर्ग में विशेष

१ वाज० स० १ ६०

२ वाज० स० ३. ५७, तै० ब्रा० १ ६ १०

३ वाज० स० १६. ११

४ शत० ब्रा० २ ६ २ १७

५ वाज० स० १६ २८

६ वाज० स० १६, तै० स० ४ ४

लोकप्रिय थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक युग में शूद्र वर्ग के अन्तर्गत परिगणित शिल्पियों एवं व्यवसायियों में आर्योत्तर तत्व ही प्रधान था। निषाद तो निश्चित रूप से प्रजातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक आर्यों से भिन्न थे।

ब्राह्मण काल में रुद्र के प्रभाव और पद में और अधिक वृद्धि दिखाई देती है। ऐतरेय ब्राह्मण के एक प्रसंग में कहा गया है कि रुद्र की उत्पत्ति सब देवताओं के उग्र अंश को मिला कर अपनी पुत्री पर आसक्त प्रजापति को दण्डित करने के लिये हुई।^१ वहाँ गौरव की दृष्टि से उनके नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रत्युत 'एष देवो भवत' कहकर सम्मान प्रकट किया गया है। ब्राह्मण काल में भी रुद्र पशुओं के विनाशक माने जाते थे। पंचविश ब्राह्मण में तो उन्हें स्पष्टतः मृगयु कहा गया है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक का यह विश्वास है कि रुद्र प्रकृत्या इतने उग्र हैं कि उनका नाम लेने से ही अनिष्ट हो सकता है अतः वह स्तोता को रुद्र का नाम उच्चारित न करने और 'रुद्र' के स्थान पर 'रुद्रिय' पाठ करने की सलाह देता है।^३ किन्तु इस विधि से भी उसे विश्वास नहीं होता कि रुद्र की स्तुति करने से अनिष्ट नहीं होता। अतः वह सुझाव रखता है कि स्तोता को उस मंत्र का पाठ करना चाहिये जिसमें रुद्र के शान्त रूप का स्तवन उनका नाम लिये विना किया गया है तथा उनसे पुरुषों, स्त्रियों और गायों के कल्याण की प्रार्थना की गई है।^४ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐसा करने से रुद्र भयास्पद देवता न होकर कल्याणकर हो जायेंगे। इस ग्रन्थ में उल्लिखित नाभानेदिष्ट की कथा से भी रुद्र का उत्कर्ष प्रमाणित होता है। इसमें रुद्र विश्व की सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार बताते हैं और नाभानेदिष्ट के पिता उभका समर्थन करते हैं।^५

शतपथ ब्राह्मण में रुद्र का स्वरूप और भी अधिक उग्र है। इसमें यद्यपि उन्हें सम्बत्सर और उषा के मिलन में उत्पन्न बताया गया है लेकिन यह भी

१. ऐत० ब्रा० ३. ३३ १

२. पंच० ब्रा० १४ ६ १२

३. ऐत० ब्रा० ३. ३४ ७

४. ऋ० १. ४६. ६

५. ऐत० ब्रा० ५. १४

सकेत किया है कि 'उनसे स्तोता के पशुओं का अनिष्ट हो सकता है ।'^१ इस ग्रंथ में एक स्थल पर उनकी कल्पना एक ऐसी अशुभ शक्ति के रूप में की गयी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकती रहती है और कहा गया है कि स्तोता को उत्तर दिशा में जाकर (जिस ओर रुद्र का विशेष आवास है) सड़कों और चौराहों पर हविष अर्पित करनी चाहिये ।^२ अन्यत्र कहा गया है कि स्तोता रुद्र को हविष देने के बाद प्रार्थना करे कि वह अपने धनुष पर प्रत्यचा चढाए बिना अर्थात् उसे कोई हानि पहुँचाये बिना मूजवत के पार चले जायें ।^३ इतना ही नहीं, इसके बाद यह विधान किया गया है कि किस प्रकार स्तोता, जो रुद्र की उपासना करने से अपवित्र हो गया है, अपने को पवित्र करे ।^४ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शतरुद्रिय की रचना भी रुद्र के क्रोध को शान्त करने के लिये की गई थी । ब्राह्मण साहित्य में यत्र-तत्र रुद्र को शुभ और कल्याणकर देवता भी माना गया है तथा कुछ प्रसंगों में उनका नैतिक उत्कर्ष भी लक्षित है ।^५

रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में तथा उमा हेमवती का केनोपनिषद् में मिलता है ।^६ उमा के उद्गमन पर कुछ विद्वानों ने द्रविड प्रभाव माना है । उनके अनुसार उमा शब्द द्रविड भाषा के 'अम्मा' शब्द से उद्भूत प्रतीत होता है ।^७ उमा, हेमवती और पार्वती शब्द द्वारा इन देवियों का सम्बन्ध गिरि प्रदेश से सूचित होता है । परवर्ती साहित्य में उमा को हिमवन्त सुता कहा गया है तथा शिव को कैलाश-पति । यजुर्वेद के गिरिवर, गिरिशय आदि विशेषणों से तथा उनकी पत्नी के पर्वतीय होने से यह प्रकट है कि उत्तर वैदिक युग में रुद्र गिरि-कानन के अधिपति देवता भी माने जाने लगे थे । पर्वत मालाओं से सुशोभित उत्तर-दिशा में रुद्र के आवास और पर्वतीय प्रदेश के निवासी किरातों में उनकी लोक-प्रियता से भी यह बात सूचित है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बढ़ते हुए प्रभुत्व के

१ शत० ब्रा० २६.२६

२ शत० ब्रा० २६.२.७

३ शत० ब्रा० २.६.२, १७

४ शत० ब्रा० २६.२.१८

५ जै० ब्रा० ३.२६१-३

६ केनोपनिषद् ३.१५

७ ओपर्ट, ओरिजिनल इनहेविटेन्ट्स आव इण्डिया, पृ० ४२१

युग में रुद्र ने किसी पार्वतीय देवता को भी आत्मसात किया जिसकी उपासना मुख्यतः आर्येतर पहाड़ी जातियों (किरातों) में प्रचलित रही होगी ।

उपनिषत्काल में रुद्र के महत्त्व और प्रभाव का वर्णन छान्दोग्य, बृहदारण्यक, महानारायण, श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में उपलब्ध होता है ।^१ श्वेताश्वतर में रुद्र को ही विश्व का अधिपति तथा देवताओं का भी द्रष्टा माना गया है ।^२ इसी ग्रन्थ में अनेकशः शिव का उल्लेख परमात्म-तत्त्व के रूप में भी हुआ है ।^३

ऋक्संहिता में विष्णु का उल्लेख सौर-देवता के रूप में मिलता है । विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं । ऋग्वेद में उनके स्वरूप की तुलना पर्वत पर रहने वाले, यथेच्छ भ्रमण करने वाले, भयानक पशु-(सिंह) से की गई है ।^४ विष्णु का महत्त्वपूर्ण कार्य पृथ्वी को तीन डगों से मापना है । विशाल डगों या क्रमों के कारण उन्हें 'उरुक्रम' और 'उरुगाय' भी कहा गया है । विष्णु के इन तीन पद-क्रमों के विषय में पर्याप्त वैमत्य है । यास्क ने आचार्य और्यवाभ का मत उद्धृत किया है जिनके अनुसार तीन पदक्रमों-द्वारा प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में सूर्य के द्वारा अङ्गीकृत आकाश के तीन स्थान-विन्दुओं का निर्देश है ।^५ अन्य आचार्य शाकपूणि के मतानुसार त्रिविक्रम से पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश—इन तीन लोकों के मापने तथा अतिक्रमण करने का संकेत है । इन दोगे मतों में से द्वितीय मत की पुष्टि ऋग्वेद के मन्त्रों से स्वतः होती है जिनमें तृतीय पद की सत्ता ऊर्ध्वतम लोक में मानी गई है ।

विष्णु नामक सौर देवता उत्तर-वैदिक काल में विशेष महत्त्वपूर्ण हो जाता है ।^६ ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारंभ में ही विष्णु के परमदेव होने की सूचना दी

१. छा० उप० ३७४, वृ० उप० ३६४, महा० उप० १३२, श्वेता० उप० ३२४

२. श्वेता० उप० ३४ यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः

३. श्वेता० उप० ११०

४. ऋ० ११५४२

५. निरुक्त १२१६

६. मैक्डानेल, वैदिक माइयालोजी, पृ० ३७ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी ऑफ दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० ११०

गई है।^१ ब्राह्मण साहित्य में स्थान-स्थान पर उन्हें यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है इससे भी उनकी महत्ता चोखित है।^२ ब्राह्मण साहित्य में विष्णु के वामन अवतार की कल्पना भी अकुरित हुई जिसका आधार विष्णु का त्रिविक्रम प्रतीत होता है। ब्राह्मणों में असुरों के सम्मुख देवताओं के अस्तित्व एवं महत्व की रक्षा का श्रेय विष्णु को ही दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मणके अनुसार असुरों ने विष्णु को सतनी भूमि देना स्वीकार किया जिसकी वे तीन पदों से अधिकृत कर सकें। विष्णु ने सभी लोकों को माप लिया।^३ तैत्तिरीय संहिता का वर्णन कुछ और स्पष्ट है। इसके अनुसार विष्णु ने वामन रूप धारण करके तीनों लोकों को अधिकृत किया।^४ शतपथ ब्राह्मण में भी असुरों द्वारा विजित पृथ्वी पर वामन विष्णु की सहायता से देवताओं के अधिकार की बात कही गई है।^५ शतपथ ब्राह्मण में नारायण का भी उल्लेख हुआ है किन्तु विष्णु से उनका सबंध सूचित नहीं होता है।^६ मंत्रायणी संहिता में विष्णु का उल्लेख केशवनारायण के रूप में हुआ है^७ तथा तैत्तिरीय आरण्यक में भी विष्णु और नारायण का सबंध चोखित है।^८ महाकाव्यों में विष्णु-नारायण की सत्ता परस्पर विलयित हो गई है किन्तु विष्णु और नारायण के तादात्म्य का प्रारम्भिक प्रयास उत्तर-वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। कतिपय विद्वान् नारायण की अवधारणा को आर्येतरिय मानते हैं।^९ नारायण स्वतः द्विज उत्पत्ति का प्रतीक होता है।^{१०}

१ ऐत० ब्रा० ११

२ शत० ब्रा० ५ २ ३ ६, ५ ४ ५ १, १२ ४ १ ४

३ ऐत० ब्रा० ६ १५

४ तै० स० २ १ ३ १

५ शत० ब्रा० १२.५ १

६ शत० ब्रा० १२ ३ ४ १

७ मंत्रा० स० २ ६

८ तै० आ० १० ११ १

९ डी० डी० कौशाम्बी, ऐन इन्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री,
पृ० १११

१० वहीं

उत्तर वैदिक युग में अनेक नवीन देवताओं की कल्पना भी उपलब्ध होती है। इनमें कुछ तो अमूर्त हैं तथा दार्शनिक चिन्तन के परिणाम प्रतीत होते हैं। अथर्ववेद में परम सत्ता को अनेक सज्ञाओं अन्य नवीन देवता द्वारा व्यक्त किया गया है। इस संहिता में एक स्थान पर 'काल' को ही जगत् का परम तत्त्व स्वीकार किया गया है। काल समस्त प्रपञ्च का अधिष्ठान है। उसमें मन, प्राण तथा नाम ही समाहित नहीं है प्रत्युत वह सब का ईश्वर है तथा प्रजापति का भी पिता है।^१ 'काल' की अवधारणा का अग्रिम विकास आरण्यको में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भिक अनुवाको में काल के पारमार्थिक और व्यावहारिक रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। अखण्ड सम्बत्सर के रूप में यही काल उद्भासित है तथा व्यवहार के लिये मुहूर्त, दिवा-रात्रि, पक्ष, मास, आदि में विभक्त होते हुये भी वह एकाकार है। उसकी तुलना उस महानदी में की गई है जो अक्षय स्रोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदियाँ आकर पुष्ट बनाती हैं तथा जिसका प्रवाह कभी नहीं सूखता।^२ काल के अतिरिक्त अथर्ववेद में 'स्कम्भ'^३ और 'उच्छृष्ट'^४ का उल्लेख भी हुआ है जो परब्रह्म के ही नवीन अभिधान तथा स्वरूप प्रतीत होते हैं। जगत् के आश्रय तथा आधार होने के कारण ही परमब्रह्म स्कम्भ की सज्ञा से मण्डित है। वह विश्व का ही नहीं प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है। इसीलिये उसे 'ज्येष्ठ ब्रह्म' कहा गया है। स्कम्भ में भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु सभी समाहित माने गये हैं।^५ 'उच्छृष्ट सूक्त' में भी वही ब्रह्म उच्छृष्ट नाम से व्यक्त किया गया है। उच्छृष्ट शब्द का अर्थ है बचा हुआ, शेष पदार्थ। दृश्य जगत् का निषेध करने पर जो वस्तु अवशिष्ट रहती है सम्भवतः वही उच्छृष्ट है जिसकी तुलना परवर्ती साहित्य के 'नेति नेति' (ब्रह्म) से की जा सकती है। जगत् के सभी पदार्थों की उत्पत्ति 'उच्छृष्ट सूक्त' में उच्छृष्ट से ही मानी गई है।^६ 'प्राण' का भी उल्लेख अथर्ववेद में

१ अथर्ववेद १६ ५३, ५४

२. तै० ब्रा० १२ नदीव प्रभवात् काचित् प्रसम्पात् स्यन्दते यथा

३. अथर्ववेद १० ७ ८

४ अथर्ववेद ११ ७

५. अथर्ववेद १०.७ १२

६ अथर्ववेद ११ ७.२३

परम सत्ता के रूप में मिलता है तथा उसका तादात्म्य प्रजापति से स्थापित किया गया है।^१ आरण्यकों एवं उपनिषदों में प्राण विद्या का जो विस्तार है उसका अकुर अथर्ववेदीय 'प्राण' के वर्णन में माना जा सकता है। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार देवता वेद, ऋषि एवं ससार सबकी उत्पत्ति प्राण से हुई।^२ अथर्ववेद के त्रयोदश काण्ड में रोहित का वर्णन अनेकश मिलता है जो सूर्य के रक्ताभ स्वरूप का प्रतीक मालूम होता है।^३ रोहितको भी यज्ञ का जनक तथा समग्र विश्व का निर्माता कहा गया है तथा उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह ससार स्थिर माना गया है।^४ अथर्ववेद में रोहित का तादात्म्य भी प्रजापति से स्थापित किया गया है। अथर्ववेद के विवरण से रोहित भी ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है।

उत्तर-वैदिक युग के कुछ नवीन देवता प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित हैं। ऋग्वेद में वनस्पतियों की स्तुति में सूक्त रचित हैं^५ किन्तु अथर्ववेद तथा तैत्तिरीय संहिता में देवी शक्ति का निवास विशेषतः अश्वत्थ, न्यग्रोध, उडुम्बर और प्लाक्ष में माना गया है।^६ अश्वत्थ की आकस्मिक महत्ता में वृद्धि का कारण सैन्धव धर्म का प्रभाव हो सकता है क्योंकि सैन्धव समाज में अश्वत्थ वृक्ष धार्मिक दृष्टि से समादृत था जब कि ऋग्वैदिक धर्म के अन्तर्गत ऐसी स्थिति नहीं थी। अथर्ववेद में एक स्थल पर पौधे का उल्लेख पृथ्वी देवी से जन्म लेती हुई एक देवी के रूप में हुआ है।^७ यह वर्णन सैन्धव संस्कृति से सम्बन्धित उस मुद्रा से आश्चर्यजनक साम्य रखता है जिस पर देवी की योनि से पौधे का जन्म प्रदर्शित किया गया है।^८ पशुओं में अनेक को ऋग्वेद में ही आशिक देवत्व से युक्त किया गया है किन्तु उनकी वास्तविक उपासना

१ अथर्ववेद ११४

२ ऐ० आ० २१६, २.२१०

३ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १ पृ० २०६

४ अथर्ववेद १३१-३

५ ऋ० ७३४ २३, १०६४ ८

६ तै० स० ३४ ८४

७ अथर्ववेद ६१३६१

८ मार्शल, मोहनजोदड़ो एण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन, ग्रन्थ १, पृ० ५२ प्लेट १२

उत्तर वैदिक युग में अनेक नवीन देवताओं की कल्पना भी उपलब्ध होती है। इनमें कुछ तो अमूर्त हैं तथा दार्शनिक चिन्तन के परिणाम प्रतीत होते हैं। अथर्ववेद में परम सत्ता को अनेक सज्ञाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। इस संहिता में एक स्थान पर 'काल' को ही जगत का परम तत्त्व स्वीकार किया गया है। काल समस्त प्रपञ्च का अधिष्ठान है। उसमें मन, प्राण तथा नाम ही समाहित नहीं है प्रत्युत वह सब का ईश्वर है तथा प्रजापति का भी पिता है।^१ 'काल' की अवधारणा का अग्रिम विकास आरण्यको में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भिक अनुवाको में काल के पारमार्थिक और व्यावहारिक रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। अखण्ड सम्बत्सर के रूप में यही काल उद्भासित है तथा व्यवहार के लिये मूर्त, दिवा-रात्रि, पक्ष, मास, आदि में विभक्त होते दृश्य भी वह एकाकार है। उसकी तुलना उस महानदी से की गई है जो अक्षय स्रोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदियाँ आकर पुष्ट बनाती हैं तथा जिसका प्रवाह कभी नहीं सूखता।^२ काल के अतिरिक्त अथर्ववेद में 'स्कम्भ'^३ और 'उच्छृष्ट'^४ का उल्लेख भी हुआ है जो परब्रह्म के ही नवीन अभिधान तथा स्वरूप प्रतीत होते हैं। जगत के आश्रय तथा आधार होने के कारण ही परमब्रह्म स्कम्भ की सज्ञा से मण्डित है। वह विश्व का ही नहीं प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है। इसीलिये उसे 'ज्येष्ठ ब्रह्म' कहा गया है। स्कम्भ में भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु सभी समाहित माने गये हैं।^५ 'उच्छृष्ट सूक्त' में भी वही ब्रह्म उच्छृष्ट नाम से व्यक्त किया गया है। उच्छृष्ट शब्द का अर्थ है वचा हुआ, शेष पदार्थ। दृश्य जगत का निषेध करने पर जो वस्तु अवशिष्ट रहती है सम्भवतः वही उच्छृष्ट है जिसकी तुलना परवर्ती साहित्य के 'नेति नेति' (ब्रह्म) से की जा सकती है। जगत के सभी पदार्थों की उत्पत्ति 'उच्छृष्ट सूक्त' में उच्छृष्ट से ही मानी गई है।^६ 'प्राण' का भी उल्लेख अथर्ववेद में

१ अथर्ववेद १६ ५३, ५४

२ तै० ब्रा० १२ नदीव प्रमवात् काचित् अक्षय्यात् स्यन्दते यथा

३ अथर्ववेद १०.७ ८

४ अथर्ववेद ११.७

५ अथर्ववेद १० ७ १२

६ अथर्ववेद ११ ७.२३

परम सत्ता के रूप में मिलता है तथा उसका तादात्म्य प्रजापति से स्थापित किया गया है।^१ आरण्यको एव उपनिषदों में प्राण-विद्या का जो विस्तार है उसका अकुर अथर्ववेदीय 'प्राण' के वर्णन में माना जा सकता है। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार देवता वेद, ऋषि एव ससार सबकी उत्पत्ति प्राण से हुई।^२ अथर्ववेद के त्रयोदश काण्ड में रोहित का वर्णन अनेकश मिलता है जो सूर्य के रक्ताभ स्वरूप का प्रतीक मालूम होता है।^३ रोहितको भी यज्ञ का जनक तथा समग्र विश्व का निर्माता कहा गया है तथा उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह ससार स्थिर माना गया है।^४ अथर्ववेद में रोहित का तादात्म्य भी प्रजापति से स्थापित किया गया है। अथर्ववेद के विवरण से रोहित भी ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है।

उत्तर-वैदिक युग के कुछ नवीन देवता प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित हैं। ऋग्वेद में वनस्पतियों की स्तुति में सूक्त रचित हैं^५ किन्तु अथर्ववेद तथा तैत्तिरीय संहिता में देवी शक्ति का निवास विशेषत अश्वत्थ, न्यग्रोध, उडुम्बर और प्लाक्ष में माना गया है।^६ अश्वत्थ की आकस्मिक महत्ता में वृद्धि का कारण सैन्धव धर्म का प्रभाव हो सकता है क्योंकि सैन्धव समाज में अश्वत्थ वृक्ष धार्मिक दृष्टि से समादृत था जब कि ऋग्वैदिक धर्म के अन्तर्गत ऐसी स्थिति नहीं थी। अथर्ववेद में एक स्थल पर पौधे का उल्लेख पृथ्वी देवी से जन्म लेती हुई एक देवी के रूप में हुआ है।^७ यह वर्णन सैन्धव संस्कृति से सम्बन्धित उस मुद्रा से आश्चर्यजनक साम्य रखता है जिस पर देवी की योनि से पौधे का जन्म प्रदर्शित किया गया है।^८ पशुओं में अनेक को ऋग्वेद में ही आशिक देवत्व से युक्त किया गया है किन्तु उनकी वास्तविक उपासना

१ अथर्ववेद ११४

२ ऐ० आ० २१६, २२१०

३ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १ पृ० २०६

४ अथर्ववेद १३१-३

५ ऋ० ७३४ २३, १०६४ ८

६ तै० सं० ३४ ८४

७ अथर्ववेद ६१३६१

८ माशल, मोहनजोदड़ो एण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन, ग्रन्थ १, पृ० ५२ प्लेट १२

सर्वथा सन्दिग्ध हैं। उत्तर वैदिक काल में वराह और कच्छप में देवत्व की कल्पना स्पष्ट है। नाग उपासना की लोकप्रियता भी परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों के अध्ययन से स्पष्ट है। ओल्डेनबर्ग नागपूजा के मूल में टोटमवाद मानते हैं।^१ उनका यह मत ग्राह्य प्रतीत होता है। बौद्ध युग में कोशल और विदेह के समीपवर्ती प्रदेशों में नाग जाति का बाहुल्य था। इन नाग लोगों में सर्प की उपासना प्रचलित रही होगी। भय की भावना तथा उपासक से भयकर सर्पों को दूर रखने की कामना को भी नाग पूजा के विस्तार का एक कारण माना जा सकता है।

वैदिक साहित्य से अन्तर्गत विकसित अध्यात्मवाद का प्रतिपादन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। उपनिषदों में उल्लिखित अनेक विचार वीज-रूपेण संहिताओं एवं ब्राह्मणों में भी मिलते हैं किन्तु औपनिषद-दर्शन ब्राह्मण युग में यज्ञिय कर्मकाण्डों का जो आशातीत विकास एवं विस्तार हुआ उससे मूल आध्यात्मिक भावना अस्त हो गई। इसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप यज्ञों के आडम्बर-पूर्ण बाह्य स्वरूप का विरोध हुआ तथा उनमें अन्तर्निहित आध्यात्मिक तत्व के महत्व पर बल दिया गया। इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास हुआ कि यज्ञ अपने आप में साध्य नहीं है अपितु उनमें अन्तर्निहित सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व ही महत्वपूर्ण है। मुण्डकोपनिषद में यज्ञ और बलिदान का प्रकट विरोध मिलता है।^२ बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात का संकेत है कि क्रमशः यज्ञ और बलिदान की भावना को चिन्तन और मनन में बदलने का प्रयास हो रहा था। परिणामतः उपनिषद् युग में देवयज्ञ से हटकर धात्मयज्ञ पर बल दिया गया। यद्यपि ब्रह्म अथवा परमपुरुष की प्राप्ति के लिए बाह्य आडम्बर व्यर्थ बताए गए तथापि सामाजिक परिवेश एवं जनमानस को देखते हुए उपनिषत्कारों ने पूर्णतया यज्ञ धर्म की अवहेलना नहीं की। उन्होंने उसकी व्याख्या में परिवर्तन किया। उन्हें शक्य था कि समाज में दीर्घकाल से प्रतिष्ठित यज्ञों की आलोचना मम्मभवतः लोकप्रिय नहीं हो सकेगी। अतः मनीषियों ने यज्ञमूलक धर्म के विरुद्ध क्रान्ति न करके उसके

१ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० १६५ पर उद्धृत

२. प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येन धर्म एतच्छ्रयो येषां नन्दन्ति भूदा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति।

उद्देश्य एव अभिप्राय में ही परिवर्तन का सफल प्रयास किया। वैदिक प्रार्थना और कर्मकाण्ड का स्थान उपनिषदों में चिन्तन, मनन और निदिध्यासन ने ले लिया। इस प्रकार वहिर्मुखी वैदिक धर्म उपनिषद् काल में अन्तर्मुखी हो गया। ज्ञान के समक्ष कर्म की हीनता को सूचित करते हुए यह भी कहा गया कि यज्ञ से मनुष्य को केवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग सुख के विषय में भी उपनिषद् यह मानते हैं कि स्वर्ग-सुख का भोग जीव तभी तक कर सकता है जब तक उसके पुण्य शेष है। पुण्य समाप्त होते ही पुन उसे जन्म लेना पड़ता है और पुन उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार यज्ञ से उत्पन्न सुख अनित्य है। इसके विपरीत ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है जिसके द्वारा वह जन्म और मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

उपनिषद् युग बौद्धिक जिज्ञासा का युग था। इस युग के मनीषियों ने अनेक शाश्वत समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जिनके चिन्तन एव मनन के परिणामस्वरूप प्रौढ दर्शन का विकास मूल समस्याएँ हुआ। उपनिषद् कालीन दार्शनिक इस अन्वेषण में रत है कि इस संसार के मूल में क्या वास्तविक सत्य है। उपनिषदों के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक, सतत परिवर्तनशील तथा अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत, सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषण तात्त्विक वृद्धि से कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में उन्होंने तीन पद्धतियों का उपयोग किया है जिन्हें आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक कहा जा सकता है। आधिभौतिक पद्धति जगत् के उत्पत्ति विकास एव विनाश के कारणों की खानबीन करती हुई विलक्षण नित्य पदार्थ के निर्घचन में समर्थ होती है।^१ आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं में शक्ति संचार करने वाले एक परमात्म तत्त्व को खोज निकालती है।^२ आध्यात्मिक पद्धति में मानस प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्यकलापों के अवलोकन से उनके मूलभूत आत्मतत्त्व का निरूपण किया जाता है। इन तीन शैलियों के द्वारा उपनिषद्कालीन दार्शनिकों ने जिस परमतत्त्व का उद्घोषा किया है उसे अन्ततः ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद् साहित्य में इस संसार, शरीर तथा परम सद्बस्तु के सम्बन्ध में

१ वृ० उप० ३ प ६

२ वृ० उप० ३ १-१०

सर्वथा सन्दिग्ध हैं। उत्तर वैदिक काल में वराह और कच्छप में देवत्व की कल्पना स्पष्ट है। नाग उपासना की लोकप्रियता भी परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों के अध्ययन से स्पष्ट है। ओल्डेनवर्ग नागपूजा के मूल में टोटमवाद मानते हैं।^१ उनका यह मत ब्राह्म प्रतीत होता है। बौद्ध युग में कोशल और विदेह के समीपवर्ती प्रदेशों में नाग जाति का बाहुल्य था। इन नाग लोगों में सर्प की उपासना प्रचलित रही होगी। भय की भावना तथा उपासक से भयकर सर्पों को दूर रखने की कामना को भी नाग पूजा के विस्तार का एक कारण माना जा सकता है।

वैदिक साहित्य से अन्तर्गत विकसित अध्यात्मवाद का प्रतिपादन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। उपनिषदों में उल्लिखित अनेक विचार बीज-

रूपों संहिताओं एवं ब्राह्मणों में भी मिलते हैं किन्तु

श्रीउपनिषद-दर्शन

ब्राह्मण युग में यज्ञिय कर्मकाण्डों का जो आशातीत

विकास एवं विस्तार हुआ उससे मूल आध्यात्मिक

भावना ग्रस्त हो गई। इसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप यज्ञों के आडम्बर-पूर्ण बाह्य स्वरूप का विरोध हुआ तथा उनमें अन्तर्निहित आध्यात्मिक तत्त्व के महत्व पर बल दिया गया। इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास हुआ कि यज्ञ अपने आप में साध्य नहीं है अपितु उनमें अन्तर्निहित सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्व ही महत्वपूर्ण है। मुण्डकोपनिषद में यज्ञ और बलिदान का प्रकट विरोध मिलता है।^२ बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात का संकेत है कि क्रमशः यज्ञ और बलिदान की भावना को चिन्तन और मनन में बदलने का प्रयास हो रहा था। परिणामतः उपनिषद् युग में देवयज्ञ से हटकर धारमयज्ञ पर बल दिया गया। यद्यपि ब्रह्म अथवा परमपुरुष की प्राप्ति के लिए बाह्य आडम्बर व्यर्थ बताए गए तथापि सामाजिक परिवेश एवं जनमानस को देखते हुए उपनिषत्कारों ने पूर्णतया यज्ञ धर्म की अवहेलना नहीं की। उन्होंने उसकी व्याख्या में परिवर्तन किया। उन्हें शका थी कि समाज में दीर्घकाल से प्रतिष्ठित यज्ञों की आलोचना सम्भवतः लोकप्रिय नहीं हो सकेगी। अतः मनीषियों ने यज्ञमूलक धर्म के विरुद्ध क्रान्ति न करके उसके

१ रिज्जिन एण्ड फिलोसोफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, पृ० १६५ पर उद्धृत

२. प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येप धर्म एतच्छ्रयो येषां नन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति।

उद्देश्य एव अभिप्राय में ही परिवर्तन का सफल प्रयास किया। वैदिक प्रार्थना और कर्मकाण्ड का स्थान उपनिषदों में चिन्तन, मनन और निदि-
ध्यासन ने ले लिया। इस प्रकार बहिर्मुखी वैदिक धर्म उपनिषद् काल में
अन्तर्मुखी हो गया। ज्ञान के समक्ष कर्म की हीनता को सूचित करते हुए
यह भी कहा गया कि यज्ञ से मनुष्य को केवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते
हैं। स्वर्ग सुख के विषय में भी उपनिषद् यह मानते हैं कि स्वर्ग-सुख का
भोग जीव तभी तक कर सकता है जब तक उसके पुण्य शेष हैं। पुण्य
समाप्त होते ही पुन उसे जन्म लेना पड़ता है और पुन उसकी मृत्यु होती
है। इस प्रकार यज्ञ से उत्पन्न सुख अनित्य हैं। इसके विपरीत ज्ञान के
माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है जिसके द्वारा वह जन्म और
मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

उपनिषद् युग बौद्धिक जिज्ञासा का युग था। इस युग के मनीषियों ने
अनेक शाश्वत समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जिनके चिन्तन एवं
मनन के परिणामस्वरूप प्रौढ दर्शन का विकास
मूल समस्याएँ हुआ। उपनिषद् कालीन दार्शनिक इस अन्वेषण
में रत है कि इस संसार के मूल में क्या वास्तविक
सत्य है। उपनिषदों के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक, सतत परि-
वर्तनशील तथा अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत, सत्तात्मक पदार्थ
का अन्वेषण तार्त्विक दृष्टि से कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में
उन्होंने तीन पद्धतियों का उपयोग किया है जिन्हें आधिभौतिक, आधिदैविक
तथा आध्यात्मिक कहा जा सकता है। आधिभौतिक पद्धति जगत् के उत्पत्ति
विकास एवं विनाश के कारणों की छानबीन करती हुई विलक्षण नित्य
पदार्थ के निर्वाचन में समर्थ होती है।^१ आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा
स्वभावधारी विपुल देवताओं में शक्ति संचार करने वाले एक परमात्म तत्त्व
को खोज निकालती है।^२ आध्यात्मिक पद्धति में मानस प्रक्रियाओं तथा
शारीरिक कार्यकलापों के अवलोकन से उनके मूलभूत आत्मतत्त्व का निरू-
पण किया जाता है। इन तीन शैलियों के द्वारा उपनिषद्कालीन दार्शनिकों
ने जिस परमतत्त्व का उद्घोषा किया है उसे अन्ततः ब्रह्म कहा गया है।
उपनिषद् साहित्य में इस संसार, शरीर तथा परम सदैवस्तु के सम्बन्ध में

१ वृ० उप० ३ प.६

२ वृ० उप० ३ १-१०

ये तीनों लोको की रचना हुई है तथा दूसरे में वेदों का त्रिविध ज्ञान आ जाता है। तीसरे में तीन प्राण हैं और चौथा पृथ्वी से परे सूर्य के रूप में चमकता है। आत्मा भी ब्रह्म का ही स्वरूप है जो पूर्ण है किन्तु पूर्ण आत्मा के निकलने के बाद भी ब्रह्म में कोई कमी नहीं आती और वह पूर्ण ही रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में इस प्रसंग में यह कहा गया है कि 'वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है किन्तु उस पूर्ण के बाद जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण है।'^१ इस प्रकार सब कुछ उस अनन्त से निकलता है और अनन्त में पहुँचना ही उसका लक्ष्य है। उपनिषदों में ब्रह्म को इन्द्रियो द्वारा दुर्ज्ञेय तथा वाणी द्वारा अकथनीय बतलाया गया है। वह अणु से भी छोटा है और महान से भी महत्तर। उसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि परम ब्रह्म न तो स्थूल है और न सूक्ष्म, न छोटा है और न बड़ा, इसका कोई स्वरूप नहीं है। यह काल, अक्ष, और मस्तिष्क से भी परे है। इसी प्रकार केनोपनिषद् में निष्प्रपञ्च ब्रह्म का सजीव चित्र मिलता है। इसके अनुसार "जिसे वाणी कह नहीं सकती किन्तु जिसकी शक्ति से बोलती है उसे तुम ब्रह्म जानो। इसे नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो।" ब्रह्म निरुपाधि है। देश, काल एवं निमित्त रूपी उपाधियों से पूर्णतः विरहित है। वह देशातीत, कालातीत और निमित्तातीत है। प्रमाणातीत होने से वहनितरा अप्रमेय है। वह किसी भी प्राणी की बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। मुण्डकोपनिषद् में ब्रह्म की उपमा मकड़े से दी गई है तथा कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाली का वितन्वन करता है तथा पुनः अपने में उसे समेट लेता है। उसी प्रकार ब्रह्म विश्व को उत्पन्न एवं नष्ट करता है। जिस प्रकार बीज के अदृश्य सार से वृक्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूक्ष्म परम-तत्त्व से विश्व का सृजन होता है। पानी में घुले हुए लवण की भाँति सर्वव्यापी ब्रह्म जगत् में व्याप्त होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ब्रह्म के इस परात्पर रूप के अतिरिक्त उपनिषदों में अपर ब्रह्म का भी उल्लेख मिलता है जो सीमित, सोपाधि, सगुण, सप्रपञ्च एवं अन्तःस्थ है।

उपनिषदों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश अद्वैतवाद का है। इस युग के मनीषियों को मतानुसार अखिल सृष्टि जड़, जगम चेतन स्थावर, नभी

पर-ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं । 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' 'तत् त्वमसि,' 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि महा वाक्यों द्वारा सूक्ष्म एव अद्वैत ब्रह्म की सर्वव्याप्त सत्ता एव आत्मा तथा परमात्मा की एकता प्रतिभासित की गई है^१ तथा आत्मा और ब्रह्म में अन्तर देखने का मूल कारण अविद्या अथवा अज्ञान माना गया है । आत्मा और परमात्मा की एकता उपमाओं के माध्यम से भी स्पष्ट की गई हैं । जब कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो आकाश का एक अंश उस घड़े में भी व्याप्त हो जाता है । घड़ा शरीर है और घड़े के भीतर व्याप्त आकाश ही आत्मा है । जब घड़ा फूट जाता है अर्थात् आदमी का शरीर छूट जाता है तब उससे आवृद्ध आकाश पुनः विशाल आकाश में मिल जाता है । जिस घड़े का आकाश कर्म की गन्ध से दूषित है उस आकाश-खण्ड (आत्मा) को पुन किसी दूसरे घड़े में जाना होगा (अर्थात् पुनर्जन्म लेना पड़ेगा) । किन्तु जिसका आकाश निर्मल है, उस घड़े के फूट जाने पर उसका आकाश पुन किसी घड़े में वापस नहीं आता (अर्थात् निर्मल मनुष्य की आत्मा पुन जन्म के बन्धन में नहीं पड़ती) ।^२ नानात्व के बीच एकत्व को अत्यन्त सरल रूप में व्यक्त करते हुए कहा गया है कि विश्व ब्रह्म है । और ब्रह्म मेरी आत्मा है । इस प्रकार एक ही परम तत्व की सत्ता की अभिव्यक्ति समस्त पदार्थों में मानी गई है । वही एक प्रकार सर्वत्र आलोकित है ।

श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म को ईश कहा गया है । वह शिव रुद्र हर और महेश्वर भी कहलाता है । यहा यह उल्लेखनीय है कि यह उपनिषद अन्य उपनिषदों से बहुत बाद का है । ईश्वर को श्वेताश्वतर उप-प्रकृति एव जीवों का स्वामी कहा गया है । निषद का ईश्वर जो अपनी शक्ति माया अथवा प्रकृति द्वारा जगत् का सृजन करता है । प्रकृति एक अज, सत्त्व, रजस वाद और तमस से बनी हुई तथा गतिशील है तथा इन गुणों से अपने जैसी अनेक वस्तुएं उत्पन्न करती है ।^३ मायावी ईश्वर अपनी

१ वृ० उप० १ ४ १०, छान्दोग्य उप० ६- ८ ७, छान्दोग्य उप० ३ १४ १

२ इस प्रसंग में आत्मा और जीव को एक ही माना गया है ।

३ श्वेता० उप० ४. ५, अजामेकाम् लोहित शुक्लकृष्णा बह्वी. प्रजा. सृजमाना सद्मया

शक्ति से समस्त लोको को बनाता तथा उन पर शासन करता है। वह गुणों का नियामक है तथा उसकी प्रकृति विचित्र जगत का निर्माण करने वाली महाशक्ति।

उपनिषदों के अनुसार वैयक्तिक आत्मा (इडिबीड्ग्रल सेल्फ) और परम आत्मा (सुप्रीम सेल्फ) अन्धकार और प्रकाश के समान एक ही शरीर की हृदय गुहा में साथ-साथ निवास करते हैं।

जीव और आत्मा इनमें प्रथम को जीव और दूसरे को आत्मा कहा गया है। जीव कर्म के फलों को भोगता है। तथा सुख-दुख का अनुभव करता है। इसके विपरीत आत्मा कूटस्थ और निलिप्त है। यद्यपि दोनों अज और नित्य हैं तथापि जीव अज्ञान के कारण दुख और बन्धन से युक्त है। आत्मा का ज्ञान होने पर यह अज्ञान और उसके साथ ही दुख और बन्धन भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ उपनिषदों में आत्मा और जीव में अन्तर नहीं माना गया है किन्तु कुछ में यह अन्तर स्पष्ट है। उनमें आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करते हुए जीवको इनसे भिन्न माना गया है। जीवात्मा को भी शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियो से पृथक् और इनसे परे कहा गया है। वह नित्य, चेतन, अजर, अमर और अशरीरी है किन्तु उसमें अनन्त ज्ञान नहीं है। वह भोक्ता और कर्त्ता है अथ कर्मों के बन्धन में पड़ा रहता है। उसमें इच्छा, सकल्प, क्रिया और चरित्र है। इसका पुनर्जन्म होता है जो जीव के कर्मों पर आधारित होता है। जीव की चार अवस्थाओं का भी उल्लेख हुआ है। प्रथम 'जाग्रत' अवस्था है जिसमें वह विश्व कहलाता है तथा बाह्य इन्द्रियों द्वारा वह सासारिक विषयों को भोगता है। 'स्वप्न' की अवस्था में वह तेजस है जो मन के द्वारा सूक्ष्म आन्तरिक विषयों को जानता और भोगता है। 'सुषुप्ति' अवस्था में वह प्रज्ञा कहलाता है जो एकरस, चैतन्य और आनन्द है तथा जो अन्तर्ब्राह्म किमी भी विषय को नहीं देखता। चौथी 'तुरीय' अवस्था में वह आत्मा कहलाता है जो न चेतन है और न अचेतन वन्कि एक अद्वैत विश्वचेतना है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों में जीव की स्थिति पाँच पृथक् कोषों में भी बताई गई है। जिन्हें क्रमशः अन्नमयकोष, प्राणमयकोष, मनोमयकोष, विज्ञानमय-कोष तथा आनन्दमय कोष कहा गया है। आनन्दमय कोष में ही विशुद्ध आत्मा का निवास है। यही आत्मा ब्रह्म है जिसके ज्ञान से जीव के बन्धन छूट जाते हैं। यह आत्म ज्ञान अपरोक्षानुभूति से होता है।

उपर ब्रह्म, आत्मा और जीव के स्वरूप के विषय में जो बातें कही गई हैं उनमें अनेक विरोध परिलक्षित हैं। किन्तु उपनिषदों में इस प्रकार की परस्पर विरोधी बातों का सन्निवेश मिलना है। उपनिषद कभी तो ब्रह्म को निर्विकार कहते हैं और कभी कहते हैं कि सृष्टि की रचना उसी ने की। वे कभी आत्मा और परमात्मा को अभिन्न मानते हैं और कभी यह कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और आत्मा सीमित है। परमात्मा आनन्द स्वरूप है और आत्मा दुःख से पीड़ित। आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा पृथक् हैं तथा आत्मा और परमात्मा अलग भी हैं और एकाकार भी, ये तीन तरह के मत हैं जिनमें प्रायः तीनों का समर्थन उपनिषदों में खोजा जा सकता है। इन्हीं तीन प्रकार की बातों से कालान्तर में द्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का विकास हुआ। उपनिषदों में इन परस्पर विरोधी मतों के प्रतिपादन का मूल कारण यह है कि वे किसी एक ऋषि की रचना नहीं हैं। उनमें अनेक ऋषियों की अनुभूतियाँ सम्मिलित हैं अतः उनमें न्यूनाधिक वैमत्य और विरोध स्वाभाविक है।

उपनिषदों के अनुसार अविद्या बन्धन का कारण है और विद्या से मोक्ष होता है। अविद्या की स्थिति में नित्य और अनित्य का अन्तर स्पष्ट नहीं होता। उसमें भेद, नानात्व और भ्रह्कार होता है।

बन्धन और मोक्ष भ्रह्कार बन्धन का कारण है। इसके कारण जीव इन्द्रियों, मन, बुद्धि और शरीर से तादात्म्य करने लगता है। वस्तु जगत के प्रति मोह बन्धन उत्पन्न करता है। भ्रह्कार, स्वार्थ और वासना बन्धन के प्रमुख कारण माने गये हैं, जिनके प्रभाव से मनुष्य आवागमन तथा पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त नहीं हो पाता है। विद्या द्वारा भ्रह्कार से छूट कर अपने असली रूप ब्रह्म को पहचान कर उससे तादात्म्य स्थापित करने से बन्धन छूट जाते हैं। ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्मभावना अर्थात् सबमें ब्रह्म को देखना और अपने को सबमें देखना। इसी स्थिति को 'एकात्मदर्शन' (सबमें एक ही आत्मा को देखना) तथा 'सर्वात्मदर्शन' भी कहा गया है। इसे अमृत-पद भी कहा गया है क्योंकि इसमें जीवात्मा एवं परमात्मा का एकत्व है। इस स्थिति में धर्म, अधर्म, राग, द्वेष, सुख-दुःख, मोह और भय इत्यादि नहीं हैं। वहाँ अनिर्वचनीय शाश्वत दान्ति है। वह परम प्रज्ञा, नि स्वार्थ सकल्प, निर्विशेष चेतना तथा अनिर्वचनीय आनन्द की अवस्था है।^१

२. विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, राधाकृष्णन्, इण्डियन फिलोसोफी, भाग १, पृ० १५२-२०७।

तत्त्वविचार के साथ-साथ उपनिषदों में मोक्ष-प्राप्ति के साधनों पर भी विचार किया गया है। संक्षेप में मोक्ष-प्राप्ति का एकमात्र साधन, आत्मलाभ (सेल्फ रियलाइजेशन) अथवा ब्रह्म साक्षात्कार है।

मोक्ष के साधन किन्तु पूर्ण आत्मलाभ के लिए क्रमशः अनेक अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा अन्तर्-यामी है वह बाह्य जगत की वस्तुओं के पीछे दौड़ने से नहीं मिल सकता परन्तु बाह्य विषयों के पीछे भागना मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को रोक कर इन्द्रियों को बाह्य विषयों से समेट कर अन्तःस्थ आत्मा पर मन को केन्द्रित करना आत्मलाभ के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आत्मलाभ के लिए अन्तर्मुखता प्रथम आवश्यकता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा को न तो प्रवचनों से, न मेघा से और न बहुश्रुत होने से ही जाना जा सकता है।^१ उसके लिए जीवन में सत्य, तपस्या यथार्थ बोध और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है।^२ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा भी आवश्यक है। कठोपनिषद में कहा है 'उठो, जागो, और जो तुमसे श्रेष्ठ है उनसे सीखो क्योंकि आत्मलाभ का पथ छुरे की धार के समान तीक्ष्ण है।'^३ छान्दोग्यउपनिषद में गान्धारनिवासी मनुष्य की कथा है। डाकू उसकी आखें बन्द करके उसे उसके देश से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। तब किसी अन्य व्याक्त के पथ प्रदर्शन करने पर ही वह घर पहुँच पाता है। इस कथा के माध्यम से आत्मलाभ के लिए गुरु की आवश्यकता को सुन्दर ढंग से समझाया गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में भक्ति को भी आत्मलाभ का साधन माना गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक जिज्ञासु में देवता और गुरु के प्रति पर्याप्ति भक्ति न हो तब तक उसको आत्मलाभ के मार्ग में दीक्षा नहीं देनी चाहिए।^४ कुछ उपनिषदों में सन्यास को भी एक आवश्यक शतं माना गया है किन्तु सबमें ऐसा नहीं है। भक्ति, शुद्धि, अन्तर्मुखता तथा गुरु से दीक्षा मिलनेपर जिज्ञासु को योगाभ्यास और ओ३म पर निदिध्यासन अथवा प्रणव करना चाहिए। निदिध्यासन के पूर्ण होने पर आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है तथा आत्मलाभ होता है।

१. कठोपनिषद १.२.२२

२. मुण्डकोपनिषद ३.१.५

३. छान्दोग्य उप० ४.२.३

४. श्वेता० उप० ६.२२.२३ यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन् ।

प्रो० रानाडे ने आत्मलाभ के मार्ग में अग्रसर जीव की पाँच अवस्थाओं का सकेव उपनिषदों में माना है।^१ प्रथम अवस्था में व्यक्ति स्वयं को आत्मा से पृथक् देखते हुए अपने अन्दर स्थित आत्मा को रहस्यात्मक दर्शन द्वारा उसकी अनुभूति करता है। इस अवस्था की सूचना बृहदारण्यक उपनिषद में 'आत्मा वा अरे दृष्टव्य' कह कर दी गई है।^२ इसी उपनिषद में दूसरी अवस्था को यह कर समझाया गया है कि हम यह अनुभव करें कि हम आत्मा ही हैं, शारीरिक, बौद्धिक अथवा भावात्मक कोष नहीं। इस प्रकार दूसरी अवस्था में शुद्ध आत्मा से तादात्म्य का अनुभव होता है।^३ बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तीसरी अवस्था में यह अनुभूति होनी चाहिए कि जिस आत्मा का हमने अनुभव किया है उसका एकत्व ब्रह्म से है।^४ चौथी अवस्था में प्रथम तीन अवस्थाओं के परिणामस्वरूप 'अहं ब्रह्मास्मि'^५ अथवा 'तत्त्वमसि'^६ की अनुभूति होती है। पाचवी अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभूति होगी कि समस्त जगत ही ब्रह्म है। छान्दोग्य उपनिषद में 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' का उद्घोष हुआ है।^७ इस पूर्ण अद्वैत की अवस्था में पहुँच कर पूर्ण आत्मलाभ हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक वासनाओं का अन्त हो जाता है।^८ उसके हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं तथा उसके समस्त सन्देह एवं भ्रम दूर हो जाते हैं।^९ एक बार समस्त शक्ति के स्रोत परम तत्त्व से तादात्म्य हो जाने पर जीवात्मा के समस्त दुःख दूर हो जाते हैं और वह विश्वात्मा की अनन्त शक्ति में भाग लेने लगता है।^{१०} विश्वात्मा के योग से उत्पन्न परम आनन्द का सापोषाग वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस आनन्द की तुलना प्रिय पत्नी

१ ए कान्सट्रक्टिव सर्वे धाव दि उपनिषदिक फिलोसोफी, पृ० २७६

२ वृ० उप० २४५

३ वृ० उप० ४४१२

४ वृ० उप० २५१६

५. वृ० उप० १४१०

६. छान्दोग्य उप० ६८७

७ छान्दोग्य उप० ३१४१

८ वृ० उप० ४४१२

९ मुण्डकोपनिषद २२ = मिथ्ये हृदय ग्रन्थि इच्छेद्यते सर्वसंशया .

१० मुण्डकोपनिषद ३१२

के साथ संयोग से उत्पन्न आनन्द से की गई है।^१ तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार इस आनन्द की अनुभूति भय की अनुभूति को समाप्त कर देती है। जीव निर्भय हो जाता है। क्योंकि उसने अदृश्य, अशरीर, अनिर्वचनीय, निर्भय और सबके निराधार आधार में आवास पा लिया है।^२ छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार जो आत्मा की खोज करके उसे पा लेता है उसे समस्त लोक प्राप्त हो जाते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।^३ यही आत्मलाम अथवा ब्रह्म-ज्ञान उपनिषदों का प्रमुख विषय है इसीलिए उपनिषदों की विद्या को ब्रह्म-विद्या भी कहा गया है जिसके अनुशीलन से मुमुक्षु जनों की ससार-बीज-भूता अविद्या नष्ट हो जाती है तथा गर्भवास, पुनर्जन्म आदि के बन्धन शिथिल हो जाते हैं।

उपनिषदों में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धान्त का विकसित रूप दिखाई देता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में एक स्थान पर इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध उल्लेख मिलता है।^४ इसके अनुसार मनुष्य पुनर्जन्म और कर्मवाद जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म के सुधरने से मनुष्य का अगला जन्म अच्छा होगा और उस जन्म में भी जब वह अच्छे कर्म करेगा तब उसका तीसरा अगला जन्म और अच्छा होगा। इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर तक सत्कर्म में प्रवृत्त मनुष्य की मुक्ति हो जायगी और वह जन्म-मरण के बन्धन से छूट जायेगा। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उसकी इच्छाओं अथवा वासनाओं से उसके कर्म प्रेरित होते हैं तथा कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है उसका भविष्य। इसी सिद्धान्त में उस बौद्ध विश्वास का बीज निहित है जिसके अनुसार आत्मा के अस्तित्व की स्वीकार करते हुए भी कर्म के आधार पर पुनर्जन्म माना गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में आवागमन के इस सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार मृत्यु के पश्चात् ज्ञानयुक्त अरण्यवासी देवयान से जाता है तथा ब्रह्मन् से उसका तादात्म्य होता है। यश कर्म में रत गृहस्थ पितृयान से चन्द्रलोक को जाता है तथा कर्मफल के समाप्त होने तक वहीं रहता है।

१. वृ० उप० ६ ३ २१

२. तै० उप० २ १०

३. छान्दोग्य उप० ८ ७ १

४. वृ० उप० ४.३-४

तत्पश्चात् वह पुन भूलाक की लौटता है तथा प्र मत् वीरुध के रूप में जन्म लेता है और पुन किसी द्विज कुल मे । दुष्ट लोग अन्त्यज, श्वान और शूकर की योनि में जन्म लेते है । इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि पुण्य कर्म से अच्छे योनि में तथा पाप कर्मों से कृत्तिसत-योनि में जन्म ग्रहण करना पडता है । छान्दोग्य उपनिषद के इस विवरण से मिलता-जुलता वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के एक दूसरे प्रसंग मे भी मिलता है ।^१ कौषीतकि उपनिषद में पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया का वर्णन कुछ भिन्नता के साथ हुआ है । इसके अनुसार मृत्यूपरान्त सभी चन्द्रलोक को जाते हैं । उनमे से कुछ पितृयान का अनुमरण करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा शेष, मनुष्य से लेकर कीट तक जितनी योनिया है, उनमें से किसी एक को धारण करके पुन भूतल पर आते हैं ।^२ पुनर्जन्म-सिद्धान्त का अविकसित रूप शतपथ ब्राह्मण में भी सकेतित है । सुनीतिकुमार चटर्जी का यह विश्वास है कि इस सिद्धान्त का ज्ञान पुरा ऐतिहासिक युग के निषादो को था ।^३ उपनिषद युग तक इस सिद्धान्त के पूर्ण विकास के पीछे निषाद विश्वासों एवं परंपराओं का योग हो सकता है ।

उपनिषदों में प्रतिपादित दार्शनिक विचारों का सामाजिक चेतना पर गहरा प्रभाव पडा । सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है और जब तथा चेतन, सबके भीतर एक ही सत्ता निवास करती है, इस मत के औपनिषद दर्शन का सामा- प्रचार से हिंसा की भावना समाप्त होने लगी तथा जिक जीवन पर प्रभाव यज्ञ धर्म विकास भी अवरुद्ध होने लगा ।

इसके विपरीत सभी प्राणियों में एक ही आत्मा के दर्शन के कारण सर्वभूतानुकम्पा की भावना बलवती हुई । मोक्ष का सिद्धान्त निरूपित करते हुए अनेकश जीवन तथा जगत की क्षणभंगुरता और दुःख-पूर्णता की चर्चा की गई इससे निराशावाद तथा वैराग्यमूलक प्रवृत्तियों को बल मिला ।^४ सन्यासियों का आरण्यक जीवन आदरणीय सम्झा जाने लगा क्योंकि वही विश्व के नश्वरता के सच्चे ज्ञाता थे । कर्मवाद के सिद्धान्त के

१ बृ० उप० ६ २ १५-१६

२ कौषीतकि उप० १ २-३

३ द्र० दि वैदिक एज, पृ० १५१

४ मंत्रायणी उप० १ २-४

विकास के परिणामस्वरूप नैतिक चेतना का भी विकास हुआ। अब यह विश्वास किया जाने लगा कि आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए सत्कर्म में प्रवृत्त होना आवश्यक है। कुत्सित कृत्य में लगे मनुष्यों के लिये पुनर्जन्म अथवा शूकर योनि में उत्पन्न होने की कल्पना अवश्य भयावह रही होगी। तैत्तिरीयोपनिषद में सत्य और सत्कर्म पर बल दिया गया है।^१ वृहदारण्यक उपनिषद में सयम, दान और दया को सदाचार का अंग माना गया है।^२ मुण्डकोपनिषद में सत्य तपस्वी-जीवन तथा ब्रह्मचर्य को भी महत्व प्रदान किया गया है।^३ इसके अतिरिक्त अहिंसा, अस्तेय, त्याग और इन्द्रिय-निग्रह का भी उपदेश यत्र तत्र मिलता है। उपनिषदों में माता-पिता एवं अतिथियों को देवताओं के समान आदरणीय बतलाया गया है। ज्ञान की महत्ता तथा 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' के सिद्धान्त की लोकप्रियता के कारण वर्ण-व्यवस्था भी प्रभावित हुई। यद्यपि जनसाधारण में प्रचलित विश्वासों की रूढ़िवादिता के कारण इस व्यवस्था का मूलोच्छेदन न हो सका किन्तु इसके मूल पर कुठाराघात अवश्य हुआ। सभी मनुष्यों में समान रूप से एक ही ब्रह्म प्रतिबिम्बित हैं। इस सिद्धांत के स्वीकरण के पश्चात् ब्राह्मण की श्रेष्ठता और शूद्र की हीनता को स्थिर करना कठिन हो गया। द्विज और शूद्र कुल में जन्म का कारण पूर्व जन्म में अज्ञित कर्म माने गये। इस दृष्टि-परिवर्तन का प्रभाव उपनिषत्कालीन सामाजिक जीवन पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है। मनुष्य की महानता का आधार जन्म नहीं बरन् उसका शील माना गया। ब्रह्मज्ञान की शिक्षा पाने वाला सत्यकाम जारज था, जानबूति शूद्र थे और उन्हें आत्म-विद्या सिखाने वाले ऋषि-रैक्व गाढीवान थे। कर्मकाण्ड-प्रधान यज्ञ-धर्म के रहस्य-ज्ञाता तथा अधिकारी जहा केवल ब्राह्मण पुरोहित थे वही ब्रह्मविद्या के अनुशीलन में न केवल तत्कालीन जिज्ञासु राजान्यों ने अभिरुचि दिखाई बरन् मैत्रेयी और गार्गी आदि स्त्रियों ने भी मोक्षप्रद ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया।

उपनिषत्कालीन मनीषियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक धारामो में समन्वय एवं सामंजस्य उत्पन्न करना है। इस

१. तै० उप० १. ११

२. वृ० उप० ५२

३. मुण्डकोपनिषद ३.१.५

प्रसंग में ईशोपनिषद का निष्काम-कर्म का उपदेश विशेष उल्लेखनीय है, जिसका सुविकसित प्रौढ स्वरूप भगवद्गीता में समन्वयवादी दृष्टिकोण मिलता है। स्पष्टतः निष्काम कर्म के अन्तर्गत प्रवृत्ति और निवृत्ति के सामंजस्य का प्रयास-अन्तर्निहित है।

इन विरोधी धाराओं के समन्वय का प्रयास आश्रम-व्यवस्था के माध्यम से भी किया गया। छान्दोग्य उपनिषद में तप को जीवन के तीन धर्म-स्कन्धों में स्थान दिया गया है। तपस्वियों एवं सन्यासियों की आध्यात्मिक श्रष्टता भी अनेकत्र स्वीकृत है। मुण्डकोपनिषद स्पष्टतः मुण्डित-शिर सन्यासियों की रचना है जिसमें यज्ञ धर्म का घोर विरोध है। उपनिषद-साहित्य में विश्व की क्षण-भंगुरता, सासारिक सुखों की अनित्यता, तथा आत्मा की अमरता का जो उद्घोष है उससे भी निवृत्ति-लक्षण धार्मिक परम्पराओं की लोकप्रियता परिलक्षित है। जैसा कि प्रथम अध्याय में ही बताया गया है, पूर्व-वैदिक आर्य-धर्म प्रवृत्ति-लक्षण था तथा उसमें निवृत्ति-लक्षण धार्मिक विश्वास सर्वथा अनुपस्थित थे। ऋक्संहिता में मुनियों की परम्परा का संकेत है किन्तु उनका विरला उल्लेख एवं विचित्र वर्णन ऋग्वैदिक धर्म के सामान्य पृष्ठभूमिमें असंगत लगता है। वे किसी प्राचीन एवं समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के उच्छेदित अवशेष प्रतीत होते हैं।^१ वैदिक सस्कृति ज्यों ज्यों पूर्वाभिमुख हुई एवं श्रमणों मुनियों के धार्मिक विश्वासों से सुपरिचित होती गई। तैत्तिरीय आरण्यक में गंगा और यमुना के प्रदेश को मुनियों का निवास स्थान बताया गया है। ब्राह्मण युग में भी तापस धर्म एक यज्ञ विरोधी धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में विद्यमान था किन्तु उसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम थी। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्टतः उनकी निन्दा की गई है।^२ इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापति ने तप के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया।^३ इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि देवताओं ने तप के द्वारा ही देवत्व प्राप्त किया।^४ इन उद्धरणों से सिद्ध है कि ब्राह्मण युग में ही तप को यज्ञ के समकक्ष स्थान देने का प्रयास हो रहा था तथा उपनिषद-

१ प्रथम अध्याय में इनका समन्वय निपाद सस्कृति से बताया गया है।

द्र० पृ० १५-१७

२. ऐत० ब्रा० ३३.११

३ शत० ब्रा० २.५.१.१-३

४ तै० ब्रा० ३.१२.३

युग तक स्पष्टतः क्लेश-लक्षण तापस धर्म की महत्ता स्वीकृत हुई । उप-निषत्कालीन धर्म के अन्तर्गत निवृत्तिमूलक तप और संन्यास की परम्परा का अंगीकार स्थानीय एवं आर्येतर (सम्भवतः निषाद) धार्मिक विश्वासों के प्रति ऋषियों के उदार दृष्टिकोण का संकेतक है । प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि निवृत्तिमूलक धार्मिक विश्वास निषाद संस्कृति की देन प्रतीत होते हैं । निषाद-संस्कृति के केन्द्र, मध्यदेश के दक्षिण पूर्व में निवृत्तिमूलक जैन धर्म के इतिहास का प्रारम्भ उत्तर-वैदिक काल में हो ही चुका था जिसका वैदिक संस्कृति धारा से कोई सम्बन्ध नहीं था । धार्य एवं आर्येतरीय सांस्कृतिक धाराओं के समन्वय की यह प्रवृत्ति धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है । उपनिषद् युग के मनीषियों का यह प्रयास स्तुत्य एवं स्पृहणीय है ।



१. न- नथ न्ह नी

मूलग्रन्थ

वेद

अथर्ववेद सम्पादक आर० राय और डब्लू० डी० ह्विटने, बर्लिन
१८५६, सायण भाष्य सहित, सम्पादक एस० पी०
पण्डित, बम्बई १८६५-६८,
अनुवादक डब्लू० डी० ह्विटने, संयुक्त राज्य अमेरिका,
१९०५।

ऋग्वेद संहिता और पद, सायण भाष्य सहित, सम्पादक एफ०
मैक्समूलर, द्वितीय संस्करण, १८६०-२,
संहिता और पद, सायण-भाष्य सहित, वैदिक संशोधन
मंडल, पूना १९३३-५१,
संहिता, एम० एन० दत्त, कलकत्ता, १९०६
आर० टी० एच० ग्रिफिथ का अनुवाद, बनारस १९६६-७७

काठक-संहिता सम्पादक वान श्रेडर, लिपिफिग, १९००-११
तैत्तिरीय-संहिता सम्पादक ए० वेबर, बर्लिन, १८७१-७२,
माधवकृत भाष्य सहित, कलकत्ता १८५४-६६,
अग्नेजी अनुवादक, टी० एस० कीथ

मैत्रायणी संहिता सम्पादक वान श्रेडर, लिपिफिग, १८८१-८६
वाजसनेयी-संहिता महीधर भाष्य सहित, सम्पादक ए० वेबर, लन्दन १८५२,
निराण्य सागर संस्करण बम्बई १९१२

सामवेद : अनुवादक आर० टी० एच० ग्रिफिथ, बनारस १८६३

ब्राह्मण

ऐतरेय ब्राह्मण अनुवादक हाग, बम्बई १८६३,
अनुवादक कीथ, हार्वर्ड ओरियण्टल सीरीज भाग २१,
केम्ब्रिज, मैसेच्युसेट्स, १९२०

गोपथ ब्राह्मण सम्पादक राजेन्द्रलाल मिश्र और एच० विद्याभूषण,
कलकत्ता १९७२

तैत्तिरीय ब्राह्मण	सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता, १८५५-७०
पञ्चविंश ब्राह्मण	: सम्पादक ए० वेदान्त वागीश, कलकत्ता १८६६-७४
शतपथ ब्राह्मण	. सम्पादक ए० वेवर, लन्दन १९२४
	अनुवादक जे० एगलिंग, आक्सफोर्ड १८८२-१९००
जैमिनीय ब्राह्मण	सम्पादक रघुवीर और लोकेशचन्द्र, नागपुर १९५४
आरण्यक	
ऐतरेय आरण्यक	सम्पादक ए० बी० कीथ, आक्सफोर्ड १९०६
तैत्तिरीय आरण्यक	सम्पादक हरिनारायण आप्टे, पूना १८६८
शाखायन आरण्यक	सम्पादक ए० बी० कीथ, आक्सफोर्ड १९०६
उपनिषद्	
ईशोपनिषद्	: निर्णय सागर सस्करण, बम्बई १९३०
कठोपनिषद्	निर्णय सागर सस्करण, बम्बई १९३०
छान्दोग्य उपनिषद्	निर्णय सागर सस्करण, बम्बई १९३०
तैत्तिरीय उपनिषद्	शाकर भाष्य सहित, पचम संस्करण, आनन्दाश्रम सस्कृत सीरीज, पूना १९२६
बृहदारण्यक उपनिषद्	निर्णय सागर सस्करण, बम्बई १९३०
मैत्रायणी उपनिषद्	निर्णय सागर सस्करण, बम्बई
श्वेताश्वतर उपनिषद्	निर्णय सागर सस्करण, बम्बई १९३६
श्रौत सूत्र	
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र	आर० गारवे द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८२
आश्वलायन श्रौतसूत्र	आर० विद्यारत्न द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८६४-७४
कात्यायन श्रौतसूत्र	ए० वेवर द्वारा सम्पादित, लन्दन १८५५
साख्यायन श्रौतसूत्र	हिलेब्रान्त द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८२
गृह्य सूत्र	
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र	सम्पादक एम० विन्टरनित्ज, वियना १८८७
आश्वलायन गृह्यसूत्र	सम्पादक ए० एफ० स्टेंजलर, जिपफिंग १८६४
गोभिल गृह्यसूत्र	सम्पादक एफ० नादर, डारपेट, १८८४
पारस्कर गृह्यसूत्र	सम्पादक गोपान शास्त्री नेने, चौखम्बा सस्कृत साराज, बनारस १९२६
बीधायन गृह्यसूत्र	. सम्पादक आर० शामशास्त्री, मैसूर १९२०
हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र	: सम्पादक जे० क्रिमें, वियना १८८६

धर्मसूत्र

आपस्तम्ब धर्मसूत्र	सम्पादक जी० बूलर, बम्बई संस्कृत सीरीज, बम्बई १९३२
गीतम धर्मसूत्र	: सम्पादक स्टेजलर, १८७६
बौधायन धर्मसूत्र	. सम्पादक ई० हुल्श, लिपफिग १८८४
वाशिष्ठ धर्मसूत्र	सम्पादक ए० ए० फ्यूरर, बम्बई १९१६

अन्य संस्कृत ग्रन्थ

अर्थशास्त्र, कौटिल्य	हिन्दी अनुवाद सहित, अनुवादक उदयवीर शास्त्री, लाहौर १९२५
दीर्घनिकाय	अ प्रेजी अनुवाद, आर० शाम-शास्त्री, बंगलोर १९२३ सम्पादक टी० डब्ल्यू० राइस डेविड्स और जे० ई० कार्पेन्टियर, लन्दन १८९०-१९११ अनुवादक राहुल सांकृत्यायन एवं जगदीश कश्यप, बनारस १९३६
निरुक्त	(दुर्गाचार्य की टीका सहित) सम्पादक बी० के० राजवाड़े, ना १९२१-२६
पद्म पुराण	आनन्दाश्रम संस्करण, पूना
ब्रह्मपुराण	आनन्दाश्रम संस्करण, १८९५
भविष्य पुराण	श्री बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई
भागवत पुराण	: कुम्भकोणम संस्करण, १९१६
मत्स्य पुराण	सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता १८७६
मनु स्मृति	निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९४६
महाभारत	सम्पादक पी० सी० राय, कलकत्ता १८८१-८२, स्वाध्याय मण्डल संस्करण तथा कुम्भकोणम संस्करण
रामायण	निर्णय सागर संस्करण, पी० सी० राय द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८८१-८२
वायु पुराण	सम्पादक, एच० एन० आप्टे, १९०५
विष्णु पुराण	सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८२ हिन्दी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर स० २००६

कोष

एन्साइक्लोपीडिया भाव रिलिजन एण्ड एथिक्स

एन्साइक्लोपीडिया भाव सोशल साइन्सेज

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका

सामान्य आधुनिक ग्रन्थ

अल्तेकर, ए० एस० प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्रयाग सम्मत २००४

: एजुकेशन इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, बनारस १९३४

पोजीशन भाव बीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन,
बनारस १९३८

. स्टेट एण्ड गवर्नमेण्ट इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, १९४९

अय्यर, एल० के० तथा बलरत्नम् एन्थ्रोपोलोजी इन इण्डिया, बम्बई १९६१

अग्रवाल, बी० एस० इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि, १९५३

आप्टे, बी० एम० सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन गृह्यसूत्राज, बाम्बे
१९५४

आयगर, पी० टी० एस० बीमेन इन ऋग्वेद, प्रथम संस्करण

ओल्डेन वर्ग ' बुद्ध हिज लाइफ हिज डाक्ट्रिन हिज आर्ट्स, कलकत्ता
१९२७

कपाडिया, के० एम० : मैरेज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, द्वितीय स०, १९५८

काणे, पी० बी० . हिस्टरी भाव धर्मशास्त्राज, बाल्यूस दो ओर तीन,
पूना १९४१

कार्वे इरावता . किनशिप भार्गनाइजेशन इन इण्डिया, पूना १९५३

काल्डवेल : कम्परेटिव ग्रामर भाव दि द्रविडियन लैंग्वेज

. दि सेन्सस भाव इण्डिया (१९०१, १९११, १९२१,
१९३१, १९४३)

कीय, ए० बी० : रिलिजन एण्ड फिलोसोफी भाव दि वेद एण्ड उपनि-
: पदस १९२५

क्रुक पापुनर रिलिजन एण्ड फाकलोर भाव नादनं इण्डिया,
१८९६

कोशाम्बी, टी० टी० . ऐनइन्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी भाव इण्डियन हिस्टरी,
: बाम्बे १९५६

- गुहा, बी० एस० : मेन आउट लाइन आव रैसियल एथ्नोलोजी आव इण्डिया, कलकत्ता, १९३७
- गोल्डेन वेजर, ए० एन्थ्रोपोलोजी, न्यूयार्क १९४६
- घुरिघे, जी० एस० कास्ट एण्ड क्लान इन इण्डिया, बाम्बे १९५०
- घोषाल, यू० एन० : कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया, लन्दन १९३२
- घोषाल, यू० एन० फॅमिली एण्ड किन इन इण्डो-यूरोपियन कल्चर
- स्टडीज इन इंडियन हिस्टरी एण्ड कल्चर कलकत्ता, १९५७
- ए हिस्टरी आव हिन्दू पब्लिक लाइफ, कलकत्ता, १९४५
- हिन्दू पोलिटिकल थियरीज, कलकत्ता १९२३
- कान्स्टीट्यूशन टू दि हिस्टरी आव हिन्दू रेवेन्यूसिस्टम
- हिस्टोरियोग्रैफी एण्ड अदर ऐसेज -
- चन्दा, भार० पी० इण्डो-आर्यन रेसेज, राजशाही १९१६
- चाइल्ड, गार्डन न्यू लाइट आन दि मोस्ट ऐन्वयेन्ट ईस्ट, लन्दन १९५४
- चट्टोपध्याय, एच० एग० हिरोइक एज, कैम्ब्रिज १९१२
- जायसवाल, के० पी० हिन्दू पालिटी, दो भाग, कलकत्ता १९२४
- जाली, जे० हिन्दू ला एण्ड कस्टम, (अनु० बी० के० घोष)
- कलकत्ता १९२८
- झा, जी० एन और दि उपनिषद्स, (अंग्रेजी अनुवाद) मद्रास १८९८-
- शास्त्री, एस० एस० १९०१
- ठाकुर, उपेन्द्रनाथ हिस्टरी आव मिथिला, प्रथम संस्करण
- डांगे, एस० ए० इण्डिया फ्रॉम प्रिमिटिव कन्स्यूनिज्म टू स्लेवरी,
- बाम्बे १९४९
- थामस, पी० : एपिक्स मिथ्स एण्ड लीजेंड्स आव इण्डिया, ११वा
- संस्करण बाम्बे
- दत्त, एन० के० आर्यनाइजेशन आव इण्डिया, कलकत्ता १९२५
- ओरिजिन एण्ड ग्रीथ आव कास्ट इन इण्डिया, लंदन
- १९३१
- पाण्डे, जी० सी० स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आव बुद्धिज्म, एलाहा-
- बाद, १९५७
- पाण्डे, भार० बी० बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १९६३
- पाजिटर, एफ० ई० हिन्दू संस्कार, बाराणसी, १९५७
- : इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, लन्दन १९२२

कोप

एन्साइक्लोपीडिया भाव रिलिजन एण्ड एथिक्स

एन्साइक्लोपीडिया भाव सोशल साइन्सेज

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका

सामान्य आधुनिक ग्रन्थ

- अल्तेकर, ए० एस० प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्रयाग सम्मत २००४
: एजुकेशन इन ऐन्थेन्ट इण्डिया, बनारस १९३४
पोजीशन भाव बीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन,
बनारस १९३८
• स्टेट एण्ड गवर्नमेण्ट इन ऐन्थेन्ट इण्डिया, १९४९
- अय्यर, एल० के० तथा बलरत्नम एन्थ्रोपालोजी इन इण्डिया, बम्बई १९६१
- अग्रवाल, बी० एस० इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि, १९५३
- आप्टे, बी० एम० सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन गृह्यसूत्राज, बाम्बे
१९५४
- आयगर, पी० टी० एस० बीमेन इन ऋग्वेद, प्रथम संस्करण
- ओल्डेन बर्ग ' बुद्ध हिज लाइफ हिज डाक्ट्रिन हिज आर्दर, कलकत्ता
१९२७
- कपाडिया, के० एम० : मैरेज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, द्वितीय स०, १९५८
- काणे, पी० बी० . हिस्टरी भाव धर्मशास्त्राज, वाल्यूम दो और तीन,
पूना १९४१
- कावें इरावता किनशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया, पूना १९५३
- काल्डवेल : कम्परेटिव ग्रामर भाव दि द्रविडियन लैंग्वेज
दि सेन्सस भाव इण्डिया (१९०१, १९११, १९२१,
१९३१, १९४३)
- कीथ, ए० बी० : रिलिजन एण्ड फिलोसोफी भाव दि वेद एण्ड उपनि-
: पदस १९२५
- क्रुक पापुलर रिलिजन एण्ड फाकलोर भाव नार्दन इण्डिया,
१८९६
- कोशाम्बी, डी० डी० ऐनइन्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी भाव इण्डियन हिस्टरी,
: बाम्बे १९५६

गुहा, बी० एस०	मेन आउट लाइन आव रेसियल एय्नोलोजी आव इण्डिया, कलकत्ता, १९३७
गोल्डेन वेजर, ए०	एन्थ्रोपोलोजी, न्यूयार्क १९४६
घुरिये, जी० एस०	कास्ट एण्ड क्लान इन इण्डिया, बाम्बे १९५० : कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया, लन्दन १९३२ फैमिली एण्ड किन इन इण्डो-यूरोपियन कल्चर
घोषाल, यू० एन०	स्टडीज इन इण्डियन हिस्टरी एण्ड कल्चर कलकत्ता, १९५७ ए हिस्टरी आव हिन्दू पब्लिक लाइफ, कलकत्ता, १९४५ हिन्दू पोलिटिकल थियरीज, कलकत्ता १९२३ कान्ट्रीव्मेशन टू दि हिस्टरी आव हिन्दू रेवेन्यूसिस्टम हिस्टिरियोग्रैफी एण्ड अदर ऐसेज -
चन्दा, आर० पी०	इण्डो-आर्यन रेसेज, राजशाही १९१६
चाइल्ड, गार्डन	न्यू लाइट आन दि मोस्ट ऐन्वयेन्ट ईस्ट, लन्दन १९५४
चट्टर्विक, एच० एम०	हिरोइक एज, कैम्ब्रिज १९१२
जायसवाल, के० पी०	हिन्दू पालिटी, दो भाग, कलकत्ता १९२४
जाली, जे०	हिन्दू ला एण्ड कस्टम, (अनु० बी० के० घोष) कलकत्ता १९२८
झा, जी० एन और शास्त्री, एस० एस०	दि उपनिषद्स, (अग्नेजी अनुवाद) मद्रास १८९८- १९०१
ठाकुर, उपेन्द्रनाथ डांगे, एस० ए०	हिस्टरी आव मिथिला, प्रथम संस्करण इण्डिया फ्राम प्रिमिटिव कम्प्यूनिज्म टू स्लेवरी, बाम्बे १९४९
थामस, पी०	: एपिक्स मिथ्स एण्ड लीजेण्ड्स आव इण्डिया, ११वा संस्करण बाम्बे
दत्त, एन० के०	आर्यनाइजेशन आव इण्डिया, कलकत्ता १९२५ ओरिजिन एण्ड ग्रीथ आव कास्ट इन इण्डिया, लन्दन १९३१
पाण्डे, जी० सी०	स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आव बुद्धिज्म, एलाहा- बाद, १९५७ बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १९६३
पाण्डे, आर० बी०	हिन्दू संस्कार, वाराणसी, १९५७
पार्जिटर, एफ० ई०	इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, लन्दन १९२२

- पाल, आर० वी० : दि हिस्टरी आव दि ला आव प्राइमोजेनिचर, कलकत्ता, १
- पिगट, एस० : प्रिहस्टारिक इण्डिया, पेगुइन बुक्स, १९५०
- पुसाल्कर, ए० डी० (सपादक) दि वैदिक एज, लन्दन, १९५१
- प्रभु, पी० एच० : हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, तृतीय संस्करण, लन्दन, १९५८
- फिक, आर० : दि सोशल आर्गनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इण्डिया इन बुद्धाज टाइम, कलकत्ता, १९२०
- फ्रेजर, जे० जी : दि गोल्डेन वाउ, लन्दन १९२२
- बन्धोपाध्याय, एन०सी० : एकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, कलकत्ता १९४५
- ब्लूमफील्ड, एम : दि अर्थवर्गवेद, १८९९
- वार्थ, ए० : दि रिलिजन आव दि वेद, न्यूयार्क १९०८
- वाग्ची, पी० सी० : दि रिलिजन आव इण्डिया, लन्दन, १८८२
- त्रिफाल्ट : प्रि आर्यन एण्ड प्रिड्विडियन इन इण्डिया, कलकत्ता, १९२६
- वेडेन पाबेल : दि मदर्स, लघु संस्करण
- वैशम्, एम० एल० : इण्डियन विलेज कम्युनिटी, १८९६
- भण्डारकर : दि वण्डर दंट बाज इण्डिया, लन्दन, १९५४
- मजूमदार आर० सी० : वीष्णुविजय शैविज्य एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स, पूना, १९२८
- मायर, जे० जे० : ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, १९५२
- माशेल, जे० : कारपोरेट लाइफ इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९१८
- मिश्रिडल : सेक्सुअल लाइफ इन ऐन्ड्येन्ट इण्डिया, २ भाग, लन्दन १९३०
- मिश्रिडल : मोहनजोदडो एण्ड दि इडस सिविलिजेशन, तीन भाग, १९३१
- मिश्रिडल : ऐन्ड्येन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइव्ड बाइ मेगस्थनीज एण्ड एरियन, लन्दन, १८७७
- मिश्रिडल : इनवेजन आफ इंडिया
- मिश्रिडल : ऐन्ड्येन्ट इंडिया एज डिस्क्राइव्ड बाइ टालेमी, कलकत्ता, १८८५

- भुक्ती, आर० के० • हिन्दू सम्यता राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९५५
: ऐन्ड्येन्ट इडियन एजुकेशन, लन्दन, १९४०
- मेन, जे० हिन्दू ला एण्ड यूसेज (श्रीनिवास आयगर द्वारा
सम्पादित) मद्रास १९३८
- मेहता, आर० एन० प्रिबुद्धिस्ट इण्डिया, बाम्बे, १९३९
- मैके, ई० जे० एच० दि इडस सिविलिजेशन, लन्दन १९३५
अर्ली इडस सिविलिजेशन, लन्दन, १९४८
- मैकडानेल, ए० ए० वैदिक माइथालोजी, १९५८
- मैकडानेल और कीथ वैदिक इडेक्स, दो भाग १९५८
- मैक्सम्यूलर हिस्टरी आन्ड ऐन्ड्येन्ट सस्कृत लिटरेचर, एलाहाबाद
१९१२
दि उपनिषद्स, दो भाग (अनुवाद) आक्सफोर्ड
१८७९, १८८४
- मोती चन्द सार्थवाह
- मोर्गन, एल० एच० ऐन्ड्येन्ट सोसाइटी, न्यूयार्क, १९६०
- राइस डेविड्स बुद्धिस्ट इडिया
- राकहिल दि लाइफ आन्ड बुद्ध, लन्दन १९०७
- राधाकृष्णन, एस० इडियन फिलोसोफी, २ भाग, लन्दन १९२९
- रायचौधुरी, एच० सी० पोलिटिकल हिस्टरी आन्ड ऐन्ड्येन्ट इडिया,
पाचवा सस्करण
- रानाडे, आर० डी० कान्स्ट्रक्टिव सर्वे आन्ड दि उपनिषदिक फिलोसोफी,
पूना, १९२६
- राय, एस० सी० दि ओरांव
- राहुल सांकृत्यायन ऋग्वेदिक आर्य, १९५६
- रैगोजिन, जेड० ए० वैदिक इडिया, लन्दन १८९९
- रेक्सन ई० जे० दि कैम्ब्रिज हिस्टरी आन्ड इडिया, भाग १, कैम्ब्रिज
१९२२
- रुई, राबर्ट प्रिमिटिव सोसाइटी, लन्दन १९२१
- विण्टरनिज हिस्टरी आन्ड इडियन लिटरेचर, दो भाग, कलकत्ता
१९३८
- रेडालकार, हरदत्त हिन्दू परिवार मीमांसा कलकत्ता, स० २०११

- वेस्टरमार्क, ई० : हिस्टरी ऑफ ह्यूमेन मैनेज, पाचवाँ संस्करण, १९२१
दि ओरिजिन एण्ड डेवलेपमेंट ऑफ मारल आइडियाज,
लन्दन, १९१७
- सरकार एस० सी० : सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि अल्लियेस्ट सोशल हिस्टरी
ऑफ इंडिया, लन्दन, ५९२८
- सरकार, बी० के : दि पाजिटिव बैकग्राउण्ड ऑफ हिन्दू सोस्योलोजी,
एलाहाबाद १९२१
- सर्वाधिकारी, आर० के० . दि प्रिन्सिपल्स ऑफ दि हिन्दू ला ऑफ इन-
हेरिटेंस, द्वितीय संस्करण मद्रास १९१२
- सूर्यकान्त . वैदिक कोष
- सेन, क्षितिमोहन : संस्कृति-संगम, एलाहाबाद, १९५७
- सेनाटं ई० : कास्ट इन इण्डिया (रास का अनुवाद), लन्दन, १९३९
- स्मिट : ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ रिलिजन
- नार्मा आर० एस० : ब्रह्मज्ञान इन ऐन्डयेन्ट इंडिया, १९५८
- आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड
इन्स्टीट्यूशन्स इन ऐन्डयेन्ट इंडिया, प्रथम सं०, १९५९
- शकालिया, एच० डी० . इंडियन आर्क्योलोजी टु डे, एशिया पब्लिशिंग हाउस,
१९६२
- शकरानन्द, स्वामी . ऋग्वेदिक कल्चर ऑफ दि प्रिहिस्टारिक इंडस, कलकत्ता

१ प - पत्र

इण्डियन आर्क्योलोजी - ए रिव्यू

इण्डियन एण्टिकवेरी

इण्डियन कल्चर, कलकत्ता

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, कलकत्ता

एनल्स आव दि भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना

ऐन्स्येन्ट इण्डिया बुलेटिन आव दि आर्क्योलोजिकल सर्वे आव इण्डिया

जर्नल आव दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, संयुक्त राज्य अमेरिका

जर्नल आव दि इण्डियन सोसाइटी आव ओरियण्टल आर्ट

जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, कलकत्ता

जर्नल आव दि न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी आव इण्डिया

जर्नल आव दि बाम्बे ब्रांच आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई

जर्नल आव दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना

जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैण्ड

प्रोसीडिंग्स आव दि आल इंडिया ओरियण्टल कान्फ्रेंसेज

प्रोसीडिंग्स आव दि इंडियन हिस्टरी कांग्रेस

मेमायर्स आव दि आर्क्योलोजिकल सर्वे आव इंडिया

मैन इन इंडिया, रांची



- वेस्टरमार्क, ई० : हिस्टरी ऑफ ह्यूमेन मैरेज, पाँचवाँ संस्करण, १९२१
 • दि ओरिजिन एण्ड डेवलेपमेंट ऑफ भारल आइडियाज, लन्दन, १९१७
- सरकार एस० सी० : सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि ऑलियेस्ट सोशल हिस्टरी ऑफ इंडिया, लन्दन, ५९२८
- सरकार, बी० के : दि पाजिटिव बैकग्राउण्ड ऑफ हिन्दू सोस्योलोजी, एलाहाबाद १९२१
- सर्वाधिकारी, आर० के० : दि प्रिन्सिपल्स ऑफ दि हिन्दू ला ऑफ इन-हेरिटेन्स, द्वितीय संस्करण मद्रास १९१२
- सूर्यकान्त वैदिक कोष
 सेन, क्षितिमोहन : संस्कृति-संगम, एलाहाबाद, १९५७
 सेनार्ट ई० : कास्ट इन इण्डिया (रास का अनुवाद), लन्दन, १९३९
- स्मिट : ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ रिलिजन
- शर्मा आर० एस० : शूद्राज इन ऐन्वयेन्ट इंडिया, १९५८
 आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स इन ऐन्वयेन्ट इंडिया, प्रथम सं०, १९५९
- शकालिया, एच० डी० : इंडियन आक्यालोजी टु डे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, १९६२
- शकरानन्द, स्वामी : ऋग्वेदिक कल्चर ऑफ दि प्रिहिस्टोरिक इंडस, कलकत्ता १९४३-४४
- हटन : कास्ट इन इंडिया, द्वितीय संस्करण १९५१
- हापकिन्स, ई० डब्ल्यू० : दि रिलिजन्स ऑफ इण्डिया, बोस्टन, १८९५
- हाल, एच० आर० : दि ऐन्वयेन्ट हिस्टरी ऑफ दि नियर ईस्ट, लन्दन, १९३६
- हीन-नेल्डर्न, आर० : आक्यालोजिकल ट्रेसेज ऑफ दि वैदिक आर्यन्स, जे० आई० एस० ओ० ए० (कलकत्ता), ४, पृ० ८७-११५
- हीस्टरमैन, जे० सी० : दि ऐन्वयेन्ट इण्डियन रायल कन्सेक्रेसन, १९५७
- ह्वीलर, एम० : इण्डस सिविलिजेशन, कैम्ब्रिज, १९५३
- हेरोडोटस : हिस्टरीज, पेंगुइन सीरीज मे अनूदित, १९५४
- ह्वेलाक एलिस : स्टडीज इन दि साइकालोजी ऑफ सेक्स, छ भाग, लन्दन १९१०
- श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक एरिथ्रिपदीज ऑफ दि आर्यन पिपुल्स, जीवन्स कृत अंग्रेजी अनुवाद, सन्धन, १८९०

१ प - पत्रि

इण्डियन आर्क्योलोजी - ए रिव्यू

इण्डियन एण्टिकवेरी

इण्डियन कल्चर, कलकत्ता

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, कलकत्ता

एनल्स आव दि भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना

ऐन्शेन्ट इण्डिया बुलेटिन आव दि आर्क्योलोजिकल सर्वे आव इण्डिया

जर्नल आव दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, संयुक्त राज्य अमेरिका

जर्नल आव दि इण्डियन सोसाइटी आव ओरियण्टल आर्ट

जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, कलकत्ता

जर्नल आव दि न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी आव इण्डिया

जर्नल आव दि बाम्बे ब्रांच आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई

जर्नल आव दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना

जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैण्ड

प्रोसीडिंग्स आव दि आल इंडिया ओरियण्टल कान्फ्रेंसेज

प्रोसीडिंग्स आव दि इण्डियन हिस्टरी कांग्रेस

मेमायर्स आव दि आर्क्योलोजिकल सर्वे आव इंडिया

मैन इन इंडिया, रांची



अनु रिग ।

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अकर्मन्	२१	अध्वयु	३५
अगस्त्य	५५	अनग्निदग्ध	१४७
अग्नि	३४, २०१, २०४, इत्यादि	अनङ्वान्	५४
अग्निदग्ध	१४७	अनष्टा-पशु	५६
अग्निपरीक्षा	१४३	अनस	५४
अग्निशाला	६८	अनाथपिण्डक	४८
अग्निषोमीय	२०४	अनुपजातपयोधरा	१४४
अग्निष्टोम	२०३	अनुशामन	२१८
अग्निहोत्र	२०३	अनुष्ठान	२०१
अग्नीध्र	१५७	अन्तरिक्ष	२०४
अध्वया	२४	अन्तःस्थ	२४२
अज	२०६, २४३	अन्धक वृष्णि	१६६
अजातशत्रु काशिराज	६५	अन्नमय कोष	२४४
अजिघावन	२०७	अपर ब्रह्म	२४२
अज्जेयता	८८	अप्सुजित	६७
अणमन्ति	६	अफगानिस्तान	३७
अतिरात्र	२०३	अब्जु	६७
अत्ता	१०१, १५६	अभिप्रतारण	१२६
अत्यग्निष्टोम	२०३	अभिषेक-पुष्करिणी	१६६
अथर्ववेद संहिता	३६, ५७, ७२, १२८ इत्यादि	अभिषेचन	२०७
अथर्वागिरस	६४	अभ्रातृका कन्या	१४६
अदेवयु	२१	अमर्क	८६
अद्वैतवाद	२४३	अमात्य	१६५
अधिब्रू	६१	अमात्यमङ्गल	१६६
अध्यात्मवेत्ता	२३६	अम्बिका	११, २२०
अध्यापन	६५	अयत्नीय शूद्र	१११
		अयज्वन	२८

अयस	६२	आटकी	१४४
अयोदध्र	६२	आत्मयजन	१००
अयोध्या	२८	आदायी	८६
अरदृदेश	१०	आदित्य	७८
अर्चा	८८	आदि शिव	६
अर्जुन	१६	आनन्दमय कोष	२४४
अलजाचिति	२१४	आधिदैविक पद्धति	२३६
अलवर	३९	आधिपत्य	२१३
अवध्यता	८८	आधिभौतिक पद्धति	२३६
अश्मभयी	२१	आनुवशिक राजपद	११०
अश्वत्थ	५४	आन्ध्र जाति	४२
अश्वपति कैकेय	१०२	आपस्तम्ब	१३१
अश्वमेध	९२, २०७, २१३	आपायी	८६
अश्विन	१७२, २०६	आप्तोर्याम	६०१
अष्टका यज्ञ	२०३	आभीर	१०८
अष्टाकपाल पुरोडाश	२०४	आमलक	५४
अष्टा	१०७	आयगर	५
असपत्न	१७१	आयतन	६८
असम	१८	आयसी	२१
असुरवनिपाल	६७	आरण्यक	४७
असुर विवाह	१८	आरुणकेतुक	२१६
अहिच्छन्ना	६१	आरुणि	६५
अहीन, यज्ञ	२०३	आलमगीरपुर	३
अक्षपटलाध्यक्ष	१६२	आवसथ	६८
अक्षावाप	१८६, १६२	आशु	५३
अक्षु	६६	आसन्दी	७१
आगिरस युक्ताश्च	१४६	आसन्दीवन्त	७१
आइसिस	११	आष्टिक	१३
आग्नेय पुरोडाश	२०४	आस्ट्रेलिया	१८
आग्रयण	२०३	इन्द्र	३३, ३४, ५१
आज्याहुति	२१८	इन्द्र, देवता	२०६
आचार्य कीटिल्य	१६७	इन्द्रियनिग्रह	२५०

इलाल	६	ऋष्याश्व	२४
इषीका	२०२	एकपत्नीकता	१३६
इष्टिकामयचित्ति	२१६	एकपत्नीव्रत	१३६
ईरान	११५	एकराट्	१६३
ईशुप्रासन	२०७	एकात्मदर्शन	२४५
ईशोपनिषद	३७	एकादशकपाल पुरीडाश	२०४
ईषुकुत्	५६	एकाह यज्ञ	२०३
उक्थ्य	२०३ २०८	एकियन	२०
उच्छृष्ट	२३६	एकेश्वरवाद	३२
उत्तर-वैदिक ग्राम	४३	एन्थ्रोपोमोफिक फिगर	१२
उद्गाता	३५	एरियन	१०८
उद्दालक	१४७	एराकोशिया	१०८
उद्धित	१४७	एशिया माइनर	२०
उपव्रस	५१	ओयिन संप्रदाय	२१०
उपनयन संस्कार	११४	ओफिर	६७
उपनिषद	१६, ४१, ४६, ६६ ९९, १०८, २३८, २४० इत्यादि	ओराँव	१८
उपहन्तु	२२७	ओल्ड टेस्टामेंट	१६१
उपाशु याग	२०४	ओल्डनवर्ग	२३८
उपास्यदेव-श्रेष्ठतावाद	३२	ओसिरिस	११
उमा	२३३	ओदुम्बर	१४५
उरुक्रम	६७	ओद्योगिक सघ	८०
उरुगाय	६७	ओपनिषद दर्शन	२३८
उर्वशी	६७	ओपासन होम	२०३
उर्वी	२१	ओशिज	७२
उद्यस्ति	११७	कक्षीवान्	१४६
ऊँट गाड़ी	५७	कच्छपावतार	२२५
ऊर्णावली	६०	कंटकीकारी	६१
ऊँदर	५२	कनिषम	२०
ऋग्वैदिक धार्य	४	कन्यावध	१४८
ऋग्वैदिक दास	११०	कनिस्तान एध	२९
		करकन्धु	५४
		करीप	२५

कर्पस	६७	केनोपनिषद्	३७
कर्मकार	५६	केशवनारायण	२३४
कर्मवाद	२४८	केधिन	३८
कर्मार	२५	केशी	२३०
कषण	५२	केहोल जाति	६
कलिंग	४०	कैलाशपति	२३३
कश्मीर	१६६	कैवर्त	६१
कसाइट	२०	कोफ	६७
कामचारिणी	१०	कोशल	३६
कामोत्थाप्य	१११	कोष	१८५
काम्पील	४८	कोषाध्यक्ष	१६१
कालातीत	२४२	कौटिलीय अर्थशास्त्र	१६०
काशी	३६	कौण्डिनेय	४१
किरात	११ १८, १९, २०	कौशाम्बी	३९ २१५, २१७
किरात सस्कृति	१८	कौषीतकि	३७
कुङ्कुर	१६६	कौषीतकि सूत्र	७७
कुन्तो	१३६	खासी जाति	१६
कुभा	२३	क्रय विवाह	१८
कुरुक्षेत्र	३८	क्रव्याद	२२८
कुरु पञ्चाल	३८	गगा	१५
कुलाल	५६	गजाम	४२
कुलिश	५६	गघार	६०
कुलीन तत्रात्मक शासन पद्धति	१६८	गजलक्ष्मी	५
कुल्या	५२	गण	५८
कुसीदिन	६६	गणपति	५८
कूटस्थ	२४३	गाथा	८४
कूचं	६६	गारो जाति	११
कृकवाक	१४	गार्गी वाचकनी	१५३
कृत्तिवास	२३१	गार्गीपुत्र	१४०
कृवि	३८	गिरिशय	२३३
कृष्णा	५३	गुप्तचर	१८०
कृष्णल	६३	गुप्तल्पसेवी	७०

गृष्टि	५६	जनराज्य	१६२
गृहविन्यास	३	जनश्रुति पौत्रायण	४६
गोचर भूमि	४५	जन्यमित्र	१२३
गोतम, ाहूगण	३६	जम्ब	५१
गोणिकर्तन	१६२	जयपुर	३६
गोमती	२१	जलपूजा	८
गोविकर्तन	१२१, १६२	जल-प्रलय	८
गोव्यच्च	१६२	जलापभेषज	२१७
गौतम हरिद्रुमत	८६	जाग्रत अवस्था	२४४
गौतमी पु	१४०	जानश्रुति, शूद्र	२५०
ग्रामणी	२६, १८९, १९०	जानसर बावर	२०
ग्राम देवता	५	जावाद	११३
ग्राम्यवादिन्	४६	जियस, यूनानी देवता	३४
ग्वालियर	४३	जीन सिलुस्की	१४
घोषक श्रेष्ठी	४८	जीवारमा	३१०
चडाल	११७	जुमारी	३०
चन्द्रश्रुति	२१४	जेन्द अवस्ता	४८
चन्द्रलोक	२४८	जैनधर्म	१६
चन्द्रदंडो	२२	जैमिनीय उपनिषद्	४१
चम्पा	४८	जैमिनीय ब्राह्मण	१४२
चरण-प्रक्षालन	१२१	ज्याकार	५६
चर्मएवती	४१	ज्यैष्ठ्य	२१३
चर्ममन	१०६	झगर	२२
चातुर्मास्य	२०३	झूकर	२२
चेतन सृष्टि	२४२	झूम प्रणाली	५०
छदिस	६६	टैबू	१७
जगम सृष्टि	२४२	टोटमवादी	१४
जटिला गौतमी	१४०	डांसन	१०१
जहसृष्टि	२३२	डिमोडोरस	१०८
जन कल्याणकारी राज्य	१८१	डेलब्रुइक	१४८
जनपद	११५	तकमान	१०८
जनमेजय, परीक्षित	६८	तक्ष	५९, १२१

तप	१७	दाश	६१
तमस्	२४३	दशराज्ञ	२७
तमिल-संस्कृति	८	दासदस्यु	२१
तरन्त	९०	दीक्षितार	२
तल्प	७०	दीघनिकाय	१०८
तष्टा	१०६	दीर्घतमा	७२
तस्कराणां पति	२३१	दुन्दुभिवादन	२०७
तात्	१४८	दुरोण	६८
तापस धर्म	२१५	दुर्ग	१९५
ताम्र-प्रस्तर-युगीन संस्कृति	३	दुहिता	३१
तालप	७०	द्वर्ष	६५
तितल	५२	देधिषव्य	१६०
तियामत	६७	देवजनविद्या	९४
तुर्गश	३८	देवतत्त्व	१९८
तोनियार जाति	१४७	देवयज्ञ	२१८
त्र्यम्बक	२०५	देवयान	२४८
त्र्यम्बक होम	२३१	देवराज	६
त्रसदस्यु	१४६	देवराजन	८३
त्रिशुक्र	९४	देवलक्ष्म	२१५
त्रिशुक्रिय	९४	देवापि	२८
त्रिशूलधारी	६	देवेषित	१५
त्रियेन जाति	१४०	देवेषुहविषी	१६२
दडघर	२२४	देशातीत	२४२
दक्षिणा	५६	दोर्नात्य	२६९
दड	१६५	छूतक्रीडा	२०७
दधिद्रव्यक याग	२०४	द्रविड	२
दम्पती	२९	द्रविड संस्कृति	२
दर्शपूर्णमास	२०३	द्रुह्यु	१६२
दशरथ	१४६	द्रोपदी	१३९
दान	८८	द्वादश मडल	१८५
दामोदर नदी	१५	घनघानी	४८
दार्शनिक चिन्तन	१९८	धर्मपति	१७३

धर्माधिकारी	१७४	नैषधि	४१
धृष्टद्युम्न	१४६	नैपाल	१८
धृतराष्ट्र	१६१	नोकोम	२०
धृतव्रत	१८०	न्यग्रोध	५४
धेनु	५६	पञ्चजन	३८
धैवर	६१	पञ्चपशुबलि	२१६
नकुल	१०८	पञ्चमहायज्ञ	२१७
नगरनिर्माण पद्धति	२१७	पञ्च-मार्कंड सिक्के	६४
नगरिन्	४८	पञ्चविंश ब्राह्मण	६१
नटराज	४	पञ्चाग्नि विद्या	१०२
ननद	१५०	पञ्चाल नरेश	८३
नप्त	१३५	पञ्चोदन क्रिया	१६०
नरवन्दर	६	पञ्चाव	१, ३७
नाग उपासना	८, २३८	पणि	६५
नागरिक सम्यता	१	पत्तग	४१
नाड	४१	पत्नीना सदन	६७
नाभानेदिष्ट	२३२	परमप्रज्ञा	२८५
नारद	४१	परशु	५६
नाराशंसी	९४	पराशर	११३
निकटामिगमन	२२४	परिखा	१६७
निष्ठावर	१४	परिचक्रा	४८
निदिध्यासन	२३९	पर्यग्निकरण	२१०, २१२
निधि	९४	पलद	६९
निमित्तातीत	२४०	पवस्त	३५
निरुक्त	११२	पशुपति	४, २२७
निरुद्धपशुवन्ध	२०४	पशुपालन	४६, ५४
निषाद	१७	पशुयज्ञ	२०६
निषाद संस्कृति	१३, १४, १५	पशुवध	२०६
निष्क	६३	पस्थ्या	६८
निष्कासन	१०१	पाणिनि	५६
नीलशिखण्डि	२२६	पाण्डु	१६१
नीवार	५४	पातिग्रत्य भावना	१४५

पादप-पूजा	७	पुरुष	२०४
पाप्मा	१२६	पुरुषनारायण	२१३
पारिवारिक जीवन	२९ ११६, १२८	पुरुषमेघ	२१३
पारिवारिक व्यवस्था	२६	पुरुष-सूक्त	२८, ७२, १०३, १०८
पार्श्व यज्ञ	२०३	पुलिन्द जाति	४२
पार्वती	२३३	पुलकश	११७
पाशर्वनाथ	१६	पूजा	७
पाशंद्वाण	१४७	पूर्ववैदिक आर्यधर्म	३२
पाल	१३०	पूषन्	३४, ५६
पालागल	१२१, १६३	पृथ्वी	१७२, १७९, २०४
पालागली	११३	पेशस्	६१
पालीनेशियन	१७	पैतृक व्यवसाय	६५
पाशिन	६१	पैपलाद ऋषि	४१
पिण्डपितृयज्ञ	२०३	पैपलाद शाखा (अथर्ववेद)	४०
पिता	३१, १४५, १४८	पीरोहित्य	८३
पितामह	१३४	प्रकृतिचित्रग्रहणापेक्षी	१६७
पितृपूजा	२०१	प्रजाति	१
पितृप्रधान	१४५	प्रजातीय पार्यव्य	१०६
पितृप्रभुत्व	२६	प्रजापति	२०२, २२४, २२५
पितृयज्ञ	२१८	प्रतिपत्ति कर्म	३५
पितृयान	२४८	प्रतिभ्रातृव्य	१४१
पितृव्य	१५२	प्रतिरूपचर्या	८८
पिथ्य	६४	प्रनितामह	१३४
पु जिष्ठ	६१	प्रवर्ग्य	१५७
पु सवन	१४५	प्रवाहरण जैबलि	८३, ९६
पुण्ड्र	४०	प्रश्नो पनिषद्	३७
पुनर्जन्म	२४८	प्राग्वैदिक	१
पुराण	२१८	प्राग-आस्ट्रेलिय	१२
पुर	१६७	प्राचीर	१६७
पुरन्दर	२२	प्राणमय कोष	२४४
	१६२	प्रादेशिक राज्य	१६४
	६०	प्रियगु	५४

प्रोटो आस्ट्रलायड	५३	ब्रह्मविद्याप्रणेता	१०१
प्रोष्ठ	१३१	ब्रह्महत्या	६२
फर्गुसॉवाव	३६	ब्रह्मा	१५८
वदायू	३९	ब्रह्मोदय	६४
बरेली	३६	ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्द्धा	६७
बर्षा	४१	ब्राह्मण धर्म	१६, ६३, ६४, ९५
बर्हि	६६		९५ इत्यादि
बलिदान	२०१	ब्राह्मण्य	८८
बलूचिस्तान	२	ब्रिफाल्ट	३०
बवेरु राज्य	६७	भगतराव	२
बहुपतिकता	१३६	भरतपुर	३९
बहुपत्नीक	१३६	भविष्यपुराण	११३
बहुभर्तृता	३२	भागधुक्	१८२
बालिकावध	१४८	भागवतपुराण	१३
बुन्देलखंड	४२	भावात्मक कोष	२४८
वृषभवाह	६	भाषा वैज्ञानिक	१३
वृहत्संहिता	१६	भिषग्	१०६
वृहद्देवता	१३	भील	१८
वृहस्पति	३४	भूतपति	२२८
वेन गंगा	४१	भूतयज्ञ	२२८
वैवीलीनिया	२०	भूमध्यसागरीय जाति	२, ५
वोकजकुई	२०, ६६	भूमि	१६५
वौदिक कोष	२४७	भोज	१६६
वीधायन श्रौतसूत्र	२१४	भोज्य	१६४
ब्रह्मगाव	९८	भोज्य शासनपद्धति	१६६
ब्रह्मचर्यव्रत	११४	भ्रातृव्य	१२६
ब्रह्मजय	६८	मंगोलिद	११
ब्रह्मन्	१७, २४१, २४२, २४३, २४४, इत्यादि	मन्निमएडल	१८४
		मधवन्	३५
ब्रह्मयज्ञ	२१८	मटची	३६
ब्रह्मवर्चस	६४	मणिकार्	५६
ब्रह्मवादिनी	१५३	मत्स्य पुराण	१

मदनपाल	११३	मृगयु	२३१
मद्रदेश	१०	मृण्मय पुरुष	२१०
मध्यदेश	१७	मृत्पात्र	२२
मन	६७	मृद्धवाक्	२१
मनोमय कोष	२४४	मेगस्थनीज	१९३
ममता	१४०	मेण्डक	४८
मदंन	५२	मेद-ग्राहुति	२१८
महानारायण	२३४	मेलेनेशिया	१८
महानिरष्ट	५४	मेष, पशु	२०६
महाभारत	१०, १०९, १६७	मैक्सिको	१८०
महाभिषक्	२३०	मैत्रायणी संहिता	३७
महावृष	१०८	मोहन जोधो	२, २०, २२
महाब्रीहि	५३	यज्ञतत्त्व	१९८
महिषी	१८७	यज्ञसंस्था	१९९
मातंग	१४	यज्ञाग्नि	१०७
मातुर्भ्रातृ	१५२	यज्ञीय कर्मकाण्ड	१९८
मातुल	१५२	यथाकामज्जेय	१०५
मातृ वशीय	१९	यथाकामवध्य	१११
मातृशक्ति	५	यदु	१६२
मातृसत्तात्मक	१९	यमुना	२९३
मातृस्यानीय	१९	याज्ञवल्क्य	८४
माधवी	१४०	यादव	१६९
माप	५४	युद्ध विद्या	११५
मासिक यज्ञ	२०३	युधिष्ठिर	१२३
मित्र	३४	यूनान	२०
मिथ्याभिचारिक	३०६	यूपवद्ध	२१२
मिर्जापुर	५७	योगी	४
मीना	६७	रगपुर	१६८
मुण्डकोपनिषद्	१६	रजस्	२४३
मुण्डा	१८	रजस्वला नारी	१५९
	१०८, २०५	रज्जुसर्ग	५९
	४२	रत्नहविषी	११८

रत्नहवि	१८४	रुचम्	१२४
रत्निन्	१०७	रुद्र	३४, ७८, २२६, २२७, २२८, २३०, २३१, २३२, २३३, इत्यादि
रत्नीमंडल	१८५	रूपड	४७
रथकार	५९	रैषव	४६
रथचालक	१९१	रोहित	२३७
रथघावन	२०७	लक्ष्मी	५
रथवीति	३०	लहाख	१८
रथसेना	१८१	लवन	५२
राजतत्र	१६२	लाठ्यायन	७७
राजतत्रात्मक शासनपद्धति	१७०	लिंगपूजा	८
राजन्य ७४, १०१, १७१, इत्यादि		लोथल	१६८
राजन्याषि	८३	लोपामुद्रा	१३३
राजपुत्र	१७७	लोहायस	६२
राजपुर परसू	१२	वग	४०
राजभ्राता	१७७	वणिक	९
राजवाडे	१४८	वणिकवृत्ति	२००
राजसत्ता	७९	वणिज	६५
राजसूय ३८, १६२, १७१, १७५, १७९, ६८४, २०३ इत्यादि		वत्स	७२
राजस्थान	३९	वधू	१५१
राजा परीक्षित	१७७	वप	५९
राजा हरिश्चन्द्र	१३७	वपन	५२
राज्य	१६४	वयित्री	६१
राज्याभिषेक	९७	वर्ण-धर्म	१९९
रानाघुन्डाई	२२	वरुण	३३, २३३
रामायण	१४६	वरुणप्रघास	२०५
रामायणकाल	१५४	बलिहृत	२७, १८२
रायपुर	४२	वशा	५६
राष्ट्रगोप	१८६	वशिष्ठ	११३
राष्ट्रभृत्य	१८०	वशिष्ठ धर्मसूत्र	१५८
राष्ट्रिय,	१७८	वसुधा, सागरवेष्टिता	२४
रुक्मिणी	१४१	वह्य	१६२

वाकोवाक	१०८	वीतहृव्य श्रायस	१४६
वाक्सी	१४०	वृषभ चित्र	३
वाजपेय	१०७, २०३	वृषाकपि	६
वाजिनीवती	५७	वृष्णि	१६९
वाणिज्य	९, ६४, ६५	वेल्लर जाति	१४०
वाणिज्या	६५	वैदग्धि	४१
वामन	१५८	वैधव्य	१५९
वायु पुराण	४३	वैराज्य	१६४
वालाकि गार्ग्य	९९	वैश्य २८ १०३, १०४, १०५, १०६	
वावाता	८८	१०७, १०९ इत्यादि	
वासुदेव कृष्ण	१६९	वैश्वदेव ह्रीम	२०३
वास्तु	६८	व्यवसायोपजीवी	१०४
वाह्लीक	१०८	व्यास	११३
विकृन्ताना पति	२३१	व्यासद्वैपायन	१६१
विज्ञानमय कोष	२४४	व्रातपति	५३१
विदलकार	५९	व्रात्य ६३, २२८ २२९, २३०	
विदलकारी	६१	व्रात्यसूक्त	२२८
विदूषक	१९२	व्रीहि	५३
विदेह	३९	शकृत	२५
विन्ध्य पर्वतमाला	४२	शङ्कराचार्य	१५
विराट्	२१३	शरण	६०
वित्त	५४	शतभुजी	२१
विश	८०	शतमान	६३
विशामत्ता	१७१	शूबर जाति	४२
विशिष्टाद्वैतवाद	२४५	शम्बर	१८
विश्वदेव	७८	शम्भु	४
विश्वन्त सीशदमन	९८	शतरुद्रिय	९८
विश्वामित्र	२७, ८३	शतरुद्रिय पाठ	२१७
विषपायी	२३०	शतवार	१४५
विष्णु	३४, २३४, २३५	शर्याति मानव	१६२
विसौली	१२	शाकला	२०२
वीतहृव्य	१६९	शाक्तमत	४

शाख्यायन ब्राह्मण	११३	इवेतकेतु	९५, ९९
शाख्यायन श्रौतसूत्र	४२	षोडशी	२०३, २०८
शारदी	२१	षोडशी स्तोत्र	००८
शारिशाका	५४	संग्रहीतृ	१८९
शारीरिक क्रोश	२४७	सथागार	१६९
शिमला	२	सथाल	१८
शिव	४, २२७	सयुक्त परिवार	१६६
शुन शीर	५१	सवत्सरवासिन	६५
शुन शेष	८५, २११	सगुण	२४२
शुनासीरीय	२०५	सगोत्र विवाह	१४१
शूकरावतार	२२५	सजात	१७२
सूद्र १०८, १०९, ११० (१११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९ १२० इत्यादि		सत्यकाम जाबाल	८६, २५०
सूलगव	२०३	सत्यवती	१६१
शेम्बू	४	सन्न	२०३
श्यामाक	५४	सन्नजित शतानीक	१६३
श्यापर्णस	६४	सत्त्वत	४१
श्येन	१७२	सदस	६८
श्येनचित्ति	२१४	सतसिन्धु प्रदेश	१०२
श्रमण	२५१	सतसैधव	२०
श्रमविभाजन	७३	समाहर्ता	१८३
श्राद्ध यज्ञ	२०३	सम्प्रमुता	१९५
श्रावस्त्री	४८	सम्बलपुर	४२
श्रेष्ठी	५८	सम्राट्	२१३
श्रेष्ठ्य	२१३	सरकार	१९५
श्रौत सूत्र	८५	सरस्वती	३७, १०६
श्रीताग्नि	२०३	सर्प विद्या	९४
श्वनि	२३१	सर्वमेघ	२३१
श्वपाक	११७	सर्वराट्	२१३
श्वश्रू	१५२	सर्वेश्वरवाद	३३
श्वश्व	२२८	सविता	१७३
		सवितृ	३४
		सामनस्य सूक्त	१३१

साकमेघ	२०५	सीत्रामणी	२०३
सारथी	१८९	सीराष्ट्र	२२
सार्वभौमपद	१६३	स्कम्भ	२३६
सीङ्गोई	१०८	स्तरी	५६
सीता	५१	स्तायूना पति	२३१
सुकन्या	१४५	स्तेनाना पति	२३१
सुत्कजेन्डीर	३	स्थिवि	५२
सुदाम	२३	स्थावर सृष्टि	२४२
सुमद्रा	१४१	स्मार्तग्नि	२०३
सुमनेर	२०	स्वराट्	२१३
सुमेर	५०	स्वराट् शासक	१६७
सुमेरियन प्रदेश	९	स्वापन सूक्त	१३१
सुमेरियन सस्कृति	५०, २२५	स्वामी	१९५
सुराकार	५९	स्वाराज्य	२१३
सुवर्ण	६३	हृत्पपा	२
सुवासा	६०	हनुमान	६
सुपुति	२४०	हरिश्चन्द्र	८५
सूत	१८९	हर्म्यं	६८
सूतवशा	५६	हविर्धान	६८
सूत्रयुग	१०६, १५२	हविर्यज्ञ	२०३
सूय	५, ३२	हविष्य	२०१
सृज्य	१७७	हस्तिनापुर	१२
सेनानी	१२१	हस्तिपालन	१४
सैन्धव	५७	हापूँन	१२
सैन्धव-लिपि	५	हिती	२०
सैन्धव सम्प्रदाय	२	हिन्द-ईरानी युग	१२९
सोण्डाई	१०९	हिरण्यकशिपु	७०
सोम	७८	हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र	१४१
सोमक	३८	हिरण्यपुरुष	२१०
सोमयज्ञ	५७, २०३	हीनसिप्पम	१९६
सोमरस	६०	हुइतीवर्ग	११५
सोमाहुति	२१८	हेमवती	२३३

हैहय	१७०	क्षेत्र	४४
हो	१८	क्षेत्र जेपा	४४
होता	३५	क्षेत्र पति	४४
होमरयुगीन	१०७	क्षेत्रजय	४४
क्षत्र	५९	क्षेत्रपत्नी	४४

